

खण्ड-06 सत्र -07 (भाग-03)  
अंक-87

मंगलवार

7 अगस्त, 2018  
16 श्रावण, 1940 (शक)

# दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही



सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06, सत्र-07 (भाग-03) में अंक 86 के अंक 90 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

**सम्पादक वर्ग**  
**EDITORIAL BOARD**

**सी. वेलमुरुगन**  
सचिव  
**C. VELMURUGAN**  
Secretary

**एम.एस. रावत**  
उप-सचिव (सम्पादन)  
**M.S. RAWAT**  
Deputy Secretary (Editing)

fo"k; I ph

I = &7½eaxyokj] 7 vxLr] 2018@16 Jko.k] 1940 ¼kd½vd&87

Ø-I a	fo"k;	i "B I a
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1—2
2.	माननीय मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	3—10
3.	माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नों की सूचनाओं के संबंध में निर्देश	10—19
4.	तारङ्कित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्रश्न सं. 23,25 से 28 एवं 30)	19—84
5.	तारङ्कित प्रश्नों के लिखित उत्तर (21, 22, 24, 29 एवं 31 से 40)	85—211
6.	अतारङ्कित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न सं. 137 को छोड़कर प्रश्न सं. 67 से 136)	211—511
7.	विशेष उल्लेख (नियम—280)	511—547
8.	अल्पकालिक चर्चा (नियम—55)	547—598
9.	प्रतिवेदनों पर सहमति	599—600

fnYyh fo/kku I Hkk

dh

dk; bkggh

सत्र-7 भाग (3) मंगलवार, 7 अगस्त, 2018/16 श्रावण, 1940 (शक) अंक-87

fnYyh fo/kku I Hkk

I nu vijkgu 2009 cts leor gq/kA

I nu ea mi fLFkr I nL; ka dh I pht%

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1 श्री शरद कुमार        | 16 श्री जितेन्द्र सिंह तोमर   |
| 2 श्री संजीव झा         | 17 श्री राजेश गुप्ता          |
| 3 श्री पंकज पुष्कर      | 18 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी   |
| 4 श्री पवन कुमार शर्मा  | 19 श्री सोमदत्त               |
| 5 श्री अजेश यादव        | 20 सुश्री अलका लाम्बा         |
| 6 श्री महेन्द्र गोयल    | 21 श्री आसिम अहमद खान         |
| 7 श्री राम चंद्र        | 23 श्री विशेष रवि             |
| 8 श्री सुखवीर सिंह दलाल | 24 श्री हजारी लाल चौहान       |
| 9 श्री ऋतुराज गोविन्द   | 25 श्री शिव चरण गोयल          |
| 10 श्री संदीप कुमार     | 26 श्री गिरीश सोनी            |
| 14 श्रीमती बंदना कुमारी | 29 श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) |

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 30 श्री राजेश ऋषि         | 51 सरदार अवतार सिंह कालकाजी |
| 31 श्री महेन्द्र यादव     | 52 श्री सही राम             |
| 32 श्री नरेश बाल्यान      | 53 श्री नारायण दत्त शर्मा   |
| 33 श्री आदर्श शास्त्री    | 54 श्री अमानतुल्लाह खान     |
| 34 श्री गुलाब सिंह        | 55 श्री राजू धिंगान         |
| 36 कर्नल देवेन्द्र सहरावत | 56 श्री मनोज कुमार          |
| 38 श्री सुरेन्द्र सिंह    | 58 श्री नितिन त्यागी        |
| 39 श्री विजेन्द्र गर्ग    | 59 श्री ओम प्रकाश शर्मा     |
| 41 श्री प्रवीण कुमार      | 60 श्री एस.के. बग्गा        |
| 42 श्री मदन लाल           | 61 श्री अनिल कुमार बाजपेयी  |
| 43 श्री सोमनाथ भारती      | 64 श्रीमती सरिता सिंह       |
| 44 श्रीमती प्रमिला टोकस   | 65 मो० इशराक                |
| 45 श्री नरेश यादव         | 66 श्री श्रीदत्त शर्मा      |
| 48 श्री अजय दत्त          | 68 श्री चौ. फतेह सिंह       |
| 49 श्री दिनेश मोहनिया     | 69 श्री जगदीश प्रधान        |
| 50 श्री सौरभ भारद्वाज     | 70 श्री कपिल मिश्रा         |
-

## दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही<sup>1</sup>

---

सत्र-7 भाग (2) मंगलवार, 07 अगस्त, 2018/16 श्रावण, 1940 (शक) अंक-87

---

I nu vijkgu 2-09 cts leor gvkA

ekuuh; v/; {k %Jh jkefuokl xks y½ पीठासीन हुए।

ekuuh; v/; {k% इस सत्र के दूसरे दिन सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन, स्वागत।

Jh txnh'k i/kku% अध्यक्ष जी, नियम 54 में ...(व्यवधान)

ekuuh; ef=; ka }kjk oDr0;

Ekkuuh; mi e[; ea=h %Jh euh'k fl l kfn; k½ अध्यक्ष जी, थोड़ी सी सूचना विधान सभा के समक्ष रखनी थी।

ekuuh; v/; {k% अभी एक सेकण्ड।

मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा श्री जगदीश प्रधान जी से नियम-54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। कार्य सूची में दर्शाये गए विषयों के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं अन्य किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस विषय में वाद-विवाद न करें तथा सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग दें। माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** माननीय मंत्री जी।

**Ekkuuh; mi e[; ea-l%** विजेन्द्र जी, आपके भी काम की है। जगदीश जी, आपके भी काम की सूचना दे रहे हैं, सुन लीजिए। रुक लो, दो मिनट सुन लो।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** हाँ, बैठिए, आप बैठिए। बैठ जाइए, प्लीज।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** मैं आग्रह कर रहा हूँ, बैठ जाइए, प्लीज।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** आप बैठ जाइए, प्लीज। मेरा आग्रह है, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप बैठिए। आप बैठिए। प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** मैं आग्रह कर रहा हूँ आपसे, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

**Ekkauh;** v/; {k% मैं आग्रह कर रहा हूँ, बैठिये, प्लीज।

...(व्यवधान)

**Ekkauh;** v/; {k% माननीय उप मुख्य मंत्री जी खड़े हैं... कुछ बोलने के लिए।

**Ekkauh;** mi eɟ; eɛh% अध्यक्ष महोदय मैं...

**Ekkauh;** v/; {k% आप बैठिए।

**Jh vke izk'k 'kek%** क्या हम इसके... इस सदन के...

**Ekkauh;** v/; {k% माननीय उप-मुख्य मंत्री जी खड़े हैं ना।

...(व्यवधान)

**Jh vke izk'k 'kek%** हम कब मना कर रहे हैं?

**Ekkauh;** v/; {k% आप बैठिए, ओम प्रकाश जी, बैठिए, प्लीज।

**Jh txnh'k izkku%** बात को सुन तो लो, वो क्या कह रहे हैं।

**Ekkauh;** v/; {k% न वो मैं विचार करूँगा, क्या करना है। बैठिए। हाँ, माननीय उप मुख्य मंत्री जी।

...(व्यवधान)

**Ekkauh;** mi eɟ; eɛh %Jh euh'k fl l ksn; k/% विजेन्द्र जी, एक मिनट सुन लीजिए, आपके मतलब की भी सूचना है।

अभी अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सदन के समक्ष एक जानकारी रखना चाहता हूँ क्योंकि अभी सदन चल रहा है; अभी थोड़ी देर



पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें दो-तीन निर्णय लिये गये हैं। मुझे लगता है कि मैं उसको सदन के समक्ष रख देता हूँ, बिफोर इट गोज टु मीडिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना यहाँ सभी एमएलए साथियों के लिए महत्वपूर्ण है कि जो एमएलए फंड हमने बजट में चार करोड़ रखा था, उसको कैबिनेट ने बढ़ाकर दस करोड़ रुपये कर दिया है। ठीक है कि नहीं हर छोटी-छोटी चीज के लिए आते हैं, बताते हैं, "जी, यहाँ खर्च कर दो, ये नाली बनवा दो, हो गया न काम? तो बढ़िया?... इस पर ताली बजा दो। धन्यवाद, हो गया।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; mi eŋ; e=ɦ%** एक मिनट, एक मिनट, पूरा करने दो। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, एक और निर्णय...

**Jh vkeiɔk'k 'kek%** इसके अलावा एक एडिशन और होनी चाहिए जो ये प्वाइंट को लगा सके।

**Ekkuuh; mi eŋ; e=ɦ%** हाँ, इसके अलावा तीन और निर्णय थे जिसमें से एक इसके बारे में और जानकारी मैं सत्येन्द्र जी को रिक्वेस्ट करूँगा, वो दे देंगे और राजेन्द्र जी के डिमार्टमेंट से संबंधित एक फैसला लिया गया था, वो भी दे देंगे। एक निर्णय लेकिन इस विधानसभा में हम कई बार चर्चा कर चुके थे, उसका भी लिया गया है; जो बार-बार दिल्ली देश की राजधानी है और देश की अलग-अलग भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं। अलग-अलग संख्याओं में रहते हैं लेकिन देश की राजधानी होने के नाते और ऐसे भी कोई भी सरकार में तो कहूँगा देश की हर सरकार को देश की तमाम भाषाओं को समृद्ध करने के लिए और अपने अपने राज्यों में

उसमें रिसर्च उस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, उस पर काम करने के लिए इस तरह का काम करना चाहिए... तो काफी दिन से हम लोग इसमें प्रयासरत थे, आज कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया है। भारतीय भाषाओं सहित कुल 15 नई अकेडमीज बनाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है जिसमें मैं पढ़कर बता देता हूँ; इसमें भारतीय भाषाओं में मराठी, मलयालम, गुजराती, बंगाली, कुमाउंनी-गढ़वाली-जौनसारी, मारवाड़ी, कश्मीरी अकेडमी, असमीज अकेडमी, हरियाणवी अकेडमी, उड़िया अकेडमी, कन्नड़ अकेडमी, तेलगु अकेडमी, तमिल अकेडमी ये सब भारतीय भाषाओं की होगी। इसके साथ साथ प्राकृत और पाली भाषा की अकेडमी बनाने का भी निर्णय लिया गया है और साथ-साथ क्योंकि अब दिल्ली में मैं देख रहा हूँ; युवाओं में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं में भी आर्ट ऐंड कल्चर का लिटरेचर का क्रेज बढ़ रहा है, खासतौर से अंग्रेजी के प्रति भी बढ़ रहा है तो उनके इंटरैस्ट को ध्यान में रखते हुए एक अकेडमी फॉरन लैंग्वेज अकेडमी इंटरनेशनल लैंग्वेजेज की अकेडमी भी सरकार ने पास की है। आज तो ये दो सूचनाएँ मैंने दी हैं, इसके बाद राजेन्द्र जी और सत्येन्द्र जी भी थोड़ी सी उसमें एड करेंगे, सूचनाओं में।

**Ekkuuh; LokLF; ea-h ¼Jh I R; ¼nz t¼¼%** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला किया है कि जो एमएलए फंड चार करोड़ रुपये प्रति वर्ष होता है, उसको 10 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष, प्रति असंबली कर दिया गया है। साथ ही साथ एमएलए फंड के अंदर छोटी सी प्रोसीजरल दिक्कतें आ रही थी कि कुछ चीजें जैसे कि पहले हो रही थी, आदरणीय सदस्य बार-बार मुद्दा उठाते हैं कि अब वो होनी बंद हो गई हैं तो कैबिनेट ने फैसला किया है कि जैसे कि पहले भी होता रहा है

कि यूडी मिनिस्टर की अप्रूवल से चीजों को आइटम्स को ऐड करना या डिलीट करना या प्रोसीजर्स में जो भी चेंजेज करना यूडी मिनिस्टर की परमीशन से होगा क्योंकि गाइडलाइंस में ये भी चेंजेज करने हैं, अदरवाइज कैबिनेट के अंदर पिछले दो साल से एक कैबिनेट नोट उनमें चल रहा था कि दो साल में एक चीज को अप्रूव कर रहे हैं तो पता लगा एक भी चीज चेंज करने जाते हैं तो फिर दो साल फिर लग जाएंगे तो अब दो चीजों का फैसला किया गया है कि जो भी इसमें छोटे-मोटे चेंजेज किये जाएंगे, वो यूडी मिनिस्टर की परमीशन से किये जाएंगे और चार करोड़ की बजाय इसको दस करोड़ रुपये प्रति वर्ष इस साल से लागू किया जाएगा।

हाँ, दूसरा एक प्रोजेक्ट और पास किया गया है कि दिल्ली के अंदर जो भी एड्स से पीड़ित मरीज हैं, उनको जो सरकार की ओर से भत्ता दिया जाता है; 1050 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक है, उसको आज से डबल कर दिया गया है।

**Ekkuuh; I ekt dY; k.k eah %Jh jkt%nz iky xkfe%#** अध्यक्ष जी, मुझे भी सम्मानित सदन को एक सूचना देनी है जो डिसेबिलिटी पेंशन 2500 रुपये हुआ करती थी, वो 60 साल की उम्र तक थी। 60 साल की उम्र के बाद वो बंद हो जाती थी और लोग अगर दोबारा बनवाते थे तो वो सीनियर सिटीजन में बनती थी तो 500 कम होकर 2000 की बनती थी। अब उसमें आज हमने कैबिनेट में पास कर दिया है कि वो 60 साल होने के बाद भी उसकी इसी तरह पेंशन 2500 की चलती रहेगी, बंद नहीं होगी और उसमें अब 60 साल बाधा नहीं बनेगी और एक और सूचना देनी है, मैंने डायरेक्शन अभी सेक्रेटरी को दी है जो कल सदन में महेन्द्र गोयल जी ने भी ये सवाल उठाया था कि अगर कोई ऐसे बच्चे जिसके मदर

फादर दोनों ही एक्सपायर हो गए, वो नाना-नानी या दादा-दादी के पास रह रहे हैं और उनकी कोई देखरेख वाला नहीं है, फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला नहीं है, उसको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम बनाने की डायरेक्शन आज दे दी गई है।

**Jh egłnz xks y%** एक सेकण्ड, एक चीज और कहना चाहूँगा; मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।

**Ekkuuh; v/; {k%** हो गया प्लीज, महेन्द्र जी। मैं आप सबका ध्यान...

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** जगदीश जी, मैंने बोल दिया। नियम-54 मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ, डिस्अलाउड है।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** नहीं, मैं नहीं कर रहा। ये आपको रूलिंग पढ़कर सुनाऊँ, रूलिंग पढ़कर सुना दूँ। आपको बेहतर मालूम है।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** रूलिंग में बहुत क्लियर है; ये अध्यक्ष का अधिकार है कि किसको...

**Jh fotłnz xqrk%** हाँ, तो फिर रूल दिखा दीजिए।

**Ekkuuh; v/; {k%** ये अध्यक्ष का अधिकार है कि किसको।

**Jh fotlñz xqrk%** रूल दिखा दो फिर आप हमें।

**Ekkuuh; v/; {k%** न, मैं सब मानता हूँ।

**Jh fotlñz xqrk%** नहीं मानते।

**Ekkuuh; v/; {k%** बिना रूल के मैं चलता नहीं हूँ।

...(व्यवधान)

**ekuuh; v/; {k }kjk izuka dh l pukvka ds  
l cak ea funk**

**Ekkuuh; v/; {k%** मैं आपका ध्यान प्रश्नों के संदर्भ में, नियमों के प्रावधानों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। माननीय उप मुख्य मंत्री तथा माननीय समाज कल्याण मंत्री ने भी इस संबंध में दिनांक 6 अगस्त, 2018 को ध्यान दिलाया था; सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वो अपने प्रश्नों को केवल एक विषय तथा एक विभाग तक ही सीमित रखें। अब हमें लगभग साढ़े तीन साल हो गए हैं। कल भी ये देखने में आया और उससे पहले भी स्टार्ड क्वेश्चन हमने लगाया, उस स्टार्ड क्वेश्चन में हमने बिजली से भी लगा रखा है, उसी स्टार्ड क्वेश्चन में स्वास्थ्य से भी लगा रखा है, उसी स्टार्ड क्वेश्चन में शिक्षा से भी लगा रखा है। एक विभाग को लेकर केवल एक ही स्टार्ड क्वेश्चन लगे या अनस्टार्ड लगे तो वो ही स्वीकार होगा। अगर एक स्टार्ड में या अनस्टार्ड में हमने दो-दो विषय डाल दिये तो आगे से वो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। ये मैं बहुत क्लीयर एक बार संदेश देना चाह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नों की  
सूचनाओं के संबंध में निर्देश

11

16 श्रावण, 1940 (शक)

दूसरा, क्वेश्चन लंबे न हों। आठ-आठ, दस-दस नंबर तक हम क्वेश्चन्स को ले जाते हैं। एक क्वेश्चन में तीन, चार मेक्सिमम पाँच तक आप रखिये, उसी में समेटिये। हमारे अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए एक नंबर किया, उसी में और करके हम जोड़ सकते हैं, पाँचवे तक ले जाएंगे, दस-दस ले जाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। संबंधित प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जाएगा; जो लंबे होंगे बहुत अधिक। मैंने विधान सभा सचिव को भी उन प्रश्नों को संपादित करने का निर्देश दिया है जो विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के अनुसार प्राप्त नहीं होते हैं। कल सोमनाथ जी का इस पर ऐतराज था। इसमें संपादित करने में उनको छोटा करने में कहीं न कहीं कुछ छूटता है जरूर। तो अगर लंबे होंगे तो संपादित करेंगे, नहीं तो वो पूरे छूट जाएंगे। ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें।

सभी माननीय सदस्यों से मेरा पुनः अनुरोध है कि वे विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम-31 को अच्छी तरह पढ़ लें जिसमें प्रश्नों को स्वीकार करने के संबंध में विस्तृत विवरण दिया गया है।

**Jh fotgnz xqrk%** अध्यक्ष जी, हमारा विरोध जारी है।

**Ekkauh; v/; {k%** नहीं, आप अपना विरोध जारी रखिये, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको सस्ती लोकप्रियता मीडिया में चाहिए।

**Jh fotgnz xqrk%** आप करवा रहे हैं।

**Ekkauh; v/; {k%** मैं आपसे कह रहा हूँ... आपके थे, क्यों नहीं हटाया, बैठिए। प्रश्नकाल।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नों की  
सूचनाओं के संबंध में निर्देश

12

7 अगस्त, 2018

**Ekkuuh; v/; {k% बाद में अभी बाद में...**

**Jh fufru R; kxh% सर, एक बात...**

**ekuuh; v/; {k% बाद में अभी बाद में... मैं... नितिन जी, देखिए, मेरी पहली प्रॉयरिटी... मैं सुनूँगा।**

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k% मैं स्टार्ड क्वेश्चन के बाद सुनूँगा। मुझे पता लगा है, ये बात... लेकिन मैं स्टार्ड क्वेश्चन के बाद...**

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k% मेरे घर पर भी कुछ हुआ होगा। प्रश्न संख्या-21, श्री पवन कुमार शर्मा जी। पवन जी नहीं हैं। प्रश्न संख्या-22, मनोज भी नहीं है। प्रश्न संख्या-23, श्री सौरभ भारद्वाज जी।**

...(व्यवधान)

**Jh I kjHk Hkj }kt% अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है...**

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k% विजेन्द्र जी, ये मीडिया के सामने दिखाइए जाकर। आप दिखाइए बड़े शौक से। सदन में दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा होने दीजिए। ये आपकी अपनी समस्या है।**

**Jh I kjHk Hkj }kt% विजेन्द्र जी, बाहर बाइट दे दो। बाहर मीडिया वाले इन्तजार कर रहे हैं आपका।**

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नों की  
सूचनाओं के संबंध में निर्देश

13

16 श्रावण, 1940 (शक)

**Ekkuuh; v/; {k%** साढ़े तीन साल तक याद नहीं आपको। आज आपको याद आ रही है। साढ़े तीन साल तक आपको याद नहीं आई।

...(व्यवधान)

**Jh I kJHk Hkj }kt%** मीडिया वाले बाहर खड़े हैं, बाइट दे दो बाहर। जाओ बाहर बाइट दे दो, विजेन्द्र जी। बाहर बाइट देना जाकर। बाइट बाहर दे दो बाहर।

**Ekkuuh; v/; {k%** चलिए—चलिए। देखिए मैं, विजेन्द्र जी...

...(व्यवधान)

**Jh I kJHk Hkj }kt%** विजेन्द्र जी, बाहर जाकर बाइट दे दो।

**Ekkuuh; v/; {k%** मैं बहुत करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैने दोनों नियम-54 के रिजेक्ट किये हैं। आपने जो...

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** वो मेरा अपना अधिकार है। जिस विषय पर मुझे लेना है, लेना है। वो मेरा अधिकार है, छोड़िए।

**Jh I kJHk Hkj }kt%** रोज ड्रामा करते हैं! नए—नए कुर्ते पहनकर आते हैं रोज, और ड्रामा करते हैं यहाँ पर। तीनों एक—सा कुर्ता पायजामा पहनकर आते हैं; ड्रामे बाजी करने के लिए।

...(व्यवधान)

**Jh I kJHk Hkj }kt%** हॉ—हॉ, कोई बात नहीं, आना है, कमिटी में आना है।



**Ekkuuh; v/; {k%** आप सीनियर सदस्य हैं, आप छोड़िए। आप अपना विषय रखिए, प्लीज।

**Jh I kJHk Hkj }kt%** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न न.-23 है और आपने अभी-अभी प्रश्न कैसे लगाए जाएँ, इसके बारे में कहा और मुझे बड़ी खुशी है कि किसी मंत्री ने आपसे कहा था कि ये प्रश्न किस तरह लगे। मगर मुझे लगता है कि आपकी तरफ से मंत्रियों को भी बताना चाहिए कि इसका उत्तर कैसे आये। ये उत्तर लगातार आधे-अधूरे आते हैं। उसकी वजह से कमेटियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अफसरों के ऊपर। एक कमिटी के अंदर एक अफसर को बुलाने के लिए नौ सदस्यों को अपने घर से, अपनी विधान सभा का काम छोड़कर आना पड़ता है। और ये आज का जो सवाल है, इसके उत्तर मैंने देखे हैं, ये अधूरे हैं। कृपया करके मेरा ये निवेदन है कि इसके लिए कमिटी में न जाकर ये साफ-साफ प्राइम फ़ैसिया दिख रहे हैं कि जवाब अधूरे हैं। ये सदन ही यहाँ पर फ़ैसला करे कि इस तरीके के अधूरे जवाबों के लिए अफसरों पर क्या कार्रवाई की जाए। क्योंकि कमिटी की कार्यवाही बहुत लम्बी होती है और बहुत टाइम कन्ज्यूमिंग होती है।

**Ekkuuh; v/; {k%** माननीय मंत्री प्रश्न संख्या-23.

**Ekkuuh; k LokLF; ea=lf%** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आदरणीय सदस्य ने जो बात उठाई है कि प्रश्नों के जवाब ठीक से नहीं दिये जा रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ। मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रश्नों के जवाब तो दिये ही नहीं गए, उनके मैं एक दो के सैम्पल भी लेकर आया हूँ। एक प्रश्न था; क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधान सभा

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नों की  
सूचनाओं के संबंध में निर्देश

15

16 श्रावण, 1940 (शक)

क्षेत्र के अन्तर्गत चाँद नगर में बंजारा कम्युनिटी हाल स्थित है; समुदाय सेवा विभाग, दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित नहीं है, ये क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा पूछा था कि दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित है या नहीं है। पूछा था कि है या नहीं है। तो लिख दिया, दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित नहीं है। और तीन क्वेश्चन और हैं। सबका उत्तर है, उपरोक्तानुसार। चारों का आन्सर ये दिया है। मेरे पास ये आन्सर आया। मैंने लिखा कि प्लीज प्रोवाइड द आन्सर कि कृपया करके आन्सर दे दीजिएगा। दोबारा से मेरे पास साइन करके ऐज इट इज वापिस आ गया। अब मैंने फिर से दिखाया। नो आन्सर फार पार्ट 'क' टु 'घ', प्लीज प्रोवाइड द आन्सर्स फॉर फोर पार्ट्स।

दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हमारे यूडी सैक्रेटरी साहब... यूडी डिपार्टमेंट में। दूसरा मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा पहले ब्रीफिंग देने के लिए कार्पोरेशन के सीनियर ऑफिसर्स आया करते थे। इस बारी बिल्कुल गायब हैं। उनको बुलाया जा रहा है। सैक्रेटरी साहब ने मुझे लिखकर दिया है कि जवाब नहीं दे रहे हैं। वो उनको लैटर लिख रहे हैं। ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। आधे-अधूरे जवाब जान-बूझकर दे रहे हैं। कल रात को भी दस बजे मेरे घर पर क्वेश्चन्स के आन्सर आए। उसमें से कुछ को मैंने ओ. के. किया। बाकी को वापिस भेजा। उनके जवाब उनको भी नहीं दिये जा रहे हैं। लगता है एमसीडी वाले जान-बूझकर ऐसा कर रहे हैं।

**Ekkauh; v/; {k%** माननीय मंत्री जी, मैं यहाँ पर एक व्यवस्था दे रहा हूँ। जिस दिन...जैसे आज का क्वेश्चन था, जिनके उत्तर अगर दो दिन पहले नहीं आते हैं, उनको स्वीकार मत कीजिए, सदन में दीजिए। मेरे पास उत्तर नहीं आए हैं। ये व्यवस्था है कानून में। कम से कम दो दिन पहले

सदन में उत्तर आना चाहिए। ये व्यवस्था है। कम से कम दो पहले। सैक्रेटरीएट में इसके उत्तर आ जाने चाहिए, एक दिन पहले, एक दिन पहले। दो दिन पहले आपके पास एक दिन हमारे पास। एक दिन पहले हमारे पास उत्तर आ जाने चाहिए। नहीं आते हैं, बोलिए। हम देखेंगे, कमिटी देखेगी।

**ekuuH; LokLF; ea=H%** ठीक है। कई सारे क्वेश्चन्स मैंने वापस भेजे हैं। दूसरा, मैं इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है अखिलेश पति त्रिपाठी जी का। उन्होंने आठ भागों में ये प्रश्न पूछा। छः भागों का उत्तर दिया। यह कार्यकारी एजेन्सी से सम्बन्धित है। मतलब क्वेश्चन... जैसे कोई है कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किये बिना ही कार्य पूरा मान लिया गया। उसकी जिम्मेदारी किस की है अरे भई! उन्होंने ये पूछा था आपसे कि किस की जिम्मेदारी है? वो कह रहे हैं कि कार्यकारी एजेन्सी की है। मतलब अजीब सी बात है। दूसरी जगह उन्होंने प्रश्न पूछा, विधायक निधि के अन्तर्गत हुए कार्यों के बाद अब तक कितना पैसा अलग-अलग विभागों के पास शेष है। इसका ऑन्सर भी है, यह कार्यकारी एजेन्सी से सम्बन्धित है। उपयोग हेतु शेष राशि पुनः कब तक यूडी के पास वापिस कर दी जाएगी। यह भी कार्यकारी एजेन्सी से सम्बन्धित है। तो मुझे ऐसा लगता है, आदरणीय विधायकों ने प्रश्न पूछे हैं तो उनके प्रश्न देने में लगता है डिपार्टमेंट का कोई खास इन्टरेस्ट है नहीं। और जो बात मैंने कल कही थी, वही बात आज दोबारा रिपीट करने का समय है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से शायद उनको कुछ ट्राफी मिलेगी। अगर वो लोग जान-बूझकर डिस्ऑबिडियेन्स करते हैं। जान-बूझकर इस तरह का काम करते हैं तो उनको लगता है कि उनको अच्छी तरह से

उनका नाम आएगा, सामने आएँगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। कहते हैं, मेरा नाम तो आ जाए। सदन में नाम तो आए ताकि वो उनकी नजरों में आएँगे, “देखो, कितने अच्छे आफिसर हैं, ये काम नहीं करते हैं।” इसके बारे में मैंने लिखा। छः तारीख को मेरे पास क्वेश्चन आए थे। ‘गिव प्रॉपर आन्सर।’ आज दोबारा ऐज इट इज आन्सर को साइन करके वापिस भेज दिया गया। कोई एन्क्लोजर नहीं लगाया गया। कोई ऑन्सर चेंज नहीं किया गया। कोई ऑन्सर देने की जहमत नहीं उठाई गई। मैंने फिर से दोबारा लिखा है कि नो ऑन्सर फॉर ‘क’ टु ‘ज’। टोटल ए पार्टस फॉर क्वेश्चन सबमिटेड, प्लीज आन्सर ऑल द पार्टस। तो इस हालात के अंदर जो कल बात चल रही थी, मुझे लगता है, उसी से सम्बन्धित था। मैंने उसके सामने रखने की कोशिश की है। एक विभाग के 42 प्रश्न हैं। 42 प्रश्नों में से आपने कहा; एक दिन पहले आ जाने चाहिए। 24 घंटे पहले आपने मुझसे कहा है। तो 42 में से 7-8 ही आए थे। बाकी कल रात को पौने दस बजे कुछ आए हैं। आज सुबह ग्यारह बजे, बारह बजे मेरे पास आए हैं। उसके अंदर मुझे लगता है कि यूडी डिपार्टमेंट भी और खासतौर से एमसीडी के अधिकारीगण तो वो ज्यादा ही कहते हैं कि वो सोच रहे हैं, वो मजाक सा समझ रहे हैं कि प्रश्न का जवाब दें या न दें। विधान सभा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है... ऐसा कुछ लगता है। तो मुझे लगता है जिम्मेदारी विधान सभा की है कि अब उनको बताए कि अगर वो ऑन्सर नहीं देते हैं... आटीआई का ऑन्सर देने में बड़े इन्टरेस्टेड रहते हैं। आरटीआई का ऑन्सर दे देते हैं ये लोग। विधायक के पूछे गए क्वेश्चन का ऑन्सर देने में अपनी इन्सल्ट समझते हैं। ऐसा लगता है, हमारी बेइज्जती हो रही है।

मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। एमएलए लैंड फंड के अंदर आदरणीय सदस्यों ने पिछली बारी बात की थी। बहुत सारे सदस्यों दुःखी थे। पिछले डेढ़ महीने के अंदर छः बारी मैं लिखकर पूछ चुका हूँ कि सारे के सारे एमएलए लैंड के सारे प्रपोजल को क्लीयर कर दिया जाए। आदरणीय एमएलए साहब ने पूछा क्वेश्चन ये था, 'क्या एमएलए लैंड फंड के प्रपोजल्स को पास करने में अत्यधिक समय लग रहा है? कहते हैं, "जी नहीं।" मैंने उसको कहा कि इसको काट कर अपने हाथ से... कहा कि जी, हाँ लिख दीजिए। कहते हैं, "नहीं जी, बिल्कुल नहीं लग रहा है।" तो मैंने कहा, "छः महीने अधिक समय नहीं होता? एमएलए लैंड फंड का सिर्फ पैसा ही तो देना है आपने। आपने कोई बिल्डिंग थोड़े ही बनानी है आपने वहाँ पर।" मैं फिर से बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि एमएलएलैंड एक्सीजेंसीज के लिए है, किसी विधान सभा में कोई काम नहीं हो पा रहा, बेंच लगानी है, झूले लगाने हैं, लाइट लगानी है, अगर यूडी डिपार्टमेंट उसको तीन महीने, चार महीने या छः महीने लगा देगा पैसा देने में, तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी तो वो दो साल लगा ही सकती है। फिर एक्सीजेंसी की जरूरत ही नहीं रह गयी, फिर तो डिपार्टमेंट कर ही सकता है, सारे के सारे काम जितने भी एमएलएलैंड फंड के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे काम डिपार्टमेंट कर सकता है। सब से बड़ा इश्यू ये आ रहा है कि डिफाएंस करना उनको लगता है कि डिफाएंस करने से शायद उनका प्रमोशन होगा या उनको कोई शाबासी मिलेगी। आज भी बहुत सारे प्रपोजल बचे हुए हैं, पिछले एक हफ्ते में तो खैर उन्होंने दो सौ-ढाई सौ प्रपोजल किए हैं, लैटर मिले होंगे लोगों को। बट किसी भी प्रपोजल को एक महीना या दो महीना सिर्फ पैसा, फंड एलोकेट करने के अंदर लगा दिया जाए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे नहीं लगता कि ये लोग सिंसेयरली काम कर

रहे हैं इस वजह से। और जवाब देने के अंदर मुझे लगता है, कोई इंटरेस्ट ठीक से है नहीं। मैं सहमत हूँ सौरभ जी के साथ बिल्कुल ही कि जवाब ये ठीक से नहीं दे रहे हैं, पूरे भी नहीं दे रहे हैं, अधूरे दे रहे हैं और जो दे भी रहे हैं तो उनको इस तरह से दे रहे हैं ताकि आपको समझ न आएँ। एन्क्लोजर देते नहीं हैं। मैं माँग-माँग के थक गया। मैंने कहा, "भई सारी लिस्ट दे दीजिएगा।" एमएलएलैड फंड का क्वेश्चन था। मैंने कहा, "पूरी लिस्ट दीजिएगा।" लिस्ट बना के आज ले आए। मैंने कहा, "इसमें ये भी तो बताइए किस दिन प्रपोजल आया, किस दिन पास किया?" ये बता ही नहीं रहे। अरे भाई! आपने प्रपोजल अगर दिसम्बर में दिया था और आपने जुलाई में पास किया तो एमएलए साहब चिल्लाएँगे न कि भई आपने सात महीने क्यों लगाए या छः महीने क्यों लगाए? उस इन्फार्मेशन को छिपाना चाहते हैं। तो इस तरह का चल रहा है। ये माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए मुझे लगता है कि विधान सभा के जो क्वेश्चंस पूछे जाएं, मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस पे न जा के कुछ पे चले जाएँ। उनको टैस्ट बना लेना चाहिए कि भई अगर एक भी क्वेश्चन का जवाब आपने ठीक से नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। उसको ऐंड तक लेके जाने की जरूरत है। क्वेश्चंस को बहुत लाइटली लिया जा रहा है और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब मैं इस प्रश्न का आन्सर देना चाहता हूँ। इससे मैं भी सैटिस्फाई नहीं हूँ, जैसा इन्होंने बताया।

**rkjkr izuka ds ek[kd mUkj**

**Jh I kJHk Hkj }kt%** अध्यक्ष महोदय, माननीय शहरी विकास मंत्री जी प्रश्न संख्या-23 का उत्तर देने की कृपा करें:

(क) ग्रेटर कैलाश(एसी-50) विधान सभा में दक्षिण दिल्ली नगर निगम

द्वारा शेख सराय फेज-1 तथा फेज-2 में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में कितने स्टॉल्स/स्थाई दुकानों को अनुमति दी गई;

(ख) ग्रेटर कैलाश(एसी-50) विधान सभा के शेख सराय फेज-1 तथा फेज-2 में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में आबंटित/ अनुमति दिए गए क्षेत्र का डिमार्केशन दिखाती हुई ड्राइंग प्रदान करें;

(ग) उपरोक्त साप्ताहिक बाजारों में कितने आबंटियों को स्टॉल लगाने की अनुमति दी गई है, विवरण दें;

(घ) इन बाजारों में अनुमति दिए गए प्रत्येक स्टॉल के डिमार्केशन का विवरण दें;

(ङ) इन बाजारों को अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण करने अथवा अपना क्षेत्र बढ़ाने से रोकने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण क्या है;

(च) 1/05/2015 से 30/06/2018 तक इन बाजारों अथवा स्थाई दुकानदारों के विरुद्ध गैर कानूनी/ अनियमित कार्यों के लिए की गई सभी कार्रवाई का पूर्ण विवरण दें; और

(छ) इन बाजारों के संबंध में दक्षिण दिल्ली नगर निगम को प्राप्त सभी शिकायतों की प्रति प्रदान करें?

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-23 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

शेख सराय फेस-1 और -2 में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में कोई भी स्थायी स्टॉल्स/दुकानें आबंटित नहीं की गई है। अस्थायी स्टॉल्स/दुकानों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। वेन्डर साप्ताहिक बाजारों के लिए नियत स्थान पर निर्धारित सीमा के अन्दर 'पहले आओ और पहले पाओ' के आधार पर 6'x4' open to sky ke space में पटरी पर अपने अस्थाई स्टॉल्स/दुकान लगाते हैं;

(ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:

साप्ताहिक बाजार जिन स्थानों/सड़कों पर लगाए जाते हैं। वहाँ सड़कों के दोनों छोरों पर लाल रंग (रेड पेन्ट) से - रेखांकित की गई है। साप्ताहिक बाजार इन रेखांकित सीमाओं के अन्दर ही लगाए जाते हैं। डेमॉर्केशन ड्राइंग उपलब्ध नहीं है। संबंधित विभाग से ड्राइंग उपलब्ध होने पर शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी;

(ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:

उपरोक्त 'क' के अनुसार

(घ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:

उपरोक्त 'क' के अनुसार;

(ङ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:

संबंधित वार्ड का लाईसेंसिंग इन्सपेक्टर एवं संबंधित थानाध्यक्ष उत्तरदायी है।



(च) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:

इन बाजारों पर की गयी कार्रवाई की कॉपी संलग्न है; और

(छ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:

पिछले छः माह में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कोई लिखित शिकायत संज्ञान में नहीं आयी है। इससे अधिक पुराने रिकॉर्ड को ढूँढा जा रहा है, अगर ऐसी कोई शिकायत संज्ञान में आती है तो उसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी।

1. शेख सराय फेज-1 और फेज-2 में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में कोई भी स्थाई स्टाल, दुकानें आवंटित नहीं की गयी हैं। अस्थाई स्टाल, दुकानों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, वेंडर्स साप्ताहिक बाजारों के लिए नियत सीमा पर निर्धारित सीमा के अंदर पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर 6 फुट बाई 4 फुट ओपन टू स्काई स्पेस के लिए पटरी पर अपना अस्थाई स्टाल, दुकान लगाते हैं। ये साउथ दिल्ली एमसीडी ने जवाब दिया है।
2. साप्ताहिक बाजार जिन स्थानों/सड़कों पर लगाए जाते हैं वहां सड़कों के दोनों छोर पर लाल रंग का पेंट एंड लिमिट्स रेखांकित की गयी है।

मैं इस बारे में... भी एक बार ये पूछना चाहूंगा। मैंने उनसे पूछा था मैंने मुझे भी मेरा भी यही प्रश्न था, हाँ, मैं ये बता रहा हूँ,

Sl. No.	Date of Action	Location	No. of Articles seized
1.	02.11.2017	Sheikh Sarai-I, Thursday Weekly Bazar.	13
2.	09.11.2017	Chirag Delhi Area, DDA Local Shopping Complex Sheikh Sarai-II, Triveni Complex, DDA Flat Khirki Extension and Thursday Weekly Bazar	29
3.	05.12.2017	Sheikh Sarai-II Near Tuesday Weekly Bazaar, Chirag Delhi.	13
4.	07.12.2017	Tuesday Weekly Bazaar, Sheikh Sarai-I, Chirag Delhi, Ward No. 088-S	3
5.	21.12.2017	Thursday Weekly Bazaar, Sheikh Sarai, Ward No. 086-S	15
6.	15.02.2018	Sheikh Sarai-I Near Chirag Delhi Nallag & Thursday Weekly Bazaar Near Triveni Complex & surrounding area, Were No. 88-S	10
7.	12.04.2018	Thursday Weekly Bazaar, Seikh Sarai-I, Chirag Delhi, Ward No. 088-S	10
8.	21.06.2018	Tigri Road, Ward No. 075-S and Weekly Bazar, Shikh Sarai, Chirag Delhi, Ward No. 087-S	28

Jh I kJHk Hkkj}kt% जैन साहब, एक निवेदन है; आप प्रश्न पढ़िए और उत्तर दीजिए।

'kgjh fodkl ea-l% नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी। जब मेरे सामने यह उत्तर लाया गया तो मैंने प्रश्न ये था; ग्रेटर कैलाश एसी-50 विधान सभा में दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा शेख सराय फेज-1 व फेज-2 में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में कितने स्थाई दुकानों की अनुमति दी गयी है?

ekuuh; v/; {k% कितने स्टाल्स/स्थाई दुकानें ऑब्लिक...

Jh I kJHk Hkj }kt% हाँ जी, स्टाल/स्थाई दुकानों की सर। तो इसमें इन्होंने यही लिखा है रेड लाइन लगाई गयी है। तो मैंने खुद पूछा कि भई ये कन्फर्म कीजिए, लगाई है या नहीं लगाई है। मुझे दोबारा से कन्फर्म किया गया कि जी हाँ, बिल्कुल लगाई गयी है। उन्होंने कन्फर्म करके बताया कि लाइन लगायी गयी है। मेरे को भी विश्वास नहीं था। अगर वो कहते हैं ऑफिसर्स, लगी है तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि लगी है या नहीं लगी है? तो इसका मतलब गुमराह किया गया है।

I qh vydk ykEck% अध्यक्ष जी, गुमराह किया गया... गंभीर मामला है...

ekuuh; 'kgjh fodkl ea-l% नहीं, नहीं, एक मिनट सुनिए अरे यार! सुन तो लो। मैं कह रहा हूँ कि देखिएगा अगर उन्होंने मुझे भी ये झूठ बोला कि जी वहाँ पे लाल रंग की लाइनें लगाई गयी हैं और आदरणीय एमएलए साहब कह रहे हैं कि नहीं लगाई गयी हैं तो इसका मतलब सदन को गुमराह करने की कोशिश की गयी है। जहाँ तक ये बात है कि नंबर कितने हैं; उन्होंने पहले 'क' में बताया कि नंबर फिक्स नहीं है कि जो 'पहले आओ, पहले पाओ' के हिसाब से जो आके बैठ गया, उनका कहना

ये है। लाइन के अंदर दो लाइनें लगा दी न। उस लाइन के अंदर कोई भी आ के बैठ सकता है। अरे भई! सुनो, मान लो सौ फुट लंबाई है, उसमें 6 फुट बाई 4 फुट के 25 लोग बैठ सकते हैं। नहीं नहीं, नंबर... इसलिए हमने वहाँ पे पेड़ लगाओ, जो भी आ गये, उस लाइन के अंदर बैठो। अरे यार! सुन तो लो न। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लाइन नहीं लगाई तो आंसर गलत है और अगर लाइन लगाई है तो इसका आंसर मुझे लगता है, ठीक है अगर दोनों तरफ लाल लाइन लगा रखी है कि इस लाइन के अंदर जो भी आके उसमें 4 फुट बाई 6 फुट के अंदर बैठ सकता है... अगर लगाई है तो। परन्तु सभी सदस्य कह रहे हैं कि कहीं ऐसी लाइन आज तक नहीं लगाई गयी। साप्ताहिक बाजार इन रेखांकित सीमाओं के अंदर ही लगाए जाते हैं। मतलब उनका फिर से वही कहना है कि दो लाइनें लगा दी गयी हैं। उस लाइन के बीच में लोग उसमें 6 फुट बाई 4 फुट की जगह में बैठ सकते हैं और नंबरस कम ज्यादा हो सकता है कोई भी... 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पे बैठ सकता है। कहते हैं, डिमार्केशन की कोई ड्राइंग उपलब्ध नहीं है, संबंधित विभाग से ड्राइंग उपलब्ध होने पर शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी;

(ग) उपरोक्त अनुसार,

(घ) उपरोक्त अनुसार

(ङ) संबंधित वार्ड का लाईसेंसिंग इन्स्पेक्टर एवं संबंधित थानाध्यक्ष उत्तरदायी हैं;

(ड) भाग का प्रश्न यह था इन बाजारों को अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण करने अथवा अपना क्षेत्र बढ़ाने से रोकने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों

का विवरण क्या है? कहते हैं; जो लोकल लाईसेंसिंग इंस्पेक्टर है और थानाध्यक्ष, वो दोनों इसके लिए जिम्मेवार हैं;

(च) इन बाजारों पर की गयी कार्रवाई की कॉपी संलग्न है;

(छ) पिछले छह माह के उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कोई लिखित शिकायत संज्ञान में नहीं आयी है। इससे अधिक पुराने रिकॉर्ड को ढूँढा जा रहा है, अगर ऐसी कोई शिकायत संज्ञान में आती है तो उसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी।

उनका यह कहना है कि 6 महीने में कोई भी कम्प्लेंट नहीं आयी है। अगर 6 महीने में कोई कम्प्लेंट आई है तो आदरणीय सदस्य बता सकते हैं।

**ekuuH; v/; {k% सप्लीमेंटरी, सौरभ जी।**

**Jh I kJHk Hkkj }kt%** मैं सिर्फ आपके माध्यम से इस हाउस को बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी जवाब आये हैं, एक इलेक्ट्रिक एमएलए ने अपने एरिया के अंदर जो बाजार है उसके ये इन्फोचमेंट होती है, सारी दुनिया उससे परेशान होती है। उसके अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी चेक करने के लिए उसने कुछ सवाल लगाए ताकि वो इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कह सके कि भई ये बाजार यहाँ तक लगना चाहिए, इसमें इतनी दुकानें लगनी चाहिए या ये अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं। इसके अंदर एक भी इंफार्मेशन ऐसी नहीं है जो एडिशनल इंफार्मेशन इन्होंने मेरे को दी है या इस हाउस को दी हो। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कितनी दुकानें लगती हैं, वो भी नहीं हैं, ये बढ़ती घटती रहती हैं

इनके पास डिमार्केशन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एमसीडी ने जो बाजार आबंटित किया है परमानेंटली, वो बाजार हर साल, हर हफ्ते लगता है, उसकी कोई डिमार्केशन लाइन नहीं है, कोई डिमार्केशन की ड्राइंग नहीं है। ये कहा गया है कि संबंधित विभाग से ड्राइंग उपलब्ध की जाएगी, ये संबंधित विभाग कहाँ रूस में या पाकिस्तान में है। ये संबंधित विभाग को ही प्रश्न लाया गया था, अध्यक्ष जी, एमसीडी को। तो ये संबंधित विभाग कौन सा है और मैंने कहा था कि जो अधिकारी हैं उनका पूर्ण विवरण दें? मुझे भी पता है लाइसेंसिंग के पास है, विवरण मतलब उन अधिकारियों के नाम और उनके पते, या उनका ऑफिस का एड्रेस और एक की जगह पूरी की पूरी जो चेन है, वो अध्यक्ष जी, अब बड़ी गंभीर बात ये है कि ये जो झूठ है, ये जो मिसलीडिंग इंफार्मेशन है, ये नीचे से लेकर ऊपर तक के लेवल पे हर अफसर जो दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेता है, उसने पढ़ा और उसने साइन करके इसको आगे बढ़ा दिया। मतलब पहले इंस्पेक्टर ने पढ़ा होगा, फिर एसी तक आया होगा, डीसी आया होगा, कमिश्नर एमसीडी ने पढ़ा होगा, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, फिर यूडी सेक्रेटरी के पास आया होगा... मतलब सब ने आँख बंद करके इसको साइन करके भेजा है, ये क्या अवमानना नहीं है सदन की? और इसके ऊपर हम क्यों समय व्यर्थ करें कि यूडी सेक्रेटरी साहब सामने बैठे हैं; इनको हम वहाँ पे बुलाएँ, क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमिटी के अंदर? ये आएँ, ये आधी अधूरी इंफार्मेशन दें, फिर हम इन्हें बुलाएँ, फिर ये आएँ, फिर जब हम इनके ऊपर कोई फैसला करें तो एलजी साहब इनको वकील दे दें, ये हाई कोर्ट चले जाएँ, हाई कोर्ट बिना सुने, इनको स्टे दे दें, फिर वो मुकद्दमा चलता रहे, इनके वकील भी सरकारी पैसे से ही इनको मिलें,

जो इनको वहां बचाते रहें। मतलब ये सिलसिला चलते-चलते हमें तो साढ़े तीन साल हो गये देखते हुए। मुझे लगता है ऊपर अखबार वाले भी इस सिलसिले को साढ़े तीन साल से देख रहे हैं; इसका कोई न कोई तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब ये सब अफसर आईएएस अधिकारी हैं और अलग-अलग लेवल के अधिकारी हैं, इनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते होंगे, स्कूलों में अच्छी अच्छी बातें सीख के आते होंगे, ये भी उन्हें कुछ बातें सिखाते होंगे। मतलब कोई जमीर.... कुछ चीज बची है या बिल्कुल खत्म हो गयी है। अध्यक्ष जी, आप इसके ऊपर जरूर कोई चर्चा कराएँ और इसका सॉल्यूशन देखें। मतलब वाकई में ही मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं। मैं जब स्कूल के अंदर पढ़ता था, कॉलेज के अंदर पढ़ता था, प्राइवेट नौकरी करता था मैं मानता था कि आईएएस अधिकारी बहुत काम करते होंगे और एक जज्बे से सर्विस के अंदर आते होंगे, इस तरीके की इंफार्मेशन नीचे से लेकर ऊपर तक आ रही है, ये तो पूरा का पूरा सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप इसके ऊपर अध्यक्ष जी, जरूर कोई न कोई निर्णय लीजिएगा।

ekuuuh; v/; {k% जरनैल जी ।

**Jh tju\$y fl g%** धन्यवाद अध्यक्ष जी, इसी हाऊस के अंदर साप्ताहिक बाजार से होने वाली दिक्कत का मुद्दा मैंने दो बारी उठाया है। आज फॉर्च्युनेटली है भी मंगलवार और तिलक नगर में मंगलवार को ही बाजार लगता है। ये जो इंफोरमेशन दी गई है; चाहे नंबर आफ स्टॉल्स की बात करें तो ये कह रहे हैं जी, डिमॉर्केशन करते हैं उसके बाद मैंने खुद जा के डीसी आफिस में चैक कराया था तो बता रहे थे कि कुछ 70-80 पर्चियाँ काटते हैं जब कि एक्चुअल में वहाँ चार-पाँच सौ स्टॉल लगते हैं। पर्ची

भी दस या पंद्रह रुपये की कटती है पर वो सारा एक लाइसेंसिंग माफिया वहाँ हर बाजार के अंदर चलता है। अगर अध्यक्ष जी, मुमकिन हो सके, अगर सच की पैरवी हो सके क्योंकि जो हकीकत है, वो कुछ और है जो इस कागज पर लिखा है, वो कुछ और है। तो यहाँ से कोई ऐसे आदेश हों; सैक्रेटरी यूडी जायें, साथ में कमिशनर एमसीडी जायें, साथ में कन्सर्ड डीसी जायें और आज शाम को ही देखा जाये जी, तमाशा क्या है और ये क्या तमाशा हो रहा है और उसके हिसाब से आप फिर यहाँ पर अवमानना का जारी करें, अध्यक्ष जी।

**Jh jktšk xtrk%** सर, पूरी विडियो...

**Jh tjuŷ fl g%** ये बिल्कुल सरासर... अध्यक्ष जी, यहाँ कुछ और लिखा है, हमारा खून जलता है ये देख के कि वहाँ सरासर तीन साल से हम लड़ रहे हैं। इसके पीछे एक लाख लोग रहता है अध्यक्ष जी, जहाँ पर ये बाजार लगता है, उसके आसपास पूरा डेंस पॉपुलेशन है, उसी बाजार में सरेआम सिलेंडर लगे हैं; छोले भटूरे बन रहे हैं; कोई आग लग जाये, कुछ हो जाये; पैदल आदमी के निकलने की दिक्कत नहीं होती पर किसी की चाहे पुलिस है, चाहे एमसीडी है, सब वहाँ से अपना वसूली करके और शांत बैठे हैं।

**ekuuh; v/; {k:** चलिये, बैठिए।

**Jh tjuŷ fl g%** इस पर कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)



माननीय अध्यक्ष: राजेश जी, संज्ञान में आ गया है विषय, बाद में बातचीत करके निर्णय करेंगे। प्रश्न संख्या...

...(व्यवधान)

ekuuH; v/; {k% ऐसे नहीं ...(व्यवधान) भई प्रश्न संख्या—25 बग्गा जी।

...(व्यवधान)

I qh jk[kh fcM-yk% अध्यक्ष जी 24 नंबर मेरा प्रश्न लगा है लेकिन जवाब नहीं आया है। 24 नंबर मेरा प्रश्न लगा है बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मैंने प्रश्न लगाया था जवाब नहीं आया है।

ekuuH; v/; {k% 24 का जवाब नहीं है?

...(व्यवधान)

Jh tjuŷ fl g% अध्यक्ष जी, मेरा 29 नहीं आया

ekuuH; v/; {k% वो बता दिया आपने।

ekuuH; 'kgjh fodkl ea-f% अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न मेरे पास आया था, इसके क्वेश्चंस के आधे—अधूरे जवाब थे तो मैंने इसमें डिटेल्स माँगी थी, वो वापिस नहीं आई।

I qh jk[kh fcM-yk% सदन पटल पर अध्यक्ष जी इसकी डिटेल्स...

ekuuH; v/; {k% अभी अभी निर्णय करते हैं चिंता न करिए।

**I φh jk[kh fcMyk%** क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जो आज एमसीडी से पूछे गये थे; जवाब नहीं आये हैं।

**ekuuh; v/; {k%** शहरी विकास मंत्रालय से मुरगन जी ने बता दिया कई प्रश्नों के उत्तर नहीं आये और उसका बातचीत करके अभी करते हैं कुछ न कुछ।

**I φh vydk ykEck%** अध्यक्ष जी, नौ के जवाब नहीं हैं।

**I φh jk[kh fcMyk%** और आज जो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमिटी लगातार तोड़-फोड़ कर रही है, वो इसी तरह से नजर अंदाज जो किया जा रहा है ना, पूरा का पूरा एक नैक्सेस जो चल रहा है बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, वो इसी तरह से कल बुराड़ी में साढे चार सौ फ्लैट्स को जो नोटिस आया है; लोग बेघर होंगे, वो इसी तरह से नजर अंदाज करने का मुद्दा है।

**ekuuh; v/; {k%** प्रश्न संख्या-25।

**Jh ,I -dscXxk%** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-25 प्रस्तुत है:

क्या उप मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1/10/2017 से 30/06/2018 तक कितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द/बहाल किए गए;

(ख) क्या इंसपेक्टर्स अपने क्षेत्र में डीलरों के पास जा रहे हैं, यदि नहीं, तो वे विभाग में क्या कार्य कर रहे हैं;

(ग) ऑब्जेक्शन हेयरिंग अथोरिटी के पास लम्बित ऑब्जेक्शंस की कुल संख्या का जिलावार विवरण क्या है;

(घ) सभी लम्बित आपत्तियों में कितनी विवादित राशि शामिल है;

(ङ) वर्ष 2016-17, 2017-18 से 30/06/2018 तक माननीय उच्चतम न्यायालय के कितने फैसले व्यापारियों के पक्ष में गए;

(च) कोर्ट की अवमानना से बचने हेतु कोर्ट के निदेशों के अनुपालन हेतु विभाग द्वारा कितने सर्कुलर जारी किए गए, पूर्ण विवरण दें;

(छ) क्या ऑब्जेक्शन हेयरिंग अथोरिटी व एसी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसलों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ज) यदि नहीं, तो विभाग द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(झ) यदि हाँ, तो कितने मामलों में उनका अनुपालन किया जा रहा है; पूर्ण विवरण दें?

**Ekkuuh; mi eq; ea-l%** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न संख्या 25 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) 1/10/2017 से 30/06/2018 तक कितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द या बहाल किये गये; इसके संबंध में जो उत्तर सर्कुलेट किया है, उसमें हमने लिखा है; जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द किये गये... शून्य जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहाल किये गये। शून्य... लेकिन हमने जो जीएसटी जो पूरा

नेटवर्क कंपनी है, उसके पास भी सूचना माँगी थी; इस प्रश्न के संबंध में। तो उनका कुछ देर पहले मतलब अभी मेरे को मिला है ये प्रश्न को प्रिंट करके विधान सभा को दिये जाने के बाद जवाब प्राप्त हुआ है, उनकी तरफ से तो मैं उसको एमेंड करके दे देता हूँ, साथ साथ कि जीएसटी से मिली सूचना के अनुसार एज ऑन फर्स्ट अक्टूबर, 2017 एप्लीकेशन्स फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन फिल्ड/एप्रूव्ड; ये एक लाख 49 हजार 286 थी। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फिल्ड/एप्रूव्ड; जीरो थे; 30 जून 2018 तक। नई एप्लीकेशन फाइल/ एप्रूव्ड दो लाख 81 हजार दौ सौ सड़सठ थी और एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फिल्ड एंड एप्रूव्ड 2868 थी, तो ये जो हमने शून्य लिखा था; प्रश्न के जवाब दिये जाने तक/तैयार किये जाने तक, उसके बाद की ये अपडेटेड सूचना भी 'क' के बारे में है।

(ख) इंस्पेक्टर अपने संबंधित उच्चाधिकारी के आदेश के उपरान्त ही विशिष्ट कार्यो; जैसे रजिस्ट्रेशन के सत्यापन, रिकवरी आदि के निष्पादन हेतु अपने क्षेत्रों में जाते हैं।

(ग) ऑब्जेक्शन हेयरिंग अथोरिटी के पास लम्बित ऑब्जेक्शंस की कुल संख्या का विवरण संलग्न है;

जोन संख्या	लम्बित ऑब्जेक्शन्स
1	2167
2	2370

जोन संख्या	लम्बित ओब्जेक्शन्स
3	4107
4	2130
5	910
6	2059
7	2334
8	2997
9	1831
10 ई. कॉमर्स	4
11 के.सी.एस.	1682
12 स्पेशल जोन	740
इनफोर्समेंट	1300
सोहा (फार्म एवं मिसमैच)	19344
कुल	43975

(घ) सभी लम्बित आपत्तियों में कुल रू0 8923.67 करोड विवादित राशि शामिल है;

(ड)

क्र.स.	वर्ष	व्यापारियों के पक्ष में जाने वाले माननीय उच्चतम न्यायालय की संख्या
1	2016	6
2	2017-18	1
3	01.04.2018 से 30.06.2018 तक	0

(च) कोर्ट की अवमानना से बचने हेतु कोर्ट के निर्देशों की अनुपालन हेतु विभाग द्वारा समय समय पर सर्कुलर जारी किए जाते हैं;

(छ) जी हाँ;

(ज) उपरोक्तानुसार लागू नहीं ; और

(झ) सभी मामलों में।

**Government of National Capital Territory of Delhi**  
**Department of Forest & Wildlife**  
**Office of the Deputy Conservator of Forests West Forest Division:**  
**Mandir Lane, New Delhi-60**

F.157/DCF (W) Land/NOC/2017-18/1091-95

Dated- 28/05/2018

To,

The Dy. Secretary (U.C)  
GNCTD, Deptt of Urban Development,  
Unauthorized Colony Cell  
9th Level, C-Wing, Delhi Sectt.  
I.P. Estate, New Delhi-02

**Sub: Status of forest areas in Baldev Vihar Unauthorized colony, Delhi,  
bearing Regn. No-55 Reg.**

Sir,

This office is in receipt of minutes of a meeting chaired by the Hon'ble Minister, Env. & Forest, wherein a clarification was asked for regarding the status of forest land in Baldev Vihar Unauthorized colony, bearing registration number 55 (Annexure I).

In this regard, it is brought to your notice that the Department had, vide Conservator of Forests letter dated 12/12/2014 conveyed a list of 159 colonies affected by forest areas along with copies of Notifications, and orders pertaining to Forest Department along with maps prepared by the Special Task Force consisting of Revenue and Forest Department officials. As per the report submitted by the Conservator of Forests, GNCTD, Baldev Vihar Unauthorised Colony having registration number 55 was one of the 159 colonies affected by Forest areas. The reason stated was that the said colony was falling in the morphological ridge (Annexure-II).

Before the above letter received in this office, a letter has been written to the Joint Secretary, Urban Development Department, GNCTD, on 12.12.2014, by the Conservator of Forest, Department of Forest & Wildlife, by enclosing the copies of Notification & Orders pertaining to Forest with maps with ready reference, which was prepared by STF, consisting of Revenue officials and Forest officials and validated by GSDL. As per the report submitted by the Conservator of Forest, GNCTD, it was stated that the number of colonies falling in Forest is now taken as 159 out of which Baldev Vihar, having registration number-55 was one among them(Annexure-II). The reason stated was that the certain portion of colony was falling on the morphological ridge. Further it was mentioned in the maps were the map of Morphological Ridge prepared by GS1 in particular scale and its fine tuning on DSSDI platform and may be taken as tentative, subject to verification on the ground by the competent authority.

To ascertain the actual status of the Baldev Vihar unauthorized colony, the DCF (West), has written a letter to the GSDL on 10/08/2016, regarding the detailed map of land at Baldev Vihar Unauthorized Colony registration number-55, Delhi. Meanwhile, when processing the cases of other unauthorized colonies which fall in the jurisdiction of this Division, some discrepancies were observed in the maps provided by GSDL and the data supplied by Revenue Department. Therefore, GSDL was asked to clarify the source of the data used and was also requested to provide another set of maps so that all relevant information can be placed on record. On perusing the current set of maps provided by GSDL to this office, it is observed that no part of Baldev Vihar Colony UC-55 falls under Notified Forest/Wildlife Sanctuary or Morphological Ridge. However, it is pertinent to mention that during meetings with GSDL personnel, GSDL was also requested to provide the original data based on which these colonies were said to be affected by Forest Land, but GSDL has not been able to provide the same so far.



Further, to ascertain the status of Khasra of Forest Department in the said unauthorized colony, this office has written a letter to the SDM, Kanjhawala and Block Development Officer, Kanjhawala, New Delhi dated 17/11/17, regarding the clarification of forest land of Baldev Vihar, reg. No-55 (Annexure-tll). In reply a letter has been received in this office from the SDM Kanjhawala vide letter no. F.SDM/K/Misc./2016-17/3930 dated 22/12/2017 stated that, "As per records, no Forest land is there in Baldev Vihar Colony" (copy of letter is attached as Annexure-IV). The BDO, Kanjhawala vide his letter no. 2442 dated 25/01/2018 and referring to 'forest land of Utsav Vihar, Karala, Shiv Vihar, Karala, and Shiv Vihar, Karala', states that, "As per report of Halka Patwari and duly signed by Tehsildar (Kanjhawala), as per record no land in the name of forest" (Annexure-V).

The Dy. Range Officer, Nangloi Range has carried out the actual survey of the area, and has checked the Range Records, and the list of khasras provided by the RWA and stated that none of the khasras are with the Forest Department. With respect to Gram Sabha land handed over to Forest Department in 1993 in Karala area, he states that a joint survey was carried out with the concerned Patwari and Kanungo on 16/7/2016 and that there no Gram Sabha land allotted to Forest Department in Baldev Vihar Colony (copy of report dateJ 27/7/2016 is attached as Annexure-VI).

However, it is seen from records that representatives of the unauthorized colony in a letter addressed to D.R.O Nangloi Range had asked for verification of Khasras 57/1/1, 57/9, 57/10, 57/11, 57/12, 57/3. 57/7/2, 57/8, 57/13, 57/14/1, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 15/2 stating that these have been submitted to UD as per the map of Baldev Vihar (Annexure VIII). The DCF West had accordingly written a letter to GSDL asking for a map of areas coming under above said Khasras, and also stating that the Chairman, Baldev Vihar Colony was to provide geocoordinates for the exercise (Annexure IX). This map has not been

received, (It may be noted that while the map provided by GSDL shows a part of khasra 15 as part of the unauthorized colony, Khasra 57 and 58 are missing entirely from the map provided to this Division. It is requested that Department of Urban Development may please check the maps in its records before proceeding further, as there appears to be a discrepancy. The result of this exercise may please be communicated to this Department as well.

At this stage it is pertinent to point out that when GSDL was asked for clarifications regarding the data used for this exercise, GSDL has responded by saying that Revenue Department data has not been validated by the concerned Department (Annexure- IX). In particular, during discussions with staff of the Forest Department, GSDL staff has conveyed apprehensions regarding location of khasra boundaries. This is relevant because the maps and khasra boundaries contained therein are used by the Department to identify affected khasras. In this case validation of data becomes all the more important because of close proximity of patches of unclassified forest to the location of this UC as per maps supplied by GSDL. While the above exercise has been carried out in response to UD Department's Minutes of meeting dated 06/11/2017 keeping in mind representations received in the office of the APCCF and the undersigned, it is now for UD Department to assess the manner and desirability of proceeding further when the basic data itself has not been validated.

Furthermore, the considered opinion of the Department in such matters has already been communicated by the undersigned's controlling officer in a similar case, vide Conservator of Forests letter no. F. No.8 (118)/PA/CF/RUC/Part-VI/7916-22 dated 17/01/2018 (copy of letter is attached as Annexure-X) whereby clarifications have been sought from Department of Urban Development regarding its own guidelines and statements, and concerns of this Department regarding the applicability of Forest Conservation Act, 1980 have been conveyed.

A copy of the letter is enclosed for your ready reference and it is requested that the same be perused carefully.

Lastly, it is emphasized that all guidelines laid down by the Hon'ble Supreme Court of India in various judgments, with special reference to the T.N. Godavarman vs. Union of India case, and the definition of forests therein, would be applicable to forested area of any type, and land with the status of forest irrespective of the ownership of land.

Yours faithfully,

End: As above

Sd/-

**Dy. Conservation of Forests  
(West Forest Division)**

Copy To:

1. The Secretary to Hon'ble Minister, Env. & Forest, GNCTD, 8th Floor, Delhi Sachivalaya, LP. Estate, New Delhi for kind information.
2. The PCCF/HOD, Department of Forest & Wildlife, 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi for kind information.
3. The APCCF/CWLW, Department of Forest & Wildlife, 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi for kind information.
4. The Conservator of Forest, Department of Forest & Wildlife, 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi for kind information.

Sd/-

**Dy. Conservation of Forests  
(West Forest Division)**

**Government of National Capital Territory of Delhi**  
**Department of Forest & Wildlife**  
**Office of the Deputy Conservator of Forests**  
**West Forest Division: Mandir Lane, New Delhi-60**

F.2(119)/DCF(W)/Laud/NOC/Shiv Vihar/2017-18/1086-90

Dated :  
28/05/2018

To,

The Dy. Secretary (U.C)  
GNCTD, Deptt of Urban Development,  
Unauthorized Colony Cell  
9th Level, C-Wing, Delhi Sectt.  
I.P. Estate, New Delhi-02

**Sub: Status of forest areas in Shiv Vihar Unauthorized colony, Delhi,  
bearing Regn No-110-Reg**

Sir,

This office is in receipt of minutes of a meeting chaired by the Hon'ble Minister, Env. & Forest, wherein a clarification was asked for regarding the status of forest land in ShivVihar Unauthorized colony, bearing registration number 1 10 (Annexure I).

In this regard, it is brought to your notice that the Department had, vide Conservator of Forests letter dated 12/12/2014 conveyed a list of 159 colonies affected by forest areas along with copies of Notifications, and orders pertaining to Forest Department along with maps prepared by the Special Task Force consisting of Revenue and Forest Department officials. As per the report submitted by the Conservator of Forests, GNCTD, Shiv Vihar Unauthorised Colony having registration number 110 was one of the 159 uplonies affected by

Forest areas. The reason stated was that the said colony was falling in the morphological ridge (Annexure II).

To ascertain the actual status of the Shiv Vihar unauthorized colony, the DCF (West), has written a letter to the GSDL regarding the detailed map of land at Shiv Vihar Unauthorized Colony registration number-110, Delhi. On going through the map of GSDL received in this office, it is observed that no part of the Shiv Vihar Unauthorized colony falls under Notified Forest/Wildlife Sanctuary, Morphological Ridge, but some Khasras are falling under the category of unclassified forest. It is also pertinent to mention here that in meetings with GSDL, the original data based on which the objection had been made, was asked for but has not been received yet.

Further to ascertain the status of Khasra of Forest Department in the said unauthorized colony, this office has written a letter to the SDM, Kanjhawala and Block Development Officer, Kanjhawala, New Delhi dated 11.12.17, regarding the clarification of forest land of Shiv Vihar, reg. No-110 (Annexure—III). In reply a letter has been received in this office from the SDM Kanjhawala no. F.SDM/K/Misc./2016-17/3929 dated 22/12/2017, stating that, "As per records, no forest land is there in Shiv Vihar Colony" (Annexure-1 V). The BDO, Kanjhawala vide his letter no. 2442 dated 25/01/2018 and referring to 'forest land of Utsav Vihar, Karala, Shiv Vihar, Karala, and Shiv Vihar, Karala', states that, "As per report of Halka Patwari and duly signed by Tehsildar (Kanjhawala), as per record no land in the name of forest" (Annexure-V).

The Deputy Range Officer I/C Nangloi Range has, after carrying out a survey of the area, checking of Range Records and checking the list of khasras provided by the RWA, stated that there is no khasra with the Forest Department (copy of the report is attached as Annexure-VI).

Be that as it may, the fact remains that the Khasra number: 8, 7, 10, 201, 11, 12 has been shown as unclassified forest in the GSDL map. Since not all forested land in Delhi is under the possession and ownership of the Forest Department, the matter of a forest of any type existing or having existed in the area in question needs to be clarified from other greening agencies as well.

At this stage it is pertinent to point out that due to problems encountered while processing the cases of other unauthorized colonies, GSDL was asked for clarifications regarding the data used for this exercise. GSDL has responded by saying that Revenue Department data has not been validated by the concerned Department (Annexure VII). During discussions with staff of the Forest Department, GSDL staff has conveyed apprehensions regarding location of khasra boundaries. This is relevant because the maps and khasra boundaries contained therein are used by the Department to identify affected khasras. While the above exercise has been carried out in response to Minutes of meeting dated 06/11/2017 and keeping in mind representations received in the office of the APCCF and the undersigned, it is now for UD Department to assess the manner and desirability of proceeding further when the underlying data itself has not been validated.

Furthermore, the considered opinion of the Department in such matters has already been communicated by the undersigned's controlling officer in a similar case, vide Conservator of Forests letter no. F. No.8 (118)/PA/CF/RUC/Part-VI/7916-22 dated 17/01/2018 whereby clarifications are sought from Department of Urban Development regarding its own guidelines and statements, and the applicability of Forest Conservation Act, 1980. A copy of the letter is enclosed for your ready reference (Annexure XIII) and it is requested that the same be perused carefully.

Lastly, it is emphasized that all guidelines laid down by the Hon'ble Supreme Court of India in various judgments, with special reference to the T.N. Godavarman vs. Union of India case, and the definition of forests therein, would be applicable to forested area of any type, and land with the status of forest irrespective of the ownership of land.

Yours faithfully

End: As above.

Sd/-

**Dy. Conservation of Forests**  
**(West Forest Division)**

Copy To.

1. The Secretary to Hon'ble Minister, Env. & Forest, GNCTD, 8th Floor, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi for kind information.
2. The PCCF/HOD, Department of Forest & Wildlife , 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi for kind information.
3. The APCCF/CWLW, Department of Forest & Wildlife , 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi for kind information.
4. The Conservator of Forest, Department of Forest & Wildlife , 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi for kind information.

Sd/-

**Dy. Conservator of Forests**  
**(West Forest Division)**

**Government of National Capital Territory of Delhi**  
**Department of Forest & Wildlife**  
**Office of the Deputy Conservator of Forests**  
**West Forest Division: Mandir Lane, New Delhi-60**

F.154/DCF (W)/Land/NOC/Utsav Vihar/2017-18/1127-31

Dated :  
28/05/2018

To,

The Dy. Secretary (U.C)  
GNCTD, Deptt of Urban Development,  
Unauthorized Colony Cell  
9th Level, C-Wing, Delhi Seclt. I.P. Estate, New Delhi-02

**Sub: status of forest areas in utsav vihar unauthorized colony, delhi,  
bearing regn. no-309 and 902-reg**

Sir,

This office is in receipt of minutes of a meeting chaired by the Hon'ble Minister, Env. & Forest, wherein a clarification was asked for regarding the status of forest land in Utsav Vihar Unauthorized colonies, bearing registration number 309 and 902 (Annexure I).

In this regard, it is brought to your notice that the Department had, vide Conservator of Forests letter dated 12/12/2014 conveyed a list of 159 colonies affected by forest areas along with copies of Notifications, and orders pertaining to Forest Department along with maps prepared by the Special Task Force consisting of Revenue and Forest Department officials. As per the report submitted by the Conservator of Forests, GNCTD, Utsav Vihar Unauthorised Colonies having registration number 309 and 902 were in the list of 159 colonies affected by Forest areas. The reason stated was that the said colony was falling in the morphological ridge (Annexure II).



To ascertain the actual status of the Utsav Vihar unauthorized colony, the DCF (West), has written a letter to the GSDL on 19/08/2016, regarding the detailed map of land at Utsav Vihar Unauthorized Colony-registration number-309 and 902, Delhi. Meanwhile when processing the cases of other unauthorized colonies which fall in the jurisdiction of this Division, some discrepancies were observed in the maps provided by GSDL and the data supplied by Revenue Department. Therefore, GSDL was asked to clarify the source of the data used and was also requested to provide another set of maps so that all relevant information can be placed on record. On perusing the maps provided by GSDL to this office, it is observed that no part of the Utsav Vihar unauthorized colonies 309 and 902 fall under Notified Forest/Wildlife Sanctuary or Morphological Ridge. However, from the map prepared using the georeferenced layout plan for Utsav Vihar colonies 309 and 902, it appears that three Khasras of UC-309, 1, 10 and 5, are partially in Unclassified Forests. Here it is pertinent to mention that during meetings with GSDL personnel, GSDL was also requested to provide the original data based on which these colonies were said to lie affected by Forest ] and, but GSDL has not been able to provide the same so far.

Further, to ascertain the status of Khasra of Forest Department in the said unauthorized colony, this office has written a letter to the SDM, Kanjhawala and Block Development Officer, Kanjhawala, New Delhi dated 17.11.17, regarding the clarification of forest land of Utsav Vihar reg. No-309 (Annex-PV). In reply, a letter dated 15/01/2018 has been received from SDM Kanjhawala, wherein it has been stated "As per records, no forest land is there in Utsav Vihar Colony" (Annexure-V). Similarly, for Utsav Vihar colony 902 the SDK vide letter no. F.SDM/K/Misc/2016-17/3982 dated 22/12/2017, has stated, "As per records, no forest land is there in Utsav Vihar Colony" (Annexure VI).

The BDO, Kanjhawala vide his letter no. 2442 dated 25/01/2018 and referring to 'forest land of Utsav Vihar, Karala, Shiv Vihar, Karala, and Shiv

Vihar, Karala1, states that, "As per report, of Halka Patwari and duly signed by Tehsildar (Kanjhawala), as per record no land in the name of forest" (Annexure-VII).

The Dy. Range officer, Nangloi Range has carried out the actual survey of the area, after checking the Range Records and has submitted the report stating that there is no land belonging to the Forest Department in unauthorized colonies Reg. no-309 and 902 (Annexure -VIII & IX).

However, it is seen from records that the RWA for UC 309 in a letter addressed to D.R.O Nangloi Range had asked for verification of Khasras 71/15, 71/16, 72/7, 72/8, 72/13, 72/14, 72/15, 72/16, 72/17, 72/18, 72/19, 72/20, 72/21, 72/22, 72/23, 72/24, 73/16, 73/17, 73/19, 73/19, 73/20, 73/21, 73/22, 73/23, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/9, 83/12, 83/13, 83/14, 83/15, 83/16, 83/17, 83/18, 83/20, 83/21, 83/22, 83/23, 83/25, 84/6, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/24, 84/25, 84/9, 84/10, 84/12, 96/4, 96/5, 97/3, 97/4, 97/7, 97/8, 97/9, 97/10, 97/13, 97/14, 84/1, 84/2, 84/3, 72/25 (Annexure X). The DCF West had accordingly written a letter to GSDL asking for a map of areas coming under above said Khasras, and also stating that the Chairman, Utsav Vihar Colony was to provide geocoordinates for the exercise (Annexure XI). This map has not been received. It may be noted that in the map provided by GSDL of the concerned UCs, Khasras 71, 72, 73, 83, 84, 96, and 97 are missing entirely from the map provided to this Division.

Similarly, the RWA for UC 902 has asked for the verification of Khasras 72/16, 72/25, 72/12, 72/13, 72/14, 72/16, 72/17, 72/18, 72/19, 72/22, 72/23, 72/24, 72/25, 82/5, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11, 83/12, 83/19, 83/20, 84/5, 84/6, 84/15, 84/16, 84/25, 96/5, 97/1, 97/2, 97/3, 97/10 (Annexure XII). The DCF West had accordingly written a letter to GSDL asking for a map of areas coming under above said Khasras, and also stating that the Chairman, Utsav Vihar Colony was to provide

geocoordinates for the exercise (Annexure XIII). This map has not been received. It may be noted that in the map provided by GSDL of the concerned UCs, Khasras 72, 82, 83, 84, 96, and 97 are missing entirely from the map provided to this Division.

It must be noted that in the above two instances it is the RWA itself which has mentioned these khasras. It is therefore requested that Department of Urban Development may please check the maps in its records before proceeding further, as there appears to be a discrepancy. The result of this exercise may please be communicated to this Department as well.

In the light of the above, it is to inform that three khasras of UC-309 are partially in unclassified forests as per the data available with GSDL. Since not all forested land in Delhi is under the ownership and possession of the Forest Department, the matter of a forest of any type existing or having existed in the area in question needs to be clarified from other greening agencies as well. It is also brought to your notice that the two UCs in question are more or less contiguous as per map provide and as per ocular observation from the satellite imagery.

At this Stage it is pertinent to point that when GSDL was asked for clarifications regarding the data used for this exercise, GSDL responded by saying that Revenue Department data has not been validated by the concerned Department (copy of letter from GSDL is attached as mmcxcmc XIV). During discussions with staff of the Forest Department, GSDL staff has conveyed apprehensions regarding location of khasra boundaries. This is relevant because the maps and khasra boundaries contained therein are used by the Department to identify affected khasras. While the above exercise has been carried out in response to Minutes of meeting dated 06/11/2017 and keeping in mind representations receivedmi the office of the APCCF and the undersigned, it is now for UD Department to assess the manner, and desirability of proceeding further when the basic data itself has not been validated.

Furthermore, the considered opinion of the Department in such matters has already been communicated by the undersigned's controlling officer in a similar case, vide Conservator of Forests letter no. F. No.8 (118)/PA/CF/RUC/Part-VI/7916-22 dated 17/01/2018 (copy of letter is attached as Annexure XV) whereby clarifications are sought from Department of Urban Development regarding its own guidelines and statements, and the applicability of Forest Conservation Act, 1980. A copy of the letter is enclosed for your ready reference and it is requested that the same be perused carefully.

Lastly, it is emphasized that all guidelines laid down by the Hon'ble Supreme Court of India in various judgments, with special reference to the T.N. Godavarman vs. Union of India case, and the definition of forests therein, would be applicable to forested area of any type, and land with the status of forest irrespective of the ownership of land.

Yours faithfully

Sd/-

Encl: As above.

**Dy. Conservation of Forests  
(West Forest Division)**

Copy To.

1. The Secretary to Hon'ble Minister, Env. & Forest, GNCTD, 8th Floor, Delhi Sachivalaya, LP. Estate, New Delhi for kind information.
2. The PCCF/HOD, Department of Forest & Wildlife, 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi for kind information.
3. The APCCF/CWLW, Department of Forest & Wildlife, 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi for kind information.
4. The Conservator of Forest, Department of Forest & Wildlife, 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi for kind information.

Sd/-

**Dy. Conservation of Forests  
(West Forest Division)**

**Government of National Capital Territory of Delhi**  
**Department of Forest & Wildlife**  
**Office of the Deputy Conservator of Forests**  
**West Forest Division: Mandir Lane, New Delhi-60**

F.2 (79)/DCF (W)/Rama Vihar Colony Karala/  
2016-17/307-309

Dated: 16/4/2018

To,

The Dy. Secretary (UC)  
Urban Development Department  
(Unauthorised Colonies Cell)  
10th level, C wing, Delhi Secretariat  
I.P. Estate, New Delhi-110002

**Sub: Report sent by this office regarding unauthorized colony Rama Vihar Reg. No-297- regarding**

- Ref: 1. F.2 (79)/DCT (W)/Rama Vihar Colony Karala/2016-17/4068-72 dated 02/11/2017
2. F.2 (79)/DCF (WVRama Vihar Colony Karala/2016-17/4292-96 dated 28/11/2017.
3. F.2 (79)VDCF (WVRama Vihar Colony Karala/2016-17/6555-56 dated 23/01/2018.

Sir,

1. This office has received representations from elected representatives, RWAs and their representatives regarding unauthorized colony Rama Vihar, reg No-297.

2. In this regard this is to inform that this office had already sent a detailed status report to your office vide letter no-F.2 (79)VDCF (W)/Rama

Vihar colony Karala/2016-17/6355-56 dated 23/01/2018, informing you of its status. A portion of this letter is quoted below for your benefit:

".....that there is no Khasra, part of Khasra of Protected Forest/ Wildlife Sanctuary; Morphological Ridge falls in the unauthorized colony which is under the possession or ownership of Forest Department.

However, the fact remains that the Khasra number- 23 has been shown as unclassified forest in the GSDL map, although not under the ownership of Forest Department. Therefore, it may be possible that Khasra number - 23 might have been under the possession of some other greening agency/ Govt. department although kh no-23 has been stated to be private land as per the reply submitted by SDM Kanjhawala vide letter dated 20/11/ 2017. The issue may be got clarified and the Forest Department is unable to comment on it since Khasra No. -23 shown as unclassified forest in GSDL map is not allotted to this Department as per above."

The complete letter of DCF (West) is enclosed for your reference.

3. Your attention is also invited to the letter from the Conservator of Forest, Department of Forest & wildlife, GNCTD. vide letter no. F. No-8 (118)/PA/CF/RUC/Part-VI/7916-22 dated 17/01/2018, regarding a similar matter, which describes clearly the opinion of this department with respect to unauthorized colonies affected by Forest areas. This letter is also enclosed for your reference.

Yours faithfully

Sd/-

**Dy. Commissioner of Forest  
(West Forest Division)**

Copy to:

1. The APCCF/HOD, Department of Forest & Wildlife , 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi for kind information.
2. The Conservator of Forest, Department of Forest & Wildlife , 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi for kind information

**ekuuH; v/; {k% सप्लीमेंटरी । बग्गा जी सप्लीमेंटरी... एनी सप्लीमेंटरी?**

**v/; {k egkn; % श्री अखिलेश पति त्रिपाठी ।**

**Jh vf[kySk ifr f=i kBl%** अध्यक्ष महोदय, भाग छः में पूछा गया है... इसमें लिखा है कि अनुपालन सर्कुलर जारी किये जाते हैं। छह में लिखा गया है; कोर्ट की अवमानना से बचने के लिये निर्देशों के अनुपालन हेतु विभाग द्वारा कितने सर्कुलर जारी किये गये हैं तो उत्तर आया है कि विभाग द्वारा समय समय पर जारी किया जाता है तो संख्या मेरे ख्याल से पूछा गया है।

**ekuuH; mi e[; ea=l%** ये बताना मुश्किल है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कोर्ट के आदेश जब-जब जैसे-जैसे आते हैं, वैसे-वैसे उसके संबंध में जारी किये जाते हैं; उनका क्वान्टीफाई करके रखना या बताना मुश्किल है। जो भी आदेश जारी किया जाता है, उसमें आदेश या तो विभाग में कोई कमी हमें दिखे या कहीं से कोई शिकायत मिले या कोर्ट की तरफ से कोई डॉयरेक्शन आये; उस सब के बाद आदेश जारी किये जाते हैं लेकिन कौन सा आदेश कोर्ट की अवमानना से बचने के लिये जारी किया गया, ऐसा क्वान्टीफाई करके छाँटना मुश्किल है, किसी भी आदेश के बारे में।

**ekuuH; v/; {k% सुखवीर सिंह दलाल जी, प्रश्न संख्या-26 ।**

**Jh l [kohj fl g nyky%** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-26 प्रस्तुत है:

**'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रामा विहार, उत्सव विहार पार्ट-1, बलदेव विहार, शिव विहार, उत्सव विहार पार्ट-2 की एन.ओ.सी. के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि मुण्डका विधान सभा के रामा विहार खसरा नं० 23 के संबंध में कोई विवाद है जिसके कारण पूरी कालोनी को एन.ओ.सी. नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) दिल्ली में दो अथवा अधिक कालोनियों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के संबंध में क्या नीति है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि डीएसआईआईडीसी अन्य विभागों जैसे सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण इत्यादि को उन कालोनियों में विकास कार्यों के कार्यान्वयन हेतु एन.ओ.सी. नहीं दे रहा है जिन्हें डीएसआईआईडीसी को सौंप दिया गया है;

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) दिल्ली में विभिन्न कालोनियों, वन क्षेत्रों इत्यादि के जी.एस.डी.एल. नक्शे कौन सी एजेंसी बनाती है;

(ज) दिल्ली में जी.एस.डी.एल. नक्शों की प्रमाणिकता कौन सी अथॉरिटी सत्यापित करती है;

(झ) दिल्ली में जी.एस.डी.एल. के नक्शों को यूडी की वेबसाइट तथा अन्य संबंधित वेबसाइटों पर कौन सी अथॉरिटी अपलोड करती है;

(ञ) मुण्डका विधान सभा में रामा विहार कालोनी, उत्सव विहार, शिव विहार के जी.एस.डी.एल. नक्शों को किस अथॉरिटी ने बनाया, स्वीकृत किया एवं अपलोड किया; और



(ट) यदि किसी विशेष क्षेत्र में वन विभाग, वन भूमि के न होने के बारे में कहता है परन्तु जी.एस.डी.एल. वहाँ वन भूमि दिखाता है, ऐसी स्थिति में इस विरोधाभास के लिए कौन जिम्मेदार है?

**Ekkuuh; 'kgjh fodkl ea-h %Jh I R; %nz t% आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-26 का उत्तर इस प्रकार है:**

**'kgjh fodkl ea-h%** माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-26 का उत्तर प्रस्तुत है:

**%d% mRrjh fnYyh uxj fuxe%**

रामा बिहार, उत्सव विहार पार्ट-1, बलदेव विहार, शिव विहार, उत्सव विहार पार्ट-2, की एन.ओ.सी के संबंध में वर्तमान स्थिति की जानकारी इस विभाग के पास नहीं है। यह कॉलोनियां उत्तरी दिल्ली नगर निगम को ट्रांसफर नहीं की गई है।

**ou ,oa ol; tho foHkx%**

**Jh I %kohj fl g nyky%** मैं इंटरैक्ट करूँ... ये देख लें ...(व्यवधान)

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h%** हाँ, ये तो अभी मैं थोड़ी देर पहले सबसे पहले यही बता चुका हूँ कि बहुत ही लाऊजली इसके ऊपर किसी के साइन नहीं हैं; लैटर के ऊपर नाकृ

**Jh I %kohj fl g nyky%** अनऑथोराइज कालोनी है ...(व्यवधान)

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h%** नहीं, नहीं, इसके तीन हिस्से में जवाब है, मैं बता देता हूँ।

**Jh l [kohj fl g nyky%** यूडी ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया कार्रवाई ...(व्यवधान)

**Lkpjh jk[kh fcMyk%** मंत्री जी का जवाब तो सुन लो पहले।

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea-l%** नहीं, ये तो सबसे पहले ही बता दिया था सबसे पहले बताया गया था यूडी डिपार्टमेंट के 42 प्रश्न आये थे जिसमें से बहुत ही ...(व्यवधान) अभी इसमें जो चार कालोनियाँ हैं;

वन एवं वन्यजीव विभाग, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा वन्य जीवन विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ऐसी कोई एन.ओ.सी नहीं देता है; हालाँकि इन कॉलोनियों के संबंध में वर्तमान स्थिति इस विभाग द्वारा शहरी विकास विभाग को निम्नलिखित पत्रों द्वारा भेजी जा चुकी है।

1.बलदेव विहार कॉलोनी... (चारों कालोनियों के नाम लिखे गये हैं और इनके चारों की जो लैटर इन्होंने यूडी डिपार्टमेंट को लिखे हैं, वो लैटर साथ में लगाये हैं और इन लैटरस के अंदर ये कहा गया है कि सभी के अंदर कुछ न कुछ फॉरेस्ट का ईशू है जिसकी वजह से यूडी डिपार्टमेंट ने इसको आगे अभी तक एनओसी दिया नहीं है बनाने के लिये।

अभी मैं बताना चाहूँ, इसके बीच में बता देता हूँ; आन्सर के बीच में के यूडी डिपार्टमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सभी डिपार्टमेंटों की मीटिंगें लगातार चल रही हैं और काफी सारी चीजों को ये फैसला हो चुका है कि जो एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है, उसको छोड़कर बाकी का डेवलपमेंट कर दिया जाये तो अभी जल्द, आप भी शायद मीटिंग में थे; ये फैसला हो चुका है। अभी इनके जैसे कि खसरा नम्बर-23 है— रामा

विहार के अंदर, एक खसरा है जो कि मतलब 100 खसरे में से एक खसरा और वो भी शायद 300 मीटर है तो उसको छोड़कर बाकी जगह डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी तक क्या था कि 100 एकड़ में से अगर एक एकड़ भी जगह फॉरेस्ट के किसी पेपर पर लिखी हुई तो पूरे में काम नहीं होता था, ये फैसला हो चुका है और जल्द ही दिल्ली की सभी अनआथोराइज कॉलोनियों में जहाँ पर फॉरेस्ट का या किसी और वजह से उस एरिया को छोड़कर बाकी सारे में काम कर दिया जाएगा, ये मैं अलग से आपको बताना चाहता हूँ; ये हो चुका है फैसला।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम:

उपरोक्तानुसार;

**ou ,oa ou; tho foHkx%**

इस विभाग के पास रामा विहार खसरा संख्या-23 के संबंध में विवाद की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों तथा जीएसडीएल द्वारा प्रदान किये गये नक्शों के अनुसार यह खसरा अनक्लासीफाइड फोरेस्ट के अन्तर्गत आता है।

फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने चार तरह के फॉरेस्ट बताए हैं— रिज एरिया, क्लासीफाइड फॉरेस्ट, अनक्लासीफाइड फोरेस्ट और मॉर्फोलॉजिकल रिज तो उसमें से किसी भी अगर लिखा गया है तो ये वाला तो खसरा नम्बर-23 है, अनक्लासीफाइड खसरे में आता है; फोरेस्ट में आता है जिसकी वजह से पहले एनओसी नहीं दिया गया था। अभी इस खसरे को छोड़कर बाकी में काम करने की इजाजत तुरंत दे दी जाएगी।

बाकियों में तो किसी के आंसर है ही नहीं, बाकी सब में तो लिखा है उपरोक्तानुसार, जो भी क्वेश्चन थे, आप भी पढ़ लीजिएगा कि सबके आंसर उपरोक्तानुसार—उपरोक्तानुसार—उपरोक्तानुसार लिखे गए हैं।

(ग) **mRrjh fnYyh uxj fuxe%**

उपरोक्त 'क' के अनुसार;

**fl pkbz ,oa ck<+ fu; æ.k foHkkx%**

उपरोक्त 'ख' के संदर्भ में लागू नहीं होता।

(घ) **mRrjh fnYyh uxj fuxe%**

उपरोक्त 'क' के अनुसार;

**fl pkbz ,oa ck< fu; æ.k foHkkx%**

नीतिगत मामला होने के कारण इस विभाग के अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं है।

(ङ) **mRrjh fnYyh fuxj fuxe%**

उपरोक्त 'क' के अनुसार;

**fl pkbz ,oa ck<+ fu; æ.k foHkkx%**

उपरोक्त 'क' के अनुसार;

(च) **mRrjh fnYyh uxj fuxe%**

उपरोक्त 'क' के अनुसार;

**fl pkbz ,oa ck<+ fu; æ.k foHkkx%**

उपरोक्त 'ड' के अनुसार प्रश्न नहीं उठता;

(छ) mRrjh fnYyh uxj fuxe%

उपरोक्त 'क' के अनुसार;

(ज) mRrjh fnYyh uxj fuxe%

उपरोक्त 'क' के अनुसार;

झ) mRrjh fnYyh uxj fuxe%

उपरोक्त 'क' के अनुसार

(ञ) mRrjh fnYyh uxj fuxe%

उपरोक्त 'क' के अनुसार;

(ट) mRrjh fnYyh uxj fuxe%

उपरोक्तानुसार;

...(व्यवधान)

ekuuh; v/; {k% नहीं-नहीं, दलाल जी, सप्लीमेंटरी।

Jh l [kohj fl g nyky% मैं इसके एक भी क्वेश्चन से...(व्यवधान)

ekuuh; v/; {k% प्रश्न संख्या-27, गिरीश सोनी जी।

Jh fxjh'k l kulh% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-27 प्रस्तुत है:

क्या mi e[; eah यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की योजनाओं को जन-जन तक किस माध्यम से पहुँचाया जाता है;

(ख) क्या उस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा सुविधा कैंप भी लगाए जाते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;

(घ) पिछले पाँच वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/अ.पि. व. की योजनाओं को किस माध्यम से जनता तक पहुँचाया गया है; और

(ङ) एक बार प्रचार के बाद किसी योजना को कितने समय के अन्तराल पर पुनः जनता के लिए प्रचारित किया जाता है?

**Ekkuuh; mi e[; ea-l%** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-27 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) सूचना एवं प्रचार निदेशालय दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं को संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त प्रिन्ट, रेडियों, टी.वी.बाह्य प्रचार विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, संवाददाता सम्मेलन, मासिक पत्रिका, आदि के द्वारा दिल्ली की जनता तक पहुँचाया जाता है;

(ख-ग) सूचना एवं प्रचार निदेशालय इस तरह के सुविधा कैंम्पों का आयोजन नहीं करता है। संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार सुविधा कैंम्प लगाये जाते हैं;

(घ) संबंधित विभाग ने अपनी वेबसाइट [www.scstwelfare.delhigovt.nic.in](http://www.scstwelfare.delhigovt.nic.in) और प्रिन्ट विज्ञापन के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित विभिन्न योजनाओं को पिछले पाँच सालों में जनता तक पहुँचाया है। (उसकी प्रतिलिपि संलग्न है); और

(ङ) समय अन्तराल के बारे में ऐसा कोई नियम /प्रावधान नहीं है। संबंधित विभागों द्वारा समय समय पर आवश्यकतानुसार योजनाओं को पुनः जनता के लिए प्रचारित किया जाता है।

**Government of NCT of Delhi**  
**Department for the Welfare of SC/ST/OBC**  
**B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, New Delhi-110002**

**Sub: Vidhan Sabha Starred Question no. 27 due for answer on dated 07/08/2018 asked by Sh. Girish Soni.**

Reference your letter no. 9(18)/18-19/Estt./DIP/LAS/11268 dated 01/08/2018 on the subject cited above, required information is given below:

- a. Through print media schemes of Delhi Govt. are being conveyed to public.
- b. Yes.
- c. DSLA (Delhi State Legal Authority) are organized facilitation camps for this purpose. And camps has also been organized on the occasion of Ambedkar Jayanti at Parliament street, Delhi.
- d. Through official website of the Department [www.sctwelfare.delhigovt.nic](http://www.sctwelfare.delhigovt.nic) and through print media different schemes SC/ST/OBC/MIN have been conveyed to public during the last five year.
- e. In the interval of two to three months it again advertised for public.

To,

Sh. Ravi Babu Taria,  
Section Officer (DIP)  
GNCTD

Sd/-

**(Raj Kumar)**  
**dy. directs; g:**

**ekuuh; v/; {k% सप्लीमेंटरी।**

**Jh fxjh'k I kulh%** अध्यक्ष जी, ये जो सवाल ये पूछा गया था, उसका मेन उद्देश्य ये था कि सरकार की योजनाएँ किस-किस माध्यम से जनता तक पहुँचती हैं। उसमें आप सवाल का जो 'घ' भाग है; पिछले पाँच वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/अति पिछड़ा वर्ग की योजनाओं को किस माध्यम से जनता तक पहुँचाया गया 'और' जो आगे सवाल और लिखा हुआ है, उसके आगे सवाल ही काट दिया गया; इसमें लिखा था पूर्ण विवरण। जिसका मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ भई लोगों को बसों द्वारा पहुँचाया जाता है और मैंने विवरण का मतलब ये होता है कि मैं कितनी बसों द्वारा कितने लोगों को पहुँचाया गया। इस प्रकार का मैं अनुसार चाहता था जो कि सवाल ही काट दिया गया है इसमें से, तो उसका जवाब कैसे मिलेगा!

**Ekkuuh; mi eq; ea-h%** वो तो चैक कराना पड़ेगा कि ये सवाल अगर कटा है तो कैसे कटा है।

**Jh fxjh'k I kulh%** और लिखा हुआ है; आप सवाल में देखिए, उसमें और लिखा हुआ है और पूर्ण विवरण... और का मतलब क्या था अगर मैंने पाँच सालों का पूछा है और...

**Ekkuuh; mi eq; ea-h%** जो विभाग को सवाल मिला है ...(व्यवधान)

**Jh fxjh'k I kulh%** पर कहाँ मिस्टेक हुआ है, मेरे को समझ नहीं... क्योंकि और का मतलब होता है कि मैं आगे क्या पूछना चाह रहा हूँ।

**Ekkuuh; mi eq; ea-h%** नहीं, लेकिन और 'ड' कह रहे है आप?



**Jh fxjh'k I ksh%** ये घ)–घ)।

**Ekkuuh; mi eq; ea-h%** नहीं, उसके बाद।

**Jh fxjh'k I ksh%** पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति घ), अनु.जा./  
ज.जा./ओबीसी/अ.पि.व.

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; mi eq; ea-h%** किस माध्यम से जनता को पहुँचाया गया  
...(व्यवधान)

**Jh fxjh'k I ksh%** और, पहुँचाया गया है और, और का मतलब ये  
है, मैंने ये आगे लिखा था पूर्ण विवरण, मतलब पाँच वर्षों का...(व्यवधान)

**Ekkuuh; mi eq; ea-h%** नहीं, तो पूर्ण विवरण तो इसमें लिखा नहीं  
है ना गिरीश जी।

**Jh fxjh'k I ksh%** हैं?

**Ekkuuh; mi eq; ea-h%** पूर्ण विवरण तो इसमें लिखा नहीं है।

**Jh fxjh'k I ksh%** नहीं लिखा है इसमें, मैंने तो लिखा था, खैर!

**ekuuh; v/; {k%** चलिए, देख लेते हैं।

**Ekkuuh; mi eq; ea-h%** मेरा अनुरोध रहेगा कि एक बार ओरिजनल  
जो कॉपी आई है, उसमें देख लेते हैं।

**Jh fxjh'k I ksh%** कोई नहीं, इसको अब पूरा कर लें कि इसका  
विवरण चाहिए, एक बार मिल ... जाए क्योंकि... आप बताइए।

**Ekkuuḥ; mi eḥ; eaḥ%** माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधान सभा सचिवालय से अनुरोध करूँगा कि जो माननीय सदस्य के क्वेश्चन की ओरिजनल कॉपी है, जो इन्होंने फाइल की थी, वो निकलवाकर एक बार देख लें, उसमें से अगर कोई छूटा है तो उसका पूर्ण विवरण या जो भी जानकारी इन्होंने उसमें मांगी है, वो उपलब्ध करा दी जाएगी।

**Jh fxjh'k l kul%** अध्यक्ष जी, मेरा मेन मकसद ये था कि योजनाएँ... जब हमारे पास शिकायतें आती हैं कि हमें इस योजना... हम तक नहीं पहुँच पाई हैं तो हम उन योजनाओं को एक बार पाँच वर्षों का डाटा ले लें और उन डाटा के हिसाब से ये जानने की कोशिश करें कि क्या कमी रह गई और किस माध्यम से हमें उन्हें पहुँचाना चाहिए। जब तक हमें ये ही नहीं पता होगा कि इस विवरण द्वारा पहुँचाई गई और उसके बाद नहीं पहुँच पाई तो बस ये था कि पूर्ण विवरण, एक बार—एक बार फिर से लेना है, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

**Ekkuuḥ; mi eḥ; eaḥ%** ठीक है।

**ekuuḥ; v/; {k%** गिरीश जी, आप प्रश्न ये पूछिए क्या जितनी भी योजनाएँ हैं, वो विधायकों तक भेजी गई हैं अभी तक। नहीं... मैं ये समझता हूँ; अभी तक विधायकों के पास भी नहीं आई हैं।

**Jh fxjh'k l kul%** नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अध्यक्ष जी, क्योंकि वो जब तक...

...(व्यवधान)

**ekuuḥ; v/; {k%** ये क्वेश्चन निकालिए ना, पूछिए इसमें से।

**Jh fxjh'k l ksh%** मैं यही, ये सवाल यहीं से शुरू होता है कि जब विधायक को नहीं पता तभी तो ये पूछ रहा है कि सरकार की ये योजनाएँ कहाँ से, किस प्रकार से पहुँचाई जाती है, विधायकों को पता ही नहीं है तभी तो ये सवाल पूछे गए हैं और एक डाटा के तौर पर पाँच वर्ष का इसलिए पूछ लिया गया है कि ऐसा क्या हुआ; वो योजनाएँ पाँच वर्षों में नहीं पहुँच पाई हैं तो उसका इसीलिए तो विवरण पूछा जा रहा था।

**ekuuh; v/; {k%** चलिए।

**Jh fxjh'k l ksh%** तो इसका एक बार ये, पाँच वर्षों का एक विवरण, इस विवरण से हमें ये पता लग जाएगा... हमारी कमियाँ कहाँ रही हैं, धन्यवाद।

**Ekkuuh; mi eq; ea-l%** अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक योजनाओं का संबंध है, योजनाएँ कितनी पहुँची हैं, विभाग ने योजना बनाई, वो जनता तक कितनी पहुँची, इसका आकलन तो इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उसके बनेफिशरीज की लिस्ट कितनी है क्योंकि जनता तक नहीं पहुँची तो फिर बनेफिशरी कहाँ से आ गए? अगर बनेफिशरी हैं किसी भी योजना के तो इसका मतलब जनता तक पहुँची हैं, वो उस पर निर्भर करता है। दूसरा जहाँ तक विज्ञापन का सवाल है कि कितना विज्ञापन किया, कैसे किया; तो अगर माननीय सदस्य कुछ और भी सूचना चाहेंगे तो वो अलग से लिखकर दे दें, वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी।

**ekuuh; v/; {k%** ऐनी सप्लीमेंटरी? हाँ, राजेश जी।

**Jh jkt'sk xqrk%** सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ और एक मेरी रिक्वेस्ट भी है कि कुछ योजनाएँ ऐसी हैं;

जैसे पेंशन अभी बताया गया, पहले भी बढ़ाई गई है; हमने नई-नई क्लासेज खोल दी लेकिन हम बाकी स्टेट्स की तो... दिल्ली के अंदर भी ऐडवर्टिजमेंट देख लेते हैं लेकिन हमारे पुलों के उद्घाटन के अलावा कोई भी मोटी चीज न तो हम अखबारों में पढ़ पाते, न कभी रेडियो में कुछ खास आ पाती, तो जो भी दिल्ली सरकार का कोई बजट होगा, जो ये ऐडवर्टिजमेंट करनी है, या कहीं बतानी है, क्या वो पूरा लग भी पा रहा है या उसको भी कहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि हम अगर यहाँ पर, आज हमारे ऑफिस ग्रेवेंस के सेंटर तो हैं ही, चलिए, लेकिन प्रचार के माध्यम के ऑफिस ये ही बन गए हैं तो माननीय मंत्री जी अगर कुछ इस पर रोशनी डालने की कृपा करें।

**Ekkuuh; mi eq; ea-l%** अध्यक्ष महोदय, विभाग की जितनी भी अलग-अलग योजनाएँ हैं, विभाग के अधिकारी या मंत्रियों की तरफ से जब कोई प्रस्ताव आता है तो उसको मैक्सिमम जनता तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। हमारी डीआईपी की फंक्शनिंग में अभी कुछ कमियाँ हैं जिसको मैं, वो चाहे डायेक्टर की तरफ से हैं, जो भी हैं, उनको मैं विभाग स्तर पर दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर कोई अधिकारी उसकी बात को नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी लेकिन मैं यहाँ इसको ज्यादा नहीं इसलिए चर्चा करता क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। विभाग में अगर कोई अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है और विभाग के अधिकारी किसी योजना को ठीक से लोगों तक नहीं पहुँचा रहे हैं तो उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, वो करेंगे लेकिन जहाँ तक किसी विभाग द्वारा सूचना आने तक की बात है, कोई किसी योजना के बारे में तो उसको जहाँ तक सम्भव है, किया जाता है अगर

कोई गलती है, उसमें कमी है तो उसको ठीक करेंगे। किसी को ऐसे थोड़े ही छोड़ेंगे, जो भी योजना है, वो पहुंचाएंगे लोगों तक।

**ekuuH; v/; {k% प्रश्न संख्या-28, आदर्श शास्त्री जी।**

**Jh vkn'kz 'kkL=h% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-28 प्रस्तुत है:**

क्या **mi e[; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना विभाग ने दिल्ली राज्य में बेरोज़गार युवकों के संबंध में कोई आँकड़े एकत्रित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ज़िलेवार उनका विवरण क्या है व वे कौन से कारक हैं जो किसी अर्थव्यवस्था में रोज़गार उपलब्धता को निर्धारित करते हैं;

(ग) राज्य में रोज़गार उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का विवरण दें;

(घ) क्या ये योजनाएँ युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने में सफल रही हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो उसका संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएँ;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार कोई नई रोज़गार योजना बनाने जा रही है; और

(ज) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है व इस समस्या के समाधान के लिए उठाए गए अन्य प्रभावी कदम क्या हैं?

**Ekkuuh; mi e[; ea-l%** मुझे लगता है इसका जवाब... यह क्योंकि रोजगार विभाग से संबंधित था इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया है।

**jkst xkj ea-h %Jh xki ky jk; %** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-28 का उत्तर प्रस्तुत है: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का जो प्रश्न था, वो दो विभागों से संयुक्त रूप से उत्तरदायी था। भाग-क और ख, ये योजना विभाग से संबंधित है जिसका उत्तर जो है, योजना विभाग से जो प्राप्त हुआ है, वो पूरा इसमें संलग्न है;

(क) बेरोजगार युवकों के संबंध में योजना विभाग द्वारा पूरे दिल्ली क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। हालांकि 68वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर के तहत नमूना सर्वेक्षण जुलाई 2011 से जून 2012 के दौरान अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था;

(ख) रोजगार-बेरोजगारी आँकड़े केवल दिल्ली में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के स्तर पर अनुमानित किये गये थे। जिला स्तर पर आँकड़े अनुमानित नहीं किये गये थे। 2040 घरों के 8247 सदस्यों के नमूने सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं;

रोजगार -बेरोजगारी सर्वेक्षण (2011-12) की रिपोर्ट के मुताबिक (33.39:) रोजगार शुदा 2.66 लाख (1.56 प्रतिशत) बेरोजगार और शेष 111.2 लाख (65.05प्रतिशत) श्रम बल से बाहर थे।

15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की कुल अनुमानित जनसंख्या 127 लाख में से 56.5 लाख (44.5 प्रतिशत) रोजगारशुदा 2.66 लाख (2.1 प्रतिशत) बेरोजगार और शेष 67.9 लाख (53.4 प्रतिशत) श्रमबल से बाहर थे।

एनएसएस सर्वेक्षण के 68वें दौर के अनुसार जनसंख्या की रोजगार की स्थिति को संलग्न रिपोर्ट के सारांश से देखी जा सकती है।

(ग) रोजगार निदेशालय दिल्ली सरकार, अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु वर्ष 2015 से समय समय पर रोजगार मेलों का आयोजन करता रहा है। इनमें निजी नियोक्ताओं ने कुल 78,001 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया तथा 30,380 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। रोजगार मेले आयोजित करके रोजगार निदेशालय एक स्थान पर नियोक्ताओं/संगठनों और अभ्यर्थियों के लिए एक मंच प्रदान करता है ताकि वे दोनों उपयुक्त मिलान पा सकें और अभ्यर्थी आवश्यक एक्सपोजर पा सकें। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों और नियोक्ताओं दोनों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, रिक्तियों के ऑनलाइन प्रकाशन के लिए और अभ्यर्थियों द्वारा उन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के उद्देश्य से एक समर्पित जॉब फेयर पोर्टल शुरू किया गया है;

सभी मेलों का जो विवरण है वो इसमें संलग्न है;

क्र.स.	तिथियाँ	कुल प्रतिभागी अभ्यर्थी	कुल प्रतिभागी शॉर्टलिस्ट किये गये
1	2	3	4
1	1 से 8 अगस्त/2015	5000	2000
2	16/11/2015 से 5/12/2015	25000	12000

1	2	3	4
3	17/3/2017 से 18/3/2017	254	112
4.	12/5/ 2017	275	168
5.	11 से 15 जुलाई, 2017	2658	1184
6	7 से 8 नवम्बर, 2017	28200	8921
7	15 से 16 फरवरी, 2018	16614	5995
कुल		78001	30380

(घ) हाँ, आयोजित रोजगार मेले युवाओं को रोजगार दिलाने में सहयोग करने में सफल रहे हैं;

(ङ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार;

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

(छ) इस विभाग में ऐसी कोई नयी योजना बनाने का प्रस्ताव नहीं है; और

(ज) उपरोक्तानुसार लागू नहीं?

तारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्रम 'क' और 'ख') का उत्तर:

(क) क्या योजना विभाग ने दिल्ली राज्य में बेरोजगार युवाओं के सम्बन्ध में कोई आंकड़े एकत्रित किये हैं;



(ख) यदि हां तो जिलेवार उनका विवरण क्या है व वे कोन से कारक हैं जो किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार उपलब्धता को निर्धारित करते हैं।

### ¼ kst uk foHkkx l s i klr mÜkj ½

**jkst xkj ea-h ½h jkexki ky jk; ½ %** बेरोजगार युवकों के संबंध में योजना विभाग द्वारा पूरे दिल्ली क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। हालांकि 68वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर के तहत नमूना सर्वेक्षण जुलाई 2011 से जून, 2012 के दौरान, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे. - दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया था।

(ख) रोजगार - बेरोजगारी के आंकड़े केवल दिल्ली में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्तर पर अनुमानित किये गए थे। जिला स्तर पर आंकड़े अनुमानित नहीं किये गए थे। 2040 घरों के 8247 सदस्यों के नमूना सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

- \* रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (2011-12) की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 170.9 लाख अनुमानित जनसंख्या में से 57.1 लाख (33.39 %) रोजगारशुदा, 2.66 लाख (1.56%) बेरोजगार और शेष 111.2 लाख (65.05%) श्रमबल से बाहर थे।
- \* 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की कुल अनुमानित जनसंख्या 127 लाख में से 56.5 लाख (44.5 %) रोजगारशुदा 2.66 लाख (2.1 %) बेरोजगार और शेष 67.9 लाख (53.4 %) श्रमबल से बाहर थे।
- \* एनएसएस सर्वेक्षण के 68वें दौर के अनुसार जनसंख्या की रोजगार की स्थिति को संलग्न रिपोर्ट के सारांश से देखी जा सकती है।

**ekuuh; v/; {k% आदर्श जी, सप्लीमेंटरी।**

**Ekkuuh; v/; {k% आदर्श जी सप्लीमेंटरी।**

**Jh vkn'kz 'kkL=hf%** मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये रोजगार मेले होते हैं, इसमें आगे इस वर्ष में सीमित रूप से कोई योजना बनाई गयी है; अलग अलग समय पे, रोजगार मिलाप करने की।

**ekuuh; jkst xkj ea=hf%** अभी अध्यक्ष महोदय, पिछले हफ्ते भी हमने दो तरह की योजना बनाई है। एक तो हर महीने रोजगार कार्यालयों में रोजगार मेले लगेंगे, जिसमें अभी पिछले महीने खास तौर से जो दिव्यांग हैं, उनके लिए स्पेशल जॉब शेयर लगाया गया डिपार्टमेंट के द्वारा। दूसरा अगले महीने भी अलग अलग महीनों में होगा। अक्टूबर के महीने में फिर मेगा जॉब शेयर जैसे हमने पिछले साल लगाये हैं, वो अक्टूबर के महीने में मेगा जॉब शेयर आयोजित किया जायेगा।

**Jh vkn'kz 'kkL=h:** मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि दिल्ली में चाइल्ड लेबर जो बाल श्रम है उसके खिलाफ कोई सख्त कानून बनाने का इरादा सरकार का है?

**ekuuh; jkst xkj ea=hf%** अध्यक्ष महोदय, चाइल्ड लेबर के लिए पहले से ही कानून सख्त है और समय-समय पर उसको ले करके विशेष अभियान चलाया जाता है और खास तौर से अगर कोई कम्प्लेंट मिलती है तो उस पर भी विशेष गौर किया जाता है।

**Ekkuuh; v/; {k% अलका जी।**

**l qh vydk ykEck%** अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि नियोक्ता में जिन बेरोजगार युवाओं ने अप्लाई किया था क्या वे दिल्ली के निवासी थे या देश भर के जो बेरोजगार युवा नौजवान दिल्ली में आकर रहे हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया और उन्हें भी नौकरी मिली है। मैं ये जानना चाहूँगी? अगर ऐसा है तो दिल्ली के कितने लोग उसमें नौकरी पाए।

**ekuuh; jkstxkj ea=h] Jh xki ky jk; %** अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन खास तौर से रोजगार विभाग में हुआ है, वो दिल्ली के लोग होते हैं। जो पोर्टल अभी लांच हुआ है, उसमें भी दिल्ली के लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए सहूलियत है, लेकिन विशेष तौर पर ये दिल्ली के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन उसके अलावा भी अगर विज्ञापन देख करके कुछ युवा आते हैं तो उनको भी उसमें भागीदारी की जाती है।

**Ekkuuh; v/; {k%** प्रश्न संख्या-29, श्री जरनैल।

**Jh tujsy fl g%** अध्यक्ष जी, 29 नंबर सवाल का जबाब इसमें नहीं है। यदि इसके अलावा भी है तो मेरे को बता दिया जाये। लिस्ट में तो नहीं है।

**Ekkuuh; v/; {k%** 29 का भी उत्तर नहीं है।

**Jh tjuSy fl g%** अध्यक्ष जी, अभी एक सवाल या चंद सवालों का मामला नहीं रह गया। अब ये सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है।

**Ekkuuh; v/; {k%** हाँ, करते हैं इसको।

**Jh tjuſy fl ɔ%** अब वो सरे आम जो घोटाले कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं...

**Ekkuuh; v/; {k%** टी ब्रेक के बाद।

**Jh tjuſy fl ɔ%** वो सरेआम कह रहे हैं कि हम जबाब नहीं देंगे।

**Ekkuuh; v/; {k%** टी ब्रेक के बाद मैं इसको करूँ।

**Jh tjuſy fl ɔ%** अध्यक्ष जी, इसपे आपने डिसाइड करना है कि कैसे अधिकारों को उपस्थित करना है सदन के। बिल्डिंग डिपार्टमेंट से बड़ा कोई चोर नहीं... राखी बहन ने सवाल पूछा उसका जबाब नहीं आया। ये पार्किंग घोटाला, और इसपे सवाल पूछा उसका जबाब नहीं आ रहा है। हो क्या रहा है, अध्यक्ष जी! अध्यक्ष जी, आज कोई इसपे कड़ा संदेश जाना चाहिए, वो तो सरे आम सारे जानते हैं, हर जगह घोटाला हो रहा है। जबाब पूछेगा सदन जबाब नहीं मिलेगा। एड एजेंसी का मामला है, लाइसेंसिंग का माफिया चल रहा है पूरा जबाब ही नहीं देंगे। अध्यक्ष जी, हर मामले में कोर्ट जाना पड़ेगा हमारे को? बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सवालों के जबाब यहाँ नहीं मिले, कोर्ट में जा के रिट लगाएंगे। वहाँ पर आके सीधे खड़े होते हैं, तो हर मामले में कोर्ट जायें, तो सदन का क्या काम रह गया? इस सदन में क्या हो गया अध्यक्ष जी फिर। तो हर मामले में विधायकों को अगर सदन जा रहा था 15—15 दिन पहले लिखने की क्या जरूरत है हमारे को, जब जबाब आने ही नहीं है।

**ekuuh; v/; {k%** इसको टी ब्रेक के बाद में...

**Jh tjuſy fl ɔ%** देखिए, शक्ति डिपार्टमेंट में होना चाहिए।

**Ekkuuh; v/; {k%** बिल्कुल करता हूँ। प्रश्न संख्या—तीस, श्री राजेश ऋषि।

**Jh tjuſy fl ɔ%** इससे जरूरी कोई और मामला है भी कैसे?

**Ekkuuh; v/; {k%** राजेश ऋषि जी।

**Jh tjuſy fl ɔ%** ये खानापूरति है। जो जबाब दिये भी हैं एमसीडी... वो खानापूरति है।

**Ekkuuh; v/; {k%** राजेश जी।

...(व्यवधान)

**Jh tjuſy fl ɔ%** अध्यक्ष जी, इससे जरूरी कोई मामला नहीं है। यहीं पर रोकिये आप, डिसाइड करें।

**Jh jktſk \_f'k %** आदरणीय शहरी विकास मंत्री जी प्रश्न संख्या 30 का उत्तर देने की कृपा करें:

क्या **'kgjh fodkl ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनकपुरी में ड्यूसिब के पास कोई जमीन है; यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;

(ख) क्या पोसंगीपुर का कम्युनिटी हाल कभी ड्यूसिब के पास रहा है;

(ग) क्या पंखा रोड जे जे कालोनी ड्यूसिब के पास है या थी;

(घ) क्या जनकपुरी में तिहाड़ जेल के पास झोपड़पट्टी ड्यूसिब के अंतर्गत आती है; और

(ड) यदि हाँ, तो इनके लिए सरकार की क्या योजना है?

...(व्यवधान)

**EkkuuH; v/; {k% बैटिए—बैटिए, प्लीज। प्लीज, बैटिए।**

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भई देखिये तीन पाँच हो गये। मैं एक नाम बोल चुका हूँ, वो पूरा हो जाने दीजिए प्लीज, उसके बाद... राजेश ऋषि, प्लीज ये मैं, करता हूँ, कल भी तो शुरू होगी। कल भी तो शुरू होगी न कार्यवाही। सारा करता हूँ।

**ekuuH; 'kgjh fockl ea-h %** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या—30 का जबाब निम्न अनुसार है:

(क) जी नहीं;

(ख) जी नहीं;

(ग) जी नहीं;

(घ) नहीं, वैसे मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, आपने प्रश्न नहीं पढ़ा होगा।

(क) क्या जनकपुरी में डूसिब के पास कोई जमीन है, यदि हाँ, तो उसका विवरण दीजिए;

उत्तर— कोई जमीन नहीं है।

(ख) क्या पोशंगीपुर का कम्युनिटी हॉल कभी डूसिब के पास रहा है;

उत्तर— जी नहीं।

(ग) क्या पंखा रोड, जे जे कॉलोनी डूसिब के पास आती है

उत्तर— जी नहीं।

(घ) क्या जनकपुरी तिहाड़ जेल के पास झोपड़-पट्टी डूसिब के अंतर्गत आती है;

उत्तर: जी या जी हाँ, झोपड़-पट्टी, जिसमें 16 झुग्गियाँ हैं, डूसिब की सूची में नहीं हैं और ये झोपड़-पट्टी दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन पर स्थित है।

(ङ) यदि हाँ, तो इसके लिए सरकार की क्या योजना है;

उत्तर: डिमांड सर्वे का कार्य डूसिब द्वारा किया जा रहा है, उसके पश्चात् पुनर्निवास की योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जाएगी।

**I qh jk[kh fcM-yk%** अध्यक्ष जी, मैं...

**EkkuuH; v/; {k%** सप्लीमेंटरी।

**Jh jktšk \_f'k%** सर, पंखा रोड पे जो हमारा नाला है पंखा रोड के साथ में; उसमें कम से कम सात-आठ सौ झुग्गियाँ हैं और जब कि उस नाले के अंदर पक्के मकान भी बनते जा रहे हैं, तो क्या ये डूसिब के पास नहीं हैं या फिर ये किस डिपार्टमेंट के पास है फिर ये?

**EkkuuH; v/; {k%** भई देखिए, ऋषि जी, एक सेकण्ड आपने क्वेश्चन पूछा क्या जनक...

**Jh jktɟk \_f'k%** जे. जे. कॉलोनी सर। सर, जे. जे. कॉलोनी के साथ ही हमारा...

**Ekkauh; v/; {k%** नहीं-नहीं, एक सेकण्ड। आपने पूछा क्या जनकपुरी में...

**Jh jktɟk \_f'k%** जी।

**Ekkauh; v/; {k%** ये जनकपुरी विधान सभा होना चाहिए था।

**Jh jktɟk \_f'k%** जी।

**Ekkauh; v/; {k%** ये आपने जनकपुरी शब्द बोल दिया, अधिकारी जान बचा गये। ये जनकपुरी विधान सभा होना चाहिए था। चलिए पूछिए आप।

**Jh jktɟk \_f'k%** मैं ये कह रहा था कि जे. जे. कॉलोनी में एक नाला है हमारा फ्लड का, बहुत बड़ा, जो जे. जे. कॉलोनी के बिल्कुल साइड से गुजर रहा है; उसके अंदर पाँच सौ से सात झुगियाँ हैं; पक्के मकान भी उस नाले के अंदर बन गये हैं, तो क्या ये डूसिब के पास नहीं हैं, मैं ये पूछना चाहता था?

**ekauh; 'kgjh fodkl ea-h%** इस प्रश्न के जबाब के अनुसार तो ऐसा लगता है कि शायद नहीं हैं और उन्हें पता है कि सिर्फ सोलह झुगियाँ इस जगह बनी हैं और डीडीए की लैंड पर बनी हैं और डूसिब के पास जो टोटल साढ़े छः सौ के करीब झुगी बस्तियाँ हैं, उनमें से डेढ़ सौ के करीब ही हैं, बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट की जगह पर बनी हैं।

**Ekkauh; v/; {k%** एनी सप्लीमेंट्री? राखी जी।



**। q|h jk[kh fcMyk%** धन्यवाद अध्यक्ष जी, इसमें तो उन्होंने जबाब दे दिया कि जनकपुरी में डूसिब की कोई जमीन नहीं है। चलो समझ आता है, लेकिन पूरी दिल्ली में जितनी डूसिब की वेकेंट लैंड पड़ी हुई हैं, सब पर बिल्डिंग माफिया और टेंट माफिया का जो है कब्जा है; मैंने पिछले सत्र में भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक जबाब नहीं आया। मेरा सवाल उसमें अनस्टार्ड में लगा हुआ है, उसका भी सटिसफेक्टरी कोई आन्सर मिला नहीं। तो कृपया मंत्री जी जबाब दें इसपे कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं हुई है?

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea=lf%** अध्यक्ष महोदय, कुछ जो डूसिब की जमीन है, उनपे रेंट के ऊपर जगह दी गयी हैं, शादियों के लिए। अगर उसके अलावा आदणीय सदस्या के पास कोई जानकारी है तो जरूर शेयर करें, कहीं इल्लीगल... ऐसा तो नहीं कोई इल्लीगली इसको किराये पर चढ़ा रखा हो, तो शेयर करें।

**। q|h jk[kh fcMyk%** कल आपको पूरी डिटेल के साथ, प्लेस के साथ आपको मैं वो दे दूँगी पूरी लिस्ट।

**Ekuuh; v/; {k%** जरनैल जी।

**Jh tjuSy fl g%** ... (व्यवधान) सर, बड़े जोर शोर से दो साल पहले शुरू हुई थी, उसका स्टेटस मंत्री जी बता दें क्योंकि कुछ हमारी विधान सभा में अपडेशन देखी नहीं अभी तक।

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea=lf%** मैंने इसके कल बताया था कि जो कामों की लिस्ट बताई थी, जिसमें डिले था, उसमें ये भी काम था। दिल्ली के अंदर चार जो जगह हैं, जिसमें कि अखिलेश जी के एरिये में भी हैं,

उसका जल्दी टेंडर होने जा रहा है और उसको इंस्टीट्यूट बनाया जाये। इंस्टीट्यूट के अंदर... हमने ये कहा है कि विदिन कोशिश करके लगभग पाँच किलो मीटर की रेंज के अंदर उनको शिफ्ट किया जाये, तो दिल्ली सरकार ने निश्चय किया कि जो कोई आस-पास खाली प्लॉट है, उसपे पहले बिल्डिंग बना दी जाये ताकि उनको शिफ्ट किया जा सके क्योंकि जो भी झुग्गी-झोपड़ी वाले हैं, वो पहले दूसरी टेंपरेरी शेड में नहीं जाना चाहते हैं, वो परमानेंट में जाना चाहते हैं, तो जल्द ही इसके ऊपर काम स्टार्ट होगा।

...(व्यवधान)

ekuuH; v/; {k% ऐसा है प्रश्न संख्या-24 का जवाब नहीं आया, प्रश्न संख्या-29 का जवाब नहीं आया। जरा दीजिएगा एक बार कौन-कौन से और हैं। 31 का जवाब नहीं आया, कुछ नहीं। 31 के बाद 37 का नहीं आया। एक सेकण्ड भई, एक सेकण्ड। 37 का जवाब नहीं आया अभी मैं निर्णय करूँगा किस पर क्या करना है जो अधिकारी इतना बैलगाम हो गये हैं; इस पर मैं निर्णय करूँगा अभी। 37 का नहीं आया 38 का नहीं आया और अनस्टार्ड के जवाब नहीं आये। 71, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 88, 91, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 132, 133 इक्कीस प्रश्नों के उत्तर अनस्टार्ड के नहीं आये। करता हूँ ना। आप बोलिये, क्या कहना चाहते हैं?

**Jh fufru R; kxh %** सर आज मेरे क्षेत्र में एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ। जो एमसीडी के जेई हैं; उनकी जो टीम है, उनकी, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं और उनके साथियों

ने मिलके पिटाई करी। सिर्फ इस वजह से कि जो बोर्ड उनका लगाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का अब्बल तो मुझे ये लगता है कि एमसीडी का ये काम नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी पार्टी का बोर्ड लगायें। पार्टी विशेष का काम मुझे नहीं लगता कि एक एमसीडी के किसी भी कार्य कर्मचारी के कार्यक्षेत्र में आता होगा। उसके बाद सिर्फ इस वजह से पीटा गया कि वहां की पार्षद, वो भी भारतीय जनता पार्टी की हैं, उसका नाम ऊपर आ गया और जिला अधिकारी का नाम नीचे आ गया, तो जिला अधिकारी ने इस बात पर थप्पड़ मारा ये सर, पुलिस की, पुलिस में जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करायी है; मैं भी वहाँ पे गया था। और उपाध्यक्ष... एक सेकण्ड सुनिये, कल बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी जो हमारे हाउस के मैम्बर भी हैं। वो बता रहे थे कि हम तो तुमसे ज्यादा ठोकते हैं। आज ये मतलब टिपिकल एग्जांपल है ठोकने का। हमदानी खान जो जेई के मैट हैं, उनको को लिटा के पीटा गया। जो जेई हैं, उनको पीटा गया; उनको जान से मारने की धमकी दी गई। जब मैं आपसे कह रहा था कि इतना सीरियस मैटर है, अभी सुन लीजिए। पुलिस थाने के अंदर वो लोग गये रिपोर्ट करने के लिए उसने रिपोर्ट में भी लिखा और वहाँ के प्रत्यक्ष दर्शियों ने भी बताया कि थाने में भी सबके सब पहुँचे। पुलिस में हिम्मत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वालों के खिलाफ बोले। हाथ से ले के जब पहली रिपोर्ट लिखी तो फाड़ दी गई। एसएचओ की रिक्वेस्ट पे रिपोर्ट लिखने दी गई। अभी ढ़ाई सौ से तीन सौ लोग वहाँ बाहर हैं जिसको ये पुलिस वाले कह रहे हैं, "भाई साहब, यहाँ छोड़ दो, बाहर जो भी चाहे वो कर लेना।" ये मोबलिंगिंग हो सकती है एक आदमी की। आज आप इसको ये पहली तो चीज सर, ये प्रश्न... एक सेकण्ड—एक सेकण्ड...

...(व्यवधान)

**Jh fufru R; kxh%** ये आज, आज अभी का वाकया है ये इसमें एक तो सर, सवाल सबसे पहले उठता है क्या किसी पार्टी विशेष के किसी भी पार्टी के चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उसके पदाधिकारियों के बोर्ड लगाने का काम क्या एमसीडी का है? पीडब्लुडी की रोड हो या कोई सी भी रोड हो। क्या उनका अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में ये काम आता है? अगर नहीं आता है तो उनके ऊपर दबाव क्यों? और उसके बाद अगर मारपीट की जाती है और हमसे ये गुहार लगाई जाती है, "भाई साहब, हमें बचालो।" मैं इसलिए गया कि मेरे पास ये फोन आया, "भाई साहब, बचा लो ये मार देंगे।"

...(व्यवधान)

**Jh fufru R; kxh %** सर, बचा लिया! आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है?

...(व्यवधान)

**Jh fufru R; kxh%** अरे साहब! आपको क्या लगता है? आपकी तरह थोड़ी हैं हम। आपकी तरह थोड़ी हैं।

...(व्यवधान)

**Jh fufru R; kxh%** सर, अगर एक आदमी को थाने के अंदर... थाने के अंदर धमकाया जा रहा है तो हम क्या ऐसे बैठेंगे? हमें किसलिए चुना है?

...(व्यवधान)

**ekuuH; v/; {k%** नितिन जी, आपने विषय उठा दिया है। विषय सदन के रिकार्ड में आ गया है।

श्री नितिन त्यागी: सर, इसके ऊपर... सर, इसके ऊपर एमसीडी के, एमसीडी के अधिकारियों को बुला के पूछताछ, स्पष्टीकरण चाहिए कि क्या उनके कार्यक्षेत्र में आता है किसी भी बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का कमान्डल अध्यक्ष का बोर्ड लगाना? क्या इस बात पे लड़ाई होगी कि उनकी आपस में लड़ाई चल रही है मेरा नाम ऊपर क्यों नहीं आया, इसका नाम नीचे आ गया।

...(व्यवधान)

**ekuuH; v/; {k%** भई, बैठ जाओ, प्लीज। हाँ, बोलो, प्लीज।

**Jh fufRu R; kxH%** प्रदेश उपाध्यक्ष कहते हैं, "जी, मेरे नाम के आगे श्री नहीं लगाया, इसलिए मार देंगे।"

...(व्यवधान)

**ekuuH; v/; {k%** जगदीप जी, राकेश जी प्लीज।

...(व्यवधान)

**Jh vekurŷykg [kk%** के वो मुसलमान था।

**Jh fufRu R; kxH%** या इसलिए उसको पीटा कि वो हमदानी खान था? इसलिए बीजेपी वालों ने मारा कि उसका नाम हमदानी खान था? क्या इसलिए मारा गया? क्या जाति के नाम पर मारा जायेगा? क्या धर्म के नाम पे पीटा जायेगा? या इनकी आपस की लड़ाई...

...(व्यवधान)

**ekuuh; v/; {k%** आप जो बोल रहे हैं, आपकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही।

...(व्यवधान)

**Jh fufru R; kxh%** भाई, एक मिनट चुप हो जाओ, दो मिनट के लिए।

**ekuuh; v/; {k%** शांति से बोल लीजिए।

...(व्यवधान)

**Jh fufru R; kxh%** उन्हें मैं देख लूँगा, तुम बैठ जाओ।

**ekuuh; v/; {k%** शांति से बोल लीजिए, प्यार से बोल लीजिए।

**Jh fufru R; kxh%** हां, सर, ये वाला जो एटीट्यूड है; ये गुंडागर्दी का एटीट्यूड कि हमें कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पुलिस हमारी है; मीडिया में हम बात नहीं आने देंगे। हम जो चाहे करेंगे... सर, ये एटीट्यूड है जो आज दिल्ली और पूरे देश को दुःखी कर रहे हैं। सर, ये एग्जाम्पल है, सर ये मैं आपके माध्यम से सब्मिट करना चाहता हूँ।

**ekuuh; v/; {k%** आप लिखित में कापी लगाके मुझे दे दीजिए।

**Jh fufru R; kxh%** जी सर।

...(व्यवधान)

**ekuuh; v/; {k%** धन्यवाद। 280 श्री गुलाब सिंह जी। 280

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** नितिन जी बैठ जाइए, नितिन जी।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** नितिन जी बैठ जाइए आप। नितिन जी बैठ जाइए प्लीज।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** नितिन जी, आप बैठ जाइए। जगदीप जी, नितिन जी को बिठाइए।

...(व्यवधान)

**v/; {k egkn; %** नितिन जी, बैठ जाइए आप। नितिन जी, आप बैठ जाइए, प्लीज।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** बैठिए प्लीज। सौरभ जी, 280 ले रहा हूँ मैं। नहीं इसके बाद।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** भई आप सौरभ जी, मैं 280 के बाद प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। श्री गुलाब सिंह जी।

...(व्यवधान)

**ekuuh; v/; {k%** झा साहब बैठिये, संजीव जी, बैठिए। प्लीज।

## rkjkr izuka ds fyf[kr mUkj

21- Jh iou 'kekZ % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधान सभा में डूसिब की खाली पड़ी जमीन के रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस तरह के रिकॉर्ड कब तक तैयार कर लिए जाएंगे;

(घ) क्या सरकार की इस तरह की खाली पड़ी जमीन को अपने कब्जे में लेकर उसकी चारदीवारी करने की कोई योजना है ताकि उस जमीन का जनहित में समुचित उपयोग किया जा सके; और

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि 'ए' ब्लॉक जहांगीरपुरी में खाली पड़ी जमीन का अधिशासी अभियंता एवं अन्य अधिकारियों द्वारा सर्वे कर उन अधिकारियों ने वहां समुदाय भवन एवं टॉयलेट ब्लॉक बनाने का आश्वासन दिया था परन्तु इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई?

ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h % (क) जी हां।

(ख) पहचान की गयी खाली जगह की सूची संलग्न है;

(ग) लागू नहीं है;

(घ) जी हां; और

(ङ) जी हां, ए-ब्लॉक जहांगीरपुरी में जिस स्थान के लिए माननीय विधायक द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था उस जगह पर सामुदायिक भवन का



निर्माण कार्य नहीं हो सकता क्योंकि प्रस्तावित जगह जे.जे.आर. कॉलोनी के ले आउट प्लॉन के अनुसार प्राथमिक स्कूल के लिए चिन्हित है। इस क्षेत्र में रामगढ़ जहांगीरपुरी में दो मंजिला सामुदायिक भवन उपलब्ध है एवं एच-2 ब्लॉक जहांगीरपुरी में एक नये सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसी वित्तीय वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है;

ए ब्लॉक झुग्गी बस्ती के लिये 30 सीट के शौचालय का कार्य आवंटित होने के बाद भी सार्वजनिक प्रतिरोध के कारण निर्माण कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका।

I yXu

[kM I h&11 ds v/khu vkn'kz uxj fo/kku I Hkk {ks- ea  
vHkh rd igpku dh x;h [kkyh txg dh I pphA  
1/nukad 01-08-2018½

1. जहांगीर पुरी एच 2 ब्लॉक निकट कुशल सिनेमा।
2. जहांगीर पुरी एच 2 ब्लॉक निकट कुशल सिनेमा (रामलीला मैदान)।
3. बी-ब्लॉक LSC जहांगीर पुरी।
4. बी-ब्लॉक LSC थडा नं. 45।
5. ब्लॉक जी 3 मार्केट थडा नं. 137।
6. ब्लॉक जी 3 मार्केट थडा नं. 142।
7. ब्लॉक जी 1 मार्केट थडा नं. 16।
8. ब्लॉक जी 1 मार्केट थडा नं. 17।

9. ब्लॉक जी 1 मार्केट थडा नं. 57।
10. ब्लॉक जी 1 मार्केट थडा नं. 64।
11. जहांगीर पुरी ई ब्लॉक स्लम टेनामेन्ट्स।
12. बी-ब्लॉक LSC थडा नं. 9।
13. ए-ब्लॉक स्कूल के पास।

**वर्क/क' क्लि ह वर्क; Urk I h&11**

**22- Jh euks d'kj %** क्या माननीय **mi e[; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंडली विधान सभा में आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2015 से अब तक कितनी शराब की दुकानों तथा डिपार्टमेंटल स्टोर्स/बियर की दुकानों को लाइसेंस दिया गया; और

(ख) वर्ष 2015 से अब तक नई शराब की दुकानों तथा डिपार्टमेंटल स्टोर्स/बियर की दुकानों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने अस्वीकृत हुए तथा कितने आवेदनों की संस्तुति की गई?

**ekuuh; mi e[; e=h %** (क) कोंडली विधान सभा में आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2015 से अब तक दो शराब की दुकानों (एक एल-6 और एक एल-12) को लाइसेंस दिया गया है, (ये दोनों लाइसेंस क्रमशः 02.11.2015 तथा 08.11.2016 को निरस्त किये जा चुके हैं)।

(ख) शराब की दुकानों तथा डिपार्टमेंटल स्टोर्स/बियर की दुकानों के लिए आवेदन विधानसभा वार नहीं लिए जाते हैं। अतः इस से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

**24- dækjh jk[kh fcMÿk % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl eæh यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि मंगोलपुरी विधान सभा में पिछले काफी समय से बिना स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के अनेक बिल्डिंग्स बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कोई Nki ækjh@fujh{k.k किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दें;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन निर्माणों को रोकने के लिए उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें?

**ekuuh; 'kgjh fodkl eæh % (क) mÙkjh fnYyh uxj fuxe% जी, हां।**

(ख) mÙkjh fnYyh uxj fuxe% मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में जनवरी, 2016 से जुलाई, 2018 तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 62 भवनों को अवैध T निर्माण में डी.एम.सी. एक्ट की धारा 343 व 344 के तहत बुक किया गया व 121 भवनों पर तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई है तथा 58 सम्पत्तियों को सील किया गया है। प्रतिलिपि पताका 'अ', 'ब' एवं 'स' पर उपलब्ध है;

(ग) mÙkjh fnYyh uxj fuxe% पूर्ण विवरण संलग्न है;

(घ) mÙkjh fnYyh uxj fuxe% उपरोक्त 'ख' अनुसार;

(ङ) mÙkjh fnYyh uxj fuxe% क्योंकि लागू नहीं होता;

Sl. No.	Property No.	File No.	Dated	Subject
1	Sh. Sanjay Kapoor, P.No. D-15/218, Sector-3, Rohini, Delhi	01/UC/B-II/RZ/16	04.01.16	U/c at entire GF, FF, SF, TF & shuttering at fourth floor along with projection on Mpl. Land at each floor.
2	Sh. Shiv Pujan Sharma, P.No. 1, 142, Mangolpuri, Delhi	08/UC/B-II/RZ/16	05.01.16	U/c in the shape of deviation against standard plan at GF, FF & one room and one toilet at SF including projection on Mpl. land at each floor (both side)
3	Owner/occupier, P.No. H. No. 127, Mangolpur Khurd, Furniture Market, Main Kanjhawla Road, Delhi	10/UC/B-II/RZ/16	08.01.16	In continuation of previous Looking no. 161/UC/B-II/RZ/15 dt. 07.09.15, U/c in the shape of entire GF, FF with projection on Public land at each floor & rriising of walls and columns at SF
4	Smt. Maheshwari, P.No. U-252, Mangolpuri, Delhi (Relaince JIO) Makar Chamber-IV, 222 Nariman Point, Mumbai-400021	28/UC/B-II/RZ/16	16.02.16	U/c in the shape of Celi tower Antenna erected at roof top of property
5	Owner/occupier, P.No. X-322-323-324, Mangolpuri, Delhi	29/UC/B-II/RZ/16	16.02.16	U/c in the shape of amalgamation & deviation against Std. Building Plan of three properties bearing no. X-322

Sl. No.	Property No.	File No.	Dated	Subject
				323-324 at GF, FF & raising of walls at SF along with projection on each floor at Mpl. Land
6	Sh. Harinath, P.No. S-972, Mangolpuri, Delhi	33/UC/B-II/RZ/16	24.02.16	U/c in the shape of deviations against Std. Building plan at GF and FF & U/c at entire SF & TF along with projection on Mpl. Land at each floor
7	Sh. Mahesh Kumar, P.No. S-13, Mangolpuri, Delhi	34/UC/B-II/RZ/16	24.02.16	U/c in the shape of deviations against Std. Building plan at GF and FF & U/c at entire SF & TF along with projection on Mpl. Land at each floor
8	Sh. Kanhiya, P.No. R-1091-1092, Mangolpuri, Delhi	35/UC/B-II/RZ/16	24.02.16	U/c in the shape of amalgamation of two plots & deviations against Std. Building plan at GF and FF & U/c at entire SF along with projection on Mpl. and at each floor
9	Sh. Rakesh Kumar & Smt. Bimla Thakur, P.No. B-6/158-159, Sector-3, Rohini, Delhi	46/UC/B-II/RZ/16	01.04.16	U/c in the shape of amalgamation of two plots & deviations against SBP No. 114/B/RZ-II/11/121 dated 11.04.11 & 115/8/RZ II/U/118 dated 11.04.11 at stilt floor, GF, FF, SF & TF along with projection on Mpl. Land

10	Sh. Raj Singh & Sh. Harish Chawla, P.No. B-6/185-186, Sector 3, Rohini, Delhi	47/UC/B-II/RZ/16	01.04.16	U/c in the shape of amalgamation of two plots & deviations/excess coverage against SBP No 576/B/RZ-II/10 dated 08.07.10 & 2514/10011628/B/RZ-II/12 dated 18.12.12 at stilt floor, GF, FF, SF 8. TF along with projection on Mpl. Land
11	Owner/occupier, P.No. H. No. 985-986, Mangolpuri, Delhi	60/UC/B-II/RZ/16	06.04.16	U/c in the shape of deviation/excess coverage against standard building plan at GF, FF & U/c on entire SF and raising of brickwalls 7 RCC columns on third floor with projection on Mpl. Land and amalgamation in P.No. 985-986, Mangolpuri
12	Sh. Ravinder Kumar Gupta, P.No. H-32/43, Sector-3, Rohini, Delhi	68/UC/B-II/RZ/16	29.04.16	Deviation/excess coverage against SBP No. 1004/10030131/B-II/RZ/15 dated 29.10.15 at Stilt floor, GF, FF, SF & Third floor
13	Sh. Moti Lal, P.No. A-00/520, Sector-2, Rohini, Delhi	74/UC/B-II/RZ/16	09.05.16	Unauthorized construction at GF, FF, SF & Third floor along with projection on Mpl. Land
14	Sh. Mahender & Sh. Amit, P.No. Kh. No. 16/21/2, Mangolpur Kalan Village, Phirmi Road, Behind Pkt-4, Sector-2, Rohini, Delhi	91/UC/B-II/RZ/16	27.05.16	In continuation of previous booking no. 19/UC/B-II/RZ/15 dt. 02.02.15, U/c in the shape of entire first floor, second floor & third floor with projection at each floor on Govt. land

Sl. No.	Property No.	File No.	Dated	Subject
15	Owner/occupier, P.No. F-71, Mangolpuri, Delhi	100/UC/B-II/RZ/16	21.06.16	U/c in the shape of deviation against standard building plan at GF & FF U/c at entire SF & TF along with projection Mpl. Land
16	Owner/occupier P. No. B-2/1-2, DDA Market, Mangolpuri, Delhi	128/UC/B-II/RZ/16	15.07.16	U/c in the shpae of amalgamation of two shops and deviation against Std. Bldg. Plan at GF & U/c at entire FF 8. SF along with projection on Mpl. Land
17	Owner/occupier, P.No. K-349, Mangolpuri, Delhi	142/UC/B-II/RZ/16	01.08.16	U/c in the shape of deviation/excess coverage against Standard bldg. plan at GF & FF with projection on Mpl. Land & mummy on SF
18	Sh Rajinder Kumar Garg, P. No. G-27/37, Sector-3, Rohini, Delhi	144/UC/B-II/RZ/16	22.08.16	Unauthorized construction at entire second floor along with projection on Mpl. Land
19	Sh. Rajender Kumar, P.No. G-27/96, Sector 3, Rohini, Delhi	145/UC/B-II/RZ/16	22.08.16	Unauthorized construction at entire second floor & third floor along with projection on Mpl. Land
20	Shi Harender Kumar, P.No. B-A/289, Sector-3, Rohini,	149/UC/D-II/R2/16	24.08.16	U/c in the shape of deviation against standard bldg. plan at GF & U/c at FF &

Delhi				SF entirely along with projection on Mpl. land at each floor.
21	Sh. Kanhiya Lal, P.No. B-1/11. DDA Market, Mangolpuri, Delhi	153/UC/B-II/RZ/16	29.08.16	U/c in the shape of deviations against std. bldg. plan at GF & U/c at entire FF & shuttering at SF alongwith with projection on Mpl. Land
22	Sh. Daya Ram. P.No. Q-3/14, Mangolpuri, Delhi	161/UC/B-II/RZ/16	31.08.16	U/c in the shape of deviation against STd bldg. Plan at GF & FF and U/c al entire SF St TF along with projection on Mpl. Land
23	Sh. Hanuman Sahay, P.No. Q-11/95-96, Mangolpuri, Delhi	162/UC/B-II/RZ/16	05.09.16	U/c in the shape of amalgamation of two plots & deviations against Std. Bldg. Plan at GF & FF along with projection on Mpl Land
24	Sh. Satish, P.No. Q-11/90-91, Mangolpuri, Delhi	163/UC/D-II/RZ/16	05.09.16	U/c in the shape of amalgamation of two plots & deviations against Std. Building plan al GF and FF & u/c at entire SF 8. TF along with projection on Mpl. Land
25	Sh. Hanuman Sahay, P.No. Q-10/61-62, Mangolpuri, Delhi	164/UC/B-II/RZ/16	05.09.16	U/c in the shape of amalgamation of two plots & deviations against Std. Bldg. Plan.



Sl. No.	Property No.	File No.	Dated	Subject
26	Sh. Manohar Singh, P.No. F-181, Mangolpuri, Delhi	167/UC/B-II/RZ/16	07.09.16	U/c in the shape of deviations against Std. Bldg. Plan at GF & FF and U/c at entire SF & TF along with projection on Mpl. land
27	Smt. Shobha, P.No. Pkt-3/184, Sector-2, Rohini, Delhi	168/UC/B-II/RZ/16	09.09.16	Unauthorized construction at entire floor along with projection on Mpl. Land
28	Owner/occupier, P. No. K-1069-1070, Mangolpuri, Delhi	172/UC/B-II/RZ/16	12.09.16	U/c in the shape of deviations/excess coverage against Std Bldg. Plan at GF, FF & unauthorized construction at second & raising of brickwalls & columns at TF with projection on Mpl Land with amalgamation in P.No. K-1069-1070.
29	Sh. Farooq, P.No. 8-9/24, Sector-3, Rohini, Delhi	180/UC/B-II/RZ/16	15.09.16	U/c in the shape of deviation against Std Bldg. Plan at GF & U/c at entire FF along with projection on Mpl. Land
30	Sh. Manish, Flat No. 10, Pkt. B-8, Sector-4, Rohini, Delhi	195/UC/B-II/RZ/16	26.09.16	U/c in the shape of excess coverage/ projection against Std. Bldg. Plan at first floor
31	Owner/occupier, P.No. Flat	196/UC/B-II/RZ/16	26.09.16	U/c in the shape of room of TF i.e. flat

No.	No. 100, Pkt. B-8, Sector-4, Rohini, Delhi	no. 100	197UC/B-II/RZ/16	29.09.16	U/c in the shape of deviations against Std. Bldg Plan at GF & FF and U/c at entire SF along with projection on Mpl. Land
32	Sh. Sonu, P.No. B-841, Mangolpuri, Oelhi	197UC/B-II/RZ/16	29.09.16		U/c in the shape of deviations against Std. Bldg Plan at GF & FF and U/c at entire SF along with projection on Mpl. Land
33	Sh. Ashok Kumar, P.No. H-34/137. Sector-3, Rohini, Delhi	57UC/B-II/RZ/17	19.04.17		U/c in the shape of deviations/excess coverage against SBP at basement. Still floor, GF, FF, SF & TF
34	Owner/occupier, P.No. D-14/20-21, Sector-3, Rohini, Delhi	58UC/B-II/RZ/17	19.04.17		U/c at third floor
35	Owner/occupier/builder, P.No. E-19/34-3S, Sector-3, Rohini, Dehli	99UC/B-II/RZ/17	05.06.17		U/c at ground floor first, second floor, third floor with mummy
36	Sh. Mukesh, P.No. R-1068, Mangolpuri, Delhi	115UC/B-II/RZ/17	15.06.17		U/c in the shape of deviation/excess against standard plan at GF & FF & entire SF & TF
37	Owner/occupier/builder, P.No. K-1149-1150, Mangolpuri, Delhi	121UC/B-II/RZ/17	27.06.17		U/c in the shape of deviation/excess coverage against standard plan at GF, FF & entire U/c at Second floor & raising

Sl. No.	Property No.	File No.	Dated	Subject
38	Owner/occupier/builder, P.No. F-2/17-18, Mangolpuri, Delhi	122UC/B-II/RZ/17	27.06.17	of brick walls & columns at third floor with projection on Mpl. Land with amalgamation with property no. F-1149 & 1150, Mangol puri U/c in the shape of amalgamation of two plots i.e. F-2/17 & F 2/18, against standard building plan at GF to fourth floor with projection on Mpl. Land
39	Sh. C.S. Yadav, P.No. E-19/ 36-38, Sector-3, Rohini, Delhi	145UC/B-II/RZ/17	08.08.17	U/c in the shape of amalgamation of two plots & deviation/excess coverage beyond SBP No. 87/10326GB & 77/10032673 dt. 16.02.16 at GF, FF, SF, TF & mummy with two rooms at fourth floor with projection on Mpl. Land
40	Sh. Vijay Kathuria, P.No. F 24/24-25, Sector-3, Rohini, Delhi	147UC/B-II/RZ/17	14.08.17	U/c in the shape of amalgamation of two plots & deviation/excess coverage beyond SBP No. 591 & 592 dt. 29.12.16 including projection from Ground floor to Fourth floor
41	Owner/occupier/builder, P.No. A-4/267-268, Sctor-4,	258UC/B-I/RZ/17	27.10.17	Deviation & excess coverage against SBP & amalgamation of two plot no.

	Rohini, Delhi			267-268 of A-4, Sector-4, Rohini al GF, FF, SF 8 TF
42	Owner/occupier/builder-H. No A-2/1, Sector-3 Rohini, Delhi	259UC/B-1/RZ/17	27.10.17	Deviation & excess coverage against SBP at Stilt, GF & FF
43	Owner/occupier, P.No. A-4/173 174, Sector-4, Rohini, Delhi	265UC/B-1/RZ/17	16.11.17	Deviation/excess coverage & amalgamation of two plots of A-4/173-174, Sector-4 at Ground floor to third floor against SBP
44	Owner/occupier/builder, P.No. K-2/1-2-3, Mangolpuri, Delhi	281UC/B-1/RZ/17	12.12.17	U/c in the shape of amalgamation of three plots no. K-2/1, K-2/2, K-2/3, with projection on Mpl. Land at ground floor
45	Owner/occupier/builder, P.No. D 293-294-295, Mangolpuri, Delhi	299UC/B-1/RZ/17	28.12.17	U/c in the shape of amalgamation of three plots nos. D-293-294-295, Mangolpuri at GF, FF, SF & TF with projection on Mpl. Land
46	Owner/occupier/builder, P.No. L-1269-1270, Mangolpuri, Delhi	300UC/B-1/RZ/17	28.12.17	U/c in the shape of amalgamation of two plots no. L-1269-1270, Mangolpuri at GF, FF & SF with projection on Mpl. Land
47	Owner/occupier/builder, P.No. K-973-974,	301UC/B-1/RZ/17	28.12.17	U/c in the shape of amalgamation of two plots no. K-973-974, Mangolpuri at

Sl. No.	Property No.	File No.	Dated	Subject
	Mangolpuri, Delhi			basement & ground floor with projection on Mpl. Land
48	Owner/occupier/builder, P.No. D-17/33-34-35, Sector-3, Rohini, Delhi	33/UC/B-I/RZ/18	24.01.18	Amalgamation/deviation & excess at ground floor & U/c at entire first floor, second floor & third floor of D-17/33-34-35, Sector-3, Rohini, Delhi
49	Owner/occupier/builder, P.No. 0-5/120, Sector-4, Rohini, Delhi	35/UC/B-I/RZ/18	06.02.18	Deviation & excess coverage at stilt floor, ground floor, first floor, second floor & third floor
50	Owner/occupier/builder, P.No. D-16/S0, Sector-3, Rohini, Delhi	82/UC/B-I/RZ/18	19.04.18	U/c in the shape of second floor & third floor
51	Owner/occupier/builder, P.No. A-I/35, Sector-4, Rohini, Delhi	83/UC/B-I/RZ/18	19.04.18	U/c in the shape of SF & T and one room at fourth floor
52	Owner/occupier/builder, P.No. Shop no. 3 8.4, CSC-S. 8-block, Sector-3, Rohini, Delhi	84/UC/B-I/RZ/18	19.04.18	U/c 3t first floor & one room at second floor

53	Owner/occupier/builder, P.No. 8-6/234, Sector-3, Rohini, Delhi	85/UC/B-I/RZ/18	23.04.18	U/c in the shape of raising of wall at third floor (GF, FF & SF are old)
54	Smt. Shweta, P.No. F-24/2J, Sector-3, Rohini, Delhi	110/UC/B-I/RZ/18	28.05.18	Deviation/excess coverage and amalgamation with F-24/20, Sector-3, Rohini at Ground floor to third floor against SBP ID. No. 10049221
55	Sh. Gavnish Khurana, P.No. F-24/20, Seacor-3, Rohini, Delhi	III/UC/B-I/RZ/18	28.05.18	Deviation/excess coverage and amalgamation with F-24/21, Sector-3, Rohini at Ground floor to third floor against SBP ID. No.10049314
56	Sh. Suresh Kumar Gupta, P.No. Kh. No. 70/1/1, Near El. Pl. No. SS1-18/1-A, Mangolpur Kalan, Delhi	141/UC/B-I/RZ/18	07.06.18	U/c in the shape of entire at ground floor, first floor & second floor
57	Sh. Pardip Sharma & Sh. Parveen Kumar, P.No. D-16/132, Sector-3, Rohini, Delhi	146/UC/B-I/RZ/18	11.06.18	Deviation/excess coverage at stilt floor, GF, FF & SF against SBP. No. 10045715
58	Smt Bimla Devi, P.No. C-11/144, Sector-3, Rohini, Delhi	147/UC/B-I/RZ/18	11.06.18	Deviation/excess coverage and amalgamation with P.No. C-11/143, Sector-3 at stilt floor, GF & FF

Sl. No.	Property No.	File No.	Dated	Subject
59	Smt Renu Goyal, P.No. C-11/143, Sector-3, Rohini, Delhi	148UC/B-I/RZ/18	11.06.18	Deviation/excess coverage and amalgamation with P.No. C-11/144, Sector-3 at stilt floor, GF & FF
60	Smt Munni Devi, P.No. A-2/22, Sector-3, Rohini, Delhi	152UC/B-I/RZ/18	12.06.18	Deviation/excess coverage and amalgamation with A-2/23, Sector-3, against SBP No. 10044660 dt. 13.12.17 at Stilt floor & ground floor
61	Smt. Reena Jain & Smt. Cheena Jain, P.No. A-2/23, Sector 3, Rohini, Delhi	153UC/B-I/RZ/18	12.06.18	Deviation/excess coverage and amalgamation with A-2/22, Sector-3, against SBP No. 10044661 dt. 13.12.17 at Stilt floor & ground floor
62	Owner/occupier/builder, Kh. No. 70/1/1, Mangolpur Kalan, Delhi (Duq Tiles)	168UC/B-I/RZ/18	19.06.18	U/c in the shape of entire at ground floor with projection on Mpl. land & raising walls, column at roof of ground floor
Sl. No.	Date	Property No.	Demolition Action	
1	15.01.16	B-5/173, Sectors, Rohini, Delhi	Demolished the projection on Mpl. Land at first floor at ongoing stage	
2	22.02.16	D15/218, Sector-3, Rohini, Delhi	Demolition action against the booking file no. 01/UC/B-II/RZ/16 dated 04.01.16. Demolished the	

			projection at FF, SF & TF and shuttering at fourth floor also removed
3	29.02.16	Flat No. 8, Pkt-3, Sector-2, Rohini, Delhi	Demolished Tin Shed at First floor and walls on the projection has also demolished
4	03.03.16	Flat no. 294, Pkt-S, Sector 2, Rohini, Delhi	Demolished the roof slab of extended portion and cut by gas cutter at ongoing stage
S	03.03.16	Flat no. 295, Pkt 5, Sector-2, Rohini, Delhi	Demolished the roof slab of extended portion and cut by gas cutter at ongoing stage
6	22.03.16	G-30/192, Sector-3, Rohini	Demolished projection on Mpl. Land at First floor at ongoing stage
7	05.04.16	Flat no 14, Pkt 5 Seclor-2, Rohini	Demolished roof slab of fourth floor and cut by gas cutter at ongoing stage
8.	11.04.16	1-142, Mangolpuri, Delhi	Demolition action against the booking file no. 08/UC/B-M/RZ/16 dated 05.01.16. Demolished the projection of ground floor and first floor
9	18.04.16	E-18/310, Sector-3, Rohini	Owner has self demolished the unauthorized construction at fourth floor in the shape of walls of toilet, bathroom at terrace
10	25.04.16	18/12, Kh. No. 70/1/1, Mangolpur Kalan, Delhi	Demolition action against the booking file no. 651/UC/BII/RZ/13 dated 22.11.13. Demolished



No.	Date	Property No.	Demolition Action
			internal portion walls at First floor and second floor at ongoing construction
11	26.04.16	A-00/834, Sector-2, Rohini	Room at fourth floor has been demolished at ongoing stage
12	26.04.16	A-00/790, Sector-2, Rohini	Room at second floor has been demolished at ongoing stage
13	09.05.16	G-30/304, Sector-3, Rohini	Demolished the projection on ground floor at ongoing stage
14	03.06.16	E-19/344-345, Sector 3, Rohini	Demolished roof slab of ground floor and two panel cut by gas cutter
15	16.06.16	C-II/186, Sector-3, Rohini	Demolished the roof slab of front portion at second floor
16	16.06.16	D-17/205, Sector-3, Rohini	Demolished the roof slab of third floor
17	05.07.16	Pkt-00/293, Sector-2, Rohini	Roof slab of third floor has been demolished and cut by gas cutter and walls of room & bathroom at fourth floor also been demolished.
18	05.07.16	A-2/34, Sector-3, Rohini	Demolition action against the booking file no. 116/UC/B-II/RZ/15 dated 22.07.15. Demolished projection

19	20.07.16	G-30/122, Sector-3, Rohini	on Mpl. Land at ground floor cut with gas cutter Demolished projection on Mpl. Land at ground floor
20	25.07.16	E-18/177-178, Sector-3, Rohini	Shuttering of stilt floor has been removed/demolished completely
21	25.07.16	G-26/167, Sector-3, Rohini	Roof slab of room at fourth floor has been demolished and cut by gas cutter
22	01.08.16	B-7/36, Sector-3, Rohini	demolished walls at fourth floor
23	10.08.16	A-456, Sector-2, Rohini	Demolished roof slab of fourth floor and cut by gas cutter at ongoing stage
24	10.08.16	A-2/47, Sector-3, Rohini	Demolished roof slab of room at second floor and cut by gas cutter
25	24.08.16	B-7/133-134, Sector-3, Rohini	Walls on the projection has been demolished at first floor & second floor and projection has also been demolished at GF & FF
26	02.09.16	B-10/100, DDA Flat, Sector-3, Rohini	Roof slab of the flat has been demolished at first floor
27	02.09.16	B-10/107, DDA Flat, Sector-3, Rohini	Roof slab of first floor has been demolished which extended out side

No.	Date	Property No.	Demolition Action
28	02.09.16	Shop No. 13; DDA Market, CSC-4, Sector-2, Rohini	Toilet & bathroom has been demolished at roof of first floor
29	09.09.16	A-3/22, Sector-4, Rohini	Roof slab of room at fourth floor has been demolished and cut by gas cutter
30	22.09.16	G-26/167, Sector-3, Rohini	Roof slab of room at fourth floor has been demolished and cut by gas cutter
31	22.09.16	G-28/141, Sector-3, Rohini	Projection on Mpl. Land has been demolished at ground floor
32	22.09.16	E-20/257, Sector-3, Rohini	Roof slab of room at Second floor has been demolished and cut by gas cutter
33	30.09.16	B-9/289, Sector-3, Rohini, Delhi	Demolition action against the booking file no. 107/UC/B-II/RZ/16 dated 04.07.16. Remove the shuttering at second floor and also demolished the walls at second floor
34	05.10.16	C-II/240, Sector-3, Rohini	Demolished room at fourth floor
35	14.10.16	B-5/120, Sector-3, Rohini	Demolished/removed shuttering at second floor
36	25.10.16	B-7/27-28, Sector-3, Rohini	Demolished roof slab of room at fourth floor

37	07.11.16	A-00/804-805, Sector-2, Rohini	Shuttering at second floor has been demolished and reinforcement has also been removed
38	15.11.16	B-6/876, Sector-2, Rohini	Demolished the walls and remove the shuttering at ground floor
39	30.11.16	B 8/5-6-7, Sector-3, Rohini	Demolished 2 nos. of panels and projection at ground floor with gas cutter
40	07.12.16	A-835, Sector 2, Rohini	Demolished 1 RCC panel at Third floor with gas cutter
41	21.12.16	B-9/143, Sector-3, Rohini	Demolished one RCC panel at Ground floor and walls of top floor also demolished
42	29.12.16	Flat no. 10, Pkt. C-12, Sector-3, Rohini	Demolished RCC roof/slab on rear side of the flat at ground floor with punched/damaged the brick wall of the same
43	03.01.17	Flat no. 66, Pkt-7, Sector-2, Rohini	demolished the projection at first floor on Mpl. Land
44	11 01.17	D-16/61, Sector-3, Rohini	demolished/punched of slab at room situated in the terrace of third floor
45	12 01.17	F-62-63, Mangolpuri, Delhi	Demolished steps of ground floor on road encroachment
46	08.02.17	A-4/52-53, Sector-4, Rohini	Demolished one RCC panel at stilt floor with gas cutter

No.	Date	Property No.	Demolition Action
47	17.02.17	G-30/244-245, Sector-3, Rohini	Demolished the slab S walls of 2 rooms of fourth floor
48	17.02.17	G-30/250, Sector-3, Rohini	Removal the shuttering of projection
49	17.02.17	G-30/276, Sector 3, Rohini	Removal the shuttering of projection
50	03.03.17	K-1069-70, Mangolpuri, Delhi	Demolition action against the booking file no. 172/UC/B-II/RZ/16 dated 12.09.16. Demolished the wall at terrace of third floor.
51	14.03.17	Pkt-6/6S5, TF, Sector-2, Rohini	Demolished the one room (extended) at third floor
52	23.03.17	F-22/4, Sector-3, Rohini	Punched front portion of third floor roof at one place
53	05.04.17	D-14/286, Sector-3, Rohini	Demolished chajja at ground floor
54	05.04.17	F-23/21, Sector-3, Rohini	Demolished chajja of flat
55	05.04.17	F-23/22, Sector-3, Rohini	Demolished chajja of flat
56	01.05.17	D-14/10, Sector-3, Rohini	Demolished room at third floor
57	11.05.17	F-71, Mangolpuri, Delhi	Demolition action against the booking file no. 100/UC/B-II/RZ/16 dated 21.06.16 Demolished/cut RCC

58	12.05.17	D-395, Mangolpuri, Delhi	Demolition action against the booking file no. 129/UC/B-II/RZ/14 dated 29.08.14. Demolished/cut I RCC roof slab/panel of top floor	slab/panel of roof & steel grill & slab of projection at Mpl. Land
59	12.05.17	D-396, Mangolpuri, Delhi	Demolition action against the booking file no. 130/UC/B-II/RZ/14 dated 29.08.14. Demolished/cut I RCC roof slab/panel with gas cutter & demolished projection at GF to Top floor with steel grill at Mpl. Land	
60	15.05.17	Y-753-754, Mangolpuri, Delhi	Demolition action against the booking file no. 221/UC/B-II/RZ/15 dated 21.12.15. Demolished erection of tower partly in shape of 13 antenna and 2 microwave antenna	
61	01.06.17	C-13/S6, Sector-3, Rohini	Demolished chajja at ground floor	
62	28.06.17	K-2/1-2, Mangolpuri, DDA Market, Opp. Sanjay Gandhi Hospital, Delhi	Demolished the encroachment raising wall in street	
63	28.06.17	K-2/4, Mangolpuri, DDA Market, Opp. Sanjay Gandhi Hospital, Delhi	Demolished the encroachment raising wall in street	

No.	Date	Property No.	Demolition Action
64	10.07.17	A-517-518, Sector-2, Rohini	Demolished/cut RCC panel at Ground floor
65	24.07.17	Q-II/90-91, Mangolpuri, Delhi	Demolition action against the booking file no. 163/UC/B-II/RZ/16 dated 05.09.16. Demolished roof slab of two rooms at top floor
66	24.07.17	Q-II/95-96, Mangolpuri, Delhi	Demolition action against the booking file no. 162/UC/B-II/RZ/16 dated 05.09.16. Demolished roof slab of two rooms and cut with gas cutter
67	27.07.17	A-2/135, Sector-3, Rohini	Demolished chajja at second floor
68	31.07.17	8-6/35, Sector-4, Rohini	Demolished wall extended in kitchen portion
69	03.08.17	E-19/34-35, Sector-3, Rohini	Demolition action against the booking file no. 99/UC/B-II/RZ/17 dated 05.06.17. Demolished chajja of third floor
70	28.08.17	G-26/59, Sector-3, Rohini	Demolished bathroom at third floor
71	08.09.17	B-8/192, Sector-3, Rohini	Demolished roof of room on top floor
72	12.09.17	T-2/147, ndl. Area, Ph-I, Mangolpuri, Delhi	Demolished brick walls and also removed the door, window at third floor
73	27.09.17	C-12/103, Sector-3, Rohini	Demolished extension of roof

74	04.10.17	D-395, Mangolpuri, Delhi	Demolition action against the booking file no. 129/UC/B-II/RZ/14 dated 29.08.14. Demolished/removed side walls of top & roof of top floor
75	04.10.17	D-396, Mangolpuri, Delhi	Demolition action against the booking file no. 130/UC/B-II/RZ/14 dated 29.08.14. Demolished walls & roof of top floor
76	06.10.17	B-9/119, Sector-3, Rohini	Demolished the roof of fourth floor
77	11.10.17	L-1091-1092, Mangolpuri, Delhi	Demolished/removed side walls & RCC slab at second floor
78	16.10.17	F-1149-1150, Mangolpuri, Delhi	Demolition action against the booking file no. 121/UC/B-II/RZ/17 dated 27.06.17. Demolished RCC roof/panel of roof cut down of top floor with gas cjtter
79	06.11.17	D-17/251, Sector-3, Rohini	Demolished walls of room at second floor and RCC slab also demolished
80	08.11.17	D-691, Mangolpuri, Delhi	Removing portion of property projection & side walls
81	14.11.17	H-34/42, Sector-3, Rohini	Demolished chajja at Stilt floor, GF, FF, 5F & TF
82	27.11.17	F-406, Mangolpuri, Delhi	Removing side walls & RCC column
83	27.11.17	F-705-706, Mangolpuri, Delhi	Removed/cut of side walls & RCC roof



No.	Date	Property No.	Demolition Action
84	14.12.17	Plot no. 413, Pkt-5, Sector-2, Rohini	Demolished/cut RCC panel with gas cutter
85	14.12.17	F-24/24-25, Sector-3, Rohini	Demolition action against the booking file no. 147/UC/B-U/RZ/17 dated -14.08.17, Demolished chajja of third floor & fourth floor
86	28.12.17	A-941, Mangolpuri, Delhi	Demolished/remove brick wall & RCC columns
87	08.01.18	A-2/18, Sector-3, Rohini	Demolished chajja of third floor & second floor
88	12.01.18	D-17/333, Sector-3, Rohini	Demolished roof at third floor
89	05.02.18	Kh. No. 16/21/2, Mangolpur Kalan Village, Delhi	Demolition action against the booking file no. 91/UC/B-M/RZ/36 dated 27.05.16. Demolished cut/punched of RCC slabs/pannels roof of top floor with gas cutter
90	09.02.18	18/12, Kh. No. 70/1/1, Mangolpur Kalan, delhi	Demolition action against the booking file no. 651/UC/B-II/RZ/13 dated 22.11.13. RCC slab/pannels has been demolished and cut with gas cutter at top floor
91	12.02.18	G-26/310-311, Sector-3, Rohini	demolished roof of the room at fourth floor
92	20.02.18	F-1173-1174, Mangolpuri, Delhi	Removed shuttering of roof at third floor & demolished brick walls of third floor

93	21.02.18	L-1269-1270, Mangolpuri, Delhi	Demolition action against the booking file no. 300/UC/B-I/RZ/17 dated 28.12.17. Demolished/cut RCC slab at second floor & removed internal brick walls of FF & SF
94	06.03.18	G-26/21, Sector-3, Rohini	Demolished chajja at ground floor with gas cutter
95	07.03.18	D-525, Sector-1, Rohini	Demolition action against the booking file no. 44/UC/B-I/RZ/18 dated 13.02.18. Demolished roof of second floor with gas cutter
96	12.03.18	Flat no. 96, Pkt-4, Sector-2, Rohini	Demolished brick wall on roof of flat no. 96, Pkt-4, Sector-2
97	20.03.18	D-14/207-208, Sector-3, Rohini	Demolished roof of room at third floor & chajja at second floor 8t third floor
98	04.04.18	Pkt-3/9, Sector-2, Rohini	Demolished wall of external portion
99	04.04.18	H-34/14, Sector-3, Rohini	Demolished roof of room and chajja at second floor
100	10.04.18	K-1069-1070, Mangolpuri, Delhi	Demolition action against the booking file no. 172/UC/B-II/RZ/16 dated 12.09.16. Demolished brick wall of bathroom & wall of room at third floor
101	16.04.18	A-1/97, Sector-3, Rohini	Demolished chajja
102	16.04.18	A-1/98, Sector-3, Rohini	Demolished chajja

No.	Date	Property No.	Demolition Action
103	16.04.18	A-1/99, Sector-3, Rohini	Demolished column
104	16.04.18	CSC-5, Shop 1, 2, 3 & 4, Sector-3, Rohini	Demolished RCC roof of room at second floor
105	23.04.18	B-5/268-269, Sector-3, Rohini	Demolished wall of room at third floor & chajja of FE, SF & TF
106	23.04.18	G-28/45, Sector-3, Rohini	Demolished roof of room at third floor
107	02.05.18	H-34/76, Sector-3, Rohini	Demolished chajja of Stilt floor & ground floor
108	17.05.18	D-16/50, Sector-3, Rohini, Delhi	Demolished roof of third floor
109	30.05.18	Shop no. 3 & 4, CSC-5, B-block, Sector-3, Rohini, Delhi	Demolition action against the booking file no. 84/UC/B-I/RZ/18 dated 19.04.18. Demolished roof of room at second floor and roof of one room at first floor with gas cutter
110	30.05.18	E-19/36-38, Sector-3, Rohini	Demolition action against the booking file no. 145/UC/B-II/RZ/17 dated 08.08.17. Demolished chajja at fourth floor with gas cutter
111	04.06.18	G-29/13, Sector-3, Rohini	Demolished brick walls at third floor & 2 RCC panels of roof of second floor also cut with gas cutter

112	04.06.18	A-55-56, Mangolpuri, Delhi	Demolished side walls of bricks & RCC slab at ground floor & first floor
113	18.06.18	Pkt-3/166, Sector-2, Rohini	Remove shuttering and demolished brick wall and chajja with gas cutter
114	18.06.18	Pkt-4/104, Sector-2, Rohini	Demolished wall on chajja
115	25.06.18	H-34/103-104, Sector-3, Rohini	demolished three panel of Roof at third floor and cut with gas cutter
116	29.06.18	A-255, Sector 2, Rohini	Demolished roof of room at third floor with gas cutter
117	29.06.18	Pkt-7/153, Sector-2, Rohini	Reinforcement of chajja cut with gas cutter
118	04.07.18	M-87-88, Mangolpuri, Delhi	Demolished side brick wall & RCC slab at third floor
119	30.07.18	Kh. No. 70/60, Mr. Joginder Singh Gali No. 18, Village Mangolpur Kalan	Demolished RCC Slab/panels at fifth floor
120	30.07.18	B-5/328-329, Sector-3, Rohini	Demolished two RCC Slab/panels at First floor & Second floor
121	30.07.18	G-28/169-170, Sector-3, Rohini	Demolished two RCC Slab/panels at Second floor & Third floor

Sl. No.	Date	Property No.	Demolition/sealing Action
1	04.01.16	RZ-114/ (SF), Mangolpur Khurd, Kanjhawla Road, Delhi (D.S Foundation)	property has been sealed at 3 points (Misuse)
2	04.01.16	RZ-114/ (FF), Mangolpur Khurd, Kanjhawla Road, Delhi (Shoe Factory)	property has been sealed at / points (Misuse)
3	15.02.16	70/1/1, Mangolpur kalan, Main Market, Delhi (Indian Sione Emporium)	Property has been sealed at 5 points (Misuse)
4	15.02.16	70/1/1, Mangolpur kalan, Main Market, Delhi (Narain Marble & Granite)	property has been sealed at 2 points (Misuse)
5	15.02.16	70/1/1, Mangolpur kalan. Main Market, Delhi ( Ganes Marble & Granite)	Property has been sealed at 6 points (Misuse)
6	15.02.16	70/1/1, Mangolpur kalan. Main Market, Delhi (Mohan Traders)	property has been sealed at 2 points (Misuse)
7	15.02.16	70/1/1, Mangolpur kalan. Main Market, Delhi (Bell Display)	property has been sealed at 2 points (Misuse)

8	29.02.16	Kh. No. 70/1/1, Mangolpur Kalan, Marble Market, Delhi (Bharat Marble)	property has been sealed at 4 points (Misuse)
9	29.02.16	Kh. No. 70/1/1, Mangolpur Kalan, Marble Market, Delhi (Vikas Marble)	property has been sealed at 4 points (Misuse)
10	29.02.16	Kh. No. 70/1/1, Mangolpur Kalan, Marble Market, Delhi (Garg Marble & Tiles)	property has been sealed at 2 points (Misuse)
11	07.03.16	RZ-6, Main Mangolpur Khurd, Delhi (Vishal Mega Mart)	Property has been sealed at 2 points (Misuse)
12	17.03.16	RZ-309, Mangolpur Khurd, Delhi (Chanda Fabric)	Property has been sealed at 4 points (Misuse)
13	17.03.16	70/1/1, (GF), Main Marble Mkt, Mangolpur Kalan (Aggarwal Dholpur House)	Property has been sealed at 9 points (Misuse)
14	17.03.16	70/1/2, (GF & FF), Main Marble Mkt., Mangolpur Kalan (Imperial)	Property has been sealed at 5 points (Misuse)
15	17.03.16	Y-753-754, Mangolpuri, Delhi	Mobile Antenna Tower sealed at 3 point (U/C)
16	30.03.16	70/1/1, Mangolpur Kalan, Delhi (D.S. Marble)	Property has been sealed at 2 points (Misuse)
17	30.03.16	70/1/1, Mangolpur Kalan, Delhi (Tile Plaza)	Property has been sealed at 4 points (Misuse)

Sl. No.	Date	Property No.	Demolition/sealing Action
18	28.04.16	U 252, Mangolpuri, Delhi	Sealing action taken on Mobile Tower Antenna at 2 point one point at top floor and one point at ground floor (Mobile Tower)
19	01.03.17	Kh. No. 151/2, Mangolpur Khurd, Delhi (GF, FF, SF & TF) (Balaji Furniture)	1 point at terrace of third floor & 2 points at main entry of ground floor
20	14.03.17	H 34/170, Sector-3, Rohini	Re-sealing at 2 points on the main gate of premises at ground floor
21	21.08.17	E-19/34-35, Sector-3, Rohini	Third floor sealed at two points and staircase sealed at three points
22	16.02.18	H-34/137 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi (Suzuki Showroom & Pantry)	Sealed at 4 points
23	16.02.18	D-14/233-234 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini (Property Dealer Office)	Sealed at 3 points
24	16.02.18	D-14/233-234 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini (Electrical Shop)	Sealed at 2 points
25	16.02.18	D-14/233-234 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini (Kiriyana Shop)	Sealed at 2 points

26	16.02.18	D-14/233-234 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini (Computer Shop)	Sealed at 2 points
27	16.02.18	B-5/314 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi (One Office)	Sealed at 2 points
28	24.02.18.	B-5/142 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi (Entire Stilt floor)	Sealed at 1 point
29	24.02.18	B-5/231-232 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi (Entire Stilt floor)	Sealed at 1 point
30	24.02.18	B-7/140 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi (One Room)	Sealed at 1 point.
31	24.02.18	D-15/93-94 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi (Entire Stilt floor)	Sealed at 1 point
32	24.02.18	D-14/79 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi (Entire Stilt floor)	Sealed at 1 point
33	24.02.18	D-14/1 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi (One Room)	Sealed at 1 point
34	28.02.18	C-13/32 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi (One Room)	Sealed at 1 point
35	28.02.18	C-13/24 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi (One Room)	Sealed at 1 point



Sl. No.	Date	Property No.	Demolition/sealing Action
36	28.02.18	C-13/47 (Stilt floor), Sector-3, Rohini, Delhi (One Room)	Sealed at 1 point
37	28.02.18	C-13/48 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi (One Room)	Sealed at 1 point
38	20.03.18	C-13/7S (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi (One Room)	Sealed at 1 point
39	20.03.18	C-13/100 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi (Two Room)	Sealed at 2 points
40	19.04.18	E-21/67 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (Four Shops) at 4 points
41	19.04.18	E-21/94-95 (Stilt Floor), SectDr-3, Rohini, Delhi	Sealed (One Room) at 1 point
42	19.04.18	E-21/289 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (One Room) at 1 point
43	07.05.18	A-2/74 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (One Room) at 1 point
44	07.05.18	A-2/141 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (One Room) at 1 point

45	07.05.18	A-2/148 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (One Room) at 1 point
46	22.05.18	E-18/288 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (Four Rooms) at 9 points
47	22.05.18	E-18/23-24 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (Two Rooms) at 2 points
48	31.05.18	G-30/295 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (Office-cum-store) at 1 point
49	31.05.18	G-30/41-42 (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (One Room) at 1 point
50	12.06.18	C-II/60-fil, (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (One Room) at 1 point
51	12.06.18	C-II/86-87, (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (One Room) at 1 point
52	12.06.18	C-II/195, (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (One Room) at 1 point
53	19.06.18	D-16/321, (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (Office) at 1 point
54	19.06.18	D-16/298, (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (Shop No. 1, 2 8. 3) at 1+1+3 points

Sl. No.	Date	Property No.	Demolition/sealing Action
55	19.06.18	D-16/88, (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (Stilt) at 1 point
56	19.06.18	D-16/72, (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (One Room) at 1 point
57	19.07.18	F-22/44, (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (One Room) at 1 point
58	19.07.18	F-22/4S, (Stilt Floor), Sector-3, Rohini, Delhi	Sealed (One Room) at 1 point

**29- Jh tjuſy ꣳl g %** क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl eæh** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों निगमों में सड़कों पर विज्ञापन के लिए लगने वाले यूनिपोल की सूची वार्ड वार्डज उपलब्ध करवाई जाए;

(ख) कसा विज्ञापन एजेंसी को कितने यूनिपोल दिये गए हैं, उनकी लिस्ट वार्ड वार्डज उपलब्ध कराई जाए व साथ ही उनके लाईसेंस की कॉपी भी मुहैया करवाई जाए;

(ग) तीनों निगमों को यूनिपोल से होने वाली आय का ब्यौरा दिया जाए;

(घ) क्या तीनों निगमों को गैर-कानूनी तरीके से लगने वाली यूनिपोल की कोई शिकायत मिली है;

(ङ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है, उसका ब्यौरा दिया जाए; और

(च) उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी दिया जाए?

**ekuuh; 'kgjh fodkl eæh %** (क) **mùkjh fnYyh uxj fuxe%** उत्तरी दिल्ली नगर निगम को विज्ञापन के आबंटन हेतु 6 जेनों तथा 15 क्लस्टरों में बांटा गया है। क्लस्टर धारक आबंटित क्लस्टर में ओ.ए.पी. के अनुसार 20'x80' साईट के कितने भी युनिपोल लगा सकता है। जोन वार्डज विज्ञापन लगने वाले युनिपोल की सूची एवं क्लस्टर का क्षेत्र **vugxud 'd\*** पर है।\*

**i w h l fnYyh uxj fuxe%** सूची संलग्न 'क' पर है।

Sh. (S) 86

Sh. (N) 33

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** यूनियोपल का आवंटन वार्ड अनुसार न होकर जोन अनुसार किया जाता है। इसलिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के समस्त 4 जोन की यूनियोपल की सूची अनुलग्नक 'ए' के अनुसार संलग्न है।

(ख) **mÜkjh fnYyh uxj fuxe%** एजेसी का नाम (अनुलग्नक 'क') पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस की कॉपी **vuyXud ^[k\*** पर संलग्न है।

**i whZ fnYyh uxj fuxe%** सूची संलग्न 'क' पर है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** आवंटन वार्ड अनुसार न होकर जोन अनुसार किया जाता है। वांछित सूचना **vuyXud ^chl\*** के अनुसार संलग्न है।

(ग) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** विज्ञापन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रूपये 133.73 करोड़ का राजस्व एकत्रित किया गया।

**mÜkjh fnYyh uxj fuxe%** उत्तरी दिल्ली नगर निगम विज्ञापन विभाग से होने वाली आय का ब्यौरा **vuyXud ^x\*\*** पर संलग्न है।

**i whZ fnYyh uxj fuxe**

Financial Year	Income (Rs.)
2016-17	14,66,80,926.92/-
2017-18	10,35,03,007-
2018-19 (01.04.18 to 25.07.18)	5,05,08,713/-

(घ) **mUkjh fnYyh fuxe fuxe%** जी हां, सूची संलग्नक 'घ' पर संलग्न है।

**i whz fnYyh uxj fuxe%** गैर-कानूनी तरीके से लगने वाली यूनिपोल की कोई भी शिकायत मिलने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए युनिपोल हटाया एवंज जब्त किया जाता है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ङ) **mUkjh fnYyh uxe fuxe%** उपरोक्त 'घ' अनुसार।

**i whz fnYyh uxj fuxe%** वर्तमान वर्ष 2018-19 में 5 यूनिपोल हटाये गये हैं। सूची संलग्नक 'ख' पर है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्तानुसार।

(च) **mUkjh fnYyh uxe fuxe%** वर्ष 2018 की एक्शन टेकन रिपोर्ट **vugyXud ^?k\*** पर संलग्न है।

**i whz fnYyh uxj fuxe%** सूची संलग्नक 'ख' पर है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्त 'घ' अनुसार।

30- **Jh jktSk \_f'k %** क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी में ड्यूसिब के पास कोई ज़मीन है: यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

- (ख) क्या पोसंगीपुर का कम्युनिटी हॉल कभी ड्यूसिब के पास रहा है;
- (ग) क्या पंखा रोड जे.जे. कॉलोनी ड्यूसिब के पास है या थी;
- (घ) क्या जनकपुरी में तिहाड़ जेल के पास झोपड़पट्टी ड्यूसिब के अंतर्गत आती है; और

(ङ) यदि हां, तो इनके लिए सरकार क्या योजना है?

**ekuuh; 'kgjh fodkl eah %** (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह झोपड़पट्टी जिसमें 16 झुग्गियां हैं, ड्यूसिब सूची में मौजूद नहीं है। और यह झोपड़पट्टी दिल्ली विकास प्राधिकरण की ज़मीन पर स्थित है।

(ङ) डिमांड सर्वे का कार्य ड्यूसिब द्वारा किया जा रहा है। उसके पश्चात पुनर्वास की योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा बनाई जायेगी।

**31- Jh vke izdk'k 'kekZ %** क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl eah** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पूर्व वादा किया था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनने की स्थिति में वह नगर निगम के वित्तीय संकट को दूर करेगी;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण

से दिल्ली नगर निगम को सहायता देने के अपने वायदे से पीछे हट रही है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि हाल ही में उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम के तीनों महापौरों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर धरना-प्रदर्शन भी किया था;

(घ) उनकी मांगें क्या-क्या थीं;

(ङ) दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को कितना-कितना वेतन तथा एरियर देय है;

(च) दिल्ली उच्च न्यायालय के इस संबंध में क्या आदेश हैं;

(छ) म्यूनिसिपल रिफॉर्मर्स के अंतर्गत सरकार द्वारा कितना फंड जारी किया जाना है;

(ज) क्या सरकार तीनों निगमों के महापौरों के दावे से सहमत है कि इस मद में उन्हें 1322 करोड़ रुपया आवंटित किया जाना है; और

(झ) क्या यह भी सत्य है कि तीनों नगर निगमों को ग्लोबल शेयर के अंतर्गत 1179 करोड़ रुपया दिया जाना है?

ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h % (क) 'kgjh fodkl foHkkx% शहरी विकास विभाग से संबंधित नहीं है।

(ख) 'kgjh fodkl foHkkx% शहरी विकास विभाग से संबंधित नहीं है।

(ग) 'kgjh fodkl foHkkx% शहरी विकास विभाग से संबंधित नहीं है।



(घ) 'kgjh fodkl foHkkx%' शहरी विकास विभाग से संबंधित नहीं है।

(ङ) 'y[kk 'kk[kk] 'kgjh fodkl foHkkx%' निगमों के कर्मचारियों का वेतन एवं बकाया राशि का भुगतान करने का उत्तरदायित्व तीनों निगमों का है दिल्ली सरकार का नहीं है।

(च) 'kgjh fodkl foHkkx%' दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश संख्या Review Pet.209/2018 & CM.No. 22593/2018 in WP(C) 6463/2015 Dt. 25.05.2018 की प्रतिलिपि 'क' संलग्न है।

(छ) 'kgjh fodkl foHkkx%' 2018-19 की मांग पुस्तिका के अनुसार म्यूनिसिपल रिफार्म फंड मद (प्रतिलिपि '[k\*' संलग्न है) के अंतर्गत 490.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ज) 'kgjh fodkl foHkkx%' जी नहीं, निगमों को दिल्ली वित्त आयोग की अनुशंसाओं की स्वीकृति के अनुसार वित्त जारी किया जाता है।

(झ) 'y[kk 'kk[kk] 'kgjh fodkl foHkkx%' यह सत्य नहीं है क्योंकि 2018-19 की मांग पुस्तिका के अनुसार तीनों नगर निगमों को ग्लोबल शेयर के अंतर्गत केवल 1141.24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं (बजट प्रतिलिपि 'ग' संलग्न है)।

**32- Jh foHkkx xqark % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) रोहिणी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत एन-43 बादली इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कैंप में कितनी झुग्गियां हैं और उनमें कितने लोग रहते हैं;

(ख) क्या इस कैंप के पुनर्वास की सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से यह योजना अभी तक कार्यक्रम नहीं ले पाई है; और

(घ) इस कैंप में रहने वाले कितने झुग्गीवासियों ने स्थानांतरण के लिए कितनी राशि जमा करायी है, पूर्ण ब्यौरा दें?

**ekuu; 'kgjh fodkl ea-h %** (क) एन 43—बादली इंडस्ट्रियल इंडिया स्थित कैंप में रिकॉर्ड के अनुसार DSIIDC द्वारा चिह्नित क्षेत्र में डूसिब विभाग द्वारा कराये गये संयुक्त सर्वे के अनुसार 523 झुग्गीयां हैं, 05 व्यक्ति प्रति झुग्गी के औसत से लगभग 2600 लोग इस झुग्गी बस्ती में रहते हैं।

(ख) जी हां, डूसिब द्वारा दिल्ली स्लम एवं जे.जे. की पुनर्वास नीति 2015 के अनुसार इस झुग्गी बस्ती को पुनर्वासित करने की योजना है। उपरोक्त झुग्गी बस्ती के पुनर्वास हेतु मामला अन्य झुग्गी बस्तियों के साथ सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा हुआ है तथा सरकार की अनुमति के बाद ही इसको हटाया जाएगा।

(ग) उपरोक्त।

(घ) एन—43 बादली इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कैंप में कार्यालय के रिकॉर्ड अनुसार 306 झुग्गीवासियों ने कुल 1,58,87,517/- राशि जमा करायी है।

**33- Jh fo'kšk jfo %** क्या **ekuu; 'kgjh fodkl ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि करोल बाग में एमसीडी कार्यालय के समीप मिलिटरी रोड के दोनों ओर अनेक लघु उद्योग इकाइयां काम कर रही हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि रिहायशी संपत्तियों के अंदर व्यापार/फैक्ट्री/औद्योगिक गतिविधियां चलाई जा रही है जोकि दिल्ली नगर निगम की नीति एवं एमपीडी-2021 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि रिहायशी इलाकों में बिना किसी रेग्युलेटरी नॉर्म्स के तथा अवैध बिजली कनेक्शन लेकर जीन्स फैक्ट्री, वॉशिंग प्लांट आदि जैसी अनधिकृत औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि इन अवैध एवं अव्यवस्थित इकाइयों के कारण पानी, सीवरेज, बिजली, सड़क, कचरा निपटान अदि सुविधाओं पर अनावश्यक बोझ पड़ने से क्षेत्र के निवासियों को अनेक स्वास्थ्य संबंधी व अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) इस संबंध में विभाग के उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है जिनकी मिलीभगत से इन औद्योगिक इकाइयों को अवैध बिजली के कनेक्शन दिए गए जिसके कारण इस क्षेत्र में अनधिकृत औद्योगिक गतिविधियां हो रही हैं;

(छ) यदि हां, तो उस शिकायत पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h % (क) mUkjh fnYyh uxj fuxe%** जी हां, यह सत्य है कि करोल बाग में एमसीडी कार्यालय के समीप मिलिटरी रोड के दोनों ओर अनेक लघु उद्योग इकाइयां काम कर रही हैं।

**fnYyh jkT; vksj kfxd vol j puk fodkl fuxe%** करोल बाग में एमसीडी कार्यालय के समीप मिलिटरी रोड पर डीएसआईआईडीसी के अधीन कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है।

(ख) **mUkjh fnYyh uxj fuxe%** जी हां, यह भी सत्य है कि रिहायशी संपत्तियों के अंदर व्यापार/फैक्ट्री/औद्योगिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं जोकि दिल्ली नगर निगम की नीति एवं एमपीडी-2021 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है।

**i wh fnYyh uxj fuxe%** विभाग के इंस्पेक्टरों द्वारा रिहायशी इलाकों के नियमित निरीक्षण के दौरान गैर-कानूनी रूप से चलाई जा रही इकाइयां पाई जाती हैं जिनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(ग) **Å tkz foHkx% ch, l b, l ; epk i koj fyfeVM**

यह विषय एमसीडी से संबंधित है। कोई अवैध कनेक्शन नहीं दिया गया है। विद्युत कनेक्शन सभी व्यवसायिक औपचारिकताएं पूरी करके डीईआरसी मापदंडों के अनुकूल ही दिए गए हैं।

**mUkjh fnYyh uxj fuxe%** जी हां, यह भी सत्य है कि रिहायशी इलाकों में बिना किसी रेग्युलेटरी नॉर्म्स के तथा अवैध बिजली कनेक्शन लेकर कुछ जीनस फैक्ट्री वॉशिंग प्लांट आदि जैसी अनाधिकृत औद्योगिक इकाइयां भी चल रही हैं।

**i 10hZ fnYyh uxj fuxe%** विभाग के इंस्पेक्टरों द्वारा रिहाइशी इलाकों के नियमित निरीक्षण के दौरान गैर-कानूनी रूप से चलाई जा रही इकाइयां पाई जाती हैं जिनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(घ) **mÜkjh fnYyh uxj fuxe%** जी हां, यह भी सत्य है कि इन अवैध एवं अव्यवस्थित इकाइयों के कारण पानी सीवरेज बिजली सड़क कचरा निपटान आदि सुविधाओं पर अनावश्यक बोझ पड़ने से क्षेत्र के निवासियों को अनेक स्वास्थ्य संबंधी व अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

**i 10hZ fnYyh uxj fuxe%** हां, यह सत्य है।

(ङ) **ÅtkZ foHkx% ch, l bZ l ; epk i koj fyfeVM%**

कोई अवैध कनेक्शन नहीं दिया गया है।

**mÜkjh fnYyh uxj fuxe%** चूंकि विभाग समय-समय पर इन अवैध एवं अव्यवस्थित इकाइयों के विरुद्ध अभियोजन एवं क्लोजरसिलिंग की कार्यवाही करता रहता है। अतः/किसी भी कर्मचारी की कोई मिलीभगत न पाई जाने पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

(च) **ÅtkZ foHkx% ch, l bZ l ; epk i koj fyfeVM%**

पत्र संख्या नं. 111608/05/2018 दिनांक 04.07.2018 इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि समरूप विषय पर पत्र संख्या 111808/05/2018 दिनांक 07.05.2018 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसके तहत कार्रवाई की गई है तथा उसका ब्यौरा पत्र संख्या बीवाईपीएल/सीसी/2018-19/27476 दिनांक 28.05.2018 में दिया गया है (संलग्न 'क')।

(छ) **Åtkz foHkx% ch, l bZ, l ; epk i koj fyfeVM**

उपरोक्त 'च' के अनुसार।

**34- Jh vfuy døkj oktiş H% कया ekuuh; Åtkz ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गांधी नगर विधान सभा क्षेत्र में एमएलए फंड से एलईडी लाइट लगाई गई थी;

(ख) क्या उसका अनुमान (एस्टीमेंट) पॉवर विभाग द्वारा तैयार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण उपलब्ध कराया जाये;

(घ) क्या कार्य पूरा हो जाने के उपरांत ऊर्जा विभाग को इसकी सूचना दी गयी;

(ङ) यदि हां, तो क्या विधायक फंड से एलईडी लाइट लगाने के पूर्ण हो चुके कार्यों की सूची (एनओसी) एजेंसी को दी गयी;

(च) यदि हां, तो उसकी कॉपी प्रदान की जाये;

(छ) वर्ष 2014-15, 2015-16 से विधायक फंड से कितनी एलईडी लाइट लगाने की अनुमति दी गयी; और

(ज) यदि एजेंसी द्वारा बीच में ही कार्य छोड़ दिया जाता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है?

**कुछ; आंकड़ों में (क) जी, हां।**

(ख) और (ग) जी नहीं, इन कार्यों का अनुमान (एस्टीमेट) सम्बंधित निष्पादन एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है और दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड की विशेषज्ञ तकनीकी समिति (Expert Technical Committee) इसकी मंजूरी देती है। विवरण संलग्न है (संलग्न 'क')

(घ) जी नहीं, कार्य पूरा होने की सूचना दिल्ली शहरी विकास एजेंसी (डूडा) को दी जाती है।

(ङ) और (च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(छ) बीवाईपीएल द्वारा सूचित किया गया है कि एमएलए फंड से कुल 991 एलईडी लाइट लगाई गई है। दिल्ली शहरी विकास एजेंसी (डूडा) ने सूचित किया है कि वर्ष 2015-16 में विधायक फंड से कोई भी एलईडी लाइट लगाने की अनुमति डूडा (पूर्वी) द्वारा नहीं दी गई है।

(ज) दिल्ली शहरी विकास एजेंसी (डूडा) ने सूचित किया है कि अभी तक इस प्रकार का कोई भी मामला डूडा (पूर्वी) के समक्ष नहीं आया है।

**दिल्ली**

**DELHI TRANSCO LIMITED**

(A Govt. of NCT of Delhi Undertaking)

F.DTL/202/Ops(Plg.)/GM(Plg.)/2016-17/F-10/06

Date 01.07.2016

Special Secretary (Power)  
Department of Power,  
Govt. of NCT of Delhi  
8th Level, B wing  
Delhi Secretariat, I.P. Estate  
New Delhi - 110002

Sub: Summary of Estimates

This is in reference to Officer Order F11(59)/2009/Power/2295 dated 31st August, 2009 issued by Secretary (Power) vide which Expert Committee was re-constituted by Director (Opt.) DTL vide Office Order No. Dir(O)/F115/189 dated 06.09.2012 and subsequent Office Order no. Dir(O)/F115/206 dated 21.10.2014 to scrutinize the estimates submitted by the Director for the installation of street lighting and high mast lights in the constituency of MLALAD/MPLAD funds as well as estimates relating to shifting of poles/transformers/feeders pillars/HT/LT/lines

In this connection the following cases have been considered by Expert Technical Committee dated 01.07.2016 submitted by respective Directors are enclosed for further necessary action by the Department of Power Govt. of NCT of Delhi.



Sl. No.	Name of work/ Project	Name of Discom	Name of Honourable MP/MLA/ Agency	Estimated Cost (Rs.)
1	2	3	4	5
1	Estimate for shifting of 630 KVA Sangrarur 5/ Stn. No.1 (FL)FR033	Sh. Mahipal DGM (O&M) Jaffarpur BRPL	Hon'ble MLA Sh. Gulab Singh	11327837
2	Installation of 500 nos. of street lights in the constituency of honourable MLA Sh. Anil Bajpayee	Sh. P.K. Sharma As V.P. (Q&M) KRN BYPL	Hon'ble MLA Sh. Anil Bajpayee	2575
3	Installation of 200 nos of street lights in the constituency of honourable MLA Sh. S.K. Bagga (revised Estimate)	Sh. P.K. Sharma As. V.P. (O&M) KRN BYPL	Hon'ble MLA Sh. S.K. Bagga	2251587
4	Estimate for installation of new street lights LED (70W) along with new 9 mtrs PCC poles proposed to be install on the road going from village Khanpur towards APMC Hamidpur Z-517	TPDDL	Hon'ble MLA Sh. Sharad Kumar Chauhan	561987

1	2	3	4	5
5	Estimate for installation of new 55 nos of street light (LED 70 W) as opposite Ramghat Wazirabad	TPDDL	Hon'ble MLA Sh. Pankaj Pushkar	25313
6	Estimate for shifting of 11 kV bare conductor by U/G cable at Sultanpur Mazara Village Z-518	TPDDL	Hon'ble MLA Sh. Sandeep Kumar	944000
7	Verification of estimates for shifting of 440 V LT O/H line passing over houses in Gali No.-13, Pratap Nagar, Delhi, Zone-21	TPDDL	Hon'ble MLA Sh. Som Dutt	251548/-
8	Verification of estimates for shifting 440 V LT O/H lines passing over house in E, G & H block, Pratap Nagar, Delhi Z-421	TPDDL	Hon'ble MLA Sh. Som Dutt	1026576/-
9	Verification of estimates for shifting 440 V LT O/H lines passing over house in L, M & N block, Pratap Nagar, Delhi Z-421	TPDDL	Hon'ble MLA Sh. Som Dutt	880539/-

1	2	3	4	5
10	Verification of estimates for shifting of HT and LT lines from Palla to Hiranki Village Zone- 511 7 517	TPDDL	I & FC Department	13566049/-

The following cases have been discussed and deferred for next ETC meeting for the want of Quorum/technical clarification required from Discoms.

Sl. No.	Name of work/ Project	Name of Discom	Name of Honourable MP/MLA/ Agency	Estimated Cost (Rs.)
1	2	3	4	5
1	Installation of 45 W LED Street Light fitting in various areas in Tilak Nagar in his constituency in Division Tagore Garden.	Sh. Jitender Garden DGM (O&M)	Hon'ble MLA Sh. Jarnail Singh	159992/-
2	Installation of 45 W LED fitting in various areas in Reghubir Nagar in his constiency in Division Tagore Garden	Sh. Jitender Garden DGM (O&M) TGN BRPL	Hon'ble MLA Sh. Girish Soni	159992/-
3	Estimate for installation of new 70 W LED Street lights on new 5 mtr GI	TPDDL	Hon'ble MLA Mr. Ritu Raj Govind	13627446

1	2	3	4	5
	Octagonal poles proposed to be installed on both side of Main Entry Road from Sector-22 Rohini to Kirari Nithari on request of Hon'ble MLA Sh. Ritu Raj Govind in Z-523 (D) MGP			
4	Verification of estimates for shifting HT and LT lines along with DDA boundary wall in village Mamurpur (Dist.) Narela on request of BDO North Zone-514	TPDDL	BDO North	2534031

The following cases have been withdrawn by Discoms and the same has been return in original to the concern Discoms as the SDMC has to finalize a policy in this regard

Sl. No.	Name of work/ Project	Name of Discom	Name of Honourable MP/MLA/ Agency	Estimated Cost (Rs.)
1	Installation of street light fittings in assembly constituency 48 on request of Hon'ble MLA Sh. Ajay Dutt	Sh. Kashmir Singh DGM (O&M) BRPL	Hon'ble MLA Sh. Ajay Dutt	1876480/-

Encl.:

1. Copy of Attendance sheet
2. Ten (10) Nos. Cases
3. Copy of MoM of deffered cases
4. Copy of MoM of Returned cases

Sd/-  
(Vipin Kumar)  
Manager (Plg. E-II)

CC to:

- |     |  |                                  |
|-----|--|----------------------------------|
| 1   | Manager(T) to MD   | For Information Please.          |
| 2   | DGM(T) to Dir(O)   | For Information Please.          |
| 3   | GM (Planning)  | As directed Please               |
| 5   | DGM (Planning)   | For Information Please.          |
| 6   | Sh. Ravi Tomar, Addl, V.P. (Nodal Officer)<br>BYPL Shakti Kiran Building, Karkardooma,<br>Delhi-32   | —do—                             |
| 7   | Er. Praveen Verma, H.O.C. (Network<br>Engineering) TPDDL, Near RG 5, Grid,<br>K N Katju Marg, Rohini Sec-15, Delhi-85  | —do—                             |
| 8   | Sh. C.K. Sood, (Nodal Officer), Head<br>(Quality & safety) IInd Floor, Sector 9,<br>R.K. Puram BSES Rajdhani Power Limited<br>(Near IGI Bhawan) Place, New Delhi | —do—                             |
| 10. | AM (T) ETC   | For record<br>Manager (Plg E-II) |

**ETC Meeting held on 11.11.2016**

ETC considered the following estimates submitted by BYPL with regarding to the works related Street Light/High Mast Lights in different areas of BYPL in meeting held on 11.11.2016:-

Sl. No.	Name of the Work/ Project	Concerned DISCOMs	Source of Funding (MP/MLA/ PWD/D/ MCD/DDA/ etc.)	Estimate (In Rupees)	Estimate (In Rupees Approved)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	Estimate for providing 100 nos LED street light fitting on existing pole in the Gandhi Nagar Constituency of Hon'ble MLA Sh. Anil Bajpai	Er. J.P. Singh As V.P. (O&M) BYPL	Hon'ble MLA Sh. Anil Bajpai	1493877/-	1472789/-	Petty items has been deleted
2	Installation of street light Points in Gokulpuri constituency-68	Er. C.P. Singh As VP(O&M)	Hon'ble MLA Sh. Fateh Singh	1985700/-	1985700/-	

1	2	3	4	5	6	7
3	Installation of 250 nos. of street lights in the constituency of Hon'ble MLA Sh. S.K. Bagga	Er. P.K. Sharma/ BYPL	Hon'ble MLA Sh. S.K. Bagga	3030326/-	3030326/-	
4	Installation of 125 nos. of street lights and replacement of 375 nos. of old HPSV street lights in to LED street lights in the constituency of Hon'ble MLA Sh. Anil Bajpai	Er. P.K. Sharma/ BYPL	Hon'ble MLA Sh. Anil Bajpai	6072270/-	6072270/-	
5	Estimate for providing 40 nos. LED street light fitting on existing pole in the Seelampur Constituency of Hon'ble MLA Sh. Ishraq Khan	Er. J.P. Singh/BYPL	Hon'ble MLA Sh. Ishraq Khan	419139/-	4030407/-	
6	Estimate for providing 100 nos LED street light fitting on existing pole in the Gandhi Nagar Constituency of Hon'ble MLA Sh. Anil Bajpai	Er. J.P. Singh/ BYPL	Hon'ble MLA Sh. Anil Bajpai	1030377/-	1009289	Petty items has been deleted
7	Estimate for providing 150	Er. J.P. Singh/	Hon'ble MLA	1615417/-	1582072/-	

<p>nos LED street lights fitting on existing pole in the Ghonda constituency of Hon'ble MLA Sh. Shree Dutt Sharma</p>	<p>BYPL</p>	<p>Sh. Shree Dutt Sharma</p>	<p>3303957/-</p>
<p>8 Installation of 50 nos Pole (about 20 tall and 30 small Pole) and nos New LED lights in the constituency of Hon'ble MLA Sh. Raju Dhingan Ji Constituency AC-55 Trilok Puri)</p>	<p>Er. R.K. Jain BYPL</p>	<p>Hon'ble MLA Sh. Raju Dhingan</p>	<p>3303957/-</p>
<p>9 Installation of 80 Nos. 70-80 W LED Street Light Points and 20 Nos Poles with LED Light in the constituency AC-57 Patparganj)</p>	<p>Jagdish Pal/DGM (O&amp;M) LNR</p>	<p>Hon'ble Deputy CM Sh. Manish Shishodiya</p>	<p>1485788/-</p>
<p>10 Installation of 20 nos Pole with new LED Lights and 80 nos LED in the constituency of Hon'ble Deputy CM Sh. Manish Shishodiya constituency AC-57, Patparganj</p>	<p>Er. R.K. Jain/BYPL</p>	<p>Hon'ble Deputy CM Sh. Manish Shishodiya</p>	<p>1485788/-</p>



The above cases were discussed in the meeting, the estimates were generally found in order subject to following:-

- (1) BYPL representative intimated that the material part is supplied by BYPL and Labor part of Electrical Works is on Contract Basis as per the company policy the material is purchased through Tender process and for the Labor Part contract portion up to Rs. 25 Lakh is carried out through the registered Contractors Beyond the amount of Rs. 25 Lakhs works is carried out through Tender Process. The rates for the labor contract fix for every two years.
- (2) Reclamation charges of material wherever possible, should be made and credit thereof should be given at the time of finalization of accounts.
- (3) Estimated charges being provisional, is subject to adjustment of completion of work and finalization of account.
- (4) Taxes (Service Tax etc.) are to be levied as per actual and it should be accounted for accordingly at the time of finalization of account.
- (5) BYPL authorities shall ensure that the work is carried out on priority in time bound manner as the work is of urgent nature subject to realization of the fund.
- (6) BYPL authority to submit the final accounts towards material drawn and the charges towards labor and transportation etc. within 165 days of completion of work.
- (7) The various equipments and material for execution of the schemes may be procured through competitive bidding process.
- (8) All works shall be carried out in compliance with the standards rules/regulations acts, further the works may be executed adopting best industry practices.

- (9) However, the authenticity of Schedule of Rates and Quantity to be used shall rest with respective executing authority.
- (10) The Lux Level as required to maintain the street lighting be ensured by the executive authority.
- (11) The permission from Road Owning Agency may be obtained.
- (12) Since there is guarantee of 7 years for LED light fittings. MCD will not pay maintenance charges for 7 years. Accordingly these fittings shall be marked for distinguishing with existing street light installed by BSES.
- (13) Guidelines regarding unautlonzed area must be followed before releasing the fund.
- (14) It shall be ensure by Discern that work should be carried out in MCD authorized street.

(Shashi Ranja)  
BYPL (Nodal Officer)  
(9350261994)

Sd/-  
(H. Vyas)  
E.D. (Planning)  
(9999533631)

The location-street dark spot where the LED are to be installed is required to be finalized before clearing the estimates.

Sd/-  
(R.K. Duggal)  
SE(E) FDMC  
(8588888438)

**35-** Jh I kœukFk Hkkj rh % क्या ekuuh; mi &eq; eah यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीधे काउंटर पर शराब बेचने हेतु शराब की दुकानों का लाइसेंस देने/सस्पेंड करने/बहाल करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) मालवीय नगर विधान सभा में शराब परोसने/बेचने वाली इकाइयों को विभाग द्वारा दिए गए लाइसेंसों की सूची, लाइसेंस होल्डर के नाम, पते, संपर्क नं., दुकान/रेस्टोरेंट के नाम, लाइसेंस के प्रकार, किस तारीख को लाइसेंस जारी किया गया, किस शर्त पर जारी किया गया, यदि इनके विरुद्ध कोई शिकायत है तथा वर्तमान में कार्यरत प्रत्येक लाइसेंसधारक के विरुद्ध जो अथॉरिटी इन शिकायतों को सुनती है उनके संपर्क विवरण सहित पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ग) क्या यह सत्य है कि युसुफ सराय में स्थित डीटीडीसी द्वारा चलाई जा रही शराब की दुकान बी-6, सफदरजंग एनक्लेव मार्किट में शिफ्ट कर दी गयी है;

(घ) क्या हां, तो शिफ्टिंग से सम्बंधित समस्त आदेशों की प्रति प्रदान की जाए;

(ङ) उपरोक्त शराब की दुकान को शिफ्ट किये जाने के विरुद्ध स्थानीय विधायक द्वारा की गयी शिकायत पर विभाग द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(च) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त शराब की दुकान जहां शिफ्ट की

गयी थी वहां के निवासियों एवं आरडब्ल्यूए ने इसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया था;

(छ) यदि हां, तो उनकी मांग पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(ज) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त शराब की दुकान का मालिक प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध आदेश लेने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में चलाया गया था;

(झ) यदि हां, तो उस आदेश की प्रति प्रदान की जाए;

(ञ) किन कारणों से डीटीडीसी कोर्ट को ये बताने में नाकाम रहा कि शराब के दुकान के मालिक को प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है;

(ट) दिल्ली सरकार की उस नीति की वर्तमान स्थिति क्या है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने अथवा शिफ्ट करने से पूर्व स्थानीय लोगों से सलाह मशविरा करना अनिवार्य है;

(ठ) उस नीति को कब तक लागू कर दिया जायेगा; और

(ड) कानून एवं व्यवस्था की समस्या खड़ी करने वाली शराब की दुकान को शिफ्ट अथवा बंद करने के क्या तरीके हैं?

ekuu; mi eq; ea-h % (क) शराब की दुकानों का लाइसेंस देना/सस्पेंड करना/बहाल करना, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009,

दिल्ली आबकारी नियम, 2010, तथा लाइसेंस की नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जाता है।

(ख) मालवीय नगर विधान सभा में वर्तमान में कार्यरत शराब बेचने वाली इकाइयों की सूची विवरण सहित **vuyXud Bdb** संलग्न है। लाइसेंसधारक के विरुद्ध शिकायत होने पर आबकारी उपयुक्त, द्वारा शिकायत के लगाये गए आरोपों की उपयुक्त जांच कराकर निर्णय लिया जाता है। आबकारी उपायुक्त का संपर्क विवरण कमरा नंबर-101, प्रथम तल, एल ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली-110002 तथा दूरभाष नंबर-23370868 है।

(ग) जी हां, यह सत्य है कि युसुफ सराय में स्थित डीटीडीसी की शराब की दुकान बी-6 एलएससी सफदरजंग मार्केट में आबकारी नियमों के अनुसार स्थानान्तरित कर दी गयी है।

(घ) आदेश की कॉपी **vuyXud B[kb** पर संलग्न है।

(ङ) स्थानीय विधायक द्वारा की गयी शिकायत पर विभाग में त्वरित कार्यवाही करते हुए, स्थिति का जायजा लेने के लिए माननीय विधायक जी व आरडब्ल्यू से संपर्क किया है और मामला आगे की कार्यवाही के लिए विचाराधीन है।

(च) जी हां, यह सत्य है।

(छ) यह मामला विभाग के संज्ञान में है और सहायक उपायुक्त स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां के लोगों से मिले हैं, और नियमानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी।

(ज) जी हां, यह सत्य है।

(झ) आदेश की प्रतिलिपि **vuyxud bxb** पर संलग्न है।

(ञ) डीटीडीसी ने न्यायालय के समक्ष अपना पूर्ण पक्ष रखा था। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद कार्यवाही के संदर्भ में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है।

(ट) स्थानीय नागरिकों द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर चर्चा एवं जांच कर शराब की दुकानों के संदर्भ में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ प्रयोग किये गए हैं।

(ठ) लागू करने की समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ड) शराब की दुकान को शिफ्ट अथवा बंद करने का निर्णय दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, तथा दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के अंतर्गत लिया जाता है।

*Annexure A: Area-wise List of Restaurants (Malviya Nagar Constituency) as on 1st Aug '18*

Sl. No.	Vend Name	User ID	Entity	Licence Code	Vend Address	Authorised Person name	Authorised person Address	Authorised Person Mobile	Licence issue Date	Area
1	Clay Oven (Green Park)	L172001083	Restaurant	L17	D-L Ashirvad Complexgreen Chamula-Park New rakesh Chamula -16 Delhi -16	Rakesh Chamula	D-L Ashirvad Complex, Green Park New Delhi-16	9990180501	2/23/2018	Green Park
2	Drums of Heaven	L172001076	Restaurant	L17	S-14 Green Park Ext. N. Balbeer Delhi-16	Mr. Balbeer Singh	S-14 Green Park Ext., N. Delhi-16	9953110356	2/26/2018	Green Park
3	Gung The Palace	L172007120	Restaurant	L17	D-16, Green Park New Delhi	Sukhee Kimsuk Hee Kim	D-1B, Green Park, New Delhi	9810052513	2/26/2018	Green Park
4	Nagalands Kitchen	L172011430	Restaurant	L17	S-2, Green Park Uphar Cinema	Ms. Washimenla Long	S-2, Green Park Uphar Cinema	9891220164	2/21/2018	Green Park

5	PGS Times Square	L1720184817	Restaurant	L17	S 35A, 2nd and 3rd Floor Green Park Main Market	PGS Square	S35A, 2nd and 3rd Floor Green Park Main Market	9971316345	7/12/2018	Green Park
6	Red Chilli Restt.	L172011374	Restaurant	L17	S-15, Ground Floor, Green Park extension New Delhi	Shri Gautam Walia Director Shri Gautam Walia Director	S-15, Ground Floor, Green Park Extension New Delhi	9711246901	2/26/2018	Green Park
7	The Groghead-A Unit of SAV Entertainment Company	L1720153308	Restaurant	L17	A5, SF, Green Park, New Delhi	The company	A5, SF, Green Park, New Delhi A 5, SF, Green Park, New Delhi	9818457510	2/27/2018	Green Park



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	The Yard-A Unit of Hungry Belly Foods	L1720152923	Restaurant	L17	A2/A, SF, Green Park, New Delhi	Karan Chawla- karan Chawla	A2/A, SF, Green Park, New Delhi	9871145395	2/28/2018	Green Park
9	Baarsoom	L1720142672	Restaurant	L17	Third Floor, 26 Hauz Khas Village, Main Market Road, New Delhi - 110016.	Baarsoom Baarsoom	Third Floor, 26 Hauz Khas Village, Main Market road, New Delhi - 110016. 110016.	9599597088	4/4/2018	Hauz Khas
10	Bario Hauz	L1720163793	Restaurant	L17	Second and Thrid Floor of 50-E Hauz Khas Village	Bariohauz	Second and Thrid Floor of 50-Ehauz Khas Village	8585909044	2/27/2018	Hauz Khas
11	Cire Resturant	L172013590	Restaurant	L17	30, 1st Floor Hauz Khas Village	Siddharth Suman Siddharth Suman	30, 1st Floor Hauz Khas Village	9891917473	3/9/2018	Hauz Khas
12	Coast Cafe a Unit of Ogaan	L1720142699	Restaurant	L17	H 2 Second Floor and	Coast Ltd	H 2 Second Floor and	9910888729	2/22/2018	Hauz Khas

Indian Pvt Ltd	Third Floor Hauz Khas Village New Delhi	Third Floor Hauz Khas Village New Delhi	9911312592	4/4/2018	Hauz Khas
13 ELF Cafe Lounge Restaurant	L172013608 Restaurant L17 26, Hauz Khas Village New Delhi	Mr. Nitin Arora Mr. Nitin Arora	9911312592	4/4/2018	Hauz Khas
14 Fork You Restaurant	L172012603 Restaurant L17 30/Hauz Khas Village New Delhi	Mr. Nitin Arora Youfork You	9810144991	3/27/2018	Hauz Khas
15 Garage Inc Restaurant	L172012539 Restaurant L17 30 Second Floor Hauz Khas Vill New Delhi	R S Makerr S Maker	9911446388	2/27/2018	Hauz Khas
16 Golden Dragon (RBI Colony)	L172001078 Restaurant L17 RBI Colony Outer Ring Road opp Panchil Park Hauz Khas	Nawang Namgyal- nawang Namgyal	8860995787	2/21/2018	Hauz Khas
17 Imperfecto Restaurant	L172013600 Restaurant L17 Fourth Floor 1A/1, Hauz Khassecond	Mr. Sharad Madan	9811597696	2/28/2018	Hauz Khas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Floor Third Floor & Village New Delhi	Mr. Sharad Madan	Second Floor Third Floor & Village New Delhi			
18	Junction A Unit of Tewari Cafe Pvt Ltd	L.1720174382	Restaurant	L17	Shop No.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10, Ground Floor, CSC Complex, Hauz Khas, New Delhi	Junction Ltd	Shop No.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10, Ground Floor, CSC Complex, Hauz Khas, New Delhi	9953302260	2/26/2018	Hauz Khas
19	Kaffeine Restaurant	L.172012557	Restaurant	L17	50A, 1st Floor Hauz Kkas village New Delhi	Satender Singh Satender Singh	50a, 1st Floor Hauz Khas village New Delhi	9911337164	3/24/2018	Hauz Khas
20	Klub Koots-A Unit of Rosebay Cafe Pvt Ltd.	L.1720142706	Restaurant	L17	Shop No. 30 3rd Floorfront Facing Hauz Khas Village	Gurpreet Singh Gurpreet Singh	Shop No. 30 3rd Floor front Facing Hauz Khas Village	9899234744	2/28/2016	Hauz Khas
21	Mafioso	L.1720163570	Restaurant	L17	28 Second Floor Hauz Khas Village	Mafioso- mafioso	28 Second Floor Hauz Khas Village	7530998237	2/26/2018	Hauz Khas

22	Mandaa	L.1720152826	Restaurant	L17	30 Second Floor Hauz Khas Village	Man Daaman Daa	30 Second Floor Hauz Khas Village	9871068150	2/28/2018	Hauz Khas
23	Masha	L.1720131432	Restaurant	L17	First Floor, 9A Hauz Khas Village, Main Market Road, New Delhi	Masha-masha	First Floor, 9A Hauz Khas Village, Main Market Road, New Delhi	9899004366	2/26/2018	Hauz Khas
24	Musical Restaurant Pvt Ltd	L.1720174383	Restaurant	L17	201, 2nd Floor. Att Achedopen Area, DDA Commercial complex, Aurbindo Place, Hauz Khas, New Delhi	Musical Ltd	201, 2nd Floor, Attached Open Area, DDA Commercial complex, Aurbindo Place, Hauz Khas, New Delhi	9810200780	2/23/2018	Hauz Khas
25	Park Balluchi Restt.	L.172002119	Restaurant	L17	Inside Deer Park Hauz Khas Village	Park Balluchi Restt. Park Balluchi Restt.	Inside Deer Park Hauz Khas Village	9810907410	2/24/2018	Hauz Khas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Raas Restaurant	L172012555	Restaurant	L17	First Floor 8, Second Floor 9A, Hauz Khas Village New Delhi	Mr. Y.P. Ashok Mr. Y.P. Ashok	First Floor 8, Second Floor 9A, Hauz Khas Village New Delhi	9999046496	3/5/2018	Hauz Khas
27	Rabit Hole A Unit of Royalty Hotels Pvt Ltd	L172011436	Restaurant	L17	30A, Hauz Khas Village New Delhi	Mr Harinder Singh Bajaj Mr. Harinder Singh Bajaj	30A, Hauz Khas Village New Delhi	9311244441	2/26/2018	Hauz Khas
28	Recycle A Unit of Vintero Hospitality P Ltd	L1720174528	Restaurant	L17	50 & 50A, 3rd and 4th F Looks, Hauz Khas Village New Delhi	Recycle Ltd	50 & 50 A, 3rd and 4th Floors, Hauz Khas Village New Delhi	8076331123	3/24/2018	Hauz Khas
29	Rehab- A Unit of Tatva Hospitality	L1720174373	Restaurant	L17	30, Second Floor, Rear Portion, Hauz Khas Village	Rehab-A Unit of Tatva Hospitality	30, Second Floor, Rear Portion, Hospitality Hauz Khas	9999966053	2/28/2018	Hauz Khas

	Rehab-A Unit of Tatva Hospitality	Village
30	Roost Bistro A Unit of Pilot Fish Foods Pvt Ltd	Shop No 8 & Roostld & 9 GF Buld No 30 Hauz Khas New Delhi shop No 8 & 9 GF Buld No 30 Hauz Khas New Delhi
	L1720132300 Restaurant	Shop No 8 & 9 GF Buld No 30 Hauz Khas New Delhi
	L172011378 Restaurant	Shop No 8 & 9 GF Buld No 30 Hauz Khas New Delhi
31	Salotto 44 Restaurant	Sh. Anup Singh Sh. Anup Singh
	L1720142528 Restaurant	G-12, Hauz Khas New Delhi
	L1720142528 Restaurant	G-12, Hauz Khas New Delhi
32	Social and Tinur A Unit of Ephipmany Hosp Pvt Ltd	First and Second Floor of 9-A&12 Hauz Khas Village
	L1720142528 Restaurant	First and Second Floor of 9-A&12 Hauz Khas Village
33	Summer House Cafe	First Floor, DDA Shopping reafe
	L1720142516 Restaurant	First Floor, DDA Shopping reafe
	L1720142516 Restaurant	First Floor, DDA Shopping reafe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Tarami Restaurant	L172012543	Restaurant	L17	30 A, 1st Floor Hauz Khas Village New Delhi	Rahul Karan Kundan-rahul Karan Kundan	30 A, 1st Floor Hauz Khas Village New Delhi	9871145395	2/28/2018	Hauz Khas
35	The Beer Cafe- A Unit of BTB Marketing Pvt Ltd	L1720153021	Restaurant	117	Prop No 8A, 1st Floor Hauz Khas Village New Delhi	The Ltd.	Prop No 8A, 1st Floor Hauz Khas Village New Delhi	8448598192	2/27/2018	Hauz Khas
36	The Pink Room Restaurant	L172012540	Restaurant	117	29A, Hauz Khas Village, New Delhi	Mr. Manish Sharma Mr. Manish Sharma	29A, Hauz Khas Village New Delhi	9211110882	4/4/2018	Hauz Khas

37	The Same Place	L.1720142675	Restaurant	L17	F.F, S.F & Third Floor, 6 Hauz Khas Village Main Market Road, New Delhi	Theplace Third Floor, 6 Hauz Khas Village main Market Road, New Delhi	F.T, S.F & Third Floor, 6 Hauz Khas Village main Market Road, New Delhi	9899900117	2/28/2018	Hauz Khas
38	Vapour Bar Exchange Unit of Ringlets Tradex Pvt Ltd	L.1720152933	Restaurant	L17	First, Second & Third Floor, 11 Hauz Khas Village, Main Market Road, New Delhi-110016.	Aditya Singh Son of Ravinder Singh Aditya Singh Son of Ravinder Singh	First, Second & Third Floor, 11 Hauz Khas Village, Main Market Road, New Delhi-110016.	7053058399	5/11/2018	Hauz Khas
39	Verve the Lounge Bar Restaurant	L.172012570	Restaurant	L17	28 Third Floor, Khasra No.756/620/330 Village Hauz Khas New Delhi	Santosh Jindal Santosh Jindal Santosh Jindal	Ankit Khilwani 28 Third Floor, Khasra No.756/620/330 Village Hauz	9873555663	2/19/2018	Hauz Khas
40	Masala Junction Restaurant	L.172005027	Restaurant	L17	C-2, Ground Floors DDA Commercial	Vijay Kumar Sinha	C-2, Ground Floors DDA Commercial	8800132359	2/27/2018	IIT Gate



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	What A Comic Show	L1820142657	Restaurant	L18	C-21, Second Floor, SDA Market. Opp. IIT Gate	Vijay Kumar Sinha	Centre Opp. IIT Gate, Outer Ring Road	8700534689	2/26/2018	IIT Gate
42	M/S Baro- Bar A Unit of K2H2 Restro Bar	L1720184568	Restaurant	L17	Ground Floor 489/55/2 Ground Floor Maharishi Dayanmalviya Nagar	M/Sbar	Ground Floor 489/55/2 Ground Floor Maharishi Dayan Malviya Nagar	8860494946	2/28/2018	Malviya Nagar
43	Rang Mahal Restaurant & Bar	L1720184619	Restaurant	L17	489/55, 2nd Floor, Corner Market, Malviya Nagar	Rangbar	489/55, 2nd Floor, Corner Market, Malviya Nagar	9931075516	2/27/2018	Malviya Nagar

44	Suribachi Restt.	L172001069	Restaurant	L17	T-540/4 Malviya Nagar New Delhi-17	Mr. Arvind Ghei	T-540/4, Malviya Nagar	9910011044	2/24/2018	Malviya Nagar
45	Baris: A Unit of G-Line Gourmet P. Ltd	L1720174424	Restaurant	L17	Property No. 3, FF, Local Shopping Centre, EFGH Block, Masjid Moth, GK-2, New Delhi	Baris Ltd	Property No. 3, FF, Local Shopping Centre EFGH Block, Masjid Moth, GK-2, New Delhi	9811007962	2/26/2018	Masjid Moth
46	Main Land China Restt.	L172006079	Restaurant	L17	4 LSC Masjid Moth Greter Kailash-II New Delhi	Rajiv Goyal Rajiv Goyal	4 LSC Masjid Moth Greter Kailash - II New Delhi	9310149805	3/9/2018	Masjid Moth
47	ZAI	L1720142769	Restaurant	L17	03, G.F., Lsc, EFGH Block, Masjid Moth. G. K.II N.A.	Zaizap	Building No.3, G.F., LSC Masjid Moth, G.K.II	8447566324	2/28/2018	Masjid Moth
48	Chi. Restaurant	L172009191	Restaurant	L17	C-1, Community Centre,	Sh. Sohrab Sitaramsh, Sohrab	C-1, Community Centre,	9871178822	2/24/2018	Safdar Jung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Hungry Monkey A Unit of 3 Monkeys Restt. LLP	L1720142518	Restaurant	L17	B-6/6, Second and Third Floor Local Shopping Centre, Safdarjung Enclave	Hungry LLP	Safdarjung Development Area New Delhi	9811297937	2/19/2018	Safdar Jung
50	Hyper Local unit of Light Box Restaurants Pvt Ltd	L1720174391	Restaurant	L17	C-5, First Floor, Second Floor & Third Floor, Safdarjung Development Area, New Delhi	Hyperlocal Ltd	Safdarjung Development Area, New Delhi	9899955524	2/27/2018	Safdar Jung
51	RDX Restaurant	L172010305	Restaurant	L17	Shop No- 4, 810 A & B	Bharat Bhushan	Shop No-4, Block A &	9654970655	2/22/2018	Safdar Jung

52	The Piano Man Unif Innovative Cafes LLP	L1720153153 Restaurant	L17	Plot N0.22, GF, MF, FF, SF, B6 & B7	THEL- LPO	Plot No.22. GF, MF, FF, SF, B6 & B7	9210340370	2/23/2018	Safdar Jung
53	Publiq A Unit of KSK Hospitality	L172003205 Restaurant	117	50/8 Yusuf Sarai Market New Delhi	Kulbhushan Parashar Kulbhushan Parashar	50/8 Yusuf Sarai Market New Delhi	9310594000	2/27/2018	Yusuf Sarai

*Details of liquor vend functioning at Malviya Nagar Constituency:-*

Sl. No.	Vend Name & Address	Category of Licence
1	2	3
1.	Harish Chauhan, Sh. No. G-4, Triveni Commercial Complex, Sheikh Sarai, Ph-I, New Delhi.	L-7
2.	Jain Departmental Store, G-F-C-3, SDA Mt. Opp. HT, Gate, New Delhi.	L-7
3.	Singla Liquors Pvt. Ltd., Sh. No.-11, CSC, Panchsheel Park, RBI Colony, New Delhi-16	L-7
4.	Safdarjung Enclave-II, DDA Market, Safdarjung Enclave, New Delhi.	L-6
5.	Masjid Moth, Shop No.-4, CSC DDA Market, Ph-II, Masjid Moth, New Delhi.	L-6
6.	Malviya Nagar, Shop No.-19, Old Malviya Nagar, New Delhi-7	L-6
7.	Panchsheel Park, Shop Mo.-3, LSC, Panchsheel Park, New Delhi.	L-6
8.	Hauz Khas, E-52, Hauz Khas, Main Market, New Delhi.	L-6
9.	Sarvpriya Vihar, Shop No.-2, Sarvpriya Vihar, Market. Delhi.	L-6
10.	Hauz Khas, G-2/5, Hauz Khas, Market, Delhi	L-6
11.	Malviya Nagar, Shop No. 489/55/4, Maharishi Dayanand Marg, Corner Market, Malviya Nagar, New Delhi.	L-6

1	2	3
12.	Malviya Nagar, Shop No. C-2; Malviya Nagar, New Delhi-17.	L-6
13.	Safdarjung Enclave, A-B/E 21, Safdarjang Enclave, Mkt., (Near Kamal.Cinima), New Delhi.	L-6
14.	Evergood Pacaging Pvt. Ltd., Shop No.-1, B-6, Commercial Complex, Safdarjung Enclave, New Delhi.	L-12
15.	Virender Dutt & Company, Property No.-43, Community Center, Zamrudupur, Kailash Colony Extn. Delhi.	L-12
16.	Vimal Monga, Shop No. F-19 & 20, Select City Walk, Distt. Centre, Saket, New Delhi.	L-10
17.	Jyotsna Garments Pvt. Ltd., Shop No.-12-A, Ground Floor, Plot No.D-2, Southern Park, Distt. Centre, Saket, New Delhi.	L-10
18.	CALX Paper Pvt. Ltd., Shop No.-131, DLF, South Court, Saket, Delhi.	L-10
19.	Lakshit, Shop No.-33, GF, Rectangle-1, Distt. Centre, ABW Mall, Saket, New Delhi.	L-10
20.	Mukul Vinod Mehra, Shop No. DSC-123 & 124, DLF South Court Mall, Distt. Centre, Saket, New Delhi.	L-10
21.	Malviya Nagar, Safdarjung Development Area, New Delhi.	L-9

*Details of the Complaint in Malivaya Nagar Assembly Constituency*

Sl. No.	Received from	Details of the vend	Gist of the complaint	Action taken
1.	Sh. Somnath Bharti, MLA, Malviya Nagar through CM office	L-6 vend of M/s DTTDC situated at C-2, Malviya Nagar, Delhi	Representation of Malviya- Nagar Resident Association was received through Hon'ble MLA close/ shift the L-6 vend of M/ts DTTDC situated at C-2, Malviya Nagar, Delhi	Inspection team has been deputed in the matter and representation is being under examination.
2.	Sarva Priya Vihar Resident Welfare Association Delhi	L-6 vend of M/s DSIIDC situated at Shop No. 2 Sarva Priya Vihar Market Delhi	Proposal was received from M/s DSIIDC to shift the vend situated at Shop No. 2 Sarva Priya Vihar Market Delhi due to 'objection of RWA	Proposal for shifting) has been initiated
3.	Dr. Pankaj Bajaj,	L-7 vend of Jain Department Store situated at SDA Market, Opposite IIT gate, Delhi	the complaint was received regarding contravention of Rule 51 of Delhi Excise Rules 2010	Inspection has been carried out by this Department and found this vend in conformity of Rule 51 of Delhi Excise Rules, 2010

4. Sh. Somnath Bharti, MLA, Malviya Nagar  
 L-6 vend of M/s DTTDC situated at Shop No. 7, LSC at Safdarjung Enclave, B-6 Market, Delhi  
 Representation of Malviya Nagar Resident Association was received through Hon'ble MLA to close the L-6-vend of M/s DTTDC situated at Shop No. 7, LSC at Safdarjung Enclave, B-6 Market, Delhi  
 The complaint is under consideration in the department
-



vuyxud ¼k½

**Office of the Commissioner Excise, Entertainment and Luxury Tax  
Government of National Capital Territory of Delhi  
L & N Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110 002  
(IMFL Branch)**

No.L-6/EX/IMFL/2018-19

Dated: 6/6/18

To

Chief Manager (Liquor-HQ) DTTDC,  
Plot -14, Coffee Home Basement Office,  
Laxmi Nagar, District Centre Delhi -110092

Sub: Approval of shifting of closed L-6 vend- situated at Shop no. 48/3, Moolraj Building, Yusuf Sarai, New Delhi-110049 to Shop No. 7, LSC at Safdarjung Enclave, B-6, Market, New Delhi-110029

Sir,

Kindly refer to your letter No. IMFL/1474/01/2017-2018/DTTDC received in this Department on 13th April 2018 regarding request of shifting of closed L-6 vend situated at Shop no. 48/3, Moolraj Building, Yusuf Sarai, New Delhi-110049 to Shop No. 7, LSC at Safdarjung Enclave, B-6, Market, New Delhi -110029. In this regard, I am directed to convey approval for the shifting of closed L-6 vend situated at Shop no. 48/3, Moolraj Building, Yusuf Sarai, New Delhi-110049 to Shop No. 7, LSC at Safdarjung Enclave, B-6, Market, New Delhi -110029

Further, the M/s DTTDC is directed to ensure that the said premise fulfills all the requirements. Accordingly, the shifting of the remaining unsold stock of

liquor along with the relevant records may be done at the earliest and confirmation report to this effect may be submitted to the undersigned immediately after shifting.

Sd/-

Yours faithfully,

(J.P. Singh)

Asstt. Commissioner (IMFL)

Copy to:-

1. P.S. to Commissioner (Excise)
2. P.S. to Deputy Commissioner (Excise)
3. Assistant Commissioner (ESCIMS)
4. Assistant Commissioner (PERMIT)

vuyXud ¼½

**In the High Court of Delhi at New Delhi**

**Urgent**

No. 18336-W DHC/WRITS/D-6/2018

**Dasti**

Dated 18/07/18 Disposed of

From

The Registrar General  
Delhi High Court  
New Delhi

To

1. Commissioner of Police, Police Headquarter, ITO, New Delhi.
2. SHO, PS Safdarjung Encalve, New Delhi.
3. Manager (Liquor), Delhi Tourism and Transportation, Development Corporation Ltd.(DTTDC), 18-A, DDA SCO Complex, Defence Colony, New Delhi-110024.

**Writ Petition (C) No. 7303/2018 & CM NO. 27875/2018**

Krishan Kumar

...Petitioner/s

Vs.

Commissioner of Police & Qrs.

....Respondent/s

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith for information and immediate compliance/ necessary action a copy of order dated 17.07.2018 passed by Hon'ble

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 169

16 श्रावण, 1940 (शक)

Mr. Justice Vibhu Bakhrii of this Court in the above noted case alongwith a copy of memo of parties.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Assistant Registrar (Writs)  
for Registrar General

Dt: 18.07.2018

**IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI  
WRIT PETITION (CIVIL) NO.; 7303 OF 2018**

KRISHAN KUMAR

.....PETITIONER

VERSUS

COMMISSIONER OP POLICE & ORS.

.....RESPONDNETS

**MEMO OF PARTIES**

KRISHAN KUMAR  
C-6, GROUND FLOOR,  
PASCHIM MARG,  
VASANT VIHAR,

NEW DELHI-110005

.....PETITIONER

VERSUS

1. COMMISSIONER OF POLICE  
POLICE HEADQUARTER, ITO  
NEW DELHI

.....RESPONDENT NO.1

2. SHO  
PS SAFDARJUNG ENCLAVE,  
NEW DELHI  
RESPONDENT NO.2
3. MANAGER (LIQUOR)  
DELHI TOURISM AND TRANSPORTATION  
DEVELOPMENT CORPORATION LTD. (DTTDC)  
18-A, DDA SCO COMPLEX,  
DEFENCE COLONY,  
NEW DELHI-110024  
.....RESPONDENT NO.3

Through  
Rajeev Chhetri, Meenakshi Rawat  
& Rajesh Chhetri  
Chamber no.105, Block 3, New Lawyers Chamber  
Delhi High Court  
New Delhi-110003

Date: 12.7.2018

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 171

16 श्रावण, 1940 (शक)

**IN THE HIGH' COURT OF DELHI AT NEW DELHI**

W.P.(C) 7303/2018

KRISHAN KUMAR

.....Petitioner

Through: Ms Meenakshi Rawat and Mr Rajesh  
Chhetri, Advocates.

versus

COMMISSIONER OF POLICE AND OTHERS .....Respondents

Through Mr Anupam Srivastava, ASC for  
GNCTD for R-2 with SI Dharmendra  
Mr Vikrant Yadav, Advocate for R-3.

**CORAM:**

**HON'BLE MR. JUSTICE VIBHU BAKHRU**

**O R D E R**

**17.07.2018**

**CM No.27876/2018**

1. Allowed, subject to all just exceptions.

**W.P.(C) 7303/2018 & CM No.27875/2018**

2. The petitioner has tiled the present petition, inter alia, praying as under:-

- a. Pass a writ of mandamus directing the respondent no.1 to provide access to the liquor vend situated at SHOP No.7, LSC AT SAFDARJUNG ENCLAVE, B-6 MARKET NEW DELHI.
- b. Direct the respondent no.2 to provide the security to the shop SHOP NO.7., LSC AT SAFDARJUNG ENCLAVE, B-6 MARKET NEW

DELHI, to prevent possible damage to the shop owners and the customers.

c. Direct the police not to allow any protest immediately outside the petitioner shop and any such protest should be held at least outside the 50 meter radius.”

3. The petitioner's - grievance is that certain protestors are obstructing access to shop no.7 located, in the Local Shopping Centre (LSC) at Safdurjung Enclave, B-6 Market, New Delhi.

4. The learned counsel appearing for the respondents states that the respondents shall consider the averments made in the present petition and ensure that no unlawful restriction is caused with regard to the access to the shop in question.

5. In view of the aforesaid statement, no further orders are required to be passed in this petition. The same is disposed of. The pending application also stands disposed of.

6. Order dasti.

Sd/-  
VIBHU BAKHRU. J

JULY 17, 2018

MK

**36- Jh l attho >k % क्या ekuuh; mi eq; ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने बिना 'शब्दार्थ' के चेयरमैन की अनुमति के एक कार्यालय आदेश जारी कर अपने कर्मचारियों को 'शब्दार्थ' में पदापित कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन कर्मचारियों को सूचना एवं प्रचार निदेशालय में सहायक सूचना अधिकारी के तौर पर पदापित किया गया है उन्हें बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए मीडिया मैनेजर के तौर पर भी पदापित किया गया है;

(ग) किस नियम के तहत सूचना एवं प्रचार निदेशालय के कर्मचारियों को 'शब्दार्थ' में दोहरी पोस्टिंग दी गई है;

(घ) क्या इन कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त वेतन दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो किसकी अनुमति से एवं कितना?

**ekuuh; mi eq; ea-h %**(क) सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने मीडिया मैनेजर के तौर पर अपने दो कर्मचारियों को निम्न कार्यालय आदेश के तहत तिरिक्त कार्यभार दिया जो कि शब्दार्थ के चेयरमैन के संज्ञान में है।

No. F4(1)/15-16/DIP/Estt./Pt.File-1/1456-62 दिनांक 07.08.2015

No. F4(1)/15-16/DIP/Estt./Pt.File-1/1069-74 दिनांक 22.09.2015



इसके अतिरिक्त शब्दार्थ में पर्याप्त स्टाफ के अभाव में विलंबित कार्यों के शीघ्रताशीघ्र निष्पादन हेतु निम्न आदेशों के तहत आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्यभार में फेर बदल भी की गई है।

F.No. 29(1)DIP/Estt./2012/3250/3253 Dated 06.09.2017

F.No. 29(1)DIP/Estt./2012/3457-60 Dated 19.09.2017

No. F.1(12)/Estt./DIP/2013/10973-76 Dated 29.06.2018

**निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त कार्यालय आदेशानुसार।

(घ) जी नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 175

16 श्रावण, 1940 (शक)

**vuyXud&I**

**DIRECTORATE OF INFORMATION & PUBLICITY  
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI  
BLOCK NO. 9, OLD SECTT, DELHI - 10054**

No.F.4(1)/15-16/DIP/Estt./Pt.File-1/

Dated:

**OFFICE ORDER**

Sh. Amit Kumar, Information Officer (CDC) is hereby designated as Media Manager, Shabdarth, an advertisement Agency of Govt, of NCT to Delhi in addition to his own duties till further orders.

This issues with the approval of Secretary (PR)/DIP.

Sd/-  
**(ASHOK KUMAR)**  
DY. DIRECTOR. (ADMN.)

No.F.4(1)/15-16/DIP/Estt./Pt.File-1/1456-62

Dated: 07/08/2015

Copy to:

1. Chairperson, Shabdarth.
2. Vice Chairperson, Shabdarth.
3. Secretary (PR)/DIP.
4. CEO, Shabdarth.
5. DDO,DIP.
6. AAO, DIP.
7. Official Concerned.

Sd/-  
**(ASHOK KUMAR)**  
DY.DIRECTOR (ADMN.)

**vuyλud&II**

**DIRECTORATE OF INFORMAITON & PUBLICITY  
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI  
BLOCK NO.-IX, OLD SECRETARIAT, DELHI - 10054**

No.F4(1)/15-16/DIP.Esst./Pt:file-I/

Dated:

**OFFICE ORDER**

Sh. Chandan Kumar, Information Officer (CDC) is hereby designated as Media Manager-IE Shabdarth. an advertisement Agency of Govt. of NCT of Delhi in addition to his own duties till further orders.

This issues with the approval of Secretary (PR)/DIP.

Sd/-

(Ashok Kumar)

Dy. Director (Admn.)

Dated: 22/9/15

No.F.4(1)/15-16/DIP.Esst./Pt.File-1/1069-74

Copy to:

1. Chairperson, Shabdarth.
2. Vice Chairperson. Shabdarth.
3. Secretary (PR)/DIP.
4. CEO, Shabdarth.
5. DDC, DIP.
6. AAO, DIP.
7. Official Concerned.

Sd/-

(Ashok Kumar)

Dy. Director (Admn.)

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 177

16 श्रावण, 1940 (शक)

**vuyxud&III**

**DIRECTOATE OF INFORMATION & PUBLICITY  
GOVT. OF NCT OF DELHI  
BLOCK-IX, OLD SECRETARIAT, DELHI-54**

F.No.29(1)DIP/Estt/2012/3250-3253

Dated: 06/09/2017

**ORDER**

Sh. Kaanchan Azad, I.O. will also look after the work of Media Manager, Shabdarth in addition to his own duties till further orders.

This issues with the prior approval of Secy(PR)/DIP.

Sd/-  
(Nalin Chauhan)  
Dy. Director (Admn.)

Copy to:

1. PS to Secy(PR)/DIP.
2. PA to Special Director(DIP).
3. Official Concerned.
4. Guard file.

**vuyxud&IV**

**DIRECTOATE OF INFORMATION & PUBLICITY  
GOVT. OF NCT OF DELHI  
BLOCK-IX, OLD SECRETARIAT, DELHI-54**

F.No.29(1)DIP/Estt/2012/3457-60

Dated:19/09/2017

**OFFICE ORDER**

In partial modification of the earlier office order issued vide F.No.29(1)DIP/Estt/2012/3250-3253 dt. 06.09.17, Sh. Kaanchan Azad, I.O. will look after the work of Media Head, Shabdarth in ac dition to his own julies till further orders.

This issues with the prior approval of Secy(PR)/DIP.

Sd/-  
(RAJEEV KUMAR)  
ADMN. OFFICER

Copy to:

1. PS to Secy(PR)/DIP.
2. PA to Special Director(DIP)/CEO Shabdarth.
3. Official Concerned.
4. Guard file.

vuyxud&v

**DIRECTORATE OF INFORMATION & PUBLICITY  
GOVT. OF NCT OF DELHI  
BLOCK NO-9, OLD SECTT., DELHI.**

No.F.1(12)/EsU./DIP/2013/10973-76

Dated: 29/06/2018

**OFFICE ORDER**

In supersession of previous orders, the following work allocation is made amongst the D.D/I.O./AIO/FPO/Artist & Consultant with immediate effect.

Sl. No.	Name of officers	Work allocated	Link Officer
1	2	3	4
1.	Sh. Nalin Chauhan, Dy. Director	a. Print Ads, Electronic Media (Radio and TV), Research & Reference, Publication and Photo. Misc. Matters b. Publicity Work of Hon'ble Minister of Socil Welfare, SC/ST Welfare	Sh. Kanchan Azad, Information Officer
2.	Sh. Kaanchan Azad, Information Officer	a. Outdoor, Press and Hospitality. b. Publicity Work of Hon'ble Speaker and Dy. Speaker, Delhi Vidhan Sabha.	Sh. Nalin Chauhan, Dy. Director
3.	Sh. Chandan Kumar, Asstt.	a. Outdoor, b. Publicity Work of Hon'ble	Sh. Amit Kumar, Asstt.

1	2	3	4
	information	Minister of Labour and Development Officer	Information Officer
		c. Media Manager (Classified ads) Shabdarth	
4.	Sh. Amit Kumar, Asstt. Information Officer	a. Electronic Media (Radio and TV). b. Publicity work of Hon'ble Minister Health and PWD, c. Misc. Matters d. Media Manager (Display) Shabdarth	Sh. Chandan Kumar, Asstt. Information Officer
5.	Sh. Manish Kumar, FPO	a. Print Ads, IVRS. b. Publicity Work of Hon'ble Minister of Food Supplies and Environment c. Media Manager (Electronic Media) Shabdarth	Sh. Govind Ram, AIO
6.	Mrs. Urmila Beniwal, AIO	a. Research & Reference, Publication & Dilli Masik	Smi. Praveen Mishra, Artist
7.	Sh. Govind Ram, AIO	a. Press and Hospitality. b. Publicity Work of Hon'ble Minister Law, Administrative Reforms and Revenue	Sh. Manish Kumar, FPO

1	2	3	4
8.	Smt. Praveen Mishra, Artist	Outdoor, Photo	Mrs. Urmila Beniwal, AIO
9.	Sh. Vinod Kumar Gupta, Information Officer	Lt. Governor Secretariat	
10.	Sh. M. C. Maurya, Consultant	Hon'ble C.M. Hon'ble Dy. CM.	

Officers/Officials at Sl. No. 4, 5, 6, 8 will report to Sh. Nalin Chauhan. Dy. Director and officer at Sl. No. 3 & 7 will report to Sh. Kaanchan Azad, Information Officer.

This issues with the approval of Secretary (PR)DIP.

Sd/-  
(Vinay Kumar Mongia)  
ADMN. OFFICER, H.O.O.

No.F.I(12)/Estt./DIP/2013/10973-76

Dated: 29/06/2018

Copy to:-

1. PA to Secretary (PR)/DIP.
2. PA to Spl. Director/ DIP.
3. Officers/Officials concerned.
4. Guard File.

Sd/-  
(Vinay Kumar Mongia)  
ADMN. OFFICER/ H.O.O.



**37- Jh JhnÜk 'kekZ % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पिछले 4 वर्षों में पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा घोंडा विधान सभा के वार्ड संख्या-44ई, 45ई, 46ई व 47ई में जो सम्पत्तियां बुक की गई हैं, उनका विवरण क्या है;

(ख) इनमें से कितनी सम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(ग) सम्पत्ति के मालिक के नाम व पते सहित पूर्ण विवरण दिया जाए?

**'kgjh fodkl ea-h % (क) iwhZ fnYyh uxj fuxe%** पिछले चार वर्षों में घोंडा विधानसभा के वार्ड संख्या 44ई, 45ई, 46ई, 47ई में अवैध निर्माणों के विरुद्ध की गई बुकिंग कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न किया जा रहा है।

(ख) **iwhZ fnYyh uxj fuxe%** इनमें से की गई कार्यवाही का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	सम्पत्ति
2014	61
2015	63
2016	73
2017	79

(ग) **iwhZ fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्त 'क' के अनुसार।

*Details of Unauthorized Construction Boo..... No. 44E during the period 01/01/2014 to 31/12/2017 in (BLDG.) Div-I, Shahdara (North) Zone*

Sl. No.	File No. with date	Name of Owner/ Occupier	Property No. & Address	Extent of Unauthorized Construction	Ward No.	New Ward No.
1	13/B-I/UC/SH-N/2014 dated 20/01/2014	Sh. V.P. Bhatnagar.	B-85, Gali No. 6, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of Stilt floor, G.F., F.F., S.F. & T.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
2	14/B-I/UC/SH-N/2014 dated 20/01/2014	Sh. Sonu.	B-311, Gali No. 14, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of Stilt floor, G.F., F.F., S.F. & T.F. with both side projection on Mpl. Land.	253	44E
3	15/6-I/UC/SH-N/2014 dated 20/01/2014	Sh. Bala Ram.	Adjoint Prop. No. A-1240, Main Service Road, 4.5 Pusta, South Gamri, Delhi.	U/C in the shape of G.F. & F.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
4	16/B-I/UC/SH-N/2014 dated 20/01/2014	Sh. Om Prakash.	A-312/11, Gali No. 4, South Gamri, Delhi.	U/C in the shape of G.F. & F.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
5	17/B-I/UC/SH-N/2014 dated 20/01/2014	Sh. Kalu Chaudhary.	A-1241, Main Service Road, Som Bazaar, 4.5 Pusta, South Gamri, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F. & S.F. with projection on Mpl. Land.	253	44 E

1	2	3	4	5	6	7
6	69/3-I/UC/SH-N/2014 dated 27/02/2014	Sh. Brijesh.	D-399, Gali No. 9, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of Stilt, G.F., F.F., S.F. with two side projection on Mpl. Land.	253	44E
7	71/B-I/UC/SH-N/2014 dated 27/02/2014	Sh. Ganga Singh.	A-100/3, Gali No. 11, South Gamri, Delhi.	U/C In the shape of two room, kitchen, hall, w/c both with projection on Mpl. Land at F.F. & S.F.	253	44E
8	73/8-I/UC/SH-N/2014 dated 27/02/2014	Sh. Sanjeev Sharma	D-31S, Gali No. 8-B, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F., T.F. and Fourth floor with projection on Mpl. Land.	253	44E
9	91/B-I/UC/SH-N/2014 dated 31/03/2014	Sh. Laxman Singh.	C-44/42,Gsli No. 7, Gamri Ext.n., Sudamapuri Chowk, Usmanpur, Delhi.	U/C In the shape of a shop at Ground floor and a hall at First floor with projection.	253	44E
10	131/B-I/UC/SH-N/ 2014 dated 22/05/2014	Sh. B.P Singh	A-80, Gali No. 9, Bhajanpura, Delhi. (S.D. Public School).	U/C in the shape of rooms at Second floor with projection on Mpl. Land.	253	44E
11	132/B-I/UC/SH-N/ 2014 dated 22/05/2014	Sh. B.P. Singh	S.D. Public Model School, B-Block, Gali No. 16, Bhajanpura, Delhi.	U/C In the shape of a big hall at Second floor with projection on Mpl. Land.	253	44E

12	160/B-I/UC/SH-N/ 2014 dated 11/07/2014	Sh. Jai Chand Sharma	H.No. D-638, Gali No. 7-C, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of entire G.F, F.F, S.F, T.F & Fourth Floor & MPL	253	44E
13	226/B-I/UC/SH-N/2014 dated 17/12/2014	Sh. Kirpal Singh	4-A, B-Block, Gali No. 2, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F., T.F.	253	44E
14	42/B-I/UC/SH-N/2015 dated 04/03/2015	Owner/Builder	D-619, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of big hall, stair case at G.F., F.F., S.F. entirely.	253	44E
15	44/B-I/UC/SH-N/2015 dated 04/03/2015	Owner/Builder	B-395, Gall No. 18, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of rooms, L/B, kitchen, stair case at G.F., F.F., S.F., T.F. entirely.	253	44E
16	66/B-I/UC/SH-N/2015 dated 07/05/2015	Mohd. Ahmad	Prop. No. 19/5-A (Part), Gali No. 2, Gamri, Vth Pusta, Delhi. Remark's - As per order AE(B)-I/SH- N/2017/D-33 dated 14.02.17 the correct property no. 19/4, Gali No. 2, Kh. No. 207, Village Ghonda, Gujran Khadar, Gamri Extn., Shahdara, Delhi.	U/C at G.F., F.F., S.F., T.F. with projection at Mpl. Land.	253	44E

1	2	3	4	5	6	7
17	67/B-I/UC/SH-N/2015 dated 07/05/2015	Chaudhary	D-376, Gali No. 16, Bhajanpura, Delhi.	U/C at G.F., F.F., S.F., T.F. projection on Mpl. Land.	253	44E
18	68/B-I/UC/SH-N/2015 dated 07/05/2015	Sh. Pawan Bhardwaj	B-104, Gali No. 6, Bhajanpura, Delhi.	U/C at G.F., F.F. with projection at Mpl. Land.	253	44E
19	89/B-I/UC/SH-N/2015 dated 11/05/2015	Vivek	D-214, Gali No. 6, Bhajanpura, Delhi.	U/C at G.F., F.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
20	90/B-I/UC/SH-N/2015 dated 11/05/2015	Jagdish Mishra	D-303, Gali No. 7-E, Bhajanpura, Delhi.	U/C at G.F., F.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
21	120/B-I/UC/SH-N/2015 dated 09/06/2015	Sh. Bhachu Lal Jain	D-651, Gali No. 17, Bhajanpura, Delhi.	U/C at G.F., F.F. & S.F. projection on Mpl. Land.	253	44E
22	121/B-I/UC/SH-N/2015 dated 09/06/2015	Sh. Bhachu Lal Jain	D-650, Gali No. 18, Bhajanpura, Delhi.	U/C at G.F. for raising of wall and column.	253	44E
23	146/B-I/UC/SH-N/2015 dated 26/06/2015	Shripal & Ors.	D-1046, (Old No. 391), KH. No. 564, Gali No. 23, Main Gamri Road, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of wall with three column and fixing of old shutter at G.F.	253	44E
24	189/B-I/UC/SH-N/2015 dated 22/07/2015	Sh. Deepak verma & Sh. Gaurav Verma	D-631, Gali No. 16/17, Bhajanpura, Delhi.	U/C in D-631 at G.F., F.F., S.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E

25	192/3-I/UC/SH-N/2015 dated 27/07/2015	Sant Sharma	In front of Allahabad. Bank, Gall No. 22, Bhajanpura, Delhi.	U/C at G.F. & F.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
26	200/B-I/UC/SH-N/2015 dated 12/08/2015	Sh. Raj Singh	C-1, Gamri Extn., Delhi.	U/C at G.F., F.F., S.F., T.F. in the shape of hall, stair case and projection on Mpl. Land.	253	44E
27	202/B-I/UC/SH-N/2015 dated 27/08/2015	Sm. Shanti Devi	A-32/4, Som Bazaar, Service Road, Vth Pusta, Gamri Extn., Delhi.	U/C of Basement, G.F., F.F., S.F., T.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
28	203/B-I/UC/SH-N/2015 dated 27/08/2015	Sh. Anil	B-3/3, Gali No. 1, Bhajanpura, Delhi.	U/C of G.F., F.F., S.F., T.F., Fourth floor with projection on Mpl. Land.	253	44E
29	204/B-I/UC/SH-N/2015 dated 27/08/2015	Sh. Surender Singh & Sh. Narender Singh	A-3/28, KH. No. 290, Bhajanpura, Delhi.	U/C and deviation against sanctioned building plan No. 02/B/SH-N/2015/D-13 dated 22/01/2015.	253	44E
30	210/B-I/UC/SH-N/2015 dated 08/09/2015	Sh. Waryam Singh	A-7/5&, Bhajanpura, Delhi.	U/C at G.F. raising of wall of F.F.	253	44E
31	230/B-I/UC/5H-N/2015 dated 17/09/2015	Sh. Pardeep Chaudhary	Near A-15, Gali No. 1, 5th Pusta, Punjabi Colony, Opposite Gurudwara, Gamri Extn., Delhi	U/C at F.F. & S.F. (G.F. old St commerial occupied)	253	44E

1	2	3	4	5	6	7
31	230/B-I/UC/SH-N/2015 dated 17/09/2015	Sh. Yogesh Narang	D-3/37, Gamari Extn, Delhi	U/C at G.F. & F.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
33	232/B-I/UC/SH-N/2015 dated 17/09/2015	Sh. Gopal Shajma	B-356, Gali No. 15 & 16, Main Mkt. Bhajanpura, Delhi	U/C at G.F., F.F., S.F., T.F. & Fourth Floor with projection on Mpl. Land.	253	44E
34	247/B-I/UC/SH-N/2015 dated 29/09/2015	Sh. Sholey S/o Sh. Bhag Singh	Kapil Marriage Home, C-Slock, Main Gamri Road, Delhi	U/C at G.F. & F.F.- with projection on Mpl. Land.	253	44E
35	254/B-I/UC/SH-N/2015 dated 05/10/2015	Sh. Surest!	C-52/40, Gali No. 6, Gamari Extn., Delhi	U/C at G.F. & F.F. (Commercial shop) with projection on Mpl. Land.	253	44E
36	255/B-I/UC/SH-N/2015 dated 05/10/2015	Sh. Suresh Aggarwal Basteywala	A-317, Gali No. 5, Near Adura Mandir, South Gamri, Delhi	U/C at G.F., F.F., S.F. raising of wall T.F.	253	44E
37	256/B-I/UC/SH-N/2015 dated 05/10/2015	Sh. Pawan Bharadwaj	B-104, Gali No. 6, Bhajanpura, Delhi.	In continuation of booking No. 68/UC/B-I/SH-N/2015 dated 07/05/2015 the U/C of S.F., T.F. and Fourth Floor with projection on Mpl. Land.	253	44E
38	257/B-I/UC/SH-N/2015 dated 05/10/2015	Sh. Vijay Sharma	B-267 (part), Gali No. 2, Bhajanpura, Delhi	U/C at G.F., F.F. & raising of wall & coloum for S.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E

39	258/B-1/UC/SH-N/2015 dated 05/10/2015	Sh. Manoj Jain	B-36 (part), Gali No. 3, Bhajanpura, Delhi	U/C at G.F., F.F., S.F., T.F. & Fourth Floor with projection on Mpl. Land.	253	44E
40	259/B-1/UC/SH-N/2015 dated 05/10/2015	Sh. Anuj	8-83 (part), Gali No. 6, Bhajanpura, Delhi.	U/C at G.F. & F.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
41	260/B-1/UC/SH-N/2015 dated 05/10/2015	Sh. Sudama Ram	B-397, Gali No. 18 & 19, Bhajanpura, Delhi.	U/C at G.F., F.F., S.F., T.F. & Fourth Floor with projection on Mpl. Land.	253	44E
42	261/B-1/UC/SH-N/2015 dated 05/10/2015	Sh. B.M. Gupta	A-28/1, Gamri EXtn., Delhi	U/C at G.F. & First Floor with projection on Mpl. Land.	253	44E
43	262/B-1/UC/SH-N/2015 dated 05/10/2015	Dr. Bansal	C-4/17(part), Gali No. 6, Sudampuri, Gamari, Delhi	U/C at G.F., F.F. & S.F. entirely, projection on Mpl. Land.	253	44E
44	278/B-1/UC/SH-N/2015 dated 09/10/2015	Sh. Anant Pandey	A-320/3, Gali No. 6, South Gamri, Delhi.	U/C at G.F. with projection on mpl. Land.	253	44E
45	279/B-1/UC/SH-N/2015 dated 09/10/2015	Sh. Rakesh Pandey	A-320/3-B (Part), Gali No. 6, South Gamri, Delhi.	U/C at G.F. with projection on mpl. Land.	253	44E
46	305/B-1/UC/SH-N/2015 dated 06/11/2015	Sh. Gopal Sharma	B-356, Gali No. 15 & 16, Bhajanpura, Delhi.	In continuation of previous No. 232/B-1/UC/SH-N/2015 dated 17/09/2015 at Basement floor.	253	44E



1	2	3	4	5	6	7
47	310/B-I/UC/SH-N/2015 dated 10/12/2015	Sh. Alam Singh	D-71, Gali No. 1, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F. with projection.	253	44E
48	311/B-I/UC/SH-N/2015 dated 10/12/2015	Ch. Devinder	D-100, Gali No. 3, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of F.F., S.F. with projection (G.F. old & occupied).	253	44E
49	312/B-I/UC/SH-N/2015 dated 10/12/2015	Sh. Som & Bachhu	68 (Part), Gali No. 2, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F. with projection.	253	44E
50	313/B-I/UC/SH-N/2015 dated 10/12/2015	Sh. D.C. Sharma	D-739, Gali No. 19-B, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F., T.F. and Fourth Floor with projection.	253	44E
51	314/B-I/UC/SH-N/2015 dated 10/12/2015	Sh. Sanjay	C-7/2 (Part), Gali No. 4, Gamri, Delhi.	U/C In the shape of G.F. with projection.	253	44E
52	315/B-I/UC/SH-N/2015 dated 10/12/2015	Sh. Raj Kumar	301, Gali No. 13, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F. with projection on both side.	253	44E
53	316/B-I/UC/SH-N/2015 dated 10/12/2015	Sh. Kalu Singh	610/9, Gali No. 10, Bhajanpura, Delhi.	U/C In the shape of F.F., S.F., T.F. with projection and mummy. (G.F. old and occupied).	253	44E
54	28/B-I/UC/SH-N/2016 dated 21/01/2016	Sh. Vipin	C-1/10, Sudamapuri, Delhi.	U/C in the shape of S.F. (G.F. & F.F. old and occupied).	253	44E

55	33/B-I/UC/SH-N/2016 dated 21/01/2015	Sh. Raj Kumar Gupta	D-501, Near Sanatan Dharm Mandir, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of 6.F., F.F. with projection on Govt. Land.	253	44E
56	55/B-I/UC/SH-N/2016 dated 23/02/2016	Sh. Dharampal Singh	Gyan Sarover Sec. Bal Vidhyalaya, Bhajanpura, Gamri Extn., 4th Pusta, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F. Hall with projection. . (Pusta Side).	253	44E
57	56/B-I/UC/SH-N/2016 dated 23/02/2016	Sh. Ch. Yadram	A-5, KH. No. 207 (Part), In front of Gyan Sarover Bal Vidhyalaya, Gamri Extn., Delhi.	U/C in the shape of FF. and brick work at roof of F.F. about 8'0". (G.F. old and occupied).	253	44E
58	116/B-I/UC/SH-N/2016 dated 07/04/2016	Sh. Anil	B-96/2, Gali No. 5, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F. with projection and raising brick work at roof of G.F.	253	44E
59	117/B-I/UC/SH-N/2016 dated 12/04/2016	Owner/Builder	D-107 (Part), Gali No. 4, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F., T.F., Fourth floor with projection.	253	44E
60	118/B-I/UC/SH-N/2016 dated 12/04/2016	Sh. Jamshed Ali	A-100, Gall No. 21, Sam Bazaar, Gamri Extn., Delhi.	U/C In the shape of G.F., F.F. with projection.	253	44E
61	119/B-I/UC/SH-N/2016 dated 12/04/2016	Sh. Puneet	A-320, Gali No. 21, Gamri Extn., Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F., T.F. with projection.	253	44E

1	2	3	4	5	6	7
62	126/B-I/UC/SH-N/2016 dated 26/04/2016	Sh. Babu UI	D-878, Gali No. 2, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F. with projection.	253	44E
63	127/B-I/UC/SH-N/2016 dated 26/04/2016	Sh. J.P. Pawar	A-1/19, Gali No. 1, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of F.F., S.F., T.F. (G.F. old and occupied).	253	44E
64	128/B-I/UC/SH-N/2016 dated 26/04/2016	Sh. Mangat Ram	C-85, Sudamapuri, Gamri Road Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of one hall G.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
65	169/B-I/UC/SH-N/2016 dated 23/05/2016	Smt. Ramwati and Sh. Maheepal	A-321, Gali No. 6, South Gamri, Delhi.	U/C in the shape of F.F., S.F., T.F. (G.F. old and occupied) with projection.	253	44E
66	174/B-I/UC/SH-N/2016 dated 02/06/2016	Sh. Jagdish Parshad	B-S8/A, Gali No. 5, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F. with projection.	253	44E
67	175/B-I/UC/SH-N/2016 dated 02/06/2016	Owner/Builder	A-200/C, Gali No. 9, Gamri, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F. with projection.	253	44E
68	184/B-I/UC/SH-N/2016 dated 04/07/2016	Owner/Builder	A-4/8, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F. with projection:	253	44E
69	185/B-I/UC/SH-N/2016 dated 04/07/2016	Owner/Builder	A-5-A, Gamri Extn., Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F. with projection.	253	44E
70	186/B-I/UC/SH-N/2016	Owner/Builder	A-5/10, Bhajanpura,	U/C in the shape of T.F.	253	44E

	dated 04/07/2016	Delhi.	(G.F., F.F., S.F. old and occupied),		
71	187/B-I/UC/SH-N/2016 dated 04/07/2016	Owner/Builder A-5/13, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of S.F., T.F. (G.F., F.F. old and occupied) with projection.	253	44E
72	188/B-I/UC/SH-N/2016 dated 04/07/2016	Sh. Sagar D-272, Gali No. 17, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of F.F., S.F. with projection. (G.F. old and occupied).	253	44E
73	189/B-I/UC/SH-N/2016 dated 04/07/2015	Owner D-301, Gali No. 7, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of T.F. with projection.	253	44E
74	190/B-I/UC/SH-N/2016 dated 04/07/2016	Owner D-431, (Adjacent D-432), Gali No. 9, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F. with projection.	253	44E
75	226/B-I/UC/SH-N/2016 dated 12/09/2016	Sh. Ravikant B-42, Gamri Vistar, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F. with projection on Road.	253	44E
76	227/B-I/UC/SH-N/2016 dated 12/09/2016	Owner/Builder A-306  Gali No. 8, Gamri Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F. and brick work on roof of F.F. with projection.	253	44E
77	223/8-I/UC/SH-N/2016 dated 12/09/2016	Sh. Hari Sharma B-166 (Part), Gali No. 10, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F. and raising brick work at roof of G.F.	253	44E

1	2	3	4	5	6	7
78	316/B-I/UC/SH-N/2G16 dated 03/11/2016	Sh. Raju Kumar and Sh. Girish Kumar	C-5 (Part), Gamri Extn., Gamri, Main Road 5th Pusta, Delhi.	U/C of entire building in shape raising of brick wall and RCC column up to roof slab level.	253	44E
79	317/B-I/UC/SH-N/2016 dated 03/11/2016	Sh. Amit Aggarwal	B-5/2, Gali No. 3/ (In front of B-12), Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of First floor and Second floor. (G.F. old and occupied).	253	44E
80	318/B-I/UC/SH-N/2016 dated 03/11/2016	Sh. Gurmail Singh	B-328, Gali No. 14, Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of Ground floor, First floor and brick wall raised on roof First floor.	253	44E
81	319/B-I/UC/SH-N/2016 dated 03/11/2016	Sh. Deepak	B-5, Shop No. 31, (Adjacent to B-5/C, Gali No. 2), Main Market Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of G.F., F.F., S.F., T.F.	253	44E
82	320/B-I/UC/SH-N/2016 dated 03/11/2016	Sh. Satish Bedi	D-668, Gali No. 18, Bedi Wali Gali, Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of Extn. Of projection of Second floor and entire Third floor and one room at Fourth floor adjacent to Mumty. (G.F., F.F. S.F. old and occupied).	253	44E

83	523/B-I/UC/SH-N/2016 dated 07/11/2016	Sh. Amit	B-397 (Part), Gali No. 20, Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of Ground floor and First floor.	253	44E
84	524/B-I/UC/SH-N/2016 dated 07/11/2016	Sh. Sata Nand	B-252 (Part), Gali No. 11, (In front of B-251), Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of G.F., F.F., S.F.	253	44E
85	325/B-I/UC/5H-N/2016 dated 07/11/2016	Owner/Builder	B-303, Gali No. 14, (Adjacent to B-304, Thakur Nilwas), Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of G.F., F.F., S.F., T.F. and Fourth floor.	253	44E
86	326/B-I/UC/SH-N/2016 dated 07/11/2016	Sh. Sanjay	In front of D-785, Gali No. 20, Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire Ground floor in shape of 05 sets of one room and one kitchen.	253	44E
87	327/B-I/UC/SH-N/2016 dated 07/11/2016	Sh.-Gurjesh Kumar	D-348-A, (Part), Gali No. 8-D, (Opposite D-349/1), Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of G.F., F.F., S.F., Third floor.	253	44E
88	328/B-I/UC/SH-N/2016 dated 07/11/2016	Sh.S.K. Sharma	D-170 (Part), Gali No. 8-C, (Adjoining to D-170-B), Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of G.F., F.F.	253	44E

1	2	3	4	5	6	7
89	367/B-I/UC/SH-N/2016 dated 17/11/2016	Sh. Pappu	L-220/15 (Part), Gali No. 5, Gautam Vihar, Delhi.	U/C in the shape of G.F. & F.F. with projection.	253	44E
90	396/B-I/UC/SH-N/2016 dated 30/11/2016	Smt. Manjeet Kaur	A-97, Gali No. 9, Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of G.F., F.F., S.F. and wall raised entrance of S.F.	253	44E
91	397/B-I/UC/SH-N/2016 dated 30/11/2016	Smt. Sumita	A-24/B, Gali No. 2, Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire T.F. (G.F., F.F., S.F. old and occupied).	253	44E
92	398/3-I/UC/SH-N/2016 dated 30/11/2016	Sh. Vikash	A-24/C (Part), Gali No. 2, Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of G.F., F.F., S.F., T.F. and wall raised upto Fourth floor (Shuttering).	253	44E
93	432/B-I/UC/SH-N/2016 dated 06/12/2016	Sh. Ved Parkash	A-1/9, Main Wazirabad Road, (Above P.N.B. ATM), Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire Third floor. (G.F., F.F. having Mezzanine floor, S.F. old and occupied).	253	44E
94	435/B-I/UC/SH-N/2016 dated 08/12/2016	Sh. Sushil Bedi	D-379, Gali No. 9-A, VIP Gali, Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of G.F., F.F., S.F.	253	44E
95	436/B-I/UC/SH-N/2016	Sh. Ganesh	D-503 (Part), Sail	U/C of entire building in shape	253	44E

dated 08/12/2016	No. 13, Bhajanpura, Delhi.	of G.F., F.F.			
96	437/B-I/UC/SH-N/2016 dated 08/12/2016	Sh. Arun	D-650 (Part), Gali No. 17, (Opposite D-615-D), Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of G.F., F.F.	253 44E
97	39/B-I/UC/SH-N/2017 dated 31/01/2017	M/s Indus Tower Limited	KH. No. 238/3, Village Garhi Mandu, Bhajanpura, Delhi.	U/E of erection of mobile tower without permission. (Indus Mobile Tower).	253 44E
98	40/B-I/UC/SH-N/2017 dated 31/01/2017	M/s Indus Tower Limited	A-3/18, KH. No. 290/2, Village Ghonda, Gujran Khadar, D-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/E of erection of mobile tower without permission. (Indus Mobile Tower).	253 44E
99	46/3-I/UC/SH-N/2017 dated 02/02/2017	Sh. Amit Aswall	B-396 (B-397), B-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C In the shape of entire G.F., F.F., S.F. with projection.	253 44E
100	47/B-I/UC/SH-N/2017 dated 02/02/2017	Sh. Under Singh	A-16, A-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C at entire S.F. (G.F., F.F. old and occupied) with projection.	253 44E
101	55/B-I/UC/SH-N/2017 dated 23/02/2017	Sh. Suresh Chand S/o Ramjil Lai	Prop. No. 38, Gali No. 5, Punjabi Colony, Pargati Vihar, Gamri, Delhi-53.	U/C at property of G F., F.F., S.F., T.F. (Partly) in the shape of room, kitchen, toilet, mummy and protection on land.	253 44E



1	2	3	4	5	6	7
102	S6/B-I/UC/SH-N/2017 dated 23/02/2017	Sh. Arun Kumar/Sh. Kamlesh Pandit/Sh. Chandrakant Singh	Prop. No. 38 (Part), Gali No. 5, Punjabi Colony, Pragati Vihar, Gamri, Delhi-53.	U/C at part of property of G.F., F.F., S.F., T.F. & Fourth floor in the shape of rooms, kitchen, toilet, mummy and projection on land.	253	44E
103	87/B-I/UC/SH-M/2017 dated 07/04/2017	Bhole Choudhary S/o Late Sh. Bhagnal	Prop. No. 5/7, Opp. Sachin Building Material Shop, Main Gamri Road, Gamri Extn.. Near 5th Pusta, Delhi.	U/C in the shape of six shops with parking at G.F. and projection on Land.	253	44E
104	96/6-I/UC/SH-N/2017 dated 01/05/2017	Brahm Dayal Singh	B-178, (Adj. B-177/9), Gali No. 9, B-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
105	111/B-I/UC/SH-N/2017 dated 08/05/2017	Sh. Mchit Arota	C-5 (Part), New Wazirabad Road, Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of G.F., F.F. & wall raised upto 8' on roof of F.F.	253	44E
106	115/B-I/UC/SH-N/2017 dated 17/05/2017	Sanjay Garg	KH. No. 481, In front of Chhnta Mam Mata Mandir, B-Block, Main	U/C in the shape of Basement floor.	253	44E

107	123/B-I/UC/SH-N/2017 dated 23/05/2017	Prem Narayan Mishra	Market Road, Bhajanpura, Delhi. D-483, Gali No. 11, D-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
108	L24/B-I/UC/SH-N/2017 dated 23/05/2017	Manoj Gupta	B-324/1, Gali No. 13, Gurudware Wali Gali, B-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
109	L25/B-I/UC/SH-N/2017 dated 23/05/2017	Owner/Builder	B-187, Gali No. 9, B-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F., T.F. & Fourth ' floor with projection on Mpl. Land.	253	44E
110	L26/B-I/UC/SH-N/2017 dated 23/05/2017	O/B, Parmami House	3-112, Gali No. 9, B-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F. & T.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
111	127/B-I/UC/SH-N/2017 dated 23/05/2017	Narender Gupta	D-485, Gali No. 11, D-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F. & T.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
112	128/B-I/UC/SH-N/2017 dated 23/05/2017	Brij Bhushan Sharma	D-528, Gall No. 13, D-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C In the shape of G.F., F.F., S.F. & T.F. with projection on Mpl, Land.	253	44E

1	2	3	4	5	6	7
113	129/B-I/UC/SH-N/2017 dated 23/05/2017	O/B, Sanjeev Sharma	0-541, Gali No. 14, D-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of S.F., F.F., S.F., T.F. & Fourth floor.	253	44E
114	130/B-I/UC/SH-N/2017 dated 23/05/2017	O/B, B.K. Sharma	D-687, Gali No. 18, D-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F. & T.F. with projection on Mpl. Land,	253	44E
115	131/B-I/UC/SH-N/2017 dated 23/05/2017	O/B, Anil Kumar	D-510-A, Gali No. 13, D-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C In the shape of G.F., F.F., S.F. & T.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
116	132/B-I/UC/SH-N/2017 dated 23/05/2017	Rambhul Aggarwal	D-517,GaliNo, 13, D-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F. & T.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
117	133/S-I/UC/SH-N/2017 dated 23/05/2017	O/B, Sanjeev Kumar	D-661, Gali No. 18, D-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F. with projection on Mpl. Land.	253	44E
118	134/B-I/UC/SH-N/2017 dated 23/05/2017	O/B, Surender Arora	B-26, Gali No. 4, B-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F. & T.F. with projection on Mpl. Land,	253	44E
119	137/B-I/UC/SH-N/2017 dated 23/05/2017	O/B, Rukam Kesh	D-555 (Part of Property), Gali No. 18, D-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F., T.F. & Fourth floor.	253	44E

120	138/B-I/UC/5H-N/2017 dated 23/05/2017	O/B, Keshari	D-555 (Part of Property), Gali No. 18, D-8lock, Bhajanpura, Delhi,	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F., T.F. & Fourth floor with prelection on Mpl. Land.	253	44E
121	193/B-I/UC/SH-N/2017 dated 08/06/2017	O/B Rakesh Kumar	D-49 (Part), Dispensary Chowk, Main Thana Road, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F. with projection on lane.	253	44E
122	221/B-I/UC/SH-N/2017 dated 10/07/2017	Sh. Surender Jain & others	D-160, Gali No. 5, D-Block, Bhaianpura. Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F., T.F. & Fourth Floor with projection on lane.	44E	44E
123	222/B-I/UC/SH-N/2017 Jated 10/07/2017	Sh. Narender Sharma	D-492, Gali No. 12, D-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C In the shape of G.F., F.F., S.F. with projectin on lane.	44E	44E
124	123/B-I/UC/SH-N/2017 dated 10/07/2017	Sh. Sumil Kumar Gupta, Sh. Parveen Kumar Gupta	D-1030, Gall No. 23, D-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shpae of G.F., F.F., Mumty at S.F. with projection on lane.	44E	44E
125	224/B-I/UC/SH-N/2017 dated 10/07/2017	Sh. Chanderpal Singh	C-41, Gali No. 3, C-Block, Gamri Extn., Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F., Mumty at T.F. with projectin on lane,	44E	44E

1	2	3	4	5	6	7
126	225/B-I/UC/SH-N/2017 dated 10/07/2017	Sh. Anil Goyal	D-1018, Gali No. 23, D-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., S.F., T.F. with projection on Mpl. Lane.	44E	44E
127	226/B-I/UC/SH-N/2017 dated 10/07/2017	Renu Mishra	D-202/6A, Gali No. 10, D-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F., Mumty at S.F. with projection on lane.	44E	44E
128	230/B-I/UC/SH-N/2017 dated 10/07/2017	Mohd.Sayeed Salman	D-190, Gali No. 3 (Jaat wali Gali), South Gamri, Main Gamri Road, Delhi.	U/C in the shpae of G.F., F.F., S.F. with projection on lane.	44E	44E
129	265/B-I/UC/SH-N/2017 dated 31/07/2017	Sh. S.K. Chaudhary (Aggarwal Sweets)	P.No. A-I, Gali No. 4, Near Khajoor Circle, A-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C In the shape of S.F. with projection on lane (G.F., F.F. old and occupied)	44E	44E
130	266/B-I/UC/SH-N/2017 dated 31/07/2017	O/B/Sh. Raj Kumar (Apna Ghar)	B-241, Gali NO. 11, B-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of T.F. (G.F., F.F., S.F. old and occupied)	44E	44E
131	257/B-I/UC/SH-N/2017 dated 31/07/2017	O/B/Sh. Satyadev	B-244, Gall No. 11, B-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F. with projection on lane.	44E	44E

132	268/8-I/UC/SH-N/2017 dated 31/07/2017	O/B/ Sh. Rohit Khanna	B-245, Gali No. 11, B-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of G.F., F.F. with projection on lane.	44E	44E
133	269/B-I/UC/SH-N/2017 dated 31/07/2017	O/B/Sh. Mohit Khanna	B-245(Part), Gali No. 11, B-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C In the shape of G.F., F.F with projection on lane.	44E	44E
134	323/B-I/UC/SH-N/2017 dated 30/08/2017	Sh. Raj Sharma S/o Sh. Shankar Outt Sharma	D-110, Gali No. 3, Bhajanpura, Delhi-53.	U/C in shape of SF, TF & fourth floor (GF & FF old but carried out alteration) with projection on mpl land.	44E	44E
135	1344/B-I/UC/SH-N/2017 dated 04/09/2017	Sh. Ajay & Sh. VTjay Mehra	Adjoining to B-98, Gali No. 6, Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of G.F., F.F., S.F., T.F.1 & Fourth floor.	44E	44E
136	345/B-I/UC/SH-N/2017 dated 04/09/2017	Sh. Vijendra Kumar	B-7/1 (Part), Gali No. 3, Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of G.F., F.F., S.F. Si T.F.	44E	44E
137	346/B-I/UC/SH-N/2017 dated 04/09/2017	Smt. Shyam Bijli Wale	B-11, Gali No. 3, Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of G.F. and brick wall/RCC column raised upto 8' (Approx.) on terrace nf G.F.	44E	44E
138	347/B-I/UC/SH-N/2017 dated 04/09/2017	Sh. Kishore	B-S (Part), Adjoining to B-S/A, Gali No. 3, Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of brick wall/RCC column raised upto flight of 9' at Ground level.	44E	44E

1	2	3	4	5	6	7
139	348/B-I/UC/SH-N/2017 dated 04/09/2017	Sh. Pradeep	B-S (Part), Gali No. 3, Bhajanpura, Delhi.	U/C of entire building in shape of G.F. and brick wall raised upto hight of slab level at terrace of G.F.	44E	44E
140	398/B-I/UC/SH-N/2017 dated 21/09/2017	Sh.Xaran Singh	B-75, Gali No. 6 & 7, B-Block, Bhajanpura, Delhi.	U/C in the shape of raising of brick walls at G.F.	44E	44E
141	401/B-I/UC/SH-N/2017 dated 26/09/2017	Sh. Vinay Mishra	42/14, Gali No. 3 & 4, C-Block, Gamri Extn., Delhi.	U/C in the shape of G.F. with projection on Land.	44E	44E

**38- Jh eglnz xks y %क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि शहरी विकास विभाग के उस खंड में कर्मचारियों की भारी कमी है जिस खंड में विधायक निधि कोष को देखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 70 विधान सभा क्षेत्र के एमएलए लैंड फंड को देखने वाले स्टाफ का नाम व दूरभाष सहित पूर्ण विवरण दें;

(घ) क्या यह सत्य है कि वर्तमान के विभाग विधायक निधि कोष क्षेत्र में लोहे के सुरक्षा गेट, साइन बोर्ड, स्वागत द्वारा बनाने के लिये आवंटित नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या यह भी सत्य है कि पूर्व में डूडा द्वारा लोहे के सुरक्षा गेट, साइन बोर्ड, स्वागत द्वारा बनाने के लिये विधायक फंड आवंटित किया जाता था;

(छ) विधायक फंड के कार्य करने की क्या प्रक्रिया है, पूर्ण विवरण दे; और

(ज) विधायक फंड से कौन-कौन से कार्य करवाये जा सकते हैं, पूर्ण विवरण दें?

ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h % (क) ,e,y, yM% जी, हां।



(ख) ,e,y, yM% 15 जुलाई, 2015 से 13 दिसम्बर, 2017 तक एमएलए लेड फंड के कार्य 11 डूडा द्वारा स्वीकृत किए जाते थे। जिसमें लगभग 55 कर्मचारी कार्यरत थे। 13 दिसम्बर, 2017 से यह कार्य शहरी विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के शीघ्र निस्तारण करने के लिए शहरी विकास विभाग में एक Dedicated Cell स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) ,e,y, yM%

1. श्री राजीव यदुवंशी (प्रधान सचिव, शहरी विकास) —  
011-23392253
2. श्री अमरनाथ तलवड़े (विशेष सचिव, शहरी विकास) —  
011-23392270
3. श्री अशोक कुमार (संयुक्त सचिव, शहरी विकास) —  
011-23392217
4. श्री गणेश सिंह रावत (उप-निदेशक, शहरी विकास) —  
011-23392217
5. श्री कौशल सिंह रावत (सहायक निदेशक, शहरी विकास)
6. श्री इन्तखाब खान (अनुभाग अधिकारी, शहरी विकास)
7. श्री सुमित कुमार (सांख्यिकी सहायक, शहरी विकास)
8. श्रीमती शिवानी जयसवाल जी (सांख्यिकी सहायक, शहरी विकास)

9. श्री विनोद कुमार (उच्च श्रेणी लिपिक, शहरी विकास)
10. श्री चमन लाल (कनिष्ठ सहायक, शहरी विकास)
11. श्री सुनील कुमार (सहायक अनुभाग अधिकारी, शहरी विकास)

(घ) ,e,y, yM% जी हां।

(ङ) ,e,y, yM% यह कार्य वर्तमान MLALADS Guidelines की List of Permissible Item of work में सम्मिलित नहीं है।

(च) ,e,y, yM% जी, हां, एमएलए लैंड फण्ड गाईड लाइंस के अनुमत कार्यों की सूची (List of permissible works) के अनुच्छेद 2 "Construction of Community hall/Barat Ghars/Chopal/Other durable assets for public use on public/government land" के तहत शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे कार्यों को नजर में रखते हुए ऐसा किया जाता था। तदुपरांत स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृत करना बंद कर दिया गया।

(छ) ,e,y, yM% माननीय विधायक के अनुमोदन पर Excutive Agency कार्य का प्रस्ताव तैयार कर शहरी विकास को भेजते हैं शहरी विकास विभाग द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है यदि प्रस्ताव सभी Codal Formality को पूरा करते हैं तो Competent Authority की अनुमति के बाद कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ज) ,e,y, yM% विधायक फंड से वर्तमान MLALADS Guidelines की List of Permissible Item of work एवं अन्य संबंधित आदेश के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं, जिसकी सूची संलग्न है।

**39- Jh euçtnj fl g fl jlk % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h**  
यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पैसिफिक मॉल के पीछे सुभाष नगर मोड़ न्यू श्याम नगर/सीकरी भट्टा बीएसईएस ऑफिस के नजदीक मुखर्जी पार्क जे.जे. क्लस्टर है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस झुग्गियों के कारण पीछे बसी आबादी के आने-जाने वालों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि विष्णु गार्डन के निवासी तथा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 1996 से इस जे.जे. क्लस्टर को हटाने के लिए मांग कर रहे;

(घ) क्या सरकार की इन झुग्गियों को पुर्नारवटन या पुर्नारवास की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो कहां पर और कब तक?

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h %** (क) जी हां, पैसिफिक मॉल के पीछे जे.जे. क्लस्टर है जिसका क्लस्टर कोड 439 है। इस जे.जे. बस्ती का नाम "सनातन धर्म मंदिर, शिव मंदिर के पीछे के - ब्लॉक श्याम नगर" है।

(ख) और (ग) जी, हां। कौंफी समय से विभिन्न व्यक्ति/संस्था इस जे.जे. क्लस्टर को हटाने की मांग कर रहे हैं।

(घ) पूर्व में झुग्गी बस्ती श्याम नगर/सीकरी भट्टा के सर्वे का प्रयास समाज कल्याण शाखा द्वारा किया गया था परन्तु झुग्गिवासियों के विरोध

के कारण सर्वे नहीं हो सका। वर्तमान में इस झुग्गी बस्ती को पुनर्वासित करने की कोई योजना नहीं है।

(ड) उपरोक्त।

**40- Jh nosta l gjkor % क्या ekuuh; mi e[; ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पिछले 10 वर्षों में आबकारी विभाग को महिपालपुर, रंगपुरी, समालका, कापसहेड़ा, द्वारका लिंक रोड तथा बिंजवासन में स्थित 53 विवाह स्थलों से प्राप्त टैक्स का वर्ष-वार विवरण क्या है; और

(ख) जिन विवाह स्थलों से ये टैक्स प्राप्त हुआ उनके नाम व पते सहित पूर्ण विवरण क्या है?

**mi e[; ea-h %** (क) लकजरी टैक्स वर्ष 1996 से दिल्ली में लागू है लेकिन बैकवेट हाल को लकजरी टैक्स के दायरे में दिनांक 09.08.2012 की अधिसूचना के अंतर्गत लिया गया है। दिये गए नामों की सूची में से उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार केवल 21 इकाई इस विभाग में पंजीकृत है। दिनांक 09.08.2012 से 30.06.2017 तक की अवधि के लिए इनके द्वारा जमा कराये गए लकजरी टैक्स तथा दिये गए नामों की सूची में से उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, तथा आबकारी नियम, 2010, के तहत प्राप्त राजस्व की सूचना **vuyXud bdb** पर संलग्न है।

(ख) उपरोक्त अनुसार।

**vuyXud Pdb**

**List of Wedding Venues in Bijwasan Constituency, registered with Excise Department, under Luxury Tax, as attached with the Assembly Question**

Sl. No.	Name of Unit & Address	Establishment type	Total Tax for the period w.e.f. 09.08.2012 to 30.06.2017 (in Rs.)
1	2	3	4
1.	Airport Residency, Link Road Smalkha	Hotel	85,66,350/-
2.	Amarai Farms, Village Kapashera	Banquet Hall	84,771/-
3.	Aravali Villa, NH-8, Rajokri	Hotel	6,450/-
4.	Ashok country Resorts, Kapashera	Hotel	2,28,37,747/-
5.	Atrio-A Boutique Hotel, Kapashera	Hotel	93,65,330/-
6.	Balsons Flowary, Pushpanjali	Banquet Hall	3,31,945/-
7.	Calista Resorts, Kapashera	Hotel	56,21,573/-
8.	Celeberation Gardens, Rangpuri	Banquet Hall	8,65,006/-
9.	Dee Marks, Rangpuri Village	Hotel	86,22,022/-
10.	Dusit Devarana, Smalkha	Hotel	6,29,38,415/-
11.	Golden Greens, Pushpanjali Link Road	Banquet Hall	13,67,050/-
12.	Hotel Westend Inn, Rangpuri	Hotel	2,98,117/-

1	2	3	4
13.	Kaaina Palace, Village Bijwasan	Banquet Hall	1,33,021/-
14.	Hotel Mapple Emerald, Smalkha	Hotel	3,00,90,519/-
15.	Orana Hotels & Resorts, Smalkha	Hotel	1,42,45,539/-
16.	Royal Garden, Dwarka More	Banquet Hall	12,150/-
17.	Sheetal Garden Party Lawan, Chhawla,	Banquet Hall	22,470/-
18.	The Uppal, Near IGI Airport	Hotel	4,61,66,193/-
19.	Tivoli Puspanjali (T.G. Leisure and Resorts P. Ltd)	Hotel	3,42,37,840/-
20.	The Umaro, Samalkha	Hotel	5,16,62,977/-
21.	The Vrindavan Greens, Rajokri	Banquet Hall	6,23,168/-
Total Tax			29,80,98,653/-

### वर्किकर इका दस फ्युकर मुक

67- Jh jktšk \_\_f"k % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रोफेसर जोगिंदर सिंह मार्ग पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से एक्सिस बैंक तक के सामने कितनी दुकानें एसडीएमसी द्वारा अधिकृत हैं;

(ख) डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास तथा उसे परिसर में एसडीएमसी द्वारा कितने पार्किंग चलाई जा रही हैं;

(ग) प्रत्येक पार्किंग स्थल का क्षेत्र कितना है और प्रत्येक पार्किंग स्थल से कितना-कितना राजस्व प्राप्त होता है; और

(घ) क्या बेसमेंट पार्किंग के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को लागू किया गया है?

ekuuH; 'kgjh fodkl eah % (क) nf{k.kh fnYyh uxj fuxe% प्रोफेसर जोगिंदर सिंह मार्ग पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से एक्सिस बैंक तक के सामने द.दि.न.द. द्वारा 7 पीसीओ बूथ आवंटित किये गये हैं।

(ख) nf{k.kh fnYyh uxj fuxe% डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी में आवंटित पार्किंग/स्थलों की कुल संख्या 7 (सात) है। vugylud&,

(ग) nf{k.kh fnYyh uxj fuxe% डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी में आवंटित पार्किंग स्थल व प्रत्येक पार्किंग स्थल से प्राप्त राजस्व की सूची संलग्न तथा पार्किंग क्षेत्र संलग्न मानचित्र अनुलग्नक बी में दर्शाया गया है।

(घ) nf{k.kh fnYyh uxj fuxe% हां, समय-समय पर न्यायालय व सरकार द्वारा पारित आदेशों का पार्किंग आवंटन करते समय अनुपालन किया जाता है।

**Annexure "A"**

Sl. No.	Name of Parking Site DC Janakpuri	MLP
1	2	3
1.	Basement of Plot no. 7A Janakpuri	1,41,000/-
2.	Under DECK near Taxi Stand Janakpuri	22,22,222/-

1	2	3
3.	Adjoining Suneja Tower Columbus Tower Janakpuri Resturant Parking between LIC Bld. and Jyoti Shikar Janakpuri	
4.	Basement 5 Distt. Centre Janakpuri	3,07,000/-
5.	Basement 1 & 2 Distt. Centre Janakpuri	2,21,400/-
6.	Plot No. 1 & 2 Distt. Centre Janakpuri	2,31,000/-
7.	Service Industries Building at Distt. Centre Janakpuri	99,000/-

**68-** Jh jktsk \_f'k % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी के असालतपुर और पुसंगीपुर में कितने पार्क हैं, इन पार्कों की संख्या और डीडीए के नक्शे के साथ इन पार्कों की माप दें;

(ख) एमसीडी के किन किन पार्कों में अतिक्रमण है और एमसीडी द्वारा इस अतिक्रमण को क्या कार्रवाई की गई, पूर्ण विवरण दें;

(ग) शिव नगर सोम बाजार रोड पर स्थित एमसी प्राइमरी स्कूल को डीडीए द्वारा अलाटेड जमीन की माप डीडीए के नक्शे के साथ उपलब्ध करवायें;

(घ) जनकपुरी ए वन ब्लॉक में स्थित रिच हार्वेस्ट प्राइमरी विंग द्वारा पार्क पर किये गये कब्जे का पूर्ण विवरण देते हुए विभाग द्वारा इसके विरुद्ध की गई कार्रवाई का भी पूर्ण विवरण दें;



(ड) जनकपुरी के सी 4 ई मार्किट में हो रहे अवैध निर्माण कार्य के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अपना दायित्व न निभाने पर विभाग द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है;

(छ) क्या यह सत्य है कि डीडीए द्वारा एमसीडी को डिस्ट्रिक्ट सेंटर रख-रखाव के लिये दिये जाने के बाद यहां सीवर और पानी की लाइन की व्यवस्था बहुत खराब है; और

(ज) यहां पर सीवर और पानी की व्यवस्था सुचारु करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है?

कुल; 'क' दिल्ली पुलिस संबंधित विभाग को अतिक्रमण हटाने के लिए मदद देती है तथा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी समय-समय पर कार्यवाही करती है इस क्षेत्र में वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 (15.07.2018 तक) दिल्ली पुलिस द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की गयी कार्यवाही का ब्यौरा 'ब' पर संलग्न है।

कुल; 'क' दिल्ली पुलिस

जनकपुरी के असालतपुर और पुसंगीपुर में कुल सात पार्क स्थित हैं। जिनकी माप 'ब' पर संलग्न है।

(ख) दिल्ली पुलिस संबंधित विभाग को अतिक्रमण हटाने के लिए मदद देती है तथा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी समय-समय पर कार्यवाही करती है इस क्षेत्र में वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 (15.07.2018 तक) दिल्ली पुलिस द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की गयी कार्यवाही का ब्यौरा **ifjf'k'V Bdb** पर संलग्न है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%**

**m | ku foHkx I s i klr I p u k d s v u d k j %** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम उद्यान विभाग के अंतर्गत 91 पार्कों में मंदिर, गुरुद्वारा आदि धार्मिक स्थल बने हुए हैं तथा 11 पार्कों से पक्का अतिक्रमण बना हुआ है जो कि न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है। अस्थायी अतिक्रमण को विभाग द्वारा तुरंत हटा दिया जाता है। अतिक्रमण से संबंधित सूची संलग्न है।  
**v u g y x u d ¼ [ k %**

(ग) दिल्ली पुलिस संबंधित विभाग को अतिक्रमण हटाने के लिए मदद देती है तथा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी समय-समय पर कार्यवाही करती है इस क्षेत्र में वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 (15.07.2018 तक) दिल्ली पुलिस द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की गयी कार्यवाही का ब्यौरा **ifjf'k'V Bdb** पर संलग्न है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%**

**Hkñe ,oa I E i n k foHkx I s i klr I p u k d s v u d k j %** आईपी रजिस्टर में उपलब्ध नगर निगम स्कूल शिव नगर की फोटो कॉपी अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न कर दी गई है।

(घ) **fnYyh ifyl %** दिल्ली पुलिस संबंधित विभाग को अतिक्रमण हटाने के लिए मदद देती है तथा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी समय-समय पर कार्यवाही करती है इस क्षेत्र में वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 (15.07.2018 तक) दिल्ली पुलिस द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की गयी कार्यवाही का ब्यौरा **ifjf'k"V Bdb** पर संलग्न है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%**

**m|ku foHkx l s i klr l puk ds vud kj%&** जनकपुरी ए वन ब्लॉक में स्थित रिच हार्वेस्ट प्राइमरी विंग स्थित पार्क दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन है। यह पार्क दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है।

(ङ) **fnYyh ifyl %** दिल्ली पुलिस अपने आप से निर्माण कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है। सिर्फ डीएमसी एक्ट की धारा 475 के तहत किसी भी अनाधिकृत निर्माण के संबंध में सूचना भू-स्वामित्व विभागों को देती है। इसके अलावा डीएमसी एक्ट की धारा 344(2) के तहत जब एमसीडी के द्वारा नोटिस देकर पुलिस को निर्देश दिया जाता है तभी पुलिस निर्माण कार्य रूकवाती है और जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य सामग्री जब्त भी करती है।

दिल्ली पुलिस द्वारा जनकपुरी के सी 4 ई मार्केट एरिया में वर्ष 2016-2017 एवं 2018 (15.07.2018 तक) के दौरान भू-स्वामित्व विभागों को अनाधिकृत निर्माण के संदर्भ में भेजी गई सूचनाओं का ब्यौरा क्रमशः **ifjf'k"V B[kb** पर संलग्न है।

**नफ़क.क.ह फनयह उख फुखे%** उपरोक्तानुसार।

(च) **फनयह ifyl%** दिल्ली पुलिस अपने आप से निर्माण कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है। सिर्फ़ डीएमसी एक्ट की धारा 475 के तहत किसी भी अनाधिकृत निर्माण के संबंध में सूचना भू-स्वामित्व विभागों को देती है। इसके अलावा डीएमसी एक्ट की धारा 344(2) के तहत जब एमसीडी के द्वारा नोटिस देकर पुलिस को निर्देश दिया जाता है तभी पुलिस निर्माण कार्य रुकवाती है और जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य सामग्री जब्त भी करती है।

दिल्ली पुलिस द्वारा जनकपुरी के सी 4 ई मार्केट एरिया में वर्ष 2016-2017 एवं 2018 (15.07.2018 तक) के दौरान भू-स्वामित्व विभागों को अनाधिकृत निर्माण के संदर्भ में भेजी गई सूचनाओं का ब्यौरा क्रमशः **ifjf'k"V B[kb** पर संलग्न है।

**नफ़क.क.ह फनयह उख फुखे%**

**I rd/rk foHkx I s i klr I p u k d s v u d k j %** किसी भी अवैध निर्माण की शिकायत में अधिकारियों की संलिप्तता जांच के बाद सिद्ध होने की स्थिति में उन पर विभागीय कार्यवाही होती है।

(छ) **फनयह ifyl%** दिल्ली पुलिस अपने आप में निर्माण कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। सिर्फ़ डीएमसी एक्ट की धारा 475 के तहत किसी भी अनाधिकृत निर्माण के संबंध में सूचना भू-स्वामित्व विभागों को देती है। इसके अलावा डीएमसी एक्ट की धारा 344(2) के तहत जब एमसीडी के

द्वारा नोटिस देकर पुलिस को निर्देश दिया जाता है तभी पुलिस निर्माण कार्य रूकवाती है और जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य सामग्री जब्त भी करती है।

दिल्ली पुलिस द्वारा जनकपुरी के सी 4 ई मार्केट एरिया में वर्ष 2016-2017 एवं 2018 (15.07.2018 तक) के दौरान भू-स्वामित्व विभागों को अनाधिकृत निर्माण के संदर्भ में भेजी गई सूचनाओं का ब्यौरा क्रमशः **ifjf'k"V B[kp** पर संलग्न है।

**fnYyh ty ckM%** डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पानी और सीवर का रख-रखाव डीडीए द्वारा किया जा रहा है। अतः दिल्ली जल बोर्ड से सम्बन्धित नहीं है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** यह प्रश्न दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से संबंधित नहीं है।

(ज) **fnYyh i{yl %** दिल्ली पुलिस अपने आप से निर्माण कार्य हस्तक्षेप नहीं करती। सिर्फ डीएमसी एक्ट की धारा 475 के तहत किसी भी अनाधिकृत निर्माण के संबंध में सूचना भू-स्वामित्व विभागों को देती है। इसके अलावा डीएमसी एक्ट की धारा 344(2) के तहत जब एमसीडी के द्वारा नोटिस देकर पुलिस को निर्देश दिया जाता है तभी पुलिस निर्माण कार्य रूकवाती है और जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य सामग्री जब्त भी करती है।

दिल्ली पुलिस द्वारा जनकपुरी के सी 4 ई मार्केट एरिया से वर्ष 2016-2017 एवं 2018 (15.07.2018 तक) के दौरान भू-स्वामित्व विभागों

को अनाधिकृत निर्माण के संदर्भ में भेजी गई सूचनाओं का ब्यौरा क्रमशः परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

**fnYyh ty ckM%** उपरोक्तानुसार।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्तानुसार।

**69- Jh duý nstnz l gjkor %** क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजवासन क्षेत्र में पड़ने वाली अनधिकृत कॉलोनियों की सूची उपलब्ध कराएं; और

(ख) क्षेत्र के लिए विकास कार्यों हेतु पिछले दस वर्षों में जारी की गई तथा खर्च की गई धनराशि का विवरण क्या है?

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h %** (क) **fnYyh 'kgjh fodkl foHkx%** विजवासन विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची संलग्न है।

(ख) **fnYyh 'kgjh fodkl foHkx%** विजवासन क्षेत्र के लिए विधायक निधि से वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक रुपये 31.12 करोड़ राशि स्वीकृत की गई।

शहरी विकास विभाग द्वारा एक मुश्त धन राशि डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण एवं पॉवर आदि विभागों को जारी की जाती है, तदुपरान्त निष्पादन एजेंसियों द्वारा उक्त जारी एक मुश्त राशि से अनाधिकृत कॉलोनियों में कार्य करवाया जाता है। शहरी विकास विभाग द्वारा क्षेत्रानुसार खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

fooj.k

Sl. No.	Reg. No.	3 Part	Name of Colony	District	Assembly
1	2	3	4	5	6
1	7		Harijan Basti, Masoodpur near Pocket-B, Sector 7, 8, 9, Vasant Kunj	New Delhi	Bijwasan (36)
2	62		Vasant Kunj Enclave, B-Block, Mlikapur Kohi, Village Rangpuri	New Delhi	Bijwasan (36)
3	138		Mahipalpur Extn., K-II Block, New Delhi-37	New Delhi	Bijwasan (36)
4	321	A	Defence Enclave, Mahipalpur, Extn.-II, New Delhi-37	New Delhi	Bijwasan (36)
5	321	B	Defence Enclave, Mahipalpur, Extn.-II, New Delhi-37	New Delhi	Bijwasan (36)
6	341		Mahipalpur Extn., L-Block, New Delhi	New Delhi	Bijwasan (36)
7	425		Vasant Kunj Enclave, Delhi-70	New Delhi	Bijwasan (36)
8	500		Yawantika Colony Salapur, Khara, Bijwasan, New Delhi-61	South West	Bijwasan (36)

9	515	Mahipalpur K-Block, West Vasant Kunj, New Delhi	New Delhi	Bijwasan (36)
10	556	Amaltas Avenue (Samalka) Colony, Rajokri, Delhi	New Delhi	Bijwasan (36)
11	605	Mahipalpur Ext., K-II Block, New Delhi-7	New Delhi	Bijwasan (36)
12	609	Dev Kunj, Sec-9, Dwarka, Delhi-45	South West	Bijwasan (36)
13	740	Raj Nagar-II Extn. Palam Colony, New Delhi-45	South West	Bijwasan (36)
14	839	Samalka Extn. (East) Telephone Exchange Road Samalka, New Delhi	New Delhi	Bijwasan (36)
15	859	Palam Apt. Bijwasan. Najafgarh Delhi-31	South West	Bijwasan (36)
16	887	Raj Nagar Part-2 H-Block Palam Colony, New Delhi	South West	Bijwasan (36)
17	901	Samalka Extn. Kapashera Chowk Najafgarh Road	New Delhi	Bijwasan (36)
18	1130	Rangpuri Extn. A-Block Vasant Kunj Delhi-37	New Delhi	Bijwasan (36)
19	1130	Rangpuri Extn. A-Block Vasant Kunj Delhi-37	New Delhi	Bijwasan (36)
20	1131	Rangpuri Extn. B-Block Vasant Kunj Delhi-37	New Delhi	Bijwasan (36)
21	1132	Samalka Extn. Old Gurgaon Road New Delhi-37	New Delhi	Bijwasan (36)



1	2	3	4	5	6
22	1139		Kapashera Extn.C- Block Delhi-37	South West	Bijwasan (36)
23	1140		Mahipalpur Block A Extn, Delhi	New Delhi	Bijwasan (36)
24	1229		Village Shabad Mohd Pur Extn.Area Delhi-61	New Delhi	Bijwasan (36)
25	1239		Dr.Bhim Rao Ambedkar Cly Near Bijwasan Village, Delhi	South West	Bijwasan (36)
26	1266		Kapashera Extn.B-Block Delhi-37	South West	Bijwasan (36)
27	1278		Kapashera Extn.A-Block Delhi-37	South West	Bijwasan (36)
28	1508		Shalapur Khera, Bijwasan, New Delhi-61	South West	Bijwasan (36)
29	1515		Raj Nagar,Ph-II (Extn), H-Block, New Delhi-45	South West	Bijwasan (36)
30	1593		Defence Enclave Development Association, mahipal Pur Extn. New Delhi-37	South West	Bijwasan (36)
31	117-(ELD)		Bijwasan Extn. Bijwasan Village New Delhi	South West	Bijwasan (36)
32	121-(ELD)		Bagdola Village Extn. Area New Delhi 45	New Delhi	Bijwasan (36)
33	122-(ELD)		Resident Welfare Association, Rajokari Harijan Basti, New Delhi-38	New Delhi	Bijwasan (36)
34	13-(ELD)		Harijan Basti (Poorvi Chhatra) Rajokri Pahari, Mehrauli Road, New Delhi-38	New Delhi	Bijwasan (36)

35	143-(ELD)	Ruchi Vihar, Rang Puri Abutting Block-B, Delhi-37	South West	Bijwasan (36)
36	37-(ELD)	Natural Growth of Kapashera Village, New Delhi-37	South West	Bijwasan (36)
37	42-(LOP)	Qutub Vihar Phase-I, Extn. E-Block New Delhi-59	South West	Bijwasan (36)
38	52-(ELD)	Mahipal Pur Village Extended, Abadi, New Delhi-37	New Delhi	Bijwasan (36)
39	56-(ELD)	Rajokari Village New Delhi-38	New Delhi	Bijwasan (36)
40	58-(LOP)	Samalka Village, New Delhi-37	New Delhi	Bijwasan (36)
41	59-(ELD)	Sani Mohalla (Near Electrification Office) Bijwasan, New Delhi-61	South West	Bijwasan (36)
42	6-(ELD)	Masoodpur, Distt. South West, New Delhi-70	New Delhi	Bijwasan (36)
43	74-(ELD)	Saini Mohalla Extn B-Block Bijwasan Village New Delhi-61	South West	Bijwasan (36)
44	83-(ELD)	Bijwasan Extn. Bijwasan Village New Delhi-61	South West	Bijwasan (36)
45	86-(ELD)	Kapashera Extn., Village Kapashera, New Delhi-37	South West	Bijwasan (36)

**70- Jh duŷ nŷhŷ I gjkor %** क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl eæh**  
यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विजवासन क्षेत्र की अनधिकृत कॉलोनियों में स्थानीय पार्षदों द्वारा कराया गया सड़क तथा नालियों के निर्माण का कार्य स्तरहीन तथा असंतोषजनक है;

(ख) वार्ड संख्या 465 से 505 तक के पांचों निगम पार्षदों द्वारा पिछले दो वर्ष में कराए गए कार्यों की सूची उपलब्ध कराएं; और

(ग) क्या निगम पार्षद नियमतः अनधिकृत कॉलोनियों में कार्य करवा सकते हैं?

**ekuuh; 'kgjh fodkl eæh %** (क) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%**  
दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या F.1-33/UC/UD/Policy/07/part file/CD-021297485/350-361 दिनांक 10.03.2016 के उपरांत कोई भी विकास कार्य दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने विजवासन विधान सभा क्षेत्र की अनाधिकृत कॉलोनियों में नहीं करवाया है।

**fnYyh 'kgjh fodkl foHkx%** (क) से (ग) उपरोक्त स्थानीय पार्षदों द्वारा कराये गये किसी भी प्रकार के गुणवत्ता एवं अन्य प्रकार का ब्यौरा एवं धन राशि संबंधी कोई भी विवरण शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा नहीं रखा जाता, क्योंकि निगम पार्षदों द्वारा कराया गया किसी भी प्रकार का विकास कार्य शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार के अंतर्गत

नहीं आता है, अतएव माननीय विधायक द्वारा मांगा गया ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) नफ़{क.क़ फ़नय्यह उख़ ज़ फ़ुखे% वार्ड संख्या 46—एसके वार्ड संख्या 50—एस में निगम पाषदों द्वारा पिछले दो वर्ष में कराये गये कार्यों की सूची 'क' व 'ख' पर संलग्न है।

(ग) नफ़{क.क़ फ़नय्यह उख़ ज़ फ़ुखे% जी नहीं, निगम पाषद उपरोक्त लिखित कार्यालय आदेश दिनांक 10.03.2016 के जारी होने के उपरांत नियमतः अनाधिकृत कॉलोनियों में कोई भी कार्य दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से नहीं करवा सकते।

*List of works for Division EE-M-III/NGZ for 2018-19*

Sl. No.	Name of work	W.O. No. & Date	Head of A/c	Contr. Amt.	Status of work	Exp. Incurred	D.O.S.	D.O.C.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Imp. of Road along Dada Dev Mela Ground by pdg Paver Block, RMC, Surface Dressing, Kerb Stone, Painting etc. in Ward No. 46-S/NGZ in Raj Nagar-I I. —	1 dated 16.04.2018	G-110-3551	2666793	WIP	—	23.04.2018	—	—
2	Imp. of Road from Seclor-8 Dwarka intersection to Shukkar Bazar Chowk by pdg. Paver Block on Footpath, Removal of Malba, Painting of Kerb Stone. Grills etc. in Ward No. 46-S/NGZ in Raj Nagar-II.	2 dated 16.04.2018	G-110-3551	2641828	WIP	—	23.04.2018	—	—
3	P/L of RMC and Drain from Rajesh house to Ramchander house, Naveen house to Narsingh house and Ashok bouse to Utuvrm Kaushik house in village Kapashera in Ward No. 49-S/NGZ.	3 dated 18.04.2018	K-150-1215	1279634	WIP	—	27.04.2016	—	—

4	P/L of RMC and Drain from Badlu Ram house to Griver house. Mahaveer house to Sheeram Store and Rajender house to Mir Singh house in Kapashera in Ward No. 49-S/NGZ	4 dated 18.04.2018	K-150-1286	1043724	YTS	—	—
5	P/L of RMC and Drain from Laxroan house to Bhim Singh, Ram Nivwas house to Chander Prakash house to Bholu house to Shri Kirshan house in Kapashera in Ward No. 49-S/NGZ	5 dated 18.04.2018	K-150-1286	1052809	WIP	—	25.04.2018
6	P/L of RMC and Drain from Sachin house to Ramanand house in Village Kapashera in Ward No. 49-S/NGZ.	6 dated 18.04.2018	K-150-1286	1053118	WIP	—	27.04.2018
7	P/F Stainless Steel Name board/ deshnaun board for Village Shahabad Mohd,pur and Bharthal in Ward No. 47-S/NOZ in Dwarka-C.	10 dated 18.04.2018	K-150-1152	1191037	WIP	—	05.05.2018
8	Imp. of lane by pdg. RMC and Drain from Anaro house to Rajender in village Bijwasan in Ward No. 48-S/NQZ	11 dated 18.04.2018	G-110-3561	1440976	WIP	—	27.04.2018
9	Imp. Dev. of lane by pdg- QC and Drain from Ajit house to Shiv Nandan house in Rangpuri in Ward No. 50-S/NGZ.	12 dated 18.04.2018	K-150-1152	1450115	Comp-lete	1450115	27.04.2018 23.07.2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Imp. of lane by pdg. RMC and Drain from Ashok Bike Centre to Sai Hote Spot in Village Bijwasan in Ward No. 48-S/NGZ.	13 dated 18.04.2018	G-110-3561	1067626	WIP	—	26.04.2018	—	—
11	Imp. of lane by pdg. RMC and Drain from Ram Properties to Aarush Store in Village Bijwasan in Ward No. 48-S/NGZ.	14 dated 18.04.2018	G-110-3561	1019499	WIP	—	26.04.2018	—	—
12	Imp. of lane by pdg. RMC and Drain from Jailal house to Raiyan Juice Point in Village Bijwasan in Ward Np. 48-S/NGZ.	15 dated 20.04.2018	G-110-3561	1042319	WIP	—	01.05.2018	—	—
13	Imp. of lane by pdg. RMC and Drain from Numberdar Oodaon to Manish Rama Building Store in Village Bijwasan in Ward No. 48-S/NGZ.	16 dated 20.04.2018	G-110-3561	1023372	WIP	—	04.05.2018	—	—
14	Imp. of lane by pdg RMC and Drain from Turning Point Coaching Centre to Prince Dhaba in Village Bijwasan in Ward No. 48-S/NGZ.	17 dated 20.04.2018	G-110-3561	1042159	WIP	—	04.05.2016	—	—
15	Imp. of lane by pdg. RMC and Drain from Barat Ghar to Arvind	18 dated 20.04.2018	G-110-3561	1047415	WIP	—	02.05.2018	—	—

Communication in Village Bijwasan in Ward No. 48-S/NOZ.	
16	Imp. of Lane by pdg. RMC from All Sofa Set Shop to Shyain house in Village Bijwasan in Ward No. 48-S/NOZ.
	19 dated 20.04.2018
	G-110-3561
	1062244 WIP — 03.05.2018 —
17	Imp. Dev. of DhaUo by pdg. View Cutter in Vasant Kunj Pocket C-8 in Ward No. 50-S/NGZ, Mahipalpur.
	20 dated 20.04.2018
	K-150-1152
	1085012 WIP — 23.04.2018 —
18	Repair/Maintenance of Dhaiao near FC Drain at Palam Vihar Road in Village Bijwasan in Ward No. 48-S/NOZ.
	21 dated 20.04.2018
	K-150-1157
	499000 Comp- 499000 29.04.2018 22.06.2018
	lete
19	P/L of RMC and Drain from Sultan Yadav house to Om Parkash house in Village Kapashera in Ward No. 49-S/NGZ.
	22 dated 20.04.2018
	K-150-1286
	613830 Comp- 613830 24.04.2018 14.06.2018
	lete
20	Const. of Structural Stainless Steel Entry Gate at Shishu Marg near SBI Bank Entry point in Raj Nagar Part-II in Ward no. 40-S/NGZ.
	27 dated 20.04.2018
	G-110-3555
	719995 WIP — 03.05.2011 —
21	Const. of Structural Stainless Steel Entry Gate at Mamta Bekari Road Entry Point in Raj Nagar Part-II in Ward Ko. 46-S/NGZ.
	28 dated 20.04.2018
	G-110-3555
	719995 WIP — 03.05.2018 —



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Const of Stainless Steel Entry Gate at Gali no.17 main entry point and Retro Reflective Boards at Statical Bazaar Chouk and Deep Parmukh Entry Point in Raj Nagar Part in Ward No. 46-S/NGZ	29 dated 20.04.2018	K-150-1157	8112S6	WIP	—	03.05.2018	—	—
23	Imp. of lanes in between Baloo Nagia House to Maya Medicos. Axis Bank ATM and Jhandewala Chowk RMC malba removal and Imp. of Drams etc. in Raj Nagar-II in Ward No. 46 S/NGZ	30 dated 20.04.2018	K-150-1157	487500	WIP	—	21.05.2018	—	—
24	Imp. Dev. of lane by pdg. CC and Drain from Amit bouse to Lochab house in Mahipalpur in Ward No. 50-S/NGZ.	31 dated. 20.04.2018	K-150-1286	329399	WIP	—	15.05.2018	—	—
25	Imp. Dev. of lane by pdg. CC and Drain from Randhir house to Gultia General Store and Satle house to Bimla house in Rangpuri in Ward No. 50-S/NGZ.	32 dated 20.04.2018	K-151-1242	1499950	WIP	—	15.05.2018	—	—
26	Imp. Dev. of Sanitation and Drainage Services in G and H Block at Ward	33 dated 20.04.2018	G-110-3555	493131	Comp-493131	12.05.2018	21.07.2018	lete	—

No. 46-S/NGZ in Raj Nagar-II.						
27	Imp./Repairing of M. C. Pn School Kapashera-1 (Boys and Girls) in Ward No. 49-S/NGZ.	34 dated 20.04.2018	D-060-1091	425723	WIP	29.04.2018
28	Imp./Repairing of M. C. Pri School Kapashera-2 (Boys and Girls) in Ward No. 49-S/NGZ.	35 dated 20.04.2018	D-060-1081	435886	WIP	01.05.2018
25	Special Repair of M. C. Pny School Girls in Samalkha in Ward No. 46-S/NGZ.	36 dated 20.04.2018	D-060-1081	499386	WIP	01.05.2018
30	Special Repair of M. C. Pny School Boys and Girls in Village Bijwasan in Ward No. 48-S/NGZ.	37 dated 20.04.2018	D-060-1081	496522	WIP	01.05.2018
31	Imp./Repairing of M. C. Pny School Bagdola in Ward No. 47-S/NOZ in Dwarka-C.	38 dated 20.04.2018	D-060-1081	494667	WIP	18.05.2018
32	Imp./Repairing of M. C. Pny School Rangpuri Pahari in Ward No. 50-S/NGZ. Matipalpur.	39 dated 20.04.2018	D-060-1081	404649	WIP	29.04.2018
33	Imp./Rcpoiring of M. C. Pny School Kapashera-3 (Boys and Girls) in Ward No. 49-S/NGZ.	40 dated 20.04.2018	D-060-1061	334600	WIP	27.04.2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Special Repair of M. C. Pny School Boys in Samalkha in Ward No. 48-S/NGZ.	41 dated 20.04.2018	D-060-1081	343094	WIP	—	01.05.2018	—	—
35	Imp./Repairing of M. C. Pny School Shahabad Mohd,pur Girls in Ward No. 47-S/NGZ in Dwarka-C.	42 dated 20.04.2018	D-060-1081	269718	WIP	—	04.06.2018	—	—
36	Imp./Repairing of M C. Pny School Rangpuri Girls in Ward No 50-S/NGZ, Mahipalpur.	43 dated 20.04.2018	D-060-1081	384626	WIP	—	29.04.2018	—	—
37	Imp./Repairing of M. C.Vry School Mahipalpur Boys in Ward No. 50-S/NGZ.	44 dated 20.04.2018	D-060-1081	405105	WIP	—	29.04.2018	—	—
38	Imp./Repairing of M. C. Pny School Mahipalpur Girls in Ward No. 50-S/NGZ Mahipalpur.	45 dated 20.04.2018	D-060-1081	434611	WIP	—	29.04.2018	—	—
39	Imp./Repairing of M. C. Pny School Rangpuri Boys in Ward No. 50-S/NGZ Mahipalpur.	46 dated 20.04.2018	D-060-1081	396627	WIP	—	29.04.2018	—	—
40	Imp./Repairing of M. C. Pny School Bharthal Boys in Ward No. 47-S/NGZ in Dwarka-C.	48 dated 20.04.2018	D-060-1081	381360	WIP	—	11.05.2018	—	—

41	Imp./Repairing of M. C. Pry School Bharthal Girls in Wand No. 47-S/NGZ in Dwarka-C.	49 dated 20.04.2018	D-060- 1081	370354	WIP	—	14.05.2018	—
42	Imp./Repairing of M- C. Pry School Dhoolsiras in Ward No 47-S/NGZ in Dwarka C	50 dated 20.04.2018	D-060- 1081	443993	WIP	—	14.05.2018	—
43	Imp./Repairing of M. C. Pry. School Shahabad Mohd.pur Boys in Ward No. 7-S/NOZ in Dwarka-C.	51 dated 20 04.2018	D-060- 1081	394653	WIP	—	07.05.2018	—
44	Imp. Dev. of lane by pdg. RMC and Drain from Khazan house to Balak Ram Chowk and Ramphal house to Banga in Village Bijwasan in Ward No. 48-S/NGZ.	52 dated 21.04.2018	K-150- 1286	280139	WIP (Heldup due Notice issued)	—	27.04.2018	—
45	Imp. Dev. of Lane by pdg. RMC and Drain from Cheum Dairy to Sushant Communication in Village Bijwasan in Ward No. 48-S/NGZ.	53 dated 21.04.2018	K-150- 1286	305427	WIP (Heldup due Notice issued)	—	27.04.2018	—
46	Imp. Dev. of lane by pdg. RMC and Drain from Ram Singh house to Chet Ram house and Bhagwan Singh house to Sampat house in Village Bijwasan in Ward No. 48 S/NGZ.	54 dated 21.04.2018	K-150- 1286	303442	WIP (Heldup due Notice issued)	—	27 04.2018	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Const. of Drain from Devender Rana, house to Kali Ram house in Village Bijwasan in Ward No. 48-S/NQZ.	55 dated 21.04.2018	K-150-1286	305171	WIP (Heldup due Notice issued)	—	01.05.2018	—	—
48	P/L of RMC and Drain from Anita house to Sunder house in Mahipalpur in Ward No. 50-S/NGZ.	56 dated 21.04.2018	G-110-3561	388995	WIP (Heldup Notice issued)	—	01.05.2018	—	—
49	P/L of RMC from Rampal house to Bageh house and Nauthram house to Daya house In Village Mahipalpur in Ward No. 50-S/NGZ.	57 dated 21.04.2018	G-110-3561	373671	WIP (Heldup Notice issued)	—	01.05.2018	—	—
50	P/L of RMC from Kaluu house to Jasbir house, Kulbir house to Pardhan house, Birala house to Rekha house and K C Bhanya house in Village Mahipalpur in Ward No. 50-S/NGZ.	58 dated 21.04.2018	G-110-3561	596952	WIP (Heldup Notice Issued)	—	01.05.2018	—	—
51	Imp. and Dev. of Lane and Drain by P/L of RMC from Flat No. 6294 to Central Park and Flat No. 6311 to Flat No. 6352 in C-6 and C-7 in Vasant Kunj in Ward No. 50-S/NGZ.	59 dated 21.04.2018	G-110-3551	582462	WIP (Heldup Notice issued)	—	01.05.2018	—	—

52	P/L of RMC and Drain from Samar house to Mahabir house, Jai Narayan house to Rampath house, Satish house to Phoolisingh house, Padam house to Ram Parsad house, Kirshan house to Shri Kirshan house, Mahinder house to Sadhu Ram house and Budh Ram house to Bhalla Devi house In Mahipalpur in Ward No. 50-S/NGZ.	60 dated 21.04.2018	G-110- 3561	1135283	WIP (Heldup Notice issued)	—	01.05.2018	—
53	P/L of RMC and Drain from Prem house to Patta house, Deen house to Prem Kumar House, Bhagwan Delhi house to Sher Singh house, Navratan house to Bhaghal house, Chatar Singh house to Ram Kishan house, Narayan houBe to Parkash house in Mahipalpur in Ward No. 50-S/NGZ.	61 dated 21.04.2018	G-110- 3561	1108592	WIP (Heldup Notice issued)	—	01.05.2018	—
54	Imp. and Dev. of Lane and Drain by P/L of RMC from Flat No. 6232 to Flat No. 6321, Flat No. 6256 to Flat No. 6232 and Flat No. 6394 to BSES Transform In C-6 and C-7 in Vasant Kunj in Ward No. 50-S/NOZ.	62 dated 21.04.2018	G-110- 3551	960342	WIP (Heldup Notice Issued)	—	01.05.2018	—
55	Imp. and Dev. of Lane and Drain by P/L of RMC from Flat No. 6535 to Fla No. 6209 and Flat No. 6490 to	63 dated 21.04.2018	G-110- 3551	706824	WIP	—	26.04.2018	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Flat No. 6482 in C-6 and C-7 in Vasant Kiln in Ward No. 50-S/NOZ.								
56	P/L RMC from Ambrosliiya School to Ankit house in Village Mahipalpur in Ward No. 50-S/NGZ.	64 dated 08.05.2018	G-110-3561	756998	Comp-756998 lete	17.05.2018	27.07.2018		
57	P/L RMC and Drain from Lalit house to Pankaj house in Village Kapashera in Ward No. 49-S/NGZ.	65 dated 08.05.2018	K-150-1264	555956	Comp-555956 lete	14.05.2018	13.06.2018		
58	P/L RMC and Drain from Gyano Devi to Brahmipal house in Villagi Kapashera in Ward No. 49-S/NOZ.	66 dated 08.05.2018	K-150-1264	553905	Comp-553905 lete	14.05.2018	13.06.2018		
59	Imp. Dev. of Entrance Gate of Pocket C-8, Vasant Kunj with RCC Column Granite finish etc. in Ward No. 50-S/NGZ, Mahipalpur.	67 dated 08.05.2018	K-150-1152	900000	WIP	09.05.2018	—		
60	Const. of Additional Toilet Blocks for Boys and Girls in SDMC Pratibha School in Raj Nagar in Ward No. 46-S/NGZ	71 dated 08.05.2018	XL-VII-Edu	122000	WIP	23.05.2018	—		
61	Imp. of lane by pdg. RMC and Drain from Deepak Kulir to Pole No. 503	72 dated 08.05.2018	G-110-3561	972839	WIP	15.05.2018	—		

in village Bijwasan in Ward No. 48-S/ NOZ.						
62 Imp. Dev. of Road by pdg RMC from Ved Parkash RZ. 145/C to RZ-403/A Negi Niwas by pdg (demolition) CC, B/W, Manhole, b/agg RMC etc. in Ward No. 46-S S Raj Nagar-II/NGZ.	75 dated 14.05.2018	G-110- 3555	1060830	WIP	—	19.05.2018
63 Imp. Dev. of lane by pdg CC and Drain from Satender Hs. to Bhagwan Hs. to Aruna Hs. in Rangpuri in Ward No. 50-S/NGZ.	76 dated 14.05.2018	K-150- 1152	1859195	WIP	—	22.05.2018
64 Imp. Dev. of lane by pdg. CC and Drain from Dharara Singh Hs. to Kale Hs. in Rangpuri in Ward No. 50-S/NGZ.	77 dated 14.05.2018	K-150 1152	1838455	WIP	—	22.05.2018
65 Imp. Dev. of lane by pdg. CC and Drain from Sri Bhagwan Hs. to Yadav Hs. in Rangpuri in Ward No.-50-S/NGZ.	78 dated 14.05.2018	K-150- 1152	1736724	WIP	—	22.05.2018
66 Imp. Dev. of lane by pdg. CC end Drain from Daya Hs. to Tejpal Hs. to Hari Hs. in Rangpuri in Ward No. 50-S/NGZ.	79 dated 14.05.2018	K-150- 1152	1039429	Comp- lete	1039429	23.05.2018 26.07.2018



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	Imp. of Road by pdg. RMC from Narayan Singh Hs. to Mukesh Hs. and Raju Ware Hs. to Baljit Plot in Village Bannoli in Ward No. 47-S (Dwarka-C) In NQZ.	80 dated 14.05.2018	K-150-1152	1499999	WIP	—	22.05.2018	—	—
68	Const. of Chowk and drainage system by pdg. RMC and drain at subhash chowk in village Shahabad Mohammadpur in Ward No. 47-S/NGZ.	81 dated 14.05.2018	K-150-1152	1773235	WIP	—	04.06.2018	—	—
69	Imp. of Road by pdg. RMC and Drain from Rahenu Logistics to Jagir Singh house in Village Bannoli in Ward No. 47-S/NGZ in Dwarka-C.	82 dated 15.05.2018	K-150-1152	1839668	WIP	—	05.06.2018	—	—
70	Imp. of lane by pdg RMC and Drain from Lalit Bhardwaj house to Ravi Plot and connecting lane in Village Samalkha in Ward No. 48-S/NGZ.	83 dated 15.05.2018	K-150-1225	1614348	WIP	—	22.05.2018	—	—
71	Const. of B/Wall of JE Store works at Ward No. 47-S/NGZ in Dwarka-C.	84 dated 15.05.2018	G-110-3011	1044747	WIP	—	05.06.2018	—	—
72	Imp. of lane by pdg. RMC and Drain from Narayan Singh house to Bhina Singh ware house in Village Dhoolisiras in Ward No. 47-S/NGZ.	85 dated 15.05.2018	K-150-1152	1443673	WIP	—	21.06.2018	—	—

73	Const. of Road by pdg. RMC from Phimi Road to Community Centre in Village Bijwasan in Ward No. 48-S/NGZ.	86 dated 15.05.2018	G-110- 3561	1324297	WIP	—	24.05.2018	—
74	P/L of RMC and Drain from Shri Sai Medicos to Subey house (Brick work Brick Agg, RMC M-20 etc.) in Village Kapashera in Ward No. 49-S/NGZ.	87 dated 15.05.2018	K-150- 1286	1038172	WIP	—	22.05.2018	—
75	Repairing and Dev. work by pdg. Interlocking Tiles, Drainage in back side o School Rain Shed from Gate to School Building, Coiffencing, Grit Plaste repair etc. in SDMC Pry. School Extn. in Raj Nagar-II in Ward No. 46-S/NGZ	89 dated 15.05.2018	D-060- 1081	4350414	WIP	—	12.06.2018	—
76	Imp. of road by pdg RMC from Hari Om Ware Hs. to Vijay Building Store and Saunt Marry School to Ramesh Plot in Village Bannoli in Ward No. 47-S Dwarka-C in NGZ.	90 dated 15.05.2018	K-150- 1286	1387986	WIP	—	29.05.2018	—
77	Engaging CNG Truck (TATA-407] with Driver and four beklars in Ward No 50-S/NGZ in Mahipalpur.	92 dated 24.05.2018	F-100- 1062	597000	WIP	—	01.06.2018	—
78	Imp./Repairing of M. C. Pry School Bannoli in Ward No. 47-S/NQZ Dwarka-C.	93 dated 29.05.2018	D-060- 1081	561876	WIP	—	21.06.2018	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	Imp. of Lane by pdg. RMC and Drain from Transformer to Aksh Fashion Boutique in Village Bijwasan in Ward No. 48-S/NGZ.	94 dated 30.05.2018	G-110-3561	1061087	WIP	—	11.06.2018	—	—
80	..... Cement Store to V R. .... Supply in Village Bijwasan in Ward No 43-S/NGZ.	95 dated 30.05.2018	G-110-7561	1047415	WIP	—	12.06.2018	—	—
81	Imp. of Lane try pdg. RMC and Drain from DJB Tube well to Pole No. 403 in Village Bijwasan in Ward No 48-S/NOZ	96 dated 30.05.2018	G-110-3561	1012421	WIP	—	08.06.2018	—	—
82	Imp. of Lane by pdg. RMC and Drain from Kritroaan Steel to All In One Associates in Village Bijwasan in Ward No 46-S/NGZ.	97 dated 30.05.2018	G-116-3561	1043408	WIP	—	18.06.2018	—	—
83	P/L of RMC and Drain from Rajpal house to Risal Singh house (by pdg. Brick work. 12mm Cement Plaster, RMC M-20 etc.) in village Kapashera in Ward No. 49-S/NGZ.	98 dated 30.05.2018	K-150-1215	1626349	WIP	—	03.06.2018	—	—
84	Engaging of Water Tankers of 5000 litre capacity, for sprinkling of water on	100 dated 05.06.2018	F-100-1062	450600	WIP	—	06.06.2018	—	—

road and side berms for controlling air pollution in Mpl. Wards Kapashera and Mahipalpur at Ward No. 50-S/NGZ in Mahipalpur.	101 dated 05.06.2018	F-100- 1062	467075	WIP	—	14.06.2018	—
85 Engaging of Water Tankers of 5000 litre capacity for sprinkling of water on road and side berms for controlling air pollution in Mpl. Wards Dwarka-C and Bijwasan at Ward No. 47-S/NGZ in Dwarka-C.	104 dated 16.07.2018	K-150- 1286	1207645	WIP	—	27.07.2018	—
86 Imp. of Road by P/L RMC and Imp. of Drainage System from Welcome Store to Surender house in Village Bharthal in Ward No. 47-S/NGZ in Dwarka-C.	105 dated 20.07.2018	K-150- 1157	311233	YTS	—	—	—
87 Imp. Dev. of Sanitation by P/F Steel Gully Orating in different places in Kapashera in Ward No. 49-S/NGZ.	106 dated 20.07.2018	K-150- 1157	379535	YTS	—	—	—
88 Providing and Fixing of Stainless Steel Street Name Board in Village Kapashera in Ward No. 49-S/NGZ	107 dated 20.07.2018	K-150- 1157	493277	YTS	—	—	—
89 Imp. of Drain from MCD Pry. School to Naresh house and from Football Chowk to Outfall culverts by repair of							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Culverts, Brick work, Pdg. in Village Shahabad Mohd.pur m Ward No. 47-S/NGZ in Dwarka-C.								
90	Imp. Dev. of Drainage System from Randhir Solanki Hs to Ved Pradhan Hs in Village Shahabad Mohd. Pur in Ward No. 47-S/NGZ in Dwarka-C.	108 dated 20.07.2018	K-150-1157	499852	YTS	—	—	—	—
91	Imp. of Public Toilets, Community Toilets and Urinals in Ward No. 46-S, 47-S, 48-S in Division (M)-III/NGZ.	109 dated 20.07.2018	F-100-1062	478033	WIP	—	24.07.2018	—	—
92	Imp. of Public Toilets, Community Toilets and Urinals in Ward No. 49-S, 50-S in Division (M) III/NGZ.	110 dated 20.07.2018	F-100-1062	475902	WIP	—	21.07.2018	—	—
93	Imp. Dev. of Road and Box Type Drain by pdg. RMC and Precast Slab from DESU Transformer to RZF-569 on Railway Road in Raj Nagar-11 in Ward No [46-S/NGZ.	111 dated 30.07.2018	G-110-3555	20434109	YTS	—	—	—	—

Sl. No.	Name of work	W.O. No. & Date	Head of A/c	Contr. Amt.	Status of work	Exp. Incurred	D.O.S.	D.O.C.	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	46	Improvement of road by providing RMC from H.No. WZ- 1 to RZ-423 Don main road Raj Nagar (L=1300 mtr, avg, width=8.00 mtr.) in Ward No. 46-S/NGZ	95/ 28.3.18	G110- 3555	13640762.00	In progress	—	16.04.18	5.10.18	
2	46	C/o of RCC drain from Womens Hostel to pump room (L=350 mtr, clear W=0.60 mtr) and N.R. Public school to Shiv Shakti Enterprises L=250 mtr, clear W=0.60 mtr) in Raj Nagar-II Palam colony Ward No. 46-S/NGZ	100/ 28.3.18	G-110- 3555	13012604.00	In progress	—	16.04.18	5.10.18	
3	46	Construction of water harvesting system (by pdg Recharge well=2.00x 2.50mtr, silt chamber= 1.50x2.00 mtr 8t depth. of boring 35-50) in SDMC Dry School Rai Nagar Ward No. 46-S/NGZ	27/ 17.4.18	XL-VII- Edu	482563	In progress	—	26.04.18	25.08.18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	47	Construction of approach road (L=40 mtr, W=10 mtr) by pdg. RMC M 25 (with brick work, stone agg., good earth) from flood drain to dog Sterilization centre in Dwarka Sec. 29 in Ward No. 47S/NGZ	38/ 12.7.17	H-121- 3011	1179878.00	Completed	1179878.00	21.07.17	20.10.17	
5	47	Construction of water harvesting system (by. pdg Recharge well=2x 2.50mtr, silt chamber= 1x2 mtr) In Bannaouli, SDMC Pry. School in S-47/NGZ	22/ 13.4.18	XL-VII- Edu	488800.00	Completed	—	22.04.18	21.05.18	
6	47	Construction of water harvesting system (by. pdg Recharge well=2x 2.50mtr, silt chamber 1x2 mtr) in Shahbad Mohd.pur girls, SDMC Pry School in S-47/NGZ	31/ 18.4.18	XL-VII- Edu	497486.00	Completed	—	27.04.18	26.06.18	
7	47	Construction of water harvesting system (by. pdg Recharge well=2x 2.50 mtr,	33/ 18.4.18	XL-VII- Edu	496720.00	Completed	—	27.04.18	26.06.18	

	slit chamber 1x2 mtr) Bharthal girls, SDMC Pry. School in S-47/NGZ					
8	47	Construction of water harvesting system (by. pdg Recharge well=2 x 2.50 mtr, siltchamber= 1x2 mtr) in Bharthal boys, SDMC Pry. School in S-47/NGZ	38/ 19.4.18	XL-VII- Edu	499100.00	Completed — 28.04.18 27.06.18
9	47	Const. of mega kitchen in MC Pry. School Bagdola in Ward No. 47-S/NGZ 5/H Soil Investigation & consultancy services	56/ 8.5.18	XL-VII- Edu	277380.00	In progress 17.05.18 16.05.19
10	48	Const. of 23 Nos. class rooms, one store, one computer room, one office, one library room, one science room, one hall & toilet blocks at M.C.Pry. School Bijwasan (G), NGZ. S/H: Pdg. Connected corridor (L=3.5 mtr, W=2.5 mtr) between old and new building at 1st floor, fixing of main gate with Improvement of front boundary wall (brick work 1:6, 24mm marble wash,	43/ 1.8.17	XL-VII- Edu	975725.00	Completed 975725.00 10.08.17 09.11.17



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		steel work etc) and providing flush doors (123 Nos.) with fittings In M.C.Pry. School Bijwasan (G) in NGZ								
11	48	Pdg. Interlocking tiles at prayer area in MC Pry. School Bijwasan (G)in Ward No.48-S/NGZ	60/ 6.2.18	XL-VII- Edu	605453.00	Completed	605453.00	15.02.18	14.05.18	
12	48	Construction of water harvesting system (by. pdg Recharge well=2x2.50mtr, silt chamber= 1x2 mtr) in Shahbad Mohd.pur boys, SDMC pry School Ward No. 48-S/NGZ	30/ 18.4.18	XL-VII- Edu	497036.00	Completed	—	27.04.18	26.06.18	
13	48	Construction of water harvesting system (by. pdg Recharge well=2x2.50mtr, silt chamber= 1x2 mtr) In Bijwasan girls, SDMC Pry. School Ward No. 48-S/NGZ	39/ 20.4.18	XL-VII- Edu	499955.00	Completed	—	29.04.18	28.05.18	
14	48	Construction of additional 60 kennels (8x6 feet) and 3	60/ 10.7.18	H-121- 3011	13037404.00	To be started	—	19.07.18	18.03.19	

	rooms (16xi; feet) at Dog sterilization Centre In Dwarka Sectof-29 In NGZ.							
15	48	Providing Coil fencing, steel work, interlocking tiles In M.C.Pry. School Bijwasan (G) in W.No. 48-S/NGZ	65/ 13.7.18	XL-VII- Edu	466734.00	In progress	—	22.07.18 21.09.18
16	49	Construction of road (L=250 mtr, W=5.5 mtr avg.) by pdg. RMC M-3 grade from old NH-8 to Rao Ganga Ram Sr. Sec. School in Kapashera No 49-S/NGZ	1/ 9.4.18	G-L10- 3583	1214382.00	Completed	—	18.04.18 17.07.18
18	49	Raising of boundary wall (height 0.60 mtr avg. by pdg. Brick work, marble wash & iron grill with coil fencing in M.C.Pry. School Kapashera No.1 in Ward no. 49-S/NGZ	68/ 16.7.18	XL-VII- Edu	1526215.00	To be started	—	26.07.18 25.11.18
19	50	Stg. of road by pdg. Metalling from plot no. 92 to 41, plot no. 42 to 46, 49 to 59, 63 to 70 and 71 to 78, plot no. 79 to 83 (both side) along UGR Tank and plot no. 24 to 103	61/ 6.2.18	G-110- 3561	627979.00	Completed	627979.00	15.02.18 14.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in Nagal Devat in Ward No.50 S-47/NGZ								
20	50	Stg. Of road by pdg. Metalling from plot no. 6 to 15, plot no. 93 to 27, plot no. 97 to 79 and plot no. 1 to 71 in B block Nangal Devat in Ward No. 50-S/NGZ	62/ 7.2.18	G-110- 3561	622043.00	Completed	622043.00	16.02.18	15.05.18	
21	50	Remodelling and covering of existing drain from Subhash house to DJB UGR (L=275 mtr, W=0.9 mtr, D=1.2 mtr) in Ward No. 50-S/NGZ	71/ 6.3.18	G-110- 3561	3768103.00	Completed	—	15.03.18	14.05.18	
22	50	Remodelling and covering of existing drain from Hotel Airport Zone to Rohtash house (L=305 mtr, W-1.3 mtr and D=1.7 mtr) in Ward No.50 S/NGZ	77/ 12.3.18	G-110- 3561	8014439.00	Completed	—	21.03.18	20.09.18	
23	50	Remodelling of existing drain from old Shiv mandir to NH-8 by providing RMC, steel, CC 1:5:10, brick work and C/S	78/ 12.3.18	G-110- 3583	11324937.00	In progress	—	21.03.18	20.09.18	

	(L=795 mtr, in W=1.30 mtr. and D=1.80 mtr in Rangpuri Ward No. 50-S/NGZ					
24	50	Remodelling and covering of drain from old Shiv mandir to Mother dairy T-point In Rangpuri by pdg. RMC, steel, CC 1:5:10, B/w and C/shuttering in mabalpur in Ward No. 50-S/NGZ	82/ 12.3.18	G-110- 3583	1458286.00	Completed — 21.03.18 20.06.18
25	50	Remodelling and covering of existing drain from Naresh House to Kavel House (length=215 mtr, width=1.3 mtr and depth=1.95 mtr) in Ward no. 50-S/NGZ	105/ 30.3.18	G-110- 3561	6798955.00	In progress — 08.04.18 07.12.18
26	50	Construction of water harvesting system (by. pdg Recharge well=2x 2.50mtr, silt chamber= 1x2 mtr) In Rangpuri-Pahar in M.C.Pry. School in 50-S/NGZ	13/ 13.4.18	XL-VII- Edu	497554.00	Completed — 22.04.18 21.06.18
27	50	Construction of water harvesting system (by. pdg Recharge well=2x 2.50mtr,	28/ 18.4.18	XL-VII- Edu	499431.00	Completed — 27.04.16 26.06.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		silt chamber= 1x2 mtr) in Rangpuri boys in MC Pry. School in 50-S/NGZ								
28	50	Construction of water harvesting system (by. pdg Recharge well=2x 2.50mtr, silt chamber= 1x2 mtr) in Rangpuri (G) in M.C.Pry. School in 50-S/NGZ	29/ 18.4.18	XL-VII- Edu	493071,00	In progress	—	27.04.18	26.06.18	
29	50	Making drainage connection by pdg. 600mm NP3 RCC pipe of existing outfall drain into M/H near NH-8 on TATA Telco Road in Rangpuri Ward No. G-50 S/Mahipalpur/NGZ (1.75 mtr.)	69/ 20.7.18	G-110- 3583	610153.00	In progress	—	29.07.18	28.09.18	

Sl. No.	Name of Work
1	Improvement and development of lighting arrangement in Sector-9 Pocket-2 Dwarka in Ward No-47S under NGZ
2	Improvement and Development of lighting arrangement in C-6 and 7 Vasant kunj in Ward No -50S under NGZ
3	Provision of lighting arrangement on road from Bijwasan fly over new ware house to dhalao Bijwasan road in Ward No - 48 S under NGZ
4	Provision of lighting arrangement on road from Balmiki Basti Bijwasan to Barat Ghar Bijwasan Road in Ward No -48 S under NGZ
5	Beautification works of Mahipal Pur Fly Over Near IGI Airport under Najafgarh Zone Sub Head:-Provision of Lighting Arrangement
6	Beautification works under Flyover from Najafgarh Road Entrance in Bijwasan under Najafgarh Zone SH;- Provision of Lighting Arrangement
7	Beautification works under Flyover from Kapashera Road entrance in Bijwasan Under Najafgarh Zone SH; - Provison of Lighting Arrangement
8	Supply and installation of LED fittings with allied accessories at various locations in Ward no 46S under NGZ.
9	Supply and installation of LED fittings with allied accessories at various locations in Ward no 47S under NGZ.
10	Supply and installation of LED fittings with allied accessories at various locations in Ward no 48S under NGZ.
11	Supply and installation of LED fittings with allied accessories at various locations in Ward no 49S under NGZ.
12	Supply and installation of LED fittings with allied accessories at various locations in Ward no 60S under NGZ.

Sl. No.	Name of Work
13	Provision of LED Light fittings at various locations in Ward no 46S under NGZ.

**71-** Jh vkn'kz 'kkL=h % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एमएलए लैड योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की प्रक्रिया में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, इसका क्या कारण हैं;

(ख) क्या प्रस्तावित कार्यों की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिए शहरी विकास विभाग के प्लानिंग विंग और वर्क्स डिपार्टमेंट में समन्वय का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण और यदि नहीं तो क्यों नहीं;

(घ) एसी-33 (द्वारका) विधान सभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न वर्क्स विभागों के कितने प्रस्तावित कार्य, एस्टीमेट सहित, तथा क्षेत्रीय विधायक की फंड रिलीज करने संबंधी कितनी संस्तुतियां शहरी विकास विभाग के प्लानिंग/फाइनेंसिंग विंग में लंबित हैं, इन सबकी वर्तमान स्थिति तथा संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं;

(ङ) क्या एमएलए लैड योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की प्रक्रिया पूरी करने हेतु कोई निश्चित समयावधि है;

(च) यदि हां, तो उसका विवरण दें और यदि नहीं तो क्यों नहीं;

(छ) क्या एमएलए लैड योजना के अंतर्गत कार्यों की प्रक्रिया में शीघ्रता लाए जाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; यदि हां, तो उनका विवरण दें;

(ज) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान एमएलए लैड योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की प्रक्रिया से संबद्ध अधिकारियों के लिए किसी कार्यशाला का आयोजन किया गया है;

(झ) यदि हां, तो उसका विवरण दें; और

(ञ) यदि नहीं तो क्यों?

**ekuu; 'kgjh fodkl ea-h %** (क) और (ख) एलएडी योजना का कार्य राजस्व विभाग से शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया। इसके उपरान्त, विभिन्न पत्रों/अनुसमारकों तथा मीटिंग दिनांक 08.01.2018, 16.01.2018, 12.02.2018, 19.02.2018, 08.03.2018 एवं 19.03.2018 द्वारा 11 डूडा से खर्च की गई राशि व बची हुई राशि का विवरण व शेष राशि मांगी गई। इस कारण एमएलएएलएडी योजना का कार्य 2017-18 में सुचारु रूप से नहीं हो सके। वास्तव में वर्ष 2018-2019 में विधायक निधि फंड उपलब्ध होने से इस योजना का क्रियान्वयन सूचारु रूप से किया जा रहा है।

एमएलएएलएडी के निधि के कार्य निष्पादन करने में कुछ देरी के मुख्य कारण हैं:—

1. 11 डूडा/राजस्व विभाग की ओर से सभी विधान सभा क्षेत्र-वार शेष राशि की सूचना व शेष राशि लौटाने में देरी हुई।
2. विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों द्वारा कई कार्य प्रस्तावों में सीपीडब्ल्यूडी/जीएफआर/डीएसआर नियमों संबंधी कमियां पायी गई है। जिन्हें ठीक करवाने में समय लगता है। कुछ कार्य प्रस्ताव गार्डिलाइन व चेकलिस्ट के अनुसार नहीं पाए गए।

दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से 23 अगस्त, 2018 (4 माह व 23 दिन)



तक 903 विभिन्न विकास कार्यों के लिए रुपये 144.51 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिसमें से 20 विधान सभा क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपये प्रति विधान सभा की वर्तमान वर्ष की राशि सीमा लगभग समाप्त भी हो चुकी है। कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने में चालू वित्त वर्ष में कोई विलम्ब नहीं हो रहा है।

(ग) ,e,y,,y,Mh% इस कार्य के शीघ्र निस्तारण करने के लिए शहरी विकास विभाग में एक Dedicated Cell स्थापित करने का प्रस्ताव विचारधीन है।

(घ) ,e,y,,y,Mh% विधान सभा क्षेत्र संख्या-33 के लिए एमएलएएलएडी शाखा में कोई संस्तुति लम्बित नहीं तथा विधान सभा क्षेत्र संख्या-33 में एमएलएएलएडी निधि के अंतर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों की स्वीकृति आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(ङ) से (च) ,e,y,,y,Mh% वर्तमान एमएलएएलएडी दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यों की प्रक्रिया पूरी करने की कोई समय-सीमा तय नहीं है फिर भी विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव (Resolution) से संबंधित दिशा-निर्देश के पालन का प्रयास किया जा रहा है व कार्यों में तीव्रता लाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Information Technology) की सहायता से एक सॉफ्टवेयर बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

(छ) ,e,y,,y,Mh% जी हां, एमएलएएलएडी शाखा में शीघ्रता लाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया है।

(ज) ,e,y,,y,Mh% जी नहीं।

(झ) ,e,y,,y,Mh% लागू नहीं है।

(ञ) ,e,y,,y,Mh% विगत 3 वर्षों के दौरान एमएलए लैड योजना का क्रियान्वयन डूडा (DUDAs) राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा था।

fooj.k

**GOVERNMENT OF NCT OF DELHI  
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT  
10th LEVEL C-WING, DELHI SACHIVALAYA  
LP. ESTATE, NEW DELHI**

F.18B(160)/AC-33/UD/MLALADS/6VS/2017-18/1960-1977

Dated: 06.08.2018

**Sanction Order**

**Sub: Release of funds for Execution of works under the MLALAD Scheme i.e. "Strengthening and Augmentation of Infrastructure i.e Roads,Streets,Localities,Streets Lights etc in each Assenbly Constituency" for the year 2018-2019(during 6th Vidhan Sabha)**

Sanction of the Pr. Secretary (UD), being competent authority is hereby conveyed for A/A & E/S of Rs 135.04 Lakh and release of 50% of the estimated cost of Rs. 67.48 (Rupees Sixty Seven Lakh and Forty Eight Thonund Only) as first installment i.e. Rs. 40.31 Lakh to South DMC and Rs. 27.17 Lakh to I&FC, CD-I for carrying out the following work in Dwarka Assembly Constituency (AC-33) of Hon'ble MLA Sh. Adarsh Shastri . under the MLALAD Scheme i.e. "Strengthening and Augmentation of Infrastructure i.e. Roads, Streets, Localities, Streets Lights etc. in each Assembly Constituency" for the year 2018-19 (during 6th Vidhan Sabha):-

Sl No.	Diary No.	Name of Work	Work L.D.	Executing Agency	Estimated Cost	Revised Estimated Cost	(Rs. in Lakh)	
							Estimated Cost	50% of Estimated Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	497/444	Construction of RCC bridge at RD 1200m connecting Gali no.4A, Durga park of Nasirpur drain, Dwarka Constituency AC-33.	AC-33/2018-19/01	I&FC, CD-I	56.01	54.38	54.38	27.17
		Total			56.01	54.38	54.38	27.17
2	451	Improvement road and Drainage system at various locations by pdg. RCC pipe, Manhole, Gully Grating, RMC M20 etc in ward no. 30-S in AC-33.	AC-33/2018-19/02	South DMC	9.68	9.98	9.98	4.99
3	451	Improvement of Road and Drainage system at various location os Pdg. RCC pipe, Manhole, Gully Grating, RMC M20 etc in ward no. 31-S in AC-33	AC-33/2018-19/03	South DMC	4.97	4.97	4.97	2.48

4	451	Improvement of Road and Drainage system at various location os Pdg. RCC pipe, Manhole, Gully Grating, RMC M20 etc in ward no, 32-S in AC-33	AC-33/2018-19/04	South DMC	4.94	4.94	2.47
5	451	Improvement of Road and Drainage system at various location os Pdg. RCC pipe, Manhole, Gully Grating, RMC M20 etc in ward no, 33-S in AC-33	AC-33/2018-19/05	South DMC	9.97	9.97	4.98
6	451	Improvement Development of road and Drain by pdg. CC from H.NO RZ-1/8 to RZ-31C in Durga Park in ward no. 30-S AC-33	AC-33/2018-19/06	South DMC	15.75	15.75	7.87
7	451	Improvement Development of road and Drain by pdg. CC from UTX Service to Gupta Electrical in Durga park in ward no.30-S AC-33	AC-33/2018-19/07	South DMC	19.50	19.50	9.75
8	464	Imp/Dev. Of road and drain by pdg. CC in street no. 12 from H.no.RZ-88/345 to M/s oops creation, H.no.WZ-101/70 to	AC-33/2018-19/08	South DMC	9.96	9.96	4.98

1	2	3	4	5	6	7	8
		M & CW Centre H.no.93 A to Neeru Hotel and in Street no. 11 from Nalla Lane to H.no.WZ-101/70 in Mohan nagar, Ward no 30-S, AC-33 (Dwarka).					
9	464	Providing and fixing of Precast RCC Benches in Public Parks at different places in AC-33, Dwarka.	AC-33/ 2018-19/ 09	South DMC	5.69	5.59	2.79
		Total			80.46	80.66	40.31
		Grand Total			136.47	135.04	67.48

The amount is debitable to the Major Head "2217" in Demand No.11 Delhi for the current financial year 2018-19 of Urban Development as under:-

1. Major Head '2217' sub Major Head 05 other Urban Development Scheme Minnor Head 800 other expenditure sub Head 80 00 42- Strengthening and Augmentation of infrastructure i.e. Roads, Street, Localities, Street Lights, etc in each Assembly Constituency (For this Head BE 2018-19 Rs.225.00 Crore )and
2. Major Head '2217' sub Major Head 05, other Urban Development Scheme Minor Head 789 Special Plan for SC sub Head 90 00 42- Strengthening and Augmentation of infrastructure i.e. Roads, Street, Localities, Street Lights, etc in each Assembly Constituency (SCSP) (For this Head BE 2018-19 Rs.55.00 Crore)

The Head wise details of Amount Allocation in BE 2018-19, funds released/ disbursed are as under:-

Sl. No.	M.H.	Amount to be released as 1st installment (I&FC,CD-I)	Amount to be released as 1st installment (South DMC)
1.	M.H. "2217" 05-800 80 00 42	21.83	32.39
2.	M.H. "2217" 05-789 99 00 42	5.34	7.92
Total		27.17	40.31

The funds released are subject to the following Conditions:-

1. The total expenditure incurred shall not exceed beyond the A/A & E/S without the permission of the competent authority i.e. UD Department.

2. The Executing Agency will obtain No Objection Certificate from Land Owing Agency before the award/execution of work.
3. The progress of works will be monitored, both in physical and financial terms on monthly basis by the executing agency and quarterly reports will be furnished to UD Department, GNCTD regularly.
4. The executing agencies will submit the completion report and a certificate from concerned MLA relating to satisfactory completion of works to the UD Department.
5. As per C.I.C direction after completion of work, the name of work with amount spent will be display on sign board fixed for list of development work under above Assembly Constituency.
6. Seperate work-wise amount will be maintained by the Executing Agency.
7. Diversion of funds from one work to another is not allowed without approval of the Competent Authority.
8. The work will be taken as against MLALAD scheme fund and before execution, it should be ensured that sufficient fund under the scheme is available.
9. It should be ensured by the executing agency that there is no repetition of any work or item/component of work is whenever manner, otherwise whole responsibility will be of the Executing Agency.
10. The audited accounts and utilization certificate for the current financial year along with expenditure statement duly certified by the audit should be submitted as per GFRs.
11. Executing Agency will maintain a separate Inventory/Stock register for items procured under MLALAD Scheme.

12. The funds under the MLALAD Scheme will be Utilized by the agencies strictly in accordance with the executing guidelines and with the parameters of the scheme on approved item of work as amended from time to time.
13. The executing agencies will strictly follow the provisions as per CPWD work manual.
14. The quarterly progress report (financial and Physical ) by various agencies (area wise) under MLALADS shall be intimated to Planning Department/UD Department .
15. Sign of EE may be obtained AOC,AR & DOM etc./Preliminary Survey etc not considered and copy of Appd. Rate or AR shall be provided to UD Department.
16. The executing agency will be responsible for technical and financial scrutiny and approval of detailed estimate for each work.
17. The executing agency will observe the provisions of GFRs and work manual for execution & award of the work.
18. Location of the proposed work has to be checked by the executing agency and ensure that it is not located in an Unauthorized Colonies.
19. Similar nature of work should be treated as single project.
20. As per section 3 of the Delhi Geospatial Data Infrastructure (Management Control to the Administration, Security and Safety Act 2011), it is mandatory to upload various Geospatial Data attributes and Geospatial Database. Hence, the same should be uploaded as works done under the MLAFUND on Geospatial Data of your department



21. All the works approved for execution in each MLA constituency under MLALAD may be uploaded in the public domain for information of the public and for the purpose of social audit
22. The implementing agency will observe the provisions of GFRs-2017, CVC guidelines and orders of Finance Department, Delhi Government (eg. follow DSR 2014 etc.) issued time to time for execution & award of the work and also to observe all guidelines issued by UD Deptt. time to time.

The Drawing and Disbursing Officer (UD) GNCTD will draw the amount from the Pay & Accounts Office, No. VI, Tis Hazari, Delhi and disburse it to South DMC through ECS/RTGs/Cheque and I&FC Department through Cheque in favour of Executive Engineer CD-I, I &FC Department.

Name of Account	Account No.	Nam of Bank & Branch	DSC Code
Commissioner, SDMC	50212589388	Allahabad Bank	ALLA0210411

SECTION OFFICER (MLALAD)

Dated: 06.08.2018

**F.18B(160)/AC-33/UD/MLALADS/6VS/2017-18/1960-1977**

**Copy for necessary action to:-**

1. The DDO, UD Deptt, GNCTD, Delhi Secretariat, (02 copies).
2. The PAO-V1, Tis Hazari, Delhi for arranging payment to the Executing agency through ECS/RTGs/Cheque.
3. The Executive Engineer, M-D, NGZ, South DMC, Near MC Pry. School. Manglapuri, Delhi

4. The Assistant Engineer, Civil Division No-1, Govt. of NCT of Delhi I&FC Department, Basaidarapur Office Complex, Opposite, ESI Hospital, Delhi-27.

**Copy for information to:-**

1. Hon'ble MLA, Sh, Adarsh Shastri, RZ/35-36, Gaii No-22, Vashishth Park, New Dethi-110046.
2. The Secretary to Hon'ble Minister, Urban Development Department GNCTD, Delhi Sachivalaya, LP. Estate, New Delhi.
3. The Secretary, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
4. The P.S. to Pr. Secretary, Urban Development Department Delhi Secretariat, New Delhi.
5. The Commissioner, South DMC, S.P Mukherji Ciivc Center, Minto Road, Delhi.
6. The Chief Engineer, I&FC Department, GNCTD, LM. Bund Office Complex, Shastri Nagar, Delhi.
7. The Joint Secretary, Finance (Budget) Deptt. Govt. of Delhi, 4th Floor, LP. Estate, New Delhi.
8. The PA to Special Secretary (UD)-IL 10th Level, B-Wing, Delhi Secretariat New Delhl-110002.
9. The Joint Director (Fig.), 10th Level, A-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-110002
10. COA, UD Deptt, GNCTD, 10th Level, Delhi Secretariat, New Deihi-110002

11. The Senior Audit Officer, State Receipt Audit (HQ) O/o AG(A), AGCR Bldg., 4 Floor, IP Estate, NewDelhi.
12. The Accounts Officer, Internal Audit Department, GNCTD, Delhi Secretariat, New Delhi.
13. Assistant Programmer, Urban Development Department GNCTD, 9th Level, Delhi Secretariat, New Delhi, with the request to upload on the departmental website.
14. Guard File.

SECTION OFFICER (MLALAD)

72- Jh vkn'kz 'kkL=h % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl eah यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमएलए लैंड योजना के अंतर्गत अनुमत्य कार्यों में सिक्योरिटी गेट, स्वागत गेट तथा क्षेत्र का नाम दर्शाने वाले साइनबोर्ड लगाने को भी शामिल करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण दें; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

ekuuh; 'kgjh fodkl eah % (क) और (ख) fnYyh 'kgjh fodkl foHkkx% वर्तमान में MLALAD Guidelines में सिक्योरिटी गेट के कार्य को MLALAD फंड से कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) fnYyh 'kgjh fodkl foHkkx% लागू नहीं।

73- Jh vkn'kz 'kkL=h % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वित्तीय वर्षों में एसडीएमसी के विभिन्न खंडों जैसे हॉर्टीकल्चर, मैनेटेनेंस आदि द्वारा हॉर्टीकल्चर, मैनेटेनेंस आदि द्वारा एसी-33, द्वारका के पॉकेट 6 के बुद्धा जयंती पार्क में सुधार हेतु जितने कार्य किए गए उनका पूरा विवरण लागत तथा व्यय का स्रोत सहित उपलब्ध कराएं;

(ख) विगत पांच वित्तीय वर्षों में एसडीएमसी के विभिन्न खंडों जैसे हॉर्टीकल्चर, मैनेटेनेंस आदि द्वारा एसी-33, द्वारका में पार्कों में सुधार हेतु जितने कार्य किए गए उनका पूरा विवरण लागत तथा व्यय का स्रोत सहित उपलब्ध कराएं;

(ग) एससी-33 (द्वारका) के दिल्ली सरकार के विभिन्न वर्क्स डिपार्टमेंट की ओर से अनापत्ति हेतु कितने अनुरोध एसडीएमसी में लंबित हैं; और इनका कालक्रमानुसार विवरण क्या है?

ekuuh; 'kgjh fodkl ea=h % (क) nf{k.k fnYyh uxj fuxe%

m|ku foHkkx I s i xlr I p u k d s v u d k j % दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा निम्न कार्य मोहल्ला सभा फंड (XL-VIII-T) से कराये गये हैं:-

1. MPPS झूला लगवाना, रुपये 5.24 लाख
2. गजीबो बनवाना, रुपये 4.53 लाख

vfhk; kf=d foHkkx I s i xlr I p u k d s v u d k j % पिछले पांच वर्षों में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अभियांत्रिक विभाग ने एसी-33, द्वारका

विधान सभा के पाकेट-6 में स्थित बुद्धा जयन्ती पार्क में एक सुधार कार्य करवाया है। इस कार्य का विवरण लागत व व्यय से स्रोत निम्नलिखित है:-

**dk; / dk uke&** Renovation and Beautification of Buddha Jayanti Park (Passage) Durga Park (Nasirpur) in Dwarka Constituency Ward No. C-130/NGZ.

वर्क आर्डर संख्या-108 दिनांक 25.10.2017

Head of account – XL-VIII-T

Expenditure Incurred – Rs. 18,64,800/-

(ख) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe**

**m | ku foHkx I s i xlr I p u k d s v u d k j %&** उपरोक्त प्रश्नोत्तर 'क' के अनुसार।

**v f h k ; k f = d f o H k x I s i x l r I p u k d s v u d k j %&** पिछले पांच वित्तीय वर्षों में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा एसी-33 द्वारका विधान सभा क्षेत्र के पार्कों में कराए गए सभी सुधार कार्यों का पूर्ण विवरण लागत व व्यय के स्रोत सहित 'क' और 'ख' पर संलग्न है।

(ग) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe**

**v f h k ; k f = d f o H k x I s i x l r I p u k d s v u d k j %&** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के एसी-33 द्वारका विधान सभा क्षेत्र में संबंधित खंड के पास दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग द्वारा मांगे गए अनापत्ति प्रमाण पत्र लंबित नहीं है।

Sl. No.	Location (Provision of lighting arrangement)	Amount (in Rs.)	Head of account
1	Nursary Park Manglapuri Village	2310007/-	G-111-3173
2	Gym wala Park manglapuri Village	66000/-	G-111-3173
3	Park in front of Gym Manglapuri Village	88000/-	G-111-3173
4	Park near BSES office Manglapuri	99000/-	G-111-3173
5	Park Near Community Hali Manglapuri	132000/-	G-111-3173
6	Manglapuri Phased Park behind M-III	165000/-	G-111-3173
7	Park Opp. Pink Appartment	165000/-	G-111-3173
8	Manglapuri Phase-2 park Kailadevi wala Park	165000/-	G-111-3173
9	Park behind Kabristan Manglapuri Phase-I	132000/-	G-111-3173
10	Park near Mother Dairy Phase-I Manglapuri	110000/-	G-111-3173
11	Manglapuri Phase-1 Park near House No. 98	88000/-	G-111-3173
12	Park near house no. 476 Manglapuri Phase-1	88000/-	G-111-3173
13	B-Block park Manglapuri Phase-II	88000/-	-G-111-3173
14	Park opposite dispensary Sadh Nagar	110000/-	G-111-3173
15	Mahila Park	99000/-	G-111-3173
16	B-174 Manglapuri Phase-II	88000/-	G-111-3173
Total		1914000/-	

**74- Jh vkn'kz 'kkL=h % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि एससी-33 द्वारका विधान सभा क्षेत्र में पॉकेट 6 के सीजीएचएस फ्लैट जैसे निष्काम अपार्टमेंट, नवीनकुंज अपार्टमेंट, कृष्णकुंज अपार्टमेंट, आइडियल अपार्टमेंट तथा ईआईएल अपार्टमेंट एसडीएमसी की संपत्ति सूची की जी श्रेणी में आते हैं जबकि कुमुदी अपार्टमेंट सीजीएचएस तथा नवजीवन अपार्टमेंट डीडीए फ्लैट्स डी श्रेणी में आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea=h % (क) और (ख) nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** जी हां, वह सत्य है। नगर निगम मूल्यांकन समिति-1 द्वारा निर्मित सूची में निष्काम अपार्टमेंट, नवीन कुंज अपार्टमेंट तथा ईआईएल अपार्टमेंट सीजीएचएस श्रेणी "जी" में सम्मिलित किया है तथा द्वारका क्षेत्र को श्रेणी "डी" में सम्मिलित किया है। क्योंकि कुमुदी अपार्टमेंट तथा नवजीवन अपार्टमेंट डीडीए फ्लैट्स को नगर निगम मूल्यांकन समिति-1 द्वारा निर्मित उपरोक्त सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है तथा ये द्वारक क्षेत्र में आते हैं इसलिए इन्हें "डी" श्रेणी रखा गया है।

**75- Jh l keukFk Hkkjrh % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पिछले साढ़े तीन वर्ष से मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में एमएलए लैड फंड के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों की सूची तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) किसी विधायक द्वारा एमएलए लैंड के अंतर्गत सफलता पूर्वक करवाए जाने वाले कार्यों हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का चरणबद्ध वितरण क्या है, इसमें संबद्ध एजेंसियों का नाम, लागू होने वाले नियम तथा काम में लगने वाला अनुमानित समय भी स्पष्ट करें;

(ग) प्रो. किरण वालिया के विधायक-काल के दौरान एमएलए लैंड निधि के अंतर्गत करवाए गए कार्यों की सूची उपलब्ध कराएं;

(घ) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में अंधेरे स्थलों को प्रकाशित करने हेतु स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए किस एजेंसी से अनुरोध करना होगा;

(ङ) मालवीय नगर मेन मार्केट में कुछ वर्ष पहले एमएलए लैंड निधि से विधायक निधि से लगवाए गए सीसीटीवी कैमरे, जिन्हें लगाने के बाद दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया था और जो इस समय खराब हैं, उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व किसका है और उन्हें कौन ठीक करेगा; संबद्ध दस्तावेजों सहित जानकारी उपलब्ध कराएं;

(च) किसी विधायक के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए जाने वाले 'कैपिटल वर्क' प्रकृति, के कार्यों/योजनाओं के लिए धन के अन्य क्या स्रोत हो सकते हैं;

(छ) विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में कराए जाने वाले कार्यों के विवरण किस एजेंसी के पास होते हैं, दिल्ली की सभी 70 विधान सभा क्षेत्रों में कराए गए कार्यों, उनकी लागत व उनके लिए प्रयुक्त धन के स्रोत की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं;

(ज) एसडीएमसी द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कौन सी नई तकनीकें अपनाई जा रही हैं, क्या एसडीएमसी ने मालवीयनगर विधान सभा



क्षेत्र में कॉम्पेर्टर्स लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, एसडीएमसी ने मेरे उस अनुरोध पर क्या कार्रवाई की है जिसमें मैंने कॉम्पेर्टर्स लगाने के लिए चार करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति मांगी थी;

(झ) एसडीएमसी ने अरविंदो मार्ग, एन के पांडेय मार्ग, हौजखास गांव रोड, गौतम नगर रोड, एम के जैन रोड, चौधरी मार्ग, चौधरी झंडू सिंह मार्ग, चौधरी हुकुम चंद मार्ग, खिड़की रोड और मदन मोहन मालवीय अस्पताल के सामने वाली सड़क के समीप किस कानून और किस प्रावधान के अंतर्गत ढलाव बनाए हैं, तथा मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में कितने ढलावों का आधुनिकीकरण किया जा चुका है;

(ञ) एसडीएमसी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शौचालय बनाने की क्या स्थापित प्रक्रिया है, मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में एसडीएमसी द्वारा बनाए गए शौचालयों की सूची उनकी वर्तमान स्थिति सहित उपलब्ध कराएं, क्या शौचालयों पर स्थानीय पार्षदों के चित्र लगाए जा सकते हैं, यह भी बताएं कि क्या एसडीएमसी ने इन शौचालयों के लिए विधिवत पानी और सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन किया है;

(ट) शौचालयों के सफल परिचालन का क्या तरीका है क्या इसके लिए कोई अध्ययन कराया गया है क्योंकि एसडीएमसी क्षेत्र के शौचालयों की तुलना में एनडीएमसी क्षेत्र के शौचालय सफलतापूर्वक परिचालित हो रहे हैं;

(ठ) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले बरसाती पानी के नालों की सूची व उनका प्रबंधन करने वाली एजेंसी के नाम की जानकारी दें; और

(ड) मानसून के दौरान बरसाती पानी की समस्या से निपटने के लिए ये एजेंसी कितनी तैयार है?

**ekuuH; 'kgjh fodkl eæh % (क) nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%**

**m | ku foHkx l s i klr l p u k d s v u d k j %** उद्यान विभाग दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा ओपन जिम लगाने के 5 कार्य वर्ष 2016-17 में कराए गये है। सूची अनुलग्नक 'क-ए' पर संलग्न है।\*

**v f h k ; k f = d f o H k x l s i k l r l p u k d s v u d k j %** पिछले साढ़े तीन वर्षों में मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में एमएलए लैंड फंड के अंतर्गत कराए जाने वाले व पूर्ण कराए गए कार्यों की सूची तथा उनकी वर्तमान स्थिति अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

**, e , y , y M %** 1 अप्रैल, 2015 से 15 जुलाई, 2015 एवं 13 दिसम्बर, 2017 से 31 जुलाई, 2018 तक एमएलए लैंड फंड से एक कार्य की स्वीकृति शहरी विकास विभाग द्वारा दी गई। 16 जुलाई, 2015 से 12 दिसम्बर, 2017 तक एमएलए लैंड फंड में कार्यों की स्वीकृति डुडा साउथ ने प्रदान की।

**f M I V h d U V t y j v k D , d k m U V ] ; M h %** प्रश्न लेखा शाखा पर लागू नहीं होता।

**f t y k x k e h . k f o d k l v f h k d j . k % M M k % n f { k . k h %** विधान सभा-43 (मालवीयनगर) की सूची संलग्न है (13 दिनांक 2017 से अब तक)।

**f n Y y h ' k g j h v k J ; l q k j c k M %** पिछले साढ़े तीन वर्ष में मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में एमएलए लैंड फंड के अन्तर्गत केवल एक कार्य

डीयूएमआईबी द्वारा कराया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है: कार्य का नाम: जेजे बस्ती बाल्मीकि कैम्प बेगमपुर में सीवर लाइन प्रदान करना एवं रखना।

कुल लागत: 36,62,498/— रुपए

कार्य प्रारंभ तिथि: 03.01.2015

कार्य समाप्ति तिथि: 02.05.2015

सूची 'क' में संलग्न है।

एमएलए लैड फंड के अंतर्गत पिछले साढ़े तीन वर्ष में कोई कार्य नहीं किया गया है।

(ख) एमएलए लैड फंड

एमएलए लैड प्राप्त होने के पश्चात अनुमान स्वीकृत करवाकर टेन्डर प्रक्रिया द्वारा कार्य आबंटित कराया जाता है। कार्य की प्रकार के अनुसार समय पर कार्य क्रियान्वित किया जाता है।

एमएलए लैड्स के कार्यों का निष्पादन करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2012 में जारी दिशा-निर्देशों का, डूडा द्वारा जारी मियाद एवं शर्तों तथा दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले अन्य संशोधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। विधान सभा सचिवालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी पत्र संख्या F-22(3)/Resolutions/2015/LAS-VI/Leg./6893

dated 13.4.2018 के अनुसार कार्य के सम्पादन की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न चरणों में लगने वाला अनुमानित समय का उल्लेख किया है जिसकी प्रतिलिपि 'ख' पर संलग्न है।

fMIVh dIVtyj vkD , dkmIV] ; MIt% प्रश्न लेखा शाखा से संबंधित नहीं है, लागू नहीं होता।

ftyk xkeh.k fodkl vfHkdj.k %MMk½ nf{k.k.kt% सूची संलग्न है तथा अनुमानित समय अधिकतर कार्यों में 90/120 दिन का होता है।

fnYyh 'kgjh vkJ; I qkj ckM% शहरी विकास विभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार कार्य में लगने वाला अनुमानित समय कार्य के प्रकार एवं अनुमानित लागत पर निर्भर करता है।

fl pkbZ , oa ck<+ fu; æ.k foHkx% इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(ग) nf{k.k.kh fnYyh uxj fuxe% प्रो० किरण वालिया के विधायक काल के दौरान एमएल लैंड निधि के अंतर्गत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा करवाए गए कार्यों की सूची अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।

nf{k.k.kh fnYyh uxj fuxe% माननीय विधायक के अनुरोध पर कैपिटल वर्क प्रकृति के कार्यों/योजनाओं के लिए दिल्ली सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती है।

, e, y, yM% अक्टूबर, 2008 से नम्बर, 2013 तक MLALAD FUND से MCD को रुपए 6.34 करोड़ बीएसईएस – आरपीएल को रुपए 0.58 करोड़, डीआईएससीओएम को रुपए 0.61 करोड़ डीजेबी को रुपए 2.32 करोड़, आईएण्डएफसी को रुपए 0.27 करोड़, एनडीएमसी को रुपए 1.00

करोड़ तथा साउथ डीएमसी को रुपए 5.61 करोड़ के विभिन्न कार्यों को शहरी विकास विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है।

**fMIVh dUVtyj vkQD , dkmUV] ; Mh%** उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

**ftyk xkeh.k fodkl vfHkdj.k 1/2 nf{k.kh%** यह प्रश्न जिला दक्षिणी डूडा की शाखा से संबंधित नहीं है।

**fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM%** डीयूएसआईबी से संबंधित विवरण शून्य है।

**fl pkbZ , oa ck<+ fu; .k foHkx%** सूची 'ख' में संलग्न है।

**fnYyh ty ckM%** अनुलग्नक 'क' के संलग्न है।

(घ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** मालवीय नगर निगम सभा क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्रों में स्थित अंधेरे स्थलों को प्रकाशित करने हेतु स्ट्रीट लागने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को अनुरोध करना होगा।

**,e,y, yM%** इस शाखा से संबंधित नहीं है।

**fMIVh dUVtyj vkQD , dkmUV] ; Mh%** उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

**ftyk xkeh.k fodkl vfHkdj.k 1/2 nf{k.kh%** यह प्रश्न जिला दक्षिणी डूडा की शाखा से संबंधित नहीं है।

**fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM%** डीयूएसआईबी से संबंधित विवरण शून्य है।

**fl pkbZ , oa ck<+ fu; æ.k foHkkx%** इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(ड) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने मालवीय नगर विधान सभा मेन मार्केट में सीसीटीवी कैमरे का कोई भी कार्य एमएलए लैंड निधि द्वारा नहीं करवाया है।

**,e,y, yM%** उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

**fMIVh dUVtsyj vkQD , dkmUV]** ; **Mh%** उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

**ftyk xkeh.k fodkl vfHkdj.k %Mk% nf{k.kh%** यह प्रश्न जिला दक्षिणी डूडा की शाखा से संबंधित नहीं है।

**fnYyh 'kgjh vkJ; I qkj ckM%** डीयूएसआईबी से संबंधित विवरण शून्य है।

**fl pkbZ , oa ck<+ fu; æ.k foHkkx%** इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(च) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** माननीय विधायक के अनुरोध पर कैपिटल वर्क प्रकृति के कार्यों/योजनाओं के लिए दिल्ली सरकार द्वारा ६ अनराशि उपलब्ध करायी जा सकती है।

**,e,y, yM%** विधायक फंड के वर्तमान MLALAD GUIDELINES की list of Permissible Items of work एवं अन्य संबंधित आदेश के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं।

**fMIVh dUVtsyj vkQD , dkmUV]** ; **Mh%** उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

ftyk xteh.k fodkl vfHkdj.k ¼MMk½ nf{k.k% यह प्रश्न जिला दक्षिणी डूडा की शाखा से संबंधित नहीं है।

fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM% दिल्ली सरकार द्वारा आयोजन योजनाओं के मद के आवंटित फंड के अंतर्गत।

fl pkbZ ,oa ck<+ fu; æ.k foHkkx% इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(छ) nf{k.k% fnYyh uxj fuxe% दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी विधान सभा क्षेत्रों में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्तमान विधान सभा के दौरान विधायक की सन्तुति से विधायक निधि से कराए गए सभी कार्यों की सूची 'घ' पर संलग्न है।

,e,y, yM% दिल्ली के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में विधायक निधि से कराये आने वाले कार्यों की स्वीकृति "शहरी विकास विभाग" द्वारा प्रदान की जाती है।

fMIVh dUVtyj vkID ,ckmUV] ;Mh% उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

ftyk xteh.k fodkl vfHkdj.k ¼MMk½ nf{k.k% यह प्रश्न जिला दक्षिणी डूडा की शाखा से संबंधित नहीं है।

fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM% मॉगा गया विवरण डीयूएसआईबी में उपलब्ध नहीं है।

fl pkbZ ,oa ck<+ fu; æ.k foHkkx% इस विभाग से संबंधित नहीं है।

**उत्तर 10000** विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में कराये जाने वाले कार्यों के विवरण जिस एजेंसी ने जो काम कराये उसी के पास होते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् में विधायक फंड से कोई भी कार्य नहीं कराया गया है।

**उत्तर 10001** विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में कराए जाने वाले कार्यों का विवरण जो संस्था कार्य करवाती है, उसके पास उपलब्ध होता है। सभी 70 विधान सभा क्षेत्रों में कराए गए कार्यों की अवधि स्पष्ट न होने के कारण इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

(ज) **उत्तर 10002** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना एसओ 1357(E) दिनांक 8.4.2018 द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस नई तकनीक में गिले और सुखे कूड़े को अलग से संग्रह व परिवहन करने का प्रावधान है। संग्रह और परिवहन के लिए ऑटो टिप्पर, मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन, फिक्सड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन आदि आधुनिक तकनीक वाले वाहनों एवं मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा 4 फिक्सड कम्पैक्टर लगाए जा चुके हैं और इसके लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता फिलहाल नहीं है।

**उत्तर 10003** इस शाखा से संबंधित नहीं है।

**उत्तर 10004** उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।



ftyk xteh.k fodkl vfHkdj.k ¼MMk½ nf{k.k% यह प्रश्न जिला दक्षिणी डूडा की शाखा से संबंधित नहीं है।

fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM% डीयूएसआईबी से संबंधित नहीं है।

fl pkbZ , oa ck<+ fu; æ.k foHkkx% इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(झ) nf{k.k fnYyh uxj fuxe% दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रश्न में पूछी गयी सड़कों पर ढलाव काफी समय पहले आवश्यकता एवं जमीन की उपलब्धता के अनुसार बनाये गये थे। अभी तक 4 निम्नलिखित ढलावों का आधुनिकरण किया जा चुका है:—

- (1) बी-8, जिया सराय गांव, मालवीय नगर
- (2) ए-1 नियर बी-24, गीतांजली एन्कलेव मालवीय नगर
- (3) ए-24, अरविन्दों प्लेस मार्किट, सफदरजंग एन्कलेव
- (4) ए-34, मस्जित मोट, हौजखास

, e, y, yM% इस शाखा से संबंधित नहीं है।

fMIVh dUVtyj vkQD , dkmUV] ; Mh% उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

ftyk xteh.k fodkl vfHkdj.k ¼MMk½ nf{k.k% यह प्रश्न जिला दक्षिणी डूडा की शाखा से संबंधित नहीं है।

fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM% डीयूएसआईबी से संबंधित नहीं है।

fl pkbZ , oa ck<+ fu; æ.k foHkkx% इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(ज) नफ़्क.क.ह. फ़नय्यह उख्ज फ़ुखे% दक्षिणी दिल्ली नगम निगम द्वारा आवश्यकता अनुसार एवं जमीन की उपलब्धता के अनुसार शौचालयों का निर्माण कराया जाता है। मालवीय नगर में वर्तमान में उपलब्ध सार्वजनिक शौचालयों की सूची 'ड' पर संलग्न है। शौचालयों पर स्थानीय पार्षदों के चित्र लगाने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। शौचालयों के लिए पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है। हालांकि पब्लिक इंस्ट्रस्ट के सभी शौचालयों का सीवर से कनेक्शन किया गया है या जहां पर सीवर उपलब्ध नहीं है वहां पर सैप्टिक टैंक का भी निर्माण किया गया।

,e,y, y% इस शाखा से संबंधित नहीं है।

fMIVh dUV%syj vk% ,dkmUV] ;% उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

ftyk xkeh.k fodkl vfHkdj.k % nf{k.k.% यह प्रश्न जिला दक्षिणी डूडा की शाखा से संबंधित नहीं है।

fnYyh 'kgjh vkJ; I qkj ck% डीयूएसआईबी से संबंधित नहीं है।

fl pkbz ,oa ck<+ fu; .k foHkx% इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(ट) नफ़्क.क.ह. फ़नय्यह उख्ज फ़ुखे% शौचालयों का परिचालन समुचित तरीके से किया जा रहा है।

,e,y, y% इस शाखा से संबंधित नहीं है।

fMIVh dUV%syj vk% ,dkmUV] ;% उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

ftyk xteh.k fodkl vfHkdj.k ¼MMk½ nf{k.kh% यह प्रश्न जिला दक्षिणी डूडा की शाखा से संबंधित नहीं है।

fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM% डीयूएसआईबी द्वारा निर्मित सामुदायिक शौचालयों का परिचालन टेंडर प्रक्रिया से चयनित रख-रखाव एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। डीयूएसआईबी द्वारा ऐसा अध्ययन नहीं कराया गया है।

fl pkbZ , oa ck<+ fu; æ.k foHkx% इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(ठ) nf{k.kh fnYyh uxj fuxe% मालवीय नगर विधान सभा में पड़ने वाले 4 फुट से छोटी बरसाती नाली एवं 4 फुट से बड़े बरसाती नालों की सूची 'च' पर संलग्न है। इन नालों की सफाई विभागीय मशीनरी एवं विभागीय कर्मचारियों द्वारा की जाती है।

,e,y, yM% इस शाखा से संबंधित नहीं है।

fMIVh dUVtyj vkM , dkmUV] ; Mh% उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

ftyk xteh.k fodkl vfHkdj.k ¼MMk½ nf{k.kh% यह प्रश्न जिला दक्षिणी डूडा की शाखा से संबंधित नहीं है।

fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM% डीयूएसआईबी से संबंधित नहीं है।

fl pkbZ , oa ck<+ fu; æ.k foHkx% मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में इस विभाग का कोई भी नाला नहीं है।

(ड) nf{k.kh fnYyh uxj fuxe% दक्षिण दिल्ली नगर निगम में जल निकासी के लिए वाटर पम्पों एवं अन्य साजो सामान के साथ विभिन्न विभागों

के कर्मचारियों की क्षेत्रीय कंट्रोल रूम में 24 घंटे ड्यूटी लगाई हुई है और सभी क्षेत्रीय कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य कर रहे हैं जिससे कि जल निकासी की सूचना मिलते ही उसका तुरन्त प्रभाव से निदान हों।

, e, y, yM% इस शाखा से संबंधित नहीं है।

fMIVh dUVtsyj vkM , dkmUV] ; Mh% उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

ftyk xkeh.k fodkl vfHkdj.k %Mk% nf{k.k.k% यह प्रश्न जिला दक्षिणी डूडा की शाखा से संबंधित नहीं है।

fnYyh 'kgjh vkJ; I qkj ckM% डीयूएसआईबी से संबंधित नहीं है।

fl pkbZ , oa ck<+ fu; a.k foHkx% इस विभाग से संबंधित नहीं है।

ubZ fnYyh uxj ikfydk ifj"kn% मानसून के दौरान बरसाती पानी की समस्या से निपटने के लिए नई दिल्ली अगर पालिका परिषद् पूरी तरह से तैयार हैं।

76- Jh I kœukFk Hkjrh % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl eah यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधान सभा में विभाग की कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित करने हेतु सौंपी गई हैं या इस समय कार्यान्वित की जा रही है, परियोजना की लागत, परियोजना सौंपने की तिथि, निविदा-प्रक्रिया की तिथियां सहित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं;

(ख) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में कितनी अनधिकृत कॉलोनियां पड़ती हैं और इनमें से प्रत्येक कॉलोनी में किए जाने वाले कार्यों के लिए विभाग द्वारा कितनी राशि का आबंटन किया गया है, ये कौन-से कार्य हैं और कब तक प्रारंभ होंगे;

(ग) क्या अनधिकृत कॉलोनियों में ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट व गालियों/सड़कों को कंक्रीट का बनाने का उत्तरदायित्व भी शहरी विकास विभाग का है; और

(घ) यदि हां, तो वह तिथि बताएं जब मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र की अनधिकृत कॉलोनियों में ये समस्त कार्य पूरे हो जाएंगे?

**कुछ; 'क' (क) के लिए**

**इसके लिए; उज (क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2013 से मालवीय नगर में प्रायोगिक रूप में पानी की निरंतर आपूर्ति करने, प्रणाली में सुधार एवं विस्तार के कार्य की एक पीपीपी परियोजना शुरू की गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-**

**इसके लिए; क**

अनुमानित लागत	: 171 करोड़ (सड़क मरम्मत सहित)
निविदा तिथि	: 6 जुलाई, 2012
शुरू होने की तिथि	: 1 जनवरी, 2013
समाप्त होने की तिथि	: 31 दिसम्बर, 2015
समाप्त होने की अनुमानित तिथि	: 31 दिसम्बर, 2018

मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जहांपनाह अनाधिकृत कॉलोनी में सीवर लाइन डालने का कार्य लगभग सम्पूर्ण होने के कगार पर है जोकि एक परियोजना का हिस्सा है जिसके अंतर्गत जहांपनाह कॉलोनी की राशि का अलग से ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। इस परियोजना की कुल आवंटन राशि रुपये 564.75 लाख है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा ??04.2007 से आज तक कार्यान्वित कराई जा रही सभी परियोजनाएं का परियोजना संपूर्ण विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

**fl pkbZ , oa ck<+ fu; æ.k foHkkx%** सूचना सूची 'क' में संलग्न है।

**vukf/kÑr dkWYksuh l yj 'kgjh fodkl %** शहरी विकास विभाग दिल्ली निष्पादन एजेंसियों जैसे कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, डीएसआईआईडीसी विभाग एवं दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य सम्पादित करवाता है। इन निष्पादन एजेंसियों को यह विभाग अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य हेतु एक मुश्त धनराशि उपलब्ध करा देता है। यह एजेंसियां दिनांक 19.12.2012 तथा 29.12.2015 के निर्देशों के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य सम्पादित करती है।

(ख) **fnYyh ty ckM%** मालवीय नगर क्षेत्र के अंतर्गत 5 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं इन कॉलोनियों में पानी के वितरण की व्यवस्था उपलब्ध है। इन अनाधिकृत कॉलोनियों में प्रत्येक कॉलोनी में किए जाने वाले कार्यों के लिए राशि के आवंटन की अलग से कोई राशि निर्धारित करती है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe:** दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या F-1-33/UC/UD/Policy/07 part file/CD-021297485/350-361 दिनांक 10.03.2016 के उपरांत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में कोई भी विकास कार्य करवाने के लिए अधिकृत नहीं है अतः मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनी में किसी भी कार्य के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को कोई भी राशि का आबंटन नहीं किया गया है एवं न ही इन कॉलोनियों में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा कोई भी कार्य करवाया गया है।

**fl pkbz , oa ck<+ fu; æ.k folkkx%** सूचना सूची 'ख' में संलग्न है।

**vukf/kÑr dklykuh l sy] 'kgjh fodkl %** मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में सात अनाधिकृत कॉलोनियां आती हैं। शहरी विकास विभाग, दिल्ली, निष्पादन एजेंसियां जैसे कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण डीएसआईआईडीसी एवं दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य सम्पादित करवाता है। इन निष्पादन एजेंसियों को यह विभाग अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य हेतु एक मुश्त लॉन राशि उपलब्ध करा देता है। यह एजेंसियां दिनांक 19.12.2012 तथा 29.12.2015 के निर्देशों के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य सम्पादित करती है।

(ग) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्तानुसार।

**vukf/kÑr dklykuh l sy] 'kgjh fodkl %** यह विभाग निष्पादन एजेंसियों जैसे कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, डीएसआईआईडीसी एवं दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य निष्पादित करवाता

है। यह एजेंसियों दिनांक 19.12.2012 तथा 29.12.2015 के निर्देशों के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य सम्पादित करती है।

(घ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्तानुसार।

**fl pkbz , oa ck<+ fu; a.k folkkx%** मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में जो कार्य इस विभाग को सौंपे गए हैं, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के पश्चात् कार्य पूरा होने की संभावना है।

**vukf/kNr dkWkuh l sy] 'kgjh fodkl %** यह विभाग निष्पादन एजेंसियों जैसे कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, डीएसआईआईडीसी एवं दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य सम्पादित करवाता है। यह एजेंसियों दिनांक 19.12.2012 तथा 29.12.2015 के निर्देशों के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य सम्पादित करती है।

**77- Jh iadt iqdj %** क्या **'kgjh fodkl ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वजीराबाद गांव, रामघाट वजीराबाद एवं गोपालपुर गांव के मुख्य नाले/नालियों की आखिरी बार सफाई कब हुई थी;

(ख) इनमें से कितने नाले/नालियां ओवर फ्लो हो रही हैं;

(ग) ओवर फ्लो के लिए कौन जिम्मेदार है;

(घ) मलकागंज चौक से सब्जी मण्डी थाने तक सड़क का आरओडब्ल्यू कितना है तथा इस के दोनों ओर स्थित नालियों की स्थिति क्या है;

(ङ) इनकी आखिरी बार सफाई कब हुई थी;



(च) मलकागंज वार्ड में कितनी सड़कों और नालियों का रख-रखाव निगम के पास है; पूर्ण विवरण के साथ मानचित्र भी उपलब्ध करवाएं;

(छ) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों के ऊपर स्थित फुटपाथों पर नगर निगम तहबाजारी व्यवस्था के अंतर्गत ओपन और कवर्ड दुकानें जारी करता रहा है;

(ज) क्या यह भी सत्य है कि दुकान लगने के बाद फुटपाथ पर पैदल चलने के लिए अपेक्षित जगह नहीं बचती;

(झ) सड़क सुरक्षा मानकों के ऐसे उल्लंघन के लिए कौन जिम्मेदार है; और

(ञ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या विशेष प्रयास किये जा रहे हैं?

**ekuuH; 'kgjh fodkl eah % (क) mUkjH fnYyh uxj fuxe%** वजीराबाद गांव, रामघाट वजीराबाद एवं गोपालपुर गांव की नालियों की सफाई सुचारू रूप से करवाई जाती है मार्च से जनू, 2018 तक सभी नालियों की सफाई।

**fl pkbZ ,oa ck<+ fu; a.k foHkkx%** जहांगीरपुरी नाला एवं पूरक (Supplementary) नालों की सफाई हर वर्ष मानसून आने से पहले कर दी जाती है।

**ykd fuekZk foHkkx%** लोक निर्माण विभाग द्वारा तथाकथित गांवों की सड़कों की देखरेख का कार्य नहीं किया जाता है।

(ख) **mùkjh fnYyh uxj fuxe%** वर्तमान में कोई भी नालियां ओवरफलो नहीं हो रही है यदि कहीं पर रूकावट के कारण नाली ओवरफलो हो जाती है या Culvert व लोगों द्वारा बनाए गए घर के बाहर रेंप के कारण ओवरफलो हो जाती है तो वहां की रूकावट को हटाकर लंबे बांस के द्वारा ओवरफलो की समस्या दूर कर दी जाती है। अगर कहीं पर मरम्मत का कार्य चल रहा है तो तब पानी को रोका जाता है लेकिन मरम्मत पूरी होने के पश्चात् नाली खोल दी जाती है।

**fl pkbZ , oa ck<+ fu; æ.k foHkx%** इस विभाग का कोई भी नाला ओवरफलो नहीं कर रहा है।

**ykd fuekZk foHkx%** उपरोक्तानुसार।

(ग) **mùkjh fnYyh uxj fuxe%** निवासियों द्वारा नालियों में फेके गए कूड़े के कारण और नालियों में कूड़ा फंसा रहने के कारण नालिया ओवरफलो हो जाती है।

**fl pkbZ , oa ck<+ fu; æ.k foHkx%** उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

**ykd fuekZk foHkx%** उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(घ) **mùkjh fnYyh uxj fuxe%** मलका गंज चौक से सब्जी मंडी थाने तक सड़क के दोनों ओर नालियां नहीं है।

(ङ) **mùkjh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्त 'घ' के अनुसार।

**fl pkbZ , oa ck<+ fu; æ.k foHkx%** उपरोक्त।

(च) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** 60 फुट से कम चौड़ी सड़क एवं उसकी नालियां नगर निगम के अधीन आती है। एरिये के बारे में जानकारी निम्न प्रकार से है:-

1. मुकीमपुरा
2. सोहनगंज
3. आर्यपुरा
4. कबीर बस्ती
5. नेहरू कुटिया
6. मल्का गंज
7. चमन गंज
8. इंदिरा मार्केट

**fl pkbZ , oa ck<+ fu; æ.k foHkkx%** यह जानकारी इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

**ykd fueZk foHkkx%** नगर

(छ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** जी, हां। तहबाजारी नियम अनुसार।

**fl pkbZ , oa ck<+ fu; æ.k foHkkx%** उपरोक्त।

**ykd fueZk foHkkx%** जी हां, यह सत्य है।

(ज) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** तहबाजारी के नियम अनुसार फुटपाथ पर पैदल चलने के लिए जगह छोड़ना अनिवार्य है। इस संबंध में

समय-समय पर अतिक्रमण के खिलाफ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्यवाही की जाती है।

**fl pkbz , oa ck<+ fu; æ.k foHkkx%** उपरोक्त।

**ykd fuekZk foHkkx%** जी हां, यह सत्य है।

(झ) **mÜkjh fnYyh uxj fuxe%** सड़क सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के विषय में जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होती है।

**fl pkbz , oa ck<+ fu; æ.k foHkkx%** उपरोक्त।

**ykd fuekZk foHkkx%** जो विभाग तहबाजारी के अंतर्गत दुकानों की अनुमति जारी करता है इस हेतु वहीं जिम्मेदार है।

(ञ) **mÜkjh fnYyh uxj fuxe%** सभी पंथ विक्रेताओं के टाउन वैडिंग कमेटी द्वारा सर्वे किए जाने के उपरांत वैडिंग/हॉकिंग जोन बनाकर व्यवस्थित किया जायेगा।

**fl pkbz , oa ck<+ fu; æ.k foHkkx%** उपरोक्त।

**ykd fuekZk foHkkx%** नगर निगम जो तहबाजारी के अंतर्गत दुकानों की अनुमति जारी करता है उसका ब्यौरा लोक निर्माण विभाग को नहीं दिया जाता। अतः इस विभाग को जानकारी नहीं है।

**78- Jh i dt i qdj %** क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl eæh** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोपालपुर शहरीकृत गांव एवं वजीराबाद शहरीकृत गांव में 30 जून, 2018 तक कितने भवनों के नक्शे पास हुए;

(ख) बिना नक्शा पास किये बनाये गये बहुमंजिला भवनों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है;

(ग) अब तक ऐसे कितने भवनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; पूर्ण विवरण दें;

(घ) मलकागंज वार्ड में 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2018 तक बिना नक्शा पास हेतु कितने भवनों का निर्माण हुआ; पूर्ण विवरण दें;

(ङ) उन पर अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) गुरु तेग बहादुर नगर एवं मुखर्जी नगर वार्ड के अंतर्गत निगम के रखरखाव की कितनी सड़कों पर कहां-कहां अतिक्रमण है;

(छ) क्या यह सत्य है कि इन सड़कों/गलियों में स्थित नालियों पूर्ण या आंशिक रूप से बंद या अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा करके बंद कर दी गई हैं;

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

**ekuuh; 'kgjh fodkl eah % (क) mÙkjh fnYyh uxj fuxe%**  
रिकॉर्ड के अनुसार गोपालपुर शहरीकृत गांव व वजीराबाद शहरीकृत गांव में 30 जून, 2018 तक कोई नक्शे पास नहीं हुए है।

(ख) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियमों के अंतर्गत बुकिंग, तोड़-फोड़, सीलिंग एवं अभियोजन की कार्यवाही की जाती है।

(ग) **mUkjh fnYyh uxj fuxe%** उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा 1 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2018 तक कुल 64 सम्पत्तियां पर दिल्ली नगर निगम अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। कॉपी 'ए' संलग्न है।

(घ) **mUkjh fnYyh uxj fuxe%** मलकागंज वार्ड में 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2018 तक बिना नक्शे या नक्शे से विचलन के लिए कुल 162 सम्पत्तियों को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा बुक किया गया है। कॉपी 'बी' संलग्न है।

(ङ) **mUkjh fnYyh uxj fuxe%** बुक की गई कुल 162 सम्पत्तियों में से 45 सम्पत्तियों पर तोड़-फोड़ एवं सीलिंग की कार्यवाही की गई है।

(च) **mUkjh fnYyh uxj fuxe%** गुरु तेग बहादुर नगर में आने वाली कॉलोनी हकीकत नगर, आउटराम लेन, टैगोर पार्क, ढक्का गांव, मलिक पुर, विजय नगर सिंगल और डबल स्टोरी और हडसन लाइन एवं मुखर्जी नगर वार्ड के अंतर्गत आने वाले कॉलोनी में मुखर्जी नगर, परमानन्द, इंदिरा विहार, गोपालपुर और नेहरू विहार के निवासी रैम्प, कीचन, गार्डन व थडे जगह-जगह पर बना लेते हैं और इस अतिक्रमण को समय-समय पर सूचना मिलने पर व शिकायत प्राप्त होने पर हटा दिया जाता है।

(छ) **mUkjh fnYyh uxj fuxe%** नालियों की सफाई हेतु अतिक्रमण को आवश्यकतानुसार समय-समय पर हटा दिया जाता है।

(ज) **mUkjh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्तानुसार।

Sl. No.	Booking No.	Date	Name of Owner/ occupier	Ward No.	Address of the property	Extent of unauthorized construction booked
1	2	3	4	5	6	7
1	25	09.02.2018	Sh. Raj Kumar Rajpoot	12	Kh No. 263 / 228/173 min, Gali No.6/4, Village Wazirabad, Delhi	U/c in the shape of Mpl. Land.
2	83	26.04.2018	Owner/Builder	12	Property Near Electric Pole No. 532-38/9/2/1. Gali No. 5. Saneam Vihar. Delhi-84.	Entire U/c at Basement Floor & Ground Floor.
3	84	26.04.2018	Sh. Yogender Tirpati	12	Kh. No. 120. Gali No. 12, Wazirabad, Delhi-84.	Entire U/c at GF and raising of walls & column.
4	85	26.04.2018	Owner/ Builder	12	Kh. No. 100, Gali No. 12, Wazirabad, Delhi-110084.	Entire U/c at GF, FF,TF & 4th Floor.
5	115	17.05.2018	Sh. Rizwan	12	Kh. No. 160, Opp. Masjid, Main Pusta Road, Opp. Ramghat. Wazirabad. Delhi.	Entire u/c atGF, FF & SF.
6	123	28.05.2018	Sh. S. M. Goyal	12	P. No. 58. B. D. Estate, Delhi-54	U/c at GF, FF, SF (GF & FF Old construction, addition/alteration at F.F and entire u/c at SF)
7	162	08 06.2018	Sh. Ashish Goel & Sh. Gourav Goel	12	P. No. 12, B, D. Estate, Delhi-54	Deviation against SBP No. 10036590-06 at Silt, GF, FF, SF & TF

8	231	20.06.2018	Sh. Ansari & Jagdish	12	Kh. No. 38/9, Near Pole No. 532-37/1, Saneam Vihar,	Entire u/c at basement & ground floor.
9	249	22.06.2018	Sh. Deepak	12	P. No. 299, Gali No. 6/1. Near Pole No. 532-47/16/1.	Entire u/c at GF, FF, SF, TF & 4th Floor.
10	250	22.06.2018	Sh. Deepak	12	Property Opp. P. No. 299, Gali No. 6/1, Near Pole No. 532-47/15, Wazirabad. Delhi.	Entire u/c at GF, FF, SF, TF & 4th Floor.
11	251	22.06.2018	Sh. Deepak	12	Property Near Pole No. 532-47/16] & 532-47-17/2; 1. Gali No. 6/1. Wazirabad	Entire u/c at GF, FF SF, TF & 4th Floor.
12	252	22.06.2018	Sh. Sanjeev Kr. Singh	12	Property Near Pole No. 532-47/8 & 532-47/8/7. Gali No.	Entire u/c at GF, FF, SF, TF & 4th Floor.
13	253	22.06.2018	Sh. Sanjeev Kr. Singh	12	Property Near Pole No. 532-47/8 '1. Gali No. 6.	Entire u/c at GF, FF, SF, TF & 4th Floor.
14	254	22.06.2018	Sh. Mukesh	12	Property Near Pole No. 532-47/7 & 532-47/7/1/1, Gali No. 6, Wazirabad, Delhi.	Entire u/c at GF, FF & SF.
15	255	22.06.2018	Sh. Deepak	12	Property Near Pole No. 532-47/5 & 532-47/4, Gali No. 6. Wazirabad. Delhi.	Entire u/c at GF, FF, SF, TF & 4th Floor.
16	256	22.06.2018	Sh. Surender	12	Property Near Pole No. 532-47/5. 532-47/6, Gali No. 6.	Entire u/c at GF, FF & raising of column at SF.



1	2	3	4	5	6	7
17	257	22.06.2018	A Sh. Salender Tyagi	12	Properly Near Pole No. 532-47/3/1/1 & 532-47/3/1/2, Opp. P. No. C-54 & C-53, Gali No. 6. Wazirabad, Delhi.	Entire u/c at GF, FF, SF, TF & 4th Floor.
18	258	25.06.2018	Sh. Sunny & Jagdish	12	P. No. C-56, Near Pole No. 532-47/3/1/2, Gali No. 6.	Entire u/c at GF, FF, SF & walls raising at TF
19	259	25.06.2018	Sh. Anu Sardar	12	Kh. No. 174, Near Pole No. 532-45/3/2 & 532-45/3/1, Gali No. 8. Wazirabad, Delhi.	Entire u/c at GF, FF, SF & TF.
20	260	25.06.2018	Smt. Usha Devi	12	Kh. No. 174/2, Near Pole No. 532-45/3, Gali No. 8.	Entire u/c at GF.
21	261	25.06.2018	Sh. Amit & Hari Om	12	Kh. No. 174, Near Pole No. 532-45/3/3/2, Gali No. 8.	Entire u/c at OF, FF, SF, TF & 4th Floor.
22	262	25.06.2018	Sh. Sanjay	12	Kh. No. 174, Near Pole No. 532-45/3/5/3, Gali No. 8	Entire u/c at GF, FF, SF, TF & 4th Floor.
23	263	25.06.2018	Sh. Naveen Chand	12	Kh. No. 17472, Near Pole No. HT-532-45/3/5/2, Gali No. 8, Wazirabad, Delhi.	Entire u/c at GF and raising of walls & column at FF.
24	264	25.06.2018	Sh. Parkash Yadav	12	Property Near Pole No. UT-532-45/3/3 & HT-532-45/3/4, Gali No. 8, Wazirabad.	Entire u/c at GF, FF, SF, TF & 4th Floor.

25	265	25.06.2018	Owner/Builder	12	Property- Near P. No. C-173, Near Pole No. 532-45/4/1, Wazirabad, Delhi.	Entire u/c at GF, FF, SF & TF (GF & FF is old & Occupied).
26	266	25.06.2018	Smt. Kuman Gupta	12	Property Near Pole No. HT- 532-46/9, Gali No. 6,	Entire u/c at GF, FF, SF & TF.
27	267	25.06.2018	Sh. Tara Dutt	12	Kh. No. 89, Gali No. 9, Wazirabad, Delhi.	Entire u/c at GF, FF, SF, TF & 4th Floor.
28	268	25.06.2018	Sh. Shis Kr. Singh	12	Property Near Pole No. 532- 46/6/3, Gali No. 6,	Entire u/c at GF, FF & SF.
29	280	25.06.2018	Sh. D. K. Sharma	12	Property Opp. ATM Int. School, near pole No. 532-46/6/3, Gali No. 6 & 7, Wazirabad, Delhi.	Entire u/c at GF & FF.
30	281	28.06.2018	Sh. Yeti	12	Property Opp. APJ Int. School, near pole No. 532-46/6/3, Gali No. 6 & 7, Wazirabad, Delhi.	Entire u/c at GF & FF.
31	282	28.06.2018	Smt. Mannu Devi	12	P. No. F-407, Gali No. 6, Wazirabad, Delhi.	Entire u/c at GF, FF & SF.
32	283	28.06.2018	Owner/Builder	12	Property Near pole No. 532-46/ 5/1/5 & Adjacent to P. No. F-407, Gali No. 6, Wazirabad, Delhi.	Entire u/c at GF, FF & SF.
33	284	28.06.2018	Sh. Tannu	12	Property Near Pole No. 532-45/ 3/5/5, Gali No. 8,	Entire u/c at GF, FF, SF, TF & 4th Floor.

1	2	3	4	5	6	7
34	285	28.06.2018	Sh. Himanshu	12	Property Near Pole No. 532-35/42/1, Gali No. 8, Wazirabad, Delhi.	Entire u/c at GF, FF, SF & raising of walls & columns at TF.
35	286	28.06.2018	Sh. Harish	12	Property Near Pole No. 532-35/42/9, Gali No. 8,	Entire u/c at GF, FF, SF, TF & 4th Floor
36	287	28.06.2018	Sh. Santosh Morya	12	Property near Jagatpur Road. Inside Gali No. 8/1.	Entire u/c at GF, FF & SF.
37	288	28.06.2018	Sh. Aditya	12	Property near Jagatpur Road, Inside Gali No. 8/1.	Entire u/c at GF, FF, SF, TF & 4th Floor.
38	293	29.06.2018	Sh. Amrik Singh	12	Property near Jagatpur Road, Inside Gali No. 8/1,	Entire u/c at GF, FF, SF, TF & 4th Floor.
39	294	29.06.2018	Owner/Builder	12	Property Near Pole No. 532-44/10, Gali No. 22,	Entire U/c at GF, FF, SF & TF.
40	295	29.06.2018	Owner/Builder	12	Property Near Pole No. 532-44/10, Gali No. 12.	Addition/alleration at GF & FF.
41	296	29.06.2018	Sh. Kamal	12	Kh. No. 97/2, Gali No. 12, Wazirabad, Delhi.	Entire u/c at GF, FF, SF, TF & 4th Floor.
42	297	29.06.2018	Owner/ Builder	12	Kh. No. 96/2, Near Pole No. 532-44/12, Gali No. 12.	Entire u/c at GF, FF & SF.

Sl. No.	Date of Demolition action	Ward No.	Properts No.	Extent of u/c demolition
1	2	3	4	5
1	03.01.2018	12	Gali No 16/39. Kh no. 109, Village Wazirabad, Delhi	Demolition action has been taken in the ground floor slab with the help of police force at ongoing stage.
1	03.01.2018	12	Gali No. 91/2, Gali No. 6., Jagapur Road, Village Wazirabad, Delhi	Demolition action has been taken on the Basement slab with the help of police force at ongoing stage
3	11.01.2018	12	Property near elect. Pole no. 532-46/3/3/1, Opp. H. No. 192. Gali No. 6, Wazirabad, Delhi.	RCC panel two (02) in nos and walls 06 in no's demolished complete!) at first floor.
4	19.01.18	12	Shop No. 2, New Market, Timarpur, Delhi,	02 points sealed at misuse
5	19.01.18	12	Shop No. F-2, New Market, Timarpur, Delhi, first	02 points sealed at misuse
6	19.01.18	12	Shop No. 38. New Market. Timarpur. Delhi, first	01 Point Sealed at misuse
7	31.01.18	12	P. No. /Kh. No. 95/2. 25 Foota Road. Gali No. 8,	RCC panel two (02) in no's and walls demolished al first floor at ongoing stage.

1	2	3	4	5
8	31.01.18	12	P. No. /Kh. No. 95/2. 20 Foota Road, Gali No. 8, Wazirabad	RCC panel 02 (two) in no's at first floor and 01 (one) no's at third floor with walls demolished completely at ongoing stage.
9	08.02.2018	12	Kh. No. 276/125, Gali No. 1, Wazirabad, Delhi	Demolition action has been taken on the fourth floor slab of four rooms and demolish the four rooms slab & reinforcement cut by gas cutter.
10	08.02.2018	12	Kh. No. 263/228/173 Mm, Gali No. 6/4.	Demolish the one room slab at second floor
11	19.02.2018	12	1 -B. B. D. Estate. Timarpur. Delhi.	Sealed at Three Point.
12	19.02.2018	12	27. B. D. Estate. Timarpur, Delhi	Sealed at One Point.
13	19.02.2018	12	15,B. D. Estate. Timarpur. Delhi	Sealed at Two Points
14	19.02.2018	12	106, B. D. Estate, Timarpur. Delhi	Sealed at Four Points
15	19.02.2018	12	92. B. D. Estate. Timarpur. Delhi	Sealed at Five Points.
16	15.03.2018	12	Kh. No. 372, Gali No. 3/1/2, Near Pillar Electric Pole NO. 532-37/1/2. San-gam Vihar, Delhi	Demolished the ground floor slab & demolished the two panele & also reinforcement cut by gas cutter.
17	15.03.2018	12	Gali No. 3/1/2. Near Piller No.	Demolished the third floor slab & reinforcement

18	22.03.2018	12	532-368/2/3/6. Near Duma Mandir, Sangam Vihar, Delhi.	12	532-368/2/3/6. Near Duma Mandir, Sangam Vihar, Delhi.	cul by gas cutter & ulso demolished the walls at forth floor.
19	20.04.2018	12	H. No. 357. Gali No. 7. Opposite Ramghat,	12	H. No. 357. Gali No. 7. Opposite Ramghat,	Demolsihed the lower & foundation of the said tower and also cut the tower by gas
20	08.05.2018	12	109, B. D. Estate, Delhi.	12	109, B. D. Estate, Delhi.	During the action removing two shutters at GF and also demolished the Brick walls in coridor & tram sel back at GF.
21	08.05.2018	12	Property No. 6E & Khasra No. 160. Main Wazirabad Road, Kali Ghat. Delhi	12	Property No. 6E & Khasra No. 160. Main Wazirabad Road, Kali Ghat. Delhi	During the action walls of third floor & roof of second floor partly demolished.
22	08.06.2018	12	Property/House No. 62, Gall No. 3. Wazirabad, Delhi	12	Property/House No. 62, Gall No. 3. Wazirabad, Delhi	During the action projection at ground floor & state case at ground floor partly demolished.
22	08.06.2018	12	Shop No. 21, New Market, Timarpur, Delhi	12	Shop No. 21, New Market, Timarpur, Delhi	During action 02 panel at First Floor & one panel at Second Floor demolished.

Sl. No.	Booking No.	Date	Name of Owner/ occupier	Ward No.	Address of the property	Extent of unauthorized construction booked
1	2	3	4	5	6	7
1	66	4/20/2015	Owner/Builder	9	1146. Shora Kothi MalkaGanj. Delhi-07	U/c at Gf. FF raising walls at SF.
2	180	7/31/2015	Owner/Builder	9	L-25, Double Storey, Malka Ganj. Delhi-07	U/c at GF.

1	2	3	4	5	6	7
3	181	7/31/2015	Owner/Builder	9	L-26, Double Storey Malka Ganj, Delhi-07	U/c at FF, IInd, Ulrd floor.
4	182	7/31/2015	Owner/Builder	9	1843, Gali Ahiravan, Malka Ganj, Delhi-07	U/c at FF, SF, Ulrd floor.
5	208	9/2/2015	Owner/Builder	9	Prop. No. 426, Katra Mangla Kumar Near Robin Cinema, Mukeemoura Subzi Mandi.	U/c of one small room at S. F facing to lane.
6	216	9/14/2015	Owner/Builder/ Occupier	9	1869, Gali Ahiran Malka Ganj, Delhi-07	U/c at GF, FF, SF & TF.
7	221	9/16/2015	Owner/Builder	9	Part of 800/12, Shora Kothi Subzi Mandi, clock Tower, Delhi-09	U/c at third floor and fourth floor.
8	222	9/16/2015	Owner/Builder	9	2876, Gali Bata Wali Subzi Mandi, Delhi-	U/c at GF, FF and SF
9	223	9/16/2015	Owner/Builder	9	270, Katra Gulkhan Subzi Mandi, Delhi-07	U/c at GF, FF, SF, TF & Fth floor.
10	227	9/17/2015	Owner/Occupier	9	1648, Sohan Ganj, Subzi Mandi, Delhi-07	Deviation against sanction building plan (stilt to Trd Floor)
11	228	9/17/2015	Smt Sumita Arora, Sh. Ravinder	9	41-42, Block-C-1, MalkaGanj, Delhi-07	Deviation against sanctioned bldg. plan stilt to Trd floor.

12	242	10/1/2015	Smt. Poonam Kathpal	9	C-1/44, Malka Ganj, Delhi-07	Delhi-07	Deviations against sanctioned Building plan stilt to Oldr
13	259	#####	Owner/Occupied	9	261, Main Bazar Subzi Mandi, Delhi-07	Delhi-07	Unauthorized erection/installation of cell tower on terrace.
14	260	#####	Owner/Occupied	9	3693, Subzi Mandi, Baraf Khanna Road.	Delhi-07	Unauthorized erection/installation of cell tower on terrace.
15	261	#####	Owner/Occupied	9	4753, Roshanara Road, Subzi Mandi, Delhi-07	Delhi-07	Unauthorized erection of cell tower on terrace.
16	268	#####	Owner/Builder	9	D-64, Malka Ganj, Delhi-110007	Delhi-07	U/c at SF in a shape of veranda facing on road and bath room at IIIrd floor.
17	303	12/1/2015	Owner/Occupier	9	P. No. 366, Gali Robin Cinema, Old Subzi Mandi, Delhi-07	Delhi-07	U/c at First floor in the shape of rooms.
18	313	#####	Owner/Occupier	9	R-19, Indira Market. Subzi Mandi, Delhi-	Delhi-07	U/c at FF, SF and walls al 3rd floor.
19	317	#####	Owner/Builder	9	4427, Aryapura, Subzi Mandi, Delhi-07	Delhi-07	U/c of GF, FF, SF, TF & 4th floor.
20	318	#####	Owner/Builder	9	B-1/66, Malka Ganj, Delhi-07	Delhi-07	Deviation against sanctioned building plans stilt to TF.
21	319	#####	Owner/Builder	9	4031, Roshanara Road. Subzi Mandi, Delhi	Delhi-07	U/c of GF, FF, SF, TF and 4th Floor.
22	320	#####	Owner/Builder	9	4032, Roshanara Road, Safi Building,	Delhi-07	U/c of GF, FF, SF, TF and 4th floor.



1	2	3	4	5	6	7
23	322	#####	Owner/Occupier	9	262, Katra Gulkhan Subzi Mandi, Delhi-09	U/c of GF, FF, SF, TF & 4th Floor.
24	324	#####	Owner/Builder	9	1710, Sohan Ganj, Subzi Mandi, Delhi-07	Deviation against sanctioned building plan stilt to 3rd floor.
25	11	1/14/2016	Owner/Builder	9	K-3, Kedar Building Subzi Mandi, Ghanta Ghar. Delhi-07	U/c at GF & construction of walls al FF.
26	12	1/14/2016	Smt. Rukmani Devi	9	439-40, Gali Robin Cinema, Main Bazar Subzi Mandi. Delhi-07	U/c at third floor & fourth floor.
27	13	1/14/2016	Owner/Builder	9	1968-A, Malka Ganj Road, Delhi-07	U/c at SF & TF.
28	68	2/29/2016	Owner/Occupier S/Sh. Harish Gilani, Prakash Gilani, Ramesh Gtlani	9	1882, Malka Ganj, Subzi Mandi	U/c at GF, F. fl. With second floor.
29	72	3/16/2016	Owner/Builder	9	H. No. 4386, Aryapura, Subzi Mandi, Delhi	U/c at GF, FF, SF, Ulrd floor, IV floor with mummy.
30	82	4/19/2016	Owner/Builder	9	P. No. 3580, Indira Mkt. Subzi Mandi, Delhi-07	U/c at GF, FF, SF, TF & 4th floor.
31	83	4/19/2010	Owner Builder	9	524, Mukeempura. Subzi Mandi, Delhi-07	U/c at 3rd floor & 4th floor

32	106	5/11/2016	Owner-Builder	9	2871, Rajputana Dharamshala Gali Batii Wali, Main Bazar, Subzi Mandi, Delhi	U/c of raisins of RCC column & walls at GF.
33	107	5/11/2016	Owner/Builder	9	1872, Gali Ahiran, Malkaganj, Subzi	U/c of entire 4th floor.
34	112	5/13/2016	Owner/Builder	9	531, Mukeempura, Subzi Mandi, Delhi.	U/c of GF, raising of walls at FF.
35	113	5/13/2016	Owner/Builder	9	4583/13. Gali Sunder Singh, Roshanara	U/c of 4th floor (GF to TF old & occupied)
36	155	7/1/2016	Owner/Occupier	9	2436, Main Bazar Subzi Mandi, Malka Ganj, Delhi-07	Unauthorise construction in the shape of entire fourth floor (GF, FF, SF, TF old & Occupied).
37	164	7/13/2016	Owner/Occupier	9	4465, Aryapura, Subzi Mandi, Malkaganj, Delhi-7	U/a construction in the shape of entire third floor and construction of walls etc. at fourth floor (GF, FF, SF, Old
38	179	7/26/2016	Owner/Builder	9	531. Mukeempura, Subzi Mandi, Delhi.	U/a construction in the shape of entire FF, SF, TF (GF has already been booked vide file no. 112/C-9/B-
39	195	8/22/2016	Owner/Occupier	9	529, Mukeempura, Malka Ganj, Delhi.	U/c in the shape of entire fourth floor (GF to third floor old & occupied).
40	196	8/22/2016	Owner/Occupier	9	530. Mukeempura, Malka Ganj, Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor to third floor & at fourth floor
41	207	8/24/2016	Owner/Builder	9	C-1/36, Malka Ganj, Delhi.	Unauthorize construction at fourth floor.

1	2	3	4	5	6	7
42	208	8/24/2016	Owner/Occupier	9	C-1/43, Malka Ganj, Delhi.	U/c in the shape of entire stilt, ground, first, second & third
43	209	8/24/2016	Owner/Occupier	9	C-2/39-40, Malka Ganj. Delhi.	Unauthorized construction of entire fourth floor.
44	210	8/24/2016	Owner/Occupier	9	C-2/4M2, Malka Ganj, Delhi-07	Unauthorized construction at fourth floor.
45	24 5	9/21/2016	Owner/Occupier Printmart	9	1801, Chandrawal Road	U/c in the shape of mazine floor.
46	247	9/26/2016	Owner/Builder/ Vicky	9	3889, Roshanara Road, Malkaganj. Delhi.	Unauthorized construction in the shape of entire first floor, second floor & third floor.
47	285	#####	Owner/Builder	9	H, No. 263C. Punjabi Rasti, Mallet Ganj. Delhi	U/c in the shape of entire ground floor, first floor, second 1 floor & third floor.
48	286	#####	Owner/Occupier/ Lalit Kishore	9	5126/4, Near Pumah National Bank, Subzi Mandi Ghanta Ghar, Delhi-07	U/c in the shape of entire ground floor, first floor, second floor, third floor & one room and toilet at fourth floor.
49	287	#####	Occupier/Owner/ Kalla	9	KatraNo. 54, Katra Prabhudayal, Subzi Mandi. Delhi-07	U/c in the shape of one hall, staircase and one room at ground floor.
50	292	11/8/2016	Gulshan Mailhotra/Manu Owner/Builder	9	2692, Main Bazar Road, Subzi Mandi, Malka Ganj. Delhi-07	U/c in the shape of entire ground floor, first floor, second floor & third floor.

51	296	#####	Raj Rani, Owner/Occupier	9	340, Kabir Basti, Malka Ganj, Delhi.	U/c in the shape of entire third floor & fourth floor.
52	297	#####	Raj Rani, Owner/Occupier	9	T-12, Kala Ret, Malka Ganj, Delhi.	U/c in the shape of entire third floor, fourth floor & fifth
53	299	#####	Owner/Occupier	9	2095, Mukeempura, Malkaganj, Delhi.	U/c in the shape of entire second floor.
54	300	#####	Owner/Occupier	9	2096, Mukeempura, Malka Ganj, Delhi.	U/c in the shape of entire second floor.
55	301	#####	Owner/Occupier	9	2099, Mukeempura, Malka Ganj, Delhi.	U/c in the shape of entire second floor.
56	309	12/2/2016	Owner/Occupier	9	3411, Aryapura, Subzi Mandi, Delhi.	U/c in the shape of entire fourth floor.
57	310	12/2/2016	Owner/Occupier	9	3405, Aryapura, Subzi Mandi, Malka Ganj, Delhi-07	U/c in the shape of entire ground floor to fourth floor.
58	311	12/2/2016	Sml. Sudha Gupta	9	C-2/48.-Malka Ganj, Delhi-07	U/c in the shape of deviation from SBP No. 21/10033443/EE(B)-I/CLZ/2016 dt. 5/5/2016 at all floor
59	323	#####	Owner/Builder	9	563. Mukeempura. Malka Ganj	U/c in the shape of entire GF. FF. SF, TF & Fourth Floor.
60	329	#####	Owner/Occupier	9	1535, Deenanath Building Chandrawal Road. Subzi Mandi. Delhi.	U/c in the shape of illegal construction of Basement. Additions and alterations ai ground floor and first floor in
61	1	1/6/2017	Hazi Zameel/	9	286, Gali Akhade Wali Kabir	Unauthorised construction in the shape

1	2	3	4	5	6	7
			Owner/Builder	Basli. Malkaani		of entire second floor & third floor (Ground floor and first floor old and
62	7	1/23/2017	Owner/Occupier	9 1459-1460, Punjabi Mohalla, Subzi Mandi, Ghanta Ghar. Delhi-		Unauthorised Construction in the shape of entire third floor
63	8	1/25/2017	Owner/Occupier	9 T-37, Kala Ret, Subzi Mandi, Malka Ganj, Delhi-		Unauthorise construction in the shape of entire ground floor & First floor.
64	10	1/25/2017	Owner/Occupier	9 K-16, Malkaganj, Delhi		Unauthorise construction in the shape of entire second floor & third floor.
65	11	1/25/2017	Owner/Occupier	9 D-333, Kabir Basti Malkaganj, Delhi-07		Unauthorised construction in the shape of entire second floor and third floor (ground floor & first floor old &
66	12	1/25/2017	Owner/Occupier	9 2620, Lambi Gali, Punjabi Basti, T.F & Fouth Floor		U/c in the shape of entire G.F, F.F, S.F,
67	16	2/1/2017	Owner/Occupier	9 (312-313-314) Main Bazar, Subzi Mandi, Ghanta Ghar, Malka Gani. Delhi		U/c in the shape of addition alteration at first floor and second floor in the existing old building (ground floor old
68	26	2/16/2017	Sh. Ram Chander Gupta	9 X11/7162-64 Part (old), 5047 (New), Chamangani, Roshanara Road. Delhi.		U/c in the shape of deviation/excess coverage from SBP No. 03/EE(B)-1/CLZ/2016 dt. 29/09/2016 including projection on minl. land at all floors from stilt to first floor.

69	37	2/27/2017	Owner/Occupier	9	H. No. 1146, Shora Kothi. Malkaganj. Delhi-07	U/c in the shape of entire second floor, third floor and fourth floor (u/c at GF, FF, raising of walls at second floor already booked vide file no. 66/C-9/B-IUC/CLZ/2015 dl.
70	43	3/10/2017	Sh. Ram Chander Gupta	9	XII/7162-64, Part(Old) 5047 New, Chamangani. Roshanara Road	U/c in the shape of deviation/excess coverage from SBP No. 03/EE(B)-1 CLZ/2016 dt.29'09/16 including projection on municipal land at all floors at second floor & third floor (u/c in the shape of deviation/excess coverage from SBP at stilt to first floor has already been booked vide file no.26/C-9B-IUC/CLZ/22017 dt. 16/02/2017
71	44	3/10/2017	Owner/Builder	9	4693, Roshanara Road, Shyam Motors, Malkaganj. Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor.
72	45	3/10/2017	Owner/Occupier	9	Q-38, Malka Ganj, Delhi.	U/c in the shape of deviation/excess coverage from standard plan at first floor and u/c of entire second floor
73	46	3/10/2017	Owner/Occupier	9	Q-37, Malka Ganj, Delhi.	U/c in the shape of deviation/excess coverage from standard plan at wound floor.
74	51	3/22/2017	Owner/Occupier Sh. Harpreet Singh	9	B-1/55, Malkaganj, Delhi.	U/c in the shape of installation of tower at the roof

1	2	3	4	5	6	7
75	52	3/22/2017	Khushi Ram, Owner/Occupier	9	688, Nehru Kutia, Malkaganj, Subzi Mandi,	U/c in the shape of installation of tower at the terrace.
76	55	3/27/2017	Owner/Occupier	9	1550-51, Deenanath Building, Chandrawal Road, Subzi Mandi, Delhi.	U/c in the shape of entire second floor.
77	56	3/27/2017	Harbans Lal Bhattia	9	Plot No. XI1/2543, Punjabian Basti, Subzi Mandi	Deviation from SBP No. 26/EE/B-I/ CLZ/2016/28 and projection on mpl. land at all floors from stilt to third floor.
78	57	3/27/2017	Pankaj Aggarwal/ Sunil Aggarwal	9	Plot No. 3747(old) and 2204- 2205(New), Shora Kothi Subzi Mandi, Malkaganj.	Deviation from SBP No. 14/EE/B-I/ CLZ/2016/26 dt 29/06/2016 and projection on mpl. land at all floors from
79	58	4.5.2017	Owner/Occupier/ Jai Bhagwan	9	N-45, Malkagani, Delhi.	U/c in the shape of excess coverage deviation from standard plan at ground floor.
80	59	4 5/2017	Owner/Occupier/ Kamal	9	N-46, Malkagani, Delhi.	U/c in the shape of excess coverage/ deviation from standard plan at first floor and u/c of entire second floor.
81	60	4/5/2017	Owner/Occupier/ Lakshmi Devi	9	N-47, Malkaganj, Delhi.	U/c in the shape of excess coverage/ deviation from standard plan at GF.
82	61	4/5/2017	Owner/Occupier/	9	N-48, Malkaganj, Delhi.	U/c in the shape of excess coverage/

83	62	4/5/2017	Kamal Smt. Usha Goyal, Vinod Kr. Ooyal, Rohit Goyal, Amit Goyal, Subodh	9	1940-41-42, Malkaganj, Delhi.	deviation from standard plan at first floor and u/c of entire second floor. U/c in the shape of deviation from SBP No. 12/EE(B-D)/CLZ/2015 dt. 17/08/15 at basement. Stilt to third floor.
84	63	4/5/2017	Owner/Builder/ Geeta Sardar	9	2827, Gali Rajputana, Subzi Mandi, Ghantaghar. Delhi.	U/c in the shape of entire forth floor and projection on mpl. land at all floors from ground floor to fourth floor.
85	67	4/5/2017	Owner/Occupier/ Deepak Chopra	9	T-1700, Opposite pole no. 417- 7/14/2, Malkagani Main Road, Delhi.	U/c in the shape of entire second floor (ground floor & first floor old & occupied)
86	68	4/5/2017	Ravi Babbar/ Owner/Builder	9	155, Nehru Kutia. Malkaganj, Delhi.	U/c in the shape of entire first floor, second floor and third floor (ground floor old & occupied).
87	69	4/5/2017	Owner/Builder/ Pritam Lai	9	3685-3686, Gali Kumharwali, Burf Khana, Opposite Subzi Mandi Park. Subzi Mandi	Unauthorize construction at fourth floor in the shape of one room and one store & side mumtv.
88	74	4/11/2017	Owner/Builder	9	3172, Punjabi Basti, Subzi Mandi, Delhi-07	U/c in the shape of entire fourth floor.
89	75	4/11/2017	Owner/Builder/ Sita Ram. Mahesh Kumai	9	545/49, Gali Mandir Wali, Katra Sardar, Mukeempura. Malkagani, Delhi-07	U/c in the shape of entire GF. FF, SF, Third floor and fourth floor.



1	2	3	4	5	6	7
90	76	4/11/2017	Guizari Lai. Smt. Santosh/ Occupier	9	3348, Aryupura, Subzi Mandi	U/c in the shape of entire GF, FF. Second floor, third floor and mummy and toilet at fourth floor.
91	93	5/5/2017	Owner/Builder/ Sachin Dicca	9	5100A, Harphool Singh Building, Subzi Mandi, Ghania Ghar, Delhi.	U/c in the shape of entire fourth floor (Ground floor to third floor old & occupied)
92	94	5/5/2017	Owner/Builder/ Mukesh Kumar	9	3528, Main Bazar, Subzi Mandi	U/c in the shape of entire second floor (ground floor & first floor old & occupied)
93	95	5/5/2017	Dr. Anuj Sharma	9	C-1/39-40, Malka Ganj, Delhi.	U/c in the shape of deviation from SBP No. 10036685 dt. 15/1/2016 at basement floor.
94	96	5/5/2017	Owner/Builder	9	5000, 5U1, 5042, Roshanara Road, Delhi.	U/c in the shape of installation of tower at the roof.
95	97	5/11/2017	Owner/Builder, Ramesh	9	3737, Kumhar Wali Gali, Old Subzi Mandi	U/c in the shape of entire ground floor.
96	98	5/11/2017	Owner/Builder	9	3738, Kumhar Wali Gali, Old Subzi Mandi, Malka Ganj, Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor.
97	99	5/11/2017	Owner/Builder	9	3739, Kumhar Wali Gali, Old Subzi Mandi, Malka Gani, Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor.
98	100	5/11/2017	Owner/Builder, Kailasho Devi	9	3743, Kumhar Wali Gali, Old Subzi Mandi, Malkaganj, Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor.

99	106	5/12/2017	Sh. Vinay Gupta, Owner/Builder	9	K-2, Kedar Building Subzi Mandi, Ghanta Ghar	U/c in the shape of entire ground floor, first floor, second floor, third floor and fourth floor.
100	112	5/19/2017	Owner/Builder, Padam Devi	9	3125, Aryapura, Jatav Gali (Part Property)	U/c in the shape of entire ground floor.
101	113	5/19/2017	Owner/Builder Vinod Sharma	9	3123-3124, Aryapura, Jatav Gali,	U/c in the shape of raising of walls etc. at ground floor.
102	121	5/24/2017	Owner/Occupier/ Radhe Shyam	9	D-284, Kabir Basti, Malka Ganj, Delhi.	U/c in the shape of entire first floor & second floor (Ground floor old & occupied)
103	pi	5/24/2017	Owner/Occupier/ Maya Devi	9	D-290, Kabir Basti, Malkaganj, Delhi.	U/c in the shape of entire first floor & second floor (ground floor old & occupied).
104	135	6/15/2017	Owner/Occupier/ Sau Prasad	9	3567-3568-3569, Near Hanuman Mandir, Main Bazar, Subzi Mandi, Ghanca Ghar	U/c in the shape of entire third floor.
105	143	6/16/2017	Owner/Occupier/ Radhe Shyam	9	940/1, Punjabi Mohalla, Subzi Mandi, Ghana Ghar, Delhi.	U/c in the shape of entire fourth floor.
106	144	6/16/2017	Owner/Occupier Lakshmi/Mehtab	9	3247, Gali Mandir Wali, Aryapura, Subzi Mandi, Malkaganj, Delhi.	U/c in the shape of entire fourth floor & fifth floor.
107	147	6/27/2017	Owner/Occupier/ Devki/Prempal	9	2036, Church Wali Gali, Malkaganj	U/c in the shape of entire GF, FF, SF and third floor.
108	150	6/27/2017	Owner/Builder/ Abdul Majid	9	H. No. 318, Gali Hotel Wali, Kabir Basti, Malkaganj, Delhi	U/c in the shape of entire GF, FF, SF and third floor.

1	2	3	4	5	6	7
109	151	6/27/2017	Smt Vanika Madan, Anesha Bajaj, Kanchan Vindhvani	9	C-1/33-34, Malka Ganj, Delhi.	U/c in the shape of deviation from SBP (No. 02/10029565/EE(B)-I/CLZ/2016 dt. 05/02/2016) at all floors from Basement. Stilt. GF, FF, SF & TF and one room
110	152	6/27/2017	Jagdish Kumar	9	A-19-20, Malka Ganj, Delhi	U/c in the shape of deviation from SBP no. 10034965 dt. 11/08/2016 at all floors from stilt to third floor.
111	154	7/5/2017	Saleem Javed	9	H. No. 509, Gali Gautam, Kabir Basti, Malka Ganj. Delhi.	U/c in the shape of entire first floor (ground floor old & occupied).
112	158	7/7/2017	Owner/Occupier	9	815/1, Kedar Building, Malkaganj, Delhi.	U/c in the shape of entire fourth floor.
113	159	7/7/2017	Owner/Builder/ Prem	9	300, Katra Gulkhan, Malkaganj, Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor, first floor, second floor, third floor & fourth floor.
114	166	7/14/2017	Owner/Occupier	9	4465, Aryapura, Subzi Mandi. Malkaganj. Delhi.	Unauthorised construction in the shape of entire fourth floor (u/c in the shape of entire third floor and construction of walls etc. at fourth floor) has already been booked vide file no. 164 dt. 13/07/2016 (OF. FF. SF old & occupied.)

115	169	7/21/2017	Ashok Kumar, Anand Kumar, Adesh Kumar	9	3482-X11, Gail Kartar Singh, Aryapura, Subzi Mandi	Deviation/excess coverage from sanctioned/revaluated building plan no. 338/B/CLZ/2C; 1/152 -It. 16/05/2012/01/06/2017 at basement, stilt, ground floor.
116	236	9/19/2017	Owner/Builder/ Ashu	13	H. No. 3350, Aryapura, Old Subzi Mandi, Delhi-110007	U/c in shape of TF & FF; forth floor)
117	241	9/20/2017	Owner/Builder/ Sh. Sabir	13	H. No. 715-716, Mukeempura, Subzi Mandi, Malkaganj, Delhi.	U/c in the shape of GF, FF, SF, TF & fourth floor.
118	247	10/3/2017	Sh. Brahmprakash Sharma & Smt. Rajbala Shamra	13	Plot No. 79, mpl. No. 1713, Gali Brahman Waii, Sohan ganj, Subzi Mandi, Delhi-07	Deviation/excel j coverage against SBP vide no. 10037129/B-I/CLZdt. 15/12/2016 at stilt floor, GF, FF, SF
119	248	10/3/2017	Owner/Occupier	13	P. No. 35-A, Near Mata Mandir Chowk, Aryapura, Delhi-07	U/c in the shape of entire GF, FF, SF and third floor with projection on mpl. land.
120	298	11/1/2017	Owner/Occupier/ Builder/Sh. Harkesh	13	P. No. Q-46 & Q-48, DDA Double Storey Flat, Malkaganj, Delhi.	U/c in the shape entire SF and third floor with projection on mpl. land.
121	303	11/8/2017	Owner/Occupier	13	P. No. T-227, Aryapura, Near Balmiki	U/c in the shape of entire GF, FF, SF & TF.
122	324	#####	Sh. Prem Parkash/Prem Plastic	13	Prop. No. /Shop No. 58/X11. Main Subzi Mandi. Ghanta Ghar. Delhi.	U/c in the shape of entire GF & FF.

1	2	3	4	5	6	7
123	325	#####	Owner/Occupier/ S. Sumit S/o Sh. Janak Sharma	13	P. No. 1882, Gali Ahiran, Subzi Mandi, Malkaganj, Delhi.	U/c in the shape of one room at SF (GF & FF old & Occupied).
124	326	12/5/2017	Sh. Vijay	13	P. No. 122, Gali Dakkhana, Old Subzi Mandi, Delhi.	U/c in the shape of entire GF, FF and one room with partition wall at SF.
125	329	12/7/2017	Owner/Occupier/ Suman Saini/ Yogita Saini	13	P. No. 4569, New 6396-6399, Gali Choudhary, Aryapura, Subzi Mandi, Delhi.	U/c in the shape of entire GF, FF, SF and TF.
126	353	28.12.17	Owner/Occupier	13	P. No. G-42, Malka Ganj, Delhi.	U/c in the shape of entire SF and TF.
127	1	01.01.2018	Owner/Occupier/ Umer	13	P. No. 640, Mukeempura	U/c in the shape of entire GF, FF & second floor.
128	6	24.01.2018	Owner/Occupier/ Keshav Bania	13	P. No. 471, 473, Mukeempura, Satiza Wali Gali, Delhi.	U/c in the shape of entire GF, FF, SF, TF and forth floor.
129	7	30.01.2018	Sh. Vijay Jaiswal	13	Pr. No. /Shop No. 34, Subzi Mandi, Roshanara Road, Delhi	U/c in the shape of entire GF, FF, SF, TF and column walls raised at fourth floor.
130	8	30.01.2018	Sh. Subhash	13	Pr. No. 5135/8, Harphool Singh Building, Subzi Mandi, Near Ghanta Ghar, Delhi.	U/c in the shape of entire third floor and two room at fourth floor.
131	14	05.02.2018	Sh. Madan	13	P. No. 4608, Gali Sunder Singh, Arya Pura, Delhi	U/c in the shape of entire GF, FF, SF, third floor and raised column wall at fourth floor.

132	16	05.02.2018	Sh. ICusal Chand	13	H. No. 3351, Aryapura, Old Subzi Mandi,	U/c in the shape of entire fourth floor.
133	26	12.02.2018	Sh. Anand Kumar, Adesh Kumar	13	P. No. 3482-X11, Gali Kartar Singh, Aryapura. Subzi Mandi, Delhi.	Deviation/excess coverage from sanctioned/re-validated of building plan No. 338/B/CLZ/2011/152 dt. 16.05.2012 & 01.06.2017 at third floor with projection on Mpl land (Basement, stilt. GF. FF. SF*) already booked vide file No.
134	63	03.04.2018	Vinod Mahendra/ Owner/Builder	13	3412, Aryapura, Subzi Mandi, Delhi-110007	U/c in shape of Hall/Room at GF, FF, SF, TF& raising of walls at fourth floor.
135	65	09.04.2018	Sh. Praveen Kapoor	13	P. No. 5149/11, Harphool Singh Building, Subzi Mandi. Ghanta Gkar. Delhi.	U/c in the shape of entire third floor, fourth floor & projection on govt. land (GF. FF & SF is old At occupied)
136	94	07.05.211 8	Sh. Raghubir Singh	13	H. No. 1916/1, Gali Ahiran Malika Ganj, Delhi.	U/c in the shape of deviation against SBP ID No. 10046681 at Stilt floor, ground floor, first floor, second floor & third
137	101	09.05.2018	Sh. Vinod	13	H. No. 1744, Sohanganj, Shora Kothi, Subzi Mandi, Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor & first floor & projection on govt. land at each floor.
138	102	09.05.2018	Sh. Sarvan	13	H.No. 1881, Gali Ahiran, Malikaganj, Subzi Mandi, Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor, first floor, second floor, third

1	2	3	4	5	6	7
139	103	09.05.2018	Sh. Sarvan	13	H. No. 1837, Gali Ahiran, Malkaganj, Subzi Mandi, Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor, first floor, second floor & third floor.
140	104	09.05.2018	Sh. Bobby	13	D-74, Malkaganj, Subzi Mandi, Delhi.	U/c in the shape of extension of balcony at second floor & entire third floor.
141	105	09.05.2018	Sh. Bobby	13	N-40, Malkaganj, Subzi Mandi, Delhi.	U/c in the shape of extension of balcony at first floor & entire second floor & third floor.
142	106	09.05.2018	Sh. Bobby	13	N-18, Malkaganj, Subzi Mandi, Delhi.	U/c in the shape of entire second, third & fourth floor.
143	107	09.05.2018	Sh. Radhey Shyam Aggarwal	13	H. No. 1477-78, Punajbi Mohalla, Subzi Mandi, Delhi.	U/c in the shape of deviation against SBP ID No. 100413(Applical4-04) at parking, ground, first & second
144	108	09.05.2018	Sh. Manohar Singh & Smt. Surjeet Kaur	13	Q-6, Double Storey, Malkaganj, Delhi-07.	U/c in the shape of extension of balcony at first floor and front side & room at rear side further entire second floor & one room at third floor.
145	109	11.05.2018	Smt Sudha Gupta	13	H. No. 177, Main Bazar. Katra Shanshahi, Subzi Mandi, Delhi-07	U/c in the shape of entire first floor, second floor & third floor & protection on mpl. Land (ground floor old).

146	125	28.05.2018	Sh. Raj Kumar Goel Owner/ Occupier	13	H. No. 729-730, Shora Kothi, Main Road, Subzi Mandi, Delhi.	In continuation of Booking file No. 94 dt 4/7/11 & u/c of entire ground floor, first & second floor & amalgamation of P. No. 729 & 730 & one sotre room & Bathroom at third
147	151	05.06.2018	Sh. Ashok Kapoor	13	Flat No. 21, Singh Market, Subzi Mandi, Delhi	U/c in the shape of entire first floor, second floor, third floor & forth floor & projection on govt. land.
148	152	06.06.2018	Smt. Nivedita Rohatagi	13	H.No. 522, Umrao Chowk, Mukeempura, Subzi Mandi, Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor, first floor, second floor, third floor & remaining portion of fourth floor after
149	170	11.06.2018	Sh. Nand Kishore & Sh. Jugal Kishore	13	P. No. 1996-97, Street Robin Cinema, Malkagani. Subzi Mandi. Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor, first floor, second floor, third floor & fourth floor.
150	233	20.06.2018	Sh. Vishu	13	11. No. 2754, Gali Ram Roop, Subzi Mandi, Delhi-07.	U/c in the shape of entire ground floor, first floor & raising of walls and column at second floor.
151	234	20.06.2018	Sh. Vishal Sharma	13	Bunglow Plot No. 1, Malka Ganj, Delhi.	U/c in the shape of deviation/Excess coverage against SBP ID No. 10043174 at basement, Stilt, ground, first second &
152	235	20.06.2018	Raju Saini	13	Katra No. 2075, Katra Pudene Wala, Mukeempura. Subzi Mandi. Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor, first floor, second floor, third floor & fourth floor.



1	2	3	4	5	6	7
153	312	05.07.2018	Sh. Rajan	13	P. No. 4968, Chowk Mata mandir (Part I, Rohanara Road, Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor & first floor i.e. part of Katra No. 4968
154	324	09.07.2018	Sh. Nitin Gupta	13	P. No. 3189-90, Shivaji Katra, Punjabi Basti. Subzi Mandi, Delhi.	U/c in the shape of amalgamation of two plots al Stilt, GF, FF, SF & third floor & projection on govt. land.
155	331	12.07.2018	Sh. Rahul Narula	13	Shop No. 58, Main Road, Subzi Mandi, Near Ram Dwara Mandir. Opp., Indra	U/c in the shape of amalgamation of shop with other plot at rear side & first floor (in continuation of booking file No.
156	332	12.07.2018	Sh. Murji Anand/ Sh Rahul Narula/ Owner/Occupier	13	Shop No. 59-60, Main Road, Subzi Mandi, Near Ram Dwara Mandir, Opp., Indra Market. Subzi Mandi. Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor & first floor.
157	333	12.07.2018	Smt. Neha Sharma & Sh. Sachin	13	2610-2611, Umbi Gali, Basti Punjabi, Subzi Mandi, Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor, first floor, second floor, third floor & fourth floor.
158	334	12.07.2018	Owner/Occupier	13	2629, Lambi Gali, Punjabi Basti, Subzi Mandi. Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor, first floor, second floor, third floor & fourth floor & projection on govt. land.
159	362	26.07.2018	Smt. Rama Vohra & Sh. Vishal Vohra	13	H. No. 5029 to 5032, Chamangani, Roshanara Road, Subzi Mandi, Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor & raising of walls & columns at first floor & projection on govt. land.

160	363	26.07.2018	Sh. Sahab Bhadur	13	2878, Gali Bata wali, Near Rajputana, Dharamshala Subzi Mandi. Delhi.	U/c in the shape of entire ground floor, first floor, second floor, third floor & projection on govL land.
161	364	26.07.2018	Sh. Keshav Kumar	13	H. No. 2111 to 2114, Mukeempura, Tilak Chowk, Old Subzi Mandi, Gali Mandir	U/c in the shape of entire ground floor, first floor, second floor, third floor & fourth floor.
162	367	30.07.2018	Sh. Rajesh Thakur	13	2569, Punjabi Basti, Subzi Mandi, Delhi	U/c in the shape of entire ground floor, first floor & second floor with projection on govt. land.

**79- I qjh Hkkouk xkM+ % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा अप्रैल, 2017 से जुलाई, 2018 के बीच पालम विधान सभा क्षेत्र में किए गए सभी सिविल कार्यों जैसे-सड़कें, गालियां, नालियां, शौचालय एवं मेन्टिनेन्स आदि का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यों के वर्क-आर्डर की प्रति भी उपलब्ध कराई जाए;

(ग) उक्त सभी कार्य किस निधि से तैयार किए गए हैं; उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) आर.आर.कट की राशि तथा उसके कामों का पूरा विवरण क्या है?

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h % (क) nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा अप्रैल, 2017 से जुलाई, 2018 के बीच पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र में कुल 169 सिविल कार्य करवाए हैं। इन सभी कार्यों का पूर्ण ब्यौरा अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।\*

(ख) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्त लिखित कार्यों की वर्क-आर्डर की प्रतिलिपि अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

(ग) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्त लिखित कार्यों में उपरोक्त निधि की पूर्ण ब्यौरा कार्य के अनुसार अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(घ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के खंड (एम-4) में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आर.आर.कट के एवज में रुपये

---

\*सभी संलग्नक [www.delhi.assembly.inc.in](http://www.delhi.assembly.inc.in) पर उपलब्ध।

10,29,050/- की राशि का भुगतान किया है। सभी आर.आर.कट के कार्यों का पूर्ण ब्यौरा अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।

**80- I qjh Hkkouk xkM+ % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पालम विधान सभा क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए क्या प्रक्रिया है;

(ख) पालम विधान सभा क्षेत्र में कितने अवैध निर्माण के मामले में नोटिस दिया गया है, उनका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) निगम द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करने के विस्तृत तौर पर क्या कारण है;

(घ) क्या विभाग द्वारा यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि जहां विभाग द्वारा कार्रवाई हुई है, वहां पुनः कोई अवैध निर्माण नहीं होगा;

(ङ) दोबारा अवैध निर्माण होने की स्थिति में किसी जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है;

(च) क्या अभी तक पालम विधान सभा क्षेत्र में ऐसे किसी अधिकारी के विरुद्ध कभी कार्रवाई की गई है;

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea=h % (क) nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%**  
पालम विधान सभा क्षेत्र में भवन निर्माण UBBL/2016 अनुसार अनुमति दी जाती है।

**fnYyh i{yI %** दिल्ली पुलिस अपने आपसे निर्माण कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। सिर्फ डीएमसी एक्ट की धारा 475 के तहत किसी भी

अनाधिकृत निर्माण के संबंध में सूचना भूस्वामित्व विभागों को देती है इसके अलावा डीएमसी एक्ट की धारा 344(2) के तहत जब एमसीडी के द्वारा नोटिस देकर पुलिस को निर्देश दिया जाता है तभी पुलिस निर्माण कार्य रूकवाती है और जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य सामग्री जब्त भी करती है। दिल्ली पुलिस द्वारा पालम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015, 2016, 2017 एवं 2018 (15.07.2018 तक) के दौरान भूस्वामित्व विभागों को अनाधिकृत निर्माण के संबंध में भेजी गई सूचनाओं का ब्यौरा क्रमशः परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(ख) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** पालम विधान सभा क्षेत्र में अवैध निर्माण के चलते वार्ड वार्डज बुक किये गये भवनों की सूची साथ संलग्न है।

**fnYyh i{y| %** उपरोक्तानुसार।

(ग) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र द्वारा मासिक डिमोलेशन कार्यक्रम बनाया जाता है जिसकी सूचना सम्बन्धित थाने में दी जाती है तथा पुलिस बल मिलने बाद ही अवैध निर्माण पर कार्यवाई की जाती है।

**fnYyh i{y| %** उपरोक्तानुसार।

(घ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र द्वारा उक्त अवधि में जिन सम्पत्तियों पर सिलिंग के पश्चात् सील तोड़ने से सम्बंध में सम्पत्ति स्वामी/उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध पुलिस विभाग को कार्यवाही करने के लिए पत्र भेजे जाते हैं।

**fnYyh i{y| %** उपरोक्तानुसार।

(ड) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** किसी भी अवैध निर्माण की शिकायत में अधिकारियों की संलिप्तता जांच के बाद सिद्ध होने की स्थिति में उन पर विभागीय कार्यवाही होती है।

**fnYyh i{yyl %** उपरोक्तानुसार।

(च) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** पालम विधान में 2015 से अब तक ऐसे किसी अधिकारी के विरुद्ध कभी कार्रवाई नहीं हुई है।

**fnYyh i{yyl %** उपरोक्तानुसार।

(छ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्त अनुसार।

**fnYyh i{yyl %** उपरोक्तानुसार।

**ifj'k'V ^d\***

**fnYyh i{yyl }kjk ikye fo/kku I Hkk {ks= ea o"lz 2015] 2016] 2017 ,oa 2018 ¼15-07-2018 rd½ ds nkjku HkkokfeRo foHkkxka dks vukfekÑr fuekZk ds I nHkZ ea Hksth xbZ I pukvka dk C; kjk%**

वर्ष	भेजी गई सूचनाएं
2015	77
2016	84
2017	177
2018 (15.07.2018 तक)	130

*Ward Wise List of Properties Booked on account of Unauthorized construction and details of Demolition and Sealing Actions taken by Building Deptt., Najafgarh Zone From January 2015 to July 2018 in Palain Constituency (i.e. Ward No.51, 52, 53 & 54)*

Sl. No.	U.C. File No. & Dt.	Owner/builder	Address of Property	Ward No.	Action Taken
1	2	3	4	5	6
1	F.No:11/B/UC/NG/15 Dated 14/1/2015	Owner/builder	P.No.D-233, Rajapuri, Madhu Vihar	51	Action attempted on 8/9/2015, but property found occupied
2	F.No.118/B/UC/NG/15 Dated 20/2/2015	Owner/builder	Property adj. to K-37, Main Rajapuri Road, Rajapuri	51	
3	F.No.130/B/UC/NG/15 Dated 27/2/2015	Rajiv Kumar	P.No.B-2, Gali No.3, Rajapuri	51	Demolition action executed on 17/3/2015. Sealing action attempted on 28/10/2015
4	F.No.163/B/UC7NG/15 Dated 16/3/2015	Owner/builder	P.No.A-1/59, GaliNo.2, Rajapuri	51	Sealed on 13/4/2015 two points at main gate completely
5	F.No.206/B/UC/NG/15 Dated 8/4/2015	Owner/builder	Property adj. to A-72, Gali No.3, Rajapuri	51	
6	F.No.207/B/UC/NG/15 Dated 8/4/2015	Owner/builder	Property adj. to H-1/1, Main Rajapuri Road	51	

7	F.No.208/B/UC/NG/15 Dated 8/4/2015	Owner/builder	Property adj. to H.No.5 I-C, Gali No.4, Rajapuri	51	
8	F.No.209/B/UC/NG/15 Dated 8/4/2015	Owner/builder	Property in front of H.No.51, Gali No.4, Rajapuri	51	
9	F.No.397/B/UC/NG/15 Dated 17/6/2015	Owner/builder	Property in front of F-28, Gali No. 14, Main Road, Rajapuri	51	
10	P.No.455/B/UC/NG/15 Dated 15/7/2015	Tara	P.No.C-163-C, GaliNo.6, Madhu Vihar	51	Demolition action executed on 7/10/2015
11	F.No.456/B/UC/NG/15 Dated 15/7/2015	Jaswant	P.No.A-84, Gali No.19, Bharat Vihar, Rajapuri	51	
12	F.No.457/B/UC/NG/15 Dated 15/7/2015	Ram Prasad	P.No.D-23, Madhu Vihar	51	
13	F.No.458/B/UC/NG/15 Dated 15/7/2015	Owner/builder	P.No.C-96, Gali No.2, Madhu Vihar, Rajapuri	51	Demolition action executed on 8/9/2015
14	F.No.515/B/UC/NG/15 Dated 21/8/2015	Sikander	P.No.K-50, Gali No. 15, Som Bazar Road, Rajapuri	51	
15	F.No.516/B/UC/NG/15 Dated 21/8/2015	Owner/builder	P.No.RZ-6, Matiyala Extn.	51	
16	F.No.522/B/UC/NG/15 Dated 21/8/2015	Owner/builder	P.No.D-234, Madhu Vihar, Rajapuri	51	



1	2	3	4	5	6
17	F.No.602/B/UC/NG/15 Dated 28/9/2015	Ashok Kumar	P.No.C-21, Bharat Vihar, Rajapuri	51	
18	F.No.624/B/UC/NG/15 Dated 12/10/2015	M/s Agarwal Parde Wala	Property adj. to Elec. Pole No. DWKW-547, Gali No.15, K-1-Block, Rajapuri	51	
19	F.No.743/B/UC/NG/15 Dated 27/11/2015	Ashok Kumar	P.No.C-21, Bharat Vihar, Rajapuri	51	
20	F.No.65/B/UC/NG/16 Dated 28/1/2016	Jindal	P.No.RZ-97, Vishwas Park	51	Demolition action executed on 1/3/2016
21	F.No.66/B/UC/NG/16 Dated 28/1/2016	Owner/builder	P.No.RZ-97-B, Vishwas Park	51	
22	F.No.67/B/UC/NG/16 Dated 28/1/2016	Owner/builder	P.No.R2-73, Vishwas Park	51	
23	F.No.68/B/UC/NG/16 Dated 1/2/2016	Owner/builder	Property adj. to RZ-C-1 85, Main Madhu Vihar	51	
24	F.No.69/B/UC/NG/16 Dated 1/2/2016	Owner/builder	P.No.RZ-C-194, Main Madhu Vihar-Dabri Road, Madhu Vihar	51	
25	F.No.72/B/UC/NG/16 Dated 1/2/2016	Ravi Tayal	P.No.B-87, Bharat Vihar, Rajapuri, Gali No.23	51	Demolition action executed on 5/2/2016

26	F.No.73/B/UC/NG/16 Dated 1/2/2016	Devender	P.No.F-224, Near F-30, Vishwas Park	51
27	F.No.74/B/UC/NG/16 Dated 1/2/2016	Chandra Devi	P.No.D-47, Vishwas Park, Near Rajapuri Road	51
28	F.No.75/B/UC/NG/16 Dated 1/2/2016	R.D. Sharma	P.No.C-33, Vishwas Park Extn., Near High Tension Wire.	51
29	F.No.76/B/UC/NG/16 Dated 1/2/2016	Nitin	P.No.64, Bharat Vihar, Gali No.11, Rajapuri	51
30	F.No.77/B/UC/NG/16 Dated 8/2/2016	Pankaj	P.No.A-67, Gali No. 17, Bharat Vihar, Rajapuri	51
31	F.No.78/B/UC/NG/16 Dated 8/2/2016	Mr. Bansal	P.No.E-36, Vishwas Park, Rajapuri	51
32	F.No.79/B/UC/NG/16 Dated 8/2/2016	Owner/builder	Property adj. to A-41, Bharat Vihar, Rajapuri	51
33	F.No.206/B/UC/NG/16 Dated 11/4/2016	Sanjay and Yogesh	Property between D-208 and D-209 (Backside adjoining D-207-B), Gali No.40, Rajapuri, Madhu Vihar	51
34	F.No.251/B/UC/NG/16. Dated 28/4/2016	Rajesh	P.No.A-1/38-A (between 1/38 and A-39), Rajapuri Uttam Nagar	51

1	2	3	4	5	6
35	F.No.252/B/UC/NG/16 Dated 28/4/2016	Birtu	P.No.B-26 (between B-27 & B-27), Rajapuri, Gali No. 6	51	
36	F.No.254/B/UC/NG/16 Dated 28/4/2016	Mahavir	P.No.E-92 (between Shubham house and Bhagweswar house), Vishwas Park, Uttam Nagar	51	
37	F.No.255/B/UC/NG/16 Dated 28/4/2016	Ravi Kant	P.No.C-180, Madhu Vihar on Main Dabri Raod	51	
38	F.No.256/B/UC/NG/16 Dated 28/4/2016	Boby	P.No.E-18, Gali NO.8, Vishwas Park, Uttam Nagar	51	
39	F.No.274/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Owner/builder	P.No.B-120-A (LHS of B-120), Bharat Vihar, Gali No.27, Rajapuri, Uttam Nagar	51	
40	F.No.275/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Owner/builder	Property opp. 81-A and LHS of A-103, Gali No.19, Bharat Vihar, Rajapuri	51	Demolition action executed on 3/10/2016
41	F.No.283/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	P. Goel	Property between G-64 & 65 and opp. G-59, Vishwas Park	51	
42	F.No.284/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Owner/builder	Property adj. RHS of A-156. Gali No.25, Bharat Vihar	51	

43	F.No.285/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Owner/builder	Property LHS of A-149, Gali No.25, Bharat Vihar, Uttam Nagar	51
44	F.No.286/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Owner/builder	Property RHS of A-149, Gali No.25, Bharat Vihar, Uttam Nagar	51
45	F.No.287/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Owner/builder	Property adj. (RHS) A-76 and Opp. A-104, Bharat Vihar, Uttam Nagar	51
46	F.No.288/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Owner/builder	Property between A-30 and A-23, Gali No.15, Bharat Vihar, Uttam Nagar	51
47	F.No.289/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Ravi Tayal	P.No.B-87, Bharat Vihar, Rajapuri, Gali No.23	51
48	F.No.290/8/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Owner/builder	Property between RZ-171 and RZ-172, Opp. RZ-118, T-Extn., Vishwas Park, Uttam Nagar	51
49	F.No.291/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Owner/builder	Property adj. LHS (RZ-138 and opp. RZ-142), T-Extn., Vishwas Park, Uttam Nagar	51
50	F.No.292/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Pradeep	P.No.B-140, Vishwas Park, Uttam Nagar	51

1	2	3	4	5	6
51	F.No.293/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Owner/builder	Property between E-185 and E-184, Gali No. 13, Rajapuri	51	
52	F.No.294/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Shiv Kumar	P.No.E,41 (opp. E-53-A), Gali No. 13, Rajapuri, Uttam Nagar	51	
53	F.No.295/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Owner/builder	Property between E-10 and E-11 and opp. E-23, Vishwas Park, Uttam Nagar	51	
54	F.No.296/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Mukesh	Property adj. (LHS) C-24-B, Gali No. 14, Madhu Vihar	51	
55	F.No.297/B/UC/NG/16 Dated 2/5/2016	Joginder	P.No.C-27 (opp. C-68), Gali No. 14, Madhu Vihar	51	
56	F.No.298/B/UC/NG/16 Dated 9/5/2016	Suraj Bhan Nirvan	P.No.F-15, Gali No. 10, Rajapuri, Uttam Nagar	51	
57	F.No.299/B/UC/NG/16 Dated 9/5/2016	Owner/builder	P.No.F-2 (between F-1 and F-2-A), Gali.No.IO, Rajapuri	51	
58	F.No.300/B/UC/NG/16 Dated 9/5/2016	Owner/builder	P.No.K-163 (LHS K-164 and opp. M-27), Gali No.7, Rajapuri	51	
59	F.No.318/B/UC/NG/16 Dated 19/5/2016	B.P. Yadav	P.No.C-1/55-A, Devi Bhawan, Madhu Vihar	51	

60	F.No.319/B/UC/NG/16 Dated 19/5/2016	Dr. Lai	Property adj. to (RHS) J-15, Gali No.40, Rajapuri	51
61	F.No.320/B/UC/NG/16 Dated 19/5/2016	Raghubir Singh Rana	P.No.G-102, Gali No.24, Rajapuri	51
62	F.No.321/B/UC/NG/16 Dated 19/5/2016	Ramavtar	Property adj. to B-2 (LHS may be B-1), Vishwas Park	51
63	F.No.432/B/UC/NG/16 Dated 29/6/2016	Shani Lai	Property between RZ-16 (Garg House) and RZ-17, T-Extn., Vishwas Park	51
64	F.No.451/B/UC/NG/16 Dated 13/7/2016	Srinivas	Property between S-40 and S-2/ 48 (opp. S-69), Gali No.2, Rajapuri, Uttam Nagar	51
65	F.No.454/B/UC/NG/16 Dated 18/7/2016	V.K. Singh and Smt. Rajmati Devi	P.No.A-1/454-A, Madhu Vihar	51
66	F.No.495/B/UC/NG/16 Dated 8/8/2016	Rajesh Kalra	Property between D-20 and D-21 (ppp. D-33), Vishwas Park, Uttam Nagar	51
67	F.No.496/B/UC/NG/16 Dated 8/8/2016	Owner/builder	Property opp. (D-20, D-19-A & D-19) and adj. to D-33, Vishwas Park, Uttam Nagar	51

1	2	3	4	5	6
68	F.No.587/B/UC/NG/16 Dated 7/11/2016	Owner/builder	P.No.B-1 I, Vishwas Park, Uttam Nagar	51	Action attempted on 1/6/2017, but could not be executed because the premises was found locked from the outside. Demolition action executed on 13/6/2017
69	F.No.229/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No.G-249, Gali No.8, Vishwas Park	51	
70	F.No.230/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No.E-34, Vishwas Park, Rajapuri	51	
71	F.No.231/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No.C-1/91, Madhu Vihar, Rajapuri	51	
72	F.No.232/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No.K-76, Som Bazar Road, Vishwas Park, Rajapuri	51	
73	F.No.233/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No.K-15, Som Bazar Road, Vishwas Park, Rajapuri	51	
74	F.No.234/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No.I-53-43, Main Bharat Vihar Road, Rajapuri	51	
75	F.No.235/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No.I-55, Main Bharat Vihar Road, Rajapuri	51	

76	F.No.236/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	Surya Model Public School, Vishwas Park	51	
77	F.No.237/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/builder	P.No.C-77, Vishwas Park, Rajapuri	51	
78	F.No.250/B/UC/NG/17 Dated 21/6/2017	Owner/builder	Plot No.94, Pkt-B-10, Sec-13, Dwarka	51	
79	F.No.277/B/UC/NG/17 Dated 3/7/2017	Mukesh Kumar	P.No.C-1/35, Street No.5, Rajapuri	51	Demolition action executed on 21/8/2017. Major demolition action executed on 22/11/2017, 23/11/201 and 24/11/2017
80	F.No.300/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Raj Kumari	P.No.C-91, Madhu Vihar	51	
81	F.No.301/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Owner/builder	P.No.K-76, Gali No. 13, Rajapuri	51	
82	F.No.307/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Chander Mohan Lamba	P.No.D-122, Madhu Vihar, Solanki Market	51	Demolition action executed on 23/8/2017
83	F.No.335/B/UC/NG/17 Dated 3/8/2017	Prahlad Singh	P.No.G-105, Gali No.7, Vishwas Park	51	
84	F.No.336/B/UC/NG/17 Dated 3/8/2017	Gangadeen	P.No.G-122, Gali No.8, Vishwas Park	51	



1	2	3	4	5	6
85	F.No.358/B/UC/NG/17 Dated 9/8/2017	Owner/builder	P.No.A-157, Gali No.25, Bharat Vihar, Rajapuri	51	
86	F.No.359/B/UC/NG/17 Dated 9/8/2017	Owner/builder	H.No.A-101, Gali No. 19, Bharat Vihar, Rajapuri	51	
87	F.No.457/B/UC/NG/17 Dated 19/9/2017	Owner/builder	P.No.C-15-16, Gali No. 6, Rajapuri	51	
88	F.No.478/B/UC/NG/17 Dated 3/10/2017	Owner/builder	P.No.B-11, Vishwas Park, Uttam Nagar	51	
89	F.No.516/B/UCVNG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No.K-1/10, Gali No.34, Rajapuri	51	
90	F.No.517/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No.K-1/II,GaliNo.34, Rajapuri	51	
91	F.No.518/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No. 1-14, Gali No.31, Rajapuri	51	
92	F.No.519/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No.J-89 (Opp.J-105), Gali No.37, Rajapuri	51	
93	F.No.520/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No.A-80, Gali No.19, Bharat Vihar, Rajapuri	51	

94	F.No.521/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No.E-30, Gali No.11, Rajapuri	51
95	F.No.522/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No.C-1/21-C, Gali No 5, Rajapuri	51
96	F.No.523/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No.A-1/89 (adj. to A-1/90), Gali No.3, Rajapuri	51
97	F.No.524/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No.B-27, Gali No.6, Rajapuri	51
98	F.No.525/B/UC/NG/17 Dated 31/10/2017	Owner/builder	P.No.C-4, Gali No.6, Rajapuri	51
99	F.No.569/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Satish Kumar	P.No.G-249, Gali No 8, Vishwas Park	51
100	F.No.592/B/UC/NG/17 Dated 6/11/2017	Owner/builder	P.No.D-39, Gali No. 12, Bharat Vihar, Rajapuri	51
101	F.No.615/B/UC/NG/17 Dated 7/11/2017	Mukesh	P.No.E-34, Vishwas Park, Rajapuri	51
102	F.No.616/B/UC/NG/17 Dated 7/11/2017	Pankaj Jain	P.No.C-102, Vishwas Park, Rajapuri	51
103	F.No.617/B/UC/NG/17 Dated 7/11/2017	Ashok Arora	P.No.D-1/4, Gali No.8, Rajapuri	51

1	2	3	4	5	6
104	F.No.618/B/UC/NG/17 Dated 7/11/2017	Raj Kumar	P.No.J-87, Opp. J-105, Gali No.37, Rajapuri	51	
105	F.No.619/B/UC/NG/17 Dated 7/11/2017	Ashok Rana	P.No.J-86, Gali No.37, Rajapuri	51	
106	F.No.620/B/UC/NG/17 Dated 7/11/2017	Puran Gupta	P.No.A-1/1, Madhu Vihar, Rajapuri	51	
107	F.No.733/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Owner/guilder	Flat No.8686, C-8, Vasant Kunj	51	
108	F.No.734/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Owner/builder	P.No.J-84, Gali No.37, Rajapuri	51	
109	F.No.735/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Owner/builder	P.No.K-1/4-A, Gali No.34, Rajapuri	51	
110	F.No.736/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Owner/builder	P.No.K-1/5, Gali No.34, Rajapuri	51	
111	F.No.737/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Owner/builder	P.No.K-140, Gali No.9, Som Bazar Road, Rajapuri	51	
112	F.No.738/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Owner/builder	P.No.G-140, Gali No.26, Rajapuri	51	

113	F.No.739/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Owner/builder	P.No.A-80, GaliNo.i9, Bharat Vihar, Rajapuri	51
114	F.No.740/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Mr. Singhla	Prop. adi. to D-14 (Jain Tiles), Main Kala Road, Rajapuri	51
115	F.No.32/B/UC/NG/18 Dated 15/1/2018	Owner/builder	Plot No.4 (New Koj-A), Khasra No. 99/12, Vishwash Park, S-Block, Palam Colony	51
116	F.No.50/B/UC/NG/18 Dated 17/1/2018	Owner/builder	P.No.D-14. Main Road, Vishwas Park, Rajapuri	51
117	F.No.51/B/UC/NG/18 Dated 17/1/2018	Owner/builder	P.No.G-255, Behind Petrol Pump, Main Road, Vishwas Park	51
118	F.No.52/B/UC/NG/18 Dated 17/1/2018	Mr. Singhla	Prop. adi. to D-14 (Jain Tiles), Main Kala Road, Rajapuri	51
119	F.No.97/B/UC/NG/18 Dated 13/3/2018	R.S. Thakur	P.No.S-1 5-B, Vishwas Park, Madhu-Vihar	51
120	F.No.139/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Owner/builder	P.No.D-225, Madhu Vihar, Rajapuri, Madhu Vihar	51

Demolition action executed on  
16/5/2018

Demolition/sealing action  
attempted on 8/5/2018, but the  
property was found occupied.  
Vacation Notice issued. Sealed at  
total 8 points at 3rd and 4th  
floor on 4/7/2018

1	2	3	4	5	6
121	F.No.140/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Sanjay Gupta	P.No.J-26, Gali No.37, Rajapuri, Madhu Vihar	51	
122	F.No.141/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Sanjay Gupta	P.No.J-84, Gali No.35, Rajapuri, Madhu Vihar	51	
123	F.No.142/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Anup/Anuj	P.No.I-101, Gali No.35, Rajapuri, Madhu Vihar	51	
124	F.No.143/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Owner/builder	P.No.G-201, Adj. to G-204, Rajapuri, Madhu Vihar	51	
125	F.No.144/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Baldev Arora	P.No.D-30, Vishwas Park, Rajapuri, Madhu Vihar	51	
126	F.No.145/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Dinesh	P.No.C-102, Vishwas Park, Rajapuri, Madhu Vihar	51	
127	F.No.146/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Ranvir Solanki	P.No.D-29, Solanki Market, Madhu Vihar	51	
128	F.No.147/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Mukesh Jain	P.No.J-98, Gali No.37, Rajapuri, Madhu Vihar	51	
129	F.No.187/B/UC/NG/18 Dated 25/4/2018	Owner/builder	P.No.D-14, Main Road, Vishwas Park, Rajapuri	51	Demolition action executed on 16/5/2018

130	F.No.216/B/UC/NG/18 Dated 5/6/2018	Vikas	P.No.K-78, Main Rajapuri Red Light, Madhu Vihar	51
131	F.No.354/B/UC/NG/18 Dated 17/7/2018	Owner/builder	Prop. adj. to TVS Showroom, Main Road, Rajapuri	51
132	F.No.355/B/UC/NG/18 Dated 17/7/2018	Sureitder Tadwal	P.No.B-1/1, Main Bharat Vihar Road, Rajapuri	51
133	F.No.356/B/UC7NG/18 Dated 17/7/2018	Mr. Gupta	P.No.B-12, Old Rajapuri	51
134	F.No.357/B/UC/NG/18 Dated 17/7/2018	Satish	Prop. adj. to 1-66, Gali No.33, Rajapuri	51
135	F.No.358/B/UC/NG/18 Dated 17/7/2018	Ajay	P. No. D-103, Madhu Vihar, Rajapuri	51

**81-** क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2015 से जुलाई, 2018 तक पालम विधान सभा क्षेत्र में नगर निगम ने अवैध निर्माण के चलते वार्ड वार्डज कितने भवन बुक किए हैं;

(ख) बुक की गयी सम्पत्तियों में से कितनों को गिराया गया व कितनों को सील किया गया, उनका वार्ड वार्डज ब्यौरा क्या है;

(ग) सील या डिमोलिश होने के बाद बिल्डिंग दूबारा न बने, यह सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है;

(घ) भवन निर्माण में पुलिस विभाग की क्या भूमिका है;

(ङ) ऐसी सम्पत्तियां जिन्हें सील, डी-सील या डिमोलिश होने के बाद उनका पुनर्निर्माण हुआ हो, उनकी वार्ड वार्डज सूची उपलब्ध करें;

(च) पालम विधान सभा क्षेत्र के चारों वार्डों में अवैध निर्माण की निगरानी की जिम्मेदारी किस विभाग के किस अधिकारी की है; उसका नाम, पद व फोन नम्बरों सहित ब्यौरा क्या है;

(छ) 2015 से अब तक पालम विधान सभा क्षेत्र में कितने मकानों के बिल्डिंग-प्लान स्वीकृत किए गए हैं; उनके पते सहित पूरा विवरण क्या है; और

(ज) पालम विधान सभा क्षेत्र में अब तक कितने भवनों को कम्प्लीशन-सर्टिफिकेट दिए गए हैं, उनके पते सहित पूरा ब्यौरा क्या है?

**ekuu; 'kgjh fodkl eæh % (क) nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%**  
पालम विधान सभा क्षेत्र में अवैध निर्माण के चलते वार्ड वार्डज बुक किये गये भवनों की सूची साथ संलग्न है।

**fnYyh i{yI %** सरकार जवाब दें। दिल्ली पुलिस अपने आपसे निर्माण कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। सिर्फ डीएमसी एक्ट की धारा 475 के तहत किसी भी अनधिकृत निर्माण के संबंध में सूचना भूस्वामित्व विभागों को देती हैं इसके अलावा डीएमसी एक्ट की धारा 344(2) के तहत जब एमसीडी के द्वारा नोटिस देकर पुलिस को निर्देश दिया जाता है तभी पुलिस निर्माण कार्य रूकवाती है और जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य सामग्री जब्त भी करती है। दिल्ली पुलिस द्वारा पालम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015, 2016, 2017 एवं 2018 (15.07.2018 तक) के दौरान भूस्वामित्व विभागों को अनाधिकृत निर्माण के संबंध में भेजी गई सूचनाओं का ब्यौरा क्रमशः परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।\*

(ख) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्त (क) के अनुसार।

**fnYyh i{yI %** उपरोक्त 'क' अनुसार।

(ग) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र द्वारा उक्त अवधि ने जिन सम्पत्तियों पर सिलिंग के पश्चात् सील तोड़ने के संबंध में सम्पत्ति स्वामी/उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध पुलिस विभाग को कार्यवाही करने के लिए पत्र भेजे जाते।

**fnYyh i{yI %** उपरोक्त 'क' अनुसार।



(घ) **fnYyh i{yI %** उपरोक्त 'क' अनुसार।

(ङ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र द्वारा ऐसी सम्पत्तियां जिन्हें सीडी-सेल या डिमोलिश होने के बाद उनका पुननिर्माण हुआ हो उसका कोई भी रिकार्ड विभाग में उपलब्ध नहीं है अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उस पर डीएमसी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है।

**fnYyh i{yI %** उपरोक्त 'क' अनुसार।

(च) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%**

वार्ड	जे.ई.	ए.ई.
21 एस (मधु विहार)	श्री महेश मीणा, 8826690474	श्री एन.आर. मीणा, ए.ई. 858880610
52 एस (महावीर इंक्लेव)	श्री अशोक छिकारा 8447825443	श्री हुकुम सिंह, ए.ई. 9717788360
53 एस (साध नगर)	श्री जितेन्द, डाबस 8800696768	श्री हुकुम सिंह, ए.ई. 9717788360
54 एस (पालम)	श्री महेशा मीणा, 8826690474	श्री हुकुम सिंह, ए.ई. 9717788360

**fnYyh i{yI %** उपरोक्त 'क' अनुसार।

(छ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** पालम विधान में 2015 से 31 जुलाई 2018 तक वार्ड नं. 54 एस में केवल एक नक्शा स्वीकृत किया

गया है जिसका विवरण इस प्रकार है ऑनलाइन आईडी10042416, मलिक का नाम श्री गुरुदत्त, सम्पत्ति संख्या-प्लॉट नं. 47बी, आरजेड ब्लॉक राज नगर-1, पालम नई दिल्ली। दिनांक 14.11.2017 को स्वीकृत किया गया है।

fnYyh i{yI % उपरोक्त 'क' अनुसार।

(ज) nf{k.kh fnYyh uxj fuxe% पालम विधान में 2015 से 31 जुलाई, 2018 तक कोई भी कम्प्लीशन-सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है।

fnYyh i{yI % उपरोक्त 'क' अनुसार।

82- Jh vfy[k'k i fr f=i kBh % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमएलए लैंड फंड के तहत होने वाले कार्यों में उत्तरी दिल्ली नगर निगम या अन्य विभागों द्वारा की जा रही देरी के क्या कारण हैं;

(ख) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र एसी-18 माडल टाउन में एमएलए लैंड फंड से 2012-13 में अभी तक जो भी कार्य हुए हैं, उनके पूरा होने की तिथि, भुगतान की तिथि तथा उस कार्य के पूरा होने की कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की कॉपी उपलब्ध करायी जाये;

(ग) कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए बिना ही कार्य को पूरा मान लिया गया है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है;

(घ) विधायक निधि के अंतर्गत हुए कार्यों के बाद अब तक कितना पैसा अलग-अलग विभागों के पास शेष है;

(ड) उपयोग हेतु यह शेष राशि पुनः कब तक यूडी को वापस कर दी जाएगी;

(च) क्या वर्ष 2012-13 से अभी तक निर्गत सभी एमएलए लैंड फंड के कार्य पूरा हो चुके हैं;

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारया हैं, पूर्ण विवरण दें; और

(ज) पूर्ण हुए कार्यों व अपूर्ण कार्यों की सूची अलग-अलग उपलब्ध कराये?

**ekuuH; 'kgjh fodkl e&h %** (क) , e, y, yM% यह उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य कार्यकारी एजेंसियों से सम्बन्धित है।

**mÜkjH fnYyh uxj fuxe%** विधायक फंड के कार्य दिल्ली सरकार के फंड उपलब्ध होने के बाद निविदाएं आमंत्रित कर दी जाती हैं और कार्य अनुमानित राशि के अनुसार कार्य पूरा करने की कार्य सीमा तय कर दी जाती है। हर संभव कोशिश की जाती है कि सभी कार्य तय सीमा के अंतर्गत पूरे किये जा सकें। परंतु कुछ कार्य में पब्लिक बाधा दिल्ली जल बोर्ड सीवर/पानी की लाइन डालने एवं अवैध कब्जों के कारण समय पर नहीं हो पाता।

**ykd fuekZk folkkx%** लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य में कोई देरी नहीं की गई।

(ख) , e, y, yM% दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, ईसीआईएल, डूसिब, डीएसआईडीसी, डीटीटीडीसी व अन्य कार्यकारी एजेंसियों से संबंधित है।

**mÜkjh fnYyh uxj fuxe%** मॉडल टाउन विधान सभा एसी-16, मॉडल टाउन में एमएलए लैंड फंड से 2012-13 से अभी तक जो भी कार्य हुए हैं उनके पूरा होने की तिथि, भुगतान की तिथि तथा अन्य कार्यों की सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत एमएलए के कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिये जाते हैं। जिनकी प्रति अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

**ykd fuekZk foHkx%** 1. इस विभाग के अंतर्गत उत्तर सड़क मंडल (पुराना एम-313) में एमएलए लैंड फंड के तहत वर्ष 2013-14 के दौरान 54.96 लाख उपलब्ध कराए गए थे जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा माडल टाउन विधान सभा क्षेत्र एसी-18 में 8 वैल्कन गेट का निर्माण का कार्य कराया जाना था। इसके अंतर्गत केवल 2 स्थानों पर वैल्कम गेट लगाया गया था। अन्य 6 स्थानों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशनुसार (अनुसंलग्नक-1) की सड़क पर कोई अनिवार्य आवश्यकता जैसे वार्ड इत्यादि के अलावा सड़क के अधिकार क्षेत्र (राइट ऑफ वे) में कोई अस्थाई संरचना, जिससे यातायात बाधित होता हो, नहीं बनानी है तथा दिल्ली सरकार द्वारा निर्णय अनुसार कि आगे कोई वैल्कम गेट एमएलए लैंड फंड से नहीं लगाए जाएंगे के कारण अन्य स्थानों पर वैल्कम गेट नहीं लगाए गए। करार के तहत सभी वैल्कम गेट का निर्माण कार्य न होने के कारण पत्र दिनांक 26.10.2015 के तहत कार्य पूर्ण होने से पहले ही करार को बंद (फोरक्लोज) कर दिया गया तथा किए गए कार्य का रुपये 7.02 लाख का भुगतान किया गया था। फोरक्लोस पत्र संलग्न है।

2. इस विभाग के अंतर्गत उत्तर-पश्चिम मंडल आर-1 (पुराना एम-311) के अंतर्गत एमएलए लैंड फंड के तहत केवल एक कार्य कराया

गया था। जिसकी लागत रुपये 8.01 लाख हैं। जिसमें रुपये 4.74 लाख की राशि एमएलए फंड से उत्तर-पश्चिम मंडल को प्राप्त हुई है एवं रुपये 3.26 लाख की राशि एमएमए फंड से मिलनी शेष है। कार्य पूरा होने की तिथि 30.11.2017 है।

**Mh, l vkb&vkbMhl h%** मॉडल टारुन विभाग सभा क्षेत्र एसी-18, मॉडल टारुन में एमएलए लैड फंड से 2012-13 से डीएसआईआईडीसी द्वारा जी.टी. करनाल इंडस्ट्रियल एरिया, ब्लॉक जी रोड़ प्लॉट नंबर जीएल 32 से 48 एवं जी 48 से 33, में सड़कों एवं नालियों के उन्नयन का कार्य किया गया है। इस कार्य के पूरा होने की तिथि 02.02.2016 है तथा भुगतान की तिथि 15.03.2018 है। कम्प्लीशन सर्टिफिकेट संलग्न है।

(ग) ,e,y, yM% यह कार्यकारी एजेंसियों से सम्बन्धित है।

**mUkjh fnYyh uxj fuxe%** कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए बिना भी कार्य को पूरा माना लिया गया है तो उसकी जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता की है।

**ykd fueZk foHkx%** जब कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही किसी कारणवश बन्द किया जाता है, उस कार्य का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता तथा फोरक्लोस पत्र को ही जारी किया जाता है।

(घ) ,e,y, yM% यह कार्यकारी एजेंसियों से संबंधित है।

**mUkjh fnYyh uxj fuxe%** विधायक निधि के अंतर्गत हुए कार्यों के बाद वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक (चतुर्थ विधान सभा) की बचत/शेष राशि रुपये 31,03,57,903 को पत्र संख्या 429/डीसीए/प्लान/उ.दि.न.नि.

/2013 दिनांक 30.12.2013 के द्वारा शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार को पहले से ही वापिस/सरेंडर किया जा चुका है कॉपी/अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है) तथापि इसमें से अभी कुछ कार्यों के अंतिम बिल प्राप्त नहीं हुए हैं। संबंधित डिवीजनों से देय राशियों को निपटाने/क्लीयर करने के पश्चात् बचत यदि कोई हुई तो उसे शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार को वापिस/सरेंडर कर दिया जाएगा।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 की बचत/शेष राशि रुपये 5,25,11,127 को पत्र संख्या डीसीए/प्लान/मु./2018-19/119 दिनांक 11.07.2018 द्वारा शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार को वापिस/सरेंडर किया जा चुका है। (कॉपी अनुलग्नक 'घ' पर संलग्न है)।

**ykd fuekzk foHkx%** 1. रुपये 47.94 लाख उत्तर सड़क मंडल (पुराना एम-313) के पास शेष बचे हैं जो कि वापिस करने हैं।

2. रुपये 3.26 लाख उत्तर-पश्चिम सड़क मंडल आर-1 (पुराना एम-311) को बकाया लेने हैं।

(ड) ,e,y, yM% यह कार्यकारी एजेंसियों से संबंधित है।

**mUkjh fnYyh uxj fuxe%** विवरण अनुलग्नक 'ख' और 'घ' पर संलग्न है।

**ykd fuekzk foHkx%** उक्त राशि 30 सितम्बर, 2018 तक वापिस कर दी जाएगी।

(च) ,e,y, yM% यह कार्यकारी एजेंसियों से संबंधित है।

mùkjh fnYyh uxj fuxe% जी हां।

ykð fuekZk foHkkx% क्रम संख्या 'ख' तथा 'ग' के अनुसार।

Mh, I vkb&/kbMhl H% हां।

(छ) ,e,y, yM% यह कार्यकारी एजेंसियों से संबंधित है।

mùkjh fnYyh uxj fuxe% उपरोक्त 'च' के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

ykð fuekZk foHkkx% क्रम संख्या 'ख' तथा 'ग' के अनुसार।

(ज) ,e,y, yM% यह कार्यकारी एजेंसियों से संबंधित है।

mùkjh fnYyh uxj fuxe% विवरण अनुलग्नक 'क' में दर्शाया गया है।

ykð fuekZk foHkkx% पूर्ण हुए कार्य निम्नलिखित हैं:-

(क) Fixing of concertinal coil fencing and repair of missing boundary wall at DDA flats Gulabi Bagh under MLA Development Fund of AC-18 under PWD Division NW R-1.

अपूर्ण हुए कार्य निम्नलिखित हैं।

(क) वैल्कम गेट का निर्माण निम्न स्थानों पर किया गया:-

1. ननक प्याऊ गुरुद्वारे के समीप जी.टी. रोड पर।
2. कल्याण विहार कॉलोनी।

(ख) वैल्कम गेट का निर्माण निम्न स्थानों पर सम्भव नहीं हो सका:-

1. मॉडल टारुन-2

2. मॉडल टाऊन-3
3. सी.सी. कॉलोनी कल्याण विहार
4. प्रियादर्शनी विहार
5. संगम पार्क कॉलोनी, अशोक विहार
6. पुलिस कॉलोनी, प्रिन्सेस रोड

**Mh, l vkb/kbMhl h%** पूर्ण हुए कार्यों की सूची:-

1. जी.टी. करनाल इंडस्ट्रियल एरिया, ब्लॉक जी रोड प्लाट नंबर जीएल 32 से 48 एवं जी 48 से 33, में सड़कों एवं नालियों के उन्नयन का कार्य।
2. कोंडली में विभिन्न स्थानों पर 9 सेमी हाई मास्टर लाईट की आपूर्ति एवं स्थापना।

**83- Jh vfy[k'k i fr f=i kBh %** क्या **ekuuH; 'kgjh fodkl ea=h**

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) खैबर-पास स्थिति पार्श्वनाथ हाउसिंग जो अभी चल रहा है यह किस के स्वामित्व की जमीन पर स्थित है;
- (ख) इसके स्वामित्व का हस्तान्तरण कब और किसकी अनुमति से किया गया;
- (ग) इससे भू-स्वामी निकाय को कितनी धनराशि प्राप्त हुई;



(घ) यह जमीन किस नियम के तहत वर्तमान भू-स्वामी को सौंपी गयी है, समस्त पत्राचार और फाईल नोटिंग भी उपलब्ध कराएं;

(ङ) खैबर-पास स्थित पार्श्वनाथ हाउसिंग की अनुमति तथा बिल्डिंग प्लान की अनुमति/ले-आउट प्लान किस वर्ष में स्वीकृत की गयी;

(च) किन सक्षम अधिकारियों द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई;

(छ) क्या स्वीकृति देने का अधिकार उन अधिकारियों के पास था या नियमों का उल्लंघन करते हुए उपरोक्त समस्त स्वीकृति दी गयी थी;

(ज) खैबर-पास स्थित पार्श्वनाथ हाउसिंग के पास समस्त जमीन का हस्तानान्तरण किस-किस नियमों व शर्तों पर की गयी थी, समस्त पत्राचार व फाईल नारेटिंग की कॉपी उपलब्ध कराएं;

(झ) क्या नियम की इतनी कीमती जमीन किसी प्राइवेट बिल्डर को देना निगम के नियमों के अंतर्गत है; और

(ञ) क्या जमीन देते समय राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित की गयी थी, प्राप्त राशि का विवरण समस्त फाईल नोटिंग सहित प्रदान करें?

**ekuuH; 'kgjh fodkl eæh % (क) mÙkjH fnYyh uxj fuxe%**  
खैबर-पास स्थित पार्श्वनाथ हाउसिंग मै. पार्श्वनाथ लैण्डमार्क डेवलपर्स प्रा. लि. के स्वामित्व में भूमि पर स्थित है।

(ख) **mÙkjH fnYyh uxj fuxe%** 6.82 हैक्टेयर माप की भूमि, DMRC द्वारा मै. पार्श्वनाथ लैण्डमार्क डेवलपर्स प्रा. लि. को सम्पत्ति विकास के रूप में आवंटित की गई थी।

(ग) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** यह प्रश्न DMRC से संबंधित है।

(घ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्तानुसार।

(ङ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** खैबर-पास स्थिति पार्श्वनाथ हाउसिंग का ले-आउट प्लान एकीकृत निगम की स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव संख्या 726 दिनांक 31.01.2008 द्वारा स्वीकृत किया गया था तदनुसार बिल्डिंग प्लान वर्ष 2009 में बिल्डिंग प्लान कमेटी द्वारा स्वीकृत हुआ है।

तथापि संशोधित ले-आउट प्लान दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 313 के अंतर्गत स्वीकृति हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम में प्रक्रियाधिन है।

(च) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** डीएमसी एक्ट-1957 की धारा 312-313 में ले-आउट प्लान स्वीकृत करने में स्टैंडिंग कमेटी सक्षम है तथा डीएमसी एक्ट-1957 की धारा 336 में बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करने में बिल्डिंग प्लान कमेटी सक्षम है।

(छ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** जी हां। डीएमसी एक्ट-1957 की धारा 312-313 में ले-आउट प्लान स्वीकृत करने में स्टैंडिंग कमेटी सक्षम है तथा डीएमसी एक्ट-1957 की धारा 336 में बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करने में बिल्डिंग प्लान कमेटी सक्षम है।

(ज) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** यह प्रश्न उत्तरी दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित नहीं है।

(झ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** मै. पार्श्वनाथ लैण्डमार्क डवलपर्स प्रा. लि. को भूमि DMRC द्वारा आवंटित की गई थी न कि, दिल्ली नगर निगम द्वारा।

(अ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** यह प्रश्न उत्तरी दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित नहीं है।

**84- Jh eglae xks y %** क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्त वर्ष में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्यों के लिये सरकार द्वारा कितना फंड आबंटित किया गया है;

(ख) इस आबंटित फंड का कितना प्रतिशत विकास कार्यों पर खर्च हुआ;

(ग) क्या यह सत्य है कि डीएसआईआईडीसी को आबंटित फंड पूरा खर्च नहीं हो पाया; और

(घ) क्या यह भी सत्य है कि ग्रामीण विकास बोर्ड को आबंटित फंड भी पूरा खर्च नहीं हो पाया?

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h %** (क) **Mh, I vkbZ/kbMhl h%** वर्तमान वित्त वर्ष में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा कोई फंड आबंटित नहीं किया गया है।

**vukf/kÑr dklykuh I y] 'kgjh fodkl %** वर्तमान वित्त वर्ष में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्यों के लिए सरकार ने 2018-19 में 795 करोड़ का बजट रखा है जिसे 250/- करोड़ की धनराशि शहरी विकास विभाग सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण को दे चुका व 100/- करोड़ डीएसआईआईडीसी को देने के लिए फाईल प्रस्तुत है।

(ख) **Mh, I vkb&kbMhl h%** वर्तमान वित्त वर्ष में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा कोई फंड आबंटित नहीं किया गया है।

**vukf/kÑr dkykuh I y] 'kgjh fodkl %** शहरी विकास विभाग द्वारा एक मुश्त धन राशि डीएसआईआईडीसी दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण एवं पॉवर आदि विभागों को जारी की जाती है, तदुपरांत निष्पादन एजेंसियों द्वारा उक्त जारी एक मुश्त राशि से अनाधिकृत कॉलोनियों में कार्य करवाया जाता है। शहरी विकास विभाग द्वारा क्षेत्रानुसार खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) **Mh, I vkb&kbMhl h%** वर्तमान वित्त वर्ष में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है।

**dk; kÿ; I fpo&I g&fodkl vk; Ør%** दिल्ली सरकार का विकास विभाग (दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड) इसकी कार्य प्रणाली व प्रशासनिक देखभाल करता है। उप-सचिव विकास विभाग पत्र क्रमांक 2148 दिनांक 09.08.2018 के द्वारा आबंटित फंड का विस्तृत ब्यौरा तथा उसके खर्च का हिसाब-किताब पताका 'क' पर संलग्न है।

**NUMBER OF PROJECT PROPOSALS APPROVED BY THE DVDB (MEETING WISE) WITH AMOUNT IN THE CURRENT FINACIAL YEAR 2018-19 (AGAINST THE APPROVED OULTLAY OF RS. 200 CR)**

Sl. No.	Date of Meeting	Numbers of approved project proposals	Amount (in Crore)
1	21/12/2017	104	120.26
2	19/01/2018	349	434.17
3	12.02.2018	380	309.62
4	13.04.2018	132	126.71
5	23.05.2018	104	143.59
Total		1069	1134.45

**DETAILS OF SANCTIONS ISSUED BY THE RD UNIT IN RESPECT OF DVDB I APPROVED WORKS IN THE CURRENT FINANCIAL YEAR 2018-19 (AS ON 9.8.2018)**

Sl. No.	Name of PC/AC	Name of MLAs	No. of Projects Sanctioned	Amount of Sanctions issued Till the 1st qtr. (Rs. in Crore)
1	2	3	4	5
1	Badli	Sh. Ajesh Yadav	1	3.3
2	Bawana	Sh. Ramchander	5	3.68

1	2	3	4	5
3	Bijwasan	Col Devender Sehrawat	1	0.87
4	Burari	Sh. Sanjeevjha	13	13.94
5	Kirari	Sh. Rituraj Govind	1	0.65
6	Mangol puri	Ms. Rakhi Birla	1	2.71
7	Matiala	Sh.Gulab Singh	13	6.32
8	Mundka	Sh. Sukhbir Singh Dalai	8	9.34
9	Najafgarh	Sh. Kailash Gahlot	12	21.90
10	Narela	Sh. Sharad Kumar Chauhan	12	12.42
11	Rithala	Sh. Mohinder Goyal	1	0.92
Total			68	76.05*

\*Note:- Against the above sanctioned amount, I&FC Deptt- the main Executing Engineering Agency, has reportedly spent Rs. 30 Crores (approx) up to 31.07.2018.

**Mandated development works being undertaken by the DVDB and detail of executing Engineering Agencies (EEA)**

1. The following nature of work can be recommended by the DVDB in the rural and urban villages of NCT of delhi in Lal Dora areas, sizra roads and public utilities on Govt. land except in unauthorized colonies of any status and resettlement colonies and JJ Bastis falling under the jurisdiction of DUSIB:
  - (i) Construction of approach roads/link roads/village roads.
  - (ii) Development of ponds/water bodies.

- (iii) Development of cremation grounds, parks, playgrounds, vyayamshalas, village libraries.
- (iv) Construction of drainage facilities.
- (v) Construction/repair/maintenance of chaupals, barat ghars, community centres.
- (vi) Other need based works, like drinking water facility, street lights etc.

2. **Executing engineering agencies:-** The above mentioned capital works recommended DVDB are executed through various Govt. agencies like I&FC, SDMC, NDMC, DJB etc.

**85- Jh egla xk y % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार के आदेश संख्या WPC3569/UC-1/UD/CD-021295572/1627-1643 दिनांक 16.09.2016 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाईट डीएसआईआईडीसी के माध्यम से संबंधित डिस्कॉम लगायेगी;

(ख) यदि हां, तो डीएसआईआईडीसी को इस कार्य के लिए कितना फंड आबंटित किया गया है;

(ग) यदि डिस्कॉम डीएसआईआईडीसी के अनुरोध पर अनाधिकृत कॉलोनी में स्ट्रीट लाईट लगा दी तो उसके बाद रख-रखाव की जिम्मेदारी किस विभाग की होगी;

(घ) दिल्ली नगर निगम को लाईटों की मरम्मत के लिए अलग से कितना प्रतिशत टैक्स दिया जाता है; और

(ड) क्या यह भी सत्य है कि डिस्कॉम द्वारा स्ट्रीट लाईट लगाने के बाद दिल्ली नगर निगम उन स्ट्रीट लाईटों के रख-रखाव हेतु उनका हस्तांतरण नहीं लेता; पूर्ण जानकारी दें?

ekuuH; 'kgjh fodkl e&h % (क) Mh, I vkb&/kbMhI H% हां यह सत्य है कि आदेश संख्या WPC3569/UC-1/UD/CD-021295572/1627-1643 दिनांक 16.09.2016 को जारी हुआ था जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ है क्योंकि डीएमसी एक्ट के सेक्शन 329 के अनुसार स्ट्रीट लाईट लगाने और उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है और इस खर्च की भरपाई के लिए दिल्ली नगर निगम डिस्कॉम के माध्यम से विद्युत कर लेता है जो कि डिस्कॉम द्वारा उनके उपभोक्ताओं से लिया जाता है आज भी स्ट्रीट लाईट के रख-रखाव का काम दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में 19 जनवरी, 2018 को माननीय मंत्री जी द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें यह निर्णय हुआ था कि लाईटों के रखरखाव का काम दिल्ली नगर निगम द्वारा ही किया जाएगा।

ch, I bZ, I jkt/kkuh i koj fyfeVM% जी हां। ऑफिस ऑर्डर संख्या नं. WPC3569/UC-1/UD/CD-021295572/1627-1643 के तहत अनाधिकृत कॉलोनी में DSIIDC DISCOM द्वारा स्ट्रीट लाईट्स मुहैया कराएगा। (संलग्न 'क')

(ख) Mh, I vkb&/kbMhI H% इस संदर्भ में कोई भी फंड आबंटित नहीं है।

(ग) Mh, I vkb&/kbMhI H% डीएमसी एक्ट के सेक्शन 329 के अनुसार स्ट्रीट लाईटों के रख-रखाव की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है।



**mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** इन स्ट्रीट लाईटों के रखरखाव की जिम्मेदारी डीएसआइआईडीसी की होगी।

**ch, l bZ, l ; epk i koj fyfeVM%** दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड एवं बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के बीच स्ट्रीट लाईट मेंटेनन्स से संबंधित कोई अनुबंध नहीं हुआ है।

**ch, l bZ, l jkt/kkuh i koj fyfeVM%** अभी तक DSIIDC से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

**i ðhZ fnYyh uxj fuxe%** इन लाईटों की जिम्मेदारी डीएसआइआईडीसी की होगी।

(घ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** उत्तरी दिल्ली नगर निगम को लाईटों की मरम्मत के लिए अलग से कोई टैक्स नहीं दिया जाता।

**ch, l bZ, l jkt/kkuh i koj fyfeVM%** MCD एक्ट के अनुसार 5 प्रतिशत शुल्क का प्रावधान है।

**i ðhZ fnYyh uxj fuxe%** दिल्ली नगर निगम को लाईटों की मरम्मत के लिए अलग से कोई टैक्स नहीं दिया जाता।

(ङ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** उत्तरी दिल्ली नगर निगम केवल उन्हीं लाईटों का हस्तांतरण लेता है जो कि निगम के अंतर्गत अधिकृत कॉलोनियों में लगाई जाती है।

**ch, l bZ, l jkt/kkuh i koj fyfeVM%** DISCOMs ने मुहैया कराई है उन जगह उचित सौंपना/अधिकार लेने की प्रक्रिया MCD तथा DISCOMs के बीच चल रही है।

Vhi hMhMh, y% MCD केवल अधिकृत कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट्स को अधिकार में लेता है। MCD द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी में स्थित स्ट्रीट लाइट्स को अधिकार में नहीं लिया जाता है।

i whz fnYyh uxj fuxe% दिल्ली नगर निगम केवल उन्हीं लाइटों को हस्तांतरण लेता है, जो कि निगम के अंतर्गत अधिकृत कॉलोनियों में लगाई जाती हैं।

**South Delhi Municipal Corporation**  
**Government of National Capital Territory of Delhi**  
**Urban Development Department**  
**(Unauthorised Colonies Cell)**  
**10th level, 'C' Wing, Delhi Secretariat**  
**I.P. Estate, New Delhi-110002**

F.No. WPC-3569/UC-I/UD/CD-021295572/  
1627-1643

Dated: 16-09-2016

**ORDER**

Sub.: Allotment of unauthorised colonies to the DSIIDC in respect of street light installation and maintenance work.

In partial modification of order No. F.No1/33/UC/DD/Policy/07/partite/48G dated 29.03.2016 vide which PWD was assigned the maintenance and augmentation of street lights work in the unauthorised colonies. It has been decided, in the meeting held on 10.08.2018 under the Chairmanship of Minister, Urban Development, that all new as well as maintenance of street lights in unauthorised colonies shall continued to be executed by concerned DISCOMs through DSIIDC so that the continuity is maintained.

2. It is therefore requested that all the above works of street lights in the unauthorized colonies may be taken up by DSIIDC in accordance with the guidelines dated 18/12/2012.
3. It is further requested that DSIIDC should also ensure proper maintenance of the street lights installed by them and already existing in the unauthorised colonies and closely supervise the said work.
4. It is also requested that DSIIDC may obtain all the records relating to installation and maintenance of street lights in unauthorised colonies (with physical and financial status UC wise) if undertaken by them along with certified copies of vouchers and expenditure statements from the PWD for records and future reference purpose.
5. The issues with the approval of the Hon'ble Minister, Urban Development.

(lakshmi Krishnan)  
Dy. Secretary (UC)

Copy for necessary action:

1. Secretary, Public Works Department, GNCTD, 5th Floor, Delhi Secretariat, New Delhi.
2. Commissioner, East DMC, Patparganj Industrial area, Delhi.
3. Commissioner, North DMC, Civic Centre, New Delhi
4. Commissioner, South DMC, Civic Centre, New Delhi
5. Managing Director, DSIIDC, Connaught Place, New Delhi
6. C.E.O., NDPL, Kingsway Camp, Delhi
7. C.E.O., BSES, Nehru Place, New Delhi
8. C.E.O., BYPL, Karkardooma, New Delhi

Copy for Information to:

1. Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Delhi Secretariat, New Delhi
2. Secretary to Minister of UD, Delhi Secretariat, New Delhi
3. Secretary to Minister (PWD), GNCTD, Delhi Secretariat
4. The Special Secretary (UD-II/Plg.) UD Department, GNCTD, New Delhi
5. The Director (Planning), Planning Department, GNCTD, 6th level, Delhi Sectt.
6. PS to Pr. Secretary (UD), UD Department, GNCTD, New Delhi
7. Joint Director (Planning), UD Department, New Delhi
8. PA to Special Secretary (UC), UD Department, New Delhi
9. PA to Joint Secretary (UG) UD Department, New Delhi

(Lakshmi Krishnan)

Dy. Secretary (UC)

**86- Jh txnh'k izlku % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea=h यह**  
बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अनाधिकृत कॉलोणियों में लम्बित विकास कार्यों के लिए कितना बजट आवंटित किया है;

(ख) इन कार्यों के अंतर्गत कौन-कौन से काम किये जाने हैं;

(ग) ये कार्य कितनी कॉलोनियों में किये जाने हैं;

(घ) क्या शहरी विकास विभाग द्वारा एमएलए फंड के अंतर्गत लम्बित कार्यों को स्वीकृति दे दी गई है;

(ङ) ये विकास कार्य किन-किन एजेंसियों द्वारा किये जायेंगे; और

(च) किस-किस एजेंसी को कौन-कौन सा विकास कार्य सौंपा गया है?

**ekuuH; 'kgjh fodkl eãh % (क) fnYyh 'kgjh fodkl foHkkx%** अनाधिकृत कॉलोनी के विकास के लिए रुपये 800 करोड़ का बजट शहरी विकास विभाग को योजना व वित्त विभाग द्वारा आवंटित किया गया है।

सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों हेतु वित्त वर्ष 2018-19 के विकास कार्य हेतु 795 करोड़ का बजट रखा गया है। जिसमें 250 करोड़ आई एंड एफसी को दिया गया है और 100 करोड़ की धनराशि डीएसआईआईडीसी को जारी करने के लिए फाईल प्रस्तुत कर दी गई है।

(ख) **fnYyh 'kgjh fodkl foHkkx%** इन कार्यों के अंतर्गत कॉलोनियों जैसे सड़क निर्माण और नालियों, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज पाईप लाईन बिछायी जाती है।

(ग) **fnYyh 'kgjh fodkl foHkkx%** अनाधिकृत कॉलोनी के आदेश दिनांक 29.12.2015 के अनुसार जिन कॉलोनियों में वन आपत्ति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपत्ति नहीं है। उन सभी कॉलोनियों में यह कार्य होने हैं।

(घ) **fnYyh 'kgjh fodkl foHkkx%** जी नहीं।

(ड) **fnYyh 'kgjh fodkl foHkx%** ये विकास कार्य डीएसआईआईडीसी, आई एंड एफसी, एसडीएमसी और डीजेबी द्वारा किए जाएंगे।

(च) **fnYyh 'kgjh fodkl foHkx%** डीएसआईआईडीसी और आई एंड एफसी सड़क निर्माण और नालियों का निर्माण करती हैं दिल्ली जल बोर्ड पाईप लाईन डालना और सीवर का कार्य करती है और स्ट्रीट लाईट लगाने का काम बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा डीएसआईआईडीसी के माध्यम से किया जाता है।

**87- Jh txnh'k i/kku %** क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एमएलए फंड स्कीम को डूडा से शहरी विकास विभाग को स्थानांतरित करने के बाद अनाधिकृत कॉलोनियों में पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है; और

(ग) यदि नहीं, तो करावल नगर विधान सभा क्षेत्र में एमएलए फंड से अनाधिकृत कॉलोनियों में कार्य करने के लिए धनराशि आबंटित क्यों नहीं की जा रही है?

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea=h %** (क) ,e,y, yM% जी हां।

(ख) ,e,y, yM% वर्तमान एमएलए लैंड गाईड लाईनसमें अनुमोदित कार्यों का पुर्ननिर्धारण विचाराधीन है।

(ग) ,e,y, yM% लागू नहीं है।

**88-** I qh jk[kh fcM;k % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में डीयूएसआईबी के जर्जर अवस्था में पड़े तमाम टॉयलेट ब्लॉक्स में दिन प्रतिदिन अवैध गतिविधियां बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिये कोई ठोस कदम उठा रही हैं; पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र संख्या 12 के एफ व जी, ब्लॉक के लिए डीयूएसआईबी द्वारा किसी हाउसिंग स्कीम की घोषणा की जाने वाली थी;

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दें;

(ङ) क्या डीयूएसआईबी द्वारा तैयार एस्टीमेट के कार्य निपटान की क्या कोई समय-सीमा निर्धारित है;

(च) यदि हां, तो क्या यह विभाग निश्चित समय से अपना कार्य कर रहा है;

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ज) डीयूएसआईबी द्वारा मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में किये गये कार्यों का पूर्ण विवरण क्या है;

(झ) इस क्षेत्र में डीयूएसआईबी के सभी बारातघरों का ब्यौरा दें;

(ज) क्या यह सत्य है कि बारात घर खाली करने के विभागीय आदेश के बावजूद अभी तक सभी बारातघर खाली नहीं किए गए हैं;

(ट) यदि हां, तो इन्हें कब तक खाली करवा दिया जायेगा;

(ठ) मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में डीयूसआईबी की जमीन कहां-कहां खाली पड़ी है, पूर्ण विवरण दें;

(ड) क्या यह सत्य है कि उन खाली पड़ी जमीनों पर अतिक्रमण हैं;

(ढ) यदि हां, तो विभाग ने इन अवैध कब्जों को हटाने के लिये किस जमीन के लिए, कब कब क्या कार्रवाई थी?

कुल 09 शौचालय बनाये गये हैं जोकि एनजीओ द्वारा फ्री चलाये जा रहे हैं। उनका रख-रखाव ठीक है। जो शौचालय जर्जर हालात में हैं व सन 2000 में एमसीडी द्वारा यमुना एक्शन प्लान में बनाये गये थे वो आज भी एमसीडी डेम्स विभाग के अधीन है।

डूसिब द्वारा 4 स्थानों पर इन शौचालयों का गिराकर बारात घर लाइब्रेरी, मनोरंजन सेंटर बनाने का प्रस्ताव डूसिब बोर्ड द्वारा पारित कर दिया गया है जिनके लिए नक्शा बनवा कर एवं ट्रेन्डर लगाकर तय समय में कार्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका पूर्ण विवरण संलग्न सूची में है।

डूसिब द्वारा मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र संख्या 12 के एफ व जी ब्लॉक में हाउसिंग स्कीम प्रस्तावित



थी, परन्तु प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली की सभी झुग्गी बस्ती की कार्ययोजना एक साथ बनाने की योजना है जिसके लिए डिमांड सर्वे का कार्य किया जा रहा है। जिसके अंदर मंगोलपुरी विधान सभा 12 के एफ एंड जी ब्लॉक को भी सम्मिलित किया जाएगा।

(घ) **fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM/2%** उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

(ङ) **fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM/2%** जी हां विभिन्न कार्यों के लिए समय निर्धारित किया जाता है।

(च) **fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM/2%** विभिन्न कार्यों को विभाग द्वारा निर्धारित समय के अंदर पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

(छ) **fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM/2%** यदि इनमें से जो कार्य समय-सीमा में सम्पूर्ण नहीं होते हैं, उनका निम्नलिखित कारण हैं:—

1. कार्य स्थल पर अवरोध होना।
2. जनका के द्वारा कार्य में अवरोध उत्पन्न करना।
3. कार्य स्थल पर कार्य राहम में अतिक्रमण होना।
4. निधि का समय पर अभाव होना।
5. कार्य को पूर्ण करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र न होना इत्यादि।

(ज) **fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM/2%** मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में सब 17-18 में किए गए कार्यों की सूची संलग्न है एवं साल 2018-19

में पूर्ण किए गए कार्य एवं सभी प्रस्तावित कार्यों की सूची भी पूर्ण विवरण सहित संलग्न है।\* **vuyxud ^c\* ,oa ^l \***

(झ) **fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM%** मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में डूसिब के पास 8 बारात घर हैं जिनमें 5 एनजीओ के पास है जिन्हें 20 अगस्त तक वापस ले लिया जायेगा। सूची संलग्न है। **vuyxud ^n\***

(ञ) **fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM%** जी हां। विभाग द्वारा इन बारात घरों की सुरक्षा गार्डों द्वारा देखभाल के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। जिसकी स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्डों की तैनाती के बाद बारात घर खाली करा लिए जायेंगे। यह प्रक्रिया 20.08.2018 तक पूरी कर ली जायेगी।

(ट) **fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM%** उपरोक्त 'झ' के अनुसार।

(ठ) **fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM%** मंगोलपुरी विधान सभा में डूसिब के पास रामलीला ग्राउंड, कला मंदिर के सामने तथा यू ब्लॉक व ए, बी, एफ, एन ब्लॉक में जमीन है तथा लोकल शॉपिंग सेंटर में कुछ जमीन खाली है जिसकी सूची संलग्न है। जिन जमीन पर अतिक्रमण है उनको खाली कराने के लिए विभागीय नियमों के आधार व पुलिस विभाग की मदद ली जा रही है और यह कार्य 30 अगस्त तक पूरा कर लिया जायेगा। **vuyxud ^b\***

(ड) **fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM%** जी हां, कुछ खाली पड़ी जमीन पर मामूली अतिक्रमण है। **vuyxud ^b\***

(ढ) **fnYyh 'kgjh vkJ; I qkkj ckM%** जी हां, विभाग इन अतिक्रमण को समय-समय पर हटाने का प्रयास करता रहा है। एवं विभाग नियमों के आधार पर कार्यवाही कर रहा है। **vuyXud 'b\***

**89- I qh jk[kh fcM-yk %** क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित कतरन मार्किट के पास एक पार्किंग है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पार्किंग एमएसडी द्वारा अधिकृत है;

(ग) यदि हां, तो यह पार्किंग कब अधिकृत की गई एवं कब इसका टैंडर काल किया गया; और

(घ) उपरोक्त प्रक्रिया का विवरण दस्तावेजी साक्ष्यों सहित उपलब्ध करें?

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h %** (क) **mUkjh fnYyh uxj fuxe%** हां, यह सत्य है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की एक पार्किंग अपोजिट क्यू-ब्लॉक, डीटीसी बस टर्मिनल मंगोलपुरी में स्थित है।

(ख) **mUkjh fnYyh uxj fuxe%** यह पार्किंग उत्तरी दिल्ली नगर निगम की एक अधिकृत पार्किंग है।

(ग) **mUkjh fnYyh uxj fuxe%** इस पार्किंग स्थल पर आवंटन करने हेतु इसकी ई-निविदा 13.10.2016 को प्रथम बार हुई थी।

(घ) **mUkjh fnYyh uxj fuxe%** प्रक्रिया सम्बन्धी दस्तावेज की सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 369

16 श्रावण, 1940 (शक)

**vuyxud bdb**

**(Remunerative Project Cell)**

16th Floor, Civic Centre  
Minto Road, New Delhi-110002  
Tel. No. 011-23226602.

**No. ADC/RP Cell/NDMC/2018/D-1404**

**Dated: 30/01/2018**

To

Sh. Pawan Kumar  
R/o H. No. KH-81,  
Jain Colony, Naresh Enclave,  
Prahlad Pur, Delhl-110042

**Sub:- Extension of contract of parking site situated at Q-Block  
Mangolpuri, Rohini Zone/NDMC on regular basis**

I am to inform you that the Competent Authority vide its orders dated 29.01.2018 has been pleased to grant further extension of contract period for one year in respect of parking site situated at 'Q' Block, Mangolpuri, Rohini Zone/NDMC from 23.12.2017 to 22.12.2018 with 5% enhancement in MLF i.e. Rs. 1,82,700/- +TCS on same Terms and Conditions.

This issues with the prior approval of the Competent Authority

Sd/-  
Administrative Officer  
R P Cell/North DMC

**Copy to:-**

1. Addl. Comm. (Parking)/North DMC: for kind information please.
2. Dy. Comm. of Police concerned
3. Dy. Comm. Rohini Zone/North DMC

4. ADC/RP Cell/North DMC
5. ACP (Traffic) concerned
6. SHO concerned.
7. Office copy.

**North Delhi Municipal Corporation  
(Remunerative Project Cell)**

16th Floor, Civic Centre  
Minto Road, New Delhi-110002  
Tel. No. 23226602

**No. ADC/RP Cell/2016/D-2567**

**Dated: 22.12.2016**

To,

Sh. Pawan Kumar  
H.No-KH-81,  
Jain Colony,  
Naresh Enclave, Prahalad Pur,  
Delhi-110042

**Sub: Allotment of North DMC Parking Site on regular basis situated at Opp. 'Q' Block DTC Bus Terminal, Mangolpuri/ Rohini Zone.**

I am to inform you that the North DMC authorised parking site situated at Opp. 'Q' Block DTC Bus Terminal, Mangolpuri/Rohini Zone, For Car/Two Wheeler/Three Wheeler has been allotted to you on regular basis on Monthly License Fee basis @ Rs. 174000/-+ TCS @ 2% for a period from 23.12.16 to 22.12.17.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 371

16 श्रावण, 1940 (शक)

As per clause 20 (d) on the expiry of the period of license/termination of the license the licensee shall peacefully hand over possession of the parking site to North DMC.

**Sd/-**

**Section Officer  
RP Cell)/NDMC:**

Section Officer  
R.P. Cell

North Delhi Municipal Corporation  
Civic Centre, Minto Road  
New Delhi

Copy to:-

1. Addl. Cm. (Revenue)/NDMC: for kind information
2. Dy. Commissioner of Police/ Outer District
3. Dy. Commissioner (Parking)/R. P. Cell
4. Dy. Commissioner of Rohini Zone
5. ACP(Traffic)/Concerned
6. SHO, Mangolpuri
7. Asstt. Cm. of Rohini Zone
8. Office Copy

**North Delhi Municipal Corporation  
(Remunerative Project Cell)**

16th Floor, Civic Centre  
Minto Road, New Delhi  
Tel. No.2322-6602

No. ADC/RP Cell/2016/D-251

Dated: 02/09/2016

**Sub.: For allotment of authorized parking sites falling under the jurisdiction of North DMC through E-auction on Advance Monthly License Fee Basis**

North DMC Invites parking contractors/Firms/Co./Individuals etc. for allotment of authorized parking sites falling under the jurisdiction of North DMC through E-auction on Advance Monthly License Fee Basis.

The Schedule of E-auction with complete details and Terms 14 Conditions are available on website of North Delhi Municipal Corporation, [www.auctionwizard.in/NORTHMCD](http://www.auctionwizard.in/NORTHMCD), [www.mcdonline.gov.in](http://www.mcdonline.gov.in) and [www.mcdonline.gov.in/tri/ndmc](http://www.mcdonline.gov.in/tri/ndmc) MCD portal. Corrigendum, if any, shall only be available on above websites. The last date of submission of EMD along with other requisite documents/papers is upto 13.09.2016. by 17:30 hrs. The live E-Auction will be start on 16.09.2016 from 11.00 hrs to 17.30 hrs.

Sd/-  
Additional Deputy Commissioner  
R.P. Cell/NDMC

**Addl. Director (IT)/North DMC**

**Copy for kind Information to:**

1. Addl. Commissioner (Rev.)/North DMC
2. P.S. to Commissioner for kind Information to Commissioner/NDMC

**North Delhi Municipal Corporation  
(Remunerative Project Cell)**

16th Floor, Civic Centre  
Minto Road, New Delhi-110002

No. ADC/RP Cell/NDMC/2016(D-2050

Dated: 02/09/2016

**Schedule for E-Auction for regular allotment of authorised parking sites falling under the jurisdiction of North Delhi Municipal Corporation on payment of advance monthly license fee basis.**

- 
- |   |  |
|---|--|
| 1. Reserve Price.   | As per MRP mentioned against each parking sites in the list.   |
| 2. Period of availability, of application for e-auction/ offer documents of North Delhi Municipal Corporation website | From-03.09.2016 at 11:00 Hrs,<br>To 13.09.2016 at 17:30 Hrs.   |
| 3. Earnest Money Deposit,   | The bidder shall deposit a minimum Monthly Reserve License Fee (MLF) fixed for each of the parking site as EMD in favour of the Commissioner/North Delhi Municipal Corporation through wet Banking/RTGS/ NEFT/Credit/Deblt Card. |
| 4. List of mandatory documents to be submitted/uploaded on the portal at the time of online submission of EMD.        | As per Terms & Conditions, the bidder is required to upload/submit the copy of the following required/mandatory documents aiongwith the EMD amount in case cf Individual with e-auction form online.                             |
-



---

	NOTE: In case of Propertor/Partnership firm/Pvt. Ltd. Company, the name of firm/ Company and details of partners/Director also to be uploaded with e-auction form online with requisite/mandatory documents.
5. Last date for submission/ uploading of documents of online and online submission of EMD.	From-03.09.2016 at 11:00 Hrs. To - 13.09.2016 at 17:30 Hrs.
6. Last date of enquiry/ clarification regarding EMD and submission/uploading of documents.	15.09.2016
7. Cost of offer document by North DMC.	Free of cost.
8. Auction processing charges payable by successful bidder after completion of e-auction within 3 days.	1.25% of awarded value as per the final bid of auction.
9. Date of E-auction bidding.	16.09.2016 from 11.00 Hrs to 17:30 Hrs.
10. Increment value	Rs. 2000/-

---

Complete offer document is available on e-auction website of North DMC [www.auctionwizard.in/NORTH MCD](http://www.auctionwizard.in/NORTH MCD) or [www.mcd.gov.in](http://www.mcd.gov.in) and Corrigendum, if any, shall only be available on above websites.

**90- Jh tjuſy fl g %क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या एसडीएमसी ने निजी अस्पतालों में शॉपिंग मॉल्स में पार्किंग निःशुल्क करने के लिए पब्लिक नोटिस निकाला था;

(ख) यदि हां, तो उसकी कॉपी मुहैया करवाई जाए;

(ग) यह पब्लिक नोटिस जारी होने के बाद क्या निगम को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में शॉपिंग मॉल्स में इस पब्लिक नोटिस के खिलाफ जाकर पार्किंग शुल्क लिए जाने की कोई शिकायत मिली थी;

(घ) यदि हां, तो उन शॉपिंग मॉल्स व अस्पतालों की सूची मुहैया कराई जाए;

(ङ) इन शिकायतों पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने क्या कार्रवाई की, उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए;

(च) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले मॉल्स व अस्पतालों की सूची वाईवाइज मुहैया कराई जाए;

(छ) पब्लिक नोटिस के हिसाब से किन शॉपिंग मॉल्स से अस्पतालों में पार्किंग शुल्क निःशुल्क है;

(ज) क्या यह सत्य है कि अस्पतालों में शॉपिंग मॉल्स में पब्लिक नोटिस के खिलाफ पार्किंग शुल्क लिए जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कोई पीआईएल लगाई गयी थी, यदि हां, तो हाईकोर्ट के आदेश को प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए;

(झ) हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भी जो शॉपिंग मॉल्स व अस्पताल पार्किंग शुल्क वसूल रहे हैं, उनके खिलाफ एसडीएमसी ने क्या कार्रवाई की है; पूर्ण विवरण दें यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ञ) क्या हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद नॉर्थ व वेस्ट दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में पार्किंग निःशुल्क करने की कोई योजना है;

(ट) यदि हां, तो उसका विवरण दिया जाए, और यदि नहीं, तो उसका कारण बताया जाए?

**ekuuH; 'kgjh fodkl ea=h % (क) nf{k.kh fnYyh uxj fuxe% जी हां।**

(ख) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** कॉपी अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।\*

(ग) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के चारों जोंनों से प्राप्त सूचना के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में शिकायत प्राप्त हुई है एवं जिसका विवरण अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

(घ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्तानुसार।

(ङ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

(च) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के चारों जोंनों की सूची अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।

(छ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्तानुसार।

(ज) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी अनुलग्नक 'घ' पर संलग्न है।

**mÜkjh fnYyh uxj fuxe%** इस संबंध में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई केस दायर नहीं किया गया था।

**iwh fnYyh uxj fuxe%** यह जानकारी में आया है कि श्री संजय पुरी ने उच्च न्यायालय में केस दायर किया था कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के निःशुल्क पार्किंग के आदेश का उसके अंतर्गत आने वाले अस्पतालों एवं शॉपिंग मॉल्स में पालन नहीं किया जा रहा है और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिए थे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम इस केस में तथा इस प्रकार के किसी अन्य केस में पार्टी नहीं है और न ही न्यायालय ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम को इस बारे में कोई आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.02.2018 की प्रतिलिपि संलग्न है यह भी जानकारी में आया है कि वसंत कुंज कॉमर्शियल काम्प्लेक्स एसोसिएशन ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के निःशुल्क पार्किंग के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती है तथा उच्च न्यायालय ने 20 रुपये प्रति घंटा पार्किंग शुल्क वसूल करने की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.2018, 08.09.2017 एवं 13.03.2018 की प्रतिलिपि संलग्न है।

(झ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** संबंधित सभी शॉपिंग मॉल्स व अस्पताल को विभाग द्वारा नोटिस जारी किये गये थे। विभाग द्वारा जारी

किये गये नोटिस/ऑर्डर के विरुद्ध शॉपिंग मॉल्स व अस्पताल मालिकों द्वारा हाईकोर्ट में केस दायर किया गया। हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी अनुलग्नक 'घ' पर संलग्न है।

**mùkjh fnYyh uxj fuxe%** इस संबंध में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई केस दायर नहीं किया गया था।

(ज) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** प्राप्त जानकारी के अनुसार वसंत कुंज कामर्शियल काम्प्लेक्स एसोसिएशन द्वारा दायर मुकदमा नं. डब्ल्यूपी (सी) नं. 7943/2017 अभी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश आने के उपरांत हो कोई निर्णय लिया जा सकता है माननीय उच्च न्यायालय में अगली तारीख दिनांक 3.10.2018 निर्धारित है।

**mùkjh fnYyh uxj fuxe%** इस संबंध में भवन विनियमों एवं मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।

**iùhZ fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निःशुल्क योजना अथवा निर्धारित शुल्क योजना की कानूनी वैधता पर विचार किया जा रहा है।

(ट) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्तानुसार।

**mùkjh fnYyh uxj fuxe%** इस संबंध में भवन विनियमों एवं मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।

**iùhZ fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निःशुल्क

योजना अथवा निर्धारित शुल्क योजना की कानूनी वैधता पर विचार किया जा रहा है।

**91- Jh tjuſy fl g %** क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl eāh** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन निगमों में किस-किस जगह पर एमसीडी की पार्किंग चल रही है; इसकी वार्ड वार्ड सूची उपलब्ध करवाई जाए;

(ख) सभी पार्किंग लाईसेंस की वार्ड वार्ड सूची नक्शों के साथ उपलब्ध कराई जाए व साथ में प्रत्येक लाईसेंस की कॉपी वार्ड वार्ड मुहैया कराई जाए; और

(ग) पार्किंग शुल्क से तीनों निगमों को होने वाली आय का ब्यौरा भी उपलब्ध करवाया जाए;

(घ) तीन निगमों में पार्किंग की नीति की प्रति उपलब्ध करवाई जाए?

**ekuuh; 'kgjh fodkl eāh %** (क) **mūkjh fnYyh uxj fuxe%** उत्तरी दिल्ली नगर निगम में क्षेत्र वार्ड पार्किंग का विवरण उपलब्ध है। जिसकी सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।\*

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की अधिकृत पार्किंग की सूची संलग्न है। अनुलग्नक-'A'\*

**iwhl fnYyh uxj fuxe%** पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा आवंटित पार्किंग की सूची संलग्नक 'क' पर है।

---

\*सभी संलग्नक [www.delhi assembly.inc.in](http://www.delhi assembly.inc.in) पर उपलब्ध।

(ख) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** सभी पार्किंग साईड की नक्शों तथा आवंटन पत्र की कॉपी अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की अधिकृत पार्किंग की सूची विभाग में केवल जोन वार्डज उपलब्ध है। संबंधित पार्किंग सूची, नक्शों व लाईसेंस की कॉपी संलग्न है। अनुलग्नक-'B'

**i whZ fnYyh uxj fuxe%** पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा आवंटित पार्किंग की सूची संलग्नक 'क' पर है तथा नक्शों और लाईसेंस की कॉपी साथ में संलग्नक है।

(ग) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** पार्किंग शुल्क से होने वाली आय का ब्यौरा अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को पार्किंग से प्राप्त आय के ब्यौरे की सूची संलग्न है। अनुलग्नक-'C'

**i whZ fnYyh uxj fuxe%**

वित्तीय वर्ष	इंकम रुपये
2017-18	32 करोड़
2018-19 (01.04.18 से अब तक)	14.50 करोड़

(घ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा पार्किंग आवंटन की नियम एवं शर्तें अनुलग्नक 'घ' पर संलग्न है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पार्किंग की नीति संलग्न है। अनुलग्नक-'D'

**i wh fnYyh uxj fuxe%** पार्किंग की नीति अर्थात् नियम एवं शर्तों की प्रतिलिपि संलग्नक 'ख' पर है।

**92- Jh tjuŷ fl g %** क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से मौजूदा सातों लोक सभा सदस्यों ने अपने संसदीय क्षेत्र में एमपी-लैंड के अंतर्गत अब तक कितना बजट खर्च किया है;

(ख) सभी संसदीय क्षेत्रों के एमपी-लैंड के अंतर्गत होने वाले विकास के कार्यों का वर्षानुसार विवरण दिया जाये;

(ग) इससे पिछले संसदीय सत्र का कितना-कितना बजट वर्तमान सदस्यों को कैरी फारवर्ड हुआ है; और

(घ) उसका प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के हिसाब से ब्यौरा उपलब्ध कराया जाये?

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h %** (क) **mUkjh fnYyh uxj fuxe%** उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में 2 लोक सभा सीट (चांदनी चौक और उत्तर पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र) आती है। सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।\*

---

\*सभी संलग्नक [www.delhi.assembly.inc.in](http://www.delhi.assembly.inc.in) पर उपलब्ध।



**पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के लोक सभा सदस्य**

पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के लोक सभा सदस्य	वित्तीय वर्ष	खर्च (आंकड़ा लाखों में)
श्री महेश गिरी	2014-15	0.00
	2015-16	106.40
	2016-17	412.35
	2017-18	356.50
	2018-19 (जून, 18)	100.22
श्री मनोज कुमार तिवारी	2014-15	0.00
	2015-16	37.17
	2016-17	17.25
	2017-18	500.98
	2018-19 (जून, 18)	221.07

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के लोक सभा सदस्य**

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक लोक सभा सदस्यों द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र के लिए खर्च किये गये बजट का विवरण की सूची अनुलग्नक 'ए' पर संलग्न है।

**vfhk; kf=d foHkx l s i klr l p u k d s v u d k j %** दिल्ली से मौजूदा तीन लोक सभा सदस्यों जाकि द.दि.न.नि. के अंतर्गत आते हैं, उनके एमपी-लैड में खर्च के विवरण की सूची अनुलग्नक 'बी' पर संलग्न है।

(ख) **mUkj h fnYyh uxj fuxe%** ब्यौरा अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

**i wh l fnYyh uxj fuxe%** श्री महेश गिरी माननीय सांसद (लोक सभा) एवं श्री मनोज तिवारी माननीय सांसद (लोक सभा) के द्वारा अनुशासित कार्यों की सूची संलग्न की जा रही है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%**

**vfhk; kf=d foHkx l s i klr l p u k d s v u d k j %** तीनों सांसदों के संसदीय क्षेत्रों के एमपी-लैड के अंतर्गत होने वाले विकास के कार्यों के वर्षानुसार विवरण की सूची अनुलग्नक 'बी' पर संलग्न है।

(ग) **mUkj h fnYyh uxj fuxe%** ब्यौरा अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।

**i wh l fnYyh uxj fuxe%** पिछले संसदीय क्षेत्र का बजट वर्तमान सदस्यों को कैरी फारवर्ड हुआ है का विवरण निम्न है:—

पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के लोक सभा सदस्य	वित्तीय वर्ष	कैरी फारवर्ड राशि (आंकड़ा लाखों में)
श्री महेश गिरी	2017-18	50.71
श्री मनोज कुमार तिवारी	2017-18	46.99

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%**

**ed; ys[kiky ,oa foUk ijke'kz foHkkx Is iXlr l pUk ds vuq kj%** पिछले संसदीय सत्र का वर्तमान सदस्यों को कैरी फारवर्ड किया गया बजट की सूची अनुलग्नक 'ए' पर संलग्न है।

**vfhk; kf=d foHkkx Is iXlr l pUk ds vuq kj%** पिछले तीनों सांसदों के संसदीय सत्र का बचा हुआ बजट जो वर्तमान सदस्यों की कैरी फारवर्ड हुआ है उसके विवरण की सूची अनुलग्नक 'बी' पर संलग्न है।

(घ) **imhZ fnYyh uxj fuxe%** प्रश्न 'ग' के उत्तर में वर्णित है।

**mUkjh fnYyh uxj fuxe%** ब्योरा अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%**

**ed; ys[kiky ,oa foUk ijke'kz foHkkx Is iXlr l pUk ds vuq kj%** प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के हिसाब से ब्योरा साथ संलग्न है।

**vfhk; kf=d foHkkx Is iXlr l pUk ds vuq kj%** उपरोक्तानुसार।

**93- Jh JhnUk 'kekz %** क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा घोण्डा विधान सभा के वार्ड नं. 44ई, 45ई, 46ई व 47ई के अंदर एलईडी लाईट किसी योजना के अंतर्गत लगाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो यह कितने वॉट की है, कौन सी कंपनी की चोक है, कौन सी कंपनी की लाईट है व पोल लगाने के पश्चात् इसकी कुल लागत क्या है?

**ekuuh; 'kgjh fodkl ea=h %**(क) घोण्डा विधान सभा क्षेत्र में एलईडी

लाईटें पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा ESCO मॉडल के अंतर्गत लगाई जा रही हैं।

(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम: एलईडी लाईटें जैसे की नेशनल लाईटिंग कोड 2010, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंतर्गत आने वाली रोड कैटेगरी के अनुसार लगाई जा रही है। ज्यादातर 150 वॉट एचपीएसबी लाईटें 36 वॉट एलईडी लाईट्स से बदली जा रही है। लाईट बदलने वाली कम्पनी का नाम M/s eSmart Energy Solutions Pvt. Ltd. है। जैसा कि लाईट बदलने का कार्य ESCO मॉडल के अंतर्गत किया जा रहा है। जिसका आधार ऊर्जा बचत करना है ना कि एलईडी लाईट्स की लागत है।

**94- Jh 'kjin dɛkj % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl eɔh यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि विधायक कोष शहरी विकास विभाग को स्थानांतरण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी गाइड लाईन पूरे संक्षेप रूप में बताया जाये;

(ग) विधायक कोष में जो कार्य अनुमत्य हैं, क्या वही कार्य शहरी विकास विभाग में अनुमत्य हैं; और

(घ) यदि नहीं तो कौन-कौन से कार्य अनुमत्य नहीं हैं, उनका पूर्ण विवरण क्या है?

**ekuuh; 'kgjh fodkl eɔh % (क) fnYyh 'kgjh fodkl foHkkx% जी हां।**

(ख) **fnYyh 'kgjh fodkl foHkkx %** MLALAD दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है।

(ग) **fnYyh 'kgjh fodkl foHkkx %** जी हां।

(घ) **fnYyh 'kgjh fodkl foHkkx %** लागू नहीं है।

**GUIDELINES FOR MEMBER OF LEGISLATIVE ASSEMBLY  
LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (MLALADS)  
DELHI-2012**

**1. Background**

The Government of India had framed “Member of Parliament Local Area Development Scheme” under which MPs can recommend works to be carried out in their constituencies. Since the MLAs are also frequently approached by their constituents for carrying out small works of capital nature, the Govt. of Delhi has framed a scheme along the pattern of the MPs Local Area Development Scheme. The scheme was started in the year 1994-95 when the fund under the scheme was Rs.1.00 crore per MLA per year. After gaining some experience the Govt. decided to revise the scheme & increase the fund to Rs.1.40 crore per MLA per year w.e.f. 1999-2000. From the financial year 2000-01 the limit of Rs.1.40 crore has been raised to Rs.1.90 crore per MLA. And from 2004-05, the limit has been further increased to Rs.2.00 crore and w.e.f 2011-12 the limit has been further increased to Rs. 4 crore. Under this scheme of “Strengthening and Augmentation of Infrastructure facilities in each Assembly Constituency”, commonly known as MLALAD’s each MLA can suggest small works of capital nature to be done in their constituencies upto the tune of Rs.4.00 crores in a year with each individual project not exceeding Rs.2 crore.

**2. Salient Features**

The works recommended under this scheme should conform to the general pattern of programmes and projects being implemented by the local bodies/ departments of Govt. of Delhi. These works will be sanctioned and implemented in the same manner, as the other works of these bodies are being sanctioned and implemented.

1. Wherever required technical and administrative sanction of the works falling within the scope of this scheme and for which the MLAs have exercised their choice will be given after following the normal departmental procedures applicable to the local bodies and other Government Departments and the actual expenditure should in no case exceed the sanction.
2. The works under this scheme shall primarily be durable asset creation works on Government / Local Bodies land and only such works will be taken up which can be executed / completed within one or two years time schedule. No purchase of inventory equipment etc. or revenue expenditure will be allowed except purchase of computers for schools and provision of ambulances & refuse collectors only for the Government institutions.
3. This is a project/location specific scheme where the expenditure on each project/location is not going to exceed more than Rs.2.00 Crores under the guidelines issued by the Delhi Govt. from time to time.

### **3. List of Permissible Works**

- i. Construction of school buildings.
- ii. Construction of community halls/barat ghars/chaupals, other durable assests for public use on public/government land.
- iii. Construction of sub-ways wherever found technically feasible.
- iv. hostels specially for working women or girl schools.
- v. Public libraries.
- vi. Construction of culverts, foot-bridges/bridges.

- vii. Public toilets at different locations.
- viii. Sports complexes.
- ix. Crematoriums or development of burial grounds.
- x. Construction of tube-wells and water tanks for providing drinking water to the people in villages, towns or cities, or execution of other works which may help in this respect.
- xi. Construction of roads and drains including part roads, approach roads, link roads as per approved lay-outs.ii.Sanitation
- xiii. Development of parks (except earth filling, planting of saplings, apply of compost manure)
- xiv. Computers to schools
- xv. Street lighting
- xvi. Provision of common services/community services including maintenance of group toilets, courtyard, common path and similar other services in privately owned katras subject to the stipulations that no ceiling on individual works or on total quantum of works per MLA will be imposed.
- xvii. Bus Stop and Bus 'Q' Shelter
- xviii. Garbage collection Centre like one's in NDMC area.
- xix. Solar Traffic Lights.
- xx. Provision of Ambulances/Refuse Collectors
- xxi. Rain Water Harvesting in government and public buildings and places including buildings and places of Local Bodies.

- xxii. The funds upto the limit of Rs. 35 lakh per MLA per year shall be released on the request of the concerned MLA for Relief to the victims of Natural Disaster / National Calamity declared by the Govt. and shall be credited into the L.G. / C.M. Relief fund.
- xxiii. The development / strengthening of common areas / common facilities / common passages balconies / Courtyards / Common stairs / toilet blocks and various facilities in the slum complexes developed by Slum & JJ Department and other such residential complexes is allowed under the Scheme.
- xxiv. Shifting of HT/LT lines (funds would be released as per laid down procedure by Power Department, GNCTD)
- xxv. Mobile vans for public library purpose only
- xxvi. Benches for public parks.
- xxvii. Porta Cabins with over 20 years of durability on Government land after obtaining NOC from the land owning agency.
- xxviii. Provision of PVC Overhead Tanks for portable water storage in JJ Clusters and Unauthorized Colonies;
- xxix. Provision of Porta Cabins with durability over 20 years in areas other than NDMC and Lutyen's Zone, on Government land after obtaining NOC from land owing agencies, for use as Temporary Offices for Resident Welfare Associations. The construction of Porta Cabins will also be allowed for setting up of Kendriya Bhandar, Mother Dairy Booth, Amul and Safal Outlets etc.

**4. List of Non permissible works.**

- 1. Office buildings, residential buildings and other buildings relating to Central or State Governments, Departments, Agencies and Organizations.



2. Works pertaining to commercial organizations, trusts, registered societies, private institutions or co-operative institutions.
3. Grants and loans.
4. Memorials or memorial buildings.
5. Purchase of inventory or stock of any type.
6. Acquisition of land or any compensation for land acquired.
7. Assets for an individual benefit except those which are part of approved schemes.
8. Places for religious workshop.

**5. Procedure for proposal and release of funds:**

1. The MLALAD Fund of Rs. 4.00 crores per MLA per year prevalent at present will be divided into two parts, i.e., the Mandatory Fund and the Discretionary Fund of Rs. 1 crore and Rs. 3.00 crore respectively.
2. The GNCTD has decided to release Rs.1.00 Crores earmarked as the mandatory fund out of the total allocation of Rs. 4.00 Crores per annum per Assembly Constituency under MLALAD Scheme to DJB instead of MCD, for water and sanitation works as per the recommendation of the Area MLA except in NDMC and Delhi Cantonment Areas. The Mandatory fund will be directly released to DJB, NDMC and DCB for execution of developmental works as may be proposed by Hon'ble MLA's of the respective constituencies. Thus Rs. 68.00 Crores will be released to DJB, Rs. 1 crore will be released to NDMC and Rs. 1 Crore will be

released to DCB as Mandatory Fund of MLALAD Scheme as per the number of Assembly Constituencies predominantly falling in their respective areas.

3. The mandatory fund of Rs. 1.00 Crores per annum in respect of Assembly Constituencies falling within the jurisdiction of NDMC and Delhi Cantonment Board will be released to the respective Local Authorities viz., NDMC and Delhi Cantonment Board, for taking up works/projects as per the recommendations of the MLA;
4. The balance amount of Rs. 3.00 Crores per annum will be released by Urban Development Department to a designated executing agency for undertaking an approved work/project as per the recommendations of the Area MLA, subject to a maximum allocation of Rs. 2.00 Crores per work/project. The remaining amount of Rs. 210 crores per annum will be sanctioned as the Discretionary Fund through the Urban Development Department, GNCT of Delhi for execution of developmental works by various executing agencies namely three Municipal Corporations ( North, South & East) NDMC, DISCOM, DJB, I&FC, S&JJ and others like Health, DDA, DCB, CPWD, etc. against the recommendations of Hon'ble MLAs concerned after obtaining detailed cost estimates and layout plans from the concerned executing agencies.

The scheme envisages that MLAs would submit written requests directly to Pr. Secretary(UD), urban Development Department, GNCTD for the release of Rs. 3.00 crores subject to the individual scheme limit i.e. Rs. 2 crores per year. The MLAs while submitting their consent letters would also mention the name of the Department/ agency from whom they propose to have the work to be executed, details of the work, its locations, detailed cost estimate and layout

plan etc. The estimate will be prepared as per the DSR-2012 as adopted by GNCTD vide Pr.Secretary (Finance) Order No. 8/2/2007-A/CD-01295543/2012-13/Exp-4/854-73 dated 12th September,2012 ( Copy as Annexure-A). On the basis of aforesaid information, funds will be released and placed at the disposal of the executing agency. The implementing agencies/departments shall utilize the funds in accordance with CPWD Manual and GFRs. The departments/agencies shall require to open separate bank accounts for each MLA and the utilization certificates is also required to be furnished after the execution of works or by the end of financial year whichever is earlier, to UD department, GNCTD.

5. DJB, NDMC & DCB will issue sanction orders for all developmental works as per the guidelines of MLALAD Scheme regarding the Mandatory Fund and monitor its progress regularly. They will submit the monthly expenditure report and annual utilization certificate to the Urban Development Department, GNCT of Delhi regularly.
6. The implementing agency, once selected, can not be changed under any circumstances. However, the proposed works by the MLA may be changed and substituted only once.
7. In order to comply with the orders of Central Information Commission (CIC), to fulfil the obligations as required under Rule – 4(1) of the Right to Information Act, 2005 and for the sake of transparency, DJB, NDMC, DCB will upload on their websites full details of sanction works, specifications, date of start and completion of the works, name of contractor and total amount of contract relating to MLALAD Funds separately for Mandatory Funds released from time to time.

## **6. Procedure for Street Lights work**

The following procedures approved by the Cabinet of Delhi during 2001 will remain continue as per detailed below:

- 1.(a) The work of street light under MLA Fund should be carried out by the MCD, PWD or other road owning agencies and they may get this work executed by the DISCOMS on deposit basis or in any other manner subject to payment of electricity consumption charges.
- 2.(b) The work of high mast lights under MLA Fund may be carried out by the MCD, PWD or other road owning agencies subject to guidelines issued by the urban Development Deptt. For erection of high mast lights.
- 3.(c) The requisition for undertaking work relating to street lights and high mast lights would be placed before the road owning agency and in case no comments were received within 10 days of the receipt of the requisition, it would be presumed that deemed permission had been accorded by them and the DISCOMS would be asked to get the work initiated. The payment would be made directly to the DISCOMS under intimation to the road owning agency.

## **7. Sanction of Work**

7.1 The implementing agencies/departments will ensure that all preparatory steps are taken as per the established procedure and work order is issued within a period of maximum 60(sixty) days after the funds are released by Urban Development Departments to them.

7.2 It is to be ensured that the works pertain to be concerned MLAs constituency and are to be executed in/on property belonging to the government or local body. The works to be executed should have a public purpose only and not a private purpose.

7.3 “MLALAD Scheme can be converged with the scheme of Central Government, State Government/local Bodies. Wherever such pooling is done, funds from other schemes should be used first and the MLALAD/MPLAD funds should be released later, so that MLALAD/MPLAD funds result in completion of the work. However, in case of such pooling of resources separate record of works in both physical and financial terms, will have to be maintained for the MLALAD Scheme for accounting purposes”.

#### **8. Maintenance:**

15% of MLA fund can be utilized for the special repair and maintenance of assets created in the previous years subject to the production of a certificate to this effect and the date of completion of the work by a concerned officer not below the rank of Superintending Engineer of the concerned executing agencies to UD Department after duly recommended by the concerned area MLA.

8.1 If, for any reason the concerned local body/departments/agency is unable to take up any work suggested by the MLA a report in this regard is to be sent to the Pr. Secretary (UD).

8.2 Normal financial and audit procedure will apply to all expenditure incurred under this scheme.

#### **9. Procedure in the event of change of MLA**

9.1 When there is a change in the MLA, for whatever reason it may be, the following principles should be followed, as far as possible in execution of works, if the work identified by the predecessor MLA.

- (a) If it is under execution, it should be completed.
- (b) If it is pending sanction due to administrative reasons beyond a period of 45 days from the date on which advice was received for taking up the work, it should also be executed, provided the work is otherwise as per norms.
- (c) If it was not taken up for execution because of reasons other than those mentioned in the preceding sub-para, it can be executed subject to the confirmation by the successor MLA.

- (d) If the predecessor MLA has not identified any works at all, allocation or releases of funds to such predecessor MLA will not be additionally given to the successor/MLA over and above Rupees two crore being the entitlement of the latter MLA for the year concerned.

#### **10. Un-lapsable Fund**

The funds under the scheme shall be considered and treated as un-lapsable; therefore, the release of funds under the scheme, if not fully utilized due to unavoidable circumstances and unreleased fund left with the government in a particular year, is allowed to be carried forward/released for subsequent three years and four years respectively to the implementing departments/agencies etc. on the recommendation of concerned MLA and after obtaining the approval, as per procedure laid down by the urban Development Department, GNCTD and finance Department, GNCTD respectively.

#### **11. Substitution of work**

The change(s) of work may be allowed only once provided there are serious problems in the implementation. However, the implementing agency cannot be changed under any circumstances.

#### **12. Monitoring Arrangements**

The implementation will be regularly monitored by the Government. The senior officers of the implementing departments/agencies shall regularly inspect the works being undertaken and submit quarterly reports to urban Development Department for effective monitoring.

- 1.a) A report on the physical and financial progress made in respect of each work is to be submitted to the UD Department at the time of request for release of funds.
- 2.b) In execution of works, MLAs may face special problems/situations not envisaged to be covered under these guidelines. Such cases may be taken up with the pr. Secretary, urban Development Department for suitable clarification.

**ANNEXURE-A**

**No.8/2/2007-A/CD-01295543/2012-13/Exp-4/854-73**  
**Government of National Capital Territory of Delhi**  
**Finance (Infrastructure) Department**

Dated: September 12, 2012

**ORDER**

**Sub: Adoption of DSR-2012 in place of DSR-2007 for capital works in National**

Capital Territory of Delhi

In partial modification of Government Order of even No. PA/DSF/Misc./2012-13/Exp-4/538-45, dated May 17,2012 and subsequent corrigendum dated May 23,2012 regarding revision of delegation of powers for sanction of capital works/projects, observance of standard norms/parameters and guidelines for approval/sanction of capital works, Lieutenant Governor, Delhi is pleased to approve the adoption of Delhi Schedule Rates-2012(DSR-2012) IN PLACE OF Delhi Schedule Rates-2007(DSR-2007) for capital works/projects of Government of NCT of Delhi to be executed by the work executing agencies including PWD, I&FCD, DSIIDC, DTTDC, DUSIB, DTIDC and local bodies as per following rates/stipulation:

Sl. No.	Nature of Works	Stipulation
1	Bridge Works	DSR 2012 Minus 5%
2	Building Works	DSR 2012 Minus 12%
3	Development Works ( Roads and side drains )	DSR 2012 Minus 12%

The adoption of DSR-2012 is further subject to the followings:

- (i) Contingency, third party quality control, labour cess and art work ( wherever necessary) shall continue to be charged @ 1% each.
- (ii) Consultancy charges ( wherever necessary) shall be fixed lump sum subject to a maximum of 3% of original project cost, and
- (iii) Project Management charges/Department charges to agencies other than PWD and I& FCD shall be restricted upto a maximum of 5% of the original project cost.

Sd/-

**(D.M. Spolia)**

Pr. Secretary (Finance)

1. All Administrative Secretaries, GNCT of Delhi
2. All Head of the departments, GNCT of Delhi
3. Chairperson, New Delhi Municipal Committee
4. Commissioner, EDMC/NDMC/SDMC
5. CMD, DSIIDC/DTTDC/DIMTS/DTIDC/DTL/DTC
6. CEO, DUSIB/DJB

No.8/2/2007-A/CD-01295543/2012-13/Exp-4/854-73 Dated: September 12, 2012

7. Pr. Secretary to the H.E. Lt. Governor, Delhi.
8. Pr. Secretary to the Hon. Chief Minister, GNCT of Delhi
9. Commissioner, Delhi Police
10. Secretaries to Hon. Ministers, GNCT of Delhi



11. Staff officer to Chief Secretary, GNCT of Delhi.
12. Special Secretary, Finance Department, GNCT of Delhi
13. Accountant General (Audit), Delhi
14. Engineer-in-Chief, Public Works Department, Govt. of NCT of Delhi
15. Controller of Account, Principal Account Office, GNCT of Delhi
16. Controller of Audit, Directorate of Audit, GNCT of Delhi
17. All Dy. Secretaries in the Finance Department, GNCT of Delhi
18. All Pay and Account officers, GNCT of Delhi
19. All Desk Officers in Finance Department, GNCT of Delhi
20. Guard file

Sd/-

(H.P. Sharma)

Under Secretary (Finance)

**95- Jh iou dękj 'kek % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl eah यह**  
बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकीय सह शिक्षा सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, केवल पार्क के लिये जमीन आबंटन का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो एमसीडी बिल्डिंग में संचालित उपरोक्त स्कूल को लेकर शिक्षा विभाग क्या कोई योजना बना रहा है?

**ekuuh; 'kgjh fodkl eah % (क) f'k{kk fun'skky; % जी नहीं।**

(ख) f'k{kk funs'kky; % लागू नहीं होता।

(ग) f'k{kk funs'kky; % उपरोक्त स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय नं.-2 आदर्श नगर में विलय करने की योजना है।

96- Jherh I fjrk çl g % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl eah यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जेड-3, फोटो चौक, वेलकम पर यमुनापार विकास बोर्ड को मनोरंजन केन्द्र के लिए बजट आबंटित हुआ था;

(ख) क्या इस भवन का निर्माण किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो वे भवन अब किसकी देख-रेख में है;

(घ) यह केंद्र कब तक चालू होगा;

(ङ) क्या इस भवन की उपयोगिता में कोई बदलाव किया गया है; और

(च) यदि हां, तो क्या इसके लिए दिल्ली सरकार या क्षेत्रीय विधायक की मंजूरी ली गई है?

ekuuh; 'kgjh fodkl eah % (क) ,e, y, yM% जी हां।

iwhz fnYyh uxj fuxe% हां, यह सत्य है।

(ख) iwhz fnYyh uxj fuxe% हां, यह कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) iwhz fnYyh uxj fuxe% यह केन्द्र पशु चिकित्सा विभाग/पूर्वी दिल्ली नगर निगम की देख-रेख में है। तथा इसके उपयोग पर निर्णय लिया जाना है। यहां सेंटर नहीं बनाया जायेगा।

(घ) **iwłł fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्त 'ग' अनुसार।

(ङ) **iwłł fnYyh uxj fuxe%** हां, इस भवन की उपयोगिता में बदलाव किया गया है।

(च) **iwłł fnYyh uxj fuxe%** इसमें बदलाव की मंजूरी माननीय आयुक्त पूर्वी दिल्ली नगर निगम से ली गई है।

**97- Jh fotłnz xłrk %** क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl eãh** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमएलए फंड की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) किस-किस विधायक के कितने काम लम्बित हैं और इनके क्या कारण हैं;

(ग) किस-किस विधायक की कितनी-कितनी राशि अभी डूडा में बची हुई है;

(घ) यह राशि कब तक शहरी विकास विभाग को स्थानांतरित कर दी जाएगी; और

(ङ) विधायक फंड के अंतर्गत कितने विधायकों ने दिल्ली नगर निगम द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए राशि आबंटित की; विस्तृत जानकारी दे?

**ekuuh; 'kgjh fodkl eãh %** (क) **młkjł fnYyh uxj fuxe%** विधायक फंड के अंतर्गत 203 कार्यों के लिए अब तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 959.44 लाख की राशि उत्तरी दिल्ली नगर निगम को प्राप्त हो चुकी

है। तदनुसार चालू वित्त वर्ष में अब तक 117 कार्यों के लिए 577.91 लाख की राशि की गयी है। सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।\*

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%**

**vfhk; kf=d foHkkx I s i klr I p u k d s v u d k j%** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा छठी विधान सभा के अंतर्गत कराए ज रहे सभी विकास कार्यों की सूची, फंड की वर्तमान स्थिति एवं कार्यों की प्रगति की वर्तमान स्थिति वर्ष अनुसार (2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19) अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

**m | ku foHkkx I s i klr I p u k d s v u d k j%** एमएलए फंड के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

**ed; y[ki ky , oa foUk ijke'kZ foHkkx I s i klr I p u k d s v u d k j%** एमएलए फंड की वर्तमान स्थिति में फंड यूडी विभाग द्वारा कार्य कार्यान्वयन करने वाले विभाग को आवंटित किया जाता है।

**, e, y, , y, Mh%** जुलाई, 2018 तक विधायक निधि राशि 88.42 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

**dk; kly; eMyk; Or ½ktLo% @MMk:** शहरी विकास विभाग के आदेशानुसार एमएलए लैंड फंड के कार्य राजस्व विभाग (डूडा) से शहरी विकास विभाग में 13.12.2017 को शिफ्ट हुए।

(ख) **mUkjh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्त बुक किये गये सभी कार्य सभी टेंडर प्रोसेस में हैं एवं यह शीघ्र ही शुरू कर दिये जाएंगे।

**नफ़क.क.ह.न.य.य.उ.ज.फु.खे.**

**व.फ.क.; क.ड=द.फ.क.क.ख.ल.स.ि.क.र.ल.पु.क.द.स.वु.द.क.ज.** उपरोक्तानुसार।

**म.क.उ.फ.क.क.ख.ल.स.ि.क.र.ल.पु.क.द.स.वु.द.क.ज.** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग में कोई लंबित नहीं है।

**,.e.,y.,.y.,Mh%** शहरी विकास विभाग ने दिनांक 31.07.2018 तक प्राप्त कार्य प्रस्ताव स्वीकृत/प्रक्रियारत किये जा चुके हैं।

**द.क.; क.य.; e.M.y.k.; ड.र. 1/2.k.t.L.o.%@M.M.k.** उपरोक्तानुसार।

(ग) **,.e.,y.,.y.,Mh%** डूडा से सभी विधायकों की शेष निधि राशि शहरी विकास विभाग को लौटा दी गई है।

**द.क.; क.य.; e.M.y.k.; ड.र. 1/2.k.t.L.o.%@M.M.k.** प्रतिबंध देनदारियों को मद्देनजर रखते हुए पर्याप्त राशि को छोड़कर बाकी बची हुई राशि शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार को स्थानांतरित कर दी गई है।

(घ) **,.e.,y.,.y.,Mh%** इस राशि को शहरी विकास विभाग को आवंटन करने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है।

**द.क.; क.य.; e.M.y.k.; ड.र. 1/2.k.t.L.o.%@M.M.k.** उपरोक्तानुसार।

(ङ) **m.U.k.j.h. n.Y.y.h. u.x.j. f.u.x.e.** उपरोक्त 'क' के अनुसार है।

**नफ़क.क.ह.न.य.य.उ.ज.फु.खे.**

**व.फ.क.; क.ड=द.फ.क.क.ख.ल.स.ि.क.र.ल.पु.क.द.स.वु.द.क.ज.** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को विधायक फंड के अंतर्गत माननीय विधायकों से प्राप्त विकास कार्यो

की संतुति एवं प्राप्त विधायक फंड की विस्तृत जानकारी अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग में निम्न राशि संबंधित विधायकों द्वारा आबंटित की गई है व सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

1. श्री आदर्श शास्त्री – एमएलए  
क्षेत्र संख्या 33, वर्ष 2016–17 रुपये 18.81 लाख
2. श्री सोमनाथ भारती – एमएलए  
क्षेत्र संख्या 43, वर्ष 2016–17 रुपये 22.47 लाख
3. श्री नरेश यादव – एमएलए  
क्षेत्र संख्या 45, वर्ष 2016–17 रुपये 17.98 लाख
4. श्री सौरभ भारद्वाज – एमएलए  
क्षेत्र संख्या 50, वर्ष 2015–16 रुपये 131.20 लाख  
क्षेत्र संख्या 50, वर्ष 2016–17 रुपये 89.89 लाख  
कुल रुपये 221.09 लाख
5. श्री अवतार सिंह – एमएलए  
क्षेत्र संख्या 51, वर्ष 2016–17 रुपये 58.43 लाख

दिल्ली शहरी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 के लिये विधायक निधि के अंतर्गत 39 विधायकों द्वारा दिल्ली नगर निगमों से कार्य करवाने हेतु निम्न धनराशि स्वीकृत की है:—

1. पूर्वी दिल्ली नगर निगम—कुल 1142.73 लाख रुपये

2. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम—कुल 600.39 लाख रुपये
3. उत्तरी दिल्ली नगर निगम—कुल 1372.14 लाख रुपये

**dk; kŷ; eMyk; Ør ½ktLo%@MMk:** विभिन्न राजस्व जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक फंड के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित विवरण की सूचियां संलग्न है।

**98- Jh f'kopj.k xks y %** क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl eæh** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोती नगर विधान सभा में वार्ड—99, वार्ड—100, वार्ड—101 में कितने अनाधिकृत निर्माण कार्य चल रहे हैं; नाम, पते सहित विस्तृत ब्यौरा दें;

(ख) अवैध निर्माण हो रहे किस—किस कार्य पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई, विस्तृत ब्यौरा दें;

(ग) कितने अवैध निर्माण आपने सील और बुक किए गए और कितने निर्माणों पर कार्रवाई की गई, विस्तृत ब्यौरा दें;

(घ) वार्ड—99, वार्ड—100, वार्ड—101, में कितने सफाई कर्मचारी हैं उसका नाम, पता सहित विस्तृत ब्यौरा दें;

(ङ) क्या तीनों वार्डों में नालियों और नालों की सफाई की गई है;

(च) यदि हां, तो विस्तृत ब्यौरा दें;

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ज) एमसीडी के पास वार्ड-99, 100, 101 में कितने पार्क हैं और इनकी देखभाल के लिए कितने माली हैं, उसका नाम सहित विस्तृत ब्यौरा दें;

(झ) मोती नगर विधान सभा क्षेत्र के कितने पार्कों पर अवैध कब्जा है, नक्शे के साथ विस्तृत ब्यौरा दें; और

(ञ) इन पार्कों से कब्जा हटाने और भविष्य में पार्कों पर कब्जा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग की क्या कार्य योजना है?

**ekuu; 'kgjh fodkl ea-h % (क) mUkjh fnYyh uxj fuxe%01.**  
01.2018 से अब तक की सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

**fnYyh i fyl %** सरकार जबाव दें। दिल्ली पुलिस अपने आप से निर्माण कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। सिर्फ डीएमसी एक्ट की धारा 475 के तहत किसी भी अनाधिकृत निर्माण के संबंध में सूचना भू-स्वामित्व विभागों को देती है। इसके अलावा डीएमसी एक्ट की धारा 344(2) के तहत जब एमसीडी के द्वारा नोटिस देकर पुलिस को निर्देश दिया जाता है तभी पुलिस निर्माण कार्य रूकवाती है और जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य सामग्री जब्त भी करती है।

दिल्ली पुलिस द्वारा जनकपुरी के सी 4 ई मार्किट एरिया में वर्ष 2016-2017 एवं 2018 (15.07.2018 तक) के दौरान भूस्वामित्व विभागों को अनाधिकृत निर्माण के संदर्भ में भेजी गई सूचनाओं का ब्यौरा क्रमशः परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।\*

---

\*सभी संलग्नक [www.delhi assembly.inc.in](http://www.delhi assembly.inc.in) पर उपलब्ध।



(ख) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार द्वारा तोड़ने एवं सील करने की कार्यवाही की गई और अवैध निर्माण की बिजली व पानी की सप्लाई काटने के लिए दिल्ली जल बोर्ड एवं बीएसईएस तथा एनडीपीएल को पत्र भेज दिये गये हैं।

**fnYyh ifyl %** उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ग) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** वार्ड-99, वार्ड-100, वार्ड-101, में अवैध निर्माण में कोई सीलिंग नहीं की गई और 09 अवैध निर्माण बुक किए गए और 50 अवैध निर्माणों पर कार्यवाही की गई (01.01.2018 से जब तक)

**fnYyh ifyl %** उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(घ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम:

वार्ड नं.	सफाई कर्मचारियों की संख्या
99	352
100	347
101	310

सफाई कर्मचारी की सूची अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

**fnYyh ifyl %** उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ङ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** नालियों और नालों की सफाई कर दी गई है।

**fnYyh i fyl %** उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(च) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्त अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।

**fnYyh i fyl %** उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(छ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्त 'ड' के अनुसार।

**fnYyh i fyl %** उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ज) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** वार्ड-99, 100, 101 में 244 पार्क हैं और उनकी देखभाल करने के लिए 53 कर्मचारी है। पार्कों के नाम व कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक 'घ' पर संलग्न है।

**fnYyh i fyl %** उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(झ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** पार्कों के सभी कब्जे धार्मिक है। सूची अनुलग्नक 'ड' पर संलग्न है।

**fnYyh i fyl %** उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ञ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe%** इन पार्कों से कब्जा हटाने और भविष्य में पार्कों पर कब्जा न हो इस विषय में विभाग द्वारा सतर्कता बस्ती जा रही है।

**fnYyh i fyl %** उपरोक्त 'क' के अनुसार।

99- **Jh vt; nÙk %** क्या **'kgjh fodkl eãh** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृपया अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र के विधायक फंड का पिछले सात साल का खर्च व बकाया राशि का विवरण दें;

(ख) विधायक फंड से होने वाले कार्यों को कितने दिनों में पास करके विभाग को दिया जाता है; पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) विधायक फंड से क्या-क्या काम किये जा सकते हैं, का पूर्ण ब्यौरा दीजिए?

कुल; 'क' , , अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र के लिए विधायक निधि से 2011-12 से 2017-18 तक रुपये 23.44 करोड़ राशि स्वीकृत की गई।

(ख) , , वर्तमान एमएलए लैंड गार्ड लाईनस में समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(ग) , , विधायक फंड से किये जाने वाले कार्यों की सूची संलग्न है।

**As per existing Guidelines 2012, list of Permissible Works are as under:**

- i. Construction of school buildings.
- ii. Construction of community halls/barat ghars/chaupals, other durable assests for public use on public/government land.
- iii. Construction of sub-ways wherever found technically feasible.
- iv. Hostels specially for working women or girl schools.
- v. Public libraries.

- vi. Construction of culverts, foot-bridges/bridges.
- vii. Public toilets at different locations.
- viii. Sports complexes.
- ix. Crematoriums or development of burial grounds.
- x. Construction of tube-wells and water tanks for providing drinking water to the people in villages, towns or cities, or execution of other works which may help in this respect.
- xi. Construction of roads and drains including part roads, approach roads, link roads as per approved layouts.
- xii. Sanitation
- xiii. Development of parks (except earth filling, planting of saplings, apply of compost manure)
- xiv. Computers to schools
- xv. Street lighting
- xvi. Provision of common services/community services including maintenance of group toilets, courtyard, common path and similar other services in privately owned katras subject to the stipulations that no ceiling on individual works or on total quantum of works per MLA will be imposed.
- xvii. Bus Stop and Bus 'Q' Shelter
- xviii. Garbage collection Centre like one's in NDMC area.
- xix. Solar Traffic Lights.
- xx. Provision of Ambulances/Refuse Collectors

- xxi. Rain Water Harvesting in government and public buildings and places including buildings and places of Local Bodies.
- xxii. The funds upto the limit of Rs. 35 lakh per MLA per year shall be released on the request of the concerned MLA for Relief to the victims of Natural Disaster / National Calamity declared by the Govt, and shall be credited into the L.G. / CM. Relief fund.
- xxiii. The development / strengthening of common areas / common facilities / common passages balconies / Courtyards / Common stairs / toilet blocks and various facilities in the slum complexes developed by Slum & JJ Department and other such residential complexes is allowed under the Scheme.
- xxiv. Shifting of HT/LT lines (funds would be released as per laid down procedure by Power Department, GNCTD)
- xxv. Mobile vans for public library purpose only
- xxvi. Benches for public parks.
- xxvii. Porta Cabins with over 20 years of durability on Government land after obtaining NOC from the land owning agency.
- xxviii. Provision of PVC Overhead Tanks for portable water storage in JJ Clusters and Unauthorized Colonies;
- xxix. Provision of Porta Cabins with durability over 20 years in areas other than NDMC and Lutyen's Zone, on Government land after obtaining NOC from land owing agencies, for use as Temporary Offices for Resident Welfare Associations. The construction of Porta Cabins will also be allowed for setting up of Kendriya Bhandar, Mother Dairy Booth, Amul and Safal Outlets etc.

**List of Permissible Works as per Orders of the UD Department are as under:**

1. Inclusion of Installation of Gym Machine/Equipment in Open Park under MLALAD Scheme.
2. Inclusion of Permission for expenditure for Rs. 10.00 Lakh per constituency per year for the control of Dengue under MLALAD Scheme.
3. The MLALAD fund can be utilised for installation of CCTV/camera in residential area.
4. Works inside cooperative group Housing Society can be carried out through MLALAD fund.
5. Inclusion of High Mast Light at Road crossings, near Flyovers and Underpasses, Parks, Stadium and Golf Ground, Truck and Bus Terminals, Parking Lots, Market Complex developed by Government or any Government agency.

100- Jh I kJHk Hkkj }kt % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेणी मार्केट, शेख सराय फेज-2 में दुकानों और रेस्टोरेंट द्वारा किए गए स्थाई अतिक्रमण के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, कृपया 1 जनवरी, 2015 से 30 जून, 2018 के बीच की गई एतद्संबंधी कार्रवाई का ब्यौरा दें;

(ख) क्या त्रिवेणी मार्केट, शेख सराय फेज-2 में कानूनन बेसमेंट का निर्माण कराया जा सकता है;

(ग) त्रिवेणी मार्केट, शेख सराय फेज-2 में बनाए गए बेसमेंटों के विरुद्ध

दिनांक 1 जनवरी, 2015 से 30 जून, 2018 में बीच एसडीएमसी/डीडीए/ किसी भी अन्य एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई की विवरण क्या है;

(घ) यदि त्रिवेणी मार्केट में बेसमेंटों का इस्तेमाल अभी भी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है तो इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व किन अधिकारियों का था, नाम व पदनाम सहित विवरण उपलब्ध कराएं; और

(ङ) इन अधिकारियों के विरुद्ध विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है?

कुलु; 'kjh fodkl eah % (क) fnYyh i fyi % दिल्ली पुलिस से संबंधित विभाग को अतिक्रमण हटाने के लिए मदद देती है तथा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी समय-समय पर कार्यवाही करती है इस क्षेत्र में वर्ष 2015, 2016, 2017 एवं 2018 (30.06.2018 तक) दिल्ली पुलिस द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्रमशः ifj'k'V ^d\* पर संलग्न है।\*

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe% 01.06.2018 को सीढ़ियों के नीचे छोटा मंदिर व कमल रेस्टोरेंट के पास एक दीवार हटाई गई।

(ख) fnYyh i fyi % दिल्ली पुलिस अपने आप से निर्माण कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। सिर्फ डीएमसी एक्ट की धारा 475 के तहत किसी भी अनाधिकृत निर्माण के संबंध में सूचना भू-स्वामित्व विभागों को देती है। इसके अलावा डीएमसी एक्ट की धारा 344(2) के तहत जब एमसीडी के द्वारा नोटिस देकर पुलिस को निर्देश दिया जाता है तभी पुलिस निर्माण कार्य रूकवाती है और जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य सामग्री जब्त भी करती है।

दिल्ली पुलिस द्वारा इस क्षेत्र में वर्ष 2015, 2016, 2017 एवं 2018 (30.08.2018 तक) के दौरान भू-स्वामित्व के संदर्भ में भेजी गई सूचनाओं का ब्यौरा **ifjf'k'V ^[k\*** पर संलग्न है।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%**

**Hkou foHkx nf{k.k {ks= l s i klr l p uk ds vuq kj%** त्रिवेणी मार्केट DDA द्वारा बनाई गई है। अतः इस प्रश्न का उत्तर DDA से संबंधित है।

(ग) **fnYyh ifyl %** उपरोक्तानुसार।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** उक्त अवधि में विभागीय अभिलेख के अनुसार दिनांक नं.-7, LSC, डीडीए मार्केट शेख सराय फेस-2 धारा 343/344 के तहत फाईल नं. 382/UC/B-I/SZ/15 दिनांक 4.12.2015 तथा दुकान नं.-45 पर, 383/UC/B-I/SZ/15 दिनांक 4.12.2015 को कार्यवाही की गई है।

(घ) **fnYyh ifyl %** उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

**nf{k.kh fnYyh uxj fuxe%** उपरोक्त कार्यवाही के दौरान यह ज्ञात हुआ कि सम्पत्ति वर्ष 2007 से पहले कि निर्मित है जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान अधिनियम, 2014 के तहत निर्माण और साथ ही संपत्तियों का दुरुपयोग 31.12.2020 तक सभी दंडकारी कार्रवाईयों से सुरक्षा के लिए पात्र है।

(ङ) **fnYyh ifyl %** उपरोक्त 'ख' के अनुसार।



उपरोक्त (ग) और (घ) के संदर्भ में लागू नहीं है।

दृष्टि के लिए

उपरोक्त (ग) और (घ) के संदर्भ में लागू नहीं है।  
 2015] 2016] 2017 , oa 2018 30-06-2018 rd½ ds nkjku  
 vfrØe.k ds f[kykQ dh xbZ dk; bkgk dk C; kjk

दृष्टि के लिए

वर्ष	283 भा.द.स. के तहत मुकदमों		83/97 दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत दर्ज कलन्दरे	
	दर्ज मुकदमों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	दर्ज कलन्दरों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
2015	—	—	—	—
2016	—	—	01	01
2017	—	—	01	01
2018	01	01	—	—

(15.07.2018 तक)

**ifj'k"V ^[k\***

**fnYyh i qyl }kjk f=oskh ekdM] 'k[k I jk; Qst&2 ea o"l  
2015] 2016] 2017 ,oa 2018 30-06-2018 rd½ ds nkjku  
Hk&LokfeRo foHkxka dh vukf/kÑr fuekZk ds I nhkZ ea  
Hksth xbZ I pukvka dk C; kjk**

वर्ष	भेजी गई सूचनाएं
2016	01
2017	13
2018 (30.06.2018 तक)	04

**101- Jh jktśk xqrk % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना 2015 के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में स्लम बस्तियों के निवासियों को डीयूएसआईबी द्वारा कितने प्लैट्स आबंटित किए गए;

(ख) डीयूएसआईबी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु कितनी स्लम बस्तियों को लिया गया; और

(ग) डीयूएसआईबी द्वारा पुनर्वास के लिए भू-स्वामी संस्थाओं से कितनी राशि प्राप्त की गई?

**'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ %** (क) नई पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना 2015 के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 381 स्लम बस्तियों के निवासियों को डीयूएसआईबी द्वारा प्लैट्स आबंटित किए गए हैं।

(ख) डीयूएसआईबी द्वारा वर्ष 2017-18 में 2 बस्तियों को पुनर्वासित किया गया।

(ग) डीयूएसआईबी द्वारा पुनर्वास के लिए विभिन्न भू-स्वामी संस्थाओं से 19.86 करोड़ राशि प्राप्त की गई।

**102- Jh jktśk xqrk % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) डीयूएसआईबी जन सुविधा परिसर (सामुदायिक शौचालय) का प्रयोग जेजे बस्ती के निवासियों के लिए कब से निःशुल्क कर दिया गया है;

(ख) इन जन सुविधा परिसरों के परिचान तथा, प्रबंधन पर डीयूएसआईबी कितना बजट खर्च करता है;

(ग) डीयूएसआईबी ने इन परिसरों का कितनी बार निरीक्षण किया और क्या वहां कोई अनियमितताएं पाई गई;

(घ) जहां अनियमितताएं पाई गई, उन परिसरों के परिचालन एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी संस्थाओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है?

**ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h % (क) डीयूएसआईबी जन सुविधा परिसर (सामुदायिक शौचालय) का प्रयोग जे.जे. बस्ती के निवासियों के लिए 01 जनवरी, 2018 से निःशुल्क कर दिया गया है।**

(ख) इन जन सुविधा परिसरों के परिचालन तथा, प्रबंधन पर 01 जनवरी, 2018 से 31 जुलाई 2018 तक 23.75 करोड़ रुपए खर्च किये गये हैं।

(ग) डीयूएसआईबी ने इन परिसरों के निरीक्षणों लिए दो स्वच्छ भारत मिशन टीमों का गठन किया है। ये दोनों टीमों अधिशासी अभियन्ताओं के नेतृत्व में विभाग द्वारा विकसित ऑनलाईन APP के माध्यम से मेम्बर एक्सपर्ट की निगरानी में इन परिसरों का दिन-प्रतिदिन निरीक्षण करती है। इन परिसरों में जहां अनियमितताएं पाई जाती है वहां पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा अतिशीघ्र ठीक करा दी जाती है।

(घ) जहां अनियमितताएं पाई गई, उन परिसरों के परिचालन एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी संस्थाओं के विरुद्ध 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। कुछ संस्थाओं के आवंटनों को निरस्त भी किया गया है।

**103- Jh l kœukFk Hkkjrh % क्या 'kgjh vkJ; l qkkj ckMZ ea-h**  
यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली कितनी स्लम बस्तियों की जानकारी डीयूएसआईबी को है, प्रत्येक का नाम, ये कब बनी, इनका आकार, झुग्गियों की संख्या, शौचालयों की उपलब्धता और जिस भूमि पर ये बस्तियां हैं उसके भू-स्वामित्व वाली संस्था के नाम सहित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं;

(ख) वे क्या मानक हैं जिनके आधार पर कोई भी स्लम बस्ती गिराए जाने/खाली कराए जाने से बची रह सकती है;

(ग) दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की क्या योजना है;

(घ) उक्त योजना या किसी भी अन्य ऐसी ही योजना के अंतर्गत

मालवीय नगर क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास कब तक कर दिया जाएगा;

(ड) झुग्गी बस्ती में कोई व्यक्ति झुग्गी कैसे ले सकता है और झुग्गी का आकार कितना हो सकता है, क्या मूल झुग्गी मालिक अपनी झुग्गी किसी को किराए पर दे सकता है, क्या झुग्गी को बहुमंजिली पक्की संरचना में बदला जा सकता है; और

(च) यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर 'न' में है तो ऐसा होने की स्थिति में सुधारात्मक उपाय क्या है;

(छ) झुग्गी बस्तियों में पानी और सीवर कनेक्शन किसी एजेंसी के अंतर्गत है;

(ज) क्या जलबोर्ड के साथ कोई समझौता है जिसके आधार पर उन्हें स्लम बस्तियों में पानी/सीवर के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके; उक्त समझौते की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं;

(झ) क्या किसी झुग्गी बस्ती में पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो हाईड्रेट लगे हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और पानी की बहुत बरबादी होती है;

(ञ) क्या झुग्गीवासियों की स्वास्थ्य – समस्याओं, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और दूध पिलाने वाली अथवा गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए तथा युवाओं के रोजगार के लिए सरकार की कोई योजना है;

(ट) यदि हां, तो विवरण उपलब्ध कराएं।

(ठ) क्या झुग्गी बस्तियों में कानून-व्यवस्था के संबंध में आपका कोई संवाद या सहमति दिल्ली पुलिस के साथ हुई है; और

(ड) यदि हां, विवरण क्या है? यदि हां, विवरण क्या है?

कुछ; 'क' जे.जे. बस्तियां जो दिनांक 01.01.2006 से पहले स्थापित हो गई थी उन्हें वैकल्पिक स्थान दिये बिना नहीं हटाया जा सकता। यह प्रावधान दिल्ली स्लम जे.जे. पुनर्स्थापना व पुनर्वास नीति-2015 में भी अंकित है।

(ख) The NCT of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2014 की धारा 3 अनुसार ऐसी जे.जे. बस्तियां जो दिनांक 01.01.2006 से पहले स्थापित हो गई थी उन्हें वैकल्पिक स्थान दिये बिना नहीं हटाया जा सकता। यह प्रावधान दिल्ली स्लम जे.जे. पुनर्स्थापना व पुनर्वास नीति-2015 में भी अंकित है।

(ग) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली में सरकारी जमीन पर स्थित दिल्ली स्लम जे.जे. पुनर्स्थापना व पुनर्वास नीति-2015 के तहत झुगियों/जे.जे. बस्तियों को पुनर्वासित करने के लिये एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। यदि सरकारी विभागों/भू-स्वामी संस्थाओं को सरकारी योजनाओं हेतु, जहां जे.जे. बस्ती बसी है उस जगह की जरूरत है तो, उस भू-स्वामी संस्था के आग्रह पर यह विभाग संबंधित भू-स्वामी संस्था के अनुरोध पर उक्त नीति के अनुसार पुनर्वास राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही उस जे.जे. बस्ती के पुनर्वास का कार्य करती है। केन्द्र सरकार एवं उसकी संस्थाओं की भूमि पर पुनर्वास दिल्ली विकास प्राधिकरण (नोडल एजेंसी) द्वारा एवं दिल्ली सरकार एमसीडी एवं डूसिब की भूमि पर डूसिब (नोडल एजेंसी) द्वारा पुनर्वास किया जाएगा।

(घ) वर्तमान में मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र की किसी भी जे.जे. बस्ती के पुनर्वास हेतु किसी भी भू-स्वामी से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि ये सभी बस्तियों दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर हैं, इसलिए इनका पुनर्वास दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जायेगा।

(ङ) डूसिब जे.जे. बस्तियों में केवल मूलभूत सुविधाएं प्रदान करता है। झुग्गी बस्तियों के अन्य मामलों में डूसिब का हस्तक्षेप नहीं है।

(च) संबंधित भू-स्वामी संस्थाएं यह सुनिश्चित करें कि उसकी जमीन पर नई झुग्गियां न पड़ने दी जाए।

(छ) पानी और सीवर कनेक्शन का कार्य दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जाता है।

(ज) डूसिब का दिल्ली जल बोर्ड के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है।

(झ) यह कार्य दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत आता है।

(ञ) झुग्गी बस्तियों में डूसिब द्वारा बस्ती विकास केन्द्रों में एनजीओ के माध्यम से स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ट) मालवीय नगर की सूची संलग्न है।

(ठ) इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त को पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में कानून व्यवस्था बनाई जाए।

(ड) प्रतिलिपि संलग्न है।

**ANNEXURE "A"**

**Assembly Q. No. 103**

Sl. No.	Code	Location	When Cropped up	Approx. Area (in sqm)	No. of Jhuggies	Availability of toilet	Land owning agency
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>As per list of 675 JJ Cluster</b>							
1	421	Jagdamba Camp Khirki Gaun Near Satpula Nalla.	Prior to 2006	530	143	individual toilets	DDA
7	425	Balmiki Camp Creamalion Ground Begum Pur	Prior to 2006	12484	600	38 sealer DMSIB JSC	DDA
3	426	Indira Camp Begum Pur	Prior to 2006	17213	522	43 seater DUSIB JSC	DDA
4	427	Balmiki Camp Navjeeewan Vihar Malviya Nagar	Prior to 2006	795	16	Individual toilets	DDA
<b>As per list of 82 additional JJ Clusters</b>							
5	815	Jhuggies near Malviya Nagar	Not	Not	70	MTV by	DDA



1	2	3	4	5	6	7	8
		[-Block Gurudevvara behind Metro Station, Malviya Nagar	available	available	SDMC		
6	816	Jhuggies at Popular Pottery Arjun Nagar	Not available	Not available	13	No	DDA
7	817	Jhuggies at Khirki Gaon T-Huts, Malviya Nagar	Not available	Not available	20	No	DDA

**ANNEXURE "B"**

**Status of Basti Vikas Kendra under C-5 in Assembly Constituency 43, Malviya Nagar**

Sl. No.	Div.	Location	Plinth Area in Sq.Mtr.	No. of Storey	Allotment	Status
01	C-5 DUSIB	Indira Campi	284.80 Sq. Mtr.	02	Fully allotted to	NGO Servant of People

अतारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 423

16 श्रावण, 1940 (शक)

vuyxud&x

**Delhi Urban Shelter Improvement Board  
Govt. of NCT of Delhi  
(Rehabilitation Section)**

No. DD(HQ)/Rehab/2018/D-196

Dated: 12.07.2018

To

The Commissioner,  
Delhi Police,  
2nd Floor, MSO Building, Police Headquarter,  
ITO, Delhi-110002

**Sub.: Unauthorized construction and illegal activities in JJ Bastis**

Sir,

Hon'ble Minister (Urban Development) Govt. of NCT of Delhi vide letter dated 28.06.2018 has pointed out that unauthorised construction and illegal activities, like sattabaji, drug trafficking etc., are going on the JJ Bastis. He has also informed that the residents of JJ Basti Peera Garhi Camp have brought out serious issues of illegal possession of Government land and illegal activities sattabaji, drug trafficking etc. into his knowledge. He has directed that the unauthorised construction and illegal activities in all JJ bastis throughtout Delhi need to be identified and thereafter all details are notified to concerned Department of MCD, Police and SDM for urgent and strict action under intimation to him.

It is therefore, requested to take necessary action to stop the unauthorised encroachment/construction and illegal activities like Sattedbaji, drug trafficking etc. in all JJ Bastis of Delhi.

Sd/-  
Yours faithfully  
(Ravi Dadhich)  
Member (Admn.)

**104- Jh iadt iqdj % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) डूसिब के अंतर्गत आने वाला तकनीकी दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में प्रत्यक्षतः कोई रुकावट न होने पर भी विधायक के अनुरोध से लेकर आर्डर होने तक कितना अधिकतम समय लगेगा और किस चरण में कितना अधिकतम समय लगेगा पूर्ण विवरण दें;

(ख) डूसिब विभाग द्वारा तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2018 तक कुल कितने कार्य किये गये पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या सभी कार्य वर्क आर्डर के अंतर्गत तय समय—सीमा और वर्क आर्डर के तकनीकी पक्ष के अनुसार पूर्ण हुए पूर्ण विवरण दें;

(घ) क्या इस समयावधि में डूसिब द्वारा बनाये सभी परिसंपत्तियां जनता के पूर्ण उपयोग में आ रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h %**(क) कोई भी कार्य दो चरणों में किया जाता है। प्रथम चरण में कार्य के आंकलन करने से लेकर प्रशासनिक संस्तुति होने तक कोई समय—सीमा निर्धारित नहीं है। वित्तीय चरण में निविदा आमंत्रित करने से लेकर कार्य आदेश—पत्र घोषित करने तक के लिए अनुमानित लागत के अनुसार केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग द्वारा आदर्श परिस्थिति में 40 दिन से लेकर 61 दिन तक की समय—सीमा निर्धारित है।



vuyxud&d

**Status of Works in AC-03 Timarpur as on 31.07.2018**

Sl. No.	Name of Work	Scheme	Status
1	Renovation of 20 seater JSC at JJC sanjay basti (Lower Portion), Balak Ram Hospital Road.	Pay & Use JSC	Work Completed
2	Renovation of 20 seater JSC at JJC sanjay basti. Balak Ram Hosoiatal Road.	Pay & Use JSC	Work Completed
3	Renovation of 20 seater JSC at JJC sanjay basti behind BVK	Pay & Use JSC	Work Completed
4	Renovation of 19 seater JSC and Construction of additional 16 seats at JJC sanjay Basti behind BVK	Pay & Use JSC	Work Completed
5	Reconstruction of 19 seater JSC Sanjay Basti Timarpur (Middle portion).	Pay & Use JSC	Work Completed
6	Renovation of 20 seater JSC at JJCindra Basti opposite police station	Pay & Use JSC	Work Completed
7	Renovation of 19 seater JSC at Patrachar Vidyalaya	Pay & Use JSC	Work Completed
8	Renovation of 30 seater Prefab JSC at Patrachar Vidyalaya	Pay & Use JSC	Work Completed

9	Reconstruction of 22 seater JSC at Shyam Basti	Pay & Use JSC	Work Completed
10	Reconstruction of 13 seater JSC at Dr. Ambedkar Camp, Wazirabad	Pay & Use JSC	Work Completed
11	Renovation of 30 seater JSC at Indira Vikas Colony Sethi Camp.	Pay & Use JSC	Work Completed
12	Renovation of existing 36 seats and construction of additional 13 seats at JSC at Dairy Munshi Ram Mukharjee Nagar	Pay & Use JSC	Work Completed
13	Renovation of 20 seater JSC at JJC, Malikpur	Pay & Use JSC	Work Completed
14	Renovation of 26 seater Prefab JSC at JJC Outram lane	Pay & Use JSC	Work Completed
15	Renovation of 30 seater JSC at JJC patel chest Dhaka	Pay & Use JSC	Work Completed
16	Renovation of 35 seater JSC at Katra Meena Beg Malka Ganj.	Pay & Use JSC	Work Completed
17	Reconstruction of 12 seater JSC at Krishna Market, Tumarpur	Pay & Use JSC	Work Completed

Sl. No.	Name of Work	Scheme	Status
18	Renovation of 42 seater JSC at T-Huts, Wazirabad	Pay & Use JSC	Work Completed
19	C/o 60 seater JSC at Nand Lai Camp Part-11,	Pay & Use JSC	Work Completed
20	C/o 40 seater JSC at Nand Lai Camp Part-I,	Pay & Use JSC	Work Completed
21	Construction of 10 seater JSC at JJC Patel Chest Dhaka	Pay & Use JSC	Work Completed
22	Replacement of sewer line providing CC pavement outram lane Kingsway Camp.	Pay & Use JSC	Work Completed
23	Providing fixing stainless steel rail, shelf and hangers at various JSCs.	Pay & Use JSC	Work Completed
24	Boring of tube well at JSC Baiak Ram Hospital road Sarpy Basti, Patrachar Vidyalaya and Outram Lane.	Pay & Use JSC	Work Completed
25	Boring of tube well at JSC Sanjay Basti lower portion.	Pay & Use JSC	Work Completed
26	Boring of tube well at JSC Malik Pur, Patei Chest and Dr Ambedkar Waziraoad.	Pay & Use JSC	Work Completed

27	A/R & M/O. special repair of BVK outram lane Kingsway Camp.	BVK/C.Hall	Work Completed
28	Renovation of BVK at JJC Sanjay Basti	BVK/C.Hall	Work Completed
29	Renovation of BVK at JJC Indra Basti	Construction of BVK/C Hall	Work Completed
30	Renovation of BVK at JJC Malikpur	Construction of BVK/C Half	Work Completed
31	Renovation of BVK at JJC Patei Chest Dhaka	Construction of BVK/C Hall	Work Completed
32	A/R & M/O Special repair B.V.K. Dairy Munshi Ram	BVK/C.Hall	Work Completed
33	A/R & M/O Special repair Q'Hall Sohan Ganj, Malka Ganj	BVK/C.Hall	Work Completed
34	Renovation of Night Shelter at Rangshala Complex, Kabir Basti	Night Shelter	Work Completed
35	Renovation of Night Shelter at Kabir Basti	Night Shelter	Work Completed
36	N.O.W. Construction and management of Night Shelter SH:- Provision of approach road and gate for newly setup Night Shelter at Open Air Theatre, Malka Ganj.	Night Shelter	Work Completed
37	Str. Imp. of katra, Shora Kotni f>.1, Malka Ganj	Katra	Work Completed
38	Str. Imp. of katra, Shora Kothi no.2, Malka Ganj	Katra	Work Completed



Sl. No.	Name of Work	Scheme	Status
39	Str. Imp. of katra, Shora Kothi no.3, Malka Ganj	Katra	Work Completed
40	Repair of VVC In Katra No. 1903,1868, Gait Ahiran, 1932, Gait Kumhar Wali, Malka Ganj	Katra	Work Completed
41	Repair of WC in Katra No. 3073, 3246 & 3692 Mandir Wall Gall, Arya pura	Katra	Work Completed
42	Repair of WC in Katra No. 480S, Chandhi Wali Gali, Malka Ganj	Katra	Work Completed
43	Repair of WC in katra No. 1950, Gait Kumhar Wali, Malka Ganj	Katra	Work Completed
44	Repair of WC in Katra No. 1014 to 1033,1034 to 1053, 1096 to 2119.1120-1139 Gali Sagar Chand	Katra	Work Completed
45	Repair of WC in Katra No. 142 & CC pavement, Malka Ganj	Katra	Work Completed
46	P/L CC pavement & drain Sanjay Basti Part-1 Timarpur	E.I.U.S	Work Completed
47	Pdg/ & Laying CC apvement & drain Nand Lai Camp Part-II	E.LU.S.	Work Completed
48	Pdg/ & Laying CC apvement & drain Dairy Munshi Ram, Mukhrji Nagar	E.I.U.S	Work Completed
49	Providing & laying CC pavement in part of JJC Nand Lai Camp Part-I.	E.I.U.S.	Work Completed

50	Provision of damaged boudary wall of Shishu Vatika at Sanjay Basti, Timarpur.	Shishu Vatika	Work Completed
51	Spl. Repair /renovation of flat no.4/61 and 4/64, Gudder Basti Arya Pura.	GIA	Work Completed
52	Renovation of 20 seater JSC at JJC indra Basti {Middle Portion)	Pay & Use JSC	work in progress
53	Pdg/ & Laying CC apvement & drain Dairy Munshi Ram, Mukhrji Nagar	E.I.U S.	Work held up
54	P/L CC pavement & drain at Outram Lane. Kingsway Camp	E.I.U.S.	work in progress
55	Pdg/ & Laying CC apvement & drain Patel Chest Dhaka.	E.I.U.S.	work in progress
56	Repair of WC in Katra No. 1947, Gali Kumhar Wall, Malka Ganj	Katra	Held up
57	Repair of Katra No.638, Mukeem pura	Katra	work in progress
58	P/L CC pavement & drains in JJ Cluster Sethi Camp, Indira Vitas colony	E.I.U.S.	Held up
59	Repair of Katra No.1818 & 1819, Malka Ganj.	Katra	work in progress
60	Katra No 182-215, Malka Ganj	Katra	work in progress
61	Katra No.1819A & 1821, Malka Ganj	Katra	work in progress
62	Repair of WC & passages in Pvt. Katrs No.242	Katra	work in progress

Sl. No.	Name of Work	Scheme	Status
63	Katra No 3220, Arya Pura	Katra	Yet to be started
64	Katra No.1960-1986 & 2052 Malka Ganj.	Katra	Yet to be started
65	Improvement of common toilets and common passages in Private Katra No.118, Gali Dak Khane Wall, Mukteem Pura, Malka Ganj.	Katra	Under award
66	Katra No.218, (Katra Shahnshahl)	Katra	Under award
67	Katra No.4906 (Imli wala)	Katra	Under award
68	Katra No.3919	Katra	Under award
69	Katra No.2190 Katra	Under award	
70	Katra No.4787, 4743 and 3244	Katra	Tender received
71	Katra No.2035 and 2036	Katra	Tender received
72	Renovation of Basti Vikas Kendra at Sethi Camp	BVK/C.Hall	Under award
73	P/L CC drains Sanjay Basti Timarpur Part-II	E.I.U.S.	In Planing
74	P/L CC pavement/drains Indira Basti Opp. Tharta Timarpur	E.I.U.S.	Estimate checked in planning section but pending due to budget allocation.
75	P/LCC pavement/drains Patrachar Vidyalaya Timarpur.	E.I.U.S.	In Planing

**105- Jh iadt iqdj % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित बस्ती विकास केंद्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) किस-किस संस्था को किस कार्य के लिए कितना स्थान आवंटित है;

(ग) बस्ती विकास केंद्रों के आवंटन, निगरानी और आवंटन रद्द करने से संबंधित नीति क्या है, पूर्ण विवरण दें;

(घ) निर्धारित कार्य के लिए आवंटित स्थान पर अन्य कार्य करते पाए जाने पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जाती स्थिति स्पष्ट करे;

(ङ) क्या यह सत्य है कि इस क्षेत्र में ऐसे निर्धारित आवंटित स्थान का राजनैतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की;

(छ) डूसिब के तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने कटरे जर्जर स्थिति में है; और

(ज) मलका गंज क्षेत्र में डूसिब के कितने कटरो पर अवैध रूप से बहुमंजिला भवन बना लिए गये हैं; विस्तृत विवरण दें?

**ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h % (क) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में 8 बस्ती विकास केन्द्र है। जिनका विवरण निम्नलिखित है:-**

(ख)

क्र. सं.	बीवी के	एनजीओ का नाम/ संस्था का नाम	जगह	कार्य
1	2	3	4	5
1.	जे.जे. क्लस्टर संजय बस्ती तिमारपुर	विरेंदर चैरिटेबल ट्रस्ट	2152 Sq. feet G/F & F/F	कम्प्यूटर, कटिंग, टेलरिंग, शॉर्टहैंड, ब्यूटिशियन, डिस्पेंसरी
2.	जे.जे. क्लस्टर इंदिरा बस्ती तिमारपुर	सेवा भारती	282 sq. ft.	बालवाड़ी, कोचिंग, टेलरिंग
3.	जे.जे. क्लस्टर डेयरी	मासूम	1529 sq. ft.	चिल्ड्रन स्कूल
4.	जे.जे. क्लस्टर सेठी कैंप इंदिरा विकास कॉलोनी मुखर्जी नगर	1. सेवा भारती 2. जनहित सोसाइटी	312 sq. ft. 280 sq. ft.	1. बालवाड़ी, बाल संस्कार, टेलरिंग, कटिंग, स्वास्थ्य 2. टेलरिंग, कटिंग, स्वास्थ्य शिक्षा
5.	जे.जे. क्लस्टर, मुखर्जी नगर, डेयरी, मुंशी राम	1. सेवा भारती 2. अपनी दीदी सोशल वेलफेयर सोसाइटी	1539 sq. ft.	1. बालवाड़ी, टेलरिंग, कटिंग, स्वास्थ्य केंद्र 2. नॉन फॉर्मल एजुकेशन वर्कशॉप,

1	2	3	4	5
				वोकेशनल ट्रेनिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम
6.	जे.जे. क्लस्टर, मिलकपुर गांव	सेवा भारती	968 sq. ft.	बालवाड़ी, बाल संस्कार, बालिका संस्कार, सिलाई
7.	जे.जे. क्लस्टर, ओरम लेन किंगवे कैम्प	नाईट शेल्टर	807 sq. ft.	—
8.	जे.जे. क्लस्टर, पटेल चेस्ट, ढाका गांव	आस्था समाज सेवा समिति	807 sq. ft.	निरस्त किया जा चुका है

(ग) बस्ती विकास केंद्र का आवंटन जे.जे. क्लस्टर के निवासियों के उत्थान एवं योग्य बनाने के लिए किया जाता है और एनजीओ/संस्था द्वारा लाइसेंस फीस समय पर ना देने पर एवं आवंटित स्थान पर गतिविधियां न करने पर तथा किसी नियम का उल्लंघन करने पर आवंटन रद्द किया जाता है। 17वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26.09.2016 में लिए गए निर्णय के अनुसार बस्ती विकास केन्द्रों क आवंटन अग्रिम आदेश तक रोका गया है। बस्ती विकास केन्द्र की निगरानी का कार्य अभियांत्रिक शाखा द्वारा किया जाता है।

(घ) निगरानी के दौरान अभियांत्रिक शाखा की रिपोर्ट के आधार पर एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण आवंटन रद्द कर दिया जाता है।

(ड) जी नहीं।

(च) प्रयुक्त नहीं।

(छ) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में डूसिब के 52 कटरे हैं जिनमें 10 कटरे मरम्मत योग्य पाए गये। 2 में मरम्मत का कार्य सम्पूर्ण कर लिया गया है और 8 कटरों में मरम्मत का कार्य प्रस्तावित है। करने का कार्य उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ज) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की है। अतः इस तरह का कोई भी सर्वे इस खंड में उपलब्ध नहीं है। किसी भी अवैध निर्माण का संज्ञान होने पर कार्यवाही हेतु उसकी सूचना उत्तरी दिल्ली नगर निगम को भेज दी जाती है।

**106- Jh eufn j fl g fl j l k % क्या 'kj h vkJ; l qkj ckMZ ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सत्य है कि डी ब्लॉक टैगोर गार्डन में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का बहुत बड़ा भूखंड खाली पड़ा है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इस भूखंड पर बहुत बड़ा कूड़े का ढेर इक्कट्ठा हो गया है;

(ग) इस भूखंड को लेकर सरकार की क्या योजना है; और

(घ) यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी?

**'kj h vkJ; l qkj ckMZ ea-h % (क) जी हां, यह सत्य है कि डी ब्लॉक टैगोर गार्डन में डीयूएसआईबी का भूखंड खाली है।**

(ख) जी हां, यह सत्य है कि इस भूखंड पर मलवा व कूड़े का ढेर इक्कट्टा हो गया है।

(ग) इस भूखंड पर आवासीय योजना प्रस्तावित है। तथा जब तक योजना शुरू नहीं हो जाती इस भूखंड से मलबे को हटाकर अस्थायी तौर पर पार्किंग के लिए देने की योजना है।

(घ) डीयूएसआईबी द्वारा पूरी दिल्ली की जे.जे. बस्तियों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नियमों के अनुसार डिमांड सर्वे किया जा रहा है। उसके उपरांत इस भूमि पर आवासीय परिसर बनाने की योजना है।

**107- Jh euftnj fl g fl jlk % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; l q kkj ckMZ ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सत्य है कि ख्याला में डीडीए कॉलोनी के ए ब्लॉक में पोस्ट ऑफिस के पास दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का बहुत बड़ा भूखंड खाली पड़ा है?

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इस पर अनाधिकृत कब्जे किये जा रहे हैं;

(ग) इस भूखंड की सुरक्षा और कब्जा मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) इस भूखंड को लेकर सरकार की क्या योजना है; और

(ङ) क्या सरकार इस महत्वपूर्ण भूखंड को पार्किंग के लिए विकसित करने पर विचार कर रही है?



**ekuuH; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h %** (क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) जी नहीं, इस भूखंड पर कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं हो रहा है।

(ग) इस भूखंड को निकट भविष्य में अस्थाई तौर पर पार्किंग में उपयोग करने की योजना है।

(घ) यह भूखंड लोक शॉपिंग सेंटर के लिए रेखांकित है।

(ङ) जी हां, इस भूखंड पर अस्थाई समय के लिए पार्किंग में उपयोग करने की योजना है।

**108- Jh fxjh'k I ksh %** क्या **ekuuH; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में बसी झुग्गी झोपड़ी वालों को पुनर्स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, हो इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अब तक कितने लोगों को पुनर्स्थापित क्या गया है; इसका पूर्ण विवरण दें?

**ekuuH; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h %** (क) दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में बसी झुग्गी झोपड़ी वासियों को पुनर्स्थापित करने हेतु दिल्ली स्लम जे.जे. पुनर्स्थापना व पुनर्वास नीति-2015 आदेश संख्या F.No. 730(7)/UD/BSUP/2916/CD No.021366111/3014-22 दिनांक 11.12.2017 द्वारा जारी कर दिया गया है तथा इस नीति के अनुसार झुग्गी झोपड़ी वालों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है।

(ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली में सरकारी जमीन पर स्थित दिल्ली स्लम जे.जे. पुनर्स्थापना व पुनर्वास नीति-2015 के तहत झुग्गियों/जे.जे. बस्तियों को पुनर्वासित करने के लिये एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। यदि सरकारी विभागों/भू-स्वामी संस्थाओं को सरकारी योजनाओं हेतु, जहां जे.जे. बस्ती बसी है उस जगह की जरूरत है तो, उस भू-स्वामी संस्था के आग्रह पर यह विभाग संबंधित भू-स्वामी संस्था के अनुरोध पर उक्त नीति के अनुसार पुनर्वास राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही उस जे.जे. बस्ती के पुनर्वास का कार्य करती।

दिल्ली स्लम एवं जे.जे. पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति-2015 अनुसार, योग्य झुग्गीवासियों को, उन झुग्गी बस्तियों से जो कि दिनांक 01.01.2006 से पहले स्थापित हुई हैं, पुनर्वासित करने का कार्य करता है। इन बस्तियों में जो झुग्गियां 01.01.2015 से पहले निर्मित हो गई थी, उनको बिना वैकल्पिक स्थान दिए नहीं हटाया जा सकता है। झुग्गीवासियों की वैकल्पिक आवास आबंटन हेतु पात्रता उपरोक्त नीति अनुसार तय की जाती है। उक्त नीति की प्रति संलग्न है।

माननीय उप-राज्यपाल, दिल्ली सरकार के आदेश, जोकि उप-सचिव (शहरी विकास विभाग) F.No. 692(7)/UD/BSUP/2015/VOL-1/245057 दिनांक 20.09.2017 द्वारा जारी किये गये हैं, के अनुसार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली सरकार व उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभाग/एजेंसियों की जमीन पर बनी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली में स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण व अन्य केन्द्रीय विभागों/एजेंसियों की जमीन पर बनी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

(ग) दिल्ली स्लम जे.जे. पुनर्स्थापना व पुनर्वास नीति-2015 दिल्ली सरकार द्वारा आदेश संख्या F.No. 730(7/UD/BSUP/2916/CD No. 021366111/3014-22 दिनांक 11.12.2017 नीति अनुसार अब तक 1427 झुग्गीवासियों को वैकल्पिक फ्लैट आबंटित किये गये हैं।

**109- Jh fxjh'k I ksh % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) शिवाजी कॉलेज के सामने वाली खाली पड़ी जमीन किस विभाग के स्वामित्व है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इसे विभिन्न संस्थाओं को किराये पर दिया गया है;

(ग) इस जमीन पर सरकार की भविष्य में क्या योजना है; और

(घ) इस भूमि के क्षेत्रफल का विवरण मानचित्र सहित उपलब्ध करायें?

**ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h % (क) यह जमीन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के स्वामित्व में है।**

(ख) जी, हां। इस भूमि के व्यावसायिक उपयोग के लिए आवंटन होने तक अस्थायी तौर पर राजस्व प्राप्ति के लिए ई टेन्डर द्वारा विभिन्न संस्थाओं को किराए पर दिया गया है।

(ग) यह भूमि व्यावसायिक प्लॉटों के लिए हैं।

(घ) इस भूमि का क्षेत्रफल 226000 sqm है। मानचित्र संलग्न है।\*

**110- Jh fxjh'k I kuh % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ख्याला थाने को दी गयी जमीन रघुबीर नगर स्कूल के पार्क की है;

(ख) यदि हां, तो यह जमीन किस आधार पर थाने को दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की इस भूमि को वापस लेने की क्या योजना है; पूर्ण विवरण दे?

**ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h %** (क) जी, नहीं। उपलब्ध अभिलेखानुसार ख्याला थाने को दी गयी जमीन आइटम नं. 40/2001 के माध्यम से प्रस्तावित योजना एवं कार्य बोर्ड की 76वीं मिटिंग दिनांक 29.05.2001 के द्वारा अनुमोदन की गयी है जोकि LOP के अनुसार हरित भूमि दर्शायी गई है जिसको जन सुविधा उपयोग (पुलिस स्टेशन) के प्रयोग धके लिए प्रस्ताव न. 723 दिनांक 07.11.2001 के द्वारा स्थायी समिति, दिल्ली नगर निगम द्वारा पारित होने पर माननीय उप-राज्यपाल के आदेश दिनांक 08.04.2005 के आधार पर पुलिस विभाग को आबंटित की गई है।

(ख) उपरोक्त भूमि तत्कालीन दरों पर दिल्ली पुलिस द्वारा रुपये 51,40,938/- जमा करवाने के पश्चात् की गई है।

(ग) वर्तमान में विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं है।

**111- Jh iou dckj 'kekZ % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहांगीरपुरी के ए, जी एवं एच ब्लॉक की झुग्गियों में आरएमसी डालने संबंधी कार्य हेतु कोई विशेष बजट दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्य करवाने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है?

कुछ; 'क' जे.जे. बस्ती में, विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

जहांगीरपुरी एच ब्लॉक जे.जे. बस्ती में लगभग 11 लाख रुपये का कार्य अप्रैल, 2018 में करा दिया गया है।

जहांगीरपुरी जी ब्लॉक जे.जे. बस्ती में 28 लाख रुपये के अनुमानित कार्य कराये जाने का प्रस्ताव 2018-19 की कार्य योजना में लिया हुआ है।

जहांगीरपुरी ए ब्लॉक जे.जे. बस्ती, आरएमसी का कार्य 2014 में कराया गया था अतः नियमानुसार वहां पर 5 साल पूरा होने के बाद अगले वित्तीय वर्ष 2019 में कराया जाएगा।

(ख) जहांगीरपुरी जी ब्लॉक जे.जे. बस्ती में कार्य इसी वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित योजना इआईयूएस में बजट प्रावधानों के अनुसार पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

(ग) उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

**112- Jh iou dɛkj 'kekZ % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ eɔh यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में डीयूएसआईबी विभाग की कई बिल्डिंग कई वर्षों में अनुपयोगी पड़ी है जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या विभाग इन खाली पड़े भवनों को लेकर कोई योजना सरकार के विचारधीन है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण दें?

**ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ eɔh %** (क) जी नहीं, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में डीयूएसआईबी विभाग की किसी भी बिल्डिंग पर असामाजिक तत्वों का कब्जा नहीं है।

एक बस्ती विकास केन्द्र जे.जे. बस्ती जी-ब्लॉक साइट-2 जहांगीरपुरी में खाली है जिसे बोर्ड के निर्णय के अनुसार सभी आवंटित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक सामुदायिक भवन जी-ब्लॉक साइट-3 जेजेआर जहांगीरपुरी कॉलोनी में क्षेत्रफल (47 वर्ग मीटर भूतल व 30 वर्ग मीटर प्रथम तल) है, वह निवासियों के लिए बुकिंग हेतु उपलब्ध है पर शायद छोटा क्षेत्रफल होने के कारण निवासियों के द्वारा बुकिंग नहीं कराई जाती। इसी सामुदायिक भवन के पास में एक अन्य बारात घर रामगढ़ जहांगीरपुरी क्षेत्र में है जिसकी बुकिंग लगातार निवासियों के द्वारा कराई जाती है।

(ख) जी हां। खाली भवनों के आवंटन की योजना विचाराधीन है।

(ग) उपरोक्त।

**113- Jh tjuŷ fl g % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

- (क) दिल्ली में डूसिब की जमीन पर कुल कितने मॉल्स हैं;
- (ख) क्या इन निजी मॉल्स में पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है;
- (ग) निशुल्क पार्किंग से संबंधित एसडीएमसी का दिनांक 02.12.2015 का पब्लिक नॉटिस क्या डूसिब की जमीन पर बने मॉल्स पर लागू नहीं होता;
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो डूसिब के अंतर्गत आने वाले मॉल्स पर लागू इस आदेश को लागू ना कराने के क्या कारण हैं?

**ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h %** (क) डूसिब द्वारा राजा गार्डन क्षेत्र में 06 प्लॉट व्यावसायिक (शॉपिंग मॉल) इस्तेमाल के लिए नीलामी द्वारा लीज पर दिया गया है।

(ख) जी हां, इन प्लॉट्स पर बनी मॉल्स द्वारा पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है।

(ग) 02.12.2015 का नोटिस एसडीएमसी द्वारा जारी किया गया है। और इसे लागू करने की जिम्मेदारी एसडीएमसी की ही है।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) उपरोक्त (ग) के अनुसार एसडीएमसी को इसकी लिखित जानकारी भेजी जा रही है ताकि उनके द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।

**114- Jherh I fjr k fl g % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) रोहतास नगर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली शहरी आश्रय शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की कितनी भूमि है, पूर्ण विवरण दें।

(ख) इन पर किस-किस निकाय का कब्जा है। पूर्ण विवरण दें; और

(ग) इन कब्जों को हटाने के लिए अब तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा कब-कब और क्या कार्यवाही की गई?

**ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h %** (क) रोहतास नगर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की कुल 171.35 एकड़ भूमि है। जिसमें से अधिकतर भूमि हाउसिंग योजना में प्रयुक्त हो चुकी है। भूमि का विवरण साथ संलग्न है।

(ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड खंड सी-8 के पास भूमि पर कब्जों का विवरण निम्नलिखित है:-

---

1. जे.बी.-6 प्लॉट-बारात घर	1909.00 वर्ग मीटर (डूसिब)
2. फोटो चौक	417.72 वर्ग मीटर (डूसिब)
3. क्षेत्रीय कार्यालय डूसिब वेलकम	709.25 वर्ग मीटर (डूसिब)
4. तिकोना पार्क वेलकम	709.25 वर्ग मीटर (डूसिब)
5. चौपाल ब्लॉक सी-3 नन्द नगरी	168.00 वर्ग मीटर (डूसिब)

---



6. राम मंदिर वेलकम	800.00 वर्ग मीटर (अनाधिकृत कब्जा)
कुल	7594.97 वर्ग मीटर

(ग) राम मंदिर वेलकम 25 साल से अधिक पुराना है तथा इस मामले में कब्जा हटाने के लिए यह प्रकरण रिलिजियस कमेटी को भेजा जाएगा।

fooj.k

jkg rkl uxj fo/kku I Hkk {ks= ds v/khu fnYyh 'kgjh  
vkJ; I qkkj ck&MZ dh Hkfe dk fooj.k

क्रमांक	स्कीम का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में
1.	जीटी रोड शाहदरा (कबूलनगर)	10.67
2.	ए.आर. ब्लॉक शाहदरा	2.58
3.	इस्टर्न यमुना कैनल सीलमपुर फेज-III & IV	125.44
4.	सी ब्लॉक नन्दनगरी	32.66
	कुल	171.35 एकड़

115- Jh txnh'k i/kku % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ck&MZ  
ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितनी झुग्गियां हैं और इनमें कितने लोग रहते हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार इन झुग्गियों का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने जा रही है;

(ग) क्या सरकार झुग्गीवासियों को कोई प्रमाणपत्र देने की योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) इस सर्वे का क्या उद्देश्य है?

**ekuuH; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h %** (क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा सन् 2012-13 में दिल्ली की सभी झुग्गियां का सर्वे किया गया था। उस सर्वे के अनुसार दिल्ली में लगभग 3.06 लाख झुग्गियां हैं। प्रति झुग्गी 5 व्यक्ति के औसत से इन झुग्गियों में लगभग 15.30 लाख लोग रहते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, प्रमाण-पत्र देने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

(घ) यह सर्वे दिल्ली पुनर्स्थापन पॉलिसी 2015 के अंतर्गत संभावित मकानों की आवश्यकता (मांग) हेतु कराया जा रहा है जिसके आधार पर झुग्गीवासियों के लिए मकानों का निर्माण किया जाएगा।

**116- Jh vke izk'k 'kekZ %** क्या **ekuuH; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झुग्गीवासियों के उत्थान के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटित राशि और अब तक उसमें से व्यय राशि का विवरण क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है;

(घ) झुग्गियों में किये जाने वाले विकास कार्यों की सूची आवंटित बजट सहित दे;

(ङ) अब तक झुग्गीवासियों के लिए कितने प्लैट बनकर तैयार हो गए हैं और कब तक आवंटित कर दिए जाएंगे; और

(च) इनमें प्रत्येक झुग्गीवासियों ने कितना-कितना पैसा, कब-कब जमा करवाया है?

**ekuuH; 'kj h vkJ; l q/kj ckM/ ea=h %** (क) सभी झुग्गी बस्तियों को डिमांड सर्वे का कार्य एक एजेंसी के द्वारा करवाया जा रहा है। उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन बनाकर बहुमंजली प्लैट बनाने का कार्य किया जाएगा।

(ख) इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 25 लाख रुपये का आवंटन हुआ था, इसमें से 2017-18 में कोई राशि खर्च नहीं की गई।

वर्ष 2018-19 के अंतर्गत 1180 लाख रुपये का बजट का प्रावधान रखा गया है, अभी इस राशि में से कोई भी धनराशि डूसीब को नहीं दी गई है।

पिछले साल की शेष राशि में से रुपये 2.60 लाख इस योजना के अंतर्गत अबतक खर्च किए गए हैं।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) झुगियों में किये जाने वाले विकास कार्यों की सूची व आबंटित बजट निम्नानुसार है:-

1. ईआईयूएस-22 करोड़ (12 करोड़ रिवन्यू हेड+10 करोड़ कैपिटल हेड)
2. पे एण्ड यूज-80 करोड़ (12 करोड़ रिवन्यू हेड+20 करोड़ कैपिटल हेड)
3. कम्यूनिटी हॉल-12 करोड़ (3.50 करोड़ रिवन्यू हेड+8.50 करोड़ कैपिटल हेड)
4. शिशुवाटिका-4 करोड़ (1 करोड़ रिवन्यू हेड+3 करोड़ कैपिटल हेड)

---

कुल-118 करोड़ (76.5 करोड़ रिवन्यू हेड+41 करोड़ कैपिटल हेड)

---

(ङ) जेएनएनयूआरएम मशीन (JNNURM) के अंतर्गत डूसीब द्वारा 18084 फ्लैट बनाये गये हैं आबंटन की प्रक्रिया चल रही है तथा जल्द ही यह फ्लैट आबंटित किए जाने की योजना है।

(च) अब तक पुनर्वास नीति 2010, 2013 एवं 2015 के तहत आबंटित फ्लैटों के आबंटियों से कुल रुपये 38,66,29,027/- (लगभग 38.66 करोड़) लाभार्थी कोष के रूप में प्राप्त हुये है।

117- Jh egltæ xkş y % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड विभाग में कुछ प्लॉट खाली पड़े हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि उन प्लॉटों पर सीबीआई के केस चल रहे हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन प्लॉटों पर अवैध कब्जे हो गये हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि अमर ज्योति कॉलोनी सैक्टर 17 में विभाग का एक सामुदायिक भवन है;

(ङ) यदि हां, तो क्या वह खाली है; और

(च) यदि नहीं तो कब तक खाली होगा?

(क) जी, हां। यह सत्य है कि विभिन्न पुनर्वास कॉलोनियों में कुल 994 प्लॉट खाली है जिसका आवंटन नहीं हुआ है। रिठाला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत एसआरएस कॉलोनी ब्लॉक जे सैक्टर 16 रोहिणी में 254 प्लॉट (18 वर्ग मीटर) खाली है।

(ख) जी हां। यह सत्य है कि विभिन्न पुनर्वास कॉलोनियों में कुल 994 प्लॉट खाली है जिसका आवंटन नहीं हुआ है। जिन पर कोई भी सीबीआई केस नहीं है।

(ग) जिन प्लॉटों पर अवैध कब्जे होते हैं उनका संज्ञान मिलते ही विभाग द्वारा हटाने की कार्रवाई की जाती है।

(घ) अमर ज्योति कॉलोनी सैक्टर-17 रोहिणी में विभाग का एक बस्ती विकास केन्द्र है।

(ड) जी नहीं यह सुभाक्षिक (एनजीओ) को आवंटित है।

(च) प्रयुक्त नहीं है।

**118- I qjh Hkkouk xkM+ % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र की पुनर्वास कॉलोनी द्वाराका सेक्टर-7 एवं सेक्टर-1 डूसिब की बहुत सारी जगह खाली है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) इन भूखंडों पर सरकार की क्या कार्य योजना है; और

(घ) इन भूखंडों पर उक्त योजनाओं कार्यान्वित करने की दिशा में डूसिब द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

**'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h % (क) सेक्टर 1 में 2 भू-खंड है और सेक्टर 7 में भी 2 भू-खंड है सभी भूखंड पर चार दीवारी बनी हुई है।**

(ख) सेक्टर-1

(i) बस्ती विकास केंद्र के साथ:- 672 वर्ग मी. है।

(ii) 202 वर्ग मी.

(i) सामुदायिक भवन और प्राइमरी स्कूल के मध्य में:- 90 वर्ग मी. है।

(ii) डी ब्लॉक के पार्क के सामने:- 90 वर्ग मी. है।

(ग) इन सभी भू-खंडों पर व्यावसायिक भू-उपयोग का प्रावधान है।

(घ) 100 वर्ग मीटर से छोटे व्यवसायिक भू-खंडों की नीलामी द्वारा बेचे जाने की योजना विचाराधीन है। बड़े भू-खंडों को बाद में नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा।

**119- Jh f'kopj.k xkş y % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMz ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) डूसिब की मोती नगर विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से भू-खंड है विस्तृत ब्यौरा दें;

(ख) इस क्षेत्र के बस्ती विकास केंद्रों उन पर कौन-कौन सी एनजीओ काम कर रही है नाम, पता सहित उसका विस्तृत ब्यौरा दें; और

(ग) जितने भी बस्ती विकास केंद्र है उन पर कौन-कौन सी एनजीओ काम नहीं कर रही है नाम, पता सहित उसका विस्तृत ब्यौरा दें?

**ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMz ea-h % (क) मोती नगर विधान सभा क्षेत्र में 2321 वर्ग मीटर का एक भू-खंड डूसिब के अधिकार में है।**

(ख)

क्र. सं.	बी.वी. के	एनजीओ का नाम/ संस्था का नाम
1	2	3
1.	चुना भट्टी लक्कड़ मंडी कीर्ति नगर	संत निरंकारी मंडल
2.	5/35, औद्योगिक क्षेत्र कीर्ति नगर	1. सेवा भारती

1	2	3
		2. प्रयास
3.	8/35, औद्योगिक क्षेत्र कीर्ति नगर	प्रयास
4.	हरिजन बस्ती चुना भट्टी लक्कड़ मंडी कीर्ति नगर	केयर इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट
5.	चुना भट्टी लक्कड़ मंडी कीर्ति नगर	सेवा भारती
6.	अमर पार्क जखीरा	आशा कम्युनिटी हेल्थ एवं डेवलपमेंट सोसाइटी
7.	जवाहर कैंप A-2, WHS कीर्ति नगर	1. रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली 2. श्री राम मग्गो एजुकेशनल सोसाइटी (आवंटन रद्द किया जा चुका है)
8.	रोड नं. 17, नियर शिवानंद स्कूल, लैदर फैक्ट्री ईस्ट पंजाबी बाग	सेवा भारती
9.	राखी मार्केट जखीरा	1. सेवा भारती 2. प्रयास

(ग) उपरोक्त दी गई जानकारी के अनुसार ऐसी कोई एनजीओ/संस्था नहीं है।



**120-** Jh vt; nùk %क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन-सी-टू प्रोजेक्ट कब से दिल्ली के अम्बेडकर नगर में लागू किया जायेगा;

(ख) अम्बेडकर नगर की कौन-कौन सी जेजेसी इन-सी-टू प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ रही है; और

(ग) कब से उपरोक्त योजना लागू की जायेगी?

ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea=h % (क) डीयूएसआईबी द्वारा दिल्ली की जे.जे. बस्तियों में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं दिल्ली स्लम पुनर्वास योजना 2015 के अंतर्गत नियमों के अनुसार डिमांड सर्वे किया जा रहा है। डिमांड सर्वे के पश्चात भूमि की उपलब्धता के आधार पर ही यह निर्धारित किया जा सकेगा कि इन-सी-टू प्रोजेक्ट बन सकता है कि नहीं।

(ख) अम्बेडकर नगर की जेजेसी की सूची संलग्न है।

(ग) उपरोक्त 'क' एवं 'ख' के अनुसार।

**List of JJ Cluster under AC-48, Ambedkar Nagar**

Sl. No.	Code	AC No	Name of JJ Cluster Location	No. of House Holds
1	2	3	4	5
1	536	48	Harijan Camp Khanpur & Banjara Camp Opposite PNB Khanpur	348

1	2	3	4	5
2	541	48	JJC Near Virat Cinema C-Block	101
3	825	48	Dalit Camp, Dakshin Puri	100
4	743	48	Lohar Basti, near Lal Building school, Madangir	60

121- Jh I q[kohj fl g nyky % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; I q  
kkj ckMZ ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधान सभा क्षेत्र के लिए डीयूएसआईबी को कितनी धनराशि जारी की गई है और उसमें से कितनी व्यय हुई है; और

(ख) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में डीयूएसआईबी की लंबित योजनाओं की सूची उपलब्ध कराए?

ekuuh; 'kgjh vkJ; I qkkj ckMZ ea-h % (क) दिल्ली सरकार द्वारा विधान सभा के नाम पर फंड जारी नहीं किया जाता है। दिल्ली सरकार द्वारा डूसिब को जारी धनराशि से, डूसिब विभिन्न योजनाओं पर कार्य के अनुसार धनराशि का आवंटन करता है।

(ख) लंबित योजनाओं की सूची संलग्न है।

**List of pending works in Mundka Assembly Constituency (OH)**

Sl. No.	Name of work	Estt. Cost (In Lacs)	Present Status
1	2	3	4
<b>GIA</b>			
1	C/o boundary wall for protection of vacant land proposed for H.S.S at Block-M, PH-II, Savda Ghewra site No.1.	30.00	In process of approval
2	C/o boundary wall for protection of vacant land proposed for H.S.S at Block-M, PH-II, Savda Ghewra site No.2.	32.00	In process of approval
3	C/o boundary wall for protection of vacant land proposed for Primary School at Block-L, PH-II, Savda Ghewra.	20.00	In process of approval
4	C/o boundary wall for protection of vacant land proposed for H.S.C at Block-N, PH-II, Savda Ghewra.	25.00	In process of approval
5	C/o boundary wall for protection of vacant land proposed for Primary School at Block-N, PH-II, Savda Ghewra.	18.00	In process of approval
6	C/o boundary wall for protection of vacant land proposed for Hospital at Block-A, PH-III, Savda Ghewra.	32.00	In process of approval

1	2	3	4
7	C/o boundary wall for protection of vacant land proposed Housing at Block-L, PH-II, Savda Ghewra.	23.00	In process of approval
8	Providng MS Gate at various locations of various housing pockets Ph-I and Ph-II Savda Ghewra	15.00	In process of approval
9	Renovation and additional work of site office Ph-III Savda Ghewra	20.00	In process of approval
	Total	215.00	
	<b>BVK</b>		
1	Special repair/Renovation and A/R &. M/O of C/Hall at Block-K, Savda Ghewra Ph-I	20.00	In process of approval
2	A/R M/O, S/R and addition alteration for C/Hall at L-Block, Ph-II	25.00	In process of approval
3	A/R M/O, S/R of BVK at L-Block, Ph-III Savda Ghewra	5.00	In process of approval
	Total	50.00	
	<b>NULM</b>		
1	C/o Double storey Night Shelter for Urban Homeless at Near Railway Station at Nangloi Ph-II	315.00	T.S. Under process of checking.
	Total	315.00	

**122- Jh jktšk xqrk % क्या ekuuh; mi e[; eah यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) दिल्ली में शराब पीने के लिए 25 वर्ष की आयु की वैधता कब निर्धारित की गई थी;

(ख) क्या शराब पीने के लिए वैध आयु को कम करने की कोई योजना है;

(ग) देश के विभिन्न भागों और यहां तक की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी शराब पीने की वैध आयु में अंतर को देखते हुए दिल्ली सरकार इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ एकरूपता क्यों नहीं बनाती; और

(घ) क्या शराब पीने की वैध आयु अधिक होने के कारण दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है?

**ekuuh; mi e[; eah %** (क) पूर्व में दिल्ली पर लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914, के अनुच्छेद 29 के अनुसार कोई भी लाइसेंसधारी या उसका कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को जिसकी आयु 25 वर्ष से कम है को शराब की बिक्री उसके पीने के लिए या किसी और के पीने के लिए नहीं कर सकता (कॉपी **vuyxud pdß** पर संगलग्न है)।

(ख) जी नहीं।

(ग) आयु सीमा का निर्धारण दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत सरकार द्वारा किया जाता है।

(घ) इस तरह का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

**vuyxud bdf**

SECTION 29

THE PUNTAB EXCISE ACT, 1914 153

**25. Prohibition of possession of intoxicant unlawfully manufactured, imported etc.**

No person shall have in his possession any quantity of any intoxicant, knowing the same to have been unlawfully imported, transported; manufactured, cultivated or collected, or knowing the prescribed duty not to have been paid thereon.

**C. Sale**

**26. Sale of intoxicants**

No liquor shall be bottled for sale and no intoxicant shall be sold, except under the authority and subject to the terms and conditions of a license granted in that behalf; provided that—

- (1) a person licensed under section 20 to cultivate the hemp plant, may sell without a license those portions of fee plant from which intoxicating drugs can be manufactured, to any person licensed under this Act to deal in the same or to any officer whom the Excise Commissioner may appoint in this behalf;
- (2) a person having the right to the tari drawn from any tree may sell the same without a license to a person licensed to manufacture or sell tari under this Act;
- (3) on such condition as the Excise Commissioner may determine, a license for sale under the excise law for the time being in force in

other parts of India maybe deemed to be a license granted in that behalf under this Act;

- (4) nothing in this section applies to the sale of any foreign liquor procured by any person for his private use and sold by him or on his behalf or on behalf of his representative-in-interest upon quitting a station or after his decease.

**27. Grant of lease of manufacture etc.**

- (1) The Lieutenant Governor of Delhi may lease to any man not below the age of twenty-five years on such conditions and for such period as he may deem fit, the right—
- (i) of manufacturing or of supplying by wholesale, or of both, or
  - (ii) of selling by wholesale or by retail, or
  - (iii) of manufacturing or of supplying by wholesale, or of both, and of selling by retail, any country liquor or intoxicating drug within any specified local area.
- (2) The Collector shall grant to a lessee under sub-section (1) a license in the terms of his lease; and, when there is no condition in the lease which prohibits subletting may, on the application of the lessee, grant a license to any sub-lessee approved by the Collector.

**28. Manufacture and sale of liquor in Military Cantonments.**

Within the limits of any military cantonments and within such distance from these limits as the Central Government in any case may prescribe no license for the manufacture or sale of liquor and no lease of the retail vend of liquor, such as is described in section 27, shall be granted unless with the consent of the Commanding Officer.

**29. Prohibition of sale to persons under the age of twenty-five years and of women**

No licensed vendor and no person in the employ of such vendor or acting on his behalf shall sell or deliver any liquor or intoxicating drug to any person apparently under the age of twenty-five years whether for consumption by such person or by another person and whether for consumption on or off the premises of such vendor.

- (3) In the case of cancellation or suspension of licence under sub-section (1), the fee payable for the balance of the period for which any licence would have been current but for such cancellation or suspension, may be recovered from the ex-licensee as excise revenue.
- (4) The holder of a licence or permit shall neither be entitled to any compensation for the cancellation or suspension thereof nor to refund of any fee paid or deposit made in respect thereof.

**18. Bar to the right of renewal and to compensation**

No person to whom a licence or permit has been granted, shall be entitled to claim any renewal thereof, and no claim shall lie for damages or otherwise in consequence of any refusal to renew a licence or permit on the expiry of the period for which the same remains in force.

**19. Surrender of licence**

No holder of a licence granted under this Act shall surrender his licence except on the expiration of one month's notice in writing given by him to the licensing authority of his intention to surrender the same on payment of the fee payable for the licence for the whole period for which it would have been current but for the surrender:



PROVIDED that if the licensing authority is satisfied that there are sufficient reasons for surrendering the licence, he may remit to the holder thereof the sum so payable, or any portion thereof on surrender.

**20. Transfer of licence or permit**

The licence or permit granted under this Act is not transferable except with the prior approval of the licensing authority subject to such terms and conditions as may be prescribed.

**21. Grant of exclusive privilege of manufacture, etc.**

Subject to the provisions of this Act and the terms and conditions as may be prescribed, the Government may grant to any person a licence either jointly or severally, for the exclusive privilege of manufacturing, supplying by wholesale and sale by retail within any local area.

**22. Removal of liquor from manufactory, warehouse, etc., on payment of duty**

No liquor shall be removed from any manufactory, warehouse or other place of storage established under this Act without a relevant pass and unless duty and fee payable has been paid or a bond as maybe prescribed, has been executed for the payment thereof.

**23. Prohibition of sale to certain persons**

No person or licensed vendor or his employee or agent shall sell or deliver any liquor to any person apparently under the age of twenty-five years, whether for consumption by self or others.

**24. Prohibition of employment of certain persons**

No licensee shall employ or permit to be employed in his premises any person under the age of twenty-one years, or suffering from contagious disease.

## 25. Closing of shops for preservation of public peace

The Deputy Commissioner or any other officer authorized by him may, by notice in writing to the licensee, require that any shop in which any liquor is sold shall be closed at such time or for such period as he may think necessary for preservation of public peace.

**123- Jh I [kohj fl g nyky % क्या ekuuh; mi eq; ea-h**  
यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 1.10.2018 के बाद से कितनी लिकर/वाइन/अल्कोहल जब्त की गई, दिनांक तथा मात्रा सहित सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली में लिकर, वाइन/अल्कोहल के कौन-कौन से ब्रांडो की बिक्री की अनुमति है;

(ग) दिल्ली में एल-6, एल-7 व एल-8 दुकानों पर बिक्री योग्य ब्रांडों की सूची उपलब्ध कराएं; और

(घ) दिल्ली में आबकारी विभाग के अंतर्गत कौन से विभाग/शाखाएं आती हैं?

**ekuuh; mi eq; ea-h %**(क) विधान सभा क्षेत्र-वार रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। विधान सभा क्षेत्र मुंडका में पड़ने वाले थाने-मुंडका व कंझावला में दिनांक 01.01.2018 से 31.07.2018 अब तक पकड़ी गई अवैध शराब के विरुद्ध निम्नवत् कार्रवाई की गई है:-

क्र. सं.	मुकदमा	दिनांक	पुलिस स्टेशन	जब्त की गयी गाड़ी का विवरण	पकड़ी गई शराब का मात्रा
1	2	3	4	5	6
1.	266	01.04.18	अमन विहार	00	60
2.	280	05.04.18	अमन विहार	00	1,056
3.	322	16.04.18	अमन विहार	00	240
4.	371	01.05.18	अमन विहार	00	24
5.	378	03.05.18	अमन विहार	01	384
6.	488	01.06.18	अमन विहार	00	192
7.	492	03.06.18	अमन विहार	01	2,244
8.	571	27.06.18	अमन विहार	00	24
9.	695	28.07.18	अमन विहार	00	120
10.	214	29.06.18	कंझावला	00	132
11.	133	02.04.18	मुंडका	01	492
12.	144	06.04.18	मुंडका	00	96
13.	162	14.04.18	मुंडका	00	25

1	2	3	4	5	6
14.	194	03.05.18	मुंडका	01	120
15.	196	03.05.18	मुंडका	01	432
कुल				05	5,641

(ख) सूची **vuyXud&bdß** पर संगलग्न है।\*

(ग) उपरोक्त **B[kp** के अनुसार।

(घ) दिल्ली आबकारी विभाग में निम्नलिखित शाखाएं आती हैं जो कि इस प्रकार हैं:—

1. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा
2. परमिट शाखा
3. एमएंडटीपी शाखा
4. कंट्री लिंकर शाखा
5. लेखा शाखा
6. कम्प्यूटर शाखा
7. देख-रेख शाखा
8. आईएमएफएल शाखा
9. नीति शाखा
10. सतर्कता शाखा
11. कोरडीनेशन शाखा
12. होटल शाखा
13. क्लब शाखा
14. एक्साइज लैब शाखा
15. रेस्टुरेंट शाखा
16. कंसफिकेसन शाखा
17. प्रशासनिक शाखा

**124- Jh iadt iQdj %** क्या **ekuuh; mi eq; ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र (एसी-03) की सभी कैटगरी की मधु विक्रय के सभी लाइसेंसधारियों का कैटगरी बार नाम विवरण सहित गत चार वर्षों की वास्तविक बिक्री का पूर्ण विवरण क्या है;

\*सभी संलग्नक [www.delhi assembly.inc.in](http://www.delhi assembly.inc.in) पर उपलब्ध।

(ख) क्या यह सत्य है कि आबकारी विभाग की मधु विक्रय की दुकानों को लाइसेंस की नीति में प्राइमरी स्कूल को भी शामिल के बारे में अप्रैल, 2018 तक परिवर्तन करने का आश्वासन था; और

(ग) यदि हां, तो इस आश्वासन की पूर्ति का क्या विवरण है?

**कुल; मि एल; एल %** (क) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र (एसी-03) में मधु विक्रय के सभी लाइसेंसधारियों का कैटगरी बार निम्नलिखित है:-

लाइसेंस का नाम	संख्या
एल-6	11
एल-7	01
एल-8	03
एल-10	00
एल-12	08
कुल लाइसेंसों की संख्या:	23

गत चार वर्षों की बिक्री (रुपये) की कॉपी **वुयलुद डी** पर संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं।

वृत्त बंध

**Excise Revenue Collected from Dec.1, 2013 to Aug. 1, 2018 for  
following vends**

Sl. No.	Vend ID	User ID	Vend Name	Excise Revenue
1	2	3	4	5
1	PV02992	L1220153136	Shivam Departmental Store	44594826.21
2	PV03080	L1220153227	Mohit General Store	68745082.52
3	PV03256	L1220163486	Ashi Exports Private Limited	26762859.84
4	PV03299	L1220163568	Shiv Departmental Store	50495105.67
5	PV03331	L1220163720	Narendra Deparrtmental Store	40666430.52
6	PV03361	L1220163778	Shanker Departmental Store	26882830.06
7	PV03362	L1220163779	Om Sai Ram Enterprises	27820093.32
8	6MKT	L62000006	Majnu Ka Tila	259418449.5
9	5MGAN	L62001040	Malka Ganj	196026382.7
10	1AKV	L62001051	Mukherjee Nagar	134619999.2
11	3TBN	L62001053	Mall Road, Kingsway Camp	157766974.4
12	4PPG	L62001131	Timarpur	81245841.86
13	8MKN	L62001148	Mukherjee Nagar	141302747.7

1	2	3	4	5
14	5MKN	L62001155	Mukhrjee Nagar	144716126.4
15	4PRV	L62001234	Model Town – II	126969388
16	ILIA	L62005377	Malka Ganj	220479566.9
17	JMN	L62007018	Mukherjee Nagar	148761773.9
18	5NV	L62012511	Nehru Vihar	126916978.2
19	9SC1	L72003029	Shyamllfe Chandel 1	269404647.7
20	MKNCL	L82001093	Mukherjee Nagar (DML)	90843185.28
21	6MJT	L82012453	Majnu Ka Tilla (DML)	91016925.96
22	4SMD	L82012490	Sabzi Mandi (DML)	202475601.7
Total				2677931817

**125-** Jh egæ xkş y % क्या ekuuh; mi eq; ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2015 में दिल्ली में कुछ कितनी शराब की दुकानें थी; पूर्ण विवरण दें;

(ख) वर्तमान समय में दिल्ली में कुल कितनी शराब की दुकानें हैं; पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में जनमत करवा कर शराब की दुकाने बंद करने की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उस प्रक्रिया से दिल्ली में शराब की कितनी दुकानें बंद की गयी; सभी दुकानों के पते सहित विवरण क्या है;

(ङ) वर्तमान समय में उन दुकानों में से कितनी दुकानें पुनः खुल गयी हैं;

(च) इन दुकानों के पुनः खुलने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या वर्तमान समय में भी यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है; पूर्ण विवरण दे; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(क) 31.12.2015 को दिल्ली में कुल दुकानों की संख्या 768 थी जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

लाइसेंस का नाम	संख्या
एल-6	295
एल-7	88
एल-8	94
एल-10	173
एल-12	118
कुल लाइसेंसों की संख्या:	768



(ख) 01.08.2018 को दिल्ली में कुल दुकानों की संख्या 857 है जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

लाइसेंस का नाम	संख्या
एल-6	381
एल-7	87
एल-8	90
एल-10	172
एल-12	127
कुल लाइसेंसों की संख्या:	857

(ग) स्थानीय नागरिकों द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर चर्चा एवं जांच कर शराब की दुकानों के संदर्भ में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ प्रयोग किये गए हैं।

(घ) से (च) इस प्रक्रिया के तहत एक दुकान को बंद करने का आदेश दिया गया था। इसके पश्चात् यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। दुकान का नाम मैसर्स रंजना शर्मा (एल-7) जोकि प्लॉट नंबर-3 चौखंडी रोड, तिलक नगर, नई दिल्ली में स्थित है।

(छ) जी हां।

(ज) उपरोक्त "छ" के संदर्भ में लागू नहीं।

**126- Jh fxjh'k l kuh % क्या ekuuh; mi eq; ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाली शराब की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) पिछले एक वर्ष में कितने लोगों पर क्या कार्यवाही की गयी;

(ग) अवैध रूप से छोटे-छोटे मोहल्ले में बिकने वाली शराब पर भी क्या आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है;

(घ) यदि हां, तो पिछले पांच सालों पर कितने लोगों पर क्या कार्यवाही हुई; और

(ङ) विधान सभा क्षेत्र-वार की गयी कार्यवाही का विवरण दिया जाये?

**ekuuh; mi eq; ea-h %** (क) इस विभाग की ईआईबी शाखा द्वारा लगातार गोपनीय सूचना एकत्रित कर दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, के अंतर्गत स्थानीय पुलिस के माध्यम से अवैध शराब की तस्करी व बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

(ख) पिछले एक वर्ष दिनांक 01.08.2017 से 31.07.2018 तक कुल-**319]807** बोतल अवैध शराब व **408** वाहन जब्त किए गए और कुल **810** व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई।

(ग) इस विभाग की ईआईबी शाखा द्वारा लगातार गोपनीय सूचना एकत्रित कर दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, के अंतर्गत स्थानीय पुलिस के माध्यम से अवैध शराब की तस्करी व बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

(घ) पिछले पांच सालों में अवैध शराब की तस्करी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, के अंतर्गत वर्ष-वार कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या
2014-2015	777
2015-2016	900
2016-2017	872
2017-2018	892
2018-2019 (31.07.2018 तक)	253

(ङ) विधान सभा क्षेत्र-वार रिकॉर्ड संकलित रूप में उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में पिछले पांच वर्षों के दौरान अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, के अंतर्गत की गई कार्यवाही निम्नवत् है:-

वर्ष	कुल मुकदमे दर्ज	पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या	पकड़ी गई बोतलों की संख्या	
1	2	3	4	5
2014-2015	747	777	2,09,323	

1	2	3	4	5
	2015—2016	882	900	2,27,387
	2016—2017	853	872	3,46,791
	2017—2018	890	892	3,22,544
	2018—2019 (31.07.2018 तक)	251	253	1,04,058

**127- I qh I jrk fl g %** क्या **ekuuh; mi e[; ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री व मंत्रियों के साथ कोई सूचना अधिकारी संबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये सूचना अधिकारी संबद्ध मंत्रियों के कार्यालय में जाते हैं;

(ग) इन सूचना अधिकारियों ने अबतक कितनी प्रेस विज्ञप्तियों, स्टेटमेंट आदि जारी किए हैं; और

(घ) अंतिम बार ये सूचना अधिकारी अपने कार्यालय में कब पहुंचे थे?

**ekuuh; mi e[; ea-h %** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां और वक्तव्य नियमित रूप में आवश्यकता अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किए जाते हैं।

(घ) सभी सूचना अधिकारी नियमित रूप से अपने कार्यालय में पहुंचते हैं।

**128- Jh jktšk xqrk % क्या ekuuh; mi eđ; eah यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) डीआईपी को एक पेशेवर संस्था बनाने की क्या सरकार की कोई योजना है;

(ख) डीआईपी की अध्यक्षता आईएएस अधिकारी द्वारा कब से की जा रही है;

(ग) डीआईपी की अध्यक्षता हेतु किसी आईएएस के लिए क्या पेशेवराना आधार है;

(घ) सूचना अधिकारियों ने सरकार के लिए क्या कार्य किया है; और

(ङ) क्या सूचना अधिकारियों ने मीडिया में सरकार से संबंधित कोई सूचना प्रकाशित करवाई है?

**ekuuh; mi eđ; eah %** (क) डीआईपी दिल्ली सरकार का प्रचार व प्रसार कार्य के लिए स्थापित एक निदेशालय है जिसमें पेशेवर योग्यता रखने वाले कर्मचारी/अधिकारी भी कार्यरत हैं।

(ख) सेवा विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2002 से सूचना एवं प्रचार निदेशालय में आईएएस अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं।

(ग) ऐसा कोई आधार नहीं है।

(घ) सूचना अधिकारी नियमित रूप से आवश्यकतानुसार दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के प्रचार-प्रसार के कार्यों को सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार करते हैं। साथ ही प्रेस विज्ञापित, मान्यताप्राप्त पत्रकारों को सुविधाएं प्रदान करना, मासिक पत्रिका का प्रकाशन विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के कवरेज आदि करते हैं। डीआईपी ने वर्ष (2017-18) में अखबारों में 5233 वर्गीकृत और 212 डिस्पले विज्ञापन, 26 रेडियो विज्ञापन तथा 5 टीवी विज्ञापन जारी किए। जिसके लिए क्रमशः 207927207 रुपए 338084861 रुपए, 140756687 रुपए तथा 55079073 रुपए का भुगतान किया गया। विज्ञापन जारी करने व भुगतान की प्रक्रिया में भी सूचना अधिकारियों की भूमिका रहती है।

(ङ) उपरोक्त के अनुसार।

**129- Jh jktśk xqrk % क्या ekuuh; mi eq; eah यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) डीआईपी द्वारा अपनी ओर से जनहित के कितने अभियानों का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को दिया गया;

(ख) क्या डीआईपी ने मानसून के मौसम में रोगवाहक कीट-पतंगों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए भी किसी अभियान का प्रस्ताव दिया है;

(ग) क्या वायु प्रदूषण संबंधी जन-जागरुकता के लिए भी डीआईपी की कोई योजना है; और

(घ) डीआईपी का वार्षिक आउटपुट क्या है?

**ekuuH; mi e[; e=h %** (क) डीआईपी सरकारी विज्ञापनों को जारी करने के लिए निर्धारित एसओपी के तहत संबंधित, विभाग से विज्ञापन का अनुरोध प्राप्त होने के बाद माननीय उप मुख्य मंत्री से अनुमति लेकर शब्दार्थ या सूचीबद्ध एजेंसी के माध्यम से विज्ञापन जारी करता है।

(ख) उपरोक्त के अनुसार। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू-चिकनगुनिया विषय पर एक विज्ञापन अभियान डीआईपी ने शब्दार्थ के माध्यम से अखबारों में प्रकाशित करवाया है। डेंगू विषय पर विज्ञापनों का शेष माध्यमों से प्रचार का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग में अनुमोदन के लिए लंबित है।

(ग) उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(घ) डीआईपी ने वर्ष (2017-18) में अखबारों में 5233 वर्गीकृत और 212 डिस्पले विज्ञापन, 26 रेडियो विज्ञापन तथा 5 टीवी विज्ञापन जारी किए। जिसके लिए क्रमशः 207927207 रुपए 338084861 रुपए, 140756687 रुपए तथा 55079073 रुपए का भुगतान किया गया। इसके अलावा नियमित रूप से आवश्यकतानुसार दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के प्रचार-प्रसार के कार्यों को सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार किया जाता है। जिसमें प्रेस विज्ञापित, मान्यताप्राप्त पत्रकारों को सुविधाएं प्रदान करना, मासिक पत्रिका का प्रकाशन फोटो कवरेज प्रदर्शनी एवं विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन एवं कवरेज आदि शामिल हैं।

**130- Jh fotHnz x[rk %** क्या **ekuuH; mi e[; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार सूचना एवं प्रचार निदेशालय को स्टाफ की दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है;

(ख) इस समय कौन-कौन से पद कितने समय से रिक्त पड़े हैं और उनको भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) सरकार ने वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में विज्ञापन एवं प्रचार के लिए वर्ष-वार आवंटित राशि और उसमें से वास्तविक व्यय का विवरण क्या है;

(घ) सरकार ने उपरोक्त वर्षों के दौरान शब्दार्थ पर कितनी राशि व्यय करी और उसे कितनी आय/बचत हुई?

**ekuu; mi e[; ea-h %** (क) सरकार ने सूचना एवं प्रचार निदेशालय को स्टाफ की दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिये सूचना एवं प्रचार निदेशालय के अंतर्गत एक सरकारी विज्ञापन एजेंसी शब्दार्थ का गठन 76 पर सृजित किये हैं। 28 पद भरे जा चुके हैं तथा 48 पदों का नियमानुसार भरा जाना शेष है। इसके अतिरिक्त निदेशालय में नए पदों के सृजन का प्रस्ताव एआर विभाग में विचाराधीन है।

(ख) **mi fun'kd@**

**l i'knd@i#**

**l fpo**

तीन पद रिक्त हैं, एक 2006 से, एक 2010-11 एवं एक 2016 से। दो पदों के लिए प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग, भारत सरकार को दिनांक 13.02.2018 को भेजा जा चुका है। एक पद जो कि दिव्यांग श्रेणी में है के लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है।



---

<b>l p̄uk vf/kdkjh</b>	दो पद रिक्त हैं, एक 2014 से एवं एक 2016 से। आरआर प्रक्रिया के तहत भर्ती नियमों की समीक्षा की प्रक्रिया लंबित होने के कारण रिक्त है।
<b>Qk/kxkQj</b>	दो पद रिक्त हैं, एक 2014 से एवं एक 2016 से। आरआर प्रक्रिया के तहत भर्ती नियमों की समीक्षा की प्रक्रिया लंबित होने के कारण रिक्त है।
<b>i tkch vupknd</b>	एक पद 2014 से रिक्त है प्रस्ताव दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड दिनांक 21.09.2015 को भेजा जा चुका है।
<b>mn̄ vupknd</b>	एक पद दस वर्ष से अधिक से रिक्त है प्रस्ताव दिल्ली सेवा चयन बोर्ड दिनांक 21.09.2015 को भेजा जा चुका है।
<b>i zdk'ku l gk; d</b>	एक पद 2015 से रिक्त है प्रस्ताव दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड को दिनांक 23.01.2018 को भेजा जा चुका है।
<b>i p̄kj l gk; d</b>	एक पद 2013 से रिक्त है प्रस्ताव दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड को दिनांक 23.01.2018 को भेजा जा चुका है।

---

(ग) वर्ष 2014-15 तक विज्ञापन एवं प्रचार का व्यय डीआईपी के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा भी किया जाता था। वर्ष 2015-16 से यह राशि सूचना एवं प्रचार निदेशालय मेक संग्रहित कर दी गयी व "अन्य व्यय" के अतिरिक्त एक नया व्यय शीर्ष "विज्ञापन एवं प्रचार" नाम से खोला गया वर्ष 2015-16 से इस नये व्यय शीर्ष के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार के एल राशि आवंटित की गई। वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक विज्ञापन एवं प्रचार के लिए वर्ष-वार आवंटित राशि का विवरण निम्नलिखित है-

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	आबंटन	व्यय
2014-15	अन्य व्यय	20.23	11.12
2015-16	अन्य व्यय	22.00	20.65
2016-17	विज्ञापन एवं प्रचार	175.00	66.27
2017-18	विज्ञापन एवं प्रचार	190.00	117.70

(घ) सरकार द्वारा स्थापित शब्दार्थ को दिल्ली सरकार के द्वारा अनुदान स्वरूप 50 लाख रुपए प्रदान किये गये थे। शब्दार्थ एक स्वायत्त विज्ञापन संस्था (एजेंसी) है जो कि अपनी आय का अर्जन स्वयं करती है।

शब्दार्थ की स्थापना दिनांक 05.06.2015 को हुई थी शब्दार्थ की बैलेन्स शीट के अनुसार वर्ष 2015-16 में 4.55 करोड़ रुपए (शुद्ध आय) 2016-17 में 4.54 करोड़ रुपये (शुद्ध आय) व वर्ष 2017-18 में लगभग 7.39 करोड़ रुपये (शुद्ध आय) की आय शब्दार्थ द्वारा अर्जित की गई है।

**131- Jh fotba xqrk % क्या ekuuh; mi eq; ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) जीएसटी लागू होने के उपरांत दिल्ली के राजस्व आय में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) सरकार ने जीएसटी के कारण व्यापारियों को आ रही समस्याओं को किस प्रकार दूर किया;

(ग) 01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक जीएसटी से दिल्ली सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है;

(घ) 01 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2018 तक जीएसटी से दिल्ली सरकार कितने राजस्व की प्राप्ति हुई;

(ङ) जीएसटी लागू होने के बाद कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ब्यौरा दें; और

(च) 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के प्रथम तिमाही में वैट तथा जीएसटी के द्वारा कितने-कितने राजस्व की प्राप्ति हुई; विवरण दें?

**ekuuh; mi eq; ea-h %** (क) वर्ष 2015-16 के आधार वर्ष राजस्व रूपए 16784.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 का अनुमानित राजस्व रूपए 21812.68 करोड़ था। वर्ष 2017-18 की वास्तविक राजस्व प्रति रूपए 21098.29 करोड़ थी।

वर्ष	अनुमानित राजस्व (रुपए करोड़ में)	वास्तविक राजस्व (रुपए करोड़ में)
2015-16	16784.15	—
2016-17	19133.93	—
<b>th, l Vh ykxw gkus ds mi jkr</b>		
2017-18	21812.68	21098.29
2018-19	24866.45	—

- (ख) • व्यापार एवं कर विभाग द्वारा दिल्ली के विभिन्न मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर जीएसटी जागरुकता वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
- सरकार की तरफ से जीएसटी अधिकारियों द्वारा दिल्ली के विभिन्न बाजारों में जीएसटी वाहनों द्वारा व्यापारियों से संपर्क किया गया।
  - प्रत्येक जोन में मार्केट ट्रेडर एसोसिएशनों से परामर्श करके जीएसटी कैम्प/स्टॉल का आयोजन किया गया।
  - जीएसटी से संबंधित किसी भी प्रश्न और समस्याओं के साथ आने वाले लोगों की सुविधा के लिए एक सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसमें जीएसटी से संबंधित समस्याओं का निवारण किया जाता है।

- विभाग ने दिल्ली के प्रमुख बाजारों में 646 जीएसटी सपोर्ट समितियों का गठन किया। ये समितियों जीएसटी जागरूकता जैसे बुनियादी जीएसटी मुद्दों, जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न व्यापारियों और संघों की शिकायतों के समाधान के लिए, संपर्क बिन्दु के रूप में कार्य कर रही हैं। वे एक सलाहकार, परामर्शदाता तथा जीएसटी शिकायत निवारण चैनल के रूप में विभाग और व्यापार संघों के बीच एक पुल का कार्य कर रही हैं। जीएसटी कॉउंसिल से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी जीएसटी सपोर्ट समितियों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है।

(ग) 01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक जीएसटी से दिल्ली सरकार को 13777.84 करोड़ रुपये (एसटीएसटीआईजीएसटी कम्पन्सेशन) राजस्व की प्राप्ति हुई है।

(घ) 01 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2018 तक जीएसटी से दिल्ली सरकार को 4588.71 करोड़ रुपये (एसटीएसटीआईजीएसटी कम्पन्सेशन) राजस्व की प्राप्ति हुई है।

(ङ) माईग्रेटिड रजिस्ट्रेशन (31 मार्च, 2018 तक) (वैट, स्टेट एक्साइज, ईटी, बीटी और एलटी के समेत) – 395024

नए रजिस्ट्रेशन (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018 तक) – 278160

(च)

वर्ष	वैट (रुपए करोड़ में)	जीएसटी (रुपए करोड़ में)	कुल (रुपए करोड़ में)
2015-16	22818.60	—	22818.60
2016-17	21834.76	—	21834.76
2017-18	11839.76	13777.84	25617.80
2018-19 (प्रथम तिमाही)	1338.18	4588.71	5926.89

**132-** Jh I d[kohj fl g nyky % क्या ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सभी टोल टैक्स जिन ठेकेदारों या कम्पनियों को दिये गये हैं, उनका विवरण दें, एतद् संबंधी कार्रवाई का ब्यौरा दें;

(ख) अब तक दिल्ली में किस कम्पनी द्वारा किस-किस अवधि में कितना ग्रीन टैक्स कलैक्शन किया गया;

(ग) सभी कम्पनीज द्वारा पिछले दो माह में किए गए ग्रीन टैक्स कलैक्शन में अंतर बताएं; और

(घ) अंतर का कारण बतायें?

'kgjh fodkl ea-h % (क) dk; kly; funskd LFkk; h fudk; ] Vksy VDI ] i Fkdj foHkkx% वर्तमान में सभी टोल टैक्स नाकों पर टोल टैक्स

तथा पर्यावरण क्षति पूर्ति शुल्क Environment Compensation Charge (ECC) की वसूली का कार्य M/s एम.ई.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपेर लि. ठेकेदार कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार टोल टैक्स तीनों नगर निगमों की तरफ से उपरोक्त कम्पनी टैक्स वसूल करती है तथा केवल एक ठेकेदार जिसका वर्णय ऊपर किया गया है के द्वारा वसूल किया जाता है। इस कम्पनी से यह अनुबंध 01.10.2017 से 5 वर्ष की अवधि के लिये किया गया है।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, जोकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से टोल टैक्स तथा पर्यावरण क्षति पूर्ति शुल्क Environment Compensation Charge (ECC) वसूल करता है।**

अतः ग्रीन टैक्स कलैक्शन तीनों नगर निगमों द्वारा वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है उपरोक्त के संदर्भ में ग्रीन टैक्स तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति टैक्स परिभाषित करना जरूरी हो जाता है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा उनके पत्र क्रमांक 444 दिनांक 09.08.2018 द्वारा सूचना प्रदान की गई है कि – “ग्रीन टैक्स उन वाहनों से लिया जाता है जिनका परिचालन 10 साल से अधिक/ऊपर हो। कॉपी संलग्न है।

1. Total ECC collected w.e.f. 06.11.2015 midnight upto week ending 5th July, 2018. (Since 06.07.2018, the contractor has not deposited ECC collected)

(i) ECC Collected by M/s SMYR Consortium LLP for the period 06.11.2015 midnight to 01.02.2016 (5.59 a.m.) = **Rs. 87,49,12,000/-**

(ii) ECC Collected by M/s DEP TOLLS LLP for the period 01.02.2016 (6.00 a.m.) to 01.10.2017 (5.59 a.m.) = **Rs. 8,69,81,85,300/-**

(iii) ECC Collected by M/s MEP Infrastructure Developers Ltd. for the period 01.10.2017 (6.00 a.m.) to 05.07.2018 = **Rs. 3,15,87,90,000/-**

**Total Rs. = 12,73,18,87,300/-**

2. Transferred to G.N.C.T.D. **Rs. 10,54,87,79,501/-**
3. Retention from ECC Amount by SDMC @ 1.00 Crore per week (as per directions of Hon'ble Apex Court/EPCA) **Rs. 1,27,00,00,000/-**
4. Amount Retained for RFID Project as per orders of Hon'ble supreme Court dated 22.08.2016 **Rs. = 84,04,77,000/-**
5. Compensation granted by Supreme Court to SDMC vide order dated 07.01.2016 in case M.C. Mehta Vs. Uol & Ors. WP(C) 13029/1085 **Rs. = 7,26,30,799/-**

(ग) **dk; kly; funskd LFkk; h fudk; ] Vky VDI ] i Fkdj foHkkx%**  
उपरोक्तानुसार।

(घ) **dk; kly; funskd LFkk; h fudk; ] Vky VDI ] i Fkdj foHkkx%**  
उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

133- **Jh euftnj fl g fl jlk %** क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :



(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत चाँद नगर में बंजारा कम्युनिटी हॉल स्थित है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहां पर समुदाय भवनों की बहुत कमी है;

(ग) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त कम्युनिटी हॉल में केवल ग्राउंड फ्लोर पर हॉल व कमरा बना हुआ है; और

(घ) क्या यहां के निवासियों की मांग को देखते हुए सरकार से कम्युनिटी हॉल के दूसरी तथा तीसरी मंजिल पर कम्युनिटी हॉल निर्मित करने की योजना पर विचार कर रही है?

'kgjh fodkl ea-h % (क) जी हां यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत चाँद नगर में बंजारा कम्युनिटी हॉल स्थित है।

(ख) जी हां यह सत्य है कि यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अन्य विभागों के समुदाय भवनों की ड्यूसिव के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी हां इस समुदाय भवन में एक हॉल व तीन कमरे हैं, एक नहीं।

(घ) इस कम्युनिटी हॉल पर अभी कोई भी अतिरिक्त मंजिल निर्मित करने का प्रस्ताव विभाग के पास नहीं है।

134- Jh euf t n j fl g fl j l k % क्या ekuuh; 'kgjh vkJ; l q  
kkj ckMZ ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत रघुवीर नगर में घोड़े वाले मन्दिर के समीप खुला कपड़ा मार्किट है;

(ख) क्या यह सत्य है कि ये मार्किट स्लम विभाग द्वारा लगभग 50 वर्ष पूर्व बनाया गया था;

(ग) क्या यह सत्य है कि स्लम विभाग इसकी देखभाल नहीं कर रहा है;

(घ) क्या यह सत्य है कि यह मार्किट टूटी-फूटी और खतरनाक अवस्था में है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि इस मार्किट में व्याप्त गंदगी के कारण वहां दुकानदारी करना अत्यन्त मुश्किल है; और

(च) सरकार मार्किट की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कुछ; 'क' जी हां, यह सत्य है।

(ख) जी नहीं, इस मार्किट को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए सन् 1991 में शुरू किया था।

(ग) नहीं यह सत्य नहीं है। विभाग इस मार्किट की देखभाल कर रहा है।

(घ) यह सत्य नहीं है। मार्किट खतरनाक अवस्था में नहीं है।

(ङ) मार्किट में सफाई के कार्य के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को नियुक्त करने की योजना है।

(च) इस मार्किट की दशा को सुधारने के लिए सरकार योजना बना रही है।

**135- Jh vk̄iɔk'k 'kek̄ %** क्या **ekuuh; mi eɕ; eɔh** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किस-किस योजना के क्रियान्वयन के लिए टाइम-लाइन निर्धारित की गयी है; विभागानुसार जानकारी दें;

(ख) विभिन्न योजनाओं के लिए क्या-क्या टाइम-लाइन निर्धारित की गयी थी तथा इनमें से कौन-कौन सी योजनाओं के लिए टाइम-लाइन के अनुसार कार्य नहीं हुआ;

(ग) टाइम-लाइन के क्रियान्वयन में असफल होने के क्या कारण रहे;

(घ) टाइम-लाइन में विलम्ब का क्रियान्वयन पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है;

(ङ) कौन-कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको कार्यरूप दे पाना संभव नहीं होगा; और

(च) इसके क्या कारण हैं?

**ekuuh; mi eɕ; eɔh %** (क) सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण, 2018-19 के पार्ट-सी में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए टाइम-लाइन निर्धारित की गयी है, जिसका विवरण संलग्नक 'अ' पर है।

(ख) से (च) सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित संलग्नक 'अ' में वर्णित योजनाओं की टाइम-लाइन की समीक्षा समय-समय पर की जा

रही है। इनमें से कुछ योजनाओं की टाइम-लाइन विभागीय विमर्श एवं स्वीकृति के दौरान संशोधित की जा रही हैं। सरकार की कोशिश है कि यथासंभव संशोधित टाइम लाइन में कार्य को पूरा कर लिया जाए।

**l ayXud&^v\***

**ANNEXURE**

### **Transport Department**

#### **Timelines of Electric Buses**

Sl. No.	Activity	Time-line
1.	Approval of Council of Ministers to engage/procure 1000 low floor electric buses through cluster scheme/DTC	By 30th April, 2018
2.	Appointment of Consultant	By 1st June, 2018
3.	Drafting of specification and tender document	By 30th June, 2018
4.	Approval of Council of Ministers for specification and tender document containing the concessional model including incentive, if any.	By 15th July, 2018
5.	Receipt of bids after floating of tenders	By 31st August, 2018
6.	Evaluation of technical submission	By 20th September, 2018
7.	Opening of price bids	By 25th September, 2018

Sl. No.	Activity	Time-line
8.	Approval of Council of Ministers for financial implications to Government towards subsidy	By 31st October, 2018
9.	Issue of Letter of Indent (LoA) and signing of Concession Agreement (s)	By 15th November, 2018
10.	Financial closure of each project	By 28th February, 2019
11.	Supply of buses by the manufacturers to Concessionaire(s)	From 31st March, 2019 onwards, subject to capacity and production of electric buses.

**Transport Department**

**Timeline Schedule for 1000 Standard CNG Buses - DTC**

Activity	Timelines
1. Approval of DTC Board for floating of RFP	08-03-2018
2. Floating of Tender and Publication of NIT in Newspapers	15-03-2018
3. Pre-bid meeting	22-03-2018
4. Issuing of Addendum/Freezing of Bid Document	12-04-2018
5. Last Date of submission of Bids	11-05-2018
6. Opening and Evaluation of Technical Bids, seeking clarification from the Bidders, if any, and determination of Responsive Bidders	08-06-2018

Activity	Timelines
7. Opening of Financial Bids, Evaluation, and justification for the acceptance of L 1 rates	29-06-2018
8. Obtaining Approval of DTC Board of Li rates	13-07-2018
9. LOI +Work Order	20-07-2018
10. Prototype Approval	20-10-2018
11. Arrival of 40 Buses	20-11-2018
12. Arrival of 120 Buses per month over a period of 8 months, that is total 960 buses	20-12-2018 to 20-07-2019

### Transport Department

#### Timelines of 1000 Cluster Buses

Sl. No.	Description	Date
<b>A Current Status</b>		
1	Tender Opening Date for Ouster No. 13,14 (Part), 16A & 16B on e-procurement portal of Govt, of NCT of Delhi	21.02.2018
2	Technical Submissions by Bidders	Under evaluation by DIMTS
3	Target date of submission of Technical Evaluation Report by DIMTS to DoT	26.03.2018
<b>B Activity-wise Timeline</b>		
1	Opening of Price Bid by DoT	By 06.04.2018

Sl. No.	Description	Date
2	Submission of Financial Evaluation Report by DIMTS to DoT	By 16.04.2018
-4	Approval of Cabinet (to be obtained by DoT)	By 30.04.2018
4	Issue of LOA & Signing of Concession Agreement (Action by DoT)	By 31.05.2018
5	Financial Closure of each project	30.08.2018
6	Induction Schedule of Duster Buses	

Sl. No.	Cluster No.	Total Buses	Number of Buses	
			September, 2018 to November, 2018 @ 25% of total buses	December, 2018 to February, 2019 @ 75% of total buses
1	13	350	88	262
2	14(Part)	120	30	90
3	16A	250	63	187
4	16B	280	70	210
		1000	251	749

**Delhi Jal Board/ UD**

**Sewage Treatment Plants:**

Name of Scheme	Capacity of STPs (in MLD)	Length of Sewerage network (in Km.)	Present Status	Land Identification & Preparation of estimate	Invitation of Tenders and award of work	Expected date of completion
A	B	C	D	E	F	G
1. Decentralization of STPs & Sewerage system in Burari area	20.5	86	Tenders invited due on 23/04/2018	Identified and informed to DM (North)	31/07/2018	31/12/2019
2. Decentralization of STPs & Sewerage system in Chattarpur area	22.5	147	Land is being identified	Identified and being finalized	31/08/2018	31/03/2020
3. Decentralization of STPs & Sewerage system in Kirari area	93	423	Land is being identified	31/07/2018	30/11/2018	31/03/2020
4. Decentralization of STPs & Sewerage system in Narela, Zindpur and Palla area	115	350	Land is being identified	31/07/2018	30/11/2018	31/03/2020



A	B	C	D	E	F	G
5. Decentralization of STPs & Sewerage system in Bawana and Kanjhawala area	203	670	Land is being identified	31/07/2018	30/11/2018	31/03/2020
6. Decentralization of STPs & sewerage system in Badarpur area	45	234	Land is being identified	31/07/20	30/11/2018	31/03/2020
7. Decentralization of STPs & Sewerage system in Mundka (Part) area	15	25	Land is being identified	31/07/2018	30/11/2018	31/03/2020
8. 9+5 STPs in Najafgarh Area (Capacity of the STPs shall be finalized after actual flow measurements in the command area)	177	780	Land under acquisition	Work of STPs already awarded. Estimate for internal sewer lines will be finalized by 31/07/2018	For internal Network by 30/11/2018	31/12/2020

**Delhi Jal Board**

**Installation of Bulk Flow Meters:**

Project Details	Location	Present Status	Target Date
A	B	C	D
1. SITC of electromagnetic flow meters and GPS system and inlet RTU for various Rising Mains across Delhi including 5 years Operation & Maintenance (86 Nos. Flow meters)	Inlet and Tapings of Primary UGRs	Letter of Indent issued on 21/02/2018	November, 2018
2. SITC of electromagnetic flow meters to be installed at various UGRs/tapings across rising mains of Delhi Jal Board including 5 years Operation & Maintenance (39 Nos. Flow Meters)	Outlet and Tapings of Primary UGRs	It is being re-invited due to higher rates	December, 2018

A	B	C	D
<p>3. SITC of electromagnetic flow meters at various UGRs/tapings risings mains and outlet of secondary UGRs of Delhi Jal Board for secondary audit including 5 years Operation &amp; Maintenance (2746 Nos. Flow Meters)</p>	<p>For Secondary audit i.e. Inlet, Dutlet and Tapings of secondary UGRs</p>	<p>NIT opened on 07/02/2018. Technical evaluation is being done</p>	<p>December, 2018</p>
<p>4. Supply, Installation, Testing and Commissioning of 120 Nos. Electromagnetic flow meters</p>	<p>Inlet and Tapings of Primary UGRs of Chandrawal and Wazirabad WTPs command area</p>	<p>Detailed estimate and NIT is under preparation</p>	<p>December, 2018</p>
<p>5. Supply, Installation and Commissioning of 13 Nos. Electromagnetic flow meters and GPS system for West Delhi, Rohini and RWS Water mains with 05 years O&amp;M</p>	<p>Inlet and Tapings of Primary UGRs of Haiderpur WTP Ph-II</p>	<p>Work Completed, O &amp; M in progress</p>	

**Health and Family Welfare Department**

**Implementation of Universal Healthcare in Deihi:**

Milestone		Time-Line
A		B
1.	Finalization of RFP	30/04/2018
2.	Floating of RFP	15/05/2018
3.	Last date of receiving bids	30/06/2018
4.	Processing of bids	15/08/2018
5.	Award of Contracts	15/09/2018
6.	Implementation of Scheme	01/12/2018

**Health and Family Welfare Department**

**Aam Aadhmi Mohalla Clinic:**

Sl. No.	Milestone	Time-Line	Status	Nature of Activities Parallel/ Sequential
A		B	C	D
1.	Identification of sites	Nil	Already Identified	Sequential
2.	Allotment of Sites/ Permission from Land	Nil	Permission granted	Sequential

	A	B	C	D
	Owning agencies (530 sites)			
3.	Joint Survey by PWD and CDMOs	30/4/2018	Started	Sequential
4.	Construction by PWD	Six Months (Being a semi permanent structure) after Joint Survey approval i.e. 31/10/2018	Yet to start	Sequential
5.	Provision of Water & Power	By 30/10/2018	Yet to start	Parallel
6.	Procurement of Equipment and Medicines	Nil	Procurement through contract of CPA under DGHS	Parallel
7.	Requirement of Manpower	Four Months from Activity No.4 completion	Yet to start	Parallel

**Health and Family Welfare Department****Implementation of Hospital Information Management System:**

Sl. No.	Milestone	Time-Line	Status	Nature of Activities Parallel/ Sequential
	A	B	C	D
1.	Finalization of Tender Document through IT Department	15/05/2018	Under Process	Sequential
2.	Requisite vetting by concerned Departments	15/06/2018	Yet to start	Sequential
3.	Floating of RFP	30/06/2018	Yet to start	Sequential
4.	Last date of receiving bids	15/08/2018	Yet to start	Sequential
5.	Award of Tender	30/09/2018	Yet to start	Sequential
6.	Development of software	6 months i.e. 01/10/2018 to 31/03/2019	Yet to start	Sequential
7.	Training of Staff in batches of 40	2 months i.e. 01/04/2019 to 31/05/2019	Yet to start	Sequential

	A	B	C	D
8.	Completion of Field Trial	1 month i.e. 01/06/2019 to 30/6/2019	Yet to start	Sequential
9.	Formal Launch of HIMS	01/07/2019	Yet to start	Sequential
10.	Procurement of Hardware (Computers, Printers, Scanners, Lease Line) etc. after award of tender will be initiated simultaneously.	3 months i.e. 01/10/2018 to 31/12/2018	Yet to start	Parallel

**Administrative Reforms Department**

**Implementation of Scheme - Doorstep Delivery of Public Services:**

Milestone	Time-Line
A	B
1. Floating of eTender	01.03.2018 (with effect from 02.03.2018)
2. Pre-Bid Meeting	08.03.2018 (Concluded)
3. Response to queries	14.03.2018
4. Last date of submission of bid	23.03.2018 upto 02.00pm
5. Opening of eTender	23.03.2018 at 03.00pm

A	B
6. Scrutiny of documents submitted in relation to Pre-qualification	03.04.2018 (05 Working days) - Depends on number of bids and their reply to various queries sought by the Committee.
7. Presentation on the Project	06.04.2018 (03 days notice to bidder)
8. Opening of Technical bid	10.04.2018 (one working day)
9. Scrutiny of documents submitted in relation to Technical-qualification and awarding marks by the Committee	17.04.2018 (D5 Working days) - Depends on number of bids and their reply to various queries sought by the Committee before awarding the marks.
10. Opening of Financial bid and recommending the successful bidder by the Committee	19.04.2018
11. Approval of recommendations of the Committee by the Hon'ble Minister	20.04.2018
12. Approval by the Finance Department	25.04.2018
13. Vetting of the draft agreement by the Law Department	27.04.2018
14. Signing of agreement with the successful bidder	01.05.2018
15. Launching of project	15.06.2018 (T+6 weeks as per RFP)



**Education Department****CCTV Cameras in Schools by PWO:**

Sl. No.	Milestone	Time-Line
		A
1.	Submission of Preliminary Estimates	07/04/2018
2.	Issue of A/A & E/S	22/05/2018
3.	Award of Work	15/06/2018
4.	Start of Work	15/07/2018
5.	Completion of Work	15/01/2019

**Food & Supplies Department****Implementation of scheme on Doorstep Delivery of Ration:**

Sl. No.	Milestone	Time-Line
		A
1.	Obtaining consents of beneficiaries for whole wheat atta through FP5 in atleast one cycle of distribution of foodgrains	30 days
2.	Compilation of the consents by the Department	07 days
3.	Finalization of terms of reference for appointment of consultants and its approval from Finance Department (Parallel to the process of obtaining consents)	10 days

A	B
4. NIT for appointment of consultant	21 days
5. Process of finalization of bid from the Finance Department (Parallel to the process of obtaining consent)	10 days
6. Preparation of RFP by the consultant	30 days
7. Vetting of RFP from Finance, Law, Food Safety, IT and Planning Department	15 days
8. Tender for appointment Of service provider (Pre-bid conference after 10 days)	21 days
9. Processing of bids, approval of Departments and award of work	15 days
10. Amendment to the Delhi Specified Control Order, 1981	Parallel to the consent and tender process
11. Time required by the Service provider for delivery of service on the doorstep, which need engagement of transporters, setting up of godown/storage facility, milling & packaging unit and engagement of manpower	Time Line as provided in RFP by the consultant

**136-** Jh fo tñz xqrk % क्या ekuuh; mi eq; ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान पेश किये गये बजट में

घोषित किस-किस विभाग की कितनी-कितनी योजनाओं पर काम प्रारंभ नहीं हो सका है;

(ख) इन योजनाओं पर काम प्रारंभ न हो पाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन योजनाओं के लिए सरकार द्वारा प्रति योजना कुल कितनी राशि आबंटित की गई थी;

(घ) क्या सत्य है कि सरकार ने योजना संबंधी जानकारियों जैसे योजना, आबंटित राशि, व्यय की गई राशि तथा योजना की प्रगति वेबसाइट पर डालनी बंद कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार उपरोक्त जानकारी पुनः नेट पर उपलब्ध कराने का विचार कर रही है?

कुछ विभागों (क) से (ग) बजट 2017-18 में घोषित योजनाओं के विषय में कुछ प्रमुख विभागों में काम प्रारंभ न होने की जानकारी संलग्नक 'क' में उपलब्ध है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) लागू नहीं।

l ayXud ^d\*

ctV 2017&18 ea ?kS"kr ; lSt ukvka ds fo"kr; ea dke iXjk u  
gksus dh foMkx&okj tkudkjH fufufyf[kr gs

क्र. सं.	वर्ष	विभाग	योजना का नाम	प्रारंभ न होने के कारण	आवृत्ति राशि
1	2	3	4	5	6
1.	2017&18	i ; Mu foMkx	"गार्डन ऑफ फाइव सेंसस" में रात्रि-हब और लक्जरी-भोजन की सुविधा स्थापित करने	डीडीए से यह पता चला है कि 'मास्टर प्लान दिल्ली-2021' के अनुसार, इस क्षेत्र का भूमि उपयोग क्षेत्रीय पार्क के लिए है।  'मास्टर प्लान दिल्ली-2021' के प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्रीय पार्क के रूप में नामित क्षेत्र का उपयोग केवल "रिज, आवासीय प्लैट (वाच और वार्ड के लिए), पिकनिक हट, पार्क,	रु. 50.00 लाख

1	2	3	4	5	6	
				शूटिंग-रेंज, जूलॉजिकल-गार्डन, पक्षी-अभयारण्य, बोट निकल-गार्डन, स्थानीय सरकारी कार्यालय (खरखाव), ओपन एयर थिएटर, पुलिस पोस्ट, फायर पोस्ट, ऑर्चर्ड, प्लांट नर्सरी और वन के लिए होगा।		
				इसके अनुसार, मौजूदा मास्टर प्लान दिल्ली-2021 के तहत गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में रात्रि-हब की सुविधा स्थापित करना संभव नहीं है।		
2.	2017&18	i ; Mu folkx	पांच किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास इकोलोजिकल रिवर फ्रंट वजीराबाद के अपस्ट्रीम में बनाना।	यमुना नदी के साथ वजीराबाद से जैतपुर तक चार चरणों में नदी के विकास के लिए, डीडीए एक अग्रणी एजेंसी है। चूंकि नदी डीटीडीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और	रु. 50.00 करोड़	

डीडीए पहले से ही इस योजना पर काम कर रही है जिसके चलते अब तक डीटीटीडीसी को कोई काम नहीं सौंपा गया है।

यमुना नदी के रिवरफ्रंट योजना के तहत एक ऐसी जगह का निर्माण करना जो लोगों को प्रकृति और यमुना नदी से जुड़ने की प्रेरणा दे।

1. 2017&18 **ou**  
**folklx**

राजोकारी में बर्ड एवं वाइल्ड रेस्क्यू सेंटर की योजना का प्रस्ताव 1.24 एकड़ जगह, जो कि पहले बंदरों के आश्रय के लिए था, वहां प्रस्तावित किया गया। RMB से अनुमोदन के बाद यह प्रस्ताव सेंट्रल एमपावर्ड कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है।

1. 2017&18 **ifjogu**  
**folklx**

मेट्रो फेज-IV प्रस्ताव केन्द्र एवं दिल्ली सरकार के विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6
2.	2017&18	ifjogu foMkx	मेट्रो यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए 582 अतिरिक्त रोलिंग स्टॉक खरीदना।	प्रस्ताव केन्द्र एवं दिल्ली सरकार के विचाराधीन है।	—
1.	2017&18	LoMf;	2017-18 में हैल्थ कार्ड तथा यूनिवर्सल हैल्थ केयर इन दिल्ली योजनाओं का प्रारंभ नहीं हो पाया	हैल्थ कार्ड में कौन-सा डेटा कैप्चर किया जायेगा इसका निर्णय 2017-18 में नहीं हो पाया। इसका निर्णय 19.04.2018 को लिया गया। हैल्थ कार्ड का इस्तेमाल किन चीजों के लिए किया जायेगा इसका निर्णय 23.05.2018 को लिया गया। 28.06.2018 को निर्णय लिया गया कि आरएफपी बनाने के लिए कंसल्टेंट की सेवा ली जायेगी। डाफ्ट आरएफपी तैयार कर लिया गया है।	रु. 20 करोड़

यूनिवर्सल हेल्थ केयर इन दिल्ली में योग्यता, इंशोरेंस कवर तथा आरएफपी तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी का गठन दिनांक 18.12.2017 को प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की दी गई यूनिवर्सल हेल्थकेयर इन दिल्ली तथा आयुष्मान भारत को समन्वय करने के पश्चात् उच्च स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी अनुशंसा दिनांक 15 जून, 2018 को दिया। आयुष्मान भारत योजना तथा यूनिवर्सल हेल्थकेयर इन दिल्ली की संधि के लिए भारत सरकार के एमओयू हस्ताक्षर की अनुमति के लिए फाइल वित्त, योजना तथा विधि विभाग को भेजा गया। वित्त तथा

---



1	2	3	4	5	6
				योजना विभाग से अनुमति मिल चुकी है तथा विधि विभाग से अनुमति मिलना शेष है।	
1.	2017&18	f'k'kk	माध्यमिक विद्यालय के लिए 400 नए पुस्तकालय खोलना।	योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है क्योंकि लोक निर्माण विभाग कार्य नहीं कर सका।	रु. 15 करोड़

**137-** Jh I kœukFk Hkkjrh % क्या ekuuh; foUk eæh यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'कैपिटल' प्रकृति के उन सभी कार्यों की सूची एवं उनके नाम, लागत, उद्देश्य के विवरण सहित उपलब्ध कराएं जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किए गए हैं;

(ख) इस सरकार की 'सीसीटीवी योजना' की क्या स्थिति है;

(ग) तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अभी तक यह क्यों नहीं पूरा किया जा सका;

(घ) वर्तमान सरकार की 'मोहल्ला क्लीनिक योजना' की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) सरकार पूरी दिल्ली में 1000 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करने का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगी;

(च) दिल्ली के विधायकों का वर्तमान वेतन-ढांचा क्या है; और

(छ) दिल्ली विधान सभा के विधायकों के वेतन में वृद्धि संबंधी अनुरोध की क्या स्थिति है?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

**fo'kšk mYyſk űu;e & 280½**

Jh xykc fl g% अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने 280 में हमें अपनी बात रखने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय को रख रहा हूँ, ये इस सदन के सभी मैम्बर्स उससे अवगत हैं और रोज़ाना अपने-अपने कार्यालय में जब हम बैठते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है और वो है—नये राशन कार्ड न बनना और जो नाम ऐड होने हैं, उनको लेकर एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है। अभी पीछे जब बॉयोमैट्रिक मशीनें लगी थी तो प्रत्येक विधानसभा में 15 से 20 प्रतिशत नाम काटे गये थे। राशन कार्ड डिलीट हुए थे। उसमें स्पेस निकला था लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है। मेरे यहाँ पे खुद बॉयोमैट्रिक मशीन लगने से पहले 753 नाम ऐड होने थे लेकिन दिल्ली की सबसे बड़ी सीट होने के बावजूद भी वहाँ पे एक भी राशन का दफ़्तर नहीं है। पूरी विधानसभा के अंदर सैक्टर-20 द्वारका में जाना पड़ता है। आप सोचिएगा कि गुड़गांव हरियाणा बार्डर दोराला गाँव पड़ता है; वहाँ से 35 किलोमीटर दूर पड़ती है द्वारका, पहले वो वहाँ से नजफगढ़ जायेगा, 15 किलोमीटर वहाँ से एक और बस बदलेगा; द्वारका मोड़ आयेगा; वहाँ से फिर एक और बस पकड़ेगा जो वहाँ पर सैक्टर-20 द्वारका छोड़ेगी, यानी कि तीन बसें बदल के वो राशन-कार्ड के आफिस में जाता है और वहाँ पे इंस्पेक्टर नहीं है, जिसको नाम ऐड करने हैं। एक इंस्पेक्टर था; उसने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर कह दिया, “भई, मैं काम नहीं कर पाता, भले ही आप जिससे मर्जी बात कर लें।” इसको लेकर मैंने मंत्री जी से कई बार मुलाकात करी। मंत्री जी को कई सारे पत्र लिखे कि सर, हमारे यहाँ नाम ऐड होने हैं और जो नया स्पेस निकला; पूरे दिल्ली के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। जब ये बॉयोमैट्रिक मशीनें लगी थी तो बहुत सारे राशन कार्ड डिलीट कर दिये गये थे; नाम काटे गये थे। लेकिन पिछले तीन साल में नये राशन

कार्ड ना बनना व राशन में नये नाम का ऐड ना होना, हर रोज हमारे पास ऐसे गरीब लोग आते हैं; बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है।

मेरा आपसे निवेदन है, सदन में पहले भी ये बात उठ चुकी है। इसको लेकर गंभीरता से एक दिन चर्चा जरूर करवा ली जाये और मंत्री जी से इस बारे में बात की जाये। क्योंकि नये राशन कार्ड में नाम ऐड होना और राशन कार्ड न बनने की वजह से रोज़ाना विधायकों को सुनना पड़ रहा है। हर तीसरे दिन... कितनी बार मंत्रीजी से मिले, खूब चिट्ठियाँ लिख चुके हैं; उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो मेरे आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर गंभीरता से...

ekuuh; v/; {k% गुलाब जी, जो आपने दिया है, आप उसके अतिरिक्त बोल रहे हैं।

Jh xgyc fl g% सर, अतिरिक्त इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वरना बड़ा बर्निंग इशु है।

ekuuh; v/; {k% नहीं, विषय बिल्कुल अलग हो गया।

Jh xgyc fl g% सर, यही लिखा है मैंने।

ekuuh; v/; {k% हाँ।

Jh xgyc fl g% यही लिखा है सर, आपके पास शायद... पर्चा मेरे टेबल पे पर्चा यही है।

ekuuh; v/; {k% मेरे पास — परिवहन बस सेवा का प्रयोग करते हैं...

**Jh xgkc fl g%** सर, मेरे पास पर्चा नहीं है। कोई आपके तरफ से, मेरी तरफ से, मुझे लगा यही है।

**ekuuH; v/; {k%** नहीं।

**Jh xgkc fl g%** तो मैं वो बोल देता हूँ जो आप बता रहे हो सर। सर, वो क्यू शेल्टर की बात होगी सर उसमें। सर बस क्यू-शेल्टर की बात है मैं वही बोल देता हूँ, दो मिनट में खत्म कर देता हूँ। तो सर, उसमें... ये इशू भी बहुत जरूरी है सर।

**Ekkuuh; v/; {k%** मैं बोल रहा हूँ। कल अजय दत्त जी का भी मैंने बोला था; आज आपका भी मैं बोल रहा हूँ। बैठिए।

**Jh xgkc fl g%** माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका ध्यान मटियाला विधान सभा के बस के द्वारा सफर करने वाले उन यात्रियों की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो प्रतिदिन हमारी दिल्ली परिवहन बस सेवा का प्रयोग करते हैं, जिन्हें आज भी इस बस के इंतजार में खड़े होने के लिए बस शैल्टर उपलब्ध नहीं हुए हैं। मैंने कई बार माननीय परिवहन मंत्री जी को इस संदर्भ में पत्र के माध्यम से तलब किया परन्तु इस विषय पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आज आपका विषय था। आप उसको दूसरी ओर ले गए।

**Jh xgkc fl g%** ठीक है सर, आपने बोला; उसमें मैं एक ही बात ऐड कर रहा हूँ कि मंत्री जी, बस आ ही गई हैं, परिवहन मंत्री आ गए हैं कि इसके ऊपर थोड़ा हमने चिट्ठियाँ लिखी हैं और एक साल के आस-पास का समय हो गया है कि भई हमारे एमएलए फंड से वो बनाए

जाएँ— बस क्यू शैल्टर; 10 के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अभी तक भी उसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है और दूसरा, कि दिल्ली सरकार की तरफ से इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, मंत्री जी आ गए हैं, बड़े परेशान हैं... बता दें तो अच्छा रहेगा।

**Ekkauh; v/; {k%** पिछली बार बातचीत हुई थी। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, उसमें क्या प्रगति है जरा बताएँ।

**Jh xgyk fl g%** हाँ, बता दें तो अच्छा रहेगा, सब सुनना चाहते हैं।

**Ekkauh; v/; {k%** हाँ, बताइए।

**Ekkauh; ifjogu eah %Jh d%yk'k xgyk-%** सर, इसमें दो इशूज हैं, जितनी भी रिक्वेस्ट एमएलए से आई थी कि वो बस क्यू शैल्टर एमएलए फंड से लगवाना चाहते हैं, वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करके यूडी में भेज दी गई है। अब अगर माननीय मंत्री बैठे हैं अर्बन डवलपमेंट के तो वो सर, जब तक वहाँ से पैसा रिलीज नहीं होगा, एमएलए फंड से तो तब तक सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं बना पाएगा। तो ये तो इशू हुआ कि जितने भी एमएलए रिक्वेस्ट दी थी एमएलए फंड की। जो दूसरा इशू था कि सरकार बस क्यू शैल्टर कब तक बना पाएगी, सर, जैसा इस सदन के समक्ष रखा था और जो ऐश्योरेंस दिया था, सर डिजाइन कम्पीटिशन के लिए कन्सलटेंट लाने के लिए टैंडर जो है, वो बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। मेरे ख्याल से या तो आज या कल अपलोड हो जाएँगे और सीएम साहब से भी... सर, बात हुई कि जितना भी पैसे की जरूरत होगी, वो दिल्ली सरकार उसको देगी सर और एमएलए फंड भी बढ़ गया सर।

**Ekuuh; v/; {k%** श्री संदीप कुमार जी। जो विधायक देर से आए हैं, उनको जानकारी दे दें, आज शहरी विकास मंत्री, माननीय जैन साहब ने, हमारे उप मुख्य मंत्री साहब ने एमएलए फंड 10 करोड़ रुपए करने की घोषणा सदन में कर दी है। अब बस स्टैंड आप लगवा सकेंगे। माननीय उप मुख्य मंत्री ने की थी।

...(व्यवधान)

**Jh vkeizdk'k 'kek%** मैं एक निवेदन कर रहा हूँ; कोई एजेंसी लिंक कर दी जाए।

**Ekuuh; v/; {k%** चलिए, करते हैं बात। चलिए।

...(व्यवधान)

**ekuuh; v/; {k%** अब सावधान! संदीप कुमार जी। ये माइक... संदीप कुमार जी।

**Jh l nhi dɛkj%** अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा का...

**Ekuuh; v/; {k%** फोर प्लस सिक्स टोटल टेन। चलिए।

**Jh l nhi dɛkj%** अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा में बहुत बड़ा प्लॉट पड़ा है डीडीए का, जिसमें जो है मास्टर प्लान में उसमें एक कॉलेज था डिग्री कॉलेज, एक हॉस्पिटल और एक पेट्रोल पंप और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स। स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स का काम तो डीडीए ने प्रारम्भ कर दिया है, हमने उसमें माननीय शिक्षा मंत्री को कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं

डिपार्टमेंट को, वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज बनना है, क्योंकि वो एरिया, वहाँ पर कांग्रेस का 22 साल तक विधायक रहा; उन्होंने रामलीला के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं किया, रामलीला के लिए इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जो बेसिक नीड थी वहाँ के आसपास के क्षेत्र की; वहाँ पर डिग्री कॉलेज बनना चाहिए था जिसके लिए जमीन भी अलोकेट की गई थी। तो जब हमने डीडीए में बात की तो कई बार उनसे मुलाकात हुई, पत्र व्यवहार हुआ तो उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हमें लिख दे जमीन के लिए तो हम लोग आपको कॉलेज के लिए जमीन नोमिनल अमाउंट पे... जो भी तय होता है, उस पे दे देंगे।

तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, हमने कई बार शिक्षा मंत्री जी को लिखा है। तो इस विषय में कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? लिखा गया या नहीं लिखा गया? तो अभी तो हैं नहीं, शिक्षा मंत्री जी। तो अध्यक्ष जी, मैं चाहूँगा इसमें एक कॉपी हमें मिल जाए जवाब की कि इसमें क्या उचित कार्रवाई हुई है ताकि वहाँ के लोगों को एक बेहतर सुविधा मिल सके और डीडीए से दिलवाने की गारंटी मैं लेता हूँ; अगर ये पत्र व्यवहार करते हैं उनके पीछे हम पड़े हुए हैं, पूरी जनता को लेके गया था, मैं वहाँ हजारों लोगों को लेके गया था वहाँ पर। अगर वहाँ डिग्री कॉलेज बनता है तो वहाँ के आने वाले भविष्य के लिए वो अच्छा रहेगा, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

**Ekkuuh; v/; {k% धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गर्ग जी।**

**Jh fotbnz xx% शुक्रिया अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-280 के तहत बोलने का अवसर दिया।**



अध्यक्ष जी, आज हमारी सरकार दिल्ली में गरीबों को घर-घर राशन पहुँचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है और उस एक जन-हित के कार्य में मोदी जी की केंद्र सरकार के द्वारा एलजी के माध्यम से अड़चनें लगाई जा रही हैं। ऐसे समय में मैं राशन कार्ड से संबंधित एक विषय उठाना चाहता हूँ जो हमारे गुलाब भाई अभी राशन कार्ड का विषय उठा रहे थे, मैं उन्हीं की बात को भी इसमें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, दिल्ली में ऐसे बहुत से गरीब परिवार हैं जिनको राशन की सुविधा मिलनी चाहिए; बीपीएल कैटेगरी के तहत। लेकिन वो इस सुविधा से वंचित हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर राशन कार्ड बनाने पर कैंपिंग लगी हुई है, नये राशन कार्ड बनाए नहीं जा रहे और हजारों-हजार परिवार आज उस राशन की सुविधा से वंचित है। अध्यक्ष जी, मैं अपनी दिल्ली सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर केंद्र की सरकार द्वारा कोई कैंपिंग लगाई गई है तो दिल्ली की सरकार जिस तरह से बिजली में गरीबों को सब्सिडी दे रही है, पानी के बिल माफ कर रही है, पेंशन की नित नई योजनाएँ लेके आ रही है, जैसा अभी समाज कल्याण मंत्री जी ने आज बताया कि जो विक्लांग पेन्शन है, उसको भी ढ़ाई हजार रुपए ही रखा गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार उन गरीबों की तरफ भी ध्यान करते हुए और ये जो कैंपिंग की केंद्र सरकार की सीमा है, इसको दिल्ली के लिए खत्म करें और उसके लिए कोई सब्सिडी का अगर प्रावधान है तो दिल्ली सरकार अपने बजट से उसको पूरा करके दिल्ली के अंदर जो राशन कार्ड नये बनाने के लिए रोक लगा दी गई है, उसको पुनः चालू करें ताकि गरीब लोगों को दिल्ली के अंदर राशन की सुविधा मिल सके, धन्यवाद, जयहिन्द जय भारत।

**Ekkauh; v/; {k%** श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

**Jh fotshnz xqrk%** धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर पिछले साढ़े तीन साल में एक भी नई बस जोड़ी नहीं गई है। डीटीसी की हालत बहुत खराब है; हजारों ड्राइवर, कंडक्टर खाली बैठे हैं और इस बीच में सरकार ने एक हजार के करीब लो फ्लोर बसें एक प्राइवेट कम्पनी से जेबीएम ऑटो लिमिटेड से किराए पर लेने की योजना बनाई है; लगभग 70 लाख रुपए लो फ्लोर बस की कीमत है और उस पर पाँच करोड़ रुपया दस साल में किराया दिया जाएगा, सीएनजी भी सरकार की होगी, कंडक्टर भी सरकार का होगा, जो जीएसटी का मामला है, वो भी सरकार का होगा और उसके अलावा उनको पार्किंग आदि की व्यवस्था में भी सहयोग किया जाएगा और एक प्राइवेट आदमी के साथ सरकार को—ऑनर बनेगी।  
XXX<sup>1</sup>

...(व्यवधान)

**Jh fotshnz xqrk%** क्या हुआ?

...(व्यवधान)

**Jh fotshnz xqrk%** क्या हो गया?

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** विजेन्द्र जी।

**Jh fotshnz xqrk%** हुआ क्या? क्या हो गया?

---

<sup>1</sup>अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार चिन्हित अंश सदन की कार्यवाही से निकाले गये।

**Ekkuuh; v/; {k%** विजेन्द्र जी, जो कुछ 280 में आपने लिख के दिया है।

**Jh fotbnz xqrk%** अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे आपने मौका दिया है। आपने एक हजार लो फ्लोर बसें...

**Ekkuuh; v/; {k%** देखिए, मेरी बात सुनिए, 280 में जो कुछ आपने लिखके दिया है, उससे बाहर आप जा रहे हैं टोटल।

**Jh fotbnz xqrk%** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान परिवहन मंत्री द्वारा प्राइवेट कम्पनी मैसर्स जेबीएम ऑटो लिमिटेड से 1000 लो फ्लोर बसें 14,000 रुपए प्रति दिन किराये पर लेने की योजना की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस योजना के अंतर्गत कम्पनी को 4.20 लाख रुपये प्रति मास किराया दिया जाएगा, जो कि पूरे वर्ष में 50.40 लाख आता है। इस प्रकार 10 वर्ष में 70 लाख रुपये की बस पर सरकार लगभग 5 करोड़ रुपये प्राइवेट कम्पनी को देगी। कम्पनी की यह भी शर्त स्वीकार की गई है कि कन्डक्टर का वेतन, सीएनजी पर व्यय तथा जीएसटी सहित सभी कर सरकार द्वारा वहन किये जाएँगे। यह अजीबो-गरीब शर्त भी स्वीकार की गई है कि इन बसों का पंजीकरण डीटीसी और जेबीएम कम्पनी के नाम में होगा। चूंकि डीटीसी इन बसों की सह-मालिक होगी तथा परमिट डीटीसी के नाम में होगा, इन बसों को 10000 प्रति मास, प्रति बस की फीस से भी मुक्त रखा जाएगा।

मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इस योजना को रद्द किया जाए, जिससे कि सरकार के राजस्व को भारी नुकसान से बचाया जा सके।

**Jh fotḡnz xḡrk%** ये मामला, गम्भीर मामला है।

**Jh fotḡnz xḡrk%** XXX<sup>2</sup>

**Ekkauh;** v/; {k% आपको मैं इसीलिए बार-बार कहता हूँ आप लोगों ने दिल्ली के अफसरों को सिर पर चढ़ाकर दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दिया है... दिल्ली के अफसरों को सिर पर चढ़ाकर।

**Jh fotḡnz xḡrk%** मेरा ये कहना है कि डीटीसी परिवहन मंत्री...

**Ekkauh;** v/; {k% अफसरों को सिर पर चढ़ाकर बर्बाद कर दिया है।

**Jh fotḡnz xḡrk%** कि ये योजना...

**Ekkauh;** v/; {k% बिल्कुल बर्बाद कर दिया।

**Jh fotḡnz xḡrk%** XXX

...(व्यवधान)

**Ekkauh;** v/; {k% बैठिए-बैठिए अब हो गया है। अरे! आपने पूरा पढ़ दिया ना।

...(व्यवधान)

**Jh fotḡnz xḡrk%** मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, ये बोलने नहीं दे रहे।

...(व्यवधान)

**Ekkauh;** v/; {k% हो गई बात पूरी, जितना इसमें लिखा है, पूरा पढ़ दिया आपने। जितना इसमें लिखा है, पूरा पढ़ दिया।

---

<sup>2</sup>अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार चिन्हित अंश सदन की कार्यवाही से निकाले गये।

...(व्यवधान)

**Jh fotɔnz xɔrk%** अजीबो-गरीब शर्त स्वीकार की गई है। इन बसों का पंजीकरण डीटीसी और...

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** एक सेकण्ड, एक सेकण्ड जो विजेन्द्र गुप्ता जी ने इस विषय के अलावा बोला है वो कार्यवाही से निकाल दीजिए।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** उसको कार्यवाही से निकाल दीजिए इसके अलावा जो बोला है वो कार्यवाही से निकाल दीजिए।

...(व्यवधान)

**Jh fotɔnz xɔrk%** XXX

**Jh vke izk'k 'kek%** देखिए, आपके आदमी पाँच-पाँच पेज बोलते हैं।

**Ekkuuh; v/; {k%** कोई बात नहीं, बैठिए।

**Jh vke izk'k 'kek%** क्यों, सारा काम अपने हिसाब से करोगे आप?

**Jh fotɔnz xɔrk%** हमारा ये कहना है कि ये जो स्कीम बनाई है ये रद्द की जाए। इसके ऊपर सरकार बताए और जो...

**Ekkuuh; v/; {k%** आप बोलिए जो मर्जी आए, आप इस स्कीम को लेकर...

**Jh fotʒnz xqrk% XXX**

**Ekkuuh; v/; {k%** चलिए, बैठिए अब।

**Jh fotʒnz xqrk% XXX**

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** विजेन्द्र जी, आपको मार्शल्लस बुलाकर निकालने की आदत पड़ गई है। ये कोई तरीका है!

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** क्यों जगदीश जी अफसरों को फिर आप ही कहोगे, काम नहीं हो रहा है। आप ही कहोगे कि काम नहीं हो रहे हैं इन अफसरों को इतना सिर पर चढ़ा लिया है विजेन्द्र जी ने।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** ये अपने काम करवा आते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट सुना रहे हैं ये...

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** और आप सिर पर चढ़ा रहे हैं अफसरों को। मंत्री से कह रहे हैं माफी माँगे अफसरों से। ये वहाँ बैठे थे क्या?

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** नहीं, ये वहाँ बैठे थे, मैं पूछ रहा हूँ? उस मीटिंग में बैठे थे ये? नहीं जगदीश जी, नहीं ये तमाशा नहीं चलेगा। नहीं, आप बैठे थे वहाँ? आपने बोला कैसे ये मंत्री जी माफी माँगें बैठ जाइए आप, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** ये 280 में जो कुछ विजेन्द्र जी ने लिखकर दिया था, उसके अलावा बाकी जो बोला है, कार्यवाही से निकाल दें।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** छोड़िए।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** न, बिल्कुल ठीक नहीं हैं।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** न, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप... ठीक नहीं है बिल्कुल भी।

...(व्यवधान)

**v/; {k egkn; %** हाँ, कोई बात नहीं।

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** आप अफसरों को भड़काकर बार-बार कोर्ट में... कोर्ट में भेजें, बार-बार कोर्ट में भेजें। कोर्टों में जाएं अफसर, आपके इशारे पर कोर्टों में जाएं, आपके इशारे पर कमिटी को कोर्ट में जाना पड़े, विधानसभा को कोर्ट में जाना... आपके इशारे पर जा रहे हैं अफसर।

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** आपके इशारे पर अफसर कोर्ट में जा रहे हैं। मैं इसीलिए परेशान हूँ।

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** हाँ, मैं उत्तेजित हो रहा हूँ, इसीलिए उत्तेजित हो रहा हूँ।

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** हाँ, हो रहा हूँ क्या बात है? कोई दिक्कत नहीं।

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** मुझे मालूम है। मुझे मालूम है।

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** क्या करना पड़ रहा है!

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** बैठिए।



...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** बैठ जाइए, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** कर लीजिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लीजिए... कोई बात नहीं लीजिए, जितना मर्जी आए, समय लीजिए कोई दिक्कत नहीं।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** बैठिए—बैठिए प्लीज। बैठिए जगदीप जी बैठिए।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** बैठिए प्लीज, बैठिए।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** बैठिए जगदीप जी, बैठिए, ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** बैठिए प्लीज, बैठिए। जगदीप जी, बैठिए—बैठिए।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** बैठिए प्लीज। बिहार में 32 बच्चियाँ पकड़ी गई, माफी मंगवा लो उनके लिए। 32 बच्चियां वहाँ बिहार में पकड़ी गई रेप करती हुई, माफी मंगवा लो उनके लिए।

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** माफी मंगवा लीजिए उनसे, माफी मंगवाइए, केन्द्रीय मंत्री से माफी मंगवाइए।

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** बिहार में 32 बच्चियाँ... नहीं सुनाई देगा, वो सुनाई नहीं देगा आपको। बैठिए, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** विजेन्द्र जी, बैठ जाइए प्लीज।

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** ये सस्ती लोकप्रियता है। ये बहुत सस्ती लोकप्रियता है और ये दिल्ली को तबाह कर रही है। क्या बात करते हो आप? आप वहाँ बैठे हुए थे?

...(व्यवधान)

**v/; {k egkn; %** आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** किसलिए? चलिए, बैठिए, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** मैं विजेन्द्र जी को चेतावनी दे रहा हूँ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ या तो बैठ जाइए... मुझे मजबूर होना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** किसलिए माफी मंगवाएं? किसलिए?

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** ये आपका विषय ही नहीं है। ये गुंडागर्दी है।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** ये गुंडागर्दी है आपकी, विषय नहीं है आपका। विषय ये था जो आपने लिखा है इसमें।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** एक लाइन लिखी है आपने इसमें?

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** एक लाइन लिखी? बैठिए। मैं माननीय सदस्यों को और विशेषकर मीडिया के बंधुओं को जो विजेन्द्र जी ने लिखा है, उसको अक्षर-अक्षर पढ़कर सुना रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान...

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** अब चुप हो जाइए आपका 280 पढ़ रहा हूँ। सरकार का ध्यान परिवहन मंत्री द्वारा प्राइवेट कंपनी मैसर्स...

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** मार्शल्लस विजेन्द्र जी को बाहर निकालें। मेरे बार-बार प्रार्थना करने पर... 280 का अर्थ ये नहीं है गुंडागर्दी करना। चलिए, बाहर चलिए विजेन्द्र जी, चलिए। आप चाहते ही यही हैं।

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** ना, छोड़िए।

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** ले जाइए बाहर।

...(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री विजेन्द्र गुप्ता को मार्शल्लस द्वारा बलपूर्वक सदन से बाहर निकाला गया।)

**Ekkauh; v/; {k%** कोई बात नहीं मैं गलत कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अगर शांति से सुन सकते हो तो बैठ जाइए, नहीं, जाइए। मैं बता देता हूँ: गलत कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। आप बैठ जाइए, बैठिए।

...(व्यवधान)

**Ekkauh; v/; {k%** बैठिए प्लीज, बाजपेयी जी, बैठिए।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k% बैटिए, बैटिए। बैटिए, बैटिए।**

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k% कोई बात नहीं।**

(माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा और श्री जगदीश प्रधान द्वारा  
विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन)

**Ekkuuh; v/; {k% 280, श्री शिव चरण गोयल जी।**

**Jh f'ko pj.k xks y% अध्यक्ष जी, धन्यवाद।**

मोती नगर विधान सभा में एक हॉस्पिटल है; आचार्य भिक्षु, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। पिछले तीन साल से हर महीने आरजीएस की मीटिंग होती है और वहाँ पर एमसीडी से रिलेटिड इतने इश्यू हैं जिसको लेकर एमसीडी कोई सुनवाई नहीं कर रही। वहाँ पर अन्दर कुत्ते बहुत क्वान्टिटी में पहुँच चुके हैं जिसकी वजह से वहाँ पेशेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है और हॉस्पिटल के बाहर रेहड़ियों, वहाँ पर ई-रिक्शा इल्लीगल वहाँ पर गाड़ियाँ... पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। यदि कोई पेशेंट एम्बुलेंस से आना चाहे तो वहाँ पर एक ही रोड है; टांगा स्टैंड से एक सड़क आती है मोती नगर के अन्दर तो वो एम्बुलेंस आधे-आधे घण्टे तक भी नहीं पहुँच सकती। जिससे वहाँ पर पेशेंट को बहुत दिक्कत है और कोई एम्बुलेंस आना चाहे तो मेरा ख्याल घण्टों नहीं पहुँच सकते। जिसकी वजह से पिछले तीन साल से एमसीडी को रिमाइंडर पे रिमाइंडर दिए जा रहे हैं। लेकिन एमसीडी के कान पर कोई जूँ नहीं रेंग

रही। तो मेरी आपसे विनिती है अध्यक्ष जी, इसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई करवाकर और जो वहाँ 4-500 पेशेंट रोज आते हैं; उनके रख-रखाव का पूरा जिम्मा हमारा बनता है। इसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई करें।

श्री बग्गा जी।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान डीएवी पब्लिक स्कूल, सुख विहार की तरफ दिलाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास स्कूल के बच्चों के माता-पिता जो 500 के करीब लोग थे। उन्होंने बताया कि डीएवी पब्लिक स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है; फीस भी बढ़ाकर ले रहा है तथा 2014-15 का मैटर कोर्ट में है, उसकी भी वसूली जबरदस्ती कर रहा है। स्कूल की छत पर कमरे बनाए हुए हैं जिनकी टिन की है; बच्चे गर्मी में बैठते हैं; पंखे चलते नहीं। खुद लाइट बंद कर देते हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं। पीने का पानी भी नहीं है। माता-पिता को टीचर से मिलने नहीं दिया जाता। माता-पिता भी परेशान है। प्रिंसिपल ने पूरी गुंडा-गर्दी मचा रखी है। कहती है, "जो करना है, कर लो।" स्कूल की जगह डीडीए ने दी है। बच्चों से बिल्डिंग फंड लेकर स्कूल की इमारत बनी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि डीएवी पब्लिक स्कूल में एसएमसी बनवाई जाए जिससे बच्चों के माता-पिता को स्कूल में जाने की स्वतंत्रता हो तथा स्कूल के बारे में पूरी जानकारी मिले, जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। माता-पिता डीएवी पब्लिक

स्कूल, सुख विहार में जा नहीं सकते। प्रिंसिपल का और टीचर का व्यवहार बहुत गलत है। इस स्कूल की खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तथा स्कूल की मान्यता रद्द करके दिल्ली सरकार इस स्कूल को टेक ओवर करे। इस स्कूल की रोज मेरे पास शिकायतें आती हैं। इस स्कूल का ऑडिट करवाया जाए। यहाँ से फंड निकालकर दूसरी जगह पर स्कूल बनाए जा रहे हैं, धन्यवाद।

**ekuuH; v/; {k% गिरीश सोनी जी।**

**Jh fxjh'k I kult%** धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने 280 के तहत बोलने का मौका दिया। मेरी क्षेत्र की एक खास समस्या बहुत समय से चली आ रही है; पानी की समस्या। उस पानी की समस्या में जब पानी की कमी थी दिल्ली में तो मैंने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि पानी की अभी कमी है; पीछे हरियाण से पानी नहीं आ रहा और पानी की बेहद कमी है जिस तरह से समाचार-पत्रों में, प्रिंट मीडिया में भी जब आ रहा था तो उसको भी मैं लगातार पढ़ रहा था। तो मैंने उन अधिकारियों से पूछा, चलो कोई नहीं, कुछ समय बाद कुछ समस्या हल हो जाएगी। लेकिन पानी की कमी लगभग पूरी है। मैं समझता हूँ 10 परसेंट को छोड़ के 90 परसेंट पूरी है। उसके बावजूद भी मेरे कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा। अधिकारी लगभग- लगभग घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि यहाँ इस इस जगह एम ब्लॉक, एन ब्लॉक, आर ब्लॉक, या हमारे 15 गज, 12 गज के रघुबीर नगर के इलाके सी ब्लॉक, रामगढ़ रतन पार्क, राजा गार्डन या पंजाबी बाग इसके अन्दर कोई पानी नहीं आ रहा तो वो ये कहते हैं कि भई, अभी पानी अभी समस्या हल नहीं हुई है जब कि मैंने चीफ इंजीनियर को फोन किया तो उन्होंने कहा समस्या

आपकी इलाकों में हल है। कभी कह देते हैं, “हल हो गई है।” जब इलाके से कम्प्लेंट आती है तो फिर वो कहते हैं कि हाँ जी, अभी इसमें यहाँ काम चल रहा है, वहाँ काम चल रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं अधिकारी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी अपने विश्वस्त सूत्रों से पता किया है कि पानी की लाइनों को कहीं ओर काट दिया जाता है और दूसरी विधान सभा क्षेत्र में काट दिया जाता है जब शोर मचाया जाता है तो दो दिन के लिए फिर पानी दे दिया जाता है फिर जब आप चुप हो जाते हो, इलाका चुप हो जाता है फिर वहाँ का पानी काट के दूसरी जगह दे दिया जाता है। इस प्रकार की जो घटना अधिकारियों द्वारा की जा रही है और यहाँ से पानी काट के वहाँ दे दें, जहाँ ज्यादा शोर मचा, वहाँ पानी दे दिया। जब सब कुछ ही इनके सामने खुल गया तो इनसे जब पूछा गया कि भई, अब क्या आप जवाब दोगे? कहते हैं, “जी, बहुत पुराना इलाका हो चुका है; 40 या 45 वर्ष हो चुके हैं पानी की लाइन डले। इनका री-मॉडलिंग करना पड़ेगा।” दोबारा से इनकी मॉडलिंग करके पानी किस तरह से पहुँचाया जाए... जब कि मैं समझता हूँ अगर पानी की कमी भी हो सकती है तो दो घण्टे की जगह सप्लाई डेढ़ घण्टा दे दी जाए, एक घण्टा दे दी जाए लेकिन सबको पानी मिले, जो सबको पानी मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा... हो सकता है, ये भी हो सकता है कि समस्या जब थी मेरे इलाके में तब मैंने अपने इलाके के अन्दर बात की थी उनसे ये कहा था कि मैं अपने इलाके के अन्दर सुबह की सप्लाई दे सकता हूँ, शाम की सप्लाई नहीं दूँगा। इस पर भी लोग एग्री थे। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जिसके अन्दर न सुबह की सप्लाई आ रही है, न शाम की सप्लाई आ रही है। मैंने जल बोर्ड के अधिकारियों को भी लिख के दिया हुआ है, सब कुछ करके दिया हुआ है। मैं आपके माध्यम से जल



आपूर्ति मंत्री जी, सीईओ साहब जो जल बोर्ड में हैं, मैं उन तक और जल बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन हैं, उन तक ये आवाज पहुँचाना चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी लें क्योंकि पानी बहुत बड़ी समस्या है, इलाकों के अन्दर अगर मैं समझता हूँ एक टाइम भी पानी आ जाता तो ठीक था। अगर इस तरह इतना समय पानी नहीं आता तो मैं समझ सकता हूँ मेरे घर के अन्दर पानी नहीं आए तो मेरे पे क्या बीतेगी। अगर उस सीट पे मैं बैठके देखता हूँ तो इस समस्या को जल्द से जल्द जल बोर्ड द्वारा इसको संज्ञान में ले के हल किया जाए, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

**ekuuH; v/; {k% धन्यवाद। प्रवीण कुमार जी।**

**Jh i dh.k d#kj% अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हम लोग जिस तरीके से अपनी दिनचर्या में कुछ खाना लेते हैं; कुछ खाना खा पाते हैं; कुछ खाना डस्टबीन में चला जाता है। लेकिन वो जो खाना डस्टबीन में जाता है, वो किसी न किसी पेट में भी जा सकता है। कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज चैनल पे न्यूज सुन रहा था कि जिसमें एक कम्युनिटी-फ्रिज का कन्सेप्ट जो है, वो किसी स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया और उसके मद्देनजर मुझे वो कम्युनिटी-फ्रिज का जो कन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अहम लगा और एक तरफ तो लोग जो हैं; बच्चे जो हैं, वो भूख से मर जाते हैं और एक तरफ जो है; प्लेंटी ऑफ खाना होता है। तो कहीं न कहीं इसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए सरकार द्वारा ऐसी अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाए जिसमें कि, जिसमें कि कम्युनिटी-फ्रिज हो। जिसमें लोग अपना बचा हुआ खाना जो है, उस फ्रिज में रख दें। बचे अगर यूज करने वाले कपड़े जो हैं, उस जगह पे रख दें तो वो सामान जो है, किसी**

जरूरतमंद के काम आ सकता है, बहुत लोगों का पेट भर सकता है, बहुत लोगों की जान बच सकती है और इसके लिए मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा और मुझे लगता है कि ये समाज कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत आता है और मंत्री जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके ऊपर अवश्य कोई पॉलिसी बनाएं और जिस तरीके से हम दिल्ली में एक रोल मॉडल इसके बारे में पेश करके इसको आगे और कैसे बढ़ाया जाए; इसमें और क्या चीज इन्क्लूड की जा सकती है, उसपे भी विचार होना चाहिए। मुझे लगता है कि सदन भी इस बात से सहमत होगा।

श्री राजेश ऋषि जी।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

मैं आज आपका ध्यान फ्लड डिपार्टमेंट के नालों की ओर ले जाना चाहता हूँ। ये फ्लड डिपार्टमेंट के नाले एक जमाने में नहरें होती थी और उनसे सिंचाई चला करती थी हमारे पूरे इस क्षेत्र के अन्दर।

आज ये नालों के रूप में बदल गये हैं और इनकी स्थिति ऐसी हो गयी है। मैं अपनी जनकपुरी के बता दूँ कि पंखा रोड का एक नाला है जिसकी मैंने अभी चर्चा भी की थी। इस पर झोपड़ियाँ बन गयी अन्दर। इसके ऊपर इन्क्रोचमेन्ट हो रहा है; बहुत तगड़े तरीके से। लेकिन न फ्लड डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है। मैंने एमसीडी को लिखके दिया; एमसीडी ने कुछ नहीं किया। पुलिस को लिखके दिया; पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसके दोनों तरफ की दीवारों को एमसीडी वालों ने भी तोड़ दिया है। उन्होंने बगल में इसके ढलाव बनाये हुए हैं। ढलाव का कूड़ा वो नाले के अन्दर फेंक देते हैं।

जितना उठा पाते हैं; उठाते हैं, नहीं तो बाकी उसको दीवार तोड़ के नाले में डाल देते हैं। उस नाले की स्थिति बड़ी खराब है। उसके अन्दर आज सुअर पालन चल रहा है। उसके अन्दर गायें लोगों ने पाल रखी हैं। उसके अन्दर ही। (माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश का सदन में प्रवेश) वहीं से वो दूध निकालते हैं गायों का और बेचते हैं और वहीं वो गन्दगी खातीं हैं गाय। ओमप्रकाश जी बैठे हैं। इनकी पार्टी का तो... खूब गायें-गायें-गायें किया लेकिन गाय बेचारी देखो, कूड़ा खा रही है जिस गौ-माता पर ये वोट मांगते हैं। मैं ये बताना चाहता था कि एक हमारे यहाँ एक नाला और है जिसको डीडीए ने ले लिया था फ्लड से। जिसको कवर करके उसके ऊपर सड़क बनायी गयी। आज वो 15 से 20 साल हो गये बने हुए लेकिन एक बार भी उस नाले की सफाई नहीं हुई है। आप उसके पास गुजर आयें; इतनी बदबू आती है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कम से कम इन्हें बोलें कि वो सफाई तो करवा दें-डीडीए वाले।

मैं पंखा रोड नाले के लिए कई बार लिखके दे चुका हूँ कि इसके दोनों तरफ की दीवारें बनायी जाये। इसका नक्शा दिया जाये ताकि पता चले कि यहाँ पर कितना इन्क्रोचमेंट हुआ है लेकिन फ्लड इरिगेशन के पास कोई भी रिकार्ड नहीं है। उनके पास नक्शा तक नहीं है कि उनके आसपास की कितनी जगह उनके पास थी। कितनी जगह पर लोगों ने इन्क्रोचमेंट किया हुआ है। मैंने कई बार बोला तो उन्होंने बोला, 'हमने एस्टीमेट बनाके दिये हुए हैं। टीएसी से अप्रूवल नहीं हो रहा है।' तीन साल हो गये टीएसी में अभी तक उन दीवारों का अप्रूवल नहीं हुआ। मेरे क्षेत्र का वहीं एक ऐसा एरिया है जो बहुत बुरे हाल में है। गन्दगी फैली

रहती है। लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। हमें गालियाँ देते हैं। कूड़ा एमसीडी का, नाला फ्लड का और गालियाँ हमें मिलती हैं। दोनों विभाग काम करने में इस समय असमर्थ हैं। काम नहीं कर रहे हैं। गन्दगी फैली हुई है।

मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इन अधिकारियों को बुलाकर समझाया जाये कि भई, ये लोगों की आप जिन्दगी से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। सुअर पालन चल रहा है। किसी दिन भी वहाँ पर कुछ भी अनहोनी हो सकती है। कोई बीमारियाँ फैल सकती हैं। गाय जो वहाँ कूड़ा खा रही है, उन्हीं के दूध से क्षेत्र के लोग दूध पी रहे हैं। दूध ले के वहाँ से मिठाईयाँ बन रही हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनको रोका जाये और मेरे क्षेत्र के नाले की दोनों तरफ की दीवारों को बनाने के लिए आप डिपार्टमेन्ट को बोलें कि वो टीएसी में पास कराके इमीडिएट इन दीवारों को बनायें, धन्यवाद।

श्री ओमप्रकाश जी।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदे गये... अभी तक हम लोगों ने एक ही नाम सुना था; वेंटिलेटर, लेकिन अब ये नई दूसरी चीज आ गयी टरबाईन वेंटिलेटर और उनकी कार्य प्रणाली की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

सरकार द्वारा 9.38 करोड़ रुपये की लागत से 125 टरबाईन आधारित आईसीयू वेंटिलेटरों की खरीद की गयी है। ये वेंटिलेटर बजाय अमूल्य जीवन को बचाने के उन्हें खतरे में डाल रहे हैं। इन वेंटिलेटरों में तकनीकी कमी ये है कि टरबाइन अथवा वायु का फ्लो रुक जाने की स्थिति में ये काम

करना बन्द कर देते हैं। ये वेंटिलेटर लोक नायक, जीबी पन्त ओर दीन दयाल अस्पताल, दीपचन्द बन्धु और बाबा साहेब अम्बेडकर तथा दिल्ली सरकार के अन्य अस्पतालों में कथित रूप से लगाये गये हैं। ये वेंटिलेटर न केवल तकनीक रूप से खराब हैं अपितु अधिकतर अस्पतालों में इनको चलाने के लिए स्टाफ ही नहीं है। सरकार द्वारा ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि ये वेंटिलेटर सुचारु रूप से काम भी कर रहे हैं या नहीं और उनको चलाने के लिए समुचित प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था है भी या नहीं। इसी कारण अधिकतर वेंटिलेटर अस्पतालों में बेकार पड़े हैं।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि संबंधित मंत्री एवं विभाग को निर्देश दें कि इस मामले पर उचित कार्रवाई की जाये और इसकी जाँच करके जो लोग इसमें... यदि कोई दोषी हैं तो उनको सजा दी जायें, धन्यवाद।

**ekuuH; v/; {k%** धन्यवाद। श्री अनिल बाजपेयी जी। दो मिनट में खत्म करेंगे। मेरे पास सात मिनट हैं; तीन लोगों को। दो मिनट सिर्फ।

**Jh vfuy ckt i s h%** एक मिनट में खत्म कर दूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान यमुनापार में सीलिंग की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे गांधी नगर विधान सभा क्षेत्र में, शाहदरा विधान सभा क्षेत्र में और आपके विश्वास नगर विधान सभा क्षेत्र में जहाँ से ओमप्रकाश शर्मा जी आते हैं, वहाँ पर सारे...

**ekuuH; v/; {k%** बताइए।

**Jh vkei z k 'kek%** एक मेरा निवेदन है।

**ekuu; v/; {k%** बैठिए, प्लीज। देखेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं। जो उनको अपनी समस्या रखनी है, रखने दीजिए। जो उनकी भी समस्या है, तो उसको कोई तो उठाएगा न जी सदन में। हाँ, बोलिए, बाजपेयी जी।

**Jh vfuy ckt i\$ h%** एकचुअल में सर, सारे लोगों को सीलिंग के नोटिस आ गये हैं। स्थिति ये है; जैसा मेरा गांधी नगर विधान सभा क्षेत्र है, हर तीसरे घर में फ़ैक्टरियाँ लगी हुई हैं। आज हालत ये है कि जो बिचारे किरायेदार, जो किरायेदार वहाँ रहते थे; मकान मालिकों ने ये कह दिया कि भाई आप मेरी जगह खाली कर दीजिए। उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है। मकान मालिक ये कहता है भाई, अगर आप फ़ैक्टरी चला रहे हैं और अगर सील हो गयी तो हम कहाँ जाएँगे? लिहाजा येकृ. मेरा आपसे अनुरोध है सर, कि इस पर कोई ऐसा, कोई इस तरीके का सर, या तो अधिकारियों को... आप विधान सभा अध्यक्ष है हमारे और लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है। रोजगार का सवाल है। ईडीएमसी के लोग आते हैं। वो पैसे बनाके चले जाते हैं। करते है क्या? मान लो अगर सीलिंग करने के लिए किसी गली में सर, गये। वहीं सेम मानों अगर कोई फ़ैक्टरी कढ़ाई की चल रही है एक तो फ़ैक्टरी छोड़ देंगे किसी को। जिसने पैसे दे दिये उसको छोड़ देंगे। जिसने पैसे नहीं दिये, उसको वो बुक कर देंगे। तो मेरा सर, आपसे अनुरोध है... मानवीय पक्ष है ये और हजारों लोगों का रोजी-रोटी की समस्या है। तीन विधान सभा में इसका इफ़ैक्ट काफी है। लिहाजा आप एक बार कमिश्नर को बुलाके सर, इसको और इसका कुछ न कुछ हल निकलवाइए, ये मेरा अनुरोध है आपसे।

**Jh jktšk \_f'k%** सर, दिल्ली के अन्दर ऐसे हालात हैं; ऐसे कहीं नहीं है। यहाँ पर स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है।

**ekuuh; v/; {k%** श्री नरेश यादव जी।

**Jh ujšk ;kno%** धन्यवाद, अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मेरे मेहरौली विधान सभा में लॉडो सरॉय एक गाँव है जो बहुत ही ऐतिहासिक गाँव है। उसमें अध्यक्ष जी, जब मैं विधायक बना तो पानी की सबसे बड़ी समस्या थी और मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय सीएम साहब का हमारे जो वार्ड्स चेयरमैन हैं, उनका कि वहाँ पर पानी की स्थिति बिल्कुल ठीक हो गयी है। सारे गाँव की नई लाइनें बदलवा दी गयी हैं और पानी नये यूजीआर मालवीय नगर से स्टार्ट कर दिया गया है। आज वहाँ पानी दूसरी मंजिल तक भी पहुँच जाता है।

लेकिन अध्यक्ष जी, 8/3/2017 से ये पानी की शुरूआत की गयी। इसका उद्घाटन किया गया दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से। उस समय के मंत्री जी भी वहाँ आये थे और वहाँ उस समय एक समस्या और थी अध्यक्ष जी, कि उस डेट से पहले वहाँ पर बिल बहुत आते थे लेकिन पानी नहीं आता था। तो लोगों की ये समस्या थी कि आज की डेट से जब ये उद्घाटन किया गया 8/3/2017 से पहले के सारे बिल माफ कर दिये जायें। तो ये अनाउंसमेंट उस दिन हुआ था; उद्घाटन के दिन कि वो सारे बिल माफ कर दिये जाएँगे। अध्यक्ष जी, इसके लिए मैंने अपनी तरफ से चिट्ठी भी दे रखी है तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और हमारे वार्ड्स चेयरमैन से निवेदन करूँगा कि लाडो सराय गाँव के 8/3/2017

से पहले के सभी बिल माफ कर दिये जाएँ। क्योंकि उस समय वहाँ पानी नहीं था। आज स्थिति बिल्कुल ठीक है। लोगों का ये वादा है कि... हाँ, वहाँ पर एक भी इल्लीगल कनेक्शन नहीं रहेगा और सारे बिल वो टार्म से भरते रहेंगे। आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

ekuuH; v/; {k% धन्यवाद, नरेश जी। सुश्री अलका लाम्बा जी।

I ψh vydk ykEck% धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मेरी चाँदनी चौक विधान सभा में सिविल लाइन वार्ड में तिब्बत कालोनी इलाका आता है। वहाँ का आरडब्लूए मुझे आकर मिला और बोला वहाँ पर बहुत अवैध जो हैं, वो काम-धन्धे होते हैं। निवेदन किया गया कि वहाँ एक पुलिस चौक या पोस्ट बन जायेगा, उससे उनको मदद मिलेगी। दो-तीन साल मुझे पूरे संघर्ष में लगे कि वहाँ उनको एक पुलिस पोस्ट उनकी माँग से मिल जाये। अध्यक्ष जी, आज वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं, "अलका जी, किसी भी तरह से ये पुलिस चौकी जो बनाई गयी है, इसे यहाँ से हटा दिया जाये।" मैंने उनसे पूछा, ऐसा हुआ क्या?" उन्होंने कहा, "आप चलिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं।" अध्यक्ष जी, मैंने फेसबुक लाईव किया ताकि सबूत सीधा प्रसारण लोग देख पायें और इस वीडियो को बीस लाख लोग फेसबुक पर देख पाये हैं। देख चुके हैं। हुआ ये कि जब मैंने अधिकारियों के साथ एनडीपीएल के हमारे जो बिजली अधिकारी हैं, दिल्ली जल बोर्ड के पानी और सीवर के अधिकारी हैं, पीडब्लूडी के अधिकारी हैं, इन सब के साथ दौरा किया अध्यक्ष जी, और आप मानेंगे नहीं वहाँ पर अवैध तौर पर दुकानें पुलिस ने खुद बनवाई हुई हैं वहाँ पर। जहाँ से सारा अवैध धन्धा फल-फूल रहा है। हमने उनसे जाकर के पूछा... इस लाइव



में है कि आपको होटल, इन ढाबों के लिए बिजली कौन दे रहा है? कोई जवाब नहीं था। लोगों ने इशारा किया तो मैंने बिजली की तार को जब फॉलो करना शुरू किया तो वो बिजली की चोरी कहीं और से नहीं वो जो पुलिस पोस्ट बना हुआ था, जहाँ दो पुलिस वाले मुझे देखते ही थाना खुला छोड़कर भाग खड़े हुए और एनडीपीएल के अधिकारी से जब मैंने लाईव पूछा है कि आप ये बताइए, "चोरी कहाँ से हो रही है?" कह रहे हैं, "चोरी इसी पोस्ट से, थाने से जो बनाया गया है, उसी से बिजली की तारें इन सभी को दी जा रही है।" और बिल्कुल भारी नुकसान हमें हो रहा है। मुझे नहीं मालूम बिजली के अधिकारियों ने ये 31 जुलाई दोपहर एक बजे की बात है। बिजली की तारें अवैध, इल्लीगल जो पुलिस चोरी करा रही थी, वो काटी या नहीं काटी, पानी की लाइन जो वहीं चौकी के अंदर से जा रही है, उसका भी अवैध कनेक्शन हमारे सुधान सिंह जो जेई दिल्ली जल बोर्ड हैं, उन्होंने कहा कि "हाँ, यह सारा अवैध पानी की चोरी भी जो है, पुलिस थाने के अंदर से करवाई जा रही है।" लाइनमैन, थानेदार छोड़कर भाग गए। मैंने डीसीपी को फोन किया और डीसीपी से मैंने निवेदन किया कि ये दोनों पुलिस वाले आपकी चौकी को छोड़कर भाग गए हैं, खुला छोड़ कर भाग गए हैं और पाँच मिनट में मैं आई तो उस चौकी पर ताला लग चुका था जब कि वो ताला नहीं लगना था क्योंकि यह फ्लड का वह समय था, जब पूरी बाढ़ आ रही थी।

ekuuH; v/; {k% कन्क्लूड करिये प्लीज।

I qh vydk ykEck% पुलिस मुस्तैदी पर थी उस समय चौकी का ताला लगाकर भाग गई। मेरा यह निवेदन है कि मैंने इन दोनों पुलिस वालों का सीसीटीवी फुटेज वहाँ से भागते हुए, आते-जाते, ताला लगाते हुए और

चोरी की तार जो अंदर से सप्लाई खुद अवैध धंधों को, चाहे वो नशे के हों, चाहे अवैध दुकानें पटरियों पर लगाकर वहाँ पर इस तरीके के हो या बिजली की चोरी खुद पुलिस पोस्ट से हो रहा है। मेरा निवेदन है दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई उन दोनों पुलिस वालों के खिलाफ की और इस पर क्या एक्शन हुआ? मैं चाहती हूँ, उसको बताया जाए, धन्यवाद।

**ekuuu; v/; {k%** धन्यवाद। मैं एक मिनट का समय और ले रहा हूँ टी-ब्रेक से पहले।

इस समय इसलिए मैं अभी जानकारी देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग टी-ब्रेक में इसका सदुपयोग कर सकें।

माननीय सदस्यगण, आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी कि दिनांक 10 अगस्त, 2018 को प्रातः 11 बजे सदन में... जो सदन के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का समय होगा। पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी तथा डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के चित्रों का अनावरण करने के अवसर पर समारोह आयोजित किया गया है। सामने आप देख रहे होंगे; यहाँ दोनों तैयारी हैं; चित्र लगाने की। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे 10 अगस्त, 2018 को प्रातः ठीक 10 बजकर 45 मिनट पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसमें मैं व्यवस्था भी बताता हूँ; कैसे रहेगी। मैं माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध करता हूँ कि अपने किसी एक परिचित को आप आमंत्रित कर सकते हैं। उसके लिए एक कार्ड आज ले लें, क्योंकि यह कार्यवाही इसी सदन में... मेरे पास सीटिंग जितनी है।

**Jh iou dɛkj 'kek%** एक ही?

ekuuH; v/; {k% सिर्फ एक। 70 हो गए ना जी, मुझे भी तो किसी एक को बुलाना है। यह निमंत्रण हस्तांतरणीय है और सदस्यों से अनुरोध है कि वे उस निमंत्रण पत्र को संबंधित व्यक्ति के नाम के साथ ही जारी करें। हम आपको ब्लैंक देंगे, उस निमंत्रण पत्र पर आप नाम लिखें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी होगी। आप कहेंगे, “जी, मैं तो नाम लिखना भूल गया था। एंट्री नहीं मिलेगी और उसे अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद ही विधान सभा परिसर में आने दिया जाएगा। इस समारोह के बाद दोपहर के भोजन की व्यवस्था होगी और तत्पश्चात् सदन की बैठक अपराह्न तीन बजे शुरू होगी। मैं दो तीन बातें यहाँ कहना चाह रहा हूँ। यह बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम है। उस दिन बिना कार्ड हम किसी को भी अंदर एंट्री नहीं देंगे। यानी पौने ग्यारह, ग्यारह बजे, बाकी अन्यो को एंट्री जब यह कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, तब मिलेगी। इसमें अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार को भी आमंत्रित किया गया है। अब्दुल कलाम जी के परिवार को भी आमंत्रित किया है; वो भी तमिलनाडु से पहुँच रहे हैं। अब मैं राज्य सभा के सदस्य और कुछ गणमान्य व्यक्ति... तो इसलिए इस कार्यक्रम की गरिमा उस दिन हम सबसे झलकें, बहुत शांतिपूर्वक इसका वातावरण रहेगा। ये दो जो आगे की गोलाई की लाइन हैं दोनों, नंबर-एक, नंबर-दो हम सभी सदस्य इन दो कुर्सियों पर आकर बैठेंगे, तीसरी लाइन पीछे वाली हम फ्री छोड़ेंगे; लास्ट वाली जो है। सबसे लास्ट वाली। उसमें जनता को हम बैठाएँगे। कुछ पूर्व मंत्री, कुछ स्पीकर, कुछ विधायक आ सकें तो यह पीछे की लाइन हमकृ. इन आगे की लाइनों में हम विधायक अपनी जगह ले लेंगे। तीन कुर्सियाँ उसमें कम पड़ेंगी तो तीन कुर्सियाँ माननीय मंत्री जी

के पीछे की, ये तीनों जो है, यहाँ हम रिजर्व रखेंगे। यहाँ सभी विधायक केवल बैठ सकेंगे। जगदीप जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊपर आ जाएँगे वहाँ, यह जो भी है, सारी व्यवस्था हो जाएगी। मतलब पीछे वाली रो पर हम नहीं बैठेंगे, यह थोड़ी व्यवस्था की है। कुछ कुर्सियाँ सामने लगेंगी। जहाँ सब लोग बैठ सकेंगे, बाकी ऊपर बैठ सकेंगे। वो व्यवस्था कौन ऊपर बैठेगा, कौन नहीं; वो सारी व्यवस्था स्टाफ देख लेगा। इसमें आपका सहयोग चाहिए, बहुत सीरियसली सहयोग चाहिए, उस दिन अपनी गाड़ी में किसी को न लेकर आएँ; यह विशेष रूप से ध्यान रखें। उसको एन्ट्री नहीं मिलेगी। एन्ट्री उसी को मिलेगी।

**Jh iou dɛkj 'kek%** सर, गाड़ी अपने आप चलानी है?

**ekuuh; v/; {k%** गाड़ी को थोड़ी देर आप चलाकर ले आएँ ड्राइवर को बाहर छोड़ दें या ड्राइवर आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाहर रहेगा। दूसरा, इस वजह से मैं कह रहा हूँ और कोई वजह नहीं है। आप भी समझ रहे होंगे दोपहर के भोजन की व्यवस्था, लगभग 400-450 लोगों की भोजन की व्यवस्था... तो उसमें डिस्टर्बेंस न हो, सब सम्मानित तरीके से भोजन पा सकें, इसलिए कुल मिलाकर मैंने आग्रह किया है और इसके पीछे किसी प्रकार की भावना नहीं है।

**Jh vke iɔk'k 'kek%** ड्राइवर को तो आपको अलाउ रखना चाहिए।

**ekuuh; v/; {k%** ड्राइवर, कह रहे हैं, अलाउ कर दिया है। ड्राइवर अलाउ रहेगा लेकिन ड्राइवर केवल विधायकों की, मंत्रियों की गाड़ी का रहेगा। बाकी जो आमंत्रित हैं, उनकी गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी होंगी। बाकी और व्यवस्था देख लेंगे। शास्त्री जी का परिवार आएगा; उनकी गाड़ी हम

अंदर अलाउ करेंगे और अब्दुल कलाम जी के लाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था हमने की है।

**Jh i ou dɛkj 'kek%** सर, एक आदमी जो विधायक के साथ आएगा, वो भी अलाउ कर दो ड्राइवर के साथ।

**ekuuh; v/; {k%** बैठाऊंगा कहां?

**Jh i ou dɛkj 'kek%** विधायक की गाड़ी में ही आ जाएँ।

**ekuuh; v/; {k%** न, बिल्कुल नहीं, बैठाने की व्यवस्था कहाँ लाऊंगा।

**Jh i ou dɛkj 'kek%** सर, एक आदमी तो आप बोल ही रहे हो।

**ekuuh; v/; {k%** हाँ, वही एक कार्ड बोल रहा हूँ। वो आपके विधायक के साथ आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

**Jh l kɛukfk Hkkjrh %** जिस एक व्यक्ति को आप बोल रहे हो, वो साथ बैठ जाएँ।

**ekuuh; v/; {k%** नहीं। देखिये, सदन के विधायकों की गरिमा... मैंने इसको सारा देख लिया है, सारा समझ लिया है। वो आपके पीछे बैठेंगे, ऐसा न करिये जी। उसमें विधायकों की, सदन की एक गरिमा है जिसको आप लाए हैं, उसको बैठाइये; उसको जगह मिलेगी। टी-ब्रेक 4.30 बजे तक। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही टी-ब्रेक हेतु 4.30 बजे तक स्थगित की गई)

**I nu vijkgu 4-36 cts iɪ% leor gɪkA**

**ekuuH; v/; {k %Jh jkefuokl xks; y½** पीठासीन हुए।

**Ekuuh; v/; {k%** माननीय सदस्यगण, आज माननीय सदस्य श्री मदनलाल जी का जन्मदिन है। बासठ बसंत वो अपने जीवन में देख चुके हैं। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ तथा कामना करता हूँ कि अपने व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में नई ऊँचाईयाँ प्राप्त करें, बहुत बहुत बधाई।

**vYi dkfyd ppkz %u;e & 55½**

Short duration discussion on Supreme Court Judgement and powers of elected Govt. of Delhi under Rule – 55. Sh. Adarsh Shastri Ji आरंभ करें।

**Jh vkn'kz 'kkL=h%** बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। इस अहम मुद्दे पर आपने चर्चा शुरू करने का मुझे मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, जब देश आजाद हुआ और इसका संविधान लिखा गया तो संविधान में, संविधान के रचियता बाबा साहेब अम्बेडकर और उस समय के कॉन्स्टिटुएण्ट असेम्बली के सभी मैम्बर्स ने एक आगे के लिए देश के लिए एक योजना बनाई। संविधान में एक सोच रखी और वो सोच का मैं समझता हूँ, प्रमुख जो दो ढाँचे थे, एक इस देश में लोकतंत्र की योजना जिसके माध्यम से सरकार और सरकार के माध्यम से आगे की देश की और देश में रहने वाले वासियों की किस तरह से जिंदगी आगे चलनी चाहिए; उसके बारे और दूसरा इस संघीय ढाँचे के साथ संविधान में किस तरह से एक चैक एण्ड बैलेंस सिस्टम रहे जैसे कि कभी भी ऐसा न हो कि उसके ऊपर कहीं से भी संविधान के माध्यम से, कोई ऐसे पार्टी या सरकार

के माध्यम से कोई दबाव या उस लोकतंत्र को हानि न पहुँचे। जो संविधान में प्रमुख तौर पर बात करी जिसको आज हम कलैक्टिव ट्रस्ट या कॉस्टिट्यूशनल ट्रस्ट की बात करते हैं, उसका क्या मायना था? कॉस्टिट्यूशनल ट्रस्ट का मायना ये था कि इस देश के नागरिक इस संविधान जो सर्वोपरि है, जो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर अपना विश्वास रखते हैं और सभी नागरिक होने के नाते माननीय राजनैतिक दल या उनसे उत्पन्न हुई सरकारें, उसी संविधान को सम्मानीय मानते हुए, उसी के दायरे में अपना काम करेंगे। कॉस्टिट्यूशनल ट्रस्ट की जब बात करी तो संविधान के ढाँचे में प्रमुख ये था कि जनता का विश्वास उनकी चुनी हुई सरकार में होगा। उनकी चुनी हुई सरकार में इसलिए होगा क्योंकि अगर वो सरकार उनके इरादे उनके सपने के हिसाब से चुन कर लोग आएँगे, वो काम करेंगे। तो पाँच साल बाद जब दोबारा वो सरकार जनता के पास जाए, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केन्द्र की सरकार हो। तो उस कॉस्टिट्यूशनल ट्रस्ट की बदोलत, उस विश्वास की बदोलत ये आमने-सामने चर्चा हो सके कि क्या उस समय की सरकार ने पाँच साल के लिए विश्वास जनता का रखा कि नहीं रखा और जो उस समय के संविधान के रचियता और उस समय के देश के फाउंडिंग फादर रहे, उन्होंने शायद सपने में नहीं सोचा होगा कि 60-70 साल के बाद आजाद हिन्दुस्तान के अंदर ऐसा माहौल उत्पन्न होगा जहाँ संविधान के ऊपर इतनी बड़ी आघात, इतनी बड़ी चोट मारने की कोशिश की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात की शुरूआत बाबा साहेब अम्बेडकर की बात से रखना चाहता हूँ जो संविधान में उन्होंने करी। उन्होंने ये लिखा था कॉस्टिट्यूशन के लिए: 'However good a constitution may be if those who

are implementing it are not good, it could proved to be bad. However bad a constitution may be if those who are implementing it are good, it could proved to be good.' इसका मतलब ये कि संविधानकृ. बाबा साहेब ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, उसको चलाने वाले, उसका पालन करने वाले अगर वो अच्छे हैं तो ये अच्छा रहेगा और संविधान कितना भी बुरा हो अगर इसको चलाने वाले अच्छे हैं तो संविधान ठीक से चलेगा। मैं समझता हूँ, इससे बड़ी बाबा साहेब की बात आज सच नहीं हो सकती। संविधान हमारा सत्तर साल में ये दर्शाया है कि संविधान हमारा विश्व के अलग-अलग देशों के मुताबिक अलग है, अच्छा है, मजबूत है। मगर उसको पालन करने वाले, पिछले तीन-चार वर्ष में उसको देखने वाले, उसको समझने वाले शायद उनकी सोच कितनी गिर चुकी है कि संविधान के प्रति मैं समझता हूँ एक तरह से अवमानना की भावना जो आ गई है। एक जो देश में आपतकाल का माहौल खड़ा कर दिया है, वो हम लोगों के सामने है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में सरकार 2015 में चुनकर आई। शायद दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जन्म अरविंद केजरीवाल या हम लोग जैसे लोगों का जन्म राजनीति में इस लिए भी हुआ क्योंकि इसी संविधान के तहत अलग-अलग पार्टियों ने अलग-अलग समय पर दिल्ली के ऊपर भी अपनी सरकार चलाई। मगर दिल्ली वालों को शायद अहसास हुआ कि जो दिल्ली वालों के सपने हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उस पर कोई भी राजनैतिक दल व सरकार खरी नहीं उतर पाई। इसी लिए यही कारण था जिस की वजह से दिल्ली की जनता ने सरल, शालीनता और सीधे-सादे; हम जैसे आम नागरिकों को, आम लोगों को मौका दिया। क्योंकि उनको शायद कहीं पर



लगा कि जो नीयत होनी चाहिए सरकार चलाने की, जो कलैक्टिव ट्रस्ट की बात होनी चाहिए, वो कहीं खो चुकी है। उसका नतीजा हुआ कि दिल्ली में भारी बहुमत के साथ और अभूतपूर्व बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार आई और दिल्ली के लोगों ने राहत की साँस ली कि अब शायद उनकी उम्मीदें पिछले बहुत वर्षों से पूरी नहीं हुई थी, उस पर कुछ काम होगा। जब ये सरकार उस पर काम कर रही थी तो अलग-अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र में सरकार, प्रधान मंत्री जी केवल इस बात पर लग गए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को... यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को विफल किया जाए। ये पूरी तरह से एक षडयंत्र, एक विश्वासघात का रूप दिल्ली के जनता के साथ किया। आज देखिए, मैं सदन के सामने ये बात रखना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का 2009 और 2014 का मैनिफैस्टो है। 2009 और 2014 के मैनिफैस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने, 2014 में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई जगह इस बात की चर्चा की है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट में 04 जुलाई को फैसला हुआ और उससे पहले उसकी अलग-अलग, आर्ग्युमेंट, उसकी अलग-अलग बातों को रखा गया तो दिल्ली की जनता और देश पूरी तरह से स्तब्ध रह गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर अलग-अलग समय पर उन्होंने वादा किया; दिल्ली की जनता से पूर्ण राज्य का; ये बात रखी कि दिल्ली को अपना हक मिलना चाहिए। उन्होंने पूरी तरह से यू-टर्न अपनाया। जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने जगह-जगह जहाँ-जहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब-जब चर्चा हुई, पूरी तरह से ये बोला कि नहीं दिल्ली को एक सैण्ट्रली

एडमिनिस्टर्ड स्टेट, एक टेरेटरी होना चाहिए। तो मैं यह जानना चाहता हूँ.. सदन को बताना चाहता हूँ कि ये जो दोगलापन भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की जनता के साथ, ये जो विश्वासघात दिल्ली की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसकी जानकारी दिल्ली के हर निवासी तक पहुँचनी चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी ने हर बार चर्चा करी पूर्ण राज्य की, हर बार चर्चा करी किस तरह से दिल्ली में दिल्ली वालों को उनका हक मिलना चाहिए, वो ही भारतीय जनता पार्टी चार जुलाई के जजमेंट के बाद, उन्हीं के नेता अरूण जेटली साहब का ब्लॉग के माध्यम से बयान आया। जहाँ पर उन्होंने कहा और मैं उनकी बात इसमें आपको बताना चाहूँगा: 'Any presumption that the administration of UT cadre or services has been decided in favour of Delhi government would be holy erroneous.' कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जिस में कहीं पर गुंजाइश नहीं रही किसी भी मतभेद की जो कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को ऊपर रखते हुए सबसे बड़ी बात ये कह दी कि दिल्ली पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर सारा जितने भी स्टेट लिस्ट के मामले होते हैं जो संविधान में हैं; आर्टिकल सात में, वो सारे चुनी हुई सरकार के अधीन हैं और चुनी हुई सरकार उस पर फैसला कर सकती है। कई ऐसे मुद्दे आए सुप्रीम कोर्ट में जिसके ऊपर चर्चा हुई। हर उस मुद्दे पर जिस में भारतीय जनता पार्टी और केन्द्र सरकार के वकीलों ने चर्चा करी, उसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में रद्द किया गया, कैंसल किया गया, खारिज किया गया।

भारतीय जनता पार्टी, केन्द्र सरकार के वकीलों ने वहाँ पे ये बात बोली कि 'Ultimate administration will be with the president.' राष्ट्रपति के पास

एडमिन्सिट्रेशन की ताकत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया। भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार के वकीलों ने बोला कि 237एए आर्टिकल जो लेजिस्लेटिव असेम्बली को लेजिस्लेट करने की पॉवर देता है; 7 शेड्यूल में, ये उसी से सीमित भी करता है; इसको भी पूरी तरह से खंडन किया, खारिज किया। उन्होंने बोला केन्द्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी के वकीलों ने कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जोकि आजाद भारत में वॉयसरॉय का रोल निभा रहे हैं, उनके पास सारी पॉवर है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया, इसका खंडन किया। भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र सरकार के वकीलों ने बोला कि लेजिस्लेटिव पॉवर को—एक्सटेंसिव एग्जिस्ट करती है, एग्जेक्टिव पॉवर के साथ, मगर यूनियन टेरिटरी पे लागू नहीं होगी, स्टेट पे लागू होगी, इसको भी पूरी तरह से खारिज किया, इसका खंडन किया। केन्द्र सरकार के वकीलों ने बोला कि जो एड एंड एडवाइज केबिनेट देता है, जो क्लेक्टिव रेस्पांसिबिल्टी की लोगों के विश्वास की बात रखते हैं संविधान में, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पे बाईडिंग नहीं है, उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खंडन किया, उसको खारिज किया। इन्होंने ये भी बोला कि एनी मैटर यानी कि कोई भी संबंधित मामले, वो हर मामला नहीं माना जा सकता... सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने केन्द्र सरकार के वकीलों ने ये बात करा, इसका भी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खंडन किया, इसको खारिज किया।

कहने का तात्पर्य यह है अध्यक्ष महोदय, कि जितनी भी बातें, पहली बात तो ये देश के संविधान में संघीय ढांचा एक स्तम्भ है, उस स्तम्भ को हिलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, पहले जब दिल्ली में उनकी बुरी तरह से हार हुई तो उससे उनका रास्ता नहीं निकला

तो ये असंवैधानिक तरीके से इन्होंने दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार को, लोगों की मंशा के अनुसार चुनी हुई सरकार को रोकने की किसी न किसी तरह से, अलग अलग तरीके से बाधा डालने की कोशिश करी, अफसरों पे दबाव बनाने की कोशिश करी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसी के खिलाफ खड़े हो गये; वहां पे ये बोलने के लिए कि दिल्ली में पूरी तरह से एक राष्ट्रपति के माध्यम से, केन्द्र सरकार के माध्यम से शासन होना चाहिए और लोकतंत्र को दिल्ली में खत्म कर देना चाहिए। इससे ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और केन्द्र सरकार का दोगलापन, कई ऐसे हम लोगों के सामने उदाहरण हैं। फाइनेंस कमीशन के तहत जितना कर, जितना टैक्स स्टेट्स के माध्यम से जाता है, केन्द्र सरकार के पास और फिर दोबारा वहाँ से आता है; आज दिल्ली एक अनोखा राज्य है जहाँ पर लगभग पाँच परसेंट कर देश में दिल्ली के नागरिक जमा करते हैं और बदले में केन्द्र सरकार से मात्र 325 करोड़ रुपये जो कि लगभग .1 परसेंट है, दिल्ली के हिस्से में केन्द्र सरकार के माध्यम से आता है। अगर आज वही पैसा, उसका मापदण्ड वही अपनाया जाए जो बाकी राज्यों के साथ अपनाया जाता है तो उस 325 करोड़ की जगह शायद 6-7-8 हजार करोड़ रुपये दिल्ली सरकार को उपलब्ध हों जिससे और भी कई योजनाएँ दिल्ली के नागरिकों के लिए चलाई जा सकती हैं। ये बात बिल्कुल साफ है जिस तरह का दोगलापन, जिस तरह का विश्वासघात दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मैं याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि प्रधान जी भी यहाँ बैठे हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आप ही के अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अडवाणी जी बार बार इस चर्चा को किया करते थे 2009 में 2014 के चुनाव में और उससे पहले

अपने प्रधानमंत्री काल में कई ऐसी डिबेट्स हैं संसद के अंदर जहाँ पे उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज देने की बात करी थी। आज आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा यू टर्न कर लिया! किस तरह से दिल्ली की जनता का सामना कर सकते हैं? दिल्ली की जनता को जवाब तो देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है। पाँच साल का समय पूरा होने पे दिल्ली की जनता के पास जाएँगे और दिल्ली की जनता ये सवाल पूछेगी कि बीसों साल आपके प्रधानमंत्री ने, आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने, आपकी पार्टी के सांसदों ने अलग अलग जगह इस बात का बयान दिया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा होना चाहिए और ऐसा क्या कारण हुआ कि 2015 के बाद इस तरह का यू टर्न ले लिया कि अब ये अलग-अलग जगह और वही नहीं कि पब्लिक में या मीडिया में बयान नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में बयान में केन्द्र सरकार के वकील बार बार बोल रहे हैं कि दिल्ली को सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी होना चाहिए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से इस बात को सामने लाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले में दिल्ली की जनता को बहुत बड़ी राहत दी है क्योंकि अब सही मायने में दिल्ली की जनता के लिए उनके सोच के हिसाब से, उनके सपनों के हिसाब से काम हो सकता है, एक ऐसी सरकार जो उनके हक की लड़ाई लड़ती आ रही है, लड़ती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और सभी यहाँ पे सदन में उपस्थित साथी इस बात की गवाही देंगे कि किस तरह उन सपनों के ऊपर, दिल्लीवासियों के, किस तरह से दिल्ली सरकार आगे भी काम कर रही है और मैं अपनी बात खत्म करने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसमें से जस्टिस चंद्रचूड़ की एक लाइन

जरूर पढ़ना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को समराइज करती है और जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा: 'In a democratic form of Government, real power must subsist in the elected arm of the state.' जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि 'लोकतांत्रिक सरकार में, लोकतांत्रिक संवैधानिक सरकार के माध्यम में असली ताकत केवल उन्हीं के पास होनी चाहिए जो जनता के माध्यम से चुन के भेजे गए हैं।' इस अहम मुद्दे पे मुझे समय देने के लिए अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री संजीव झा जी।

अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, अभी आदर्श भाई संविधान की व्याख्या कर रहे थे कि संविधान में जनता की विल का क्या महत्व है। मैं बताऊँ आपको कि आज से साढ़े तीन साल पहले दिल्ली की जनता ने आजादी के बाद से आज तक पहली बार इतने बड़े पापुलर मेन्डेट के साथ एक सरकार को चुना और जब इतनी बड़ी पापुलर मेन्डेट के साथ सरकार आई तो केन्द्र में बैठी भाजपा की सरकार की नींद उड़ गयी और सरकार बनते ही रोज एक नई साजिशों का दौर शुरू हो गया और इस साजिश में वो ये भी भूल गये कि संविधान की मर्यादा क्या है, प्रजातांत्रिक मर्यादा क्या है, संघीय ढांचा की मर्यादा क्या है, इन्होंने संघीय ढांचा का, प्रजातंत्र का, संविधान का, सब मर्यादाओं को इन्होंने तार-तार कर दिया। वो ये भी भूल गये कि जिस दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को दिया था, वही जनता ने सात के सात सांसद भाजपा को भी दिया था।

तो भला एक पार्टी से बदला लेने के आड़ में दिल्ली की जनता का नुकसान क्यों कर रहे हो? लेकिन मैं आज धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का कि उन्होंने जो निर्णय दिया; वो ऐतिहासिक निर्णय था। उन्होंने दिल्ली के जनता के हित की रक्षा की। न केवल दिल्ली के जनता के हित की रक्षा की, मुझे लगता है कि अब आने वाले कई जनरेशन भविष्य में जब कभी भी इस जजमेंट को पढ़ा जायेगा तब-तब यह तय होगा कि इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में इतना ताकत है कि किसी के निरंकुश रवैये को समूल नष्ट कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल पहले आपको याद होगा, हम सब को याद है 4 अगस्त 2016 को उच्च न्यायालय का एक फैसला आया था और उस फैसले के, इस गलत फैसले के आड़ में भाजपा अपनी जितनी साजिशें कर सकता था, वह तमाम साजिशें करके इतने पापुलर मेन्डेट के चुनी हुई सरकार को काम से रोकने की पूरी कोशिश करी और इस तमाम साजिशों के मुखिया बन गए दिल्ली के एलजी साहब और पूरी ब्यूरोक्रेसी उस साजिश के हिस्सेदार बन गया और फिर जितने भी फैसले लिये गये; कुछ तो ऐसे फैसले थे जिनकी तारिफ दिल्ली ही नहीं, देश नहीं, विश्व के कई देशों में चर्चा हुई; चाहे मौहल्ला क्लीनिक का फैसला रहा हो; चाहे डिलीवरी का फैसला रहा हो; चाहे राशन के होम डिलीवरी का फैसला रहा हो; चाहे सीसीटीवी का फैसला रहा हो; ऐसे कई सारे फैसले जिससे दिल्ली की जनता का भाग्य बदल सकता था, उन तमाम फैसलों को रोकने की पूरी कोशिश की गई रोक दी गई। यहाँ तक कि एक चुनी हुई सरकार ने जितने फैसले लिये थे उस फैसले की जांच के लिये कमिटी बना दी

गई और उस कमिटी की आड़ में सारे फाइल मंगा लिये गये; सरकार के बिल्कुल हाथ बाँध दिया गया कि सरकार कोई काम न करे।

आपको याद होगा, हम सब को याद है कि किस तरह से उस के बाद विधायकों पर एक पर एक केस लगने लगे। हम सबको याद है कि किस तरह से मिनिस्ट्रों की मीटिंग में अधिकारी जाना बंद कर दिये, विधायको का फोन उठाना बंद कर दिया। एक तरफ जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी और चाहे ब्यूरोक्रसी हो या एलजी साहब हों, उनके जरिये केन्द्र सरकार, भाजपा की सरकार इस सरकार को पूरी तरह से काम न कर पाये, इसके लिये तमाम तरह के अड़ंगे लगाने का कोशिश किया। अध्याक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा और आदर्श भाई भी कह रहे थे ये कहने में मुझे कत्तई कोई हिचक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ये जो मेन्डेट मिला था, उस मेन्डेट को पचा नहीं पा रहे थे। रात में उनको नींद नहीं आ रही थी और जब मैं कहूँ कि भाजपा पार्टी की बात करूँ तो इन दोनों के पास पार्टी है भी नहीं। अभी आदर्श भाई कह रहे थे... इनके नेता की बात मुझे भी याद है हम सब सुना करते थे कि भाजपा नारा लगाया करता था, "भाजपा के तीन धरोहर— अटल, अडवाणी और मनोहर। आज अटल कहाँ गये, अडवाणी कहाँ गये, मनोहर कहाँ गये? न तो कोई पोस्टर दिखता, न तो कोई नाम दिखता है। अब नारा बदल गया है; अब हो गया कि भई, "अडानी अंबानी के दो ही चाह, मोदी और अमित शाह।" भाड़ में गई जनता और भाड़ में गई पार्टी। तो ये दोनों पूरी कोशिश करते रहे; किसी तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार न काम कर पाये। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आदर्श भाई की बातों से कि यही भाजपा, इनके शीर्ष नेता; चाहे लोकसभा रहा हो या ये सदन



रहा हो, बार-बार ये आवाज उठाते रहे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए, दिल्ली को कंपलीट स्टेट होना चाहिए लेकिन आज दिल्ली का स्टेट की बात तो छोड़िए; 1990-93 में जो दिल्ली को राज के समय जो अधिकार दिये गये थे, उस अधिकार को भी छीन लिया गया, उसको भी पंगु बना दिया गया। तो इनका जो वर्षों से स्टैण्ड रहा था दिल्ली को लेकर, ये अमित शाह और मोदी जी, दोनों ने पूरे स्टैण्ड से यू टर्न ले लिया। तो मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय... हाँ, यू टर्न लेने के लिये बहुत फेमस हैं कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता और यही साबित हुआ जब माननीय उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ ने जो फैसला लिया, उस फैसले के वाक्य; कुछ अंश आदर्श भाई बता रहे थे उसमें बहुत तल्खी से कहा गया है कि चुनी हुई सरकार के पास ताकत होना चाहिए, एलजी साहब ऐड ऐंड ऐडवाइज पर काम करेंगे, एलजी साहब को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, एलजी साहब कोई फैसला आइसोलेशन में नहीं ले सकते। अगर एलजी साहब सहमत न हों तो राष्ट्रपति को फाइल भेज सकते हैं; फाइल रोक नहीं सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसा भी न करें आप कि अगर मान लीजिये सहमत न हों तो मैकेनिकली सारे फाइल आप भेजना शुरू कर दो। अगर आप सहमत न हों तो आप कैबिनेट से बात करें; बैठकर मामले को सुलझायें लेकिन जिस तरह से पिछले तीन साल से होता रहा, खास कर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो कुछ भी हुआ, इसका मतलब था कि एलजी साहब असंवैधानिक काम कर रहे थे। अगर उन्होंने कमिटी बनाया तो संवैधानिक कमिटी था। अगर उन्होंने अपने पास फाइल रखा तो संवैधानिक काम था। अगर निर्णय लिया तो संवैधानिक निर्णय था इसका मतलब जो संविध

गान पीठ ने कहा कि प्रजातंत्र में अराजकता का कोई स्थान नहीं है तो इसका मतलब है कि जब ये माननीय संविधान पीठ कह रहे थे कि प्रजातंत्र में अराजकता का स्थान नहीं है; ये तर्क टिप्पणी एलजी नामक संस्था की थी लेकिन मैं एलजी साहब को दोष नहीं देता, मैं ब्यूरोक्रेसी को भी दोष नहीं देता। मुझे लगता है; इसका बिग बॉस तो कहीं और बैठा हुआ है मगर उनके इशारे पर दिल्ली की जनता के साथ; दिल्ली की जनता ने जो फैसला लिया था, उसका बदला ये सब लोग ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया; सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि जब रिजर्व सब्जैक्ट की आप बात कहते हो केवल तीन रिजर्व सब्जैक्ट हैं; आपने 2015 में एक नोटिफिकेशन निकाल के चौथा को सब्जैक्ट बना दिया। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल तीन रिजर्व सब्जैक्ट हैं तो उसके बाद कुछ बच नहीं जाता था लेकिन उसके बावजूद अभी भी ये लोग इतने बेशर्म हैं; सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी के बाद भी, आज भी वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। मेरा ये कहना है कि आज जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपनी सरकार को चुनती है तो इस उम्मीद से चुनती है कि वो जनता के लिये जन उपयोगी निर्णय लेगी, जनता के भलाई के लिये काम करेगी लेकिन ये लोग उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा एक चीज कहना है अध्यक्ष महोदय कि कोई...

ekuu; v/; {k% कन्क्लूड करिये।

Jh l at ho >k % स्टोरी पढ़ रहा था कि जब ये लोग...

ekuu; v/; {k% कन्क्लूड करिये, प्लीज।

**Jh I atcho >k %** सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद जब ये बार बार अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग या अधिकारियों को संरक्षण देने का काम एलजी साहब या केन्द्र सरकार कर रही है और ये कह रही है कि नहीं, नहीं इसके बारे में तो बात ही नहीं हुई। कहीं एक कहानी मैं पढ़ रहा था कि एक बार कोई चोर एक साइकिल चुराकर ले गया। कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भई ये साइकिल वापिस कर दो। उसने टॉयर दोनों खोल लिये और सीट निकाल लिया और साइकिल वापिस कर दिया। जब उसने कहा कि भई बात तो साइकिल की हुई थी। बोला, टॉयर की बात तो हुई ही नहीं थी। तो वही काम आज भाजपा और केन्द्र की सरकार कर रही है। तो मेरा बस यही निवेदन है कि ये आजादी, ये जनतंत्र और ये संविधान सैकड़ों कुर्बानियाँ, हजारों कुर्बानियाँ देकर बनी है; कम से कम अपने लिये न सही, उन महापुरुषों को याद करके ऐसा न करो जो आजादी मिली, जो संविधान मिला; उसको तार-तार करने की कोशिश न करो। बहुत मुश्किलें, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से केन्द्र सरकार, जिस तरह से भाजपा के लोग आज माहौल बना रहे हैं और संविधान के लिये भी, जनतंत्र के लिये भी और इस देश के लिये भी खतरनाक है। तो मेरा इस सदन के माध्यम से आपके द्वारा मैं ये निवेदन करता हूँ भाजपा के लोगों को मैं निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि अब संविधान पीठ का फैसला आ चुका है, कम से कम संविधान पीठ के फैसले को तो मान लो। कम से कम संविधान को तो मान लो। मैं ये मानता हूँ कि आपको इतिहास रहा है; न तो आपको संविधान में आस्था है, न इस देश के कानून में आस्था है लेकिन अगर आपने ऐसा किया; 2019 बहुत दूर नहीं है।

**ekuuH; v/; {k%** कन्क्लूड करिये, झा साहब, कन्क्लूड करिये।

**Jh l t h o >k%** 2019 में देश की जनता आपको आपकी औकात बतायेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

**ekuuH; v/; {k%** बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज पुष्कर जी। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ जितना शार्ट रख सकें रखें ताकि... लंबी सूची है ।

**Jh i d t i d d j %** माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि इस ऐतिहासिक महत्व के विषय पर आपने मुझे बोलने का आदेश दिया है।

मैं बहुत गहरे अर्थ में कह रहा हूँ; ये पूरे दिल्लीवासियों जिसके साथ 70 साल से धोखे का इतिहास रहा है, उसको न्याय दिलाने का काम देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, उन झूठों को बेनकाब करने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहुत गरिमा के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रांतिकारी शुरुआत करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है और ये आपका बड़प्पन है कि आपने बहुत गरिमा के साथ इस सदन को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि इसकी विस्तार में जाएँ। माननीय महोदय, मैं... बहुत, बहुत बातें इसमें कहने की हैं, बातें फिर कहीं जाएँगी। मैं समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात कम और सर्वोच्च न्यायालय की मूल भावना को प्रकट करने का काम ज्यादा करूँगा।

माननीय महोदय, सबसे पहली बात तो रेखांकित करने की ये है कि जब अगर जनता का विश्वास तोड़ा जाता है और कोई एक राजनैतिक

दल, वो भी एक सत्ताधारी दल जब वो जनता का विश्वास तोड़ता है तो वो देश की बुनियाद को खोखला करने का काम करता है। पूरे देश में कहीं भी अगर हिंसा पैदा होती है, आतंकवादी पैदा होते हैं, नक्सवाद फैलता है, उसके पीछे जब जनता के भोले विश्वास को तोड़ा जाता है; उसके पीछे जड़ में वो निकलता है। आप बार-बार अपने घोषणा-पत्र लिखकर ये घोषणा करते हैं कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। दिल्लीवासियों को एक पूरी नागरिकता का दर्जा देंगे लेकिन जब वो उस धोखे को देते हैं, उस विश्वास को तोड़ते हैं तो उस भयंकर अपराध का कहीं मुकाबला नहीं हो सकता। तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश की बुनियाद को बचाने का काम किया है और दिल्ली की विधान सभा एक न्याय संगत संस्था होने के नाते इस दायित्व को आगे बढ़ाती है।

माननीय महोदय, मैं सबसे पहली बात जो इस विधान सभा में लगातार कही जाती रही है कि संविधान कोई एक रुकी हुई चीज नहीं होती। भारत का संविधान कोई मनुस्मृति नहीं है। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो कि भारत के जो शहीद रहे हैं, अमर जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वो पूरे देश की भावना को उसके अंदर एक गतिशील दस्तावेज बनाते हैं और माननीय महोदय, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भाषा है: 'The constitution of India to be an organic and living one has to be perceived with progressive dynamism and not stuck with inflexibility.'

तो भारत के संविधान के किसी एक नुक्ते को पकड़कर, भारत के संविधान की मूल भावना को नहीं कुचला जा सकता, ये बहुत बड़ी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ध्यान दिलाई है और इसी क्रम में कहा है कि: 'It would be tragic if the law were to so petrified as to be unable to

respond to the unending challenges of evolutionary or revolutionary changes in society.’

माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है? पिछले जो छः वर्षों तक दिल्ली का इतिहास रहा है, वो इसी तरह की इवोल्यूशनरी और रिवॉल्यूशनरी चेंजेज का रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको इंगित किया है अपने दस्तावेज में, अपने आदेश में कहा है कि अगर समाज में क्रॉंतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, अगर समाज में दिल्ली के अंदर पूरे देश की उम्मीदें पैदा हो गईं, रामलीला मैदान भर गया, पूरे दिल्ली के एक आम नागरिक के अंदर उम्मीद पैदा हो गई तो भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसको अनदेखा नहीं कर सकता। उसके हिसाब से भारत के संविधान के प्रावधानों की व्याख्या होगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है।

माननीय महोदय, इसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने उठाई है कि हम संविधान की व्याख्या एक शब्दों की बाजीगरी के तौर पर करेंगे या टैक्स्युअल लीगल अंदाज में करेंगे या उसकी एक मूल भावना कोई चीज है, उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। मैं फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों को दोहराता हूँ कि:

‘Let the end be legitimate, let it be within the scope of the constitution and all means which are appropriate, which are cleanly adaptable to that end which are prohibited but consist with the letter and spirit of the constitution are constitutional’.

तो माननीय महोदय, सर्वोच्च न्यायालय स्वयं ये कह रहा है कि आप संविधान की जो व्याख्या करेंगे और ये संविधान पीठ का दायित्व है कि वो एक उसकी मूल भावना को ध्यान में रखकर करेगा और किसी गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन, किसी माननीय एलजी साहब का मूड, वो भारत के संविधान की मूल भावना से ऊपर नहीं हो सकता।

माननीय महोदय, इस संदर्भ में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही है, मैं अपने शब्द इस्तेमाल न करके, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस भावना को व्यक्त करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कहता है कि:

‘The court should pose a question to itself whether a state, literal and textual approach would annihilate the sense of the great living document which is required to be the laser beam to illuminate. If the answer is in affirmative then the constitutional courts should protect the sense and spirit of the constitution taking aid of purposive interpretation.’

बहुत महत्वपूर्ण भारतीय संविधान पीठ ने कही है कि एक पर पॉजिव इन्टरप्रेटेशन वो करेंगे और वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान की जो सेंस है, उसकी जो स्पिरिट है, उसको बचाकर रखा जाए। ये इस अर्थ में बहुत ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये आदेश क्रांतिकारी सम्भावनाओं को लिए हुए हैं और दिल्ली की जनता के साथ न्याय होने की सम्भावना अब पैदा होती है।

माननीय महोदय, बहुत बातें बहुत विस्तार में और बहुत ही ठोस आधार पर संविधान पीठ ने कहीं हैं। मैं केवल एक-दो बातें और कहकर... लम्बी सूची है, बहुत विद्वान मेरे साथी अब बातों को कहेंगे लेकिन

एक बहुत गहरी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही है कि जब हम इन्टरप्रेटेशन करेंगे क्योंकि जिस पार्टी के मैनिफेस्टो में गला फाड़-फाड़कर ये कहा गया कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, उसके इशारे पर एक सॉलिसिटर जनरल लगातार सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में खड़े होकर कहते रहे कि यहाँ तो एलजी मालिक है। वो लगातार कहते रहे कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे ही नहीं सकते। उनके बुजुर्ग कह-कहकर गुजर गए, साहिब सिंह वर्मा साहब कहते-कहते चले गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, उनके अभी वर्तमान जो अभी मंत्री बने बैठे हैं, वो पूर्ण राज्य की बात करते रहे, दिल्ली के साथ न्याय की बात करते रहे लेकिन बिल्कुल झूठ सर्वोच्च न्यायालय में बोला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संज्ञान में लेते हुए कहा कि परपजिव इन्टरप्रेटेशन होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा-माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि: 'The language of the Constitution falls to be construed not in a narrow and legalistic way but broadly and purposely so as to give effect to its spirit.' सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। राजनीतिक दलों को आईना दिखा रहा है कि झूठ मत बोलो और सर्वोच्च न्यायालय याद दिलाता है कि जो मूल भावना भारत के संविधान की है, अवहेलना उसकी नहीं हो सकती, बहुत बड़ा दायित्व है।

माननीय महोदय, इस क्रम में बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं संक्षेप में जो एक और महत्वपूर्ण बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उठाई वो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक मूल ढांचा है भारत के संविधान का।

...(व्यवधान)

ekuuH; v/; {k% पुष्कर जी अब कन्क्लूड करिए प्लीज।



**Jh i dt i qdj%** माननीय महोदय, बस दो-तीन बातें कहकर केवल कर देता हूँ कि...

...(व्यवधान)

**ekuuh; v/; {k%** नहीं, लम्बा हो जाएगा। बहुत थोड़े में कन्कलूड...

**Jh i dt i qdj%** दो केवल बातें आपसे कहूँगा, दो मिनट के अंदर कहूँगा कि जिन दो बातों की तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब ध्यान दिलाया कि एक तो संघवाद, फ़ैडरलिज्म ये कोई अहसान नहीं है, ये भारत के संविधान का बुनियादी ढाँचा है। ये भारत में जो आजादी की लड़ाई के वक्त जो पूरे देश में एक सामाजिक समझौता हुआ; पूरे देश में कोई एक इलाके के लोग, एक जाति के लोग नहीं लड़ें, उस वादे का नाम संघवाद है जिसमें कहा गया: 'The form of the government envisaged under a parliamentary system of democracy is a representative democracy in which the people of the country are entitled to exercise the sovereignty through the legislature.' तो जो एक पब्लिक और गवर्नर की, शासक की और शासित का रिश्ता है, उसके बीच जो समझौता है, उसकी तरफ रेखांकित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ध्यान दिलाता है कि ये अहसान नहीं है, जनता ही सर्वोपरि है; उसके आदेश को मानना पड़ेगा। यही बुनियाद है भारत के संविधान की, यही बुनियाद है भारत के लोकतंत्र की।

माननीय महोदय, अंतिम बात जो बहुत ही गहरे तरीके से ये याद दिलाता है, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि भारत के जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, आप ध्यान करें; एक तरफ केंद्र में बैठी हुई सरकार है और उसका सॉलिसिटर जनरल कह रहा है कि ये राज्य नहीं है दिल्ली, ये यूनियन

टेरिटरी है। उसके बारे में आदेश देते समय भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहता है। क्या कहता है कि: 'The states have an independent constitutional existence and they have an important role to play in the political, social, educational and cultural life of people as the union. They are not satellites nor agent of the centre.'

ekuuh; v/; {k% पुष्कर जी, पुष्कर जी अब कन्क्लूड करिए, प्लीज।

Jh iadt i|dj% बस मैं बिल्कुल कन्क्लूड कर रहा हूँ सर। सर्वोच्च न्यायालय की मूल भावना ये है कि दिल्ली पर आदेश देते समय यूनियन गवर्नमेंट का सॉलिसिटर जनरल वहाँ कह रहे हैं कि ये राज्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश में ध्यान दिला रहा है कि वो राज्य, अपने बिल्कुल व्यावहारिक अर्थों में एक राज्य है और राज्य किसी केंद्र सत्ता के एजेंट नहीं है, सेटेलाइट नहीं है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा दिखाई है, इस पर लम्बी बहस आवश्यक है, केवल आज पर्याप्त नहीं होगा। मैंने बहुत संकेत में अपनी बातें कह दी हैं। बहुत सारी बातें और थी लेकिन इस मूल भावना को ध्यान में रखते हुए मेरी प्रार्थना माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन और पूरी सरकार और पूरे विपक्ष और नागरिक समाज से ये है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का मामला भारत के संविधान को बचाने का, गहराने का मामला है, दिल्ली की जनता को पूरी नागरिकता देने का मामला है, उसको इज्जत देने का मामला है। हर सच्चे नागरिक, किसी भी दल में हो, किसी भी भूमिका में हो, उसका कर्तव्य है कि दिल्ली की नागरिकता को पूरी इज्जत दी जाए, दिल्ली के राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएँ, जय हिंद, जय भारत।

धन्यवाद। श्री सोमनाथ भारती जी।

अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। कल से साथियों को सुन रहा हूँ। बहुत सारी नई बातें, बहुत सारी ऐसी बातें, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया है, उसका व्याख्यान करके मेरे साथियों ने बताया।

आज मैं अपने वक्तव्य का शुरुआत एक सूफी कहानी से करूँगा। सभी साथियों को ज्ञात है कि एक इस देश में एक सूफी संत है, बुल्ले शाह। साईं बुल्ले शाह जब भगवान को... जब उनको ढूँढ़ रहे थे, तो किसी ने उन्हें कहा कि भई भगवान को ढूँढ़ रहे हो लेकिन एक संत है, आप उनके पास न गये। आप उनके पास जाओ, शाह इनायत उनका नाम था। शाह इनायत के पास गये, उन्होंने कहा कि भगवान कहाँ है? उस वक्त शाह इनायत अपने खेतों में क्यारी लगा रहे थे। बगैर देखे उन्होंने कहा, 'बुल्ल्या रब दा की पौना, इत्थो पुटना इत्थो लोना।' कहा कि भई कोई बड़ी बात नहीं रब के पाने की। आप अपना डायरेक्शन चैज कर लो, सारा काम हो जायेगा।

जब हम लोग सरकार में आये थे, हम लोगों को लगा, लोगों को लगा कि भई कैसे परिवर्तन करेंगे, कहाँ से परिवर्तन करेंगे, तो उनको ये समझ में नहीं आया कि भई इनकी नीयत में क्या है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब के नीयत में और भाजपा और मोदी साहब के नीयत में यही डिफरेंस है। डायरेक्शन का डिफरेंस है। एक का डायरेक्शन जनता की सेवा करने में है, उसके लिए संविधान का इंटरप्रेटेशन इस तरह से करने में है, जोकि जनता की सेवा करने में निहित हो और एक का

डायरेक्शन जनता को बर्बाद करने में है। इंस्टीट्यूशन आफ इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने में। अध्यक्ष महोदय, बात सिर्फ नीयत की है। आज जब ये जजमेंट आ गया तो कई सारे भाजपा के साथियों ने क्या कहा? एक ने कहा, "अब तो काम करना पड़ेगा।" जब हम गये चैनलों पे तो जजमेंट के बाद डिस्कसंस हुआ, डिबेट से उसने कहा कि अब तो काम करना पड़ेगा। जैसे कि पहले काम करने में ये रोक रहे थे। फिर किसी ने कहा, "इसमें कुछ नया थोड़ी है।" जो संविधान में लिखा है, वही तो कह रहे हैं ये। बड़ा इनका दोगला चरित्र... सबको दिखा। किसी ने कहा फिर भी सर्विसेज नहीं देंगे आपको और जब तक सर्विसेज नहीं मिलेगा, तब तक काम नहीं कर पायेंगे, चाहे जजमेंट कैसा भी आपके फेवर में आ जाये। अध्यक्ष महोदय, ये इनकी नियति में है और इनके नीयत में है कि जिस पोपुलर मेंडेट के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार चुन के आयी, इसको काम न करने दो क्योंकि अगर इसने काम कर लिया तो इनकी 67 साल की जो बर्बरता है और 67 साल का, जो 70 साल का धोखा है हिन्दुस्तानी जनता के साथ, वो सारा एक्सपोज हो जायेगा। एक ऐसी पार्टी जिसके, जिसकी 99 परसेंट सदस्यों के पास राजनीतिक अनुभव नहीं है, उनके हाथों इतना भला हो गया और इनका जो सारा एक कान्स्प्रेसी है, वो सब एक्सपोज हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, कल चूंकि मैंने ये सवाल अपने मंत्री से पूछा था, उसने कहा था कि भई जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट आया है, उसमें किस-किस वकील साथियों ने हमारा सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों में श्री गोपाल सुब्रह्मण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चिराग शॅरोफ और श्री राहुल मेहरा है। फिर मैंने पता किया

तो मुझे मालूम पड़ा कि ये लिस्ट लंबी है। ये लिस्ट इतनी तीन व्यक्तियों की नहीं है... इस लिस्ट में राजीव धवन साहब भी आते हैं, इस लिस्ट में इंदिरा जय सिंह भी आती हैं और शेखर नफाडे साहब भी आते हैं, सदा फरासत साहब भी आते हैं, तो मैं सबसे पहले आज सदन की अनुमति से आपके माध्यम से इन सभी वकील साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही मेहनत करके ऐसा जजमेंट लेके आये, जिसमें कि संविधान की ऐसा इंटरप्रेटेशन जब मैं पढ़ रहा था कल रात... चूँकि आज मुझे बोलना था, तो पढ़ने में लगा कि एक ऐसा मेनिफेस्टेशन है कांस्टीट्यूशन का जो बाबा साहब की आत्मा को शांति पहुँचा रहा है।

मैं अध्यक्ष महोदय, जजमेंट से... चूँकि सभी साथियों को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आयेगा कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने आज की स्थिति है, उसको भांप लिया था क्या? बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने कोट किया है, जो माइनोरिटी जजमेंट है, उसमें कहा है:

‘In the last address to the constitution on November 25, 1949 Dr. Ambedkar discussed the importance and the role of people and political parties in a constitutional democracy’ *aur aisa kaha*, ‘I feel, however good a constitution may be it is so to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot.’ साफ साफ कहा कांस्टीट्यूशन तो तैयार है अच्छा होने को, लेकिन कांस्टीट्यूशन को इंटरप्रेट करने वाला है कौन? अगर ये गंदे लोगों के हाथ में पड़ गया तो इसी कांस्टीट्यूशन के साथ वो बर्बरता कर सकते हैं; देश के अंदर, अगर अच्छे लोगों के हाथ में पड़ गया तो कांस्टीट्यूशन को पब्लिक वेलफेयर में लगाया जा सकता है, जो अध्यक्ष महोदय, हम देख पा रहे हैं। अगली उन्होंने कहा

बड़ा इंटरेस्टिंग कहा जो कि आज बिल्कुल ही रिलेवेंट है: 'In India bhakti or what may be call the path of devotion or hero worship, plays a part in its politics and equalled in magnitude by the path it plays in the politics of any country in the world.' जब हम कहते रहते हैं भक्त भक्त भक्त, तो भक्तों का इंटरेपीटिशन इसके अंदर बड़ा अच्छा कहा है डॉ अम्बेडकर ने, कहा:

'Bhakti in religion may be a road to salvation of the soul but in politice bhakti or hero worship is a sore road to degradation and to eventual dictatorship.' आज हम जो देख रहे हैं, ये पूरे हम सोशल मीडिया में देख लें, हर जगह देख लें, ये भक्त... भक्त... भक्त... ये भक्ति कर क्या रहा है हिन्दुस्तान पॉलिटिक्स में! कह रहे हैं, 'This will lead to eventual dictatorship.' वही हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो कुर्बान जाना चाहता हूँ, ऐसे अपने संस्थापक डॉ. अम्बेडकर को। इन्होंने साफ-साफ शब्दों में कह दिया कि जिस दिन ऐसा हो जायेगा, उस दिन डिक्टेटरशिप आने वाला होगा, जो कि हम सब को ये देखने को मिल रहा है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, जिन आठ विषयों पर चूँकि लोग कहते हैं कि भई क्यों गये थे हाई कोर्ट, क्या जरूरत थी जब हाई कोर्ट जाने की? वो कौन से विषय थे, ऐसी कौन सी मनसा थी, हम क्या माँग रहे थे, क्यों गये थे हाई कोर्ट, वो मन्शा क्या है अध्यक्ष महोदय, नौ पेटिशनस था अध्यक्ष महोदय, इसी कारण हम हाई कोर्ट गये थे।

पहला पेटिशन ये था कि भई एक पचास हजार रू. किसी काउंसिलर ने घूस लिया था, ब्राइव लिया था, उसको बचाने के लिए गयी थी ये

गवर्नमेंट आफ इंडिया। उसमें कहा उसके बेसिस पर क्या कहते हैं कि भई, ए.सी.बी. पुलिस स्टेशन है, एसीबी आपके अंदर नहीं है। एसीबी पुलिस स्टेशन है इसके लिए इसकी गतिविधियाँ आपके द्वारा नियंत्रित नहीं होंगी।

फिर दूसरा कहा, जब हमने कहा कि भई वो सीएनजी फिटनेस स्कैम हुआ तो सीएनजी फिटनेस स्कैम पे जो कमिशन बैठाया गया, वो कमिशन काम न कर पाये, भ्रष्टाचारी बचाये जायें, इसके कारण हमारा दूसरा पेटिशन था, उसको अपोज किया इन लोगों ने।

तीसरा था अध्यक्ष महोदय, जब डीडीसीए के अंदर हम सबको मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और डीडीसीए के अंदर, उसके अंदर हमने जब ये इन्वेस्टिगेशन जारी किया कि भई उन लोगों को पकड़ा जाये, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो उसके खिलाफ ये लोग खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदय, इन आठो पेटिशनस के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है, जोकि हम अपने निहित स्वार्थ के लिए कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ? जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वही हाई कोर्ट का जजमेंट जिसने कि संविधान को उल्टा कर दिया। कैसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको सीधा किया। वही जजेज, वही संविधान, वही इंटरप्रेटेशनस लेकिन किन कारणों से किया, क्यों किया अध्यक्ष महोदय, मैं चार पैराग्राफ जो कि जजमेंट था, उसको पढ़ के बताऊंगा अध्यक्ष महोदय। उसका रिकार्ड पे आना बहुत जरूरी है।

**Ekkuuh; v/; {k% सोमनाथ जी, शॉर्ट में करिये प्लीज।**

**Jh I keukFk Hkkjrt%** हाँ, शॉर्ट में करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट का जजमेंट जोकि 04 अगस्त, 2016 को आया था, उसमें पहला पैरा कहता है:

‘On a reading of article 239 and article 239 AA of the constitution together with the provisions of the govt. of NCT of Delhi Act 1991 and the TBR of the Govt. of NCT of Delhi Rules 1993 becomes manifest that Delhi continues to be a Union Territory, even after the constitution 69 amendment act 1991 inserting 239 AA making special provisions with respect to Delhi.’

तो इस जजमेंट ने कह दिया कि भई दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है। तो हम सबको संविधान को...संविधान के जो अनुच्छेद हैं, उसको दिल्ली विधानसभा के अस्तित्व को खत्म कर दिया। फिर आगे कहते हैं: ‘The contention of Delhi Govt. that the Lt. Governor of Delhi is bound to act only on aid and advice of council of ministers in relation to the matters in respect to .... in respect of which the power to make laws has been conferred on the legislative assembly of NCT of Delhi under clause 3A of Article 239 AA of the constitution is without substance and cannot be accepted.’

जो संविधान कह रहा है और इसका सीधा-सीधा उल्टा एकदम 180 डिग्री पे कहा सुप्रीम कोर्ट के बैंच ने। तो ये कैसे हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है। किस-किस दबाव में ये जजमेंट लिखा गया है। ये बहुत उत्सुकता का विषय है और चिंता का विषय भी है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, इसके आगे कहा: ‘It is mandatory under the constitutional scheme to communicate the decision of the council of ministers to the Lt. Governor, even in relation to the matters in respect of which power to make laws has been conferred on the legislative assembly of NCT of Delhi under clause 3 of article 239 AA of the constitution and order thereon can be issued only where Lt. Governor does not take a different view and no reference to the Central Govt. is required in terms of the proviso to clause 4 of article 239 AA of the constitution read with chapter 4 of transaction of business of the govt. of



NCT of Delhi Rules 1993. *fir kahate ha:* the matters connected with services fall outside the perview of the legislative assembly of NCT of Delhi. Therefore the direction in the notification that the Lt. Governor of NCT of Delhi shall in respect of matters connected with services exercise the powers and discharge the functions of the central govt. to the extent delegated to him from the time to time is the precedent is neither illegal nor unconstitutional.’

ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहा है। संविधान कहता है कि लैंड पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के अलावा बाकी सारे विषयों के ऊपर जो इंटरप्रेटेशन बाकी सुप्रीम कोर्ट में है, उसको पढ़के बताऊंगा। उसका जो इंटरप्रेटेशन था, उन्होंने इस तरह से किया कि भई, नहीं, यही तीन सब्जेक्ट नहीं, बाकी सब्जेक्टस के ऊपर भी बगैर लेफिटिनेंट गवर्नर के असैंट के आप कोई फैसला नहीं ले सकते हो। ये संभव कैसे हुआ? यही संविधान और यही एनसीटी आफ डेली एक्ट, यही टीवीआर लेकिन इंटरप्रेटेशन यहाँ कुछ और है और वहाँ कुछ और है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि...

ekuuH; v/; {k% सोमनाथ जी, अब कंकलूड करिये प्लीज।

Jh I kœukFk Hkkj rH% I will take another two minutes. सीएनजी फिटनेस कैंप में जो हमने...

ekuuH; v/; {k% नहीं, एक मिनट में अब कन्क्लूड करिये, देखिये प्लीज...

Jh I kœukFk Hkkj rH% बारगेनिंग नहीं करनी चाहिए।

ekuuH; v/; {k% नहीं, 11 मिनट हो गये हैं।

Jh I kœukFk Hkkj rH% दो मिनट और लेंगे बस।

कुछ नहीं प्लीज।

सीएनजी फिटनेस चूंकि वो मैं चाह रहा हूँ कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, वो रिकार्ड में आ जाये। सीएनजी फिटनेस कैंप में जो कमीशन में इक्वायरी बिठाई गई, उसे कहा अगर माननीय एलजी साहब ने... अब ये बड़ा हास्यास्पद है कि एलजी साहब के खिलाफ जो कमीशन बनेगी, क्या एलजी साहब उसमें अपना असैंट देंगे? इंटरेस्टिंग है! डीटीसी के खिलाफ जो कमीशन बनायी, जो डीटीसी में करप्शन था, उसमें जो कमीशन बना, कह रहे हैं कि भई उसमें भी असैंट लेके आओ, तो ये असैंट के नाम पे सारा का सारा मामला ये था कि भई ये इसमें इक्वायरी आगे न बढ़े और वो लोग जिन्होंने करप्शन किया है, वो साफ-साफ बच जायें अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं जो जजमेंटस हैं जिसका कन्क्लूज़न पार्ट है; few of the paragraphs which are very important for the point of view of being on record, I will just read that out. अध्यक्ष महोदय, 277 पैराग्राफ उसके कुछ पैराग्राफ मैं पढ़ूँगा जो कि conclusion senceritium, while interpreting the provisions of the constitution is very important. It is very very important, in fact this is ... these four paragraphs I am going to read, *ye Hindustan main jab kabhi constitution ke interpretation kee baat aaiyegi* from the point of view of legislative assembly and the govt. these will play a vital role.

While interpreting the provisions of the constitution, the safe and most a sound approach for the constitutional courts to adopt is to read the words of the constitution in the light of the spirit of the constitution so that quintessential democratic nature of our constitution and the paradigm of representative participation by way of citizenry engagement or not annihilated. The courts

must adopt such an interpretation which glorifies the democratic spirit of the constitution.'

और जब भी कभी आपको कंफ्यूज़न हो के भई इसका इंटरप्रेशन किस तरह से लें कि दो इंटरप्रेशन हैं तो इंटरप्रेशन वो लेना है ,आपको जो कि डेमोक्रेटिक फेब्रिक को ग्लोरिफाई करता है। अध्यक्ष महोदय, अगला कहा है:

'In a democratic republic the collective who are the sovereign, elect their law making representatives for enacting laws and shaping policies which are reflective of the popular will. the elected representatives being accountable to the public must be accessible, approachable and act in a transparent manner, thus the elected representatives must display constitutional objectivity as a standard of representative governance which neither tolerates ideological fragmentation nor encourages any utopian fantasy...

श्री सोमनाथ जी, अब नहीं बस।

श्री अध्यक्ष जी, as lays stress on constitutional ideologies

श्री 15 मिनट हो गये हैं प्लीज।

श्री I just comes straight to those three paragraphs...  
just another half a minutes.

श्री नहीं सोमनाथ जी, अब नहीं प्लीज। नहीं प्लीज कन्क्लूड करिये प्लीज एक सेकण्ड में। 15 मिनट हो गये हैं पूरे 15 मिनटस हेव पासड।

**Jh I kœukFk Hkkj rth%** अध्यक्ष महोदय, जीपे ३

**ekuuh; v/; {k%** ये दिक्कत होती है सोमनाथ जी, बड़ी।

**Jh I kœukFk Hkkj rth%** The meaning of ... of aid and advice . The meaning of aid and advice implied in article 239 AA (4) has to be construed to mean that the Lt. Governor of NCT of Delhi is bound by the aid and advice of the council of ministers and this position holds true so long as the Lt. Governor does not exercise his power under the proviso four of article 239 AA. The LG has not been entrusted... This is very interesting. LG another half a minute. The LG has not been entrusted with any independent decision making power. Very important. He has to either act on the aid and advice of council of ministers or he is bound to implement the decision taken by the president on a reference being made by him . and the last ... the last...

**ekuuh; v/; {k%** सोमनाथ जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**Jh I kœukFk Hkkj rth%** अध्यक्ष महोदय,

**ekuuh; v/; {k%** सोमनाथ जी। नहीं, अब बैठिए प्लीज, अब नहीं।

**Jh I kœukFk Hkkj rth%** I am just concluding...

**ekuuh; v/; {k%** सोमनाथ जी, नहीं, अब नहीं, मजबूर मत करिये मुझे।

**Jh I kœukFk Hkkj rth%** in a nutshell, I just, I will not read from the judgement anymore. In a nutshell *ek second*.... In a nutshell ... five lines. The Supreme Court judgement concludes these majorly five conclusions, Delhi LG has no independent power one, executive power of elected govt. co-exist... co-extensive with legislative powers of assembly in all matters except land,

police and public order. Delhi govt. does not need the concurrence of LG. Delhi high court in fact ... Delhi high court turned down.

ekuuh; v/; {k% नहीं, हो गया सोमनाथ जी, अब। नहीं, हो गया अब। नहीं अब उसको मत दोहराइये बार-बार प्लीज।

Jh I kœukFk Hkkj rth% लास्ट दो लाइन।

ekuuh; v/; {k% नहीं, अब इसको करिये।

Jh I kœukFk Hkkj rth% Delhi High Court.

ekuuh; v/; {k% नहीं हाई कोर्ट से क्या लेना देना? अब ये प्लीज।

Jh I kœukFk Hkkj rth% दिल्ली हाई कोर्ट...

ekuuh; v/; {k% Nothing to do with high court now.

Jh I kœukFk Hkkj rth% What I am saying Delhi high court had turn down the constitution ...

ekuuh; v/; {k% प्लीज, बैठिए।

Jh I kœukFk Hkkj rth% Which is now upheld by the constitutional bench.

ekuuh; v/; {k% सॉरी-सॉरी सोमनाथ जी, प्लीज।

Jh I kœukFk Hkkj rth% and the last that inspite of this categorical ...

ekuuh; v/; {k% सोमनाथ जी, अब नहीं। नहीं, अब नहीं। प्लीज, बैठिए।

**Jh I keukFk Hkkj rth%** इंस्पाइट आफ दिस एक लाइन बोलने दीजिए ना बस।

**ekuuh; v/; {k%** जस्ट सी दा टाईम प्लीज। बस हो गया।

**Jh I keukFk Hkkj rth%** in spite of this categorical clear order and judgement of Hon'ble Supreme court still home affairs and Lt. Governor are not agreeing to the instructions of Supreme court which is very unfortunate.

**ekuuh; v/; {k%** Thank you.

**Jh I keukFk Hkkj rth%** Servies by the judgement as termed in the jurisdiction of Delhi govt. Thank you. Thanks very much.

**ekuuh; v/; {k%** धन्यवाद श्री मदन लाल जी।

**Jh I keukFk Hkkj rth%** Thank you. Thanks a lot.

**Ekuuh; v/; {k%** श्री मदनलाल जी।

**Jh enuyky%** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आज जिस तरीके से पूरी सभा माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई, 2018 के निर्णय की प्रशंसा कर रही है, वो वाकई जजमेंट एक प्रशंसा करने लायक था और उसके पीछे जो जरूरत थी, वो उन ताकतों को हराने की थी जिन्होंने दिल्ली को पंगु बना दिया था। दिल्ली की सरकार को काम करने लायक नहीं छोड़ा था और हर बात पर वो बार-बार कुछ न कुछ बहाने लेकर इस सरकार की सभी नीतियों को, सभी कामों को डिरेल करना चाहते थे। हम... बैकग्राउंड में अगर देखें, दिल्ली के स्वरूप

को तो 1993 से पहले यहाँ दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का चलन था जो सीधा-सीधा एलजी के थ्रू प्रेजिडेंट को रिप्रजेंट करता था। दिल्ली में लोगों की भावनाओं को, लोगों की जरूरतों को देखते हुए और दिल्ली को और पॉवर देने के लिए एक नई योजना, एक नई पॉवर एक नया स्ट्रक्चर करने की नीति की वजह से 1991 में दिल्ली नैशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ डेहली गवर्नमेंट ऑफ नैशनल कैपिटल ऑफ टैरिटरी के नाम से 1991 में एक नया कानून बनाया गया। एक नई पॉवर देने की कोशिश की दिल्ली विधान सभा के थ्रू और 1993 में बिजनेस रूल्स की स्थापना की गई और 1993 में सबसे पहले, पहली बार दिल्ली असेंबली की स्थापना हुई। तब से लेकर 2015 तक वो सिस्टम लगातार चलता रहा जिसके थ्रू एलजी केवल दिल्ली का रिप्रजेंटेटिव रहा और चुनी हुई सरकार फैसले लेती रही। समय-समय पर जब भी जरूरत पड़ती, एलजी राष्ट्रपति महोदय से उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन लेते, जैसा कि 239एए जो 69वें अमेंडमेंट के रूप में 1991 में लाया गया था, उसके थ्रू वो काम करते रहे। परन्तु उसके बाद एक बदलाव हुआ। 2013 नवम्बर में एक नई सरकार आई। वो सरकार जिसका पहला काम था कि किसी भी तरह हम करप्शन को खत्म करेंगे। जो करप्शन को खत्म करने के नाम पर बनी, भले ही वो तादात बहुत ज्यादा थी, पर उस समय उसकी तत्कालीन समय में कॉंग्रेस के 8 लोगों की मदद से, वो सरकार की स्थापना हुई और उस सरकार ने सबसे पहले करप्शन का दम घोटना शुरू कर दिया, उससे बीजेपी की सरकार को चिंता हुई और वो चिंता और ज्यादा बढ़ती गई जब बिजली के दाम आधे और पानी के दाम माफ कर दिए गए। कॉंग्रेस ने सत्ता का साथ छोड़ दिया और अल्टीमेटली वो सरकार भंग हो गई। 2015 में वो सरकार फिर आ

गई और इस बार वो बहुत अभूतपूर्व मॅंडेट के साथ थी। उस मॅंडेटकृ. जो पूरा बहुमत था, उस बहुमत से घबराकर तत्कालीन बीजेपी की सरकार, जो आज के दिन भी केंद्र में है उन्होंने मई 2015 में एक नोटिफिकेशन निकाला। नोटिफिकेशन क्या था? नोटिफिकेशन था कि किसी तरह इस सरकार की सत्ता को कब्जा कर लिया जाए, पहले नोटिफिकेशन था कि क्योंकि सरकार के पास अपना पब्लिक सर्विस कमिशन नहीं है और ये सर्विस कमिशन सेंटर का है लिहाजा जितने ऑफिस आते हैं, उसको गवर्न करने की ताकत भी सेंटर की है। लिहाजा हम ये कानून पास करते हैं कि ये सारी की सारी सर्विसेज सेंटर गवर्नमेंट के अधीन काम करेंगी और उन्होंने उन अफसरों के थ्रू इस सरकार के काम में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। उसी समय की एक डवलपमेंट कि हैड कान्स्टेबल, दिल्ली पुलिस का 50 हजार रुपए रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। वो एसीबी ने पकड़ा था, एसीबी चूंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंदर आती थी और विजिलेंस डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट के अंडर आता था। परंतु उसी समय दिल्ली की, जो दिल्ली पुलिस थी, क्योंकि वो सेंटर से गवर्न होती है, क्योंकि एलजी उसका हैड है, उन्होंने सोचा इस तरह से तो ये सारे चोरों को पकड़ लेंगे और चोर किसके थे? उन्हें ज्यादा चिंता होने लगी जिनके चोर थे और उन्होंने तुरंत ही, उसी पुलिस स्टेशन में एक किडनैपिंग का मुकद्दमा दर्ज कराया। अध्यक्ष महोदय, जब वो कोर्ट में पहुँचा और कोर्ट को पता चला कि वो हैडकॉस्टेबल जिसका किडनैपिंग का केस है, वो तो 50 हजार रिश्वत के केस में बंद हुआ है तो उस मुकद्दमें में, खरीखोटी सुनाते हुए दिल्ली पुलिस के उस मुकद्दमें को खत्म कर दिया। परंतु इसके तुरंत बाद ही उन्होंने ये कहते हुए सेंटर ने कि हवेयर देयर इज द पुलिस स्टेशन,



क्योंकि एसीबी को एफआईआर दर्ज करने की पॉवर है और वो कहते हैं: जहाँ-जहाँ एफआईआर पॉवर है दर्ज करने की, वो पुलिस स्टेशन है और जो-जो पुलिस स्टेशन है, वो सेंटर के अंडर आता है, एलजी के थ्रू। लिहाजा एसीबी सेंटर के अंडर है। वो सत्ता छीन ली और उसके बाद करप्शन का एक नया दौर शुरू हो गया, अफसरशाही सेंटर के अंडर चली गई, करप्शन को पकड़ने वाले लोग सेंटर के अंडर चले गये और ये लगातार एक नया सिस्टम शुरू करने की कोशिश जा रही है। इसे सबसे ज्यादा बड़ी हवा दी 4/8/2016 के हाईकोर्ट के एक निर्णय ने। जो निर्णय सर्विसेज से मतलब, कभी भी नहीं रखता था, जो मुकद्दमा सर्विसेज का भी नहीं था परन्तु हाईकोर्ट के एक जज ने उस लाइन को ये बढ़ाते हुए कि सर्विसेज, दिल्ली सरकार की नहीं, चुनी हुई सरकार की नहीं बल्कि एलजी की है, चूँकि अगर दिल्ली गवर्नमेंट की अगर बात करें तो दिल्ली की सरकार चुनी हुई नहीं है बल्कि दिल्ली का एलजी गवर्नमेंट है और तब उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में माननीय खंड न्यायपीठ ने, जो माननीय चीफ जस्टिस के अलावा चार जजिज ओर थे, उन्होंने एक मत होकर कहा कि एलजी केवल एक प्रेजिडेंट का रैप्रजेंटिव है, वो दिल्ली का हैड कतई नहीं है। उन्होंने उस जजमेंट में इंटरप्रेट करते हुए कहा कि दिल्ली का एलजी चुनी हुई सरकार का जो मंत्रीमंडल है, उसकी एड एडवार्ज मानने के लिए बाध्य है। 'बाउण्ड टु ऐक्ट अपॉन द एड ऐण्ड ऐडवाइस ऑफ द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स।' इसका सीधा-सीधा मतलब था कि एलजी बॉस कतई नहीं है। उन्होंने चुनी हुई सरकार की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसका आदेश मानना है, एड और एडवार्ज माननी है और जब उन्होंने कहा कि वो बाध्य है

मानने के लिए तो 'ही इज बाउण्ड टु ऐक्ट अपॉन द एड ऐण्ड एडवाइस ऑफ द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स।' सर, उनका कहने का मतलब बड़ा-बड़ा साफ था कि एलजी केवल उनकी सलाह मानेंगे और उस पर कार्य करेंगे। उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर उनको किसी चीज में कोई शक है, उनको कुछ लगता है कि वो नैशनल इंटरैस्ट के खिलाफ है। ही केन रेफर दैट मैटर टु द ऑनरेबल प्रेजिडेंट।' और प्रेजिडेंट जो कॉल लेंगे, वो। पर हो उल्टा रहा है। एलजी महोदय अपने दफ्तर में मीटिंग करते हैं, वो फीता काटने जाते हैं, वो अफसरों को बुलाकर सड़क पर मुआइना करते फिरते हैं... इसका मतलब ये पैरलल गवर्नमेंट चलाने की जरूरत पड़ी। पर जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भाषा में, मर्यादा में एक लाइन खींच दी कि दिल्ली सरकार की ये पॉवर है और एलजी की ये पॉवर है। मैं सिर्फ अपने आप से ये पूछना चाहता हूँ: एक बड़ा राज्य, एक बड़ा गवर्नर, जो केवल गवर्नर है और पॉवर गवर्नर की जीरो। बड़ा राज्य, बड़ा गवर्नर पॉवर जीरो। छोटा राज्य, छोटा राज्य कहने से मेरा मतलब ये है, चूँकि दिल्ली कैपिटल टैरिटरी है, इसलिए छोटा राज्य, पूरी पॉवर नहीं है और वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी बड़ा गवर्नर नहीं, छोटा गवर्नर, पर पॉवर पूरे देश के गवर्नरों से ज्यादा। ये अचरज नहीं है क्या! गवर्नरों के पास पॉवर नहीं है, वो कांन्सिट्यूशनल पोस्ट पर होते हुए भी, एन्जाय नहीं करते कि वो किसी चीज पर फैसला अपनी मर्जी से ले लें, 'बिकॉज दे आर बाउण्ड बाइ द एड ऐण्ड एडवाइस ऑफ द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर।' यहाँ लैफिटनेंट गवर्नर जो केवल प्रेजिडेंट के एजेंट हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं पर जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि अब के बाद, एलजी अपनी मर्यादा में रहे,

अनारकिस्ट वर्ड एलजी के लिए इस्तेमाल हुआ। वहाँ कहा गया कि आप सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप सत्ता को हथिया नहीं सकते, चुनी हुई सरकार के पास पॉवर है, चुनी हुई सरकार के फैसलों को जब भी कोई एडवाइज के रूप में आपके पास आएगा, आपको मानना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में, जो कॉन्सिट्यूशन बैंच अभी सुन रही है हमारी सर्विसेज का मैटर, जो बार-बार अधिकारी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अनदेखी करते हैं, अनहोनी बातें करते हैं, आज के दिन उसकी सुनवाई, अभी सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ और पूरे सदन के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को उनकी मर्यादा और उनकी लकीर खींच के बता देंगे कि उनके पास कितनी पॉवर है और दिल्ली सरकार के पास कितनी पॉवर है और मुझे उम्मीद है कि सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास होगी जिसकी वजह से दिल्ली सरकार का सारा काम, दिल्ली के विकास का काम बहुत अच्छी तरीके से होने लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक्यू।

**EkkuuH; v/; {k%** बहुत-बहुत धन्यवाद मदनलाल जी। श्री जगदीश प्रधान जी।

**Jh txnh'k iz/ku%** धन्यवाद अध्यक्ष जी।

**Jh txnh'k iz/ku%** धन्यवाद, अध्यक्ष जी। काफी देर से सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, दिल्ली का विकास एलजी को लेकर बात की गई। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 1993 में दिल्ली में पहली बार असेम्बली के चुनाव हुए और बीजेपी की

सरकार बनी जो 1998 तक चली। उस समय सैन्टर में कांग्रेस की सरकार थी। आप भी शायद उसमें यहाँ इस सदन के सदस्य थे। उसके बाद 1998 से लेकर और 2013 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही और सैन्टर में बीच में छः साल, सवा छः साल वाजपेयी जी की सरकार— बीजेपी की सैन्टर में रही। जिस तरह का विवाद आज दिल्ली में साढ़े तीन साल से देखने को मिल रहा है। 20 साल में विवाद कभी दिल्ली के लोगों ने नहीं देखा और यहाँ जो मॅबर रहे सब, उन्होंने भी ऐसा विवाद नहीं देखा। यहाँ जब से दिल्ली में सरकार आई और पूरे बहुमत के साथ आम आदमी की सरकार बनी और दिल्ली के लोगों को बहुत आशा थी कि दिल्ली में विकास होंगे। दिल्ली का जितना विकास होना चाहिए था, वो विकास दिल्ली सरकार नहीं कर पाई, चाहे वो फ्लाईओवर की बात हो, चाहे स्कूल बनाने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात हो... बहन जी एक मिनट सुनना।

**Ekkuuh; v/; {k%** नहीं, अलका जी, कोई बीच में न बोले प्लीज। उनको अपनी बात रखने दीजिए। जनता देख रही है सब।

**Jh txnh'k i/ku%** आप बात सुन लीजिए, आप जो जानना चाहें, वो दे दें।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** जनता सारे माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सब कुछ देख रही है अखिलेश जी, प्लीज।

**Jh txnh'k i/ku%** जहाँ तक जब भी यहाँ सदन में चर्चा हुई, किसी भी विषय को लेकर हुई दिल्ली के विकास को लेकर भी हुई, दिल्ली के

अफसरों को लेकर भी हुई। यहाँ बार-बार एमसीडी को गालियाँ दी गई, मोदी सरकार को गालियाँ दी गई, एलजी को गालियाँ दी गई। दिल्ली के विकास पर चर्चा कम, अधिकारियों के साथ ज्यादा यहाँ दुर्व्यवहार किया गया।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** अजय दत्त जी, बीच में मत बोलें भई, प्लीज।

**Jh txnh'k iz/kku%** अरे भैया! मैंने न दिया आप बोल देना जब आप...

**Ekkuuh; v/; {k%** अजय दत्त जी, बैठ जाइए अब। नहीं, बैठ जाइए प्लीज। बैठ जाइए।

**Jh txnh'k iz/kku%** अगर हमें बोलने नहीं दिया जाएगा; आप कहेंगे तो हम बैठ जायेंगे।

**Ekkuuh; v/; {k%** पता नहीं, समझ नहीं आती बात।

**Jh txnh'k iz/kku%** हमने कई बार यहाँ कहा कि आप दिल्ली के विकास की बात करो। यदि अफसरों के साथ में कहीं तालमेल में कमी है तो अफसरों को बैठाकर उसका तालमेल करके दिल्ली के विकास की हम बात करेंगे। आज सदन में कहा गया कि एमएलए फंड 10 करोड़ रुपये कर दिया गया। हम भी उसकी खुशी करवा रहे हैं कि दिल्ली का विकास हो। मगर मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पिछला एक साल 2017-18 में मेरी जानकारी के अनुसार जो 1500 करोड़

रुपया पिछले साल अनऑथोराइज कालोनियों के लिए बजट में सरकार ने रखा, मुझे बता दिया जाए सदन को कि उसमें से कितना पैसा आज तक खर्च हुआ। आप 10 करोड़ की बात कर रहे हो, आज मार्च को खत्म हुए पाँचवाँ महीना चल रहा है, मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं बड़ी रिक्वेस्ट के साथ, नम्रता के साथ पूछना चाहता हूँ कि ये जो विधायक फंड अनऑथोराइज कालोनियों में लगता है, आज तक एक पैसा भी वहाँ नहीं लगा। आप 10 करोड़ दे दें, आप 1500 की जगह तीन हजार करोड़ दिल्ली का बजट अनऑथोराइज के लिए दे दें या और विकास का... जब तक अधिकारी लोग... मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ अधिकारियों को भी सहयोग करना चाहिए जो अधिकारी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ अधिकारियों की बात करें कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो उस पर हमारे मंबर को उल्टा-सीधा कहा जाता है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दिल्ली का विकास करना चाहिए और जहाँ तक दिल्ली सरकार ने एक वादा किया था, चुनाव में आने से पहले अपने घोशणा पत्र में कि दिल्ली में जितनी भी अनऑथोराइज कालोनियाँ हैं, हम सरकार में आने के एक साल के बाद उन सब कालोनियों को पास कर देंगे। आज साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद जब कि सैन्टर गवर्नमेंट ने 2013 में ये अधिसूचना जारी कर दी थी कि दिल्ली सरकार इन कालोनियों को पास करने का काम करे। आज तक बताए सरकार कि दिल्ली में एक भी अनऑथोराइज कालोनियों को पास किया गया। नहीं, आपने कोई सर्वे कराया हो, एमसीडी को प्रेशर दिया हो।

**Ekkuuh; v/; {k%** चलिए उत्तर मिलेगा, उत्तर मिलेगा।

**Jh txnh'k izkku%** एमसीडी को पैसा दिया हो तो सर्वे की बात की हो तो उसे बताएँ दूसरा...

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** कोई नहीं आप उत्तर देंगे ना, मंत्री महोदय सब उत्तर देंगे।

**Jh txnh'k izkku%** मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ उसका जवाब दे दें। मैं इस पर कोई ज्यादा बहस नहीं कर रहा आप लोगों से।

...(व्यवधान)

**Ekkuuh; v/; {k%** भई ऋतुराज जी।

**Jh txnh'k izkku%** भई आप... खाली शोर मचाने से काम चलने वाला नहीं है। आप कागजों में बता दें हमने ये दिया है। आप ये शोर मचाकर...

**Ekkuuh; v/; {k%** अपने लोग उत्तर देंगे ना। भई ये बीच में रोका-टोकी ठीक नहीं है। अपने लोगों को अभी बोलना है। अभी उनको नोट कर लेने दीजिए क्या-क्या बोल रहे है वो। उसका उत्तर देंगे वो।

**Jh txnh'k izkku%** जहाँ तक बार-बार ये कहा जाए कि दिल्ली में हमको काम करने के लिए जमीन नहीं मिल रही। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब...

...(व्यवधान)

**Jh txnh'k iz'ku%** यार त्यागी जी, हाथ जुड़वा ले भाई... यार तेने तो बिल्कुल ही पता नहीं, सारे इस सदन का ठेका ले रखा है क्या शोर मचाने का? या हम दो लग रहे तो इसलिए...

**Ekkuuh; v/; {k%** ये इतना गंभीर मुद्दा है नितिन जी, ये इतना... नितिन जी, प्लीज।

**I φh vydk ykEck%** शोर ही नहीं करते, आप पता नहीं क्या अपने आपको समझते हैं!

**Ekkuuh; v/; {k%** अरे! मुझे समझ नहीं आता कि क्या करें! इतना गंभीर मुद्दा है। हमारे पक्ष का मुद्दा उसको ठीक से होने दीजिए।

**Jh txnh'k iz'ku%** अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब ये मोदी जी 2015 के अंदर एक अध्यादेश लेकर आए थे लैंड बिल के अगेंस्ट कि जो जमीन एक्वायर करने पर कांग्रेस सरकार ने 2013 का जो लैंड बिल लेकर आई थी। जिसमें आज रोना रोते हैं आप यहाँ बैठकर कि हमको काम करने के लिए जमीन नहीं मिल रही, उसका सबसे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विरोध किया। आप उसको उठाकर देख लें। तो साथियो! मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि जो विकास के काम में अड़ंगा, जहाँ लगाए जा रहे हैं जो नीयत साफ नहीं है, मैं यही कहूँगा उसमें कि 1500 करोड़ रुपये का बजट तो आपने रख दिया; आज तक एक टेंडर नहीं हो पाया है, मैं अपने यहाँ भी... और आपकी इजाजत है तो मैं बैठूँ? धन्यवाद।



**Ekkuuh; v/; {k%** धन्यवाद, वक्ताओं की सूची बहुत लंबी है इसको कल के लिए दोबारा रिपीट करना पड़ेगा विषय बहुत गंभीर है अंतिम वक्ता अलका लांबा जी आज के लिए प्लीज और जो वक्ता और बाकी रह गए हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, वहीं मैं लूँगा कल श्री शिवचरण गोयल जी, अखिलेशपति त्रिपाठी जी, श्रीमती सरिता सिंह जी, श्री जगदीप सिंह जी, श्री सौरभ भारद्वाज जी, राजेश गुप्ता जी और विपक्ष से ओम प्रकाश जी। ये मेरे पास नाम हैं कल ये लिए जायेंगे। अलका लाम्बा जी।

**I qh vydk ykEck%** धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज की चर्चा का विषय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की चुनी हुई सरकार की...

**Ekkuuh; v/; {k%** श्री सुखबीर दलाल, हाँ, है आपका।

**I qh vydk ykEck%** सरकार की पंक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर चर्चा है।

**Ekkuuh; v/; {k%** है, सुखवीर जी है आपका। नहीं, है। मेरे से नाम छूट गया आपका। आपका नाम है लिस्ट में। प्लीज।

**I qh vydk ykEck%** अध्यक्ष जी, मेरे साथियों ने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, उसके कानूनी पहलुओं पर बोला। मैं इसके राजनीतिक पहलू पर बोलना चाहूँगी, एक शख्स है, मैं नाम नहीं लूँगी। उन्हें लोग चौकीदार के नाम से जानते हैं, उस शख्स को फकीर के नाम से जानते हैं, कभी पकौड़ा मंत्री, कभी परिधान मंत्री, कभी प्रचार मंत्री; उस शख्स ने कहा था कि मुझे... फेंकू भी कहते होंगे पर मुझे नहीं मालूम। लेकिन उस शख्स ने कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए मुझे 60 महीने दे दीजिए।

60 महीने जुमलेबाजी में उनके चले गए। हमारे 60 महीनों का क्या हुआ? 2015 में दिल्ली के लोगों ने पूर्ण बहुमत देकर एक ऐतिहासिक सरकार बनायी हमें भी 60 महीने मिले थे। हमारे 60 महीने कहाँ गए?

अध्यक्ष जी, 42 महीने लगभग इस सरकार के केजरीवाल सरकार के सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट इन्हीं विवादों में हमारी जो है दिल्ली की जनता पिसती चली गई। आज बहुत दुःख की बात है कि इतने वक्ताओं को सुनने के बाद भी जब बीजेपी के हमारे एक साथी को बोलने का मौका मिला, उन्होंने कहा, "सरकार काम नहीं करना चाहती थी, बहाने कर रही थी।" यही बात हम पिछले दो साल से जब 4 अगस्त, 2016 को हाईकोर्ट का फैसला आया कि दिल्ली का फैसला करने का हक एलजी को है, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को नहीं है। दो साल लगे। हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसम्बर, 2017 को एक साल के बाद... लगभग सुनवाई के बाद उसको सुरक्षित रख दिया। छः महीने लगे। पाँच जो है, न्यायाधीशों की संविधान की खंडपीठ को फैसला सुनाने में और जब जो फैसला आता है तो समझ आता है कि सरकार तो काम करना चाहती थी। दिल्ली का मुख्यमंत्री तो काम करना चाहता था। लेकिन उन्हें काम करने से हर बार रोका जा रहा था, रोके जाने का एक ही कारण था, अध्यक्ष जी, एक ही कारण था। मैं आज भी एक पोस्टर देखती हूँ जिस पोस्टर पे लिखा है भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी जंग शुरू 35 अफसर गिरफ्तार, 152 अधिकारी सस्पेंड किए गए। ये 2015 की सरकार के तुरंत आते, आने के बाद की कार्रवाइयाँ हैं। इसीलिए केन्द्र की सरकार ने 2015 में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया; एन्टी करप्शन ब्रांच खींच ली। आज दिल्ली को मालूम ही नहीं है एन्टी करप्शन ब्रांच का चीफ कौन है। उसका

कार्यालय क्या है, मैं इनसे पूछना चाहूँगी; आपने 2015 में जब इस तरह के पोस्टर देखे कि इतने अधिकारियों को सस्पेंड किया, इतने गिरफ्तार हुए, इतने जेल गए, उसके बाद से आज तक 2015 से 2018 तक दिल्ली पुलिस, कानून व्यवस्था, एन्टी करप्शन ब्रांच आपके पास है। हिम्मत हो तो बताइए। हमारी सरकार ने आते ही... केजरीवाल सरकार ने चंद महीनों में एन्टी करप्शन ब्रांच के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की। लेकिन आपके पास चार सालों में कौन से नाम हैं? उल्टा आप भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का प्रयास करते हैं।

मैं अध्यक्ष जी, यहाँ पर डॉ. फैजान मुस्तफा जो हैदराबाद के प्रोफेसर और एनडीटीवी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जब हाई कोर्ट का फैसला आया कि करता-धरता... दिल्ली के जो फैसले हैं, वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक तरीकों से लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं करेंगे, एल.जी. साहब करेंगे। ये हाई कोर्ट का फैसला था। तब एनडीटीवी अकेला तो जो डॉ. फैजान मुस्तफा— प्रोफेसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय में उनके साथ पूरी व्याख्या करते रहे वो हर बार हमें तसल्ली देते रहे कि सुप्रीम कोर्ट की पाँच न्यायाधीशों की खंडपीठ बिल्कुल इस फैसले को पलटेगी और उन्होंने पूरी व्याख्या की। बस वही एक तसल्ली, एक उम्मीद रही कि दिल्ली के लोगों को न्याय मिलेगा।

अध्यक्ष जी, ये हमारे 42 महीने जो बर्बाद किए और अब तो हमारे पास सिर्फ 18 महीने बच गए, 2020 फरवरी में चुनाव आ जाएगा। इसका जो भरपाई है, वो कौन करेगा? आज भी हमारे सदस्य, एक गुमराह हैं। कहते हैं, "काम नहीं करना चाहते थे या काम करने से रोका जा रहा था।" आज पूरा देश जानता है कि केजरीवाल सरकार तो काम करना

चाहती थी करना चाहती है। लेकिन केन्द्र की भाजपा सरकार में एक भाजपा का नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है और एक देश के प्रधानमंत्री हैं। आज तक उनके जख्म 2015 में जो दिल्ली के लोगों ने दिया, वो भर नहीं रहे हैं। वो हर बार हरे हो जाते हैं और हर बार कोई न कोई अड़ंगा लगाते हैं कि इन्हें रोका जाए।

अध्यक्ष जी, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एल.जी. को फटकार लगाई है कि आपको नगर निगम के साथ मिलकर आपके जो काम हैं, दिल्ली की पुलिस, दिल्ली की कानून व्यवस्था, जमीन, नगर निगम आपको काम करना है। एल.जी. साहब आप काम नहीं कर रहे। कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है तो आज ही हैडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “एल.जी. साहब के घर के बाहर कूड़ा फेंक कर आइए। अपने काम नहीं करते हैं आप तो।” केन्द्र ने इसीलिए आपको यहाँ पर बैठाया हुआ है कि केजरीवाल सरकार आम आदमी पार्टी सरकार के कामों में जितना अड़ंगा डाल सकते हैं, डालिए। मैं अध्यक्ष जी, अभी राजस्थान में थी, राजस्थान में लोग आकर मिले तो उन्होंने कहा, “एक बात की तो आपकी पार्टी की चर्चा होती है।” मैंने कहा, “किस बात की?” उन्होंने कहा, “हमने देखा है कि पिछले 5 सालों में जब से केन्द्र में भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने हर पार्टियों को अस्थिर करने की, हर पार्टी के विधायक, सांसदों को खरीदने की कोशिशें की है। लेकिन आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार के एक भी विधायक पिछले साढ़े तीन साल में टूटा नहीं, मजबूती से खड़ा हुआ है, इनके सामने, इस बात की तो हम आपकी तारीफ करते हैं।” मुकद्दमें झूठे डाले, जेल भेजा गया, सब कुछ किया गया। एक भाई टूटा था बवाना का, 35 हजार से जिता के दूसरा भाई हमारे साथ भेज

दिया। कुछ गुमराह किए हुए हैं। लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही उनमें, सदस्यता चली जाएगी, इसलिए छोड़ेंगे नहीं। तो ये आम आदमी पार्टी की है कि जहाँ पूरे देश की दूसरी पार्टियों के दलों को दबाव में, झूठे मामलों में जेल भेजा जा रहा है, उसका नहीं।

अध्यक्ष जी, इन साढ़े तीन सालों में दिल्ली को भुगतना पड़ा। हमारा कुछ नहीं गया विधायकों का। हम कहें, "हम यहाँ विधायक बनने नहीं, दिल्ली की व्यवस्था बदलने आए थे।" सीसीटी कैमरा के लिए बाकायदा हम सबको कड़कती धूप के, मई के महीने में चार घण्टे मुख्य मंत्री पूरे मंत्रिमण्डल के साथ विधायकों को एल.जी. साहब के दरवाजे पर बैठना पड़ा और सीसीटी कैमरे की लड़ाई को लेकर के महिला सुरक्षा के मद्देनजर कितनी जरूरत है, सीसीटी कैमरे की! और वो कहते हैं, "जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है।" तो सबसे पहले एल.जी. साहब से निवेदन करेंगे, अपने घर के आसपास जितने सीसीटी कैमरा हैं, उन्हें आप हटा दीजिए।

मौहल्ला क्लीनिक की फाइलों को लेकर किस तरह से उन्होंने दबाए रखा। एक एक विधायक... सुबह 10 बजे एल.जी. साहब के घर गए थे हम लोग। रात को 10 बजे तक हम वहीं पर खड़े रहे, इस बात पर अड़े रहे कि एल.जी. साहब, मौहल्ला क्लीनिक की फाइलों को पास कर दीजिए। ये हमारा संघर्ष है। पिछले साढ़े तीन सालों का, 42 महीनों का। हमारी गेस्ट टीचर की नियुक्तियों को लेकर इसी सदन ने प्रस्ताव पारित किया था। उन गेस्ट टीचर्स नियुक्ति के ऊपर आज तक जो है, कोई फैसला नहीं आया। एल.जी. साहब ने फाइल दबाए रखी।

हमारे श्रम मंत्री बैठे हुए हैं; न्यूनतम मजदूरी, इतनी महंगाई में गरीब को, मजदूर को न्यूनतम मजदूरी हम लोगों ने तय की। इन्हें वो भी मंजूर

नहीं था। हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी जो 13500 की थी 9500 से उसे पलट दिया। आप सोचिए इतनी महंगाई में जिस गरीब का इस सरकार की वजह से पिछले एक साल का फैसला था और एक साल से उनको 9500 की जगह 13500 मिल रहा था हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया। मुझे खुशी है, आज ये सरकार हर मामले को हाई कोर्ट के बहाना लगा के कि हाई कोर्ट में हार गए अब तो हम कुछ नहीं कर सकते।

मुझे खुशी है कि ये सरकार आम आदमी, मजदूर, गरीब, महिलाओं की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही है। लंबा ठीक है... साढ़े तीन साल निकल गए... सिर्फ रह गए। डोर स्टेप डिलीवरी राशन को लेकर मैं ये मुद्दे बता रही हूँ जो साढ़े तीन साल में इन्होंने ये सोचा कि ये केजरीवाल सरकार को परेशान कर रहे हैं। ये केजरीवाल सरकार को परेशान नहीं कर रहे थे दिल्ली के आम आदमी को परेशान कर रहे थे। उनसे आज भी अपनी हार का जो है, बदला ले रहे थे। डोर स्टेप डिलीवरी राशन की फाइल लौटा दी गई। हकीकत ये है कि जो साढ़े तीन साल तक तमाशा चलता रहा, जो भाजपा कांग्रेस दोनों कहती रही। केजरीवाल को काम नहीं करना, ये बहाने बना रहे हैं और इनसे पूछिए, 400 फाइलें एल.जी. साहब ने अपने दफ्तर में मंगवा ली। 400 फाइलों के ऊपर बैठ गए। कोई फैसला नहीं, न हाँ, न ना। बस 400 फाइलों के पास ऊपर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया कि दिल्ली सरकार को एल.जी. से किसी भी तरह की कोई भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है आपका दिल हो तो सूचना भिजवा दीजिएगा। सूचना में और इजाजत लेने में जमीन आसमान का फर्क है। यहीं हम लोग पहले भी कर रहे

थे जिन्हें भाजपा कांग्रेस के नेता असंवैधानिक बता रहे थे। संविधान के साथ खिलवाड़ बता रहे थे कि ये आम आदमी के लोग संविधान का सम्मान नहीं करते, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

आज मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सिर्फ एक शब्द सर्विसेज का इस्तेमाल कर दिया होता तो मुझे लगता है आज फिर जो हम सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बावजूद जो दिल्ली के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है क्योंकि बाकी बचे 18 महीनों में केजरीवाल सरकार, उनका पूरी मंत्रिमंडल किस मुस्तेदी के साथ जमीन पर उतर चुका है, वो दिल्ली देख रही है कि ये सरकार तो काम करना चाहती थी, है लेकिन केन्द्र की सरकार आज तक अड़ंगा पूरा डाल रही है कि किसी 11 याचिकाएँ, अध्यक्ष जी, 11 याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गईं। ढाई-तीन साल का इंतजार करना पड़ा। जब 18 महीने बचे तो पता लगा कि सारी ताकत जो है, दिल्ली की सरकार के पास है। 400 फाइलें मंगा के जो शिंगलू की कमिटी बैठा दी गई, एक बैठी थी 2010 के कॉमनवेल्थ गेम के घोटालों के लिए शिंगलू की कमिटी। क्या हुई? कितने गिरफ्तार हुए, कितनो को जेल भेजा, कुछ नहीं मालूम है। एन्टी करप्शन ब्रांच भी आपने ले ली और अब फिर 400 फाइलें मंगाई, दबाकर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एल.जी. साहब को फैसले लेने का कोई हक नहीं है। जो दिल्ली की सरकार कैबिनेट फैसले भेजे, उसपे आपको जो है, मोहर लगानी है और अगर आप असहमत हैं, राष्ट्रपति जी को भेजिए। ये फैसले लेने का अधिकार या दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति जी को है। आप सिर्फ एक मध्यस्थता का काम कर रहे हैं

कि दिल्ली सरकार कोई भेजे, उसको आप मोहर लगाकर तुरंत वापिस करिए। आपको न कहना है तो आप न लिखकर राष्ट्रपति जी को भेजिए। राष्ट्रपति जी उसपे हाँ, या न का जो है, वो फैसला करेंगे।

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ ये ही कहना चाहती हूँ बहुत कम शब्दों में कि भाजपा की सरकार पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजों के न्यायाधीश के खंडपीठ के फैसले के बाद पूरी तरह बेनकाब हो गई है। थोड़ी भी शर्म हो, इन्हें में कहूंगी... थोड़ी भी शर्म हो साफ कर दिया है—पुलिस, कानून व्यवस्था, जमीन केन्द्र के अधीन रहेगी। कोई डिसप्यूट नहीं है। लेकिन जहाँ तक सर्विसेज का मामला है, मैं फिर कहूंगी, 18 महीने अगर आप सोचेंगे जो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के बचे हैं, उसे फिर आप सुप्रीम कोर्ट में सर्विसेज के मैटर में उलझा के रखेंगे। अपने अधिकारियों से, अपने अधिकारियों से हमारे मंत्रियों के ऊपर झूठे-मूठे आरोप लगाकर आपने सीबीआई की कितनी रेड करवाई! पहला मुख्यमंत्री है पूरे भारतवर्ष में कि मुख्यमंत्री होते हुए; घर तक सीबीआई, दफ्तरों तक सीबीआई। सत्येन्द्र जैन जी को साढ़े तीन साल हो गए मंत्री बने हुए, कितना दुःखी और परेशान किया गया; सीबीआई दो-दो मिनट में भेजी गई। शर्म आती है!

मैं पेश करना चाहूंगी देवरिया में अपना मुजफ्फरपुर बिहार में बेटियों के साथ बलात्कार आपकी सरकार के मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो रहे हैं, एक को गिरफ्तार नहीं कर रहे। मुस्कुराते हुए वो आपके जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक सरकार अगर काम करती है तो उसे करने दिया जाए।



अध्यक्ष जी, आज मैं फिर एक बार हम सबकी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय पे टिकी हुई। लड़ाई अभी भी बहुत लंबी है। ऐसा नहीं है, खत्म हुई है पर अभी भी मैं कहूँगी थोड़ी शर्म, लिहाज हो, बेनकाब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्विसेज वाले मैटर को अगर आप चाहें तो हम सुप्रीम कोर्ट से वापिस ले सकते हैं। अगर आप इस बात को मान जाएँ कि हम ही ने उलझाया था, हम ही उलझा रहे हैं, बेनकाब हो चुके हैं। 19 सर पे खड़ा है। बहुत महंगा जब पड़ेगा जवाब देना तो सर्विसेज के मैटर पे ताकि अधिकारी आप भी... 19 प्रश्न लगे थे नौ का तो जवाब ही नहीं दिया अध्यक्ष जी। वो सिर्फ इनके इशारों पर, शह पर हो रहा है। पूरी तरह से ये अधिकारी प्रशासन केन्द्र के हाथों कठपुतली बनकर इस सरकार को रोकना चाह रहे हैं जिसमें कामयाब नहीं, होंगे बेनकाब हो चुके हैं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर, पूरी दिल्ली के ऊपर, केजरीवाल सरकार के ऊपर एक-एक मंत्रिमंडल के ऊपर पूरी तरह विश्वास बना हुआ है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के मोहर के बाद एक बार फिर से साबित होता है, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

### ifronuka ij l gefr

ekuuH; v/; {k% धन्यवाद। श्री शिवचरण गोयल जी सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों सम्बन्धी अपनी समिति के चौथे प्रतिवेदन का प्रस्ताव करेंगे।

Jh f'kopj.k xks y% अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन दिनांक 6 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में है वे हाँ, कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ, पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

माननीय सदस्यगण, आज शहरी विकास विभाग से पाँच तारांकित ओर 21 अतारांकित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। ये सभी प्रश्न दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित थे। माननीय मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन जी ने सदन को सूचित किया कि निर्देश दिये जाने के बावजूद प्रधान सचिव, शहरी विकास ने उत्तरों के बाबत पूरी और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध नहीं करायी। ये बहुत गम्भीर विषय है। उन्होंने ये भी सूचित किया कि ऐसे मामलों पर विचारार्थ बुलाई गई बैठक में निगमायुक्त उपस्थित नहीं हुए।

जैसा कि मैंने पहले भी निर्देश दिया है कि ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर निर्धारित समय पर प्राप्त नहीं होंगे, विशेषाधिकार समिति को भेजे हुए माने जाएँगे। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे सम्बन्धित अधिकारियों से हुई अपनी चर्चा या देर से प्राप्त हुए प्रश्नों का विस्तृत ब्यौरा 10 अगस्त, 2018 तक लिखित में समिति को दें दें। सदन की मर्यादा और सदन की साख के दांव पर होने पर विशेषाधिकार समिति को भी इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर जांच के निर्देश दिये जाते हैं।

अब सदन की कार्यवाही... मैं स्थगित करने से पहले, ये जो चर्चा चल रही थी, ये कल जारी रहेगी। अब सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 8 अगस्त, 2018 को अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 8 अगस्त, 2018 को अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)*